उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खंड १७०

सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

से

शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६ तक

मुद्रक :

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन-सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत।

१९५६

विषय-सूची

सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

बुधवार, १ अप्रैल, १९५९

बृहस्पतिवार, २ अप्रैल, १९५९

शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९५९

विषय	पृष्ठ-संख्या

शासन

राज्यपाल

श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी

मन्त्रि-परिषद्

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, विधान सभा सदस्य, मुख्य मन्त्री तथा सामान्य प्रशासन एवं गृह मन्त्री ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वित्त, वन, सहकारिता तथा विद्युत मंत्री ।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि तथा पुनर्वासन मन्त्री ।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, रजिस्ट्रेशन तथा मादक-कर मन्त्री ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन, स्वास्थ्य, उद्योग तथा अन्न मन्त्री ।

श्री सैयद अली जहीर, बार-ऐट-ला, विधान सभा सदस्य, न्याय तथा स्वशासन मन्त्री ।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल तथा परिवहन मन्त्री ।

श्री हरगोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मन्त्री ।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान सभा सदस्य, सूचना तथा सिंचाई मन्त्री ।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान सभा सदस्य, निर्माण मन्त्री ।

आचार्य जुगल किशोर, एम० ए०, विधान सभा सदस्य, श्रम तथा समाज-कल्याण मन्त्री ।

उपमंत्री

श्री मंगलाप्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सहकारिता उप-मन्त्री ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, वन उपमन्त्री ।

श्री फूलसिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उपमंत्री ।

श्री जगनप्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, पुलिस उपमन्त्री ।

श्री मुजफ्फरहसन, विधान सभा सदस्य, कारावास उपमन्त्री ।

श्री राममूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई उपमंत्री ।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, माल उपमंत्री ।

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (वित्त), पी-एच० डी०, विधान सभा सदस्य, शिक्षा उपमंत्री ।

श्री कैलाशप्रकाश, विधान सभा सदस्य, स्वशासन उपमंत्री ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान सभा सदस्य, निर्माण उपमन्त्री ।

सभा-सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान सभा सदस्य

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव

१—श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान सभा सदस्य।
२—श्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य।

कृषि मंत्री के सभा-सचिव

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य।

सूचना मंत्री के सभा-सचिव

श्री लक्ष्मीशंकर यादव, विधान सभा सदस्य।

वित्त मंत्री के सभा-सचिव

श्री धर्म सिंह, विधान सभा सदस्य।

श्रम मंत्री के सभा सचिव

श्री परमात्मानन्द सिंह, विधान परिषद सदस्य।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अंसमान सिंह, श्री	.. बस्ती (पूर्व)
२	अक्षयवर सिंह, श्री	.. गोरखपुर (दक्षिण-पूर्व)
३	अजीज इमाम, श्री	.. मिर्जापुर (दक्षिण)
४	अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री	.. रुड़की (दक्षिण)
५	अनन्तस्वरूप सिंह, श्री	.. फतेहपुर (दक्षिण)—खागा (दक्षिण)
६	अब्दुल मुईज खां, श्री	.. खलीलाबाद (मध्य)
७	अब्दुल रऊफ खां, श्री	.. फतेहपुर (पूर्व)-खागा (उत्तर)
८	अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री	.. मिर्जापुर (उत्तर)
९	अमृतनाथ मिश्र, श्री	.. उतरौला (दक्षिण)
१०	अली जहीर, श्री सैयद	.. लखनऊ नगर (मध्य)
११	अवधेश चन्द्र सिंह, श्री	.. छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१२	अवधेश प्रताप सिंह, श्री	.. बीकापुर (पूर्व)
१३	अशरफ अली खां, श्री	.. सादाबाद (पूर्व)
१४	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	.. झांसी (पूर्व)
१५	आर्थर ग्राइस, श्री	.. नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
१६	आशालता व्यास, श्रीमती	.. फूलपुर (दक्षिण)
१७	इनिजा हुसैन, श्री	.. बुलन्दशहर (उत्तर-पश्चिम)
१८	इसराहल हक, श्री	.. फिरोजाबाद-फतेहाबाद
१९	इस्तफा हुसैन, श्री	.. गोरखपुर (मध्य)
२०	उदय भान सिंह, श्री	.. डलमऊ (पूर्व)
२१	उमाशंकर, श्री	.. सगरी (पश्चिम)
२२	उमाशंकर तिवारी, श्री	.. चंदौली (दक्षिण-पश्चिम)-रामनगर
२३	उमाशंकर मिश्र, श्री	.. नवाबगंज (दक्षिण)-हैदरगढ़—रामसनेही घाट
२४	उम्मेदसिंह, श्री	.. उतरौला (उत्तर-पूर्व)
२५	उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री	.. ऐतमादपुर-आगरा (पूर्व)
२६	ऐजाज रसूल, श्री	.. शाहाबाद (पश्चिम)
२७	ओंकार सिंह, श्री	.. दातागंज (उत्तर)—बदायूं
२८	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	.. शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई (उत्तर-पश्चिम)
२९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	.. चकिया चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०	कमलासिंह, श्री	.. सैदपुर
३१	कमाल अहमद रिजवी, श्री	.. मोहमदी (पूर्व)
३२	करणसिंह यादव, श्री	.. गुन्नौर (उत्तर)
३३	करनसिंह, श्री	.. निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
३४	कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरू श्री	.. इलाहाबाद नगर (मध्य)
३५	कल्याण राय, श्री	.. हजूर मिलक (उत्तर)
३६	कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री	.. चन्दौली (उत्तर)
३७	कालिका सिंह, श्री	.. लालगंज (दक्षिण)
३८	कालीचरण टन्डन, श्री	.. कन्नौज (उत्तर)
३९	काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री	.. काबीपुर

क्रम-सं० सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
४०—[illegible] श्री	.. हरदोई (पूर्व)
४१—[illegible] स्वरूप भटनागर, श्री	खुर्जा
४२—[illegible] वर्मा, श्री	.. सुल्तानपुर (पश्चिम)
४३—[illegible], श्री	.. हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
४४—[illegible], श्री	.. सीतापुर (दक्षिण-पूर्व)
४५—[illegible] शर्मा, श्री	.. ललितपुर (दक्षिण)
४६—[illegible], श्री	.. मिलक (दक्षिण)—शाहाबाद
४७—केदारनाथ, श्री	.. मुरादाबाद (दक्षिण)
४८—[illegible]सिंह, श्री	.. सिकन्दराबाद (पूर्व)
४९—[illegible], श्री	.. बांसगांव (मध्य)
५०—[illegible], श्री	.. कैराना (उत्तर)
५१—[illegible], श्री	.. गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
५२—[illegible], श्री	.. सहसवान (पूर्व)
५३—कैलाश प्रकाश, श्री	.. मेरठ नगरपालिका
५४—[illegible], श्री	.. अमरोहा (पूर्व)
५५—[illegible], श्री	.. पिथौरागढ़-चम्पावत
५६—[illegible]सिंह, श्री	.. धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
५७—[illegible], श्री	.. फिरोज़ाबाद-फतेहाबाद
५८—गंगाधर मैठाणी, श्री	.. चमोली (पश्चिम)-पौड़ी (उत्तर)
५९—गंगाधर शर्मा, श्री	.. मिश्रिख
६०—गंगाप्रसाद, श्री	.. तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)—गोंडा (दक्षिण)
६१—गंगाप्रसाद सिंह, श्री	.. रसड़ा (पश्चिम)
६२—गजेन्द्र सिंह, श्री	.. बिधूना (पूर्व)
६३—गज्जूराम, श्री	.. मऊ-मोठ (दक्षिण) झांसी—(पश्चिम) ललितपुर (उत्तर)
६४—गणेशचन्द्र काछी, श्री	.. मैनपुरी (उत्तर)—भोगांव (उत्तर)
६५—गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री	.. इलाहाबाद नगर (पूर्व)
६६—गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	.. बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
६७—गिरजा रमण शुक्ल, श्री	.. पट्टी (दक्षिण)
६८—गिरधारी लाल, श्री	.. धामपुर (उत्तर-पूर्व)—नगीना (पूर्व)
६९—गुलजार सिंह, श्री	.. डलमऊ (दक्षिण-पश्चिम)
७०—गुरु प्रसाद पांडेय, श्री	.. खजुहा (पश्चिम)
७१—गुरुप्रसाद सिंह, श्री	.. मुसाफिरखाना (दक्षिण)—अमेठी (पश्चिम)
७२—गुलजार, श्री	.. मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
७३—गेंदासिंह, श्री	.. पडरौना (पूर्व)
७४—गोपीनाथ दीक्षित, श्री	.. इटावा (दक्षिण)
७५—गोवर्धन तिवारी, श्री	.. अल्मोड़ा (दक्षिण)
७६—गौरीराम, श्री	.. फरेंदा (मध्य)
७७—घनश्यामदास, श्री	.. नवाबगंज (दक्षिण)—हैदरगढ़—रामसनेहीघाट
७८—घासी राम जाटव, श्री	.. बिधूना (पश्चिम)—भरथना (उत्तर)—इटावा (उत्तर)
७९—चतुर्भुज शर्मा, श्री	.. उरई-जालौन (दक्षिण)
८०—चन्द्रभानु गुप्त, श्री	.. लखनऊ नगर (पूर्व)
८१—चन्द्रवती, श्रीमती	.. बिजनौर, (मध्य)

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
८२—चन्द्रसिंह रावत, श्री	..	पौड़ी (दक्षिण)-चमोली (पूर्व)
८३—चन्द्रराम, श्री	..	हरदोई (पूर्व)
८४—चरणसिंह, श्री	..	बागपत (पश्चिम)
८५—चितर सिंह निरंजन श्री	..	कोंच
८६—चिरंजीलाल जाटव, श्री	..	जलेसर-एटा (उत्तर)
८७—चिरंजी लाल पालीवाल, श्री	..	छिबरामऊ (दक्षिण)—कन्नौज (दक्षिण)
८८—छबीलाल सागर, श्री	..	बिसौली—गुन्नौर (पूर्व)
८९—छेदालाल, श्री	..	शाहाबाद (पूर्व)-हरदोई—(उत्तर-पश्चिम)
९०—छेदालाल चौधरी, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
९१—जगत नारायण, श्री	..	नवाबगंज (उत्तर)
९२—जगदीश प्रसाद, श्री	.	हसनपुर (दक्षिण)—सम्भल (पश्चिम)
९३—जगदीश सरन श्री	.	बरेली नगरपालिका
९४—जगदीश सरन रस्तोगी, श्री	.	सम्भल (पूर्व)
९५—जगनप्रसाद रावत श्री	..	खैरगढ़
९६—जगन्नाथ प्रसाद श्री	..	निघासन-लखीमपुर (उत्तर)
९७—जगन्नाथ बख्श दास, श्री	..	रामसनेही घाट
९८—जगन्नाथ मल्ल, श्री	..	पडरौना (उत्तर)
९९—जगन्नाथ सिंह, श्री	..	बलिया (उत्तर-पूर्व)-बांसडीह, (दक्षिण-पश्चिम)
१००—जगपति सिंह, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१०१—जगमोहन सिंह नेगी श्री	..	लैन्सडाउन (पश्चिम)
१०२—जटाशंकर शुक्ल, श्री	..	उन्नाव (उत्तर)—हसनगंज
१०३—जयपाल सिंह, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)-सहारनपुर (उत्तर)
१०४—जयराम वर्मा, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
१०५—जयेंद्र सिंह विष्ट, श्री	..	खेन—टेहरी (उत्तर)
१०६—जवाहर लाल, श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
१०७—जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	..	कानपुर नगर (पूर्व)
१०८—जुगलकिशोर, श्री	..	मथुरा (दक्षिण)
१०९—जोरावर वर्मा, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़—चरखारी
११०—ज्वाला प्रसाद सिनहा, श्री	..	गोंडा (पश्चिम)
१११—झारखंडेराय, श्री	..	घोसी (पश्चिम)
११२—टीकाराम, श्री	..	बदायूं (उत्तर)
११३—टीकाराम, श्री	..	संडीला-बिलग्राम (दक्षिण-पूर्व)
११४—डल्लाराम, श्री	..	मिश्रिख
११५—डालचन्द, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
११६—ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	..	सिधौली (पश्चिम)
११७—तिरमल सिंह, श्री	..	कासगंज (उत्तर)
११८—तुलाराम, श्री	..	औरैया-भरथना (दक्षिण)
११९—तुलाराम रावत, श्री	..	मलिहाबाद-बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
१२०—तेजप्रताप सिंह श्री	..	मौदहा (दक्षिण)
१२१—तेज बहादुर, श्री	..	लालगंज (उत्तर)
१२२—तेजासिंह, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पश्चिम)
१२३—त्रिलोकी नाथ कौल, श्री	..	बहराइच (पश्चिम)

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
१२४—दयालदास भगत, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
१२५—दर्शन राम, श्री	..	मऊ-करवी-बबेरू (पूर्व)
१२६—दलबहादुर सिंह, श्री	..	मलोन (दक्षिण)
१२७—दाऊदयाल खन्ना, श्री	..	मुरादाबाद (उत्तर)
१२८—दाताराम, श्री	..	नकुड़ (दक्षिण)
१२९—दीनदयालु शर्मा, श्री	..	अनूपशहर (उत्तर)
१३०—दीनदयालु शास्त्री, श्री	..	रुड़की (पूर्व)
१३१—दीपनारायण वर्मा, श्री	..	जौनपुर (पश्चिम)
१३२—देवकीनन्दन विभव, श्री	..	आगरा
१३३—देवदत्त मिश्र, श्री	..	पुरवा (दक्षिण)
१३४—देवदत्त शर्मा, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१३५—देवनन्दन शुक्ल, श्री	..	मलीमपुर (पश्चिम)
१३६—देवमूर्ति राम, श्री	..	बनारस (पश्चिम)
१३७—देवराम, श्री	..	सैदपुर
१३८—देवेंद्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	..	गोरखपुर (पश्चिम)
१३९—द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री	..	मुजफ्फरनगर (मध्य)
१४०—द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री	..	मड़ियाहूं (उत्तर)
१४१—द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री	..	फरेंदा (दक्षिण)
१४२—धनुषधारी पांडेय, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
१४३—धर्मसिंह, श्री	..	बुलन्दशहर (दक्षिण)—अनूपशहर (दक्षिण)
१४४—धर्मदत्त वैद्य, श्री	..	बहेड़ी (दक्षिण-पश्चिम)-बरेली (पश्चिम)
१४५—नत्थू सिंह, श्री	..	आंवला (पूर्व)—फरीदपुर
१४६—नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री	..	हाथरस
१४७—नरदेव शास्त्री, श्री	..	पश्चिमीय दून (दक्षिण)—पूर्वीय दून
१४८—नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	..	पिथौरागढ़-चम्पावत
१४९—नरोत्तम सिंह, श्री	..	दातागंज (दक्षिण)-बदायूं (दक्षिण-पूर्व)
१५०—नवल किशोर, श्री	..	आंवला (पश्चिम)
१५१—नागेश्वर द्विवेदी, श्री	..	मछलीशहर (उत्तर)
१५२—नाजिम अली, श्री	..	मुसाफिरखाना (उत्तर)-सुल्तानपुर (उत्तर)
१५३—नारायण दत्त तिवारी, श्री	..	नैनीताल (उत्तर)
१५४—नारायण दास, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
१५५—नारायणदीन वाल्मीकि, श्री	..	पुवायां-शाहजहांपुर (पूर्व)
१५६—निरंजन सिंह, श्री	..	पीलीभीत (पूर्व)—बीसलपुर (पश्चिम)
१५७—नेकराम शर्मा, श्री	..	सिकन्दराराव (दक्षिण)
१५८—नेत्रपाल सिंह, श्री	..	सिकन्दराराव (उत्तर)—कोइल (दक्षिण-पूर्व)
१५९—नौरंगलाल, श्री	..	नवाबगंज
१६०—पद्मनाथ सिंह, श्री	.	मुहम्मदाबाद-गोहना (दक्षिण)
१६१—परमानन्द सिन्हा, श्री	..	मोराव (दक्षिण)
१६२—परमेश्वरी दयाल, श्री	..	केराकत-जौनपुर (दक्षिण)
१६३—परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री		महाराजगंज (उत्तर)
१६४—पहलवान सिंह चौधरी, श्री	..	बांदा
१६५—पातीराम, श्री	..	छिबरामऊ (पूर्व)—फर्रुखाबाद (पूर्व)
१६६—पुत्तूलाल, श्री	..	एतमादपुर-आगरा (पूर्व)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१६७	गुहनराम, श्री	बांसी (उत्तर)
१६८	पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री	लखनऊ नगर (पश्चिम)
१६९	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	हापुड़ (उत्तर)
१७०	प्रतिपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर (पश्चिम)-जलालाबाद (पूर्व)
१७१	प्रभाकर शुक्ल, श्री	हरैया (उत्तर-पश्चिम)
१७२	प्रभुदयाल, श्री	बस्ती (पश्चिम)
१७३	प्रेमकिशन खन्ना, श्री	पुवायां–शाहजहांपुर (पूर्व)
१७४	फजलुल हक, श्री	रामपुर नगर
१७५	फतेह सिंह राणा, श्री	सरधना (पश्चिम)
१७६	फूलसिंह, श्री	देवबन्द
१७७	बद्रीनारायण मिश्र, श्री	सलेमपुर (दक्षिण)
१७८	बनारसी दास, श्री	बुलन्दशहर (मध्य)
१७९	बलदेव सिंह, श्री	तरबगंज (दक्षिण-पूर्व)-गोंडा (दक्षिण)
१८०	बलदेवसिंह, श्री	बनारस (मध्य)
१८१	बलदेवसिंह आर्य, श्री	पौड़ी (दक्षिण)–चमोली (पूर्व)
१८२	बलबीर सिंह, श्री	गाजियाबाद (दक्षिण)
१८३	बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री	उतरौला (उत्तर)
१८४	बलवन्तसिंह, श्री	मुजफ्फरनगर (पूर्व)–जानसठ (उत्तर)
१८५	बशीर अहमद हकीम, श्री	सीतापुर (पूर्व)
१८६	बसन्तलाल, श्री	कालपी-जालौन (उत्तर)
१८७	बसन्तलाल शर्मा, श्री	नानपारा (उत्तर)
१८८	बाबूनन्दन, श्री	शाहगंज (पूर्व)
१८९	बाबूराम गुप्त, श्री	कासगंज (पश्चिम)
१९०	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	रामसनेहीघाट
१९१	बाबू लाल मित्तल, श्री	आगरा नगर (उत्तर)
१९२	बालेंदुशाह, महाराजकुमार	टेहरी (दक्षिण)–प्रतापनगर
१९३	बिशम्बर सिंह, श्री	सरधना (पूर्व)
१९४	बेचनराम, श्री	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
१९५	बेचनराम गुप्त, श्री	ज्ञानपुर (पूर्व)
१९६	बेनीसिंह, श्री	कानपुर तहसील
१९७	बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री	बांसडीह (मध्य)
१९८	बैजूराम, श्री	सिधौली (पश्चिम)
१९९	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	कानपुर नगर (दक्षिण)
२००	भगवतीदीन तिवारी, श्री	जौनपुर (उत्तर)-शाहगंज (पश्चिम)
२०१	भगवती प्रसाद दुबे, श्री	बांसगांव (पूर्व)-गोरखपुर (दक्षिण)
२०२	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़ (पूर्व)
२०३	भगवानदीन वाल्मीकि, श्री	फतेहपुर (दक्षिण)-खागा (दक्षिण)
२०४	भगवान सहाय, श्री	तिलहर (दक्षिण)
२०५	भीमसेन, श्री	खुरजा
२०६	भुवर जी, श्री	फूलपुर (पूर्व)-हंडिया (उत्तर-पश्चिम)
२०७	भूपाल सिंह खाती, श्री	अल्मोड़ा (उत्तर)
२०८	भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री	बांसगांव (दक्षिण-पूर्व)
२०९	भोलासिंह यादव, श्री	गाजीपुर (दक्षिण-पश्चिम)

क्रम-सं०	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२१०	मकसूद आलम खां, श्री	..	पीलीभीत (पश्चिम)
२११	मंगला प्रसाद, श्री	..	मेजा-करछना (दक्षिण)
२१२	मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री	..	फर्रुखाबाद (पश्चिम)-छिबरामऊ
२१३	मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	..	बांसी (उत्तर)
२१४	मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	फैजाबाद (पूर्व)
२१५	मदनमोहन उपाध्याय, श्री	..	रानीखेत (उत्तर)
२१६	मन्नीलाल गुरुदेव, श्री	..	महोबा-कुलपहाड़-चरखारी
२१७	मलखान सिंह, श्री	..	कोइल (मध्य)
२१८	महमूद अली खां, श्री	..	मुसर-टांडा-बिलासपुर
२१९	महमूद अली खां, श्री	..	सहारनपुर (उत्तर-पश्चिम)-नकुड़ (उत्तर)
२२०	महादेव प्रसाद, श्री	..	गोरखपुर (उत्तर-पूर्व)
२२१	महाराज सिंह, श्री	..	शिकोहाबाद (पश्चिम)
२२२	महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री	..	हंडिया (दक्षिण)
२२३	महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	मोहनलालगंज
२२४	महावीर सिंह, श्री	..	हाटा (उत्तर)-देवरिया
२२५	महीलाल, श्री	..	बिलारी
२२६	मान्धाता सिंह, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
२२७	मिजाजीलाल, श्री	..	करहल (पूर्व)-भोगांव (दक्षिण)
२२८	मिहरबान सिंह, श्री	..	बिधूना (पश्चिम)-भरथना (उत्तर)-इटावा-(उत्तर)
२२९	मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल (उत्तर)
२३०	मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री	..	पूरनपुर-बीसलपुर (पूर्व)
२३१	मुन्नू लाल, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
२३२	मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर-अकबरपुर
२३३	मुश्ताक अली खां, श्री	..	सहसवान (पश्चिम)
२३४	मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री	..	डुमरियागंज (दक्षिण)
२३५	मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री	..	बिजनौर (उत्तर)-नजीबाबाद (पश्चिम)
२३६	मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	बनारस नगर (उत्तर)
२३७	मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज	..	नगीना (दक्षिण-पश्चिम)-धामपुर (उत्तर-पूर्व)
२३८	मुहम्मद तकी हादी, श्री	..	अमरोहा (पश्चिम)
२३९	मुहम्मद नबी, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)-जानसठ (दक्षिण)
२४०	मुहम्मद नसीर, श्री	..	टांडा
२४१	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	..	देवरिया (उत्तर-पूर्व)
२४२	मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री	..	सहारनपुर नगर
२४३	मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री	..	मछली शहर (दक्षिण)
२४४	मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री	..	उतरौला (मध्य)
२४५	मुहम्मद सआदत अली खां, राजा	..	नानपारा (दक्षिण)
२४६	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पूर्व)-बांसी-बस्ती (पश्चिम)
२४७	मोहनलाल, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
२४८	मोहनलाल गौतम, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२४९	मोहनलाल वर्मा, श्री	..	बिलग्राम (पूर्व)

क्रम-सं० सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र
२५०—मोहनसिंह, श्री	.. बुलन्दशहर (उत्तर-पूर्व)
२५१—मोहन सिंह शाक्य, श्री	.. अलीगंज (दक्षिण)
२५२—यमुनाप्रसाद, श्री	.. बहराइच (पश्चिम)
२५३—यमुनासिंह, श्री	.. गाजीपुर (मध्य)-मुहम्मदाबाद (उत्तर-पश्चिम)
२५४—यशोदादेवी, श्रीमती	.. बांसगांव (दक्षिण-पश्चिम)
२५५—रघुनाथ प्रसाद, श्री	.. मेजा-करछना (दक्षिण)
२५६—रघुराज सिंह, श्री	.. तरबगंज (पश्चिम)
२५७—रघुवीर सिंह, श्री	.. बागपत (दक्षिण)
२५८—रणंजयसिंह, श्री	.. अमेठी (मध्य)
२५९—रतनलाल जैन, श्री	.. नजीबाबाद (उत्तर)-नगीना (उत्तर)
२६०—रमानाथ खेरा, श्री	.. महरौनी
२६१—रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	.. मड़ियाहूं (दक्षिण)
२६२—रमेश वर्मा, श्री	.. किराउली
२६३—राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा	.. उतरौला (दक्षिण-पश्चिम)
२६४—राजकिशोर राव, श्री	.. बहराइच (पूर्व)
२६५—राजकुमार शर्मा, श्री	.. चुनार (उत्तर)
२६६—राजनारायण, श्री	.. बनारस (दक्षिण)
२६७—राजनारायण सिंह, श्री	.. चुनार (दक्षिण)
२६८—राजवंशी, श्री	.. पडरौना (दक्षिण-पश्चिम)—देवरिया (दक्षिण-पूर्व)
२६९—राजाराम, श्री	.. अतरौली (दक्षिण)—कोइल (पूर्व)
२७०—राजाराम किसान, श्री	.. प्रतापगढ़ (पश्चिम)—कुंडा (उत्तर)
२७१—राजाराम मिश्र, श्री	.. फैजाबाद (पश्चिम)
२७२—राजाराम शर्मा, श्री	.. खलीलाबाद (उत्तर)
२७३—राजेंद्रदत्त, श्री	.. मुजफ्फरनगर (पश्चिम)
*२७४—राजेश्वर सिंह, श्री	.. बदायू (दक्षिण-पश्चिम)
२७५—राधामोहन सिंह, श्री	.. बलिया (पूर्व)
२७६—रामअधार तिवारी, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)—पट्टी (उत्तर-पश्चिम)
२७७—रामअधीन सिंह यादव, श्री	.. पुरवा (मध्य)
२७८—राम अनन्त पांडेय, श्री	.. बलिया (मध्य)
२७९—राम अवध सिंह, श्री	.. फरेंदा (उत्तर)
२८०—रामआसरे वर्मा, श्री	.. फतेहपुर (दक्षिण)
२८१—रामकिंकर, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर-पश्चिम)-पट्टी—(उत्तर-पश्चिम)
२८२—रामकुमार शास्त्री, श्री	.. बांसी (दक्षिण)
२८३—रामकृष्ण जैसवार, श्री	.. मिर्जापुर (दक्षिण)
२८४—रामगुलाम सिंह, श्री	.. जलालाबाद (पश्चिम)
२८५—रामचन्द्र विकल, श्री	.. सिकन्दराबाद (पश्चिम)
२८६—रामचरनलाल गंगवार, श्री	.. बरेली (पश्चिम)
२८७—रामजीलाल सहायक, श्री	.. मवाना

* ४ अप्रैल, १९५६ से स्थान रिक्त।

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
२८८—रामजी सहाय, श्री	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)—हाटा (दक्षिण पश्चिम)
२८९—रामदास आर्य, श्री	..	बुढ़ाना (पूर्व)—जानसठ (दक्षिण)
२९०—रामदास रविदास, श्री	..	अकबरपुर (पश्चिम)
२९१—रामदुलारे मिश्र, श्री	..	अकबरपुर (दक्षिण)
२९२—रामनरेश शुक्ल, श्री	..	कुंडा (दक्षिण)
२९३—रामनारायण त्रिपाठी, श्री	..	अकबरपुर (पूर्व)
२९४—रामप्रसाद, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
२९५—रामप्रसाद देशमुख, श्री	..	खैर-कोइल (उत्तर-पश्चिम)
२९६—राम प्रसाद नौटियाल, श्री	..	लैन्सडाउन (पूर्व)
२९७—राम प्रसाद सिंह, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
२९८—रामबली मिश्र, श्री	..	सुल्तानपुर (पूर्व)-अमेठी (पूर्व)
२९९—रामभजन, श्री	..	मोहमदी (पश्चिम)
३००—राममूर्ति, श्री	..	बहेड़ी (उत्तर-पूर्व)
३०१—रामरतन प्रसाद, श्री	..	रसरा (पूर्व)-बलिया (दक्षिण-पश्चिम)
३०२—रामराज शुक्ल, श्री	..	पट्टी (पूर्व)
३०३—रामलखन, श्री	..	चकिया-चन्दौली (दक्षिण-पूर्व)
३०४—रामलखन मिश्र, श्री	..	डुमरियागंज (उत्तर-पश्चिम)
३०५—रामलाल, श्री	..	बस्ती (पश्चिम)
३०६—रामवचन यादव, श्री	..	फूलपुर (दक्षिण)
३०७—रामशंकर द्विवेदी, श्री	..	रायबरेली-डलमऊ (उत्तर)
३०८—रामशंकर रविवासी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
३०९—रामसनेही भारतीय, श्री	..	बबेरी (पश्चिम)
३१०—रामसहाय शर्मा, श्री	..	गरोठा-मोठ (उत्तर)
३११—रामसुन्दर पांडेय, श्री	..	घोसी (पूर्व)
३१२—रामसुन्दरराम, श्री	..	खलीलाबाद (दक्षिण)
३१३—रामसुभग वर्मा, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
३१४—रामसुमेर, श्री	..	टांडा
३१५—रामसेवक यादव, श्री	..	फतेहपुर (उत्तर)
३१६—रामस्वरूप, श्री	..	दूधी-राबर्ट्सगंज
३१७—रामस्वरूप गुप्त, श्री	..	भोगनीपुर (पश्चिम)-डेरापुर (दक्षिण)
३१८—रामस्वरूप भारतीय, श्री	..	कुंडा (दक्षिण)
३१९—रामस्वरूप मिश्र "विशारद", श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२०—रामहरख यादव, श्री	..	बीकापुर (पश्चिम)
३२१—रामहेत सिंह, श्री	..	छत्ता
३२२—रामेश्वर प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (पश्चिम)
३२३—रामेश्वर लाल, श्री	..	देवरिया (दक्षिण)
३२४—लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	..	नैनीताल (दक्षिण)
३२५—लक्ष्मणराव कदम, श्री	..	मऊ-मोठ (दक्षिण)-झांसी (पश्चिम)-ललितपुर (उत्तर)
३२६—लक्ष्मीदेवी, श्रीमती	..	संडीला बिलग्राम (दक्षिण—पूर्व)
३२७—लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	..	माट-सादाबाद (पश्चिम)
३२८—लक्ष्मीशंकर यादव, श्री	..	शाहगंज (पूर्व)

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
३२९—लताफत हुसैन, श्री	..	हसनपुर (उत्तर)
३३०—लालबहादुर सिंह, श्री	..	केराकट-जौनपुर (दक्षिण)
३३१—लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री	..	बनारस (उत्तर)
३३२—लीलाधर अष्ठाना, श्री	..	उन्नाव (दक्षिण)
३३३—लुत्फ अली खां, श्री	..	हापुड़ (दक्षिण)
३३४—लेखराज सिंह, श्री	..	सम्भल (पूर्व)
३३५—वंशनारायण सिंह, श्री	..	ज्ञानपुर (उत्तर-पश्चिम)
३३६—वंशीदास धनगर, श्री	..	करहल (पश्चिम)—शिकोहाबाद (पूर्व)
३३७—वंशीधर मिश्र, श्री	..	लखीमपुर (दक्षिण)
३३८—वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	..	गाजीपुर (दक्षिण-पूर्व)
३३९—वसी नकवी, श्री	..	महाराजगंज (पूर्व)—सलोन (उत्तर)
३४०—वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य—पश्चिम)
३४१—विचित्र नारायण शर्मा, श्री	..	गाजियाबाद (उत्तर-पूर्व)
३४२—विजय शंकर प्रसाद, श्री	..	मुहम्मदाबाद (दक्षिण)
३४३—विद्यावती राठौर, श्रीमती	..	एटा (पूर्व)-अलीगढ़ (पश्चिम)-कासगंज (दक्षिण)
३४४—विश्रामराय, श्री	..	सगरी (पूर्व)
३४५—विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री	..	गाजीपुर (पश्चिम)
३४६—विष्णु दयाल वर्मा, श्री	..	जसराना
३४७—विष्णुशरण दुब्लिश, श्री	..	मवाना
३४८—वीरसेन, श्री		हापुड़ (दक्षिण)
३४९—वीरेन्द्रपति यादव, श्री	..	मैनपुरी (दक्षिण)
३५०—वीरेन्द्र वर्मा, श्री	..	कैराना (दक्षिण)
३५१—वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री	..	नानपारा (पूर्व)
३५२—वीरेन्द्रशाह, राजा	..	कालपी-जालौन (उत्तर)
३५३—व्रजभूषण मिश्र, श्री	..	दुधी-राबर्ट्सगंज
३५४—व्रजरानी मिश्र, श्रीमती	..	बिल्हौर—अकबरपुर
३५५—व्रजवासी लाल, श्री	..	बीकापुर (मध्य)
३५६—व्रजविहारी मिश्र, श्री	..	फूलपुर (उत्तर)
३५७—व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	..	घाटमपुर-भोगनीपुर (पूर्व)
३५८—शंकरलाल, श्री	..	कादीपुर (मध्य)
३५९—शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री	..	बाह
३६०—शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	..	चकराता-पश्चिमी दून (उत्तर)
३६१—शारदा बख्श सिंह, श्री	..	बिलग्राम (पश्चिम)
३६२—शिवकुमार मिश्र, श्री	..	तिलहर (उत्तर)
३६३—शिवकुमार शर्मा, श्री	..	बिजनौर (दक्षिण)—धामपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३६४—शिवदान सिंह, श्री	..	इगलास
३६५—शिवनाथ काटजू, श्री	..	फूलपुर (मध्य)
३६६—शिवनारायण, श्री	..	हरैया (पूर्व)—बस्ती (पश्चिम)
३६७—शिवपूजन राय, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर-पूर्व)
३६८—शिवप्रसाद, श्री	..	हाटा (मध्य)
३६९—शिवमंगल सिंह, श्री	..	बांसडीह (पश्चिम)
३७०—शिवमंगल सिंह कपूर, श्री	..	डुमरियागंज (पश्चिम)

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन क्षेत्र
३७१—शिवराजबली सिंह, श्री	..	खजुहा (पूर्व)–फतेहपुर (दक्षिण-पश्चिम)
३७२—शिवराज सिंह यादव, श्री	..	बिसौली-गुन्नौर (पूर्व)
३७३—शिवराम पांडेय, श्री	..	डोरापुर (उत्तर)
३७४—शिवराम राय, श्री		सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
३७५—शिवबक्श सिंह राठौर, श्री	..	करहल (पूर्व)–भोगांव (दक्षिण)
३७६—शिववचन राव, श्री	..	सलीमपुर (उत्तर)
३७७—शिवशरन लाल श्रीवास्तव, श्री	.	बहराइच (पूर्व)
३७८—शिवस्वरूप सिंह, श्री	..	ठाकुरद्वारा
३७९—शुकदेव प्रसाद, श्री	..	महाराजगंज (दक्षिण)
३८०—शूगनचन्द्र, श्री	..	रुड़की (पश्चिम)–सहारनपुर (उत्तर)
३८१—श्याममनोहर मिश्र, श्री	.	मलिहाबाद–बाराबंकी (उत्तर-पश्चिम)
३८२—श्यामलाल, श्री	..	उतरौला (उत्तर)
३८३—श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री	..	नरैनी
३८४—श्रीचन्द्र, श्री	..	बुढ़ाना (पश्चिम)
३८५—श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	..	आगरा नगर (पश्चिम)
३८६—श्रीनाथ भार्गव श्री	.	मथुरा (उत्तर)
३८७—श्रीनाथ राम, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)–घोसी (दक्षिण)
३८८—श्रीनिवास, श्री	..	उतरौली (उत्तर)
३८९—श्रीपति सहाय, श्री	..	राठ
३९०—सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती		कासगंज (पूर्व)–अलीगढ़ (उत्तर)
३९१—संग्राम सिंह, श्री	..	सोरांव (उत्तर)–फूलपुर (पश्चिम)
३९२—सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री	..	सलीमपुर (पूर्व)
३९३—सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती	..	गोंडा (पूर्व)
३९४—सत्यनारायण दत्त, श्री	..	औरैया–भरथना (दक्षिण)
३९५—सत्यसिंह राणा, श्री	..	देवप्रयाग
३९६—सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती	..	बरेली (पूर्व)
३९७—सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	..	बनारस नगर (दक्षिण)
३९८—सहदेव सिंह, श्री	..	जलेसर–एटा (उत्तर)
३९९—सालिगराम जायसवाल, श्री	..	सिराथू-मंझनपुर
४००—सावित्रीदेवी, श्रीमती	..	मुसाफिरखाना (मध्य)
४०१—सियाराम गंगवार, श्री	..	फर्रुखाबाद (मध्य) कायमगंज (पूर्व)
४०२—सियाराम चौधरी, श्री	..	कैसरगंज (मध्य)
४०३—सीताराम, डाक्टर	..	देवरिया (दक्षिण-पश्चिम)–हाटा (दक्षिण-पश्चिम)
४०४—सीताराम शुक्ल, श्री	..	हरैया (दक्षिण–पश्चिम)
४०५—सुखीराम भारतीय, श्री	..	सिराथू–मंझनपुर
४०६—सुन्दरदास, श्री दीवान	..	कैसरगंज (उत्तर)
४०७—सुन्दरलाल, श्री	..	आंवला (पूर्व)–फरीदपुर
४०८—सुखूराम, श्री	..	सदर (आजमगढ़) (उत्तर)
४०९—सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री	..	हमीरपुर–मौदहा (उत्तर)
४१०—सुरेशप्रकाश सिंह, श्री	..	बिसवां-सिधौली (पूर्व)
४११—सुल्तान आलम खां, श्री	..	कायमगंज (पश्चिम)
४१२—सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री	..	कानपुर नगर (उत्तर)

क्रम-सं० सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
४१३—सूर्यबली पांडेय, श्री	..	हाटा (मध्य)
४१४—सेवाराम, श्री	..	पुरवा (उत्तर)-हसनगंज
४१५—हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री	..	सफीपुर-उन्नाव (उत्तर)
४१६—हबीबुर्रहमान आजमी, श्री	..	मुहम्मदाबाद (उत्तर)-घोसी (दक्षिण)
४१७—हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री	..	शाहजहांपुर (मध्य)
४१८—हमीद खां, श्री	..	कानपुर नगर (मध्य-पूर्व)
४१९—हरख्याल सिंह, श्री	..	बागपत (पूर्व)
४२०—हरगोविन्द पंत, श्री	..	रानीखेत (दक्षिण)
४२१—हरगोविन्द सिंह, श्री	..	जौनपुर (पूर्व)
४२२—हरदयाल सिंह पिपल, श्री	..	हाथरस
४२३—हरदेव सिंह, श्री	..	देवबन्द
४२४—हरसहाय गुप्त, श्री	..	बिलारी
४२५—हरिप्रसाद, श्री	..	बीसलपुर (मध्य)
४२६—हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	..	सीतापुर (उत्तर-पश्चिम)
४२७—हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री	..	लखनऊ (मध्य)
४२८—हरिसिंह, श्री	..	हापुड़ (उत्तर)
४२९—हुकुम सिंह, श्री	..	कैसरगंज (दक्षिण)
४३०—हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	..	करछना (उत्तर)-चायल (दक्षिण)
४३१—होतीलाल दास, श्री	..	एटा (दक्षिण)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए० एल-एल० बी०।

उपाध्यक्ष

श्री हरगोविन्द पंत बी० ए० एल-एल० बी०।

सचिव विधान मंडल

श्री मिट्ठन लाल, एच० जे० एस०।

सचिव विधान सभा

श्री देवकी नन्दन मित्तल, एम० ए०, एल-एल० बी०।

विशेष कार्याधिकारी

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल–एल० बी०।

अधीक्षक

श्री राधेरमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एस-सी० (अवकाश पर)।

श्री भोलादत्त उपाध्याय।

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए०।

श्री वृजेन्द्रनारायण सिंह, एम० ए० एल-एल० बी०।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३१४)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आर्थर प्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसेन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगन्नारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगत प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्ला राम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर सिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पाती राम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री

मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजा राम मिश्र, श्री
राजा राम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री

वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा बख्श सिंह, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखी राम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविंद पंत, श्री
हरगोविंद सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

एन०ई०एस० ब्लाकों का इन्टेंसिव ब्लाक बनाया जाना

***१—श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि प्रान्त के किस N. E. S. ब्लाक्स को, जिसकी तीन साल की अवधि समाप्त हो गयी है, वह इन्टेंसिव ब्लाक बनाने जा रही है और किस को बन्द कर रही है ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री रामचन्द्र विकल ने पूछा ।

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—अभी किसी ब्लाक की तीन साल की अवधि पूरी नहीं हो रही है। इन ब्लाकों में से २८ को, जिन की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है, इंटेन्सिव ब्लाक बनाया जा चुका है और लगभग २५ को आगामी वर्ष में बनाया जायगा। किसी भी एन०ई०एस० ब्लाक को बन्द नहीं किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६ पर)

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टेन्सिव ब्लाक बनाते समय किन-किन मुख्य बातों पर सरकार ध्यान देती है?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—कितना काम उस क्षेत्र में किया गया है और कितनी लगन उस क्षेत्र के रहने वालों में काम की है। दूसरा कन्सीडरेशन यह भी रहता है कि क्षेत्र किस स्थान पर स्थित है, यानी वह एरिया बहुत पिछड़ा हुआ है या नहीं। इन बातों पर विचार करके सघन क्षेत्र बनाया जाता है।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार इन्टेन्सिव डेवलपमेंट ब्लाकों की लिस्ट पढ़ने की कृपा करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो इस वर्ष में होने वाले हैं उनकी संख्या तो है लेकिन किन-किन क्षेत्रों में खुलनेवाले हैं इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है।

भाषा विभाग के निर्माण के सम्बन्ध में परिप्रश्न

**२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी विभागों में राज भाषा हिन्दी में किये जाने वाले तथा तत्सम्बन्धी अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यों जैसे अनुवाद आदि, के समन्वय के लिये उत्तर प्रदेश में एक भाषा विभाग के निर्माण के सम्बन्ध में विचार कर रही है?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—राजभाषा आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के पश्चात् सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—यह कब तक प्रकाशित हो जायेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो कमेटी के ऊपर है कि कब तक वह खत्म करें। हम तो उनसे कह नहीं सकते कि कब तक प्रकाशित करें।

पी० डब्लू० डी० सेक्रेटेरियट में सेवा निवृत्त सुपरिन्टेंडेंट तथा असिस्टेंट सेक्रेटेरियों की कथित पुनर्नियुक्ति

**३—श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि P. W. D. Secretariat में पेंशन पर जाने वाले Superintendents और Asstt. Secretaries को पुनः नियुक्त करने का विचार हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं।

**४—श्री ज्वालाप्रसाद सिन्हा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि उपर्युक्त अफसरान को हिन्दी में काम करने का पूरा पूरा ज्ञान है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रान्त के बाहर गुड़ भेजने की सरकारी नीति

**५—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—क्या रसद व पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्तीय सरकार ने प्रान्त के बाहर गुड़ न जाने देने की नीति बना दी है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

संस्कृत विद्यालयों के निरीक्षक का पद प्रथम श्रेणी का बनाने की मांग

**६—श्री महदेव सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों के निरीक्षकों के पद को उनके प्रान्त व्यापी महत्वपूर्ण कार्य और उत्तरदायित्व का विचार कर के प्रथम श्रेणी का बनाने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब से?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविंद सिंह)—जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता है।

संस्कृत विद्यालयों को जमींदारी विनाश से हुई क्षतिपूर्ति के हेतु प्रार्थना-पत्रों की अवधि

**७—श्री सहदेव सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार संस्कृत विद्यालयों को जमींदारी विनाश से हुयी हानि की पूर्ति हेतु मांगे हुये प्रार्थना-पत्रों की अवधि और बढ़ाने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविंद सिंह—चूंकि अनुदान स्वीकार किया जा चुका है प्रार्थना-पत्र भेजने की अवधि बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिकाओं द्वारा ट्रांजिट फीस से सम्बद्ध राजाज्ञा को हटाने के हेतु प्रार्थना-पत्र

**८—श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं के क्षेत्र से सामान लेकर गुजरने वाली बैलगाड़ियों से तीन आना ट्रांजिट फीस लेने से संबंधित राजाज्ञा को हटाने के लिये बहुत से प्रार्थना-पत्र सरकार के पास आये हैं?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—सरकार द्वारा बनाये गये ट्रांजिट पास नियमों के अनुसार नगरपालिकाएं उस माल या माल से लदी हुई गाड़ियों पर, जो उनकी सीमाओं से होकर गुजरती है, एक ट्रांजिट फी ले सकती हैं। इन नियमों के व्यावहारिक पालन के फलस्वरूप कुछ कठिनाइयां नगरपालिकाओं के सम्मुख आई हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिवेदन सरकार के पास आये हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

**९—श्री जगन्नाथ मल्ल (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि केन कोआपरेटिव फेडरेशन ने भी इस आशय का प्रस्ताव पास करके सरकार से प्रार्थना की है कि ट्रांजिट फीस हटा दी जाय?

श्री कैलाश प्रकाश—सरकार के पास केन कोआपरेटिव फेडरेशन का कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—जो प्रार्थना-पत्र आये हैं उन पर विचार कब तक समाप्त हो जायगा?

श्री कैलाश प्रकाश—विचार के लिये जिस सामग्री की आवश्यकता है जब वह प्राप्त हो जायगी, तब कुछ निर्णय किया जा सकेगा।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ८—९ श्री रामसुभग वर्मा ने पूछे।

सचिवालय के अस्थायी स्टेनोग्राफरों का स्थायी न किया जाना

**१०—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में कितने स्टेनोग्राफर कितने कितने वर्षों से अस्थायी हैं और स्थायी न होने का कारण क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जनरल सेक्रेटेरियट में इस समय १०७ अस्थायी स्टेनोग्राफर हैं। अल्प समय में हर स्टेनोग्राफर की अस्थायी सेवा बताना तो कठिन है परन्तु इस पद पर उनकी अस्थायी सेवा के अनुसार श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है :

एक वर्ष से कम सेवा वाले	१९
एक वर्ष से अधिक परन्तु ३ वर्ष से कम सेवा वाले	३३
३ वर्ष से अधिक परन्तु ५ वर्ष से कम सेवा वाले	२०
५ वर्ष से अधिक सेवा वाले	३५
कुल	१०७

२—उनके अस्थायी रहने का कारण यह है कि स्थायी पदों के अभाव के फलस्वरूप राज्य लोक सेवा आयोग (Uttar Pradesh Public Service Commission) की परीक्षा न हो सकी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि स्टेनोग्राफरों को स्थायी बनाने के लिए लगभग दस वर्षों से खुली प्रतियोगिता नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो मैं उत्तर में कह चुका हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी कोई इम्तहान, बहुत दिनों से, नहीं लिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि १९५४-५५ के बजट के अनुसार जो ३२ जगहें खाली पड़ी हैं, उन जगहों पर कोई स्टेनोग्राफर स्थायी नहीं किये जा सकते हैं, यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब तक पद स्थायी नहीं हो जाते तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन कोई इम्तहान नहीं ले सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पांच वर्षों से अधिक सेवा वाले जो स्टेनोग्राफर हैं उनके स्थायी करने के लिए कब तक परीक्षा होने वाली है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि जो अस्थायी स्टेनोग्राफर हैं उनको स्थायी किया जाय। लेकिन स्थायी करने से पहले जो पद हैं उनको स्थायी करने का मामला पहले तय होना है। उसके बाद फिर परीक्षा का प्रश्न उठता है।

मिर्जापुर जिले में तेंदू की पत्ती के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध

**११—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार ने मिर्जापुर जिले में निजी काश्त में उगने वाली तेंदू की पत्ती के क्रय तथा विक्रय के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध लगाया है ? यदि हां, तो क्या ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय उपमन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी क्षेत्र के कन्जरवेटर साहब ने दुद्धी की कोआपरेटिव सोसाइटीज को एक पत्र भेज कर इस पत्ती के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि पत्ती केवल सरकारी जंगल का जो ठेकेदार हैं, उसी के हाथ बेची जाय?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसका सरकार को विशेष ज्ञान नहीं है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, ऐसा होगा कि अगर निजी जंगल वाले अपने नये ठेकेदार रखते है तो उनमें और सरकारी ठेकेदारों के बीच में कोई किसी वजह से मुकदमेबाजी न हो, इसलिए लेने वालों को सहूलियत देने की वजह से मुमकिन है, उन्होंने कहा हो कि एक ही ठेकेदार दोनों कामों को करे तो अच्छा रहेगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि जो यह पत्र भेजा गया है, उसमे प्राइवेट होल्डिंग वालों के पत्ती के रोजगार पर कोई प्रतिबन्ध तो नहीं है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार निजी खेतों में खड़े तेन्दू की पत्तियों को तोड़ने को किसी के भी द्वारा कानूनन नहीं रोक सकती।

राज्य हरिजन कल्याण विभाग द्वारा लैन्ड स्कूल, लखनऊ को अनुदान

**१२—श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या राज्य हरिजन कल्याण विभाग ने लैन्ड स्कूल, लखनऊ को २०,००० रु० अनुसूचित जातियों के लिए तथा ६०,००० रुपये पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित धनराशि में से इस वर्ष अनुदान के रूप में देने का निश्चय किया है?

श्री हरगोविंद सिंह—अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित धनराशि में से केन्द्रीय सरकार ने स्वयं २०,००० रु० लैन्ड स्कूल, लखनऊ को दिया है। पिछड़े वर्ग के लिए निर्धारित धनराशि में से कोई अनुदान देने का विचार नहीं है।

अलीगढ़ जिले के पंचायत इंस्पेक्टर

**१३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले के पंचायत इन्स्पेक्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक होगी?

श्री कैलाश प्रकाश—अलीगढ़ जिले में पंचायत इन्स्पेक्टर की कोई जगह खाली नहीं है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत इन्स्पेक्टर के क्षेत्र में कितनी गांव सभायें आती हैं?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इस से उठता नहीं। आपने तो रिक्त स्थान के बारे में पूछा था।

बलिया जिले में पंचायतों के चुनाव के अवसर पर कत्ल

**१४—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि बलिया जिले में पंचायतों के चुनाव के अवसर पर २ व्यक्तियों का कत्ल हुआ है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—केवल एक व्यक्ति के कत्ल होने की सूचना प्राप्त हुई है।

रुड़की तहसील के प्रत्येक रेलवे स्टेशन के यात्री के लिए हैजे के टीके की अनिवार्यता

**१५—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)—क्या यह सच है कि सरकार रुड़की तहसील में अवस्थित प्रत्येक रेलवे स्टेशन के यात्री के लिए हैजे का टीका लगाना आवश्यक कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—चूंकि सरकार को इस बात का अन्देशा है कि अर्द्ध कुम्भ मेले से हरद्वार में कहीं हैजा न फैल जाय इस लिए उसने १४ मार्च से १३ अप्रैल, १९५९ तक के लिए संलग्न सूची में दिये हुए हरद्वार के आस पास के रेलवे स्टेशनों तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए हैजा का टीका लगवाना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रतिबन्ध के लगाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आस पास के छोटे स्टेशनों से यात्री उतर कर बिना टीका लगवाये, पैदल मेले में घुसने की चेष्टा न करें और जिसके कारण रोक थाम के स्थानों पर यानी Checking barriers पर यात्रियों की भीड़ जमा न हो जाय। यदि इन स्थानों पर टीका लगवाने वालों की भीड़ अधिक हो जायेगी, तो बीमारी फैलने से रोकने के इन्तजाम में गड़बड़ होने की आशंका है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७० पर)

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सच है कि रुड़की शहर आसपास के १० स्टेशनों का केन्द्र है और वहां के निवासियों की सब तरह की अदालतें हैं वहां?

श्री अध्यक्ष—वह प्रश्न इस से तो उठता नहीं। आपने तो इन्तजाम के बारे में पूछा था। कृपया सवाल से ही सम्बन्धित प्रश्न करें।

श्री दीनदयालु शास्त्री—रुड़की का उसमें जिक्र है। क्या यह सच है कि हैजे के टीके की पाबन्दी के कारण रुड़की तहसील की अदालतों में जाना बन्द हो गया है और मुकदमे की पेशी में लोग नहीं पहुंच पाते?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बात की सूचना तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मेले में नहीं जाना चाहते और जिन्हें इन स्टेशनों से गुजरना पड़ता है उनके लिए ऐसा इन्तजाम कर दिया गया है कि जिलाधीश को ऐसा सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया गया है कि वह ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट दे सकता है, जिस से वह ऐसे स्थान पर आ जा सके और जहां से लोग मेले में न जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—ऐसे व्यक्ति के लिए जो इस मेले के दर्मियान में कई बार हरद्वार की यात्रा करेंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गयी है क्योंकि एक सार्टिफिकेट से बार-बार यात्रा नहीं की जा सकती?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उस सार्टिफिकेट की डुप्लिकेट कापी होती है। एक तो वह स्टेशन पर दे देते हैं और एक उनके पास रहेगी।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि ज्यादातर सरकारी अफसर जो हरिद्वार जा रहे हैं, वह, उनके परिवार और उनके अर्दली आदि बिना टीके के वहां पहुंच रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नहीं, ऐसी बात तो हो नहीं सकती है। कम से कम हमारी नोटिस में नहीं आयी है और यदि कोई इस प्रकार से कार्य कर रहा है, तो वह नियमों का उल्लंघन कर रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे स्टेशनों के अतिरिक्त जो मोटर गाड़ियों आदि से मुसाफिर जा रहे हैं उनके लिए टीके की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वह तो बैरियर्स बने हुए हैं, उन बैरियर्स पर जो लोग पहुंचेंगे उनको टीके लगा करेंगे।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या यह सही है कि एलोपैथों की राय है कि हैजे के टीके की इम्यूनिटी दस दिन बाद शुरू होती है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ५ अप्रैल के बाद इसको बन्द करने की इजाजत देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगर यह तर्क भी मान लिया जाय तो ऐसा भी तो सम्भव है कि बहुत से लोग जो कि मेले में आयेंगे, वह १३ तारीख के बाद तक भी रह सकते हैं। तो कम से कम ५ तारीख के बाद भी टीके अगर लगते तो दस दिन के अन्दर जो इम्युनिटी आप बताते हैं उससे भी तो जो लोग अधिक समय तक रहेंगे, उनको कुछ न कुछ फायदा पहुंचेगा।

जेड० ए० सी० बांड्स का सरकारी ऋण चुकाने के लिये स्वीकृत किया जाना

**१६—श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)——क्या माल मन्त्री इस योजना पर विचार करने की कृपा करेंगे कि जिसके द्वारा Z. A. C. Bonds सरकारी ऋण चुकाने के लिए accept किये जा सकें ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—जी नहीं।

पंचायतों के चुनाव कराने वाले एस०डी०ओ०द्वारा इलेक्शन पेटीशनों की सुनवाई

**१७श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वे चुनाव जहां जहां स्वयं एस० डी० ओ० की मौजूदगी में हुए वहां के पेटीशनों की सुनवाई क्या वही एस० डी० ओ० कर सकते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—पंचायत राज नियमावली के नियम २४ तथा २५ के अधीन एलेक्शन पेटीशनों की सुनवाई केवल वही एस० डी० ओ० कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में सम्बन्धित गाव सभा स्थित हो। चुनाव के समय उनकी मौजूदगी या गैरमौजूदगी का उनके इस अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता।

कार्यकुशलता तथा शासन सम्बन्धी आवश्यकता को देखते हुए यह जरूरी समझा गया कि पेटीशनों की सुनवाई जल्दी की जाय, पेटीशनों की बड़ी बड़ी तादाद को तथा इस बात को देखते हुए कि एस० डी० ओज० अकेले उन पर विचार करने के लिए काफी वक्त नहीं निकाल सकेंगे, यह तय किया गया कि उनका निबटारा जुडीशियल अफसरों द्वारा किया जाय जो Additional S.D. O. नियुक्त किये गये हैं।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एस० डी० ओ० स्वयं चुनाव कराते हैं वही एस० डी० ओ० यदि उन पेटीशनों को सुनेंगे तो इसमें न्याय का कहां तक सम्मान होता है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप राय पूछते हैं। आप फैक्टस के बारे में पूछिये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय माल मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एडीशनल एस० डी० ओज० किस-किस जिले में नियुक्त हुए है और उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—यहां से एडीशनल एम० डी० ओज० नियुक्त नहीं किये गये हैं। जिलाधीशों को आदेश भेज दिये गये थे कि जहां एम० डी ओज० न तय कर सकें वहां जुडिशल आफिसर्स को भी वह एम० डी० ओ० नियुक्त कर दें।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्नाव में कौन-कौन ऐडीशनल एम० डी० ओ० इस काम के लिए नियुक्त किये गये हैं?

श्री अध्यक्ष—यह इस से सवाल नहीं उठता। एक जिले के बारे में उठता नहीं।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ की घोसी तहसील में बनवरई, हिंगुआ तथा बनसनई आदि हानिकर घासों को उखाड़ने की योजना

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि घोसी तहसील जिला आजमगढ़ के उत्तरी भाग के लाखों एकड़ खेतों में बनवरई, हिंगुआ तथा वनसनई के अधिकतर जमने के कारण गल्ले की पैदावार पर हानिकर प्रभाव पड़ता है?

कृषि मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)—जी हां, तहसील घोसी जिला आजमगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हिंगुआ, बनसनई तथा बनवरई आदि हानिकारक घासें पायी जाती हैं।

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बनवरई, हिंगुआ तथा बनसनई आदि जंगली एवं कांटेदार खरों को खेतों से खत्म करने की योजना उनके विचारधीन है? यदि हां, तो कब से और क्या?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं, ऐसी कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह हानिकारक घासें जो हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई तालिका तैयार की गयी है कि यह कितने एकड़ में पैदा होती है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इसकी सूचना तो नहीं है, कि कुल कितने क्षेत्रफल में होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन कब से प्रारम्भ होने वाला है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—प्लांट प्रोटेक्शन सेक्शन से कह दिया गया है कि वह देखें कि इन घासों के मुताल्लिक क्या कार्यवाही हो सकती है। जब वह कोई राय कायम कर लेंगे तब कोई योजना बनायी जा सकती है।

जिला बलिया और बिहार के सीमा सम्बन्धी विवाद वाले क्षेत्र की मालगुजारी की वसूली

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया और बिहार से जहां सीमा सम्बन्धी विवाद है, उस क्षेत्र की मालगुजारी किस प्रदेश की सरकार वसूल करती है?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—बिहार प्रदेश के शाहाबाद तथा सारन जिलों और उत्तर प्रदेश के जिला बलिया के बीच गंगा एवं घाघरा नदियों की मध्य धारायें सीमा निर्धारण करती हैं। इस धुरधारा का समर्थन प्रत्येक वर्ष वर्षा के पश्चात् तीनों जिलों के अधिकारी

[श्री चतुर्भुज शर्मा]
[illegible] सम्मिलित होकर करते हैं। मध्य धारा निर्धारित होने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों के प्रस्ताव पर जो गांव जिस प्रदेश की सीमा के अन्तर्गत स्थित होता है, दोनों राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर हस्तान्तरित कर दिया जाता है। जब तक ऐसी स्वीकृति नहीं प्राप्त होती तब तक जिस जिले में कटाने से पूर्व गांव स्थित रहता और जिसमें ही उसकी जमाबन्दी रहती है उसी जिले के अधिकारी मालगुजारी वसूल करते है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन बाढ़ग्रस्त जिलों की मालगुजारी बिहार प्रान्त में कितनी मिलती है और उत्तर प्रदेश की सरकार को कितनी मिलती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह विवाद बिहार और यू० पी० के जिलों का कब से सरकार के सामने है?

श्री चरण सिंह—सन १८४० से।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से इन विवादों को समाप्त करने के लिए कौन सी कार्यवाही की गयी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—दोनों सरकारों के बीच कई मर्तबा इस प्रकार का परामर्श हुआ और यह निर्णय किया गया है कि एक ऐसी सीमा निर्धारित कर दी जाय जो हमेशा न बदले। इसके लिए भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की जा रही है, कि ऐसी कार्यवाही हो जाय।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—क्या यह सत्य है कि बिहार सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि सन् १८८३ के समय की सीमा दोनों प्रान्तों के बीच में स्थायी मान ली जाय?

श्री चरणसिंह—माननीय प्रश्नकर्ता एक कान्फ्रेंस में स्वयं मौजूद थे जब इस सिलसिले में बहुत विस्तार के साथ विचार हुआ। इसलिए मैं, जो उन्होंने सवाल पूछा है, उसका खास-तौर से जवाब देना जनहित में जरूरी नहीं समझता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह विवाद कब तक समाप्त होने की आशा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जल्दी हो, लेकिन जब केन्द्रीय सरकार सहायता देगी, तो जल्दी हो जायगा।

*४६—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ धन का अनुचित उपयोग करने वाले कर्मचारियों को दंड

*७—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सन १९५३ ई० में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार द्वारा जो धन दिया गया था, उसका उचित उपयोग करने में कर्मचारियों ने लापरवाही की थी जिसकी जांच के लिए डिवीजन के कमिश्नर महोदय को सरकार ने आदेश दिया था? यदि हां, तो किसे क्या दण्ड दिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, इस विषय पर कमिश्नर बनारस डिवीजन को जांच सुपुर्द की गयी थी, जिसके फलस्वरूप सर्वश्री (१) सतीश कुमार, आफिस सुपरिन्टेंडेंट,

(२) बी० डी० अस्थाना, रेवेन्यू असिस्टेंट, (३) इकबाल बहादुर, चीफ रेवेन्यू एकाउन्टेंट, (४) सैयद मुहम्मद अब्बास, तहसीलदार सदर (५) बी० पी० सक्सेना, तहसीलदार शाहगंज और (६) जे० पी० निगम, तहसीलदार कैराकट के चरित्र-पंजिकाओं में प्रतिकूल इन्दराज किये गये हैं। इसके अतिरिक्त श्री बी० डी० अस्थाना को जो आफिस सुपरिन्टेंडेंट के पद के लिए अप्रूव्ड कैन्डिडेट थे, यह और दण्ड दिया गया कि उनका नाम डिवीजनल लिस्ट से स्थायी-तौर पर हटा दिया गया है, तथा इनकी एक वर्ष के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी है।

श्री अस्थाना के सम्बन्ध में कमिश्नर ने यह निर्णय भी किया है कि उनके आचरण पर दृष्टि रखी जायगी तथा सरकार उन्हें इस प्रकार के आचरण का पुनः दोषी होने पर समय के पूर्व कभी भी सेवा मुक्त होने को विवश कर सकती है।

जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में भर्ती किये गये हरिजन लेखपाल

*८—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में कुल कितने हरिजन लेखपालों की भर्ती की गयी थी और उनमें से कितने अलग कर दिये गये और क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में कुल ५ हरिजन लेखपाल भर्ती किये गये थे और उनमें से एक लेखपाल कार्य अच्छा न करने के कारण अलग कर दिया गया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उस लेखपाल पर कोई आरोप लगाया गया था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए तो नोटिस की जरूरत होगी, लेकिन कहा यह गया है कि चूंकि उसका काम खराब था और अन्य रिपोर्टें भी आयी होंगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतलायेगी कि काम खराब होने की रिपोर्ट किसके द्वारा की गयी थी?

श्री अध्यक्ष—यह बिलकुल वैयक्तिक मामला हो जायगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

पशुपालन विभाग में मत्स्य-निरीक्षकों के पांच पदों के लिए कमीशन द्वारा विज्ञापन और केवल एक की भर्ती

*९—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या यह सही है कि पशु पालन विभाग के संचालक ने अगस्त १९५३ में मत्स्य निरीक्षक के पांच अस्थायी पदों की भर्ती के लिए कमीशन द्वारा विज्ञापन कराया, परन्तु चुने जाने पर केवल एक की ही नियुक्ति की गयी, क्योंकि निर्वाध रिक्त स्थान केवल एक ही था? यदि हां, तो पांच का विज्ञापन क्यों कराया गया?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—सितम्बर, १९५३ में ५ अस्थायी पदों के भर्ती के लिए कमीशन द्वारा विज्ञापन कराया गया था। उस समय १ स्थान पूर्ण रूप से रिक्त था और दो स्थान उन कर्मचारियों के बदले, जो ट्रेनिंग में गये थे खाली थे, बाकी दो स्थान उन कर्मचारियों के बदले रखे गये थे, जिनकी पदोन्नति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अस्थायी रूप से स्थान खाली थे, उनके लिए फिर कमीशन से किन-किन के लिए सिफारिश की गयी?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि बतलाया गया है पांच जगहों में से सिर्फ एक जगह स्थायी थी और बाकी अस्थायी। इस लिए केवल उनके लिए ही उनके द्वारा इश्तिहार दिया गया।

जिला देवरिया के अमवा खास ग्राम की भूमि का बड़ी गंडक से कटाव तथा पीड़ितों को सहायता

*१०—श्री राम सुभग वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम अमवा खास व महुअवा, जिला देवरिया में बड़ी गंडक नारायणी नदी के कटाव से इस वर्ष की बाढ़ में कितनी जमीन बरबाद हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—देवरिया जिला के अमवाखास ग्राम के तीन टोलों—महुअवा, रकनहिया तथा किशुनवां की बड़ी गंडक के कटाव से इस वर्ष की बाढ़ में ८०० एकड़ भूमि नष्ट हो गयी।

*११—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस नदी के कटाव से अमवा खास और महुअवा के कई सौ व्यक्तियों के घर और खेत नष्ट हो गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, जैसा कि पूर्व प्रश्न के उत्तर से स्पष्ट है।

*१२—श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सत्य है कि उन लोगों पर यह आफत लगातार कई वर्षों से आ रही है ? यदि हां, तो सरकार उन लोगों को बसाने को और रोजी देने की कोई व्यवस्था कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। इन लोगों को इसी गांव की बंजर भूमि के एक बड़े क्षेत्र में बसा दिया गया है। इन लोगों को रोजी देने के लिए टेस्ट वर्क तथा गांवों की सतह को ऊंचा करने का कार्य उस क्षेत्र में चालू है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि इन गांवों की एक हजार एकड़ से अधिक जमीन कट गयी है ?

श्री अध्यक्ष—इसका तो जवाब दिया जा चुका है। इससे अब नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनको जिस जमीन में बसाया गया है, उस घर पर खड़ा करने के लिए उनको कोई सामान या रुपया भी दिया गया है और कितना ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिए तो नोटिस की जरूरत होगी।

श्री राम सुभग वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि कितने परिवार के लोग संकटग्रस्त हैं इसकी कोई गणना करायी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जितने लोग इन टोलों पर बसाये गये थे वे सब के सब दूसरी जगह बसा दिये गये हैं।

जिला बदायूं की तहसील बिसौली में चकबंदी का कार्य करने के लिये विभिन्न कर्मचारियों की संख्या और उनमें हरिजन

*१३—श्री चुन्नी लाल सगर (जिला बदायूं)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं की तहसील बिसौली में चकबन्दी का कार्य करने के लिए कितने नायब तहसीलदार अमीन, क्लर्क, तथा चपरासी रखे गये हैं और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला बदायूं की तहसील बिसौली में चकबन्दी का कार्य करने के लिए नायब तहसीलदार (सहायक चकबन्दी अधिकारी) अमीन, क्लर्क तथा चपरासियों की संख्या और उनमें हरिजनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

पद		कुल संख्या	हरिजनों की संख्या
नायब तहसीलदार, (सहायक चकबन्दी अधिकारी)		२२	,,
अमीन (लेखपाल)	..	२८६	२
क्लर्क	..	३३	३
चपरासी	..	१०३	१३

*१४—**श्री चुन्नीलाल सगर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नौकरियों के लिए कितने प्रार्थना पत्र आये और उनमें हरिजनों के कितने प्रार्थना-पत्र थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उक्त नौकरियों के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या निम्न प्रकार थी —

पद		कुल प्रार्थना-पत्रों की संख्या	हरिजनों के प्रार्थना-पत्रों की संख्या
नायब तहसीलदार (सहायक चकबन्दी अधिकारी)		६,०००	१०
अमीन	..	६३२	३
क्लर्क	..	१८७	४
चपरासी	..	२८५	६८

*१५—**श्री चुन्नीलाल सगर**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त नौकरियों के लिए किसी स्थानीय अथवा अन्य समाचार पत्र मे विज्ञापन भी कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नायब तहसीलदार (सहायक चकबन्दी अधिकारी) के पद के लिए 'लीडर', 'पाइनियर', 'अमृत बाजार पत्रिका', 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा 'नेशनलहेराल्ड' में विज्ञापन कराया गया। अमीन क्लर्क और चपरासी के स्थानों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं कराया गया, क्योंकि चकबन्दी के आरम्भ होने के पूर्व ही पर्याप्त संख्या में प्रार्थना-पत्र आ चुके थे। तो भी सरकारी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में और तहसीलदारों द्वारा इन जगहों का विज्ञापन करा दिया गया था।

श्री चुन्नीलाल सगर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अमीन और क्लर्क के स्थानों के लिए हरिजन उम्मीदवारों के भी प्रार्थना-पत्र पर्याप्त संख्या में पहले ही प्राप्त हो चुके थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उस समय तक उनके भी प्रार्थना-पत्र आ गये थे।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नायब तहसीलदार लिये गये हैं उनमें हरिजनों को नहीं लिया गया है और न उनके रिजर्वेशन का ख्याल रखा गया है, इसका कारण बताने की कृपा करेंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हरिजनों को लिया गया, लेकिन चूंकि उनकी नियुक्ति बदायूं में नहीं हुई, दूसरी जगह हुई है, इसलिए बदायूं में दिया गया है कि उनकी संख्या नहीं दिखायी गयी है।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने उम्मीदवार लिये गये हैं, उनमें हरिजनों को उनके अनुपात के अनुसार क्यों नहीं लिया गया?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हरिजनों के लिए तो अनुपात मुकर्रर है, लेकिन चूंकि दरख्वास्तें नहीं आती हैं, क्वालिफाइड आदमी उतने नहीं मिलते हैं, इसलिए उस अनुपात में नहीं लिये जाते हैं।

*१६–१७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—[२२ मई, १९५६ के लिए प्रश्न ६–७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विभिन्न जिलों में राजकीय बसों की संख्या

*१८—**श्री गज्जू राम** (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राजकीय बसें चल रही हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में चलने वाली राजकीय बसों की संख्या की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

[देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७१–७२ पर]

*१९—**श्री गज्जू राम**—सन् १९५३ से ५५ तक कितनी बसें कन्डम की गयीं और कितनी नयी बसें चलायी गयीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वित्तीय वर्ष, १९५२–५३ से १९५५–५६ तक रोडवेज की २५२ बसें कन्डम की गयीं और ४३९ नई बसें चलायी गयीं।

श्री गज्जू राम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो २५२ बसें कन्डम की गयीं हैं। यह किस सन् में बनायी गयी थीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन की तो मालूम नहीं है, इसके लिए नोटिस की जरूरत पड़ेगी। यह विभिन्न सनों में बनी होंगी।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कन्डेम बसेज कितने साल चल चुकी थीं?

चतुर्भुज शर्मा—इसमें नोटिस की जरूरत होगी, लेकिन हमारी बसेज काफी दिन चलती हैं जैसा कि मैंने बजट के समय बतलाया था। ८-९ साल तक हमारी बसें चलती हैं।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जहां पर बसें नहीं चल रही हैं, तो क्या सरकार के सामने विचार है कि वहां पर बसेज चलें?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी जो रास्ते लिये हैं उनकी लिस्ट तैयार है, लेकिन हर जिले में तो बसेज नहीं चलायी जा सकती हैं।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो रोडवेज की बसेज चल रही हैं उनकी औसत जिन्दगी क्या है?

श्री अध्यक्ष—यह तो उन्होंने उत्तर अभी दे दिया है।

*२०–२१—**श्री बसन्त लाल** (जिला जालौन)—[८ मई, १९५६ के लिए प्रश्न १४–१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२२–२३—**श्री गंगा प्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—[स्थगित किये गये।]

कांधला (मुजफ्फरनगर) में शरणार्थियों के लिए निर्मित क्वार्टर्स

*२४—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कांधला (मुजफ्फरनगर) में शरणार्थियों के लिए नये बनाये हुए क्वार्टर्स बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो सरकार इनका क्या उपयोग कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—जी हां। ये १६ मकान केन्द्रीय सरकार द्वारा डिस्प्लेस्ड पर्सन्स (कम्पेन्सेशन ऐंड रिहैबिलिटेशन) ऐक्ट, १९५४ के अन्तर्गत उद्वासितों को पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी हुई अचल सम्पत्ति के प्रतिकर में दिये जा रहे हैं।

*२५—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन क्वार्टर्स में शरणार्थी क्यों नहीं रह रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—शरणार्थी, जिनकी जोरदार मांग थी कि कांधला में उनके लिए सरकारी मकान बनाये जायं, जिनका सरकार द्वारा निर्णित वह किराया देंगे, अब अन्य मकानों में चले गये हैं। और अब वह इन सरकारी क्वार्टर्स को वाजिब किराये पर भी लेने को तैयार नहीं हुए हैं।

*२६—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह कृपया बतायेगी कि ये क्वार्टर्स कितने हैं और उन पर कुल व्यय क्या हुआ था ?

श्री हुकुम सिंह—यह १६ एक कमरे वाले क्वार्टर्स हैं इन पर कुल लगभग ३५,४०० रुपया व्यय हुआ है।

*२७-२९—श्री गोवर्द्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)—[७ मई, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।)

*३०—श्री गंगाप्रसाद सिंह—[७ मई, १९५६ के लिए स्थगित किया गया।]

झांसी जिले की मऊरानीपुर व गरौठा तहसीलों में गिरती हुयी कपास की उपज को बढ़ाने की योजना

*३१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि कुछ वर्ष पहले झांसी जिले की मऊरानीपुर व गरौठा तहसीलों में बहुत ज्यादा कपास पैदा होती थी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, लगभग २०, २५ वर्ष पूर्व, झांसी जिले की मऊरानीपुर व गरौठा तहसीलों में काफी कपास पैदा होती थी।

*३२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले की मऊरानी पुर व गरौठा तहसीलों में कपास की उपज बिलकुल बन्द हो गयी है, जो पहिले बहुतायत से हुआ करती थीं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है, और उसकी उपज फिर से बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी हां, झांसी जिले की उक्त तहसीलों में कपास की उपज निम्नलिखित कारणों से धीरे-धीरे कम होती गयी :—

(अ) कपास का भाव गल्ले की अपेक्षा कम होने के कारण काश्तकार कपास के स्थान पर खाद्यान्न बोने लगे।

(ब) गल्ला उत्पादन योजना के अन्तर्गत गल्ले की फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाया गया, जिससे कपास की उपज का क्षेत्रफल घटता गया।

[श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी]

(म) सन् १९४६-४७ में प्रदेश के सब कपास ओटने के कारखाने बन्द हो जाने के कारण देशी कपास का बीज मिलने का कोई साधन नहीं रहा।

(द) अन्य प्रदेशों से मंगाये गये बीज से इस प्रदेश मे कोई पैदावार नहीं हुई।

सन् १९५० से प्रदेश में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए एक योजना चल रही है, जिसके अन्तर्गत झांसी जिले में भी कपास की पैदावार बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उक्त तहसीलों में कपास की पैदावार बन्द हो जाने का एक विशेष कारण यह है कि वहां की जमीन में कुछ खराबी आ गई है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जमीन में तो खराबी नहीं आई लेकिन पहले सिंचाई का प्रबन्ध अच्छा नहीं था इसलिये पानी के लिये इंतजार करना पड़ता था और देर में जब कपास बोई जाती थी तो उसकी पैदावार कम हुआ करती थी।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह झांसी जिले में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिये कहां-कहां और क्या प्रयत्न कर रहे है?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—वहां चूंकि पहले कपास पैदा हो रही थी इसलिये हमारी योजना है कि वहां हम उसकी पैदावार बढ़ायें। उसके लिये हम ऐसा बीज उनको देना चाहते है कि वो कम वक्त में तैयार हो जाय और उसमें कपास निकलने लगे और खाद वगैरह देकर भी उनको दूसरी तरह की मदद देने का ख्याल है।

उन्नाव जिले में लेखपालों द्वारा खसरा और खतौनी के इन्तखाब दिलवाने का ग्राम समाज के प्रधानों को अधिकार

*३३—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले में लेखपालों द्वारा खसरा और खतौनी के इन्तखाब दिलवाने के लिये ग्राम समाज के प्रधानों को कोई अधिकार दिये गये हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लैंड रिकार्ड्स मेनुअल के पैरा २६ (ई) के अनुसार लेखपालों द्वारा खसरे व खतौनी के इन्तखाब दिलवाने के लिये भूमि प्रबंधक कमेटी के प्रधानों को अधिकार दिया गया है कि कोई लेखपाल किसी को इन्तखाब देने से इन्कार करे तो ऐसा व्यक्ति भूमि व्यवस्था कमेटी से प्रार्थना करे कि उसको इन्तखाब दिला दिया जावे। प्रधान १५ दिन का समय देकर लेखपाल को आदेश देगा कि वह इन्तखाब जारी कर दे तथा अपनी उजरत प्राप्त कर ले। यदि उस तारीख तक लेखपाल इन्तखाब नहीं देता है और यदि प्रधान उचित समझता है तो इन्तखाब देने की तारीख बढ़ा देगा। परन्तु यदि प्रधान समझता है कि लेखपाल जान बूझकर इन्तखाब नहीं दे रहा है तो वह इसकी रिपोर्ट तहसीलदार को कर देगा जो इन्तखाब दिलाने का उचित प्रबन्ध करेगा और साथ ही साथ लेखपाल की रिपोर्ट हाकिम परगना को उचित कार्यवाही के वास्ते करेगा।

*३४—श्री देवदत्त मिश्र—क्या इस नियम की सूचना प्रधानों और लेखपालों को दी गयी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। और इस विषय की सूचना गांव समाज मैनुअल के तीसरे संस्करण में शामिल की जा रही है।

श्री देवदत्त मिश्र—लैंड रेकार्ड्स मैनुअल सर्विस के अनुसार काम हो रहा है इसकी सूचना क्या माननीय मंत्री जी को है?

श्री चरणसिंह—यह बात ठीक है कि सब जगह पर इसके मुताबिक अभी काम नहीं हो पाया है और इसकी कुछ मजबूरियां हैं। उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और माननीय मित्र, जितने यहां बैठे हैं, वह सब उसमें बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार कितने दिनों में उस प्रार्थी को नकल दिला देगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उचित समय में, जल्दी से जल्दी से दिला देगा।

सोवियत यूनियन से प्राप्त कृषि यंत्रों की सहायता से बनाये जाने वाले प्रस्तावित फार्म

*३५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केंद्रीय सरकार को उसकी ओर से कोई ऐसा सुझाव दिया गया है कि सोवियत यूनियन द्वारा प्राप्त कृषि यंत्रों की सहायता से बनाये जाने वाले प्रस्तावित २६ हजार और ३० हजार एकड़ के कृषि फार्म उत्तर प्रदेश में निर्मित किये जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर पूर्ण प्रकाश सदन में डालेगी ?

श्री हुकुम सिंह—भारत सरकार ने समस्त राज्य सरकारों से यह सूचना मांगी थी कि प्रस्तावित फार्म के लिये जमीन मिल सकती है कि नहीं। इस सरकार ने भारत सरकार को लिख दिया है कि अफजलगढ़ (जिला बिजनौर) तथा जिला पीलीभीत में काफी जमीन मिल सकती है। उनको यह भी बतला दिया गया कि उपरोक्त जमीन इस फार्म के लिये बहुत उपयोगी होगी।

कण्व आश्रम का ऐतिहासिक स्थान

*३६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि उसकी ओर से "कण्व आश्रम" के ऐतिहासिक स्थान के बारे में कोई जांच पड़ताल हो रही है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुकुम सिंह—प्रश्न नहीं उठता।

*३७—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—[२३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८—श्री रामहेत सिंह—[७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३९—श्री रामहेत सिंह—[२३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला मुरादाबाद में आंदोलन के कारण त्याग पत्र देने वाले पटवारियों की संख्या

*४०—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुरादाबाद में आन्दोलन के कारण त्यागपत्र द्वारा अलग हुये पटवारियों की संख्या क्या थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—६२९।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन पटवारियों में से कितने माल विभाग में फिर ले लिये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ले जरूर लिये गये होंगे लेकिन यह लिस्ट मेरे पास नहीं है इसलिए इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या कोई आदेश सरकार द्वारा गया है कि कुछ पटवारियों का कोई अपराध न होते हुए भी वह केवल इस कारण से न लिये जायं कि उन्होंने उस आन्दोलन में भाग लिया था ?

श्री चरणसिंह—आदेश यह गया है कि ४५ वर्ष की उम्र तक के जो पटवारी हों, और नेकचलन रहे हों तो आगे जो जगहें खाली होती जायं उनमें से ५० परसेंट वैकेन्सीज में ऐसे लोगों का लिया जाय। लेकिन साथ ही यह भी है कि उनको नेतागीरी का चस्का न पड़ गया हो। जिनको नेतागीरी का चस्का पड़ गया हो उनको न लिया जाय।

जिला मुरादाबाद में तहसीलवार मध्यवर्तियों को मुआवजा

*४१—श्री जगदीश प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि जिला मुरादाबाद में तहसीलवार कितना रुपया मध्यवर्तियों को मुआवजे के रूप में दिया जाने वाला था और उसमें कितना दिया जा चुका है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला मुरादाबाद में मध्यवर्तियों को तहसीलवार जमींदारी मुआवजे की देय धनराशि तथा जो धनराशि उन्हें दी गई, उसका विवरण निम्नलिखित है :—

तहसील का नाम		मुआवजे की देय धनराशि			मुआवजे की धनराशि जो मध्यवर्तियों को दी जा चुकी है।		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१—अमरोहा	..	९५,४१,८१३	१५	४	३४,७१,९४७	४	७
२—बिलारी	..	४५,९४,९६२	०	०	२७,६७,२७६	११	१०
३—हसनपुर	..	८४,३४,३१०	०	०	२८,४०,८७४	३	४
४—मुरादाबाद	..	३६,८४,२६२	०	०	१९,९०,९०६	१	१
५—सम्भल	..	४३,९५,०२७	१५	८	१५,६४,५००	१	८
६—ठाकुरद्वारा	..	२०,८६,७७६	०	०	१३,६६,९१३	९	८
	योग ..	३,२७,३७,१५१	१५	०	१,४०,०२,४१८	०	२

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री महोदय जी यह बतलायेंगे कि तहसील सम्भल और हसनपुर में इतने कम बांड्स दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वहां पर बांड्स पहुंचे कम होंगे।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि क्या यह बांड्स अभी तक तैयार नहीं हुये और यदि नहीं हुये तो कब तक तैयार होंगे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—बांड्स पहले तैयार नहीं हुये थे अब करीब-करीब सभी तैयार हैं। यहां से जैसे-जैसे इन्डेंट्स आते हैं भेजे जा रहे हैं।

अलीगढ़ जिले में चकबंदी विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां तथा इगलास तहसील में चकबन्दी का कार्य

*४२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की चकबन्दी विभाग में किस-किस पद पर कितनी नियुक्तियां हुई हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिला अलीगढ़ के चकबन्दी विभाग में नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७३ पर।)

*४३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इगलास तहसील में चकबन्दी का कार्य कब तक समाप्त होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इगलास तहसील में चकबन्दी का कार्य ३० सितम्बर, १९५६ तक समाप्त हो जाने की आशा है।

खेलने के मैदान, गांधी चबूतरा आदि की गुंजाइश रखने के सम्बन्ध में चकबंदी अधिकारियों को आदेश

*४४—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सरकार ने चकबन्दी अधिकारियों को कोई ऐसे आदेश जारी किये हैं जिनके आधार पर खेलने के मैदान, गांधी चबूतरा, स्कूल, पंचायत घर, नये मकान बनाने के लिये स्थान और मार्गों की गुंजाइश निकल सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां ऐसे आदेश संचालक चकबन्दी ने जारी किये हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसे आदेश के आधार पर चकबन्दी अधिकारी क्या अपनी मर्जी से इन कार्यों के लिये जमीन ले सकते है ?

श्री चरणसिंह—यह आदेश नहीं बल्कि एक्ट के अन्दर दफा १४ है, जिसके मातहत यह आदेश जारी किया गया है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संचालक चकबन्दी के आदेशानुसार यदि भूमि प्रबन्धक समिति न कहे तब भी इन कार्यों के लिये वह जमीन ले सकते है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ८ अगस्त सन् १९४६ के बाद सार्वजनिक भूमि पर जिन लोगों ने अधिकार कर लिया है उस भूमि को चकबन्दी अधिकारी अपनी ओर से अधिकृत कर सकते हैं ?

श्री चरणसिंह—जब कब्जे का हस्तान्तरण होगा और मियाद होगी तो जिन-जिन गांव पंचायत की जमीन पर गैर लोगों ने कब्जा कर लिया है यदि कानून इजाजत देगा तो उन गांव पंचायतों को जमीन वापस दिला दी जायगी।

श्री राम स्वरूप गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी के समय जानवरों के चरने और उनके निकलने के लिये रास्ता छोड़ने के आदेश भी जारी किये गये हैं ?

श्री चरणसिंह—माननीय मित्र धारा १४ पढ़ने की कृपा करें। गांव वाले चाहें तो आधी जमीन को चरागाह में छोड़ सकते हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—ऐसी भूमि पर जो गांव सभा की हो और दूसरे लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया हो और उसमें मियाद का कोई प्रतिबन्ध हो तो क्या उसे हटाने की सरकार कृपा करेगी ताकि गांव सभा को उससे फायदा हो सके ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

इलाहाबाद के नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी में इंडस्ट्री खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र

*४५—**श्री कल्याण चन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में कितने इन्डस्ट्री खोलने वालों ने इन्डस्ट्री खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र दिये और कितनों को अब तक जमीन मिली ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—६५ उद्योगिकों ने नैनी कालोनी में इन्डस्ट्री स्थापित करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये। उन में से ३६ उद्योगिकों को जमीन दी गई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतावेंगे कि जिनके प्रार्थना-पत्र मंजूर नहीं हुये उनके क्या कारण है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उनमें से बहुतों ने अपना इरादा बदल दिया और कुछ मुनासिब नहीं थे।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—जिन उद्योगपतियों को जमीन दी गई है वे किस चीज के कारखाने खोलेंगे ?

श्री अध्यक्ष—ये ३६ लोग हैं, इनके बारे में अलग-अलग ब्योरे देने की इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि बहुत लम्बी लिस्ट हो जायगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—इस समय वहां पर कितने कारखाने खुल चुके हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जैसा कि बतलाया गया, ये ३६ मंजूर हुये जिनमें से १२ ऐसे हैं जिन्होंने कारखाने बना लिये हैं और कुछ काम भी उनका चालू हो गया है। ९ ऐसे हैं जिनकी इमारतें बन गई हैं और काम नहीं चालू हुआ है। बाकी १५ ने अभी बनाये नहीं हैं लेकिन उम्मीद है कि वे जल्दी ही बनावेंगे और काम शुरू करेंगे।

गाजियाबाद तहसील के सिहानी, कैला आदि गांव में गांव समाज पुनः स्थापित करने की मांग

*४६—**श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)**—क्या यह सत्य है कि गाजियाबाद तहसील के सिहानी, कैला, डुंडाहेड़ा तथा सरना, मुरादनगर गांव में गाँव समाज खत्म कर दिये गये हैं और गांव समाज के सभी अधिकार गाजियाबाद नगरपालिका के प्रधान को दे दिये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, ग्राम समाज मैनुअल के अनुच्छेद ७ के अनुसार ग्राम सिहानी, कैला, डुंडाहेड़ा तथा सरना में ग्राम समाज स्थापित नहीं हुई है। अलावा सरना के बाकी तीन गांवों के भूमि प्रबन्धक का कार्य गाजियाबाद नगरपालिका के सुपुर्द हो गया है और सरना का मुरादनगर टाउन एरिया के सुपुर्द हुआ है।

*४७—**श्री तेजा सिंह**—क्या सरकार इन गांवों में गांव समाज की पुनः व्यवस्था करने पर विचार करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसे मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री तेजा सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि सिहानी, डूंडाहेड़ा और कैला गांव बिल्कुल गाजियाबाद नगरपालिका से दूर और अलग हैं और सिर्फ उनका थोड़ा-सा हिस्सा इस सीमा में आया है ?

श्री चरण सिंह—जी हां, इतना मालूम है कि ये तीनों गांव पूर्णतया म्यूनिसिपैलिटी की सीमा के अन्दर नहीं हैं। कितना हिस्सा उसके अन्दर आया है, यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन

आदेश यही थे कि चाहे पूरा गांव आ गया हो चाहे अंशतः आया हो, वहां की भूमि प्रबन्ध की जिम्मेदारी लोकल अथारिटी की, म्युनिसिपलिटी या टाउन एरिया की होगी।

श्री तेजा सिंह—क्या यह सत्य है कि इन गांवों का कितना हिस्सा भी नगरपालिका में नहीं आया है और गांव बिलकुल अलग है और नगरपालिका के अध्यक्ष गांव वालों की तकलीफों से बिलकुल नावाकिफ हैं जिससे उनको कष्ट हो रहा है?

श्री चरण सिंह—यह तो माननीय मित्र ने भी माना था कि कुछ अंश आया है तीनों गांवों का तभी तो ऐसे आदेश जारी हुये। यह ठीक है कि आबादी नहीं आई हो। लेकिन उनका कुछ अंश म्युनिसिपैलिटी की सीमा के अन्दर पड़ता है, इसलिये आदेश जारी किये गये। दूसरी आशंका का उत्तर पहले दिया जा चुका है, इस प्रश्न पर विचार हो रहा है।

हरदोई जिले के कटियारी परगना में सैलाब से फसल को हानि

*४८—**श्री शारदा बख्श सिंह** (जिला हरदोई)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हरदोई जिले के कटियारी परगना में सैलाब के कारण खरीफ की फसल बिलकुल नष्ट हो गई और रबी की फसल की भी दशा अत्यन्त शोचनीय है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। परगना कटियारी में खरीफ को सैलाब और अधिक वर्षा से काफी नुकसान पहुंचा है। रबी की फसल बहुत कमजोर मालूम पड़ती है। अब तहकीकात हो रही है कि रबी को कै आने का नुकसान हुआ है।

*४९—**श्री शारदा बख्श सिंह**—यदि हां, तो क्या सरकार उस इलाके के काश्तकारों के लगान में छूट देने का विचार करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—खरीफ की फसल की मालगुजारी मुल्तवी कर दी गई है। इस परगने में केवल रबी की फसल असल कीमत रखती है। इसलिये खरीफ की किस्त मुल्तवी की गई है। अगर रबी की फसल में जांच के बाद नुकसान मालूम हुआ तो कायदे के मुताबिक मुल्तवीशुदा मालगुजारी और रबी की मालगुजारी के माफी के सवाल पर गौर किया जायगा।

*५०—**श्री शारदा बख्श सिंह**—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त इलाके में पहले सैलाब के कारण खरीफ में रुपये में तीन आना लगान जो वसूल किया जाता था और रबी की फसल में तेरह आना शेष वसूल किया जाता था उसके स्थान पर दोनों फसलों में आधा आधा लगान वसूल करने की आज्ञा किस आधार पर दी गई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। यह ठीक है कि पहले खरीफ की किश्त ३ आना और रबी की किस्त १३ आना थी और अब दोनों किस्तें बराबर कर दी गई हैं। यह तब्दीली integrated collection scheme के सिलसिले में की गई है जिसमें वसूली के लिये अधिकारी साल भर के लिये रक्खे जाते हैं। मगर किस्तों की तब्दीली करने का सवाल सरकार के विचाराधीन है।

श्री शारदा बख्श सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रबी की फसल सम्बन्धी नुकसान की तहकीकात कब तक सम्भवतः समाप्त करदी जायगी?

श्री चरण सिंह—इस सवाल का जवाब तो डेढ़ महीना हुआ तब चला था।

श्री शारदा बख्श सिंह—यह जानते हुये कि खरीफ की फसल को काफी नुकसान हुआ है और रबी की फसल काफी कमजोर मालूम पड़ती है, क्या सरकार जांच समाप्त होने के समय तक उस क्षेत्र की रबी की मालगुजारी भी मुल्तवी रखने की कृपा करेगी?

श्री चरणसिंह—अगर जिले के अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचें कि रबी की फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी तहकीकात हो रही है, तो उनको अख्त्यार है कि मालगुजारी की वसूलयाबी ससपेंड कर दें। उन्हें गवर्नमेंट को लिखने की जरूरत नहीं होगी।

श्री शारदाबख्श सिंह—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस क्षेत्र में लगान की वसूली हो रही है?

श्री चरणसिंह—रबी की तो अभी वसूली शुरू नहीं हुई होगी और जो खरीफ की है, तो जिन गांवों में नुकसान पहुंचा है, ५४६ गांवों को नुकसान पहुंचा है, और उनमें ५३० को आठ आने से ज्यादा पहुंचा है, तो उनकी मालगुजारी वे मुल्तवी कर चुके होंगे और १०, २० गांव, जिनमें नुकसान बहुत कम है, वहां वसूली हो चुकी होगी।

श्री शारदाबख्श सिंह—विचाराधीन प्रश्न पर सरकार द्वारा कब तक निर्णय किया जा सकेगा?

श्री चरणसिंह—यह आम प्रश्न है जिसका वास्ता सारे सूबे से है और उस पर विचार जल्दी हो जायगा।

*५१-५२—श्री खयालीराम (जिला मुरादाबाद)--[स्थगित किये गये।]

*५३-५५—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—[३० अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न संख्या ५-७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

तहसील डुमरियागंज के चकबंदी वाले ग्रामों में कब्जा दिलाने का कार्य

*५६—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)— क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील डुमरियागंज के चकबन्दी क्षेत्र में, जिसमें नौगढ़ भी सम्मिलित है, कितने ग्रामों की चकबन्दी समाप्त हो गई है जिनमें केवल कब्जा दिलाना शेष है?

श्री चरणसिंह—२९ फरवरी, १९५६ तक तहसील डुमरियागंज के दो ग्रामों में चकबन्दी समाप्त हो गई है। इन ग्रामों में केवल कब्जा दिलाना शेष है।

*५७—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)— क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५६ ई० के कृषि वर्ष में अर्थात् ३० जून, सन् १९५६ ई० तक कितने ग्रामों में चकबन्दी समाप्त होकर कब्जा दिलाने का कार्य सम्पन्न हो जायेगा?

श्री चरणसिंह—यह आशा की जाती है कि ३० जून, १९५६ तक लगभग १०० ग्रामों में चकबन्दी समाप्त होकर कब्जा दिलाने का कार्य सम्पन्न हो जायेगा।

*५८—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—[७ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५९—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—[३० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले के सरकारी बीज गोदामों से बीज का वितरण

*६०—श्री रामेश्वर लाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिला के सरकारी बीज गोदामों से सन् १९५४-५५ में कितना बीज किसानों को बांटा गया?

श्री हुकुमसिंह—देवरिया जिले के सरकारी बीजगोदामों से सन् १९५४-५५ में कुल ५३३९ मन ३९ सेर ७ छटाक बीज किसानों को बांटा गया।

*६१-६३—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५७-५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६४—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

संचालक कृषि विभाग द्वारा टाउन रिफ्यूज कम्पोस्ट योजना के सम्बन्ध में प्रदर्शित कठिनाइयां

*६५—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि अगस्त, १९५३ में संचालक कृषि विभाग ने सरकार को टाउन रिफ्यूज कम्पोस्ट योजना के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां विभाग को हो रही हैं उसके सम्बन्ध में कुछ लिखा था?

श्री हुकुमसिंह—अगस्त सन् १९५३ में तो नहीं पर जुलाई सन् १९५३ में एक पत्र इस आशय का सरकार को मिला था।

*६६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह कठिनाइयां क्या थीं और सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की।

श्री हुकुम सिंह—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ७४ पर)

बरेली में चकबंदी योजना के सम्बन्ध में कृषकों द्वारा शिकायतें

*६७—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि बरेली में ७ अक्तूबर, १९५५ को बहुत से कृषकों ने चकबन्दी योजना के सम्बन्ध में डाइरेक्टर आफ कन्सालिडेशन को कुछ शिकायतें प्रस्तुत की थीं

श्री चरणसिंह—जी हां?

*६८—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (अनुपस्थित)—यदि हां, तो वह शिकायतें क्या थीं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री चरणसिंह—कुछ शिकायतें चकबन्दी योजना के विरुद्ध थीं, कुछ भूमि अभिलेखों में अशुद्ध इन्दराज ठीक किये जाने के सम्बन्ध में थीं और कुछ शिकायतें चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की थीं। चकबन्दी योजना के विरुद्ध शिकायतों का समाधान संचालक, चकबन्दी ने वहीं स्थान पर कर दिया था। ग्राम पछनौर के कृषकों द्वारा चकबन्दी अमीन और चकबन्दी कर्ता के विरुद्ध किये गये आरोपों के अतिरिक्त अन्य शिकायतें प्रायः गलत पाई गईं। उक्त चकबन्दी अमीन को अलहदा करने तथा चकबन्दीकर्ता को मुअत्तल करने का आदेश मौके पर दे दिया गया। सहायक चकबन्दी अधिकारी को भी चेतावनी दे दी गई। भूमि अभिलेख सम्बन्धी शिकायतें सम्बन्धित बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को पूरी जांच तथा आवश्यकतानुसार इन्दराज शुद्ध कर दिये जाने के हेतु दे दी गई। वह शिकायतें भी अब दूर कर दी गई हैं।

खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं पर बिक्री करारोपण के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष——मेरे पास आज तीन कामरोको प्रस्ताव आये हुए हैं। उनमें से एक जो-श्री गेंदा सिंह जी का है वह इस प्रकार है——

"खाद्यान्नों तथा दूसरी जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर गत पहली अप्रैल से सरकार द्वारा बिक्री कर का बोझ बढ़ा देने के कारण जो राज्य भर में व्यापक क्षोभ और असन्तोष का वातावरण उत्पन्न हो गया है, उस पर विचार करने के लिए सदन आज का अपना कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।"

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध मे जो अध्यादेश निकला है कदाचित, उसकी बुनियाद पर यह प्रस्ताव लाया गया है। मैं गेंदासिंह जी से यह बात जानना चाहूंगा कि वह विषय सदन के सामने विचारार्थ विधेयक के रूप में आयेगा ही तो फिर वें उसकी अरजेंमी किस प्रकार से बताते है। यह मै पहले उनसे जानना चाहूंगा।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि जो आर्डिनेंस इस वक्त लागू किये गये हैं, उन पर विधेयक आयेंगे और उन विधेयकों पर माननीय सदन को विचार करने का अवसर मिलेगा परन्तु मैं आपका ध्यान उन हड़तालों और राज्य भर में होने वाली सभाओं, जो उसके विरोधस्वरूप हो रही हैं, उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। इस प्रकार से जो एक भद्दी स्थिति राज्य भर में पैदा हो गयी है उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर सदन को विचार करने का जल्द से जल्द मौका मिलना चाहिये और यदि उसके सम्बन्ध में लोगों को ग़लतफहमी है, लोगों को बेचैनी है तो उस बेचैनी को सरकार दूर करे।

मैं इस सम्बन्ध में यह और निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बहुत दुःख इस बात का है कि माननीय सदन में कोई बात सरकार की तरफ से आश्वासन के रूप में कही जाती है तो उसका पालन करना, दूसरे लोगों से अधिक सरकार की तरफ से होना चाहिये, वह नहीं होता है। बजट स्पीच में जब मैंने इसकी चर्चा की थी उस समय माननीय वित्त मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस तरह का कोई भी प्रपोजल जब आयेगा तो बगैर हाउस से पूछे हुए, खास तौर से सेल्स टैक्स का जिक्र किया गया और कहा गया कि बगैर हाउस से पूछे हुए कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। हम यहां बहुत ही अल्पमत में हैं और सरकार का इतना बड़ा बहुमत है तो फिर सरकार को किसी भी प्रस्ताव को सदन के सामने लाने में दिक्कत क्यों होती है।

श्री अध्यक्ष——आप केवल अर्जेन्सी के बारे में बतावें।

श्री गेंदासिंह——मैं केवल अर्जेन्सी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि यह जो ४–५ आर्डिनेंसेज हमारे सामने रख दिये गये हैं...इस प्रकार मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा कि इन पिछले ४–५ दिन के लेजिस्लेचर के एडजर्न होने में, जब कि अभी असेम्बली प्रोरोग भी नहीं हुई है, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि नमक जैसी जरूरी चीज पर, कच्चे चमड़े पर....

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि अर्जेन्सी अब आपने बता दी।

श्री गेंदासिंह——तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को लेकर सारे प्रदेश में एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो गई है कि जिसको लेकर सदन को जल्द से जल्द विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करने का मौका मिलना चाहिए और बिल तो आज भी हमारी मेज पर नहीं है, न मालूम वह कब तक आयेगा और कब तक हमें उस पर विचार करने का अवसर मिलेगा और अगर आ भी जाए तो उस पर ३ दिन का समय संशोधन देने के लिए चाहिए और फिर उस पर विचार हो। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय इसकी अरजेन्सी है और आवश्यकता है कि हम जल्द से जल्द इस पर विचार करें ताकि जो स्थिति बिगड़ रही है वह आगे न बिगड़ने पाये।

***माल मंत्री (श्री चरणसिंह)**—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गेंदासिंह जी से पूर्णतः सहमत हूं कि इस मसले पर जल्द से जल्द विचार होना चाहिए और इसीलिए गवर्नमेंट जल्द से जल्द इस सदन के सामने बिल लाने वाली है और आपकी इजाजत हो जायगी तो आर्डिनेंस तो आज ही मेज पर रख दिया जायगा, लेकिन उसके बाद यह जरूरी है कि वह बिल की शक्ल में यहां आए. कल ही वह आर्डिनेंस निकला है और आज ही वह मेज पर रखा जा रहा है. कल परसों में कोई फर्क नहीं है जल्द से जल्द इसी सप्ताह में वह बिल हाउस के सामने आ जायगा और उस पर बहस हो जायगी और जो उनकी मन्शा है वह भी पूरी हो जायगी और सरकार की तरफ से यह इरादा हर्गिज नहीं है कि बहस होने में देर की जाय। जहां तक यह बात है कि क्षोभ पैदा हो गया है, तो यह तो फैक्ट्स की बात है, हर आदमी उनको अपनी अलग दृष्टि से देखता है और अक्सर मामलों में लोगों को शिकायत रहा करती है।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं कर दूं कि हमको इस बात से शिकायत है और तकलीफ है कि गवर्नमेंट आज भी सदन में पूरे तौर से तैयार होकर नहीं आयी है। आज गवर्नमेंट अपने बिल के साथ आती या इस सम्बन्ध में जो सवाल उठाये जायं उस पर जवाब देने की हैसियत से यहां तैयार होकर आती तो मुनासिब होता लेकिन अब हमारी मजबूरी है कि इस समय हम हद से ज्यादा जितनी नाराजगी हो सकती है उसको यहां जाहिर करें और इस समय हम ५ मिनट के लिए हाउस को छोड़ दें...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इस समय आप पहले मेरी बात को सुन लें। अभी तो मैंने आप से केवल यह बात कही थी कि यह कहां तक महत्व का प्रश्न है और कैसे यह डेफिनिट या निश्चित है। जहां तक अर्जेन्सी का सवाल था, इस विषय में मैंने आपसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की और आपने इसकी अर्जेन्सी भी बताई और उसको मैं समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी ने स्वीकार भी किया कि अर्जेन्सी है, लेकिन एक बात का जवाब नहीं मिला जिसका आप ने जिक्र किया था कि वित्त मंत्री जी ने बजट के वक्त में कही थी क्योंकि इस समय वे सदन में मौजूद नहीं हैं इस कारण मैं समझता हूं माननीय माल मंत्री जी ने उस विषय में कुछ नहीं कहा।

श्री चरणसिंह—अगर आप इजाजत दें तो मैं उसका जिक्र कर दूं।

श्री अध्यक्ष—उसका जवाब आपने नहीं दिया अब तो वे स्वयं शायद कल आ जायंगे और इस विषय में जो अध्यादेश सदन में पेश होगा उसको भी आपको देखने का शायद मौका मिल जायगा। विषय ऐसा जरूर है कि इस पर जल्द से जल्द चर्चा हो जाय। यदि इस पर कल तक बातचीत होना सम्भव न होता तो मैं आज ही फैसला दे देता लेकिन अब आप को मौका है कि खुद ही इस विषय पर आपस में बात कर लें क्योंकि यह तो दोनों ओर से स्वीकृत हो चुका है कि इस पर जल्द विचार हो जाना चाहिए। और यह प्रश्न महत्व का है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]
तो इस विषय में प्रोटेस्ट करने का सवाल ही कब आयेगा। मैं समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी सोच लें। आज बात करने का मौका है और वे बात करने के बाद जब कल मेरा निश्चय हो जाय तब जो आप करना चाहें कर लें।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। मैं आपके निर्णय को तो समझता हूं कि बहुत ही वाजिब है, लेकिन आपकी थोड़ी मजबूरी है और वह यह है कि गवर्नमेंट इस वक्त तैयार नहीं है, जिसके लिये कि आज गवर्नमेंट को तैयार होकर आना चाहिये था। उसी प्रोटेस्ट में ५ मिनट के लिये मैं हाउस छोड़ना चाहता हूं।

(इसके बाद विरोधी दल के सदस्य ५ मिनट के लिए सदन के बाहर चले गये।)

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, जरा मुझे मौका दे दीजिए तो बताऊं कि मैं तैयार कितना हूं।

श्री अध्यक्ष—वह बाहर बात होगी। आपके खिलाफ वे प्रोटेस्ट करके जाने लगे तो मैं बीच में उन्हें रोक नहीं सकता हूं।

न्याय पंचों के चुनाव के लिये सलाहकार समितियों के निर्माण सम्बन्धी राज्यादेश को स्थगित करने के विषय में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव है श्री रामनारायण त्रिपाठी का गांव सभाओं के पंचों के सम्बन्ध में। उस पर मैं निर्णय कर चुका हूं। मैं उसको वैध करार नहीं देता हूं क्योंकि इस विषय में यानी जो पंचायतों में पंच मुकर्रर नहीं हुए थे—उस सम्बन्ध में बजट के अनुदानों की बहस में बहुत कुछ बहस हो चुकी थी और तत्काल ही उसके बाद कामरोको प्रस्ताव लाना मैं समझता हूं कि यह वैध नहीं है। इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं।

प्रदेश में बिक्रीकर बढ़ाये जाने से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामनारायण त्रिपाठी जी का है। वह श्री गेंदासिंह जी का जो प्रस्ताव था उसी विषय के बारे में है लेकिन शब्द दूसरी तरह के हैं। अगर वही खाली मेरे सामने होता तो मैं उसको वैसे ही अवैध करार दे देता क्योंकि उसमें शब्द तथा वाक्य रचना इस तरह की है कि वह कामरोको प्रस्ताव की शक्ल में आ नहीं सकता। इसलिये इसको भी मैं अवैध करार देता हूं। सिर्फ गेंदासिंह जी का प्रस्ताव रह जाता है जिस पर मुझे फैसला कल देना है।

श्री राजनारायण को दन्ड एवम् जुर्माने की सजा के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब एक सूचना मैं आदरणीय सदन को देना चाहता हूं। मेरे पास तार द्वारा सूचना आई है जिला मैजिस्ट्रेट बनारस की अंग्रेजी में सुना देता हूं और उसका अनुवाद भी

"Sr. R j Narain MLA convicted u/s 188 I.P.C. and sentenced to pay fine o' rupees fifty in default one weeks simple imprisonment."

(श्री राजनारायण, एम० एल० ए० भारतीय दंड विधान की धारा १८८ के अन्तर्गत अपराधी सिद्ध हुए और उन्हें ५० रुपये जुर्माने का दंड दिया गया जिसके अदा न किये जाने की दशा में एक सप्ताह का सादा कारावास का दंड दिया जायगा।)

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) (द्वितीय)† अध्यादेश, १९५६

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) (द्वितीय)† अध्यादेश, १९५६

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि आयकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय)† अध्यादेश, १९५६

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये के वसूली और बेदखली) (संशोधन) (द्वितीय)† अध्यायदेश, १९५६

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सरकारी भूगृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन)† अध्यादेश, १९५६

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६, सदन की मेज पर रखता हूं।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी कृषि (संशोधन तृतीय) विधेयक, १९५५

**माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन के माननीय सदस्यों को मालूम है चकबन्दी का काम अभी २१ जिलों में चल रहा है और यह जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, १९५६-५७ में पांच जिलों में और चकबन्दी आरम्भ करने का विचार है। चकबन्दी का काम जैसा माननीय दोस्तों को मालूम ही है बहुत कठिन है और तजुर्बे से यह मालूम हुआ कि जो विधेयक मौजूद है उसमें कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता है। लिहाजा गवर्नमेंट एक संशोधन विधेयक लाई जो कि विधान परिषद् से पारित हो चुका है और आज यहां विधान सभा में पारित करने के लिए मैं इस वक्त प्रस्तुत कर रहा हूं। जो संशोधन इस विधेयक के जरिये करने का विचार है, उनकी व्याख्या मैं आपकी इजाजत से मोटी-मोटी कर दूं तो माननीय सदस्यों को आसानी हो जायगी बहस करने में।

पहला संशोधन तो यह है कि वह जमीन जहां खेती नहीं हो सकती, तालाब वगैरह की, वह इस चकबन्दी आपरेशंस के अन्दर से निकाल दी जाय, लेकिन जो पशुचर भूमि है वह इसके अन्दर शामिल रहे। वह इस ख्याल से किया जा रहा है कि जब जमीन अदलें बदलेंगी तो हो सकता है कि हमें गांव समाज की भूमि खातेदारों को उस एवज में जब उनकी भूमि गांव के सार्वजनिक प्रयोग के लिए ली जाय, देनी पड़े। रास्ते हैं, स्कूल है, बीज गोदाम है, कूड़ा या घूरा रखने की जगह है। किसी खातेदार की जमीन, जो उसका खाता है, अगर उसमें

† छापा नहीं गया।

* विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक १७ फरवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

** वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

से जमीन ली जाय, गांव के सार्वजनिक उपयोग के लिए तो बदले में जमीन जो पशुचर कह कर हमने गांव समाज को दी है वह उनको दी जायगी। तो इसलिए यह पशुचर भूमि भी "भूमि" की परिभाषा के अन्दर आ जाय, इस उद्देश्य से यह पहला संशोधन है।

दूसरा संशोधन यह है यानी खंड ३ में जो संशोधन है, वह यह है कि अब तक जो कानून है उसके मुताबिक अगर किसी तहसील या इलाके में गलतियां बहुत ज्यादा हैं जिनको कि हमारे चकबन्दी अधिकारी स्वयं ठीक करने में इस कानून के मातहत कुछ मुश्किल महसूस करते हों तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें कि रेकार्ड आर सर्वे आपरेशन यानी एक प्रकार से बन्दोबस्त ही अजसरेनौ करा दिया जाय। पहले वहां थोड़ी बहुत पड़ताल करें तब रिपोर्ट करें तब रेकार्ड आर सर्वे आपरेशन कराया जाय जैसा कि जौनपुर में हो रहा है। वहां १८८४ में बन्दोबस्त हुआ तो १८८५ और १९५६ के बीच में आज ७२ वर्ष हो गये। कागजात में और मौके में बड़ा अन्तर हो गया है। तो मजबूर होकर रेकार्ड आर सर्वे आपरेशन की जरूरत हुई। तो मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब गांव में जायं, लोगों से पूछ-ताछ करें कुछ पड़ताल कर लें, तब रिपोर्ट भेजें। तब रेकार्ड आर सर्वे आपरेशन हो सकता है। तो हमें यह अधिकार रहे कि हम सीधे ऐसे इलाके में बजाय प्रीलिमिनरी पड़ताल करने के रिकार्ड आर सर्वे आपरेशन कर लें। केवल प्रोसीजर की बात है, रुपया और समय बचाने के लिये।

तीसरा संशोधन यह है धारा ८ में केवल लफ्ज "Annual Register" का आया। उसमें खसरा, खतौनी आते हैं, शिजरा नहीं आता है। तो अब यह कर रहे हैं कि नक्शा भी उसके अन्दर आ जाय, उसकी भी दुरुस्ती करनी हो तो कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ गलती हो गई है वह यह कि धारा ११ में कोई संशोधन नहीं है। क्लाज २ में दो जो संशोधन हैं उसको मैंने कहा यह पहला संशोधन है। क्लाज तीन में जो संशोधन है उसको मैंने कहा कि यह दूसरा संशोधन है। लेकिन मेरी गलती थी। वह जो दूसरा संशोधन था वह क्लाज (५) में है, वह समझा चुका हूं क्लाज (५) में तीसरा संशोधन तो अब जिसको मैंने चौथा संशोधन कहा जो क्लाज (३) में है वह यह है कि अब जहां नोटीफिकेशन होता है कि फलां जगह चकबन्दी शुरू की जायगी तो यह है कि जिस रोज शुरू की जाय उसी रोज वह नोटीफिकेशन हो। तो हम यह तरमीम चाह रहे हैं कि जुलाई, १९५६ से शुरू की जाय. . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इस वक्त विधेयक के उसूल पर बात करें न कि हर एक धारा लेकर। क्योंकि अगर आप हर एक धारा लेंगे तो फिर माननीय सदस्य भी हर एक धारा पर बहस करेंगे। तो आप सिद्धान्त बता दीजिये और अलग-अलग धारा को विवाद में लेना उचित न होगा।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, क्लाज ६ और ७ में हम यह करने जा रहे हैं कि अब तक दरख्वास्त तकसीम खाते की या खातों की इकजाई करने की जो दी जाती थी उसका समय कब से चलेगा, उसकी कोई डेट नहीं थी। अब हम यह कर रहे हैं कि जब दफा ६ में पब्लिकेशन हो जाय दुरुस्ती की, मुश्तहरी गांव में हो जाय उस दिन से १५ दिन मिलेंगे।

क्लाज ८ जो है उसमें सिर्फ यह है कि अब तक जो सेक्शन १४ और १५ में हमने तय किया कि कितने ब्लाक बनेंगे वह वहां न रख कर अब क्लाज ११ में रखना मुनासिब समझा। और क्लाज ९ में जो सेक्शन आज १५ है करीब २ वही है उसमें हमने यह बदल दिया है कि पहले कौन-सा उसूल आये फिर कौन-सा आये। बाकी जो १५ में उसूल हैं वही हैं।

क्लाज १० और ११ में यह महत्वपूर्ण संशोधन है। क्लाज १० में यह किया जा रहा है कि तर्ज चकबन्दी या चकबन्दी के उसूल जो चकबन्दी कमेटी अपने गांव के लिये निर्धारित करें उनका जो पब्लिकेशन हो जाय उसके बाद अगर कोई आदमी

अपनी जमीन बै करना चाहता है, दूसरे को ट्रान्सफर करना चाहता है, तो सेटिलमेंट आफिसर कंसालिडेशन की रजामन्दी से कर सकता है, वरना नहीं, क्योंकि होता यह है कि सारे कागजात तैयार हो गए और किसी साहब ने दो बिस्वे जमीन बै कर दी या दो बीघे खेत बेंच दिए तो अब उनको तो इत्तिला नहीं है, उनके कागजात में, सेटिलमेंट आफिसर कंसालिडेशन या कंसालिडेशन आफिसर के कागजात में जो मौजूदा शक्ल है वह आ गई। चकबन्दी चल रही है डेढ़ साल तक, आखिरी वक्त तक हर आदमी ट्रान्सफर कर सकता है अपनी जमीन। अगर उस ट्रान्सफर का कोई उल्लेख, कोई हवाला हमारे कागजात में न हो तो चकबन्दी के वक्त दिक्कत हो जायगी और फिर उन अफसरों को पूरा मुआयना करना पड़ेगा। इसलिए यह किया जा रहा है कि जब चकबन्दी के उसूल तय हो जायं उसके बाद कोई बयनामा हो या किसी प्रकार का हस्तांतरण कोई करता है तो वह सेटिलमेंट आफिसर कंसालिडेशन की रजामन्दी से करेगा। वह आम तौर पर इजाजत दे देगा। लेकिन उससे उसको इत्तिला हो जायगी इस बात की कि यह हस्तांतरण हो रहा है। वह अपने रेकर्डस् को दुरुस्त कर लेगा। हो सकता है कि वह एकाध केस में इजाजत न दे। छः महीने या चार महीने के बाद वह उसको कर सकता है।

क्लाज १० में ऐक्ट की धारा १६ के पश्चात् १६-क के तौर पर यह किया जा रहा है कि जब ४ का पब्लिकेशन हो जाय 'यानी यहां हम चकबन्दी करने जा रहे हैं' इसकी मुश्तहरी हो जाय, विज्ञप्ति निकल जाय तो उसके बाद कोई खातेदार कोई मकान या घेरा वगैरह उसमें नहीं बनायेगा। होता यह है अध्यक्ष महोदय, कि कुछ लोग, बहुत थोड़ी तादाद है, लेकिन उसका असर सारी स्कीम पर पड़ता है, कुछ लोग यह करते हैं कि कोई खेत चकबन्दी के बाहर है तो वहां ईंट के दो रद्दे रख दिए और कहा कि यह हमारा घेरा हो गया या मकान हो गया। इस तरीके से चकबन्दी में वह अपने खेत को नहीं आने देते। तो अब इस तरह की अगर कोई बात होगी तो वह भी बिना सेटिलमेंट आफिसर की इजाजत के नहीं होगी। एक यह किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, और बाकी क्लाज १४ में और १५ में जो मौजूदा कानून है वह वैसे का वैसा ही है केवल उसकी ड्राफ्टिंग है। क्लाज १६ जो है उसकी मंशा यह है कि गवर्नमेंट जहां चाहे वहां जितना खर्च उनको चकबन्दी पर आने की उम्मीद हो, उसकी कोई किस्त चाहे वसूल करे चाहे न करे। इस तरह से अभी यह लाजिमी है कि गवर्नमेंट डेढ़ रुपये के हिसाब से या आधा खर्च जितना होता है वह पहले वसूल कर ले। लेकिन अमल में यह साबित हुआ है कि यह पहले वसूल करना हर जगह मुनासिब नहीं होगा, इससे और गलतफहमी पैदा हो जाती है। तो केवल यह डिस्क्रीशन ले रहे हैं कि वसूल करे या न वसूल करे। अब तक गवर्नमेंट को यह अख्तियार न था।

दफा ४८ में यह था कि किसी केस की मिसिल को डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन मंगा सकता है अपने रिव्यू वगैरह के सिलसिले में, लेकिन प्रोसीडिंग को नहीं मंगा सकता। तो अब हम यह कर रहे हैं कि प्रोसीडिंग की डेफिनेशन के अन्दर भी कोई चीज आती हो तो उसको भी, उस मिसिल को भी डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन मंगा सके रिव्यू वगैरह करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, दफा ५२ में यह था कि कंसालिडेशन आपरेशंस को खत्म करने के लिए एक विज्ञप्ति जारी की जाय। अब हम यह कर रहे हैं, उसकी जगह दूसरे लफ्जों में उसको रख रहे हैं। उसी दफा को रख रहे हैं, लेकिन उसके लफ्जों में कुछ तब्दीली करने की जरूरत पड़ी है।

इन शब्दों के साथ यह विधेयक माननीय सदन के सामने विचारार्थ पेश किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इसकी मंजूरी इसको मिल जायगी।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुनासिब समझता हूं कि जिन उद्देश्यों को लेकर राजस्व मंत्री जी ने यह विधेयक उपस्थित किया है उन पर विस्तार में विचार किया जाय और इसलिये यह समझता हूं कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये और मैं इसलिये यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय। मैं केवल उन्हीं बातो की ओर माननीय सदन को इस वक्त ले जाना चाहता हूं कि जिनकी तरफ माननीय राजस्व मंत्री जी ने ध्यान दिलाया है और इस विधेयक में भी ध्यान दिलाया गया है। यह स्वयं उन्होंने स्वीकार किया है कि इस विधेयक के अन्त में जो उद्देश्य बतलाये गये हैं उनमे यह स्पष्ट कहा गया है कि २१ जिलों के अन्दर जो चकबन्दी की कार्यवाहियां हो रही हैं उनसे कुछ अनुभव प्राप्त हुये हैं और उनमें जो पुराना अधिनियम था उसमे खामियां सूझती हैं और उनको दूर करने के लिये हम यह विधेयक ला रहे हैं। हमारी इस परेशानी को राजस्व मंत्री जी को महसूस करना चाहिये कि कुछ रेविन्यू स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बर साहबान को उन खामियों और खूबियों का पता है जो २१ जिलों में चकबन्दी के सिलसिले में कार्य हो रहा है, लेकिन जो उस कमेटी के बाहर के माननीय सदस्य हैं मैं समझता हूं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जो चकबन्दी का कार्य २१ तहसीलों में हो रहा है उसमें कौन सी खूबियां हैं और कौन-सी खामियां हैं। नाम से प्रभावित होकर कि बहुत से खेत दो तीन टुकड़ों मे कर दिये जाते हैं यह तो खूबी की बात है लेकिन दूसरी भी बातें जो सुनने को मिलती हैं कभी अखबारो के जरिये कभी जबानी कि वहां पर जो चकबन्दी कार्य करने वाले हैं उनसे और किसानों में झगड़े होते हैं, किसान उनके ऊपर इत्मीनान करने को तैयार नहीं हैं। किसानों की जो सबसे प्यारी वस्तु है उसके साथ वे कुछ अनुचित बर्ताव करते हैं जमीन के साथ, और वे किसानों के विश्वासभाजन नहीं होते, जिन किसानों की जमीन के बदलाव का काम, कई टुकड़ों के बदले कुछ थोड़े से टुकड़े करने का काम सुपुर्द है। जब ये दोनों बातें सुनने को मिलती हैं तो मैं समझता हूं कि केवल सुनी सुनाई बातों पर माननीय सदस्यों का कुछ कहना उचित नहीं होगा और मैं तो इस सिलेक्ट कमेटी को भी यह चाहूंगा कि उसकी एक छोटी सी कमेटी हो और वह कमेटी उन जिलों में जाय जहां पर चकबन्दी का कार्य हो रहा है। उसको वहां की भीतरी कारगुजारियों को देखना चाहिये और उसके बाद सम्भव है कि कुछ और ही शक्ल में यह विधेयक हमारे सामने आवे। सम्भव है कि यह जो खंड रखे गये हैं इनमें से कुछ को अस्वीकार कर देना पड़े और कुछ को दूसरी तरह पर रिड्राफ्ट करना पड़े या कुछ को नई शक्ल में लाना पड़े। तो मैं यह जरूर चाहूंगा कि एक प्रवर समिति मुकर्रर की जाय और उसके सामने ये सारी बातें रखी जायें और फिर उन जिलों को देखने के बाद, किसानों और सरकारी अफसरों के मत जानने के बाद हमारे सामने ये संशोधन लाये जायं।

अध्यक्ष महोदय, दो बार संशोधन इस अधिनियम में हो चुके हैं। उस वक्त भी यह बात कही गई थी कि अनुभव के आधार पर ये संशोधन किये जा रहे हैं। अभी कुछ दिन हुये एक संशोधन हुआ। वह छोटा सा संशोधन था कुछ ही खंडों का था। इसके बाद एक संशोधन हुआ था जो कुछ बड़ा था। उसी समय हमें यह दिखाई दिया था कि शायद फिर हमें संशोधन इस अधिनियम का नहीं करना पड़ेगा। यानी तीन बार, एक बार जो वाकई अधिनियम था उस पर विचार किया, फिर दूसरी मरतबा संशोधन था और फिर तीसरी मरतबा एक संशोधन और अब चौथी मरतबा हम संशोधन करने जा रहे हैं। तो मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूं कि माननीय सदन का समय कम लगे, दूसरे लोगों का भी समय कम लगे और हम जो कुछ भी करें वह वस्तुस्थिति के अनुकूल हो। इसलिये आवश्यकता है कि हम इन चीजों पर विचार करके काम करें। मैं इस सिलसिले में एक बात की तरफ, जो सबसे अधिक आवश्यक है, माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। आखिर चकबन्दी हम क्यों करते हैं। इसलिये करते हैं कि कृषि की तरक्की हो। हमारे देश में और राजस्व मंत्री जी का भी यह कहना है कि अगर चकबन्दी सारे सूबे में ह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[illegible] हो जायगा। उनको [illegible] के लिये, उनकी उपज बढ़ाने [illegible] — [illegible] नहीं, जिन लोगों के [illegible] उनका उचित वितरण करना [illegible] प्रबन्ध हो सके। यह सरकार [illegible] के साथ-साथ इन कार्यों को भी [illegible] पंचवर्षीय योजना के बीतने के बाद [illegible] दे पायेंगे और मैं नहीं समझता कि हम अपने [illegible] सूबे को पानी दे पायेंगे। बगैर पानी के तो खेती [illegible]।

श्री [illegible]— [illegible] है।

श्री [illegible]— [illegible] इसलिये [illegible] रहा था कि जब हम [illegible] सम्बन्धी हमारा सारा काम हल हो जाने वाला [illegible] और भी ध्यान जाना चाहिये।

[illegible] चकबन्दी [illegible] हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। पिछली मर्तबा भी जब [illegible] कमेटी बैठी थी [illegible] भी मेरा जोर इस पर था कि चकबन्दी अगर अच्छा काम है [illegible] के हित में है तो उनको [illegible] में क्यों न लिया जाय, उनके ऊपर चकबन्दी जोर दबाव से क्यों लादी जाय। राजस्व मंत्री से इस विधेयक में भी मैं उम्मीद करता था कि यह अनुभव उनका होगा, जो हमारे पास खबरें हैं उनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि जितने गांवों में चकबन्दी का काम शुरू हुआ है वहां सभी संतुष्ट नहीं हैं। [illegible] में संतुष्ट न हों यह बात तो मेरी समझ में आ सकती है कि पहले जहां काम शुरू किया जाता है वहां पर उसका विकृत रूप लोगों को दिखाने को मिल सकता है और उस विकृत रूप को देखने के बाद वे सोच सकते हैं कि इससे हमारा काम बिगड़ेगा। सरकार की रिपोर्टों में भी यह बात कही गयी है कि कुछ मुखालिफों ने चकबन्दी के कार्य को बिगाड़ कर बताया जिसकी वजह से पहले लोग भ्रम में पड़े लेकिन जब काम जारी हुआ तो उनका वह भ्रम दूर हो गया। लेकिन मेरी जानकारी ऐसी है कि जहां कहीं चकबन्दी का काम हुआ है वहां आज भी लोगों में असन्तोष है। इस विधेयक को जब हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि अगर सरकार को चकबन्दी को किसी न किसी तरह से कराना ही है चाहे वहां के लोग चाहें या न चाहें, हमको उनको इस अमृत को पिलाना ही है वे पीना चाहे या न चाहें, चाहे गले के बाहर फेंक दें लेकिन हमें इस अमृत को उनकी जबान के नीचे डालना ही है, तो अगर अमृत है तो पहले से ही क्यों न बनाया जाय। अगर पहले से उसको बनाया जाय या जो जो खामियां इस सिलसिले में होती हैं, जो सरकारी नौकरों को अपनी इच्छा लादने का मौका मिलता है, भले ही वह लादी न जांय लेकिन गांव वाले यह समझते हैं कि हमारे ऊपर सरकार और उसके नौकर अपनी इच्छा लाद रहे हैं, तो उसके बाद इन सब बातों का मौका नहीं रहेगा। इसके मुखालिफ लोग हैं और कहते हैं कि दोनों ही प्रतिबंध किसी क्षेत्र में चकबन्दी क्रियाओं के सम्पन्न होने की अवधि में ही प्रवृत्त होंगे तथा इनसे चालबाज अथवा उद्दंड तत्वों (अनस्क्रूपलस और मिसचीवियस एलीमेंट्स) द्वारा योजना को विफल करने की रोकथाम हो सकेगी। यह स्वीकार ही है कि लोग उद्दंड हैं, शरारती हैं जो चकबन्दी के खिलाफ हैं, ऐसा कहा जाता है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि वह किस रिपोर्ट के आधार पर ऐसा कहते हैं कि जो लोग चकबन्दी के खिलाफ हैं वह उद्दंड और शरारती हैं। यह तो चकबन्दी के अधिकारी जो कहते हैं उसी के आधार पर राजस्व मंत्री जी यह राय बनाये हुये हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह उनको उद्दंड और शरारती न समझें और उनमें ऐसे लोग भी हैं जो चकबन्दी का काम करने वाले अफसरों के उद्दंडपने और मिसचीफ को रोकना चाहते हैं। वह उनकी

[श्री गेंदा सिंह]

उद्दंडता लिखकर भेज देते हैं। सरकार के पास जो कंसा लीडेशन विभाग लिखकर भेज देता है वह तो बिना मुंह के हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं कि आखिर उद्दंड और शरारती लोग चकबन्दी के खिलाफ क्यों सफल हो जाते हैं? क्या बात है? मैं तो मूलभूत सिद्धान्त के ऊपर यह बात कहना चाहता हूं कि वह सफल इसलिये हो जाते हैं कि सरकारी अफसरान जरूरत नहीं समझते कि चकबन्दी स्कीम को जरूरत के माफिक समझा तो दिया जाय। चकबन्दी की स्कीम के संबंध में गांव वालों को कम से कम यह तो समझा दिया जाय कि यह उनकी भलाई के लिये ही है और उनका कोई काम इससे नहीं बिगड़ेगा और अच्छी जमीन के बदले में बुरी जमीन नहीं मिलेगी। यह सब चीजे गांव वालों की समझ में आ जायं तो मिसचीवियस लोगों की दाल नहीं गल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, हमें जो रोज-रोज परिवर्तन करना पड़ता है उसका एकमात्र कारण यही है कि हम जो अच्छा समझते हैं उसको जनता को समझायें बिना यह समझते हैं कि उसको जनता के ऊपर लादने का हमें हक हासिल है। मैं कहता हूं कि ऐसा हम न समझें और गांव वालों पर हमें विश्वास होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो विश्वास है। अगर गांव के लोग समझदार न होते तो हम इस अवस्था में न होते। मैं यह कहूं कि गांव वाले ना-समझी का काम करते हैं तो शोभा देता है, लेकिन अगर उधर वाले यह कहें तो उनको यह शोभा नहीं देता। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि उन्होंने ही उनको यहां बिठाया है। फिर भी यह सोचें कि गांव वाले नासमझ हैं तो क्या वह सचमुच नासमझ हैं कि उन्हें इस जगह पर बिठा दिया? जो लोग यह कहते हैं कि गांव वाले हित अनहित की बात नहीं सोच सकते तो मैं यह उनके विवेक पर छोड़े देता हूं.....

श्री अध्यक्ष—मालूम होता है कि वह चाहते हैं कि आपकी जीत हो और आप चाहते हैं कि उनकी जीत हो।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं। मैं सोचता जरूर हूं कि वह भी जीतें और हम भी जीतें। लेकिन ऐसी जीत हो जिसमें वह बेखौफ होकर कोई काम न करें और हम भी चाहते हैं कि हम भी बेखौफ होकर कोई काम न करें। असल में यह हमारी इच्छा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इसमें फिर गुंजायश की जा रही है। जब चकबन्दी की क्रिया गांव में शुरू होती है तो वह मकान बनाना शुरू कर देता है, पेड़ लगाना शुरू कर देता है, या ऐसा काम करना शुरू कर देता है कि जिसकी वजह से चकबन्दी के काम में खलल पड़े। मैं कहता हूं कि अगर इस काम से उसका भला होने वाला है तो वह ऐसा काम क्यों करने लगा और अगर करने भी लगे तो इसमें उसको सजा देने की गुन्जायश है। पहले यह नहीं थी, लेकिन अब यह गुन्जायश की जा रही है। दसवें खंड की धारा १६ को आप देखें। उसमें लिखा है कि "१६—ज— (२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष सिद्ध होने पर वह एक हजार रुपये से अनधिक के अर्थदंड का भागी होगा।" आप उसके लिये शादी की बात करने चले, शादी में खुशी के लिये कहता हूं और उसमें जरूरत इस बात की पड़े कि आप उस पर एक हजार रुपया जुर्माना करें। मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिये। अगर इस स्कीम को गांव वालों में लोकप्रिय बनाने की कोशिश करें तो शायद इसकी कतई जरूरत न पड़ेगी।

असल में जरूरत से ज्यादा भरोसा राजस्व मंत्री जी को अपने अधिकारियों पर है। उनका विश्वास है कि वही उनके हाथ पैर हैं। अगर वह उनका भरोसा न करें तो करें क्या, हम तो रोज उनको गाली देने को तैयार रहते हैं। वह उनके बुढ़ापे की लकड़ी है। बुढ़ापे की लकड़ी कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, डिप्टी हैं, कानूनगो हैं,

सेकराना हैं, और उनको यह डर है कि अगर यह लकड़ी कहीं हाथ से छूट गई तो वह कमा के रहेंगे। मैं कहता हूं कि आप अपने बुढ़ापे की लकड़ी को हाथ में लिये रहें लेकिन अगर वह सड़ी हुई है और हम सोचें कि जहां पत्थर है वहां पर वह टूट जाय तो हमको भी उसके लिये अफसोस करना पड़ेगा और अगर गिर पड़े तो दवा इलाज करना पड़ेगा। तो मैं उस लकड़ी को ठोंक ठोंक कर उसे ठीक करना चाहता हूं। और मैं उनसे कहता हूं कि चकबन्दी में कतई कोई दबाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसचीविअस लोग हैं, मैं मानता हूं लेकिन साथ ही कहता हूं कि परिस्थितिवश ही लोग ईमानदार और मिसचीवियस होते हैं। आप कहते हैं कि परिस्थिति बने या न बने लोगों को ईमानदार होना चाहिये। मैं इतना आदर्शवादी नहीं हूं और इसलिये जब हम उतने आदर्शवादी नहीं हैं तो हमारी राय वह थोड़ी सी मानें, और वह यह है कि इस विधेयक में मूलभूत बात यह स्वीकार करनी चाहिये और वह आवश्यक है कि जहां चकबन्दी करने की आवश्यकता हो उसमें हम लौट कर जायें और वहां के लोगों को चकबन्दी की पूरी योजना समझाने की कोशिश करें और अगर वह उनके लाभ की है तो उनका बहुमत उसका पक्ष करने लगेगा। मैं नहीं कहता कि उसके लिये यूनानिमस प्रस्ताव हो तब जाकर चकबन्दी का काम शुरू किया जाय लेकिन बहुमत होना चाहिये और वह बहुमत बेयर मैजारिटी में नहीं होना चाहिये। अगर कुछ लोग इस पवित्र कार्य में विघ्न भी डालना चाहते हैं तो उनको समझा बुझाकर अपने साथ करें और जब काश्तकार कानून न समझ पायें तो जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनमें ईमानदार भी हैं, उनका फर्ज है कि वह उनको कानून समझायें। हां, यह ठीक है कि उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो लिखा है वह उसको नहीं समझाते, उनको सूझता ही नहीं वह। ऐसा नहीं है कि सरकारी मुलाजिम उद्दंड और मिसचीवियस नहीं हैं। उधर पंडित रामलखन मिश्र जी बैठे हैं, वह डुमरियागंज की बात बतायेंगे। वह डुमरियागंज की बात बतायें। बलवन्तसिंह जी अपनी मुजफ्फरनगर की बात बतायें। दूसरे सज्जन सुल्तानपुर की बात बतायें और बुलन्दशहर की भी बात बतायें। जहां कहीं भी चकबन्दी हुई है वह सब अपनी-अपनी बातें बतायें। मगर राजस्व मंत्री जी की इच्छा है कि गेंदासिंह जायें और वह जाकर देखें कि वहां पर क्या गड़बड़ी हो रही है। उनका कहना है कि अगर कहीं पर चकबन्दी में गड़बड़ी हो रही है तो वह इस बात की कोशिश करेंगे कि चकबन्दी को बन्द कर दिया जाय। यह भार वह हमारे सिर पर ही रखना चाहते हैं कि हम उनसे आकर कहें कि चकबन्दी का काम बन्द कर दिया जाय। हम लोग तो यह नहीं चाहते हैं कि चकबन्दी का कार्य बन्द कर दिया जाय। जिस चीज को आप बन्द कर सकते हैं उसको बन्द करने के लिये जरूर हम आपसे कहते हैं। हम रिश्वतखोरी को बन्द करने के लिये आपसे कहेंगे। जो गलती हो रही है उसको बन्द करने के लिये आपसे कहेंगे। अगर नहीं बन्द करना है तो फिर अपने मन से सोचिये कि क्या करना है।

जो मूलभूत सिद्धान्त इस चकबन्दी के पीछे है अगर वह हमारी भलाई के लिये है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस बात को स्वीकार करें इससे सारी बुराइयों में से १५ आना बुराई दूर हो जायगी। जब सरकारी अफसर यह समझते हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है तो फिर हमारे लिए कठिनाई है। मुझे इसका अपना अनुभव है जब कि गोरखपुर में सन् १९४८ के पहले चकबन्दी का काम हो रहा था उस जमाने में अंग्रेजी सरकार थी और उस समय कुछ दिन ही मैं जेल से छूट कर आया था तो वहां पर ट्रेनिंग कैम्प किया जा रहा था। उस जमाने में कांग्रेस को अंग्रेजी हुकूमत क्या समझती थी और इनका आपस का क्या रिश्ता था इसके कहने की जरूरत नहीं है। उस समय जो कैम्प चल रहा था उसमें सोशलिस्टिक विचारधारा भी चलती थी तो हम लोग भी वहां पर थे। उस समय चकबन्दी अफसरों को मालूम हुआ कि हम कोई कैम्प कर रहे हैं। तीन दिन तक वह

[श्री गेंदा सिंह]

चकबन्दी अफसर आये और उसने बराबर ख्वाहिश की कि हमारे कार्यकर्ताओं को वह चकबन्दी समझा दें। हम उस वक्त इतनी बात समझते नहीं थे, लेकिन इतना स्वभाव जरूर था कि अगर कोई अच्छी बात हो तो उसको सुन लें और उससे किसानों की मदद हो सके तो उनकी मदद की जाय। तो वह अफसर तीन दिन तक हमको चकबन्दी की स्कीम समझाने आये। उसमें बिल्कुल सद्भावना के साथ लोगों से मिलकर लोगों को समझाकर चकबन्दी करने की बात थी। हम इस बात को समझते हैं कि उस वक्त इस वक्त से ज्यादा गड़बड़ वे अफसर कर रहे थे। एक बात उनको लोग समझाते थे लेकिन वह नहीं मानते थे और ऐसे भी काम वे करते थे जो काश्तकारों को नहीं मालूम होते थे। कुछ गलतियां हमको मालूम हुई लेकिन कागज में वह लिख दी गयीं। लेकिन फिर भी कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने चकबन्दी करायी।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—कितने जिलों में यह चकबन्दी हुई?

श्री गेंदासिंह—मैं समझता हूं जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वह बेचारे कुछ परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वे चकबन्दी को समझ नहीं पाते हैं। अगर महीलाल जी के पास जमीन नहीं होगी तो वह उन लोगों की परेशानियों को पूरी तरह से समझ नहीं पायेंगे। परेशानी तो उस आदमी को ज्यादा होती है जो यह समझता है कि जहां पर उसकी जमीन इकट्ठा है वहां से अगर उसकी छूटती है तो दूसरी जगह कहां उसको मिलती है। इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन कुछ जिलों में जरूर हुई है। गोंडा में कुछ चकबन्दी हुई है और वह किसी अंश में अनुकरणीय है। पैसा कम खर्च हुआ। लोगों पर जोर दबाव कम डाला गया या जरा भी नहीं डाला गया। किसानों से कुछ खर्च नहीं लिया गया। यह दोनों चीजें ऐसी हैं कि जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। गोरखपुर में जो हुआ उस पर आक्षेप तो नहीं है लेकिन उसको बन्द करा देना पड़ा। आज कल जो डायरेक्टर आफ कंसालीडेशन हैं वही उस जमाने में वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। उनसे हमने आग्रह किया और कहा कि मेहरबानी करके इसको इस वक्त मुल्तवी कर दीजिए क्योंकि आगे आने वाली सरकार लोकप्रिय सरकार होगी। वह जो सरकार आयेगी वह किसानों का ज्यादा ख्याल रक्खेगी और उसके जरिये जो काम होगा वह अच्छा काम होगा। मैं समझता हूं कि गोंडा की चकबन्दी से हमें सबक लेना चाहिये और उसी जमाने में जो कोआपरेटिव डिपार्टमेंट ने चकबन्दी का काम किया उससे भी सबक लेना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि लोभ तो उनको होगा नहीं, लेकिन इस लोभ में कि हम समूचे सूबे में चकबन्दी करा डालें गांव वालों से पैसा हासिल करें, मैं कहना चाहता हूं कि यह धारणा ही गलत है। अगर सचमुच चकबन्दी किसानों की भलाई के लिये है तो किसानों को उनकी भलाई की बात समझानी चाहिये। और यह भलाई की बात समझाना चाहिये चकबन्दी का काम शुरू करने से पहले, बाद में नहीं, उसको उसकी सारी बातें समझानी चाहिये। आखिर आप उससे पैसा मांगते हैं। सूबे में इतना महंगा चकबन्दी का दाम पड़ रहा है जो सारे हिन्दुस्तान में नहीं है। मैं प्रमाण के तौर पर कहना चाहूंगा कि हैदराबाद को ही देख लीजिये। जब क्लाजवाइज डिसकशन होगा तब मैं कहूंगा कि जो इस वक्त चकबन्दी का व्यय किसानों से वसूल किया जा रहा है वह कम किया जाय, क्योंकि हैदराबाद में और दूसरे सूबों में यू० पी० से काफी कम खर्चा पड़ रहा है तो फिर यहां किसानों से इतना अधिक क्यों लिया जा रहा है, यहां खर्चा क्यों इतना ऊंचा पड़ रहा है।

हम यह मानते हैं कि चकबन्दी के काम में एक बड़ा भारी गुण यह भी है कि उससे कामकाज की दुरुस्ती हो रही है। जहां भी चकबन्दी हुई है वह काम वहां

बात हुआ है जिसमें बतलाया [illegible] कि [illegible] रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस सूबे का [illegible] है। चाहे [illegible] नहीं बतलाते। उसमें [illegible] वक्त के [illegible] सौ रुपया प्रतिवर्ष हो गयी। अब अगर इस बिल को [illegible] किया, अध्यक्ष महोदय ने [illegible] डिप्टी कलेक्टर [illegible] से होकर चौधरी साहब के दफ्तर [illegible] के दफ्तर को भी बना दिया गया। जब [illegible] के दफ्तर से [illegible] मालूम हुआ कि [illegible] दिया गया। तो उसमें यह माना गया है कि यहां के किसानों की प्रतिवर्ष की आमदनी प्रति व्यक्ति इतनी हो गयी। अब यह भगवान् ही जाने कि इसमें [illegible] कहां तक है। जिस दिन [illegible] रुपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की आमदनी इस सूबे के किसानों की हो जायगी उस दिन चौधरी साहब को डोली में बिठाकर कंधों पर लिये डोलेंगे। डोली में बिठाना सब से [illegible] है। [illegible] जी और [illegible] जी और सब से कहूंगा कि कंधे पर डोली में बिठाकर [illegible] राजस्व मंत्री जी को घुमायें लेकिन अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू डिपार्टमेंट [illegible] करता है और राजस्व मंत्री जी उस पर [illegible] देते हैं। [illegible] हैं तो यह करने का आदी है। इसकी आमदनी बढ़ी और बढ़ने का नतीजा यह हुआ कि चकबन्दी का काम भी ज्यादा हुआ। हैदराबाद, मध्य प्रदेश और पंजाब में ज्यादा हुआ। लेकिन वहां पर यहां से कम ही रुपये से चकबन्दी हुई है लेकिन यहां जो ज्यादा रुपया लगते हैं वह नहीं मालूम क्या बात है। हां, उत्तर प्रदेश का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ खर्चीला ज्यादा है, शौकीन ज्यादा है, शक्ल सूरत में अच्छा है, लेकिन उसे कुछ देने वाले की तरफ भी देखना चाहिये। तो अध्यक्ष महोदय, यह कलजवाइज बात में इस वक्त बिल्कुल नहीं करूंगा। और मैं सोचता हूं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं। मेरी बुद्धि पर हमला हो रहा है...

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं उसमें आप साबित नहीं कर सकेंगे।

श्री गेंदा सिंह——मैं ज्यादा नहीं जानता लेकिन मोटी मोटी बातें जानता हूं, मैं शर्मा जी को बता दूं वह तो वकालत किए हुए आदमी हैं लेकिन मैं तो सिर्फ कचहरी में मारा मारा फिरा हूं। कभी किसी ने १९८ दायर कर दिया तो कभी किसी ने १४४ दायर कर दिया, कभी किसी ने कुछ दायर कर दिया कभी कुछ कर दिया और वह सब कुछ मैं भुगते हुए हूं। और वह वह जमाना था कि जिस वक्त मौर्य जी भी १४४ वगैरह में नहीं बचते थे और रोज तरह तरह की बातें होती थीं और लाखों किसान जो बेदखल होते हैं उसकी जानकारी उनको, अब कम होती है और हम उनको जानकारी कराने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि सही तस्वीर आपके सामने रखें, लेकिन उनको जब यह गलतफहमी है कि मैं मूर्ख हूं तो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है वह तो फिर वही बात है जो मैं शर्मा जी की खिदमत में पेश कर रहा हूं कि फिर तो उनको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। आप न समझें तो मुझे तो कुछ कहना नहीं है लेकिन मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि आप इस बिल के द्वारा कुछ जोर दबाव की बात कर रहे हैं पर आप अपने अनुभव से कह रहे हैं कि बगैर जोर दबाव के चकबन्दी नहीं हो सकती तो मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दें और निकालने के बाद फिर से इस बिल को ड्राफ्ट करें। मैं यह नहीं कहता कि आप इस काम को पूरा न करें, चकबन्दी होनी चाहिए और इस समय आप इसको प्रवर समिति में जाने दें और इस बात को ध्यान में रखें कि २१ जिले न सही दस जिले ही आप लें मेरी अक्ल से तो कुछ नहीं होता जब चौधरी साहब की यह राय है कि मैं मूर्ख हूं तो मेरे कहने से....

श्री अध्यक्ष—ये शब्द उन्होंने नहीं कहे।

श्री गेंदासिंह—कहे नहीं, मैंने ऐसा अर्थ लगाया। उनका कहना यह था कि "क्लाजवाइज तुम नहीं जा सकते"। इस बिल में क्या रखा है आप ऐसे आदमियों के साथ बैठकर पढ़ सकता हूं, इसको तो बहुत ज्यादा पढ़ा है, इसको क्लाजवाइज पढ़ने में क्या रखा है? मैं क्लाजवाइज बात बाद में लूंगा इस वक्त तो सेलेक्ट कमेटी की बात को मान लिया जाय और उसके बाद अगर आवश्यकता हो तो कुछ परिवर्तन इसमें कर लिए जायं और जरूरत हो तो कुछ चीजों का संवर्धन कर लें और उस तरह से इसको पास करना आसान होगा और चकबन्दी के काम में सहायता मिल सकेगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चकबन्दी के तृतीय संशोधन बिल के द्वारा जो सुधार मूल अधिनियम में प्रस्तुत किये गये हैं उन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस कानून में बार बार सुधार लाने की आवश्यकता पड़ रही है इसकी कोई शिकायत माननीय सदन के सदस्यों को नहीं होनी चाहिये, यह तो इस बात का प्रमाण है कि माननीय माल मंत्री जी उन कठिनाइयों के प्रति कितने जागरूक हैं जो कि आये दिन वास्तविक व्यवहार में उनके सामने पेश हो रही हैं। चकबन्दी का कार्य एक बहुत बड़ा कार्य है और इसमें संदेह नहीं है कि इससे किसानों की हालत में बहुत ही बड़ा सुधार होने की आशा है। जब इतने बड़े काम को उठाया गया है तो इसमें संदेह नहीं कि व्यवहार में समय समय पर कठिनाइयां आयेंगी और उन कठिनाइयों को दूर करना ही विधेयक के जरिये से, संशोधन के जरिये से इस सदन का कर्त्तव्य हो जाता है। माननीय गेंदासिंह जी को इस बात की हमेशा से शिकायत है कि यह विधेयक, यह कानून किसानों पर जबरदस्ती लादा जा रहा है, जोर जुल्म से लादा जा रहा है लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं कि आये दिन हर जिले से चकबन्दी के लिये मांग बराबर बढ़ती जा रही है और जिस जिले में शुरू की गई उस जिले की अन्य तहसीलें इस बात का इन्तजार कर रही हैं कि कब उस तहसील में काम होगा और जिन जिलों में अभी काम शुरू नहीं किया गया उन जिलों के लोग भी इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका भी जिला जल्दी से जल्दी ले लिया जाय तो फिर यह कहना कि जबरदस्ती किसानों पर यह कानून लादा गया है सही नहीं है।

माननीय गेंदासिंह जी, उनके साथी चकबन्दी से होने वाले फायदे की तारीफ भी करते हैं और वे इस बात के हामी हैं कि चकबन्दी से किसानों का बहुत बड़ा कल्याण होगा और किसानों के हित में यह कानून है फिर भी इस बात को कहना कि जोर जुल्म से लादा जा रहा है मैं नहीं समझता कि कहां तक उचित है। जो विधेयक इस समय प्रस्तुत है उसे प्रवर समिति के समक्ष भेजा जाय उसमें अगर कोई खामी माननीय गेंदासिंह जी बतलायें तो अवश्य जो भी कमी है उसे पूरा करने के लिये भेजे जाने में कोई आपत्ति सदन को न होगी लेकिन ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं बतलाई जिसके लिये प्रवर समिति के समक्ष जाना जरूरी है। हां एक बात जरूर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मूल अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक उपयोगिता और अन्य सामान्य उपयोगी कार्यों के लिये भूमि अलग की जा सकती है जैसे चरागाह के लिये, मत्स्य संवर्द्धन के लिये, गल्ला इकट्ठा करने के लिये जहां भी आवश्यक हो पूरे गांव की उपयोगिता के लिये भूमि अलग की जा सकती है। तो इस प्रकार जो भी भूमि अलग की जाय वह सभी खातेदारों के हिस्से में से अनुपात के अनुकूल हिसाब लगाकर सबके हिस्से से अलग कर दी जाय। चूंकि यह जनहित में होगा, गांव में सबके लाभ की बात होगी। इसलिये गांव के सभी खातेदारों के हिस्से से जमीन लेकर इन उपयोगी कामों में लगाना अनुचित नहीं है। 'परन्तु जो गांव में नहरें निकल रही हैं सिंचाई की नई योजनाओं के अन्तर्गत, यह जो ट्यूबवेल के लिये गूलें निकल रही हैं और जनहित में जो भूमि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के द्वारा एक्वायर की जाती है उसके संबंध में मैं इस माननीय सदन के सभी सदस्यों का मैं समझता हूं कि प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इस मांग के बारे में कि जो इस प्रकार की भूमि हस्तगत की जाय

[illegible] करने के लिये भी जाय तब जो चकबन्दी का विवरण तैयार हो तो उसकी व्यवस्था उस विवरण में कर दी जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझ पाता कि जब जमीन नहर के लिये, पुल के लिये, या दूसरे उपयोगी काम के लिये किसी एक काश्तकार की, गांव में ली जाती है वह सबके उपयोग की क्यों नहीं समझी जाती? मैं समझता हूं कि वह सार्वजनिक उपयोग के लिये ली जाती है। तो जब वह जमीन गांव में ली जाय तो वह सबके हिस्से में लगा दी जाय इसमें किसी प्रकार की वैधानिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये। आज हालत यह है कि गांवों में जब कोई नहर के लिये जमीन ली जाती है तो कोई एक गरीब किसान या जो भी किसान उसके रास्ते में पड़ते हों उन्हीं को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। केवल थोड़े से किसानों की जमीन निकल जाती है। बाकी किसान जिनकी जमीन नहीं जाती वह भी नहर से लाभ उठाते हैं। शिकायतें इस बात की होती हैं कि कर्मचारियों का जब दबाव पड़ता है तो नहर का एक मार्ग बदल कर दूसरा मार्ग ले लेते हैं और उसके लिये किसान भी कोशिश करते हैं, दौड़ धूप करते हैं कि उनका खाता किसी तरह से नहर या पुल के अन्दर न पड़ने पावे। लेकिन अगर इस चकबन्दी कानून में यह व्यवस्था हो जाय कि जमीन चाहे किसी की भी पड़े नहर के अन्दर, लेकिन चकबन्दी के समय वह सब के हिस्से में डाल दी जायगी तो किसी भी किसान को कोई आपत्ति उस जमीन के निकल जाने में नहीं होगी। मैं समझता हूं कि अगर सरकार के कानूनदां इस बात पर विचार करें और जरा इस नीयत से विचार करें....

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——कोरम नहीं है हाउस में।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यदि सरकार के कानूनी सलाहकार इस नीयत से इस प्रश्न पर विचार करें कि इस शिकायत को किसी न किसी तरह से दूर करना है तो रास्ता निकल सकता है। नहर निकलती है या दूसरे सार्वजनिक उपयोग के लिये जो जमीन ली जाती है तो कोई कारण नहीं कि वह सार्वजनिक उपयोग की चीज सबके हिस्से में क्यों न डाली जा सके। मैं समझता हूं कि इससे किसानों को बहुत ही संतोष होगा और सरकार को इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये यह काम चकबन्दी के वक्त में हो जाय तो इससे बढ़ करके लाभकारी कोई बात नहीं होगी। मुझे कुछ और नहीं निवेदन करना है। मैं समझता हूं कि जो मौजूदा विधेयक है उसके अन्दर कुछ कठिनाइयों को दूर किया गया है। खाते में अगर जमीनें हस्तांतरित होती रहीं तो फिर चकबन्दी का काम बहुत ही कठिन हो जायगा। भविष्य में जो भी चकबन्दी के खाते बन जायगे, उनमें हस्तांतरण होने पर, चकबन्दी में जो खाते अलग-अलग किये रहेंगे उनमें फिर गड़बड़ हो जाने का भय है। इस आशंका को मिटाने के लिये भविष्य में फिर कैसे हस्तांतरण हो, सरकार को इधर भी ध्यान देना है। भविष्य में जमीनों का हस्तांतरण रोका जा सके यह भी महत्व का विषय है। मौजूदा विधेयक में जो हस्तान्तरण के संबंध में एक धारा रखी गयी है वह उचित है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार से मेरा निवेदन है कि शीघ्र ही कोई और संशोधन, विधेयक का लाये और उसके द्वारा, जो मैंने सुझाव दिये हैं, उसको भी पूरा करे।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)——आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मत नहीं हैं कि माल विभाग शासन विभाग का मेरुदंड है। यदि इसमें हमारे कागजात के इन्दराज सही हों और सब का नाम सही तरीके से दर्ज हो तो भारतीय दंड विधान का तीन हिस्सा इस वक्त न चालू न हो। जितनी ईर्षा, अधिकांश रूप में मर्डर्स होते हैं सब इन्दराजों से संबंधित रहते हैं एक बड़े पैमाने के ऊपर। और मैं इस बात को कहने में हर्ष मानता हूं कि चकबन्दी के द्वारा आधे समय तक चकबन्दी विभाग द्वारा यह सब इन्दराज दुरुस्त किये जाते हैं। यह एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है।

[श्री रामलखन मिश्र]

मैं माननीय गेंदासिंह जी के तर्क को समझ नहीं पाया। चकबन्दी की समालोचना विहंगम दृष्टि से नहीं की जा सकती, उसकी समालोचना करने के लिये हमें किसान के पास बैठना होगा और उसी की दृष्टि से ही चकबन्दी को देखना होगा। मेरा विश्वास है कि चकबन्दी के प्रति किसानों की बड़ी ममता है। यदि ऐसा न होता तो माल मंत्री के आगमन के समय एक साधारण सी नोटिस निकल जाने पर ३० हजार ४० हजार की जनता जो एकत्रित होती है और वहां आ करके बिना शिकायत किये हुये सुनती है यह क्या सूचित करता है। ऐसी बहुत सी बातें कही जा सकती है। मैं बस्ती जिले का हूं और स्वयं भुक्तभोगी हूं। साल भर से चकबन्दी मेरे क्षेत्र में चल रही है और रोज देखता हूं और मैं जानता हूं कि पुराने कानून की चकबन्दी में और इस चकबन्दी में बहुत परिवर्तन है। पुरानी चकबन्दी में नाल्लकेदारीशाही थी, उसमें पैसे का जोर था, उसमें कोई व्यक्ति कहां फेंक दिया जायगा यह कोई गारंटी नहीं थी। पर उसमें बिलकुल इसके विपरीत है। इसके ऊपर बहुत नियंत्रण है, इसमें ऐसा विधान है कि चकबन्दी में ऐसा कोई अन्याय नहीं हो सकता। अब हमें देखना यह है कि सदन के सामने जो संशोधन आया हुआ है उसमें वस्तुस्थिति क्या है। इसके मूलभूत सिद्धान्तों में न जा करके पहले हमें पूर्ण दृष्टि से देखना होगा कि इसमें कहा क्या गया है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अवकाश काल के पूर्व मैं यह विनती कर रहा था कि संशोधन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इस समय संशोधन के वास्तविक स्वरूप के ऊपर विचार प्रकट करने के पहले मैं माल विभाग के मन्त्री जी को यह उलाहना देता हूं कि यह संशोधन बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इस संशोधन का किसानों से इतना गहरा सम्बन्ध है उसके दैनिक जीवन से कि जितने क्षण यह संशोधन नहीं हो जाते उतने क्षण वे किसानों को बहुत ही प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए इस संशोधन में धारा ४८ में एक बात ऐसी की गई है। धारा ४८ में यह है कि टाइटिल का प्रश्न आने पर किसी तरह से सी० ओ० या सी० ओ० के ऊपर का अधिकारी उसे न माने, चाहे जानबूझकर न माने तो उसके लिए कोई चारा नहीं है कि कहीं अपील हो सके। इसमें यह स्पष्ट किया गया है धारा ४८ में विशेष शक्ति दी गई है जिसमें कार्यवाही भी ऊपर की अदालत में और सहायक डाइरेक्टर के समक्ष वह ले जा सकता है और ले जाकर के वह क्वेश्चन आफ टाइटिल वहां उपस्थित करके वह कार्यवाही शुद्ध की जा सकती है। ऐसे प्रश्न दैनिक जीवन में बराबर उन क्षेत्रों में आ रहे हैं जहां पर कि चकबन्दी हो रही है। इसलिए यह जितनी ही शीघ्रता से इसे हम स्वीकार करके कार्यान्वित करें उतना ही किसानों के लिए लाभकर है।

जहां तक कि धारा ४ का प्रश्न है या वार्षिक रजिस्टर में नक्शे के आने का प्रश्न है यह सब बहुत ही शाब्दिक संशोधन हैं। ये ऐन्युअल रजिस्टर्स में नक्शे नहीं आते थे, शाब्दिक संशोधन के द्वारा इसमें उसकी पूर्ति की गई है। यह बिलकुल शाब्दिक है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि इसको हम किसी दूसरी जगह ले जाकर के विचार करें या प्रवर समिति में ले जायं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चकबन्दी का बहुत ही आकर्षक अंग उसका प्रधान अंग यह है कि खातों का तकसीम करना या खातों का इकजाई करना, यह बहुत ही आकर्षक अंग है चकबन्दी में किसानों के लिए। छोटे-छोटे रकबों के किसान आपस में अपने खेत बांट लेते हैं जब कि वैसे वह सिविल कोर्ट में जायं और माल विभाग में आयें तो वह बहुत ही खर्चीला होता है और बहुत ही कठिनाई उसमें पड़ती है और कुछ स्थितियों में तो वह कर ही नहीं पाते। यह एक ऐसी बात है कि धारा ९ में जो प्रकाशन की व्यवस्था की गई है वह धारा ९ की प्रकाशन की व्यवस्था साकार बहुत कम हो पाती है। वह एक

[श्री रामलखन मिश्र]

को लाकर के किसानों को सहायता पहुंचाने पर है। मैं उदाहरण के लिए यह प्रस्तुत करता हूं कि धारा ८ के बाद, सारी छोटी-मोटी कार्यवाहियां हो जाने के बाद, जब वहां पर ए० डी० ओ० गांव में जाय तो भोले भाले किसान जो बहुत दिनों से खेत जोतते हैं, नाम उनका दूसरे खेत पर लिखा है, वास्तव में वह दूसरे खेत को जोतते हैं उस कागज के आधार पर जब वह अधिकारी मौके पर जाता है तो उनकी अवस्था सन्निपातावस्था सी हो जाती है। एक कहता है कि मेरा है और दूसरा कहता है यह मेरी जोत है। वहां पर स्वाभाविक रूप से झगड़े होते हैं। वैसे तो जहां तक चकबन्दी की बात है यह प्रश्न सुगमता से हल हो जाता है लेकिन जहां पर विवाद खड़े हो जाते हैं जिनको विवाद में ही आनन्द आता है वहां एक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां जो शोर और शिकायत होती है वह वास्तविकता के आधार पर होती है। उसमें किसी का दोष नहीं है उसमें समय लगेगा और जानकारी प्राप्त करनी होगी। किसानों को इस चकबन्दी से जितना संतोष है जितनी उसको इससे प्रसन्नता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने स्वयं अपने यहां देखा था कि चकबन्दी होने के बाद किसानों के मनोभावों में कितना परिवर्तन हुआ है। मैंने स्वयं उनसे पूछा है कि क्या आप चाहते हो कि चकबन्दी बन्द कर दी जाय तो किसानों को बहुत दुख हुआ। वह नहीं चाहते थे कि चकबन्दी बन्द कर दी जाय। पहले चकबन्दी बस्ती जिले में हुई है और जिन गांवों में हुई वहां सूखा पड़ा, बाढ़ के क्षेत्र में भी और और प्रकार की जितनी कठिनाइयां आई उनको वहां के किसानों ने जो उन खेतों से लाभान्वित हुये थे उनको अच्छी तरह से झेला और उन किसानों की दशा आज अच्छी है बनिस्पत उन जगहों के जहां चकबन्दी नहीं हुई है, जहां खेत बिखरे हुये हैं और जहां झगड़े रोज आपस में होते रहते हैं। लेकिन यह जो कुछ हो चकबन्दी से लाभ बहुत होते हैं उनको ध्यान में रख कर हमने कानून बनाया है और जहां तक इस चकबन्दी के मूलभूत सिद्धान्त हैं उनसे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि उससे किसानों को लाभ हुआ है। अब रही यह बात कि चकबन्दी को कार्यान्वित करने के लिए विधान में जो त्रुटियां आती हैं उनका संशोधन करना आवश्यक है। यह माल विभाग की जागरुकता का ही परिचय है कि उनके ज्ञान में यह बात आई तो वे संशोधन के रूप में इस बात को ले आते हैं कि इसमें यह त्रुटियां हैं और यह ठीक कर दी जाय। यह तो उद्देश्यपूर्ति का एक लक्षण है और इससे घबड़ाने की कोई बात नहीं है। हां, जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि माल-मन्त्री जी को चाहिये कि इसके नियमों में परिवर्तन अवश्य करें। नियमों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका वर्णन इन संशोधन से तो तात्कालिक संबंध नहीं होगा। लेकिन हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जिससे राज्य-कर्मचारी ठीक-ठीक काम कर सकें। ऐसा विषय चकबन्दी नहीं है कि वहां जो कोई भी हो चकबन्दी में भेज दिया जाय क्योंकि अर्थचालित संसार में किसानों का जब उनसे निकट का सम्बन्ध हो जाता है तो मुद्रा नीति का सम्बन्ध वहां उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है और अर्थ लोलुपता जन्य विभीषिका का शिकार बन जाने की सम्भावना होती है। तो मैं अपने माल मंत्री जी से कहूंगा कि प्रचार के पक्ष में एक वातावरण तैयार किया जाय। नियमों में ऐसा परिवर्तन किया जाय जिससे कार्य सुचारू रूप से हो सके। मेरा बस्ती जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। मुझे संतोष है और मैं जब अपने जिले में चकबन्दी का काम करने जाता हूं तो मुझे लाउडस्पीकर ले जाना पड़ता है, मोटर ठीक करनी पड़ती है, और जो कुछ मैंने देखा उससे बहुत संतोष मुझे हुआ। प्रचार चकबन्दी का एक बहुत ही आवश्यक अंग है और हमारे माल मंत्री जी को चाहिये कि प्रचार की कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे किसानों के बीच में जाकर समझाया जा सके कि चकबन्दी से क्या लाभ हैं।

एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा। हमें इसको वकीलों का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि बाल की खाल निकालने वाले जब चकबन्दी के अन्दर प्रवेश

करने के बाद वहां पर भी उन्हें हाईकोर्ट दिखाई पड़ता है। किसान हमारा घबराता है क्योंकि ५०—६० और २०—२५ रुपये प्रधान स्थानों से वकीलों को वहां पर ले जाने में देना पड़ता है। उसे बड़ी कठिनाई पड़ जाती है। सबसे बड़ी कठिनाई तो तब पड़ती है जब कोई दरिद्र किसान मर जाता है या जो कलकत्ता या बम्बई में थे और वहां उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी विधवा है और उनके खेतों पर यदि वहां के पुराने जमींदार प्रतिहिंसा के प्रयास में खड़े हो जाते हैं तो उनको कोई गवाह ही नहीं मिलती है और वे ऊपर से एक बड़े भारी प्रभावशाली वकील को लाकर खड़ा कर देते हैं तो तीन महीने की ट्रेनिंग पाये हुये जो एस० डी० ओ० वहां होते हैं वे कानून की पेचीदा बातों के अन्दर कुशल पूर्वक चल नहीं पाते, उनको स्वयं भी एक प्रकार का सफोकेशन प्रतीत होता है। खैर, ऐसा तो कोई विधान में नियम नहीं बनाया जा सकता लेकिन अगर समझाया जाय किसानों को और प्रचार किया जाय, जैसा कि हमारे माननीय भाई गेंदासिंह ने विनय किया कि प्रचार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये और जहां चकबन्दी लागू करें वहां प्रचार के लिये काफी रुपया खर्च किया जाना चाहिये, तो गरीब किसान उन वकीलों के पंजे से बच सकते हैं और आगे के लिये वे सावधान हो सकते हैं। किसान नहीं चाहता कि चकबन्दी में अपने खेतों का इतिहास फिर से लिखाना पड़े। वह नहीं जानता था कि हमारे ऊपर बेदखली के दूसरे कानून आयें। सन् ५६ में नाम दर्ज हो, ५९ में नाम दर्ज हो, विधवा स्त्री घर पर मौजूद हो। उसके खेत पर कोई खड़ा हो जाय तो भी उसे एस० डी० ओ० के सामने साक्षी देना पड़ेगा। यदि वह साक्षी नहीं दे पाती तो उसके सामने संकट उपस्थित होता है। उसकी कुशलता तभी है जब हमारे चकबन्दी के ऊपर के अफसर जो वहां हैं वे जाकर के हस्तक्षेप करें और उसको देखें और उस साक्षी का ट्रांसलेशन करें क्योंकि बहुत कुछ तो कानून में इस बात पर मुनहसिर है कि किसी का केवल बयान होने मात्र से उसके साक्ष्य का स्वरूप क्या है, उसकी एविडेन्शल वैल्यु क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसानों को कष्ट अवश्य प्रतीत होता है। उसका कुछ कारण प्रचार की कमी है और कुछ शासकीय आदेश भी कारण हैं।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यद्यपि इससे बहुत सम्बन्धित न होने पर भी माननीय सदन के सदस्य उससे अवगत हो जायं इस कारण कहता हूं। जो तीन महीने की ट्रेनिंग प्राप्त एस० डी० ओ० होते हैं उनको यह भी नहीं मालूम होता है कि खेत कितने प्रकार के होते हैं। जमीन के ऊपर उनका क्षेत्र बढ़ता जाता है। लेकिन उनको नहीं मालूम कि यह जमीन कैसी है, इसमें कौन कण है, बालुका कितनी है, कैसी मिट्टी है, इन सब बातों के ट्रेनिंग उसको नहीं हुई है। जो वहां धनी लोग होते हैं वे ऐसा करते हैं कि किसानों के खेतों की मालियत को कम करा देते हैं। अब यह कहा जा सकता है कि वे अपील करें। तो अव्वल तो वह अपील का समय नहीं पाते, उनके पास पैसा नहीं है और दूसरे वे जानते ही नहीं। डायरेक्टर महोदय का ध्यान उधर गया है, उनके आदेश भी जाते हैं परन्तु उनको क्रियान्वित करने वाले जो स्थानीय कर्मचारी हैं जब तक उनके ऊपर सद्भावना की छाप न पड़े तब तक कुछ विशेष प्रगति होना संभव नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा इस अर्थ संचालित संसार में बड़ी कठिनाई है। इसमें लक्ष्मी पुत्र बनने की लोगों में बड़ी कामना है। यह भी एक कठिनाई है। तो यदि हमारे स्वयंसेवक, हम लोग अपने स्वार्थ को अलग रखकर उन निरक्षर, मूर्ख किसानों के कन्धे से कन्धा मिला कर उनकी बातों को समझें, उनके प्रश्न जो जाकर चकबन्दी में सुलझायें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमको सफलता न मिले। हम माल विभाग को आशीर्वाद देंगे कि वह कानून के द्वारा इतना बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माल विभाग चोटी का कार्य कर रहा है। इसके सब कार्यों में चकबन्दी का काम सर्वोपरि है। किन्तु हमें बहुत सोच समझ कर कुछ करना होगा। यह कोई मानहानि की बात नहीं होगी यदि विधान सभा के कुछ सदस्यों की एक समिति बनाई जाय और मंत्री जी चकबंदी पर परामर्श ले लिया करें, राज्य कर्मचारियों से तो

[श्री रामनन्दन मिश्र]

उनको परामर्श अवश्य लेना ही चाहिये क्योंकि वह तो उनके दाहिने हाथ हैं। यदि वह कभी कभी विधान सभा के सदस्यों से कि उनके क्षेत्र में चकबन्दी के सम्बन्ध में क्या हो रहा है इसके लिये उनको बुलाकर सुन लिया करें तो उनके ज्ञानार्जन में सुविधा होगी और यह जो ज्ञान है उनको जल्दी ही प्राप्त हो जायगा और उस ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर उसका परिणाम शून्य कभी नहीं होगा। मैं इन शब्दों के साथ जोरदार शब्दों में इसका समर्थन करता हूं और इसमें कोई अर्थ नहीं समझता कि यह किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला है या बिना सोचे समझे हुये यह एक परेशानी खड़ी कर दी है या इसको हम किसी दूसरी सभा में विचारार्थ ले जायं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह से कई माननीय वक्ताओं ने चकबन्दी योजना पर बातचीत की। वास्तव में जिस समय चकबन्दी का पहला विधेयक उपस्थित हुआ था उस समय सभी दलों ने इसका स्वागत किया था और आज २१ जिलों में इसकी कार्यवाही हो रही है और सुल्तानपुर तथा मुजफ्फरनगर में अंतिम कार्यवाही हो रही है लेकिन चकबन्दी का तजुर्बा देखने के बाद मुझे एक कहावत याद आती है। जगह का नाम मुझे मालूम नहीं है। उस जगह का जो लड्डू खाय वह भी पछताये और जो न खाय वह भी पछताये। जिनके चकबन्दी नहीं हो रही है वह लालायित हैं कि हमारे चकबन्दी हो और जहां चकबन्दी हो रही है वह कहते हैं कि अजीब मुसीबत में पड़ गये हैं। राजस्व मंत्री जी की नीति सारे समाज से अलग, सब विभागों से अलग तो चल नहीं सकती। जो सारी बुराइयां अन्य विभागों में हैं वह सब धीरे-धीरे इसमें आती चली जा रही हैं। माल विभाग का भ्रष्टाचार इसमें भी बढ़ता चला जा रहा है और मेरा खयाल यह है कि जितने दिन बढ़ते चले जायंगे उतना ही भ्रष्टाचार का भी बोलबाला होता चला जायगा। इसका कौन जिम्मेदार है और कौन इसकी विवेचना नहीं करता है। लेकिन जो व्यवस्था है वह यह है कि १०–५ फीसदी आदमियों के सुख सुविधा का ही ख्याल किया जाता है और ९० फीसदी आदमियों की परवाह नहीं है उसमें अच्छे से अच्छा कदम भी यदि सरकार उठाये तो भी अनर्थ होने की ही सम्भावना है।

आज हम यह देखते हैं कि गांव के स्तर पर पुलिस बड़े-बड़े भूतपूर्व जमींदारों का जो सारी जनता का १० फीसदी है एक गठबन्धन है। वे ही पुराने जमींदार चकबन्दी के अधिकारियों से भी गठबंधन कर रहे हैं जिसमें कई प्रतिशत किसान, जिनमें हरिजन भी हैं और ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन कम है वह बे जमीन के होते चले जा रहे हैं और आज लैंड-लेस लोगों की तादाद बढ़ रही है। यदि सरकार जल्दी ही सावधान न हुई तो मैं समझता हूं यह जो सरकार इतनी असावधानी से कार्य कर रही है वह इसमें अवश्य विफल होगी।

आज हम देखते हैं कि केवल १०–५ प्रतिशत लोगों के सुख सुविधा का ध्यान देखा जाता है। ९० प्रतिशत लोग बिचारे डर के मारे कुछ कह नहीं सकते हैं कि हम यह जमीन जोत रहे हैं और अगर वह कहते भी हैं तो मनमाने तौर पर प्रभाव डाल कर इन्दराज नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों से मिल कर के कई वर्षों से झूठा इन्दराज कराये हुये हैं। इससे किसानों को कम जमीन मिल रही है। जो शिकमी की वजह से या किसी और वजह से जमीन पर काबिज हैं उनको जमीन मिले इसके बजाय वह बेजमीन होते चले जा रहे हैं। रह गई इस विधेयक की बात। यह मैं कोई बुरी बात नहीं मानता कि किसी विधेयक में बार बार संशोधन हों। माननीय गेंदा सिंह जी ने भी इस बात का बुरा नहीं माना, लेकिन उन्होंने यह कहा कि संशोधन बार बार होते हैं और तजुर्बा हमारे सामने है, तो क्यों न हम उस तजुर्बे की रोशनी में सब बातों को एक समिति के सामने रख कर व्यापक रूप से इस पर विचार करें और फिर एक व्यापक विधेयक लायें, ताकि यह हर तीसरे महीने एक संशोधन बिल लाने की आवश्यकता न पड़े। उसमें पूरी तरह से वाद-विवाद के बाद पूरा एक

व्यापक चकबन्दी अधिनियम प्रस्तुत किया जाय और इसलिये उन्होंने एक प्रवर समिति की बात कही। जहां तक छोटे मोटे संशोधनों की बात है उनसे उनका कोई मतलब नहीं है।

इसमें उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का कारण धारा १५ विशेष तौर पर है और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को इस पर पूरा ध्यान देना चाहिये। मूल अधिनियम की धारा १५ पर और जब जब संशोधन होते हैं उस समय, उस पर वाद-विवाद होता है। जो संशोधित धारा इसमें रखी गई है १५, खंड २ में, उसमें भी माननीय सदस्यों को दिलचस्पी होगी और अगर उस तरफ मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं तो बेजा न होगा। इसमें अब नये प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है जैसे (ख) में है:"किसी हार विशेष में यथा संभव केवल उन्हीं खातेदारों को भूमि मिले, जिनको वहां पर पहिले से ही कोई भूमि रही हो तथा खातों की चकबन्दी के संचालक की अनुज्ञा बिना प्रत्येक खातेदार को आबादी के लिये विनिर्दिष्ट एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदिष्ट होने वाले चकों की संख्या गांवों में हारों की संख्या से अधिक न हों"। इसमें मैं शब्द "यथासंभव" की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। फिर (ग) में देखिये :"प्रत्येक खातेदार को यथासम्भव उसी स्थान पर भूमि प्रदिष्ट हो जहां उसके खाते का सबसे बड़ा भाग उसके कब्जे में हो"। फिर (घ) में, "एक ही परिवार के खातेदारों को यथासम्भव पास-पड़ोस वाले चक दिये जायें। और इसके बाद (ड) में यथाशक्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी डेस्क्रेशनरी पावर्स मनमाने तौर पर दिये गये हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छा होता कि अगर यह सब मामले किसी ऊपर के अधिकारी को रेफरेंस किये जाते। अगर वह इन मामलों को ऊपर रेफर करके करता तो अच्छा होता। इसमें ए० सी० ओ० को यह सब अधिकार दे दिये गये हैं कि वह यथा सम्भव जमीन दे सकता है और नहीं भी दे सकता है। सवा छः एकड़ का चक यथासम्भव नहीं तोड़ा जायगा और तोड़ा भी जा सकता है। तो यह इतने डेस्क्रेशनरी पावर्स दिये जा रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की मूल जड़ हैं। मैं तो सोचता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को कोई ऐसी बात निकालनी चाहिये कि इस पर कोई अंकुश हो और उस सब के बाद अगर फाइनल चक बने तो अच्छा हो।

कृषि उद्यानीकरण के बारे में यह जरूर है कि बहुत से लोग चकबन्दी को विफल करने के लिए या इस बात के लिए कि हमारा चक वहीं बना रहे, गड़बड़ी करने लगते हैं और हो सकता है कि वह धारा ४ के प्रख्यापन के बाद भी, या यह समझ कर कि यह बिल बन रहा है, कुछ संशोधन कर लिये हों, लेकिन इसके साथ ही जिन लोगों ने पहले से ही अपने खेतों में चकों में संशोधन कर रखे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा? मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उन के साथ तो यह दुर्व्यवहार हो जायगा। पहले तो उनको इस प्रकार के किसी संशोधन की बात मालूम नहीं थी, और न कोई कायदा कानून मालूम था, कि दफा ४ के प्रख्यापन के बाद हम कोई उन्नति नहीं कर सकते। तो इस विधेयक के पास हो जाने के बाद जिन लोगों ने अपने यहां उन्नति कर ली है, उनका क्या होगा? आगे के लिए तो ठीक है, अगर वह चकबन्दी विफल करना चाहता है, और इस उद्देश्य से वह ऐसा करता है तो उसके ऊपर आप रोक लगायें। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए।

एक इसमें यह है कि प्रतिकर मिलेगा। आपसी जमीन के अदलाव बदलाव के बाद, कुछ लोगों को उन्नति के लिहाज से या अन्य परिवर्तनों से उनको प्रतिकर मिलेगा। तो इस के लिए अगर दो आदमियों में लेन-देन की बात हो जाती तो अच्छा था। उनमें आपस में कुछ जरूरियायत होती और कुछ और सुविधा एक को दूसरा दे सकता तो अच्छा होता, लेकिन इसमें प्रतिकर के लिए सरकार अधिकार लेना चाहती है कि जिन को प्रतिकर पाना है, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दरख्वास्त करे और वह उस प्रतिकर को मालगुजारी की तरह से वसूल कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि रेवेन्यू की तरह से अगर इस प्रतिकर की वसूली होगी, तो फौरन ही गिरफ्तारी और कुर्की आदि होनी शुरू हो जायगी। अगर लेन-देन का आपसी व्यवहार होता,

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

तो काफी अच्छा रहता और अगर कुछ प्रयत्न के बाद अगर वह न देते, तो यह रहता, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं रखी गयी है। अगर उनको वसूली से रुपया नहीं मिलता है तो फिर उनकी गिरफ्तारी और कुर्की शुरू हो जायगी। इसलिए इस ऐक्ट के नियमों में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि एक या दो साल बाद या ६ महीने के बाद भी अगर वह अदा नहीं कर सके, तो उसके बाद उन से मालगुजारी की तरह से वह रकम वसूल की जाय।

अब इस संशोधित विधेयक में एक बात की श्री रामलखन मिश्र ने बड़ी प्रशंसा की कि कुछ अख्तियार संचालक चकबन्दी को दिये जा रहे हैं। चकबन्दी में एक असिस्टेंट चकबन्दी अधिकारी होता है, जो निर्णय करता है। और दूसरा चकबन्दी अफसर होता है और एक आरबिट्रेटर होता है। अब असिस्टेंट कन्सालीडेशन अफसर और कन्सालीडेशन अफसर के जरिये से जो कुछ फैसले होते हैं, तो उनको संचालक चकबन्दी मंगा सकता है और उनमें निर्णय कर सकता है। यह किस प्रकार सम्भव हो सकता है कि वह ५२ जिलों से इन केसेज को मंगायेगा और अगर वह केसेज को मंगायेगा तो उसके ऊपर यहां से प्रेशर डालना आरम्भ हो जायगा। हम लोग भी हैं और जनता भी है, जो दबाव के लिए प्रयत्न करेगी। उसका नतीजा यह होगा कि उसका जो शासन का काम है, उसको करने में वह असमर्थ हो जायगा। मैं यह समझता हूं कि जो व्यवस्था पहले थी, उसी को रहने दिया जाय और अब संचालक चकबन्दी को यह अधिकार देना मुनासिब नहीं होगा। इसमें पक्षपात की सम्भावना हो सकती है और उस बेचारे की मुसीबत आजायेगी। संचालक चकबन्दी के कोई माने नहीं रह जायेंगे, अगर उनको यह अधिकार दिया जायगा। दूसरे ऊंचे सरकारी अधिकारी हैं जो फैसला दे सकते हैं। इसलिए उनको यह जिम्मेदारी नहीं देना चाहिए।

यहां पर हिसाब किताब की बात कही गयी, मैं नहीं समझता हूं कि इस रुपये को किसानों से वसूल किया जाय। सरकार के पास कन्सालीडेशन फन्ड है, जितने रुपये की सरकार को जरूरत हो, वह इस खजाने से लिया जा सकता है। हम लोगों को बराबर इस बात की शिकायत रही है कि ४ रुपया प्रति एकड़ जो लिया जाता है, वह नहीं लिया जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि किसानों के ऊपर इस चकबन्दी का बेजा बोझ न पड़े। एक बात श्री द्वारका प्रसाद मौर्य जी ने अच्छी कही कि चकबन्दी अधिनियम में इस बात की व्यवस्था की जाय कि नहरों के निर्माण के लिए भी सार्वजनिक भूमि मान कर उसको अलग करके चकबन्दी की जाय। पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहरों का विस्तार बढ़ रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि खेतों का चक बढ़ाया जाय, लेकिन इस किस्म का संशोधन जो लाया गया है, उस पर राजस्व मन्त्री जी ने पूरा विचार नहीं किया है। अगर राजस्व मन्त्री जी से यह आश्वासन मिल जाय कि जहां पर चकबन्दी होने वाली है, वहां पर नहर की जमीन और मकान बनने वाली जमीन को चकबन्दी के अन्दर नहीं लिया जायगा, तो सभी से हिस्सा रसद ले लिया जाय तो लोगों की रुचि बढ़ जाय।

जहां तक सेवासिंह जी ने कहा कि २७७ रुपये प्रति किसान की आमदनी हो जाय तो वे राजस्व मन्त्री जी को डोली में बिठाकर ले जायेंगे, लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि अगर ऐसा हो जाय तो यह खुशी की बात है लेकिन हम तो वह समय देखना चाहते हैं जब सब लोग सुखी और सुविधा का जीवन व्यतीत करें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी के सामने अपने सुझाव पेश करता हूं और आशा करता हूं वह इनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं मालमन्त्री द्वारा लाये गये संशोधन विधेयक, का समर्थन करता हूं। खेतिहरों के खेतों की पैदावार को बढ़ाने के लिये हमारे प्रदेश में जितनी योजनायें बनायी गयी हैं, मैं समझता हूं उनमें से चकबन्दी की योजना सब से महत्वपूर्ण है। यह कानून करीब ३ साल हुए तब पास हुआ था, उसके बाद दो

संशोधन छोटे-छोटे और आ चुके हैं उनके जरिये से जो खामियां मालूम पड़ीं थीं, उनको दूर कर दिया गया है। अब यह तीसरा संशोधन है जो सदन के सामने पेश किया गया है। आम तौर पर संशोधन विधेयक की धाराओं को हम दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं।

एक तो धारा ९ के बाद बटवारे के सिलसिले में है यानी यह कि रिकार्ड दुरुस्त हो जाने के बाद जो बटवारे की दरख्वास्तें होनी हैं, उसके लिये २१ रोज की म्याद रखी गयी है जिसके बाद बटवारे की दरख्वास्तें नहीं हो सकती। इसके सिलसिले में जो पहले कानून था, उसमें बहुत काफी सहूलियत अब मिलने की आशा है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जैसे नियम हैं, वैसा होता नहीं है। जैसा कि माननीय रामलखन जी ने कहा कि लोग कायदे कानून को कम जानते हैं। उनकी जो पब्लिसिटी होनी चाहिए वह नहीं होती है। इसलिए गांवों के लोग उसको नहीं जान पाते हैं और अपने अधिकारों को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। मेरी दरख्वास्त है कि जहां कहीं यह कार्य शुरू किया जाय तो पब्लिकेशन्स के सम्बन्ध में जो नियम हैं उनका पूरे तौर पर पालन किया जाय, ताकि उनकी इत्तिला गांव वालों को हो सके और वे लोग उनसे फायदा उठा सकें।

दूसरा भाग इस विधेयक का यह है कि कुछ दिक्कतें इस सम्बन्ध में देखने में आईं और वह यह कि चकबन्दी की कार्यवाही के दरमियान में लोग हस्तान्तरण कर लेते थे उस से दिक्कतें होती थीं, और उस से चकबन्दी की मंशा ही खत्म हो जाती थी। इस सम्बन्ध में यह जो नया संशोधन किया जा रहा है, उसमें यह है कि भूमिधर या कोई खेतिहर चकबन्दी के दौरान में या जब तक चकबन्दी हो, उसको यह अख्तियार नहीं होगा कि वह उस भूमि को किसी और प्रयोजन के लिए काम में लाये अथवा यह कि अपना अधिकार हस्तान्तरित करे।

मौजूदा चकबन्दी का जो कार्य चल रहा है, उसमें काश्तकारों को जरूर कुछ दिक्कतें हैं। जो दिक्कतें माननीय सदस्यों ने कहीं, उनके बारे में सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। जहां तक छोटे-छोटे काश्तकारों का सम्बन्ध है, जिनको हम अधिवासी कहते हैं, अधिकतर उन्हीं को दिक्कतें हो रही हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनके नाम का इन्दराज अक्सर खातों में नहीं होता। उनको गांवों के अन्दर यह मुश्किल हो जाती है कि शहरों से पैरवी करने के लिए वकील ले जाने होते हैं। वहां पर इसलिए उनको दिक्कत होती है। इसलिए वे पुराने जमींदारों के मुकाबले में ठहर नहीं पाते हैं। इसलिए सरकार को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसानों को यह ज्ञात हो जाय कि उनके क्या अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने पहले ऐसा रक्खा था कि कोर्ट फीस की चकबन्दी में माफी रहेगी, और हमें आशा थी कि किसानों को बिना पैसा दिये हुये खेतों के इन्दराज की दुरुस्ती के बारे में सहूलियतें मिल जायेंगी। लेकिन अब जैसा कि चल रहा है, दो दो बिस्वा के लिए काश्तकार को लड़ना पड़ रहा है। तो अगर वह हर एक खेत के लिए अपना दावा करें, हर खेत के लिए नकल लें और हर खेत के लिए अलग से टिकट लगावें और कोर्ट फीस लगावें, तो इस तरह से जहां उनको और दिक्कतें होती हैं, वहां एक यह भी दिक्कत है और सरकार को इस कोर्ट फीस के सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए और इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ करना चाहिए ताकि छोटे किसानों को कुछ राहत मिल सके मेरे गांव में जो किसान रहते हैं वह इस कानून से बहुत अनभिज्ञ हैं और उन को उसका पूरा ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार के बड़े अधिकारियों का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह गांव में जायं, और वहां के लोगों को समझावें।

श्री चरण सिंह—अगर माफ करें तो मैं कहूं कि जिन्होंने इस को पास किया है, असेम्बली के मेम्बरान को ही इस कानून का ज्ञान नहीं है।

श्री राजाराम मिश्र—जो ए० आर० ओ० साहबान हैं वह ज्ञान तो रखते हैं, लेकिन फिर भी वह उसका ठीक उपयोग नहीं करते और अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि शुरू-शुरू में तो उन्होंने बहुत काफी ईमानदारी से काम किया

[श्री राजाराम मिश्र]

और उन को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब साल भर के बाद उन की काफी शिकायतें दिखायी पड़ती हैं और इस सम्बन्ध में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो लोगों को काफी परेशानी हो जायगी. और किसानों को जो जमींदारी अबालिशन द्वारा या सीरदारी के हक अधिवासियों को देकर सरकार ने लाभ पहुंचाया है, वह नहीं पहुंच सकेगा और वह उस से वंचित रह जायेंगे। जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है उसको बिना किसी विरोध के जल्द से जल्द पास होना चाहिये ताकि दुश्वारियां कमियां दूर हो जायं। जो और शिकायतें और खामियां हैं उन को दूर करने की तरफ सरकार को कोशिश करना चाहिए और मुमकिन हो तो एक कमेटी के द्वारा जांच कराके देखें कि इस में है क्या जितनी भी अधिकारियों या अफसरों की शिकायतें हैं उन के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही होना चाहिए।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना लचीला कानून है कि जिसका, प्रयोग हमारे सूबे में हो रहा है और जिस के सम्बन्ध में हमारी सरकार भी इतनी सतर्क है कि जब वह आवश्यकता समझती है, तो उस में एक संशोधन उपस्थित कर देती है. और यह भी एक बहुत ही शुभ लक्षण है और सरकार को मैं उस की इतनी सतर्कता के लिए बधाई देना चाहता हूं। जब भी वह कानून में किसी कमी को अनुभव करती है. तो वह उस में कोई न कोई संशोधन ला देती है जिस से किसानों का हित होता है। मौजूदा संशोधन भी इसी दृष्टि से आया है। सरकार के अनुभव में या सरकारी अहलकारों को काम करने के तरीके में जो दिक्कतें महसूस हुई हैं, उन को दूर करने की दृष्टि से यह संशोधन उपस्थित किये गये हैं। मुख्यतः तो जमीनों के तबादले का विषय है या जो खेती के अलावा दूसरे कामों में खेतों का उपयोग होता है उस सम्बन्ध में जो दिक्कतें सरकारी अहलकारों को हुईं उन को नजर में रखकर यह संशोधन विधेयक लाया गया है। इस में सरकार ने अपनी दिक्कतों को ध्यान में रखकर संशोधन पेश किये हैं लेकिन अगर किसानों की दिक्कतों को भी साथ ही ध्यान में रखकर संशोधन उपस्थित किये जाते, तो जनता को शायद और आराम और सन्तोष होता। जो मौजूदा संशोधन पेश है, उस में वार्षिक रजिस्टर के साथ जो नकशे आदि का सुधार है, उस से वास्तव में किसान का लाभ होगा लेकिन जब से यह कानून अमल में लाया जा रहा है अपने जिले में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जहां चकबन्दी कानून लागू हुआ है, वहां १०७ बटा ११७ के मुकदमों की भरमार हो गयी है और बहुत से ऐसे मुकदमे चल रहे हैं कि जो भी भूतपूर्व जमींदार जरा शिकायत कर देते हैं तो गरीब काश्तकारों को जो काबिज हैं मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। इस संशोधन में सरकार ने पशुचर भूमि को चकबन्दी के अन्दर शामिल कर लिया है। पशुचर भूमि के सम्बन्ध में फैजाबाद जिले में पचासियों मुकदमे चल रहे हैं। उन्हें एक तो पुलिस केस लड़ना पड़ता है, दूसरे कन्सालिडेशन का केस लड़ना पड़ता है। माल विभाग और पुलिस विभाग का कोई सहयोग नहीं चल रहा है। शुरू से ही गांव के अन्दर जो लोग जोर जुल्म करते हैं, जबरदस्ती करते हैं या चकबन्दी के काम को सुचारुरूप से चलाने में बाधा पहुंचाते हैं. माल विभाग की तरफ से उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जाती ताकि पुलिस कार्यवाही कर सके। अकेले गरीब लोगों को ही इन जालिमों से मुकाबिला करना पड़ता है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसके सम्बन्ध में अगर माल विभाग चाहे तो वह काश्तकारों की मदद कर सकता है और जहां भी किसान बिला वजह झूठी दरख्वास्तों पर फंसाये जा रहे हैं उससे उनको छुटकारा दिलाया जाय। पंचायतों में भी यही नतीजा हुआ है कि जहां गांव सभापति बन गये हैं, उन पर १०७ के मुकदमें चल रहे हैं।

सबसे बड़ी दिक्कत जो काश्तकारों को इस कानून के अन्दर है वह यह है कि इस कानून के अन्दर एक प्राविजन है कि इस तरह के मुकदमे आपसी समझौते से हल कर दिये जायं। अगर समझौतों से मुकदमें तै हो जायं तो बहुत सी दिक्कतों से हम सब बच जायं और बहुत सा समय बच जाय लेकिन इन समझौतों में काश्तकारों को ही त्याग करना पड़ता है, अपनी आधी भूमि से मुक्त हो जाना पड़ता है, तभी समझौता हो पाता है। जब मुकाम पर जा कर तमाम

सबसे दुर्भाग्य का काम होता है जब [illegible] होती है तो सरकारी अहलकारों को निश्चयपूर्वक पता मालूम होता है कि इस खेत पर किसका कब्जा है लेकिन समझौते के आधार पर बहुत से किसानों को भूमि से वञ्चित होना पड़ रहा है। जिस प्रकार समझौता कराया जाता है, उससे मजबूत [illegible] पार्टी के लोग अधिक संख्या में मौजूद होते हैं और काश्तकारों को आने से रोका जाता है। कहा जाता है कि केवल उसी काश्तकार को आना चाहिए जिसका मुकदमा चल रहा है। यह अदालत है, पब्लिक मीटिंग नहीं है। यहां पर भीड़ की जरूरत नहीं है। वह काश्तकार ऐसे लोगों से घिरा हुआ होकर बयान देता है तो उसे बयान देने में बड़ी कठिनाई होती है। उन्हें इस तरह से बतलाया जाता है। एक विचित्र बात और उन से कही जाती है कि समझौता करो नहीं तो चक मिलने के बाद चक से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि इधर उधर चक मिलना चाहिए, चक से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। मेड़ के बाहर नहीं निकल पाओगे। सरकारी अहलकारों के सामने ऐसी धमकी दी जाती है और उसका कोई उत्तर नहीं होता तो किसानों की हिम्मत टूट जाती है। जिलाधीश की तरफ से एक विज्ञप्ति निकली है, जिसमें तमाम बातें बतलाई हुई हैं कि इतने-इतने मौके काश्तकार को अपील करने के मिलते हैं, इतनी-इतनी मियाद है। इसलिए किसी काश्तकार को जिलाधीश या चकबन्दी अधिकारी के पास अपील करने की कोई जरूरत नहीं है। इस सरकारी विज्ञप्ति के जरिये किसानों को बड़ी निराशा हुई है। जब कभी डिप्टी कमिश्नर या उच्च अधिकारी के पास पहुंच कर दरख्वास्त दे देना था, तो कभी-कभी अच्छे नतीजे भी निकलते थे, लेकिन अब इस विज्ञप्ति के अनुसार वह जिलाधीश के पास अपील नहीं कर सकेगा। फिर मियाद के अन्दर अपील करना चाहिए लेकिन व्यवहार में यह देखा जाता है कि आम तौर से उसका फैसला किसी तारीख को लिख लिया जाता है लेकिन काश्तकार को फैसला किसी और तारीख को सुनाया जाता है और जिस तारीख को फैसला लिख लिया जाता है उसी तारीख से मियाद के दिन जोड़ लिये जाते हैं। इस तरह से व्यावहारिक तरीके से कई दिक्कते हैं। इसलिए फैसला जब लिखा जाय तो जरूर उसके एक दो दिन के अन्दर फैसला सुना भी दिया जाय। किसानों को कोर्ट फीस भी लगानी पड़ती है। स्टैम्प खरीदने के लिए उनको तहसील हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है। गांव के अन्दर या नजदीक के मुकाम पर ही स्टैम्प उनको मिल जायं, वर्ना इसके लिए उनको बड़ा परेशान होना पड़ता है। इस तरीके से जो बहुत से काश्तकार इस समय हैं, जिनकी चकबन्दी पहले स्टेज पर है और बहुत सी जगह पर तीसरी स्टेज पर हैं। कहीं-कहीं अहलकार बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और कहीं-कहीं पहले ही स्टेज पर पड़े हुए हैं। उनके अन्दर जहां विलम्ब हो रहा है, उसका क्या कारण है, यह समझने की बात है। इसमें दो राय भी हो सकती हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जो सरकारी अहलकार कार्यक्षम हैं अगर उनसे देरी होती है, तो इसलिए कि वह काश्तकारों को घूसखोरी या दूसरे प्रकार से परेशान करने के लिए देर किया करते हैं अन्यथा स्पाट पर जाने से उनको निश्चित ज्ञान हो जाता है कि किस खेत पर किस का कब्जा है। अगर न तजुर्बेकार अहलकारों से देर होती है तो दूसरी बात है, लेकिन जो कार्यक्षम अहलकार हैं अगर उन से विलम्ब होता है तो उस विलम्ब को यही कहा जा सकता है कि जान बूझ कर विलम्ब किया जा रहा है। और हम जानते हैं कि कार्यक्षम अहलकारों के यहां देरी हो रही है, इस सम्बन्ध में सरकार को सतर्क होना चाहिए कि कौन किस प्रकार से काम कर रहा है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय माल मंत्री द्वारा प्रस्तुत चकबन्दी तृतीय संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, चकबन्दी योजना भूमिक्रान्ति का प्रमुख अंग है। अब तक प्रान्त के २१ जिलों में इसका कार्य आरम्भ हो चुका है। उन २१ जिलों में से सौभाग्य से मेरा जिला भी आता है और जिला ही नहीं बल्कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी यह कार्य गत जून से चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की है कि इस योजना को निकट से निकट जाकर देखूं। इसी आधार पर मुझे जो अनुभव हुए हैं मैंने उन्हीं पर अपने तमाम मित्रों के भाषणों को समझने की कोशिश की। चकबन्दी के लिए मेरे

[श्री महीलाल]

सभी साथियों की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है। मैं नहीं समझता कि वह भ्रष्टाचार जो हमारे समाज के जोड़-जोड़ में पहुंचा हुआ है उसका कुछ अंश यदि चकबन्दी में भी पाया जाता है तो वह कौन सी नयी बात है। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि भ्रष्टाचार की शिकायत सब ही ओर से हुई। लेकिन कोई ऐसा सुझाव नहीं आया कि भ्रष्टाचार किस प्रकार दूर किया जाय। मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारी चकबन्दी योजना या उसके कर्मचारी भी भ्रष्टाचार से अछूते नहीं रहे हैं। जैसा कि मिश्र जी ने स्वीकार किया कि समाज में सभी व्यक्ति आज इस दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन लक्ष्मी का प्यारा से प्यारा पुत्र बन सके। लेकिन उन्होंने भी अपने उस सुन्दर भाषण में नहीं बतलाया कि किस प्रकार चकबन्दी में होने वाले भ्रष्टाचार को या उन कर्मचारियों को लक्ष्मी का प्यारा पुत्र होने से बचाया जा सके। मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने उन साथियों को थोड़ा बताना चाहता हूं कि यदि वह वाकई चाहते ये हैं कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार न हो तो उन्हें अपने घर से निकलना पड़ेगा। और घर से नहीं बल्कि अपने दूसरे सब कार्यों को छोड़ कर पूरा ध्यान मुख्य रूप से इसी कार्य पर देना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे गांव के रहने वाले भोले-भाले किसानों में से अधिक लोगों को और खास तौर से उन छोटे किसानों को जिनके हित की बात हम सभी सोचते हैं कुछ लाभ पहुंचे तो हमें सतत प्रयत्न इस बात का करना पड़ेगा कि हम अधिक से अधिक समय उनके बीच में बितायें। मेरा अपना यह अनुभव है कि जब तक मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया लगातार निर्वाचन क्षेत्र की ओर से असंख्य शिकायतें आती रहीं। परन्तु जब मैंने दूसरे साथियों के सहयोग से इस ओर ध्यान दिया तो आज मैं यह अभिमान के साथ कह सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वे शिकायतें जिनका शिकार आज हमारा माल विभाग ही नहीं बल्कि सभी सरकारी मशीनरी है चकबन्दी के कर्मचारी उससे कहीं ऊपर मिलते हैं। यह ठीक है कि मेरे जिले के कुछ लोगों को उनके पदों से हटाना पड़ा, उसमें दो नायब तहसीलदार भी हैं, चकबन्दीकर्त्ता भी हैं, तथा नीचे के लोग भी हैं लेकिन उनके हटाने के लिये हमें उन लोगों को उन्हीं के पैरों पर खड़ा करना पड़ा जो पुराने जमींदारों व दलालों के कारण गवाही देने से घबराते थे। हमें उनके बीच में जाकर उनको शक्ति देनी होगी। उन छोटे किसानों के बीच में जाकर जिनके भले की बात हम कहते हैं, जिनके लिये हम सोचते हैं केवल मौखिक रूप से सहानुभूति दिखाने से या सदन में खड़े होकर उनके लिये कुछ कह देने से भला नहीं होगा। अकेले माल मंत्री या सरकार के दूसरे अधिकारी कितना ही प्रयत्न करें जब तक जनतन्त्र में जन प्रतिनिधियों का या जनता के दूसरे जिम्मेदार लोगों का सहारा नहीं मिलेगा तब तक हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे यहां जितना अच्छा काम या जितनी ईमानदारी के साथ चकबन्दी का काम चल रहा है उतनी ईमानदारी यदि सही माने में हमारे सभी विभागों में आ जाय तो हममें से बहुतों को भ्रष्टाचार की बात कहने का मौका नहीं मिलेगा।

दूसरी बात माननीय गेंदासिंह जी ने पुरानी चकबन्दी योजना की कही कि सन् १९३८ या शायद उन्होंने सन् १९४८ कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भी इस योजना को चालू किया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी उस समय यह योजना चालू हुई थी और करीब ३, ४ गांव खास तौर से इस योजना के अन्तर्गत उस समय भी लिये गये थे और उसी का नतीजा यह हुआ कि उसी के अनुभव से जिसका जिक्र गेंदासिंह जी ने किया, इस योजना का उन्हीं ग्रामों ने खास विरोध किया और उन्हीं गांवों में खासतौर से चकबन्दी कमेटी बनाने के लिये परेशानी हुई और सब से बाद में उन गांवों में ही चकबन्दी कमेटियां बनीं। हमें इस बात का अफसोस

… कि उस वक्त की सरकार ने इस कार्य को ऐसे ढंग से शुरू किया था जिसकी वजह से हमारी इस मौजूदा योजना को भी जो कि बहुत कुछ हमारे गांवों के चुने हुए प्रतिनिधियों पर निर्भर है, उसको भी धक्का पहुंचा और आज उस समय की कठिनाइयों को जिस तरह से दूर किया गया उसका फल यह है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र की … की एक तहसील में जो कि दूसरे जिले में है चकबन्दी शुरू हुई तो वहां चकबन्दी कमेटी बनने, पड़ताल और नक्शे इत्यादि की दुरुस्ती का काम जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में करीब तीन महीने हुआ उस बिसौली तहसील में एक या डेढ़ महीने में ही पूरा हो गया। अभी मुझे इस हाल की छुट्टियों में उस तहसील में भी जाने का मौका मिला। मैंने वहां के किसानों में भी सन्तोष पाया और मुझे यह देख कर खुशी हुई कि वहां के किसान भी उस जगह आना चाहते हैं जिस जगह उनके पड़ोस की तहसील छः महीने काम शुरू होने के पहले आ पायी है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ४५२ गांव हैं। करीब ८७ गांव ऐसे हैं कि यहां चकबन्दी के उसूलों के मातहत चक तक तय हो चुके हैं। मैं यह कहूंगा कि जहां माननीय गेंदा सिंह जी यह चाहते हैं कि सभी लोग सन्तुष्ट हों, तो सब लोग तो सन्तुष्ट हो नहीं सकते। उनको सुनकर ताज्जुब होगा कि छोटे किसानों में से कुछ ने यह शिकायत की कि जहां हमारे खेत हैं वहीं हमको मिलने चाहिए नहीं तो हमारे खेत उजड़ जायंगे। बड़े किसान यह चाहते हैं कि गांव के करीब की ही जमीन मिल जाय। तो न छोटे किसान सब सन्तुष्ट हो सकते हैं और न बड़े किसान। जैसा कि वह स्वयं जानते हैं और हमारे माल मंत्री जी ने भी बार बार दुहराया है कि भूमि से किसान को मोह है। उसे छोड़ते हुये चाहे उसके बदले में उसे कितनी ही अच्छी भूमि क्यों न मिले एक मानसिक परेशानी होती है जिसकी वजह से सब लोगों का सन्तुष्ट होना एक दृष्टि से असम्भव सा है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने यहां कुछ बात भूमि वितरण की और हरिजनों के सम्बन्ध में भी कही जिसका चकबन्दी से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक भूमि वितरण या छोटे किसानों को भूमि देने की बात है, मैं उनसे ज्यादा नहीं तो कम भी सहानुभूति भूमिहीनों से नहीं रखता हूं। मैं भी चाहता हूं कि भूमि का वितरण होना चाहिए, मैं भी, चाहता हूं कि भूमिहीनों को भूमि मिलनी चाहिए लेकिन चकबन्दी से उसका क्या सम्बन्ध है यह मेरी समझ में नहीं आया। इसके अतिरिक्त गांव वालों के नासमझ होने की बात कही गई। यह ठीक है। गांव वाले क्या यह तो कुछ सोचने का तरीका है। उस पर हम अपने ही को क्यों दोष दें कि हम गांव वाले ही इस तरह से सोचते हैं, कुछ शहर वालों के सोचने का तरीका भी इसी तरह का है। अभी उदाहरण के तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टैक्स की बात ले लीजिए। सेल्स टैक्स का सम्बन्ध उपभोक्ता से है यह सब को मालूम है उसका दूकानदार से क्या सम्बन्ध। क्षमा करेंगे आप, दूकानदार से इतना सम्बन्ध तो है कि यदि वह खरीदार से १५ हजार काटता है तो सरकार को केवल दस हजार ही देता है, पांच हजार बचा लेता है, लेकिन आज वह ज्यादा शोर मचाते हैं। इसी तरह यह इस तरह की बात है कि हमारे सोचने का ढंग और तरीका कुछ अनोखा है। हम वास्तविकता से अलग सोचते हैं। जो लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचार अलग हो उन्हें खुद कुछ लोगों की बुराई मोल लेनी पड़ेगी, कुछ लोगों के यहां की दावतें छोड़नी पड़ेंगी और गांवों में जाने पर ऊंचे-ऊंचे मकानों को छोड़ कर झोपड़ियों में बैठना पड़ेगा। क्योंकि भ्रष्टाचार का अधिक प्रभाव झोपड़ियों पर ही पड़ता है। झोपड़ी वालों का ही शोषण किया जाता है, लेकिन हम जाकर बैठते हैं ऊंचे-ऊंचे मकानों पर और चाहते हैं कि शोषण दूर हो जाय।

मैं इसके लिये ज्यादा न कह कर दो तीन मुख्य बातों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके कर्मचारियों में अमीनों से लेकर नायब तहसीलदारों तक आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने आपकी

[श्री महीलाल]

इस योजना में दिन और रात लग कर काम किया है। यदि आपको उनके पदों से ऊपर कुछ नियुक्तियां करनी हों तो मेरी राय यह है कि आपको अपने उन ईमानदार और प्रशंसनीय कर्मचारियों को मौका देना चाहिये जिन्होंने अपनी योजना को सफल बनाने में दिन-रात एक किया है। ऐसा मैं नहीं मानता कि नीचे स्तर के लोग सब बेईमान होते हैं। सभी अमीन बेईमान हैं इसलिए उनको कानूनगो नहीं बनाना चाहिए, सभी कानूनगो बेईमान हैं इसलिए उनको नायब तहसीलदार नहीं बनाना चाहिए, सभी नायब तहसीलदार बेईमान हैं इसलिए उनको तहसीलदार नहीं बनाना चाहिए यह चीज ठीक नहीं है। मेरे पास तो इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि मेरे ही पड़ोसी जिलों में जहां कि सेटिलमेंट आफिसरों की वजह से ही चकबन्दी योजना कामयाब नहीं हो सकी यह बेईमानी और भ्रष्टाचार कोई नीचे स्तर वालों पर निर्भर नहीं करता। ऊंची तनख्वाह वालों में भी ऐसी मिसालें मिली हैं कि वह अपनी बेईमानी की वजह से अपने पदों से हटाये गये हैं।

दूसरी बात मैं यह आपसे कहना आवश्यक समझता हूं कि जैसी हम उम्मीद करते थे कि कम खर्च और थोड़े वक्त में हमारे इन्दराजात के झगड़े या दूसरे चकबन्दी के मुकदमे तय हो जायंगे। मेरा अनुभव ऐसा है कि हमारे तहसीलदारों ने सैकड़ों तारीखें एक-एक मामले के लिए रखी हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा हमारे किसानों को भी अपने वकीलों को ले जाकर थोड़ी-थोड़ी जमीन के लिए अपना सर्वस्व नष्ट करना पड़ा है और वह जमीन जो किसी प्रकार उन्होंने पायी है उसके मूल्य से कहीं ज्यादा वकीलों के मेहनताने में खर्च करना पड़ गया है। आपको इस कठिनाई को दूर करना चाहिए और जो उद्देश्य और आदर्श हमारे सामने चकबन्दी को बनाते समय था उसके पालन के लिए इस बुराई को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री चरण सिंह—कांस्टीटयूशन को दिल्ली जाकर बदलना होगा।

श्री महीलाल—मैं समझता हूं कि इसके लिए कांस्टीटयूशन को बदलने की जरूरत नहीं है। आप अपने तहसीलदारों के लिए यह हुक्म दीजिये कि वह एक दिन में बजाय २० मुकदमे सुनने के केवल दो सुनें, लेकिन एक दिन में एक मुकदमे को पूरा कर दें और दोनों वकीलों से कहिये कि वे पूरे सबूत और सफाई लेकर आयें और कम से कम किसान को एक ही दिन मेहनताना देना पड़े। ऐसा न हो कि १० तारीखें लगा दीं और १० को बुला लिया और ८ को बेकार ही मेहनताना देना पड़े।

श्री चरण सिंह—मैं तहसीलदार की नहीं वकील के मेहनताने की बात कह रहा था।

श्री महीलाल—मैं यह भी नहीं कहता कि वकीलों को मेहनताना बिल्कुल न दीजिए, लेकिन जो मैंने कहा वह तो आप कर ही सकते हैं।

इसके अलावा मैं आपके जरिये माननीय माल मंत्री को चकबन्दी के लिए, जितने अच्छे ढंग से उसका कार्य-संचालन हो रहा है, बधाई देता हूं और जिन संशोधनों को मैं व्यावहारिकता में आवश्यक समझता हूं उनके लिए भी बधाई देता हूं। उदाहरण के तौर पर तालाब को चकबन्दी से निकाल देने की बात है। मेरे पास इस तरह की शिकायतें आई कि बहुत से गांवों में किसानों को उनकी अच्छी जमीन लेकर तालाब देने की कोशिश की गयी। अगर हम तालाब और गहरी झील की जमीन को चकबन्दी से निकाल देंगे तो कम से कम ऐसे छोटे किसान जिनके साथ इस किस्म की नाकामयाब कोशिश की जा रही है वह उससे बच जायंगे जब कि यह संशोधन हो जायगा।

इसके अतिरिक्त मैं आपका ध्यान अपनी उसी पुरानी बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि आबादी के लिये जमीन पाने में खास दिक्कतें सामने आ रही हैं और वह यह है कि चकबन्दी अधिनियम इस आधार पर बना कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही काम किया जाय लेकिन प्रान्त की परिस्थितियों में हमारे लिये यह भी आवश्यक है कि हम इन गांवों में बसने वाले ऐसे लोगों को जो जबान होते हुये भी बोल नहीं सकते। जो इंसान होते हुये इंसानी अधिकार नहीं पा सकते। हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा, सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा उनको जितना भी आराम मिल सके उतना अच्छा है। मैं इन शब्दों के साथ प्रस्तुत संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। श्रीमन्, इस विधेयक के समर्थन में उधर के बैठने वालों में से कई माननीय सदस्यों के व्याख्यान हुये हैं। दो व्याख्यान माननीय महीलाल जी और माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य के विशेष रूप से विचारणीय हैं और श्रीमन्, ताज्जुब होता है कि स्वागत करते-करते वही बात कह दी जाती है कि जो इधर के बैठने वाले कहा करते हैं। इसका क्या अर्थ लगाया जाय। स्वागत के बाद शिकायत। शिकायतें ठीक हैं या स्वागत किसको माना जाय? माननीय महीलाल जी ने नेता विरोधी दल के संबंध में तो यहां तक कह दिया कि केवल मौखिक बातें करने से काम न चलेगा, सही बातें कहने का कुछ आधार होना चाहिये। श्रीमन्, उसके बाद स्वयं महीलाल जी कहते हैं कि हमको शिकायत मिली है कि अच्छी जमीन लोगों की लेकर तालाब वगैरह चोरों को बांट दिये गये हैं।

श्री महीलाल—बांटने की असफल कोशिश की गई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—असफल कोशिश की गई न, कोशिश की गई यही तो शिकायत है। अगर महीलाल जी जैसे आदमी काश्तकार हों तो कोशिशें असफल अवश्य हो सकती हैं लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि जैसा फैजाबाद के मेरे दोस्तों ने कहा अगर वह बात सही है तो क्या कहा जायगा? श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि यदि चकबन्दी योजना सही रूप से स्थापित कर दी जाय तो उससे किसानों को लाभ हो सकेगा लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इस चकबन्दी योजना से उन किसानों को कोई लाभ वास्तव में हो रहा है जिनके लिये आपने इस सदन में कानून बनाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तारीफ करता हूं कि राजस्व मंत्री जी की जब जिलों में जाते हैं प्रचार में तो अपने बनाये हुये कानूनों का बखान करने में थकते नहीं हैं।

मैं जानना चाहूंगा कि धारा २३२ के अन्तर्गत कितने खेत वापस किये गये शिकमी किसानों के।

श्री चरण सिंह—मैं जरा एक नुक्तये तरतीबी उठाना चाहता हूं, प्वाइन्ट आफ आर्डर। काफी गैरमुताल्लिक बातें तो शांति के साथ सुनता रहा हूं लेकिन यह तो बिल्कुल नाकाबिल बरदाश्त बात हो गयी। सेक्शन २३२ से इस चकबन्दी से क्या वास्ता? क्या मुहकमे माल की सारी खराबियां ढूंढ-ढूंढ कर इस समय कही जायंगी?

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, माननीय राजस्व मंत्री जी ने एतराज किया कि यह कहने की क्या जरूरत है। चकबन्दी हो रही है, खेत बांटे जा रहे हैं, जो शिकमी किसान हैं उनका चक बनने वाला है, सीरदार के जो खेत हैं उनका चक बनने वाला है, भूमिधर के खेतों का चक बनने वाला है। तो मैं जानना चाहूंगा कि किसका चक बनेगा? खेत का चक बनेगा या किस का चक बनेगा, यह मेरा एतराज है। अगर एतराज सही है तो माननीय राजस्व मंत्री जी को धैर्य के साथ इस बात को सुनना चाहिये। आज भी मैं कहूंगा कि माननीय राजस्व

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मंत्री जी ने बजट के संबंध में चैलेन्ज दिया था नेता विरोधी दल को कि अगर भ्रष्टाचार साबित हो जाय तो मैं चकबन्दी योजना को बन्द कर सकता हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगा राजस्व मंत्री जी से कि जब वे आजमगढ़ जिले के तीन दिन के दौरे पर गये थे एक दिन सदर तहसील में जहां चकबन्दी हो रही है वहां भी प्रोग्राम था। मेरे अलावा उधर बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्य भी माननीय रास्जव मंत्री के सामने बैठे हुये थे। दस मील से दौड़ा हुआ एक किसान आया और हाथ जोड़ कर कहा कि हमने चकबन्दीकर्ता के खिलाफ बीसियों दरख्वास्तें दीं, सरकार और डी० एम० के पास लेकिन आजकल सुनवाई नहीं हुई। श्रीमन्, मुझे बहुत अफसोस हुआ मंत्री जी के उत्तर को सुन करके चौधरी जी ने कहा कि डी० एम० कहां हैं। संयोग से डी० एम० वहां उपस्थित नहीं थे। अन्त में मंत्री जी ने उस तहसील के एस० एल० ए० श्री शिवराम राय को हुक्म दिया कि इसको ले जाकर डी० एम० के यहां पेश कीजिये और जानिये कि सही बात क्या है। श्रीमन्, जब सरकार के मंत्रीगण इस प्रकार के दौरे पर जायं और किसान दौड़ कर दस मील से आये और निवेदन करें तो माननीय राजस्व मंत्री जी को जानना चाहिये था कि सही बात क्या है। उस चकबन्दीकर्ता को बुलाना चाहिये था और पूछना चाहिये था कि सही बात क्या है। मैं आपसे कहना चाहता हूं श्रीमन्, कि उस चकबन्दी कर्ता के खिलाफ कोई शिकायत जांच करने वाले राजस्व मंत्री के अफसर सही नहीं पाये हैं और उस गांव के पास जहां का रहने वाला वह किसान था एक बहुत बड़ी विशाल सभा में मैं गया था, उस चकबन्दी कर्ता के विरुद्ध सैकड़ों शिकायतें मिलीं। मैंने स्वयं उसके विरुद्ध पत्र लिखा था मंत्री जी को लेकिन कुछ नहीं हुआ। मै फिर निवेदन करूंगा राजस्व मंत्री जी से कि जिले के अधिकारियों को छोड़ें और सचिवालय में काम करने वाले जो अफसर उनके हैं उनमें से एक को भेजें तो पता चलेगा कि हम लोगों की शिकायतें कहां तक सही हैं। हांसापुर गांव के पास एक शायद छतरपुर गांव है। वहां पचासों वर्ष के शिकमी किसान हैं जिनके कब्जे में खेत हैं लेकिन चकबन्दी कर्ता ने उनके खिलाफ पड़ताल की और फैसला हुआ। जाली मुकदमे चलाये गये। श्रीमन्, अगर मैं यह कहूं कि घूसखोरी होती है तो शायद गलत न होगा, पचासों वर्ष के पुराने किसानों को यकायक चकबन्दीकर्ता ने खत्म कर दिया। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि क्यों ऐसा हुआ? कहा जाता है कि हमारे अफसर बहुत ईमानदार हैं। श्रीमन्, कौन ऐसा आदमी होगा इस सदन में बैठने वाले कौन ऐसे माननीय सदस्य होंगे जो सारे अफसरों को बेईमान कहेंगे। लेकिन श्रीमन्, यह भी कहना ठीक नहीं है कि सभी के सब अफसर ईमानदार हैं। जो तालिका यहां पर इस विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है वह स्वयं इस बात को साबित करती है कि चकबन्दी में घूसखोरी हो रही है और कितनी शिकायतें आयीं और कितनी सही पाई गई। श्रीमन्, आपको याद होगा कि अब से दो तीन साल पहले हम जब यह कहा करते थे कि इस प्रदेश में बहुत गलत इंद्रीज है तो राजस्व मंत्री जी कहा करते थे कि आप लोग झूठ कहते हैं, गलत कहते हैं और मुख्य मंत्री जी यहां पर कहते थे कि आजमगढ़ जिले में रामसुन्दर पांडेय ने गलत इंदराज का आन्दोलन जो किया है वह छोटी और बड़ी जाति का झगड़ा है। हमने उनके चैलेंज को स्वीकार किया और आन्दोलन हुआ और हमारी पार्टी के सैकड़ों साथी और किसान जेल में बन्द हुये और जुरमाने हुये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारी बात सही निकली या आपकी बात सही निकली। क्या इन्दराज गलत नहीं पाये गये यह तालिका साबित करती है कि जिन २१ जिलों में चकबन्दी हो रही है वहां पर ४४ लाख गलतियां पाई गई। वह किसी तरह की गल्तियां हों लेकिन पाई गई। आजमगढ़ जिले में जिस तहसील में चकबन्दी हो रही है उसमें तीन लाख से अधिक गल्तियां पाई गई हैं। मैं उनसे यह कहूंगा कि वह इस चैलेंज को बदलें कि घूसखोरी नहीं हो रही है। घूसखोरी हो रही है श्रीमन्, और मंत्री जी कुछ दिनों के बाद इसको स्वीकार करेंगे कि घूसखोरी हो रही है।

मैं राजस्व मंत्री जी की नियत पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं लेकिन इस सरकार का यह तरीका है कि पीछे से यह स्वीकार करती है जब कि इस की गल्ती से लाखों रुपये का नुकसान हो जाता है। इसमें कई जगह कत्ल हुये, मुकद्दमेबाजी हुई, अगर सरकार ने स्वीकार कर लिया

[illegible] इसके [illegible] कुछ [illegible] नहीं होगा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सिकमी [illegible] के लिये जो कानून बना है और चकबन्दी में कुछ धारायें हैं जिनमें लाभ नहीं हो रहा है उधर भी जरा मंत्री जी गौर फरमायें। १३५९ फसली के सिकमी काश्तकारों को [illegible] का हक दिया गया, २३२ का हक दिया गया लेकिन ११५ (सी) में बेदखल हो रहे हैं। [illegible] बेदखल हो रहे हैं इसको मंत्री जी को देखना चाहिये। रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला किया कि भूमिधरी का हक सुप्रीम है लेकिन उधर बेदखल हो रहे हैं। जिन किसानों को [illegible] के अधिकार मिले हैं उन किसानों को कोई लाभ नहीं होने वाला है, जो हो रहा है।

श्रीमन्, इस संशोधन की ओर मैं आपका तथा सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। [illegible] जी ने नेता विरोधी दल के लिये कहा कि उन्होंने यह विधेयक पढ़ा नहीं है। श्रीमन् मैं कैसे कहूं कि मौर्य जी ने नहीं पढ़ा। इसका फैसला श्रीमन् करें। उन्होंने स्वागत किया इस धारा का और मौर्य जी तथा महीलाल जी समर्थन करते हैं ऐसी धाराओं का जो हमें तकलीफ होती है जब वह किसानों का हामी अपने को कहते हैं। मूल अधिनियम की धारा २८ में यह बतलाया गया था कि जब चेक हो जायगा, खेत की वापसी का सवाल आयेगा तो खेत में जो फसल होगी उसकी कीमत आंकी जायगी और उसकी कीमत लौटाई जायगी। इस संशोधन विधेयक में वह वाक्य निकाला जा रहा है। इसका संशोधन इसके खंड १३ में है कि "धारा २८ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के शब्द" फसल के प्रकार का ध्यान रखते हुये 'निकाल दिये जायं।" मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इससे घूसखोरी बढ़ेगी और छोटे किसान जिनके पास अलाभकर जोतें हैं, जिनके खेत छोटे हैं उनको बहुत नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे कि छोटे किसान जो हैं वह अपने खेत में बड़ी मेहनत से काम करते हैं, वह अच्छी फसल पैदा करते हैं और जिनके पास बड़े चक हैं वह उतना ध्यान अपनी फसल पर नहीं देते और इसलिये उन छोटे किसानों का काफी नुकसान होगा।

श्रीमन्, २९-क एक नयी धारा जोड़ी गई है। इसमें आप देखेंगे कि वसूली जो होगी वह मालगुजारी की तरह से होगी। श्रीमन्, मैं तो समझता हूं कि अगर यहां पर माननीय नियोजन मंत्री जी होते तो सरकार को विचार करने और निपटारा करने में सहूलियत होती कि आखिरकार किसान कहां से और किस प्रकार इतने सारे टैक्सों को अदा कर पायेगा ? अब तक ऐक्ट में यह नहीं था कि अग्रिम किश्तों की वसूली होगी। वसूली होगी जो व्यय होने वाला है। इस पर हमारी पार्टी को बड़ा एतराज रहा कि चकबन्दी अफसर कम किये गये, परताल करने वाले कम किये गये और उन सब का काम लेखपालों आदि पर डाला गया लेकिन व्यय वही रहा, उसमें कोई कमी नहीं हुई और जो संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत है उसमें सरकार अधिकार ले रही है कि अगर वह चाहे तो खर्चा पहले वसूल कर सकती है और उसको मालगुजारी की तरह से वसूल कर सकती है। श्रीमन्, किसान पहले कैसे खर्चा दे सकेगा और कैसे अपनी मालगुजारी अदा कर सकेगा, कैसे इन नये-नये टैक्सों को दे सकेगा जो बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके गल्ले की कीमत जो घटती चली जा रही है उसके बाद वह कैसे यह सब बरदाश्त कर सकेगा। और मैं समझता हूं कि सरकार यह सोचने में असमर्थ है।

आगे चल कर १९५० के जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के अनुसार यदि चकबन्दी हो रही हो तो चकबन्दी की धाराओं में १६—क में यह कहा गया है कि कोई अपने खेत को यदि दान देना चाहता है या विक्रय करना चाहता है तो वह बंदोबस्त अधिकारी के हुक्म से ही ऐसा कर सकेगा और श्रीमन् इसी १६-क(१) में कहा गया कि पशुपालन, उद्यानीकरण, कृषि, कुक्कुटपालन, मत्स्य पालन, संवर्धन आदि के लिये भी यदि वह खेत में काम करना चाहता है तब भी वह बन्दोबस्त अधिकारी से आज्ञा लेगा। मैं कहना चाहूंगा श्रीमन्, कि इससे भ्रष्टाचार फैलेगा और श्रीमन्, जो लोग मजबूत हैं उनको हर तरह का हुक्म मिल जायगा और जो गरीब हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं, पहुंच नहीं है, उनको हुकुम नहीं मिल सकेगा। मैं कहना चाहूंगा सरकार से श्रीमन्, आपके द्वारा कि जरा सरकार इस संशोधन विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करने के पहले इस पर विचार

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

करें, उसको ख्याल करना चाहिये किसानों का भी। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खर्चा सरकार का बढ़ रहा है और वह पैसा किसानों की गाढ़ी कमाई का उनसे बिना पूछे लिया जा रहा है लेकिन वह जरा उन जिलों में जाकर देखें कि चकबन्दी मे क्या हो रहा है ? इस बात के लिये वह किसानों से पूछें कि उनके साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है ? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे जिले आजमगढ़ में चकबन्दी हो रही है। मेरे जिले के पास जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील में चकबन्दी हो रही है और फैजाबाद में चकबन्दी हो रही है मुझे उन लोगों से मिलने का अवसर मिला है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर माननीय राजस्व मंत्री जी उस दिन के चैलेन्ज को सही मानते हैं तो किसी भी सचिवालय के ऊंचे अफसर को हम लोगों के साथ भेजें हम यह साबित करने के लिये तैयार हैं कि उनकी चकबन्दी में भ्रष्टाचार हो रहा है। श्रीमन्, जिले के अधिकारी भी भ्रष्टाचार की हिफाजत करते हैं और उसको रोकने में असमर्थ हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में जाने से बहुत देर नहीं होगी। ४,५ दिन का मौका राजस्व मंत्री जी ले लें और जिन-जिन जिलों में चकबन्दी हुई है उनके माननीय सदस्यों की सेलेक्ट कमेटी बना दी जाय जो बैठकर दिन रात इस पर विचार करें।

(इस समय ३ बजकर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

यदि श्रीमन्, आवश्यकता पड़े तो कुछ जिलों में जाकर इसका अध्ययन किया जाय। जैसे हमारे यहां स्टैंडिंग कमेटी बनी हुई है उसी तरह से इसके लिये एक कमेटी बना दी जाय जो जिलों में जाकर देखें और घूमकर देखें कि असली हालत क्या है। मै माननीय राजस्व मंत्री की नीयत पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं वह बराबर जाते है और देखते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी को चारों तरफ से ऐसे लोग घेरे रहते हैं जो सही बात जानने में बाधक रहते हैं। जिस समय बहुत से जिलों में बाहर के सदस्य जायेंगे और वह १०,२० गांव में घूमेंगे और किसानों से मिलेंगे और उनके गांवों में रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि इससे सही जानकारी प्राप्त होगी।

वैसे चकबन्दी योजना ऐसी खराब योजना नहीं है कि जिसका हमारे दल के लोग विरोध करें। हम तो इस योजना का तहेदिल से समर्थन करते हैं। आज जो विरोध हो रहा है वह तो केवल इस कारण हो रहा है कि इसमें जो कमियां हैं और उससे जो लोग सताये जा रहे हैं उसका विरोध हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सही मानों में इस योजना को सफल बनाया जाय। सही माने में अगर गरीब लोगों का लाभ करना है तो माननीय विरोधी दल के नेता का जो संशोधन है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय, इसको राजस्व मंत्री जी को स्वीकार करना चाहिये।

दूसरी प्रार्थना में यह करना चाहता हूं कि चकबन्दी के लिये एक स्थायी समिति बनायी जाय जो गांव-गांव में घूम कर देखे कि जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर वहां के अधिकारियों से वहां के किसानों का रिश्ता क्या है। यदि किसान इसका स्वागत करते हैं तो मेरा ऐसा ख्याल है कि यह योजना सफल होगी केवल उन लोगों के कहने पर जो इसके अधिकारी हैं उन किसानों पर जुरमाना कर दिया जाय तो यह उचित नहीं होगा। मैं समझता हूं इससे चकबन्दी योजना को नुकसान पहुंचेगा और सही माने में कामयाबी नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मेरे सुझाव को स्वीकार करें और उनको स्वीकार करना चाहिये। इस सुझाव को स्वीकार करके आप लोगों को प्रदेश के बनाने का अवसर प्रदान करें जिससे लोग ईमानदारी के रास्ते पर चकबन्दी में सहायता प्रदान कर सकें।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जहां तक संशोधित धाराओं का सम्बन्ध है, यह निर्विवाद है कि सदन के हर सदस्य

[illegible] चकबन्दी [illegible] मकान हुए [illegible] वह [illegible] चकबन्दी [illegible] में ऐसे स्थान में आता हूँ जहाँ चकबन्दी का काम नहीं हो रहा है [illegible] और आम [illegible] कि चकबन्दी होनी चाहिए। इस में [illegible] काम [illegible] सकेगा। सदन के कुछ सदस्यों ने बताया है कि अधिकारियों में करप्शन [illegible] है। इसमें यह भी देखना है कि अधिकारियों की क्या दिक्कतें हैं और उन्हें क्या [illegible] उठानी पड़ती हैं और उनके सामने क्या समस्यायें हैं? हमारे चकबन्दी के कर्मचारियों को [illegible] का [illegible] नहीं मिलता है। उनके रहने के लिए भी न कोई ठीक इन्तजाम [illegible] है। इसलिए जिनके यहां वे ठहरते हैं उसके दबाव में, या असर में रहते हैं। [illegible] चकबन्दी अधिकारी बनाये जाते हैं उन्हें रेवेन्यू बोर्ड की पावर दी [illegible] उन्हें चकबन्दी के काम का ज्ञान नहीं होता। उन लोगों के हाथ में लाखों आदमियों के [illegible] का निपटारा करना होता है। इसलिए जब तक वे लोग [illegible] की हालत को नहीं जानते [illegible] कि [illegible] किस [illegible] ओर [illegible] रहा है और इस बात का पता भी न लगा सके, ऐसे लोग तरह-तरह की [illegible] किया करते हैं। यह स्वाभाविक है इसलिए भविष्य में जितने आदमी चकबन्दी में लिये जावें, तब से पहले यह कोशिश होनी चाहिए कि गांव के [illegible] में से [illegible] जो इसका पता जानते हों कि कौन खेत किसके कब्जे में है या जो इसका पता [illegible] सकते हों, लोग लिये जावें। इसमें अधिक लाभ किसानों को हो सकता है। यह कहा जाता है कि चकबन्दी में जब चक बांटा जाता है उस समय बहुत बेईमानी होती है। तो जब बांट का समय आवे, उस से कुछ पहले अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाय और किसी को यह नहीं मालूम हो कि कौन अधिकारी आने वाला है, तो करप्शन कम हो जायगा। नये आदमी को कुछ दिक्कत पड़ेगी, लेकिन यदि वह चकबन्दी का काम अच्छी तरह से जानता होगा, तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

किसी गांव में चकबन्दी योजना लागू करने के लिए यह आवश्यक होता है कि गांव के लोग सारा खर्चा बर्दाश्त करें। तो क्या वजह है कि उस सिलसिले में जो नये मुकदमे उठते हैं उनसे हम से कोर्ट फीस ली जाती है? इसलिए यह बड़ा अन्याय है कि कोर्ट फीस या स्टाम्प लगाया जाय, तब हमारी अपील या निगरानी होगी। इसमें गांव वालों को बड़ी परेशानी होती है, वे नहीं जानते कि कितने का स्टाम्प और कहां लगेगा और कहां स्टाम्प मिलेगा? इस लिए कोर्ट फीस के मसले को हल करना चाहिए। यह माल मन्त्री जी से कई बार कहा भी गया है, लेकिन पता चला है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से कुछ एतराज लगता है जिस से वह मजबूर है। फिर भी मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि वह इस बात को हल करके कोर्ट फीस की समस्या दूर करें।

एक समस्या हमारी यह है कि जब कोई चकबन्दी अफसर गांव में जाता है तो उसके साथ-साथ गांव की चकबन्दी कमेटी भी रहती है, जोकि गांव के हर मसले को जानती है फिर भी करप्शन होता है। तो मेरा ख्याल है कि चकबन्दी कमेटी में तो ऐसे आदमी गांव के होते हैं जो यह पूर्णरूप से जानते हैं कि किस खेत पर किसका कब्जा है और चकबन्दी अफसर के साथ वे घूमते हैं तो फिर यह दिक्कत क्यों आती है? अगर माल मन्त्री जी कुछ ऐसा नियम बनावें कि चकबन्दी कमेटी में गांव के गरीब लोग जो कि ज्यादातर ईमानदार और सच्चे होते हैं, अगर उनकी तादाद ज्यादा कर दें, तो हमारी दिक्कत दूर हो सकती है। उन पर किसी तरह का दबाव भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे बेईमानी करेंगे तो गांव वाले उनकी मुखालिफत करेंगे। इसलिए वे बेईमानी करते हुए डरेंगे।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पब्लिकेशन करने के लिए हर तरह से कोशिश की जाती है, लेकिन उन सदस्यों ने जिनके यहां चकबन्दी चल रही है अपने तजुर्बे से यह बतलाया है कि पब्लिकेशन ठीक तरह से नहीं होता है। माननीय मन्त्री जी भी इसे कबूल करते हैं। इस पर

[श्री कमला सिंह]
यदि कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाय, अपने अफसरों के जरिये तो करे ही, परन्तु दूसरे तरीके से भी यह कराया जाय, तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि इसमें जो ज्यादा खर्चा हो, उसे बरदाश्त करने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। चकबन्दी बहुत ही बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने वाली है और इस तरह से हम करने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा और हम सबका और हमारे देश का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन का जिस पर विचार किया जा रहा है, मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने संशोधन कहा, कि प्रस्ताव कहा ?

श्री केशभान राय—माननीय मन्त्री जी ने जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीय गेंदा सिंह जी ने एक प्रस्ताव यह किया कि यह प्रवर समिति को सौंप दिया जाय और बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विषय पर भाषण किये, लेकिन मैं कोई ऐसी बात इसमें नहीं पा सका कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाय। जब कोई विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाता है, तो पहले यह विचार किया जाता है कि वे कौन से उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए यह विधेयक रक्खा जा रहा है, तो देखा यह जाता है कि क्या उसमें कोई दोष है? यदि उसका उद्देश्य सही है और उसमें जो धारायें रक्खी गयी हैं, उनमें कोई ऐसा दोष है जो उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करा सकती, और उनमें कोई ऐसी बात आ जाती है जिनको तुरन्त ही हम विचार करके दूर नहीं कर सकते तो उस विधेयक को हम प्रवर समिति के सुपुर्द कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उस पर उसी समय विचार करें। तो बजाय इस बात पर विचार करने के माननीय सदस्यों ने कहा कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी है। मेरा तो ऐसा विचार है कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में केवल दो दृष्टिकोणों से ही विचार हो सकता है। जब बजट पेश होता है, तो जिस विभाग के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की हमें शिकायत है, उसके सम्बन्ध में हम आलोचना कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार कहां है और एक्जीक्यूटिव को चाहिए कि वह भ्रष्टाचार को रोके लेकिन जब कभी हम किसी कानून पर विचार करते हैं, किसी विधेयक पर विचार करते हैं तो उस समय हमें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार की दुहाई नहीं देनी चाहिए। हां उसके बारे में हम तभी कह सकते हैं कि जब कानून में कोई ऐसा दोष हो, जिस से भ्रष्टाचार के बढ़ने की सम्भावना हो, तब तो हम कह सकते हैं। उस समय हमें यह देखना होता है कि क्या कानून में कोई ऐसी बात है कि जिस से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अगर कोई ऐसी बात है तो हमें उसको अवश्य निकालना होगा। मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय राम सुन्दर जी पांडेय ने थोड़ा सा इस बात का जिक्र किया लेकिन और किसी माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार का नाम लेते समय ऐसी बात नहीं बतायी कि कानून में ऐसा कौन सा प्राविजन है जिस से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। अगर ऐसी बात है, तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, और फिर भी भ्रष्टाचार बन्द नहीं होता तो मन्त्रिमण्डल तक को पलट सकते हैं। आलोचना करने की हमें पूरी आजादी है। लेकिन अगर कानून में ऐसा कोई दोष नहीं है, जिस से भ्रष्टाचार के बढ़ने की सम्भावना हो, तो बार-बार भ्रष्टाचार का नाम लेने का और उसका जिक्र करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें इस पर विचार करना होगा कि इस विधेयक में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए यह विधेयक पेश किया गया है।

विधेयक में एक बात और कही गयी है जिसके कारण माननीय गेंदा सिंह जी बौखला से गये। वह यह है "इस से चालबाज अथवा उद्दंड तत्वों द्वारा योजना को विफल करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि किसी भी मित्र ने चकबन्दी की योजना के मूल सिद्धान्त को बुरा नहीं बतलाया बल्कि यही कहा कि चकबन्दी अच्छी चीज है और होनी चाहिये।

दूसरे इस बात पर मुझे बहुत खुशी हुई कि संशोधन विधेयक के जो क्लाजेज हैं उन पर भी किसी मित्र ने कोई आपत्ति नहीं की है। बस केवल थोड़ा सा खेद है अगर तो इस बात पर है कि बिल के प्राविजन्स का ख्याल न रख कर जैसे मैदान पड़ा हो, लम्बी उड़ान और लम्बी दौड़ करने की कोशिश की गई है। खैर वह भी अच्छा है क्योंकि दिल के अन्दर जितने गुबार हों, कोई मौका मिल जाय और उनको निकाल दिया जाय तो गवर्नमेंट को मौका मिल जाता है अपना दृष्टिकोण सदन के सामने रखने के लिये। इस लिहाज से वह भी अच्छी चीज है।

अब जो जो बातें कही गई हैं उनका मैं बहुत मुख्तसरन आपकी इजाजत से जवाब देना चाहता हूं। एक तो यह कि कमेटी बैठा दी जाय जो कि सारे जिलों का दौरा करे। गांव गांव में जाय, किसानों के साथ चारपाई पर सोये और उसके बाद कानून में जो खामियां हैं उनका लिहाज करके संशोधन करे या सारे कानून में जो खराबी हों उनको दूर करके एक मुकम्मल आइडियल ऐसा जैसा कि इंडियन एविडेंस ऐक्ट, १८७१ में पास हुआ था जेम्स स्टेनली उस वर्त वक्त के ला मेम्बर का ऐसा बनाया जाय, जिसमें १०० वर्ष तक अमेंडमेंट की आवश्यकता न पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं इकरार करता हूं। मैं इस तजवीज को समझ नहीं पाया। आखिर यह जो हमारा रोविंग कमीशन मुकर्रर होगा यह कानून के सिलसिले में क्या मशविरा दे सकता है। जहां तक कि किसानों की दिक्कतों का ताल्लुक है मैं यह एज्यूम करता हूं यह फर्ज कर लेता हूं कि बिना इस कमीशन या कमेटी के दौरा किये इस सदन का हर मेम्बर किसानों की तकलीफों को जानता है और इस कमीशन का मेम्बर होने में क्या जानकारी बढ़ जायगी। यही नहीं जानता है, बल्कि हर मेम्बर जिसके यहां चकबन्दी नहीं हो रही है, चकबन्दी की कोई चर्चा उसके कानों तक नहीं पहुंची हो, लेकिन उसकी खराबियां सबके कानों तक पहुंच गई होंगी। तो इसके करने में कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरी बात यह कि अध्यक्ष महोदय क्या कोई मित्र यह बतलायेंगे कि ये जो मैंने यह कहा था कि यह संशोधन कर दो और आपने नहीं किया और फिर आपको यह संशोधन विधेयक लाना पड़ा। किसी मित्र ने नहीं कहा। क्या इस संशोधन विधेयक में कोई भी ऐसा क्लाज है जिसकी बाबत कोई दोस्त यह कहे कि अब जब मैंने कहा था तब तो आपने रक्खा नहीं और अब आप लाये हैं। ऐसा किसी ने दावा नहीं किया। मैंने बारहा कहा कि जब तक चकबन्दी कुल जिलों में पूरी नहीं हो जायगी तब तक इसमें संशोधन आते रहेंगे। तीन साल ऐक्ट को बने हुये हैं और केवल तीन संशोधन आये हैं। इस प्रकार १२ महीने में एक पड़ा। मैं रामनारायण त्रिपाठी जी से कह रहा हूं कि हर तीन महीने में आता है यह तो उनका हिसाब है। इतना ही नहीं जब तक रेकार्ड और सर्वे आपरेशंस जिन दो तहसीलों में हमने काम शुरू किया था मुकम्मल न हो जायं और सेक्शन ५२ में आपरेशंस क्लोज करने की विज्ञप्ति जारी न हो जाय तब तक तो संशोधन आने की बहुत ही संभावना है और उसके बाद हो सकता है कि हाई कोर्ट में कोई चला जाय अदालत में कोई बात चली जाय या कोई नुक्स निकल आये। बुन्देलखंड का इलाका है, माननीय चतुर्भुज जी मेरे सहयोगी हैं उन पर पड़ा तकाजा है कि मंत्री होते हुये अपने जिले में क्यों चकबन्दी शुरू नहीं कराते, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बुन्देलखंड की सब कठिनाइयों को जानता हूं। दो साल के बाद वहां शुरू कराया गया यानी अब से पांच साल बाद वहां की विशेष परिस्थितियों में कुछ बात करनी पड़ी तो उस समय फिर संशोधन लाना पड़ेगा। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमारे दिमाग में यह क्या भरा हुआ है कि बस एक बार ऐक्ट आये, फिर तरमीम न करनी पड़े। यह तो डाइनैमिक सोसाइटी का, गवर्नमेंट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो अर्नेस्टनेस का एक सबूत है कि जो कठिनाई आती है वह आपके सामने फौरन संशोधन ले आते हैं। अगर यह कहा जाय कि हमने यह कहा था लेकिन उसको नहीं माना तो अगर ऐसी बात है तो कहा जाय। फिर हमारे सूबे में पहले कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज का कोई तजुरबा है नहीं। तजुरबा हो रहा है, अब तजुरबा हो रहा है फील्ड में। वहां जो कठिनाइयां सामने आ रही हैं मैं इस डर से संशोधन न लाऊं कि लोग मुझे मूर्ख कहेंगे तो हजारों आदमी बैठे हैं, काम करने वाले, वह खामोश बैठे रहें। यह स्कीम फेल हो जाय। और आगे कोई रेवेन्यू मिनिस्टर आये तो हिम्मत नहीं पड़ेगी चकबन्दी को उठाने की। इसलिये संशोधन लाते हैं क्योंकि मौके पर कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों को हल करने के लिये फौरन आपके सामने हाजिर आता हूं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि लेजिस्लेटिव कौंसिल से बिल पास हो कर आया उसको हो गये करीब डेढ़ महीने उसके बाद और कठिनाइयां आयीं। तो श्रीपति सहाय जी ने जो संशोधन पेश किये हैं उनको मैं स्वीकार करने जा रहा हूं और फिर मैं कौंसिल में ले जाऊंगा और हो सकता है कि दो महीने के बाद कोई फिर कठिनाई आ जाय तो अगर आर्डिनेंस निकालना जरूरी समझा गया तो निकाला जायगा। मैं आपके जरिये से माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं कि यह कोई आलोचना नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)——बजट में कम टाइम मिला था।

श्री चरण सिंह——तो बात ठीक है। अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी, माननीय गेंदा सिंह की तरफ से कहा गया इसलिये जरा मुझे ताज्जुब है, साहब इस अकेली चकबन्दी से क्या होगा? सिंचाई बढ़नी चाहिये, मारकेटिंग का इन्तजाम अच्छा होना चाहिये और वहीं पुरानी रट भूमि वितरण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष——असाइड में कहा था।

श्री चरण सिंह——यह सुनना चाहते हैं कुछ न कुछ भूमि वितरण के बारे में। मैंने यह कब कहा है कि चकबन्दी हो गयी और फिर सब विकास रुक जायगा इस सूबे का या सब विकास हो चुका होगा। मैंने यह कहा था और उसे फिर दोहराता हूं। जहां तक भूमि व्यवस्था का संबंध है वह काम प्रायः समाप्त हो चुका होगा चकबन्दी के बाद यह मैंने कहा था। उसे मैं फिर कहता हूं भूमि वितरण की कमी रह जावेगी, माननीय गेंदा सिंह जी के ख्याल के मुताबिक। उस कमी को मैं जानबूझ कर रख रहा हूं ताकि कभी-कभी कुछ सुनने को मिल जाया करे, पहलू में कोई दर्द तो होता रहे। नहीं तो काहे के सहारे जिन्दा रह सकेंगे। बस, हजारों एकड़ जमीन पड़ी है किसानों के पास माननीय रामसुन्दर पांडेय जी नहीं हैं पता नहीं कहां चले गये नहीं तो मैं पूछ बैठता कि ८८ लाख किसानों में से कितने ऐसे किसान हैं जिनके पास एक हजार एकड़ से ज्यादा भूमि है सारे सूबे में केवल ४० किसान ऐसे हैं जिनके पास एक हजार एकड़ से ज्यादा जमीन है। लेकिन जब स्पीच देंगे तो कहेंगे कि एक तरफ तो वह गरीब किसान और दूसरी तरफ हजारों एकड़ वाले किसान, न चीज उठायी जाय न धरी जाय।

जहां तक सिंचाई का संबंध है गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रुपया सिंचाई मुहकमे पर खर्च कर रही है। करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि सिंचाई गवर्नमेंट तो करेगी ही, लेकिन किसान जब तक अपने पैरों पर खड़ा होकर इरिगेशन फैसिलिटीज हासिल नहीं करता तब तक गवर्नमेंट सारी सुविधायें हासिल करा दे। उनके पास तीन करोड़ एकड़ जमीन पर पानी का कोई इन्तजाम नहीं है। साढ़े तीन करोड़ एकड़ जमीन पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सिंचाई का इन्तजाम नहीं है और तीन करोड़ एकड़ जमीन पर न गवर्नमेंट की तरफ से और न किसानों की तरफ से कोई इंतजाम है। चकबन्दी होने के बाद किसान के खेत इकट्ठे हो जायेंगे। सिंचाई वह खुद कर लेगा। दस खेत हैं, दस खेतों के लिये दस कुयें वह नहीं बना सकता। अध्यक्ष महोदय

[श्री चरण सिंह]

यह कहा गया कि शायद जिन गांवों मे चकबन्दी हो चुकी है सब खुश नहीं हैं। शायद यह कह रहे थे पहले तो यह कहा फिर तशरीह माननीय गेंदा सिंह जी ने की तो यह कहा कि लादी क्यों जा रही है चकबन्दी जिन गावों में चकबन्दी हो चुकी है सब खुश नहीं है। हो सकता है कि १०० में दो नाराज हों, चार नाराज हों।

अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी स्कीम नहीं हो सकती जिसमे सब गांव मे सब खुशी रहें। मुझे मुजफ्फरनगर का मालूम हैं, सुल्तानपुर का मालूम है और मुजफ्फरनगर के तो आंकड़े भी मालूम है कि २०६ गांवों में से १६ गांवों ने कोई एतराज नहीं किया और १५० के करीब गांव ऐसे हैं जिनमें आब्जेक्शन्स बमुश्किल तमाम ५ परसेंट हुए और उसके बाद मुमकिन है २,१ परसेंट फिर भी डिस्सेटिसफाइड रह गये हों। तो ऐसा तो रहेगा ही शत प्रतिशत तो राजी हो नहीं सकते।

अब यहां यह कि साहब यह अच्छी चीज है तो फिर किसान से पूछ लिया जाय और अच्छी मेजोरिटी भी ५० से लेकर ९९ फीसदी तक छोड़ दी। पता नहीं अच्छी मेजोरिटी से क्या मतलब है? अध्यक्ष महोदय, क्या हमने किसानों से राय ली थी कि जमींदारी अबालीशन कौन चाहता है, ली थी। हमने कोई राय किसानों से यह ली थी कि १८ वर्ष से नीचे की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिये। हम सब लोग यहां बैठे है गांवों मे अधिकतर पैदा हुए है, हमारी इतनी उम्र गांव और किसानों मे बीत गई। १०० मे से २,४ हो आम तौर पर ऐसे होंगे जिनकी इच्छा न हो वरना सबकी यह इच्छा है कि उसके खेत इकट्ठे हो जायं और क्यों न हों? कानपुर में अगर किसी की २५ दूकाने हों तो उसका दिवाला ६ महीने में निकल जाय। तो इसलिये यह कि किसी तहसील मे हम शुरू करें उससे पहले वोटिंग की आवश्यकता हो, यह बिलकुल गलत है।

अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा गया कि मैंने यह कहा कि सब उद्दंड हैं। मैंने केवल स्टेटमेंट आफ आब्जेक्शंस और रीजन्स में यह लिखा है कि इस स्कीम की मंशा फ्रस्ट्रेट न हो जाय यहां कुछ उद्दंड व्यक्तियों के कारण, इस लिये इसमें विशेष संशोधन लाया गया है। हमारे यहां एक दंड विधान है उसमें एक धारा है ३८९ तो अगर कोई बाहर का आदमी उसको देखे और यह कहे कि हिन्दुस्तान में सब चोर ही बसते हैं, नहीं सब चोर नहीं हो गये, चोर जरूर होते हैं, सर्दर्म होते हैं, उसके लिये प्रावीजन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा कि साहब इस स्कीम को खूब पापुलेराइज किया जाय। कौन इंकार करता है, मुझे तो शिकायत यह है कि जितना इसको पापुलेराइज होना चाहिये उतनी नहीं होती. लेकिन करा क्या जाय। हमारे किसान १०० में से ९५ बेपढ़े हैं। इनफार्मेशन विभाग लीफलेट्स निकाल सकता है, चकबन्दी विभाग भी निकाल सकता है, लेकिन ५ फीसदी ही तो पढ़े हैं। लिहाजा मौखिक प्रचार की जरूरत है और मौखिक प्रचार सेटिलमेंट आफिसर, सी० ओ० थोड़ा बहुत तो करते हैं, किसी जगह कन्सालीडेशन कमेटी नहीं बनाई गई तो बुलाकर समझाते हैं। लेकिन उनका यह मुख्य कार्य नहीं है। मैं भी जहां जाता हूं तो उन लोगों को बताता हूं। तो चकबन्दी अफसरों का यह काम तो मुख्य है नहीं और न वे उसके लिये ट्रेन्ड हैं। यह काम गवर्नमेंट आफिसर्स के जरिये न हो कर नान-आफिशियल पब्लिक सर्वेन्ट्स जो हैं उनके जरिये हो होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, पंचायती और कोआपरेटिव चकबन्दी हो। माननीय गेंदा सिंह जी ने जिक्र किया था। वह असल में पंचायती चकबन्दी कहलाती थी और हमारे जो संचालक चकबन्दी हैं वह उन दिनों में डिप्टी कलेक्टर थे। कमिश्नर बेट्स था, वह बेट्स स्कीम या पंचायती चकबन्दी कहलाती थी। उसका जवाब बहुत कुछ तो माननीय महीलाल जी ने दे भी दिया लेकिन आपके जरिये में भी अपने माननीय मित्र से, माननीय नेता विरोधी दल से यह अर्ज करना चाहता हूं कि वह पंचायती चकबन्दी अब गोरखपुर में कहीं दिखाई

हो गई हैं। वह पैदा ही हुई है: महीने के बाद खत्म क्योंकि कानून का कोई कम्पलशन नहीं, लिहाजा खत्म। लिहाजा कानून जरूरी होना है। कानून इसलिए भी जरूरी होना है कि स आदमी इस मिनट जो किसी मामले पर राजी हो जाये और स कल को बैक आउट करता है तो क्या होगा। लोग रोज ऐसा करते हैं। इसलिए कानून बनाना एक बहुत बड़ी बात है और अध्यक्ष महोदय, जब सिन्थीवस एलीमेंट्स नहीं रहेंगे, कानून भी जरूरी नहीं होगा, दन दी स्टेट विल विदर अवे। ऐसा हमने पढ़ा कुछ लोगों से जरूर है। लेकिन इस स्वर्ण-काल का सपना देखते-देखते मानव जाति को हजारों और लाखों वर्ष बीत चुके और वह समय नहीं आया जब कि कानून की जरूरत न पड़े। माननीय गेंदा सिंह जी को आशा हो सकती है कि उनकी आयु के अन्दर शायद वह जमाना आ जाय।

एक बात अध्यक्ष महोदय, बजट के अवसर पर भी उन्होंने कही थी, मैंने उसका जवाब नहीं दिया था। उस बात को फिर कहा कि महकमा माल जो है, इसका क्या कहना यह चाहे तो गरीब को अमीर बना दे चाहे तो अमीर को गरीब बना दे। इसने २०० रुपये फी ग्रामीण की आर्थिक दशा निकाल दी। अध्यक्ष महोदय, आखिर ये आंकड़े इकट्ठे किये गए होंगे किसी न किसी महकमे की तरफ से ही इकट्ठे किये गए होंगे और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन जहां तक महकमे माल का ताल्लुक है उसमें कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि उसने किसी कागज पर इन्दराज नहीं किये कि २७७ रुपये इतनी आमदनी है। उसका गालिबन किसी विभाग से सम्बन्ध है जो कि सर्वे वगैरह करता है। और भी कई सर्वे वगैरह हुए हैं। लेकिन महकमे माल के कागजों में कहीं नहीं लिखा है कि २७७ या २७६ रुपये उसकी आमदनी है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात उन्होंने यह कही कि यहां का महकमा माल बहुत खर्चीला है। जहां तक खर्चीले होने का ताल्लुक है हो सकता है कि सबसे खर्चीला हो, क्योंकि मेरे पास सब प्रदेशों के आंकड़े रेवेन्यू विभाग के नहीं और फिर उनकी एफिशियेन्सी के भी आंकड़े मेरे पास नहीं हैं इसलिये जब मेरे पास उनके आंकड़े नहीं हैं मैं यह नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश का महकमा माल ज्यादा खर्चीला है और अगर रुपयों की दृष्टि से ज्यादा खर्चीला साबित भी हो जाय तो फिर देखना होगा कि इसकी एफीशियेन्सी कैसी है? हां, एक बात जरूर मुझे मालूम है हमारे पड़ोस का एक प्रदेश है जहां मालगुजारी वसूल करने में १३ प्रतिशत खर्चा होता है और हमारे उत्तर प्रदेश में साढ़े ४ प्रतिशत खर्चा होता है। बाकी और कोई आंकड़े माननीय गेंदा सिंह जी के पास हों तो अगर वह मुझे दे दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी तशरीफ नहीं रखते लेकिन बहुत से दोस्तों ने उनकी बात का समर्थन किया था और वह यह कि अगर नहर निकले, सड़क निकले, स्कूल बनाये जायं, ट्यूबवेल व अस्पताल बनाये जायं तो वह जमीन इन सार्वजनिक कामों के लिये ली जाय। किसी व्यक्ति या किसी किसान विशेष की, तो सारे गांव के रकबे में से निकाल कर हर किसान पर हिस्सा रखकर उसका भार डाल दिया जाय। बात बड़ी अच्छी है, बड़ी लुभावनी है, इंसाफ पर टिकी हुई है। लेकिन हमने इस सुझाव पर मुहकमे कानून से सलाह ली उन्होंने कहा कि नामुमकिन अमल है, यह हो नहीं सकता। उन्होंने मुझे बहुत सी कठि-नाइयां बतायीं। वह न मुझे इस समय याद हैं और न मैं उनकी तफसील में जाना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं पेश करता हूं, वह यह कि क्या ऐसा नहीं है कि नहर निकली एक गांव में जा रही है। लेकिन उस गांव की जमीन को उससे आबपाशी नहीं मिलती। अगर गांव का लेबिल ऊंचा है तो नहर जो निकलती है उस पर बांध नहीं बांधे जा सकते। वह तो खोद कर निकलेगी लिहाजा वहां एक बिस्वा भी आबपाशी नहीं हो सकती। जैसे मान लो, झांसी से नहर निकली, पूर्व में पहुंची, तो झांसी के बहुत से गांव ऐसे हो सकते हैं जहां की जमीन में से निकले और एक एकड़ को भी सैलाब न करे। तो अगर उन गांवों के किसानों की जमीन ली गयी तो सारे गांव के ऊपर क्यों कंट्रीब्यूशन पड़े, वहां तो कोई लाभ नहीं। दूसरी बात यह कि नहर या ट्यूबवेल जिस गांव की आबपाशी

[श्री चरण सिंह]

करते हैं उसमें भी बड़ी कठिनाई, या दोनों दोबे को वह आबपाशी नहीं करते। जैसे मैं और मसूर में हुए उस्मानाबाद जी एक गांव के रहने वाले हैं, उनके खेत में सब में आबपाशी उनसे होती है मेरे में एक में नहीं। तो जो जमीन उस नहर में ली गयी उसने वह क्यों कंट्रीब्यूशन करे? तो इस ने गौर किया और वह हो नहीं सकता। इसके साथ ही वह नहर जो १० साल पहले निकली थी उनका क्या होगा, या जो बाद में निकलेगी उनके लिए क्या होगा? तो केवल उन नहरों के जहां आज चकबन्दी हो रही है और आज नहर निकल रही है और अनाइन-मेंट भी बदल रहे वहां के लिए गौर किया भी जा सकता है।

एक बात माननीय मौर्य जी ने यह कही कि जब चकबन्दी हो जायगी तो बाद में इन्तालगण और इन्तकाल होते रहेंगे और फिर वहां डिसकंसालिडेशन हो जायगा। उनका यह खतरा सही है और इसके लिये भूमि व्यवस्था अधिनियम का जो संशोधन विधेयक आ रहा है उसमें हमने एक धारा रखी है। इसमें इसलिए नहीं किया कि वह धारा एक मुस्तकिल होगी और लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट एक मुस्तकिल ऐक्ट होगा। बाद में हम उसको एक और मिस्लिया फार्म दे सकते हैं, पर कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स ऐक्ट तो एक टेम्पोरेरी ऐक्ट है। जैसे ही चकबन्दी हो जायेगी यह डिसअपियर हो जायगा स्टैच्यूट से। लेकिन वह हमेशा रहेगा, उसको लैन्ड टेन्योर ऐक्ट या लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट कह सकते हैं। इस लिए उसमें ला रहे हैं और कल असेम्बली में इस पर बहस होगी तो मालूम हो जायगा।

माननीय रामलखन मिश्र जी ने कहा कि नियमावली में कुछ संशोधनों की आवश्यकता है, हो सकता है, होगी। अगर वह सुझाव देंगे तो हम उस पर विचार करेंगे और अगर वह हमारे अफसरों से मिल लें तो जितना भी समय वह दे सकें तो बड़ी उनकी मेहरबानी होगी। एक यह बात कही गयी कि साहब ट्रेनिंग नाकाफी इन नौजवानों को मिली। यह बात ठीक है। तीन-तीन महीने की हमने ट्रेनिंग दी है और सी० ओ० के सुपुर्द तो बड़ा काम है। तो अब हम ४-४ महीने की ट्रेनिंग की बात सोच रहे हैं।

एक सुझाव माननीय रामलखन मिश्र की तरफ से यह दिया गया कि कंसालिडेशन की एक कमेटी बना दी जाय उन-उन तहसीलों में जहां-जहां कंसालिडेशन हो रहा है और उसमें वहां के एम० एल० ए०ज० मेम्बरान हों। तो २१ तहसीलों में चकबन्दी हो रही है और एक,एक तहसील में कम से कम दो माननीय सदस्य हैं और कहीं-कहीं तीन-तीन भी हैं। तो इस तरह से ५० तो हो गये, अब वह कमेटी रहेगी क्या? वह तो एक जमात हो जायगी। तो इसलिए मैं इस दुविधा में पड़ा हुआ हूं कि ५० में से कौन से ७-८ को चुनूं। क्योंकि जो चुन लिये गये वह तो ठीक, लेकिन जो ४२-४३ रह जायेंगे उनकी मैं कैसे तसल्ली करूंगा। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने यह बात कई बार मुझ से कही, लेकिन इस तरह की कोई परमानेंट कमेटी न होकर ये जो ५० दोस्त हैं इनको गाहे बगाहे एक इन्फार्मल तरीके से बुला कर बात कर ली जाया करे जो भी वह सुझाव दें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि साहब चकबन्दी की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जहां नहीं हो रही है वहां तो लोग चाहते हैं और जहां हो रही है वह पछताते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो बहुत सी चीजों की ऐसी व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो समाजिक ढांचा है इसमें बहुत से काम ऐसे ही है। मैंने कहीं शादी के सम्बन्ध में पढ़ा था कि "Marriage is like a beseiged fortress. Those who are inside want to get out and those who are outside want to get in." यानी शादी एक मुहासिरा डाले हुए किले के समान है। जो इस किले के अन्दर बसे हुए है वह उसमे से निकलना चाहते है और जो बाहर हैं वह अन्दर आना चाहते हैं। इस तरह से कहा गया। लेकिन कितने आदमी हैं जो शादी नहीं करना चाहते, बावजूद इस बात के ?

सो हो सकता है कि चकबन्दी हो रही है उसमें दो चार आदमी कह रहे हों कि भई नहीं लेकिन यह उनका फर्स्ट रिएक्शन हो सकता है लेकिन टेकिंग आलटूगेदर चकबन्दी अच्छी चीज है। चकबन्दी की अगर किसी के द्वारा मुखालिफत की जा रही है तो वह उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने दूसरों की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिन्हें चकबन्दी में नुकसान में रहने का अन्देशा है कि उनकी वह जमीन उनके हाथ से निकल जायगी अगर कागजात दुरुस्त हो जायगी।

एक बात यह कहा गया कि छोटे आदमी निकल रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि कैसे छोटे आदमी निकल रहे हैं और चकबन्दी में निकल रहे हैं तो उनको बचाने वाला कौन आयेगा? कहा गया कि पुलिसवाले मिल जाते हैं चकबन्दी अधिकारियों से। मुझे नहीं मालूम कि कोई गालिबन पुलिस वालों से चकबन्दी अधिकारियों का ताल्लुक हो। हो सकता है कि कोई एकाध से किसी पुलिस वाले का उठना बैठना हो, लेकिन हमारा सेटिलमेंट आफिसर थाने में नहीं रहता है, गांवों में रहते हैं और अगर किसी एकाध का हो गया हो तो उसे जेनरलाइजेशन करके कर लिया जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस गवर्नमेंट की कोशिशों का नतीजा गरीबों के हक में क्या गुजर निकल रहा है वह इस बात से लगाया है कि ३८ लाख ३२ हजार एकड़ जमीन पर १२८१ फर्दों में नाम दर्ज है। जब कि २६ लाख ८३ हजार एकड़ में इनका नाम दर्ज था। तो १२ लाख तो नाम बढ़ गये हैं और दोनों ६ लाख एकड़ जमीन बढ़ गई तो इससे सारे सूबे के गरीब आदमियों के नाम घटे या बढ़े? इससे सारे सूबे की जो तस्वीर है उससे यही मालूम होता है कि गरीब आदमी आउस्ट नहीं किये जा रहे हैं। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। उन्हीं की तहसील से यानी फैजाबाद सदर से जहां से राजाराम जी मिश्र और मदनगोपाल जी आते हैं और अगर वहां चकबन्दी हो जायगी तो वह आंकड़े यही साबित करेंगे कि निकले नहीं शायद कुछ बढ़े हों।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य और इतने जिम्मेदार लोग में उनसे यह उम्मीद करता हूं कि जो बात यहां कहेंगे जो सारे सूबे में छा जायगी तो उनके पास आंकड़े होने चाहिये। जब वह जेनरलाइज्ड स्टेटमेंट करते हैं। हां, अगर यह कहते कि फलां जिले के फलां गांव से फलां आदमी निकल गये तो वह ऐसी होती जिस पर फिक्र की जाय, लेकिन यह कि निकल गये कह दिया ऐसे जैसे किसी आदमी के पास पाजीटिव प्रूफ नहीं है तो वह कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, रिश्वत लेते हैं। कहना आसान है उसमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ता तो इस तरह का क्रिटिसिज्म तो इट हेल्प्स नन। लेकिन जिस वक्त कानून की पेचीदगियों की बातें होती हैं उस वक्त उसको लिखने में और रिपोर्ट करने में मुश्किल होती है। मेरे मित्र माननीय गेदासिंह जी जब कोई चटपटी बात कहते हैं तो जल्दी से बात मुंह में आती है लेकिन जब कोई आकड़े देने होते हैं तो मेहनत करनी पड़ती है और फिर उसके रिपोर्ट करने में और लिखने में मुश्किल होती है। तो बात जो जेनरलाइज्ड निकाले तो मैं दरख्वास्त करता हूं अपने खातिर नहीं सारी सोसाइटी के खातिर कि उसमें विष जनने के अलावा कोई फायदा नहीं होता। मैं आपके जरिये से माननीय मित्र मदनगोपाल जी और माननीय राजाराम जी मिश्र से दरख्वास्त करता हूं कि वे बताएं तो सही कैसे निकले उनकी तहसीलों में। कितने लोग थे और कितने निकाले गये और कितना रकबा था तो कोशिश की जाय, वर्ना इससे कुछ नहीं हो सकता। अब मैं माननीय महीलाल जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बड़ी बैलेन्स्ड स्पीच की, लेकिन वे भी इस लोभ का संवरण न कर सके और एक बात एक्स्ट्रीम कही डाली। उन्होंने कहा कि साहब, जो सी० ओ० हैं उनके यहां सैकड़ों तारीखें लगायी जाती हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक भी केस ऐसा नहीं होगा, जिसमें

[श्री चरण सिंह]
सैकड़ों तो क्या एक सैकड़ा भी तारीखें लगी हों। यही नहीं अगर २५ तारीखें जिन मुकदमों में लग गयी हों उनके नाम मेरी नोटिस में लायें तो वे पायेंगे कि दो महीने के अन्दर वह अफसर अपना रवैया बदल चुका है।

श्री गेंदासिंह—आपके लिये जरूर रवैया बदला है, लेकिन मही.लाल जी के लिये नहीं बदला है।

श्री चरण सिंह—रेस है बात लम्बी चौड़ी हांकने की। जब माननीय गेंदा सिंह जी यह बात कहते हैं तो आखिर मेरे मित्र क्यों पीछे रह जायं। मैं तो चैलेन्ज कर रहा हूं और चैलेंज किसको कर रहा हूं? माननीय गेंदासिंह जी को कर रहा हूं। मैंने यह कभी नहीं कहा, जैसा कि एक पेपर में छप गया है या जिसका जिक्र अभी एक माननीय सदस्य ने कुछ किया कि एक भी रिश्वत नहीं चलती है। वह तो ७ पीढ़ी तक हम ईमानदार रहें तब ८वीं पीढ़ी में जो हिन्दुस्तान में पैदा होंगे वे ईमानदार होंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि चकबन्दी के अधिकारी लालच में नहीं फंसते हैं या फंसाये नहीं जाते हैं। मैंने सिर्फ यह दावा किया है कि जिस तरह की स्कीम हाउस ने मंजूर की है, जिसमें चैक्स और काउन्टर-चैक्स, पांच बार चेकिंग होती है उसमें भ्रष्टाचार की गुंजायश बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने इस बात की मुबारकबाद अपने राज्य कर्मचारियों को दी है कि जितना अन्दाजा था उससे बहुत कम है, बहुत कम है। यह मैंने कहा था और यह मैंने चैलेंज किया कि वे सारे सूबे में जायं और पास ही में उन्नाव है, जहां की बहुत शिकायत है, वहां चले जायं और अगर ये इस नतीजे पर पहुंचें कि आमतौर पर भ्रष्टाचार है या ऐसा भ्रष्टाचार है जिससे ज्यादा नुकसान होने का अन्देशा है, बनिस्बत जनहित होने के या ऐसा भ्रष्टाचार है जिसके सिलसिले में चश्मपोशी की जाती है और माननीय गेंदा सिंह जी कहें कि यह स्कीम बन्द कर दी जाय तो मैं फिर दोहराता हूं कि बन्द कर दूंगा। बाकी मैंने कभी यह दावा नहीं किया कि आदमी कभी गलती नहीं करेंगे, वे गलती करते हैं, करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं गलती से कह गया था। मैं पछताता रहा कि माननीय सदस्य कहीं नाराज न हो जायं। माननीय राजाराम मिश्र की बीच में जब मैंने इंटरवेन्शन किया तो वे यह कह रहे थे कि सब किसान कानून नहीं जानते हैं। मैंने कहा कि किसानों का क्या दोष है, बहुत से एम० एल० एज० नहीं जानते हैं। 'हम' कहते तो ठीक थे और फिर एम० एल० एज० की कौन कहे यहां इतने कानून पास हुये कभी-कभी कोई दफा मेरे ही जहन से गायब हो जाती है और बातों को छोड़िए यह आदमी तो इस प्रकार का है कि बिल सामने रखा है, तकरीर दे रहे हैं और फिर भी गलत बात कह रहे हैं। माननीय रामनारायण जी यह कह रहे थे कि खर्चा वह न दे करके दरख्वास्त दे दें कलेक्टर को तो बतौर मालगुजारी वह वसूल कर लें। यह सुझाव उन्होंने दिया कि कुछ टाइम देना चाहिए कि उसके अन्दर दे दें और अगर न दें तो वह बतौर मालगुजारी वसूल कर लिया जाय। मैंने बीच में समझाने की कोशिश भी की कि बिल्कुल एग्जेक्टली ऐसा ही रूल्स में है कि टाइम प्रेस्काइब किया जायगा कि इसके अन्दर कम्पेंसेशन दे दिया जाय और अगर उस टाइम के अन्दर वह न दिया जाय तब कलेक्टर से यह कह सकते हैं कि बहैसियत मालगुजारी वसूल करा दीजिये। तो यह आलोचना की हालत है।

एक बात सेक्शन ४८ की कही गयी। यह भी माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कही कि यह अख्तियार दिया जा रहा है संचालक महोदय को कि मिसलें मंगा कर दुरुस्ती कर दिया करें, अगर गलती हो गयी हो तो जैसी हमारी सोसाइटी है उसमें

संचालक महोदय पर जरूर दबाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, यह धारा पहले से एक्ट में मौजूद थी उसमें लफ्ज था केस, यानी वाद। अब हमने ऐड किया है एंड प्रोसीडिंग्स, यह संशोधन किया जा रहा है। जब यह पहले से ऐक्ट में मौजूद था तो कोई दबाव नहीं पड़ा। सिविल प्रोसीजर कोड में भी यही होता है कि हाई कोर्ट जब चाहे फाइल मंगा कर देख सकता है। लेकिन कोई दबाव नहीं पड़ता है और संचालक महोदय की कोई शिकायत नहीं आई कि उन्होंने कोई गड़बड़ी की हो। हो सकता है कि केस ऐसा हुआ हो कि जिसमें वक्त निकल गया हो और कोई इलाज न रह गया हो तो हमेशा ऐसे केसेज में रेजीडुरी पावर्स दी जाती है और वह इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक कोई शिकायत ऐसी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी शिकायत आये तो मुझे खुशी होगी अगर वह मेरे नोटिस में लायेंगे।

श्री मदन गोपाल जी ने यह कहा कि तीन हफ्ते या महीने भर का समय अपील के लिये मिलता है। लेकिन गांव वाले जानते नहीं हैं इससे पहले की तारीख डाल दी जाती है। मुझे अफसोस है अध्यक्ष महोदय, कि यह कहा गया कि तारीख डाल दी जाती है। यदि डाल दी जाती है तो यह बतलाया जाय कि कहां डाली गई और किस अफसर ने बेईमानी की, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। हो सकता है कि एक आध ने ऐसा किया हो, लेकिन इस तरह से सबके लिये कह देना ठीक नहीं होगा। वकील न जाय यह नामुमकिन है, क्योंकि जुडीशियल प्रोसीडिंग्स है वकील जायेगा ही। कांस्टीटयूशन का तकाजा है। श्री रामसुन्दर पांडेय ने कहा कि स्कीम ठीक है, लेकिन सही रूप नहीं है। लेकिन सही रूप उन्होंने नहीं बतलाया।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि रामसुन्दर पांडेय जी ने कहा कि १७–१८ दिसम्बर को तहसील में मुझसे शिकायत की गई थी और मैंने श्री शिवराम राय जी से कह दिया था कि कलेक्टर के पास इसे ले जाया जाय इसमें मैंने क्या गलती की? कलेक्टर नहीं था तो क्या मैं अपना प्रोग्राम छोड़ कर उसके साथ कलेक्टर के पास जाता या कलेक्टर को वहां बुलवाता? क्या इस तरह से दुनिया चलती है? वहां कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि ६ सहायक चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आई थीं। एक को सजा दी गई, एक पुराने विभाग में रिवर्ट कर दिया गया। तीन के खिलाफ शिकायतें निराधार पाई गईं, एक का केस विचाराधीन है इसी तरह से १० कंसालिडेटर्स में एक के खिलाफ कार्यवाही हो गई, चार बेसलेस पाई गईं, ५ अंडर कंसीडरेशन हैं। १४ अमीनों में से एक को निकाल दिया गया, दो को थोड़ी सजा दी गई, ५ के खिलाफ शिकायत बेसलेस पाई गई और छः अंडर कंसीडरेशन हैं। यह बात नहीं है कि कोई शिकायत हो और कार्यवाही न की जाती हो।

उन्होंने यह कहा कि हमने यह कहा था कि कागजात में गलतियां हैं तो गवर्नमेंट ने माना नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा उस समय का स्टेटमेंट जब कि सत्याग्रह चल रहा था पायनियर और हेराल्ड में देखेंगे, तो मालूम होगा कि मैंने कहा था कि २,८०,००० नाम दर्ज हैं बतौर अधिवासी के। जैसी गलतियां बतलायी जाती हैं उतनी गलतियां नहीं हैं और यह जो गलतियां हैं यह उसकी नहीं हैं बल्कि कुछ मैप की भी हैं। दूसरे यह कि डिस्प्यूट्स हैं, मेरा नाम दर्ज है, मेरा कब्जा है और साबित भी यही होता है कि मेरा कब्जा है तो यह भी ऐरर में आ गया। यह जरूरी नहीं है कि आपने जो क्लेम किया वह सही हो . . .

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री चरण सिंह—नहीं, मैंने खत्म कर दिया। इन शब्दों के साथ मै चाहता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष---म संशोधन को पहले लेता हूं और संशोधन का रूप जो नियम के अनुसार होना चाहिए उसको मैंने उस रूप मे कर दिया है। वह इस प्रकार है :--

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक का कार्य क्षेत्र बढ़ाते हुए इसे प्रवर समिति को भेजा जाय जो यथासम्भव शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रावकलन समिति तथा विभिन्न परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष---म एक सूचना दे देना चाहता हूं। यह सूचना मेरे पास सचेतक सरकार की तरफ से आई है पत्र द्वारा। बहुत से माननीय सदस्य अर्द्ध कुम्भ में हरिद्वार जाना चाहते हैं तो जो परामर्शदात्री समितियां है, जिनमे कि सभी सदस्य सदस्य नियुक्त हो जाते है तथा अन्य समितियों के सम्बन्ध में, भी मैंने जो कार्यक्रम रखा था, उसमे परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उन्होंने विरोधी दल के नेता से भी दोपहर को पूछ लिया है। तो मैंने अब यह नया कार्यक्रम रखा है कि २८ अप्रैल को नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि होगी और नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि और समय २७ अप्रैल को ४ बजे और नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय २ मई, १९५६ को सायंकाल ५ बजे, और सूक्ष्म परीक्षा होगी, ४ बजे सचिव विधान सभा के कमरे मे। यदि आवश्यकता हुई निर्वाचन की, तो उसकी तिथि बाद मे घोषित कर दी जायगी। यह २४ परामर्शदात्री समितियां है उनके अलावा वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति और प्रावकलन समिति, इन सबके लिए यह कार्यक्रम रखा है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
२ अप्रैल, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर)

सन् १९५५-५६ में इन्टेन्सिव डेवेलपमेंट ब्लाक्स में परिणित किये जाने वाले राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की सूची

खंड का नाम	जिले का नाम	खंड का नाम	जिले का नाम
१—पुरकाजी	मुजफ्फरनगर	१५—गोसाईगंज	लखनऊ
२—लोनी	मेरठ	१६—नवाबगंज	उन्नाव
३—ऊंचागांव	बुलन्दशहर	१७—सालौन	रायबरेली
४—टप्पल	अलीगढ़	१८—हरगांव	सीतापुर
५—गोवर्धन	मथुरा	१९—त्रिलग्राम	हरदोई
६—कोतवाली	बिजनौर	२०—बेहज्राम	खेरी
७—जोया	मुरादाबाद	२१—कैसरगंज	बहराइच
८—जहानाबाद (ललुसखेरी)	पीलीभीत	२२—बाह	आगरा
९—ऐट	जालौन	२३—खैरागढ़	आगरा
१०—मोदहा	हमीरपुर	२४—कोराव	इलाहाबाद
११—महुआ	बांदा	२५—निचलौल	गोरखपुर
१२—औरई	बनारस	२६—कैप्टेनगंज	देवरिया
१३—बादशाहपुर	जौनपुर	२७—दापामन्दी	गढ़वाल
१४—सरगहाखेत	नैनीताल	२८—पुरौला	टेहरी-गढ़वाल

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९ पर)

लक्सर देहरादून सेक्सन	नजीबाबाद बलिया खीरी सेक्सन	हरिद्वार ऋषीकेश, सेक्सन
१—लक्सर	१—बलवाली	१—हरद्वार
२—ग्रौईयल	२—रैसी	२—रेवाला
३—पथरी	३—लक्सर	३—ऋषीकेश
४—ज्वालापुर	४—दौसनी	
५—हरद्वार	५—लन्धौरा	
६—रवाना	६—रुड़की	
७—कन्सराव		
८—ोईवाला		
९—हरावाला		

नत्थी 'ग'

(देखिये ताराकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

तालिका जिसमें यह दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में रोडवेज की कितनी-कितनी बसें चल रही हैं

क्रम संख्या	जिले का नाम			बसों की संख्या
१	२			३
१	देहरादून	..	..	४३
२	सहारनपुर	..	..	२८
३	मुजफ्फरनगर	..	..	११
४	मेरठ	..	..	७०
५	बुलन्दशहर	..	..	४१
६	अलीगढ़	..	..	६२
७	मथुरा	.	..	४२
८	आगरा	..	..	६२
९	मैनपुरी	..	..	१४
१०	एटा	..	..	२३
११	बरेली	..	..	२२
१२	बिजनौर	..	..	१२
१३	मुरादाबाद	..	..	२७
१४	शाहजहांपुर	..	..	२७
१५	पीलीभीत	..	..	४
१६	रामपुर	..	..	६
१७	फर्रुखाबाद	..	..	१८
१८	इटावा	..	..	१५
१९	कानपुर	..	..	३३
२०	फतेहपुर	..	..	९
२१	इलाहाबाद	..	..	३९
२२	हमीरपुर	..	..	१०
२३	बांदा	..	..	८
२४	बनारस	..	..	३३
२५	मिर्जापुर	..	..	१९
२६	जौनपुर	..	..	१६
२७	गाजीपुर	..	..	१७
२८	बलिया	..	..	१०
२९	गोरखपुर	..	..	२८
३०	देवरिया	..	..	१८
३१	बस्ती	..	..	१६
३२	आजमगढ़	..	..	२८
३३	नैनीताल	..	..	२८
३४	गढ़वाल	..	..	२६
३५	लखनऊ	..	..	२५

क्रम संख्या	जिले का नाम			बसों की संख्या
१	२			३
३६	उन्नाव	..	..	२१
३७	रायबरेली	..	..	१७
३८	सीतापुर	..	..	१३
३९	खीरी	..	..	७
४०	फैजाबाद	..	..	६
४१	गोंडा	..	..	२१
४२	बहराइच	..	..	१३
४३	सुल्तानपुर	..	..	१३
४४	प्रतापगढ़	..	..	२०
४५	बाराबंकी	..	..	६
			योग ..	१,०२३

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के उत्तर मे उल्लिखित सूची

पद	संख्या
बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी)	१
चकबन्दी अधिकारी	३
सहायक चकबन्दी अधिकारी	१४
चकबन्दी कर्त्ता	४१
पेशी कानूनगो	१
चकबन्दी अमीन	१९९
ड्राफ्ट्समैन	३
ट्रेसर	६
क्लर्क	२७
दफ्तरी	१
चपरासी	७३
चौकीदार	१
मेहतर	१

इसके अतिरिक्त तहसील के मुस्तकिल २ कानूनगो और ४३ लेखपाल भी चकबन्दी का कार्य कर रहे हैं।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

तालिका

क्रम सं०	कठिनाई जो कृषि संचालक ने बतलाई	कार्यवाही जो की गई
१	कस्बों और नोटीफाईड एरिया में जमीन का न मिलना।	लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के अनुसार जहां कहीं जमीन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है वहां-वहां कार्यवाही की जाती है।
२	कस्बों और नोटीफाइड एरिया में सफाई का पूर्ण रूप से साधन नहीं है।	इस संबंध मे जिला अधिकारियों को आवश्यक आज्ञा जारी की गई थी जिसमें उनसे जनता के लिये जगह-जगह टट्टी घर व सफाई का उचित इन्तजाम करने को कहा गया। उनसे यह भी कह दिया गया कि यह छोटे-छोटे नगरों में न सिर्फ तन्दुरुस्ती के लिये लाभदायक होगा बल्कि इससे कम्पोस्ट खाद बनाने में मदद मिलेगी जब से अब तक हर जगह काफी उन्नति हो गई है।
३	नगरपालिकाओं मे कम्पोस्ट खाद के संकलित कच्चा माल ढोने का तैयार कम्पोस्ट खाद बांटने के साधन की कमी।	विभाग के पास केवल १२ मोटरें है जोकि जहां कहीं से मांग आती है वहां खाद बांटने के लिये भेज दी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में १० और मोटरें बढ़ाने का विचार है जोकि इसी तरह से काम करेंगी। इसके अतिरिक्त १९५३–५४ में ७ नगरपालिकाओं को एक लाख रुपया, १९५४–५५ में ८ नगरपालिकाओं को १ लाख रुपया इस काम के लिये कर्ज के तौर पर दिया गया है ताकि वे अपनी मोटरें खरीद लें। सन् १९५५-५६ में भी एक लाख तिरपन हजार का कर्ज १० नगरपालिकाओं को दिया गया है जोकि मोटर खरीदने के काम आवेगा। पहले से यह काम काफी तरक्की कर गया है।
४	उचित कानून न होने के कारण कुछ स्थानीय संस्थाओं का कम्पोस्ट खाद बनाने मे हिस्सा न लेना।	हालांकि कोई कानून नहीं बनाया गया है लेकिन उत्तर प्रदेश नगरपालिका ऐक्ट, १९१६ के धारा ८ के नीचे दो और नये खंड जोड़ दिये गये हैं जिसके अनुसार नगरपालिकाओं और नोटीफाइड एरिया के ताल्लुक कामों में कम्पोस्ट खाद बनाना भी शामिल कर दिया गया है। इस प्रदेश में इस समय कुल २३६ स्थानीय संस्थायें कम्पोस्ट खाद बनाने में भाग ले रही हैं यह संख्या पहले से अधिक है। दूसरी पंच-वर्षीय योजना में समस्त स्थानीय संस्थाओं में कम्पोस्ट खाद बनाने तथा बांटने का लक्ष्य है।
५	छोटे-छोटे नोटीफाइड व टाउन एरिया के पास पैसे की कमी।	जैसा कि क्रम संख्या ३ के सामने ऊपर बताया गया है कर्जे दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी पंचवर्षीय योजना में कई संस्थाओं को जमीन या गाड़ियां खरीदने के लिये सरकारी मदद की जावेगी और कम्पोस्ट खाद की बिक्री में राज्य सहायता भी दी जावेगी।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १८ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२९१)

अक्षयबर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टण्डन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्द्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री

जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर आचार्य, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम श्री, (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन बाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तू लाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह श्री, (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबू लाल कुसुमेश, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन बाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री

मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखिरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामबचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजबासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री

शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्याम लाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुल्जूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अन्सारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

तारांकित प्रश्न

टाउन एरिया स्थापित करने के नियम

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)——क्या सरकार प्रदेश के ५ हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को टाउन एरिया बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो क्यों?

स्वशासन उप मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)——जी नहीं।

यह कोई आवश्यक नहीं कि प्रत्येक ५ हजार से अधिक आबादी वाले गांव को टाउन एरिया बनाया ही जावे।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या स्वशासन मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बनाने की क्या-क्या शर्तें हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—शर्ते कोई विशेष नहीं है। टाउन एरिया उस समय बनाये जाते हैं जब यह आज देख लो जाती है कि इस कस्बे का हित टाउन एरिया बनाने से हो सकता है। कुछ अधिकार पंचायतों के है और कुछ अधिकार टाउन एरिया का है। टाउन एरिया को कुछ टैक्स लेने के अधिकार ज्यादा है बाकी अधिकार पंचायतों को हैं और वे अच्छी तरह से काम करती हैं। जहां कहीं बड़ी मन्डी हो और बहुत आमद रफ्त हो और टोल टैक्स से खास आमदनी हो सकती है, तभी वहां पर टाउन एरिया बनाने से उसका हित हो सकता है अन्यथा कोई लाभ नहीं हो सकता है। इन सब चीजों की देखभाल करके वहां के लोगों की राय लेकर और पंचायत की सम्मति जब प्राप्त हो जाती है तभी यह तय किया जाता है कि यहां टाउन एरिया बनाना ठीक होगा या नहीं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय स्वशासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास कोई इस प्रकार की तालिका है कि इन शर्तों के मुताबिक इतने टाउन एरिया प्रदेश में बनाने हैं, यदि है तो वह कितने की है?

श्री कैलाश प्रकाश—तालिका कोई नहीं है, लेकिन वहां के नगरवासियों की तरफ से या पंचायत की तरफ से प्रार्थनापत्र आते रहते हैं। जब वह प्रार्थनापत्र आते हैं तो उनकी जांच पड़ताल की जाती है और जैसा कि मैंने निवेदन किया जिस से पूछना आवश्यक समझा जाता है पूछा जाता है। जब वह सामग्री आती है तो उस पर निर्णय किया जाता है।

आजमगढ़ जिले की ताल रतोय पम्प नहर में ली गई जमीन का मुआविजा

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ की ताल रतोय पम्प नहर में किसानों के खेत कितने एकड़ पड़े और उनका कितना मुआविजा दिया गया?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जिला आजमगढ़ की घोसी तहसील में रतोय ताल पम्प नहर के बनाने में २१.२ एकड़ भूमि ली गयी है। भूमि सम्बन्धी पत्रादि सम्बन्धित लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर के पास भेजे जा चुके हैं। वे भूमि का मुआवजा निर्धारित करने तथा उसको वितरण करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस नहर के बनाने का काम कब से शुरू हो गया है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद १९५४ से शुरू हुआ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि नहर में ली गयी जमीन की मालगुजारी किसानों को ही देनी पड़ रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि जो जमीन ली गयी है उसकी मालगुजारी किसानों को देनी पड़ती है। माननीय सदस्य चाहेंगे, तो मैं इसका पता लगा दूंगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो मुआविजा दिया जा रहा है, वह जमीन की कीमत के रेट से दिया जा रहा है या और किसी रेट से?

श्री राममूर्ति—इसके नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार दिया जाता है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)——क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस नहर की खुदाई का काम स्थगित हो गया है ?

श्री राममूर्ति——जी नहीं, काम चल रहा है।

बरवा, तहसील सैदपुर में बांध का टूटना

*३——श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरवा, तहसील सैदपुर में जो बांध बना था, वह रेगुलेटर छोटा होने के कारण टूट गया है ? यदि हां, तो क्या गाजीपुर के एस० डी० ओ०, सिंचाई विभाग ने डबल रेगुलेटर लगाने का प्रस्ताव किया था ?

श्री राममूर्ति——जी नहीं, जैसा कि चौथे मंगलवार को माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर में बताया जा चुका है यह बांध १९५५ को भयंकर बाढ़ में ग्रामवासियों के काट देने के कारण टूटा था। गाजीपुर के सिंचाई विभाग के सहायक इन्जीनियर ने इस रेगुलेटर को डबल करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया।

श्री कमला सिंह——क्या यह सही है कि मुंह छोटा होने के कारण पानी नहीं निकला और १५–२० गांव जलमग्न हो गये ?

श्री राममूर्ति——जी हां, सन् ५५ में जो बाढ़ आयी थी वह असाधारण थी। इसलिए उसमें से पानी नहीं निकल सका। यह रेगुलेटर साधारण बाढ़ के लिए बनाया गया था।

श्री कमला सिंह——क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस रेगुलेटर को बनाने के लिए एस० डी० ओ० ने कितने मुंह का रेगुलेटर बनाने की रिपोर्ट दी थी ?

श्री राम मूर्ति——तीन मुंह का रेगुलेटर बनाने की रिपोर्ट दी गयी थी, और तीन मुंह का ही बना दिया गया।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)——क्या माननीय मन्त्री जी इस सुझाव पर विचार करेंगे कि पूर्वी जिलों में जो बांध बनाये जायं उसमें असाधारण बाढ़ का भी ध्यान रक्खा जाय ?

श्री राममूर्ति——दुनियां के काम असाधारण समय के लिए नहीं हुआ करते जो भी काम होते हैं, साधारण समयों के लिए ही होते हैं। असाधारण समय के लिए तो परमात्मा पर ही निर्भर रहना होता है। नहीं तो खर्चा बहुत ज्यादा हो सकता है।

अश्लील विज्ञापनों को रोकने के लिए प्रार्थना

*४——श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)——क्या सरकार का ध्यान उन सिनेमा तथा अन्य व्योपारी विज्ञापनों पत्र-पत्रिकाओं आदि की ओर आकर्षित हुआ है जिनमें अश्लील चित्रों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया जाता है ? यदि हां, तो उसने उनको बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की ?

सूचना मन्त्री के सभा-सचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)——जी हां। औषधियों व रोगों से सम्बन्धित अश्लील विज्ञापनों को बन्द करने के लिए Objectionable Advertisement Control Act और अन्य अश्लील प्रकाशनों की रोक थाम के लिए इन्डियन पेनल कोड की धारा २९२ तथा प्रेस (आब्जेक्शनेबुल मैटर) ऐक्ट, जिसकी अवधि ३१ जनवरी, १९५६ को समाप्त हो गयी है, के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती रही है।

श्री लक्ष्मण राव कदम——क्या सरकार यह बतायेगी कि गत वर्ष इस धारा की अवज्ञा करने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(आबजेक्शनेबुल मैटर) ऐक्ट ३१ जनवरी, १९५६ को खत्म हो चुका है। अब जो कार्यवाही होगी वह इन्डियन पीनल कोड के अधीन होगी। उसकी तरफ जब हमारा ध्यान आकर्षित किया जाता है, तब कार्यवाही होती है। इस समय किसी कार्यवाही की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार उक्त धारा की मियाद बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर यह ऐक्ट गवर्नमेंट आफ इन्डिया का था। इसके लिए हमारे यहां २९२ आई० पी० सी० की धारा है, उसके अधीन कार्यवाही होती है।

*५-६—**श्री झारखण्डे राय**—[हटा दिये गये।]

आजमगढ जिले में टोंस नदी की बाढ़ को रोकने की योजना

*७—**श्री व्रजबिहारी मिश्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की टोंस नदी की बाढ़ से रक्षा करने के लिए सरकार कोई योजना बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। टोंस नदी का जल-सर्वेक्षण (Hydraulic Survey) किया जा रहा है।

*८—**श्री व्रजबिहारी मिश्र**—यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह कौन सी योजना है ?

श्री राममूर्ति—सर्वेक्षण समाप्त होने पर ही योजना बनायी जायगी।

श्री व्रजबिहारी मिश्र—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि सर्वेक्षण कब तक समाप्त होने की आशा की जा सकती है ?

श्री राममूर्ति—कोशिश तो यही होती है कि काम जल्द समाप्त हो जाय, गालिबन जल्द समाप्त हो जायगा।

श्री झारखण्डे राय—क्या मन्त्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि सर्वे पार्टी के देखने के लिए क्या यह विषय भी है कि जहां पर नदी बहुत टेढ़ी बहती है, उस को सीधा किया जाय ?

श्री राममूर्ति—सर्वे की रिपोर्ट में जितनी भी जरूरी बातें हैं, वह सभी ली जायंगी।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टोंस नदी जहां से निकलती है वहीं से सरजू का पानी बहाकर निकाल लिया जा सके, ऐसी व्यवस्था हो सकती है ?

श्री राममूर्ति—रिपोर्ट आ जाय उस के बाद सोचा जायगा।

श्री व्रजबिहारी मिश्र—क्या इस प्रश्न को दृष्टि में रखकर कि अगले वर्ष अगर अधिक वर्षा हो तो उसके लिए कोई योजना कार्यरूप में परिणित करने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—काम जारी है और जितने जरूरी कार्य हैं वह किये जा रहे हैं और अब हम सब लोगों को उम्मीद करना चाहिए कि अगले वर्ष वर्षा इतनी अधिक न हो कि बाढ़ आयें।

फतेहपुर दीवानी कचेहरी की इमारत को बढ़ाने की आवश्यकता

*९—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर में एडीशनल मुंसिफ फतेहपुर की अदालत के लिये दीवानी का Witness-shed खाली कराया गया है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां।

*१०—**श्री अनन्तस्वरूप सिंह**—अगर हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरसात और धूप से बचत के लिये जनता को अदालत दीवानी फतेहपुर में कहां शरण दी जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—बरसात तथा धूप से बचने के लिये जनता दीवानी अदालत के बरामदे को प्रयोग में ला सकती है।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर दीवानी कचहरी की इमारत के एक्सटेंशन या नई इमारत की व्यवस्था इस साल में हो सकेगी या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—हम कोशिश तो कर रहे हैं कि करेंट इयर में हो सके, लेकिन ख्याल यह है कि यह काम आइन्दा साल शायद जरूर हो सके।

*११-१२—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३-१४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१५-१६—**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७-१९—**श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हरद्वार अर्धकुम्भ मेले पर सरकारी प्रबंध

*२०—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिद्वार में होने वाले अर्ध कुम्भ के सम्बन्ध में वह क्या व्यवस्था करने जा रही है ताकि इलाहाबाद में हुई कुम्भ दुर्घटना की पुनरावृत्ति सम्भव न हो सके ?

श्री कैलाश प्रकाश—हरिद्वार की स्थानीय स्थिति के अनुसार, जो कि इलाहाबाद की स्थिति से भिन्न है, सरकार उचित एवं आवश्यक प्रबन्ध कर रही है तथा यह आशा की जाती है कि जो व्यवस्था की जा रही है उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी, जो प्रबन्ध और व्यवस्था वहां मेले की की जा रही है, उसका समुचित विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—बात बहुत ब्योरे की है और अनेक दिशाओं में प्रबन्ध किया जा रहा है। एक मेला आफिसर पहले ही नियुक्त कर दिया गया था वह सब देख-रेख वहां कर रहे हैं। वहां यात्रियों के आने-जाने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं और वहां बहुत से बाईपासेज भी बनाये जा रहे हैं जिससे ऋषिकेश आदि आने-जाने वालों की भीड़ कम हो सके, नदी पर कई पुल बनाये गये हैं और जो वहां एक विशाल

[illegible] है और आने-जाने वालों के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि भीड़ बहुत हो जाय तो उसको रोका जा सके [illegible] जगह ऊंचे-ऊंचे टावर बना दिये गये हैं जिन पर से मेले की देखभाल [illegible] और वहां टेलीफोन और वायरलेस का प्रबन्ध कर दिया गया है ताकि अगर टेलीफोन के तार [illegible] टूट जायं तो उनका प्रयोग हो सके। इस तरह से तमाम प्रिकाशन्स ली गई हैं बीमारी आदि रोकने के लिए भी माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि टीके आदि का प्रबन्ध किया गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अर्धकुम्भ के मेले में हरद्वार में वी० आई० पीज० के ठहरने का कोई खास प्रबन्ध किया गया है?

श्री कैलाश प्रकाश—वी० आई० पीज० के लिये कोई खास प्रबन्ध नहीं किया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि अर्ध कुम्भ के मेले के अवसर पर जाने के हेतु वी० आई० पीज० और मिनिस्टर्स के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई सर्कुलर भी निकाला है?

श्री कैलाश प्रकाश—मुझे तो इसकी कोई सूचना है नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में कुछ दिन पहले प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें लिखा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार का एक सर्कुलर निकाला है कि स्नान के जो मुख्य दिन हों उस दिन मंत्री आदि मेले में न जायं?

श्री सैयद अली जहीर—अखबार में बहुत सी बातें ऐसी छप जाती हैं जो वाक़ये के खिलाफ होती हैं।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हर की पैड़ी पर कितने चौड़े घाट हैं जिन पर कितने लोग नहा सकेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं जाकर देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर नागा साधु भी इस मेले में आते हैं तो उनकी देखरेख के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है?

श्री कैलाश प्रकाश—अर्ध कुम्भ के मेले पर वे लोग नहीं आते है। उन्होंने यह तय कर लिया है कि इस अर्द्ध कुम्भ पर वे नहीं आयेंगे?

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि महत्वपूर्ण व्यक्ति इस कुम्भ के अवसर पर जरूर जायंगे पुलिस की जो टुकड़ी रक्खी गई है उसका एक हिस्सा उनके लिये रख दिया जाय और बाकी हिस्सा अलग कर दिया जाय?

श्री कैलाश प्रकाश—यह प्रश्न उठता ही नहीं। महत्वपूर्ण व्यक्ति जायंगे तो जो उनका इन्तजाम होता है वह स्वयं अपनी तरफ से होगा। कोई इस बात की आशंका नहीं है कि वहां का जो प्रबन्ध होगा वह किसी की वजह से टूट जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को विदित है कि हर की पौड़ी, हरद्वार के आसपास जगह कम होने के कारण वहां पर भीड़ होने की अत्यधिक संभावना है, तो क्या विशेष इन्तजाम भीड़-भाड़ को रोकने के लिए किया जा रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश—मेरे ख्याल में माननीय सदस्य को इस बात का पता है कि हर की पैड़ी एक विशेष स्थान है और उस विशेष स्थान को पिछले कई वर्षों में ठीक करने का प्रयत्न किया गया और वहां आने-जाने की व्यवस्था है। जो इमारतें बनी हुई हैं उनको ठीक नहीं किया जा सकता है जैसा कई सालों से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है, किन्तु प्रति वर्ष वहां तरक्की होती जा रही है अगर माननीय सदस्य ने जाकर देखा होगा।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी ने ऐसी कोई जानकारी कराई है, जिससे यह पता लग सके कि अबके अर्धकुम्भ मे कितने यात्री पहुंच सकेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसमे तो केवल अनुमान ही लग सकता है। कहा तो नहीं जा सकता है, लेकिन ऐसा ख्याल है कि चार लाख के करीब वहां लोग पहुंच जायं।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या माननीय मंत्री कृपापूर्वक बतलायेंगे कि इस अर्ध कुम्भ की व्यवस्था पर कुल कितना रुपया व्यय होने जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न है न कि रुपये से सम्बन्धित।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मेले के अवसर पर कितने स्थायी और अस्थायी पुल बनाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सात तो अस्थायी पुल हैं और एक स्थायी पुल बनाया गया है।

ग्राम सभाओं तथा पंचायतों के निर्विरोध चुनाव विजेताओं को कथित पुरस्कार

*२१—**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कुल कितने ग्राम सभा के सभापति और कितने पंचायती सदस्यों का चुनाव किया गया है तथा उनमें कितनों का चुनाव निर्विरोध हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रदेश में ७२,०२५ प्रधानों और १३,०८,६०६ ग्राम-पंचायत सदस्यों का निर्वाचन हुआ है जिनमें ३६,३३० प्रधान और ६,६८,२६७ सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—जहां चुनाव निर्विवाद हुआ है क्या उन ग्राम सभाओं को सरकार कोई पुरस्कार देने का विचार रखती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—नहीं। कोई पुरस्कार देने का विचार नहीं है।

श्री रामदास आर्य—क्या यह सही है कि जिला अधिकारियों ने जनता में यह घोषणा की है कि जहां चुनाव निर्विरोध होगा वहां पारितोषिक दिया जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—मेरे विचार से ऐसी कोई घोषणा कि पारितोषिक दिया जायगा जिलाधीशों ने नहीं की है। हां, जिलाधीशों ने इस बात का प्रचार किया है कि उनको निर्विवाद चुनाव करना चाहिए क्योंकि निर्विवाद चुनाव होने पर उनके गांव का काम अच्छा होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश मे कुछ ऐसी भी गांव सभाएं हे जहां पर अभी तक सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर टिकट लेने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश——कुछ हो सकती है। उसकी ठीक जानकारी यहां नहीं है कि कितनी ह और है तो कौन है जहां बिल्कुल सदस्य चुने नहीं गये।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलों के अधिकारियों को ग्राम सभाओं को पुरस्कार देने का अधिकार है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश——पुरस्कार तो रुपये पैसे में होता है। बजट मे तो कोई व्यवस्था है नहीं कोई ऐसा पुरस्कार देने की।

*२२——**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**——[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया]

आजमगढ़ जिले में पंचायत राज इन्स्पेक्टर तथा पंचायत मन्त्रियों के स्थान

*२३——**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले मे कितने पंचायत राज इन्स्पेक्टर और पंचायत मंत्रियों की जगहे कब से रिक्त हैं तथा क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश——आजमगढ़ जिले में पंचायत इन्सपेक्टर अथवा पंचायत मंत्री की कोई भी जगह इस समय रिक्त नहीं है।

*२४——**श्री अनन्तस्वरूप सिंह**——[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२५-२६——**श्री कल्याण चन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)——[१० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।)

आजमगढ़ जिले मे मऊनाथ भंजन के ध्वस्त पुल का पुर्निर्माण

*२७——**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)——क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले मे मऊनाथ भंजन का ध्वस्त बड़ा पुल कब तक तैयार हो जायेगा और इस पर कब पुर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री कैलाश प्रकाश——मई, १९५८ तक इस पुल के तैयार हो जाने की आशा की जाती है। इस पुल का आगणन तैयार किया जा रहा है जो केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। आगणन पर केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर पुल के पुर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नया पुल जो बनने वाला है वह ध्वस्त पुल के किधर बनेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश——इसका तो अभी नक्शा तैयार किया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तखमीना भारत सरकार के पास कब तक भेजा जा सकेगा ?

श्री कैलाश प्रकाश——भारत सरकार के पास तखमीना भेजा भी गया था। भारत सरकार के मुख्य अभियन्ता ने कुछ सुझाव भी दिये हैं और वह यहां प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार करके फिर तखमीना भेजा जायगा।

नोटः——तारांकित प्रश्न २७-२८श्री रामसुन्दर ने पूछे।

आजमगढ़ जिले में नलकूप योजना

*२८—**श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में सन् १९५६ में प्रत्येक तहसील में कितने नलकूप लगाने की योजना है?

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले के लिये १४७ नलकूप निर्धारित थे जिनमें से १४२ बन चुके हैं। बाकी, पांच अर्थात् एक सगड़ी तहसील में तथा ४ मुहम्मदाबाद तहसील में, इस वर्ष बन जायेंगे।

इनके अलावा १०० नलकूप आजमगढ़ जिले के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्धारित हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १०० नलकूप बनाये जाने वाले हैं वह किन-किन तहसीलों में लगाये जायेंगे?

श्री राममूर्ति—अभी नलकूपों की साइटिंग नहीं हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ५ नलकूप जो नहीं बन सके हैं, उसका क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि अब तक वह भी बन चुके होंगे। जिस वक्त जवाब मांगा गया था उस वक्त बन रहे होंगे।

फैजाबाद जिले में टांडा नहर का निर्माण

*२९—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ नहर जो फैजाबाद जिले से टांडा के पास से घाघरा से पानी उठा कर चालू करने की योजना के अन्तर्गत है, १९५६ के अन्त तक कहां तक बन जायेगी?

श्री राममूर्ति—सन् १९५६ के अन्त तक टांडा मुख्य नहर, उसकी शाखायें और दो-तिहाई रजवाहे बन जायेंगे।

*३०—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या उस भाग में सन् १९५६ तक सिंचाई के लिये पानी दिया जा सकेगा?

श्री राममूर्ति—नहर बिजली से चलेगी। अतः कोशिश की जा रही है कि १९५६ के अन्त तक नहर अपनी क्षमता के कुछ हिस्से का पानी दे दे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि टांडा के पास जो पम्पिंग स्टेशन बन रहा है उसके लिये आवश्यक सामान के बारे में अब तक क्या प्रगति सरकार ने की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा ख्याल है कि पम्पिंग सेट्स के आर्डर वगैरह दिये गये होंगे, ठीक तरह से मैं नहीं बता सकता। लेकिन पम्पिंग सेट्स जैसे मंगाये जाते हैं, उसी प्रकार आर्डर वगैरह किया होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जब वह चाहें तब उनको बिजली सुहावल पावर हाउस से मिल सकेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सुहावल के पावर हाउस को बढ़ाने की कोशिश हो रही है और शायद वह कार्यवाही तेजी के साथ की जा रही है। जेनरेटर्स वगैरह भी मंगाये जा रहे हैं और वह स्टीम स्टेशन बनायेंगे। पावर हाउस बनाने का काम तेजी

से चल रहा है। ऐसा ख्याल है कि जून, १९५६ के आखीर तक वहां स्टीम स्टेशन से बिजली मिलने लगेगी। अगर पूरी नहीं तो कम से कम टांडा नहर का कुछ हिस्सा तो चला सकेंगे।

श्री उमाशंकर---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आज कल इस नहर की खुदाई बन्द है?

श्री राममूर्ति--- जी नहीं, काम चल रहा है।

श्री रामदास रविदास--- क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि महरीपुर-टांडा कैनाल जहां से चालू हो रही है वहां पर काम बन्द है?

श्री राममूर्ति--- मैंने जैसा अर्ज किया काम बन्द नहीं है, चल रहा है। ४०, ४४ मील मेन कैनाल खोदी गई है, और डिस्ट्रीब्यूटरीज बन रही हैं।

*३१-३३---श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में नलकूप संचालकों के चुनाव के लिये इंटरव्यू

*३४---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के कुछ उम्मीदवारों को सिंचाई की आपरेटरी के लिये ता० ३० अगस्त, १९५५ को बनारस इंटरव्यू के लिये बुलाया गया था और इंटरव्यू नहीं हुआ, तदन्तर उनको ३१ अगस्त और फिर १ सितम्बर को बुलाया गया और अन्त में कहा गया कि इंटरव्यू नहीं होगा? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री राममूर्ति---जौनपुर जिले के केवल एक उम्मीदवार को नलकूप संचालकों के चुनाव में ३० अगस्त, १९५५ को बुलाया गया था जब कि वह अपने आयु तथा योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं लाया था। उसे ३१ अगस्त तथा १ सितम्बर को नहीं बुलाया गया बल्कि उससे कहा गया था कि उसके पास प्रमाण-पत्र आदि न होने के कारण इन्टरव्यू की दूसरी तिथि निश्चित की जायेगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार बतायेगी कि इंटरव्यू की दूसरी तिथि निश्चित की गई अभी तक या नहीं और नहीं की गई तो क्यों?

श्री राममूर्ति---दूसरी तिथि २२ सितम्बर और ११ अक्तूबर थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या इसकी सूचना उम्मीदवारों को भी दी गई थी या वह निश्चित करके किस प्रकार लोगों को बताया गया?

श्री राममूर्ति---उम्मीदवारों को सूचना दी गई थी। १०८ उम्मीदवार आये थे जिन में से ६२ आदमी लिये गये।

आजमगढ़ जिले की पकड़ी पम्प नहर

*३५---श्री झारखंडे राय---क्या सरकार बतायेगी कि पकड़ी पम्प नहर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का निर्माण कुछ दिनों से बन्द पड़ा है और नहर अधूरी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति---जी नहीं, पकड़ी ताल नहर का निर्माण-कार्य पूरी गति से चल रहा है। यह कार्य किसी समय रोका नहीं गया।

*३६---श्री झारखंडेराय---क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त पम्प नहर कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री राममूर्ति—उपर्युक्त नहर का निर्माण-कार्य जून सन् १९५६ के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

गाजीपुर जिले में सिंचाई विभाग का कार्य

*३७—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सिंचाई विभाग द्वारा जिला गाजीपुर में चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कौन-कौन सा कार्य हो चुका है और क्या शेष रह गया है ?

श्री राममूर्ति—गाजीपुर जिले के प्रथम पंचवर्षीय योजना में होने वाले कार्यों का विवरण निम्नलिखित है—

नलकूप—१०१ नलकूप बनाने की योजना है । ५३ नलकूप बन चुके हैं और शेष पर काम चालू है ।

नौगढ़ बांध तथा चन्दौली नहरें—

इस बांध से गाजीपुर जिले को भी लाभ पहुंचेगा । बांध का निर्माण पूरा हो चुका है। कुछ छोटे काम शेष हैं जो इस वर्ष १९५६–५७ में समाप्त हो जायेंगे ।

खरारी खुरहट सिंचाई योजना—

यह योजना लगभग पूर्ण हो चुकी है ।

श्री शिवपूजन राय—क्या यह सही है कि शेष नलकूपों पर काम किसी विदेशी कम्पनी का चल रहा है । उसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—हां, कुछ नलकूप एक फ्रेंच कम्पनी है वह बना रही है और कारण कुछ नहीं है सिवाय इसके कि उनको बनाने का ठेका दिया गया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १०१ नलकूपों में से केवल ५३ ही बने, इसका कारण क्या है ?

श्री राममूर्ति—अक्सर नलकूपों में बहुत सी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं स्ट्राटा वगैरह की और कुछ यह भी कि जो फ्रेंच कम्पनी है इसने भी कुछ देरी की । यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की नोटिस में लाया भी गया था लेकिन उससे कोई ज्यादा कारामद बात नहीं निकली, इस कारण काम उनसे कराया जा रहा है ।

श्री कमला सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो ४८ नलकूप बचे हुए हैं उनका रुपया लैप्स तो नहीं करेगा और अगर नहीं करेगा तो यह कब तक तैयार हो जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लैप्स कोई रुपया नहीं करेगा । जून तक सब तैयार हो जायेंगे और जून तक इन रुपयों की अवधि भी है, और अगर कोई काम बदकिस्मती से रह जायगा तो फिर वह सेकेंड फाइव ईयर प्लान में चला जा रहा है । यद्यपि हमारी चेष्टा तो यही है कि जून तक हमारे सब नलकूप तैयार हो जायं । जो कुछ थोड़े बहुत रह गये उनकी वजह यह है कि कई बार स्कीमें गवर्नमेंट आफ इंडिया की आईं । एक बार ४४० की, दूसरी बार ९९५ की फिर २८० की और फिर ४२० की यानी ४२० कुएं बनाने की स्कीम आई । तो जिस-जिस वर्ष में वह आती गई उस-उस वर्ष में उन पर काम शुरू होता गया । अब जो स्कीम ५४ में या ५५ में आई उसमें अवश्य कुछ देर लगेगी ।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि इन नलकूपों के निर्माण के लिए विदेशी कम्पनियों को क्यों ठेका दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—यह बात हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से ठेके हुए थे, रुपये भी उन्हीं के थे। इसमें हमारा हाथ नहीं था।

गाजीपुर जिले में नलकूपों पर गूलों का निर्माण तथा सिंचाई की दर

*३८—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि गाजीपुर जिले के माधोपुर, मिश्रोली, जरगों, नसीरपुर, नलकूप में कितनी लम्बी अलग-अलग पक्की गूलें तैयार हो गई हैं तथा सरकार का कितना रुपया इस कार्य में व्यय हुआ है?

श्री राममूर्ति—गाजीपुर जिले में माधोपुर, मिश्रोली तथा नसीरपुर नलकूपों पर दो-दो मील और जरगों नलकूप पर १ मील ५ फर्लांग लम्बी पक्की गूलें तैयार हो गई हैं। इस कार्य में सरकार का ४५,००० रुपया व्यय हुआ है।

*३९—श्री यमुना सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किसान के जिस नम्बर के खेत में नलकूप लगा है उसका कुछ सरकार मुआवजा भी देने का विचार रखती है?

श्री राममूर्ति—जी हां।

*४०—श्री यमुना सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में टोंस नदी, रामगढ़ ग्राम के पास से जो नहर निकाली गई है, उसका सिंचाई का रेट प्रति एकड़ क्या है?

श्री राममूर्ति—गाजीपुर जिले में रामगढ़ ग्राम के पास जो नहर निकाली गई है उसके द्वारा सिंचित क्षेत्र पर जो रेट लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है उसकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४६ पर)

श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या गूलों से सिंचाई का काम पूरा हो जायगा?

श्री राममूर्ति—पूरा तो होना चाहिये और अगर कुछ काम रह जायगा तो गूलें और बढ़ा दी जायंगी।

श्री भोलासिंह-यादव—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुआवजा कब तक दे दिया जायगा?

श्री राममूर्ति—इसके बारे में जो हमारे लैन्ड रेक्यूजीशन आफिसर्स हैं वह कार्यवाही कर रहे हैं और मैंने पिछली बार बतलाया था कि ५ स्पेशल आफिसर लगा दिये गये हैं जो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मुआवजा शीघ्र दे दिया जाय?

बुलन्दशहर जिले में जमुना के कटाव को रोकने के लिये प्रार्थना

*४१—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि परगना दादरी, जिला बुलन्दशहर के ग्राम अटटा, छलेरा, रायपुर, असगरपुर, शाहपुर गोवर्धनपुर की भूमि जमुना नदी के कटाव से अत्यधिक कट चुकी है? यदि हां, तो सरकार ने इस कटाव को रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किया है?

नोट—तारांकित प्रश्न ३८-४० श्री भोलासिंह यादव ने पूछे।

श्री राममूर्ति—जिला बुलन्दशहर के इन ग्रामों की कुछ भूमि जमना नदी में बाढ़ के पानी से पिछले कुछ वर्षों से कट रही है। इस कटाव के रोकने के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया क्योंकि कटने वाली भूमि खादड़ है तथा इन ग्रामों की आबादी को जो नदी के किनारे से बहुत दूर है इस कटाव से किसी भय की आशंका नहीं है और इस लिये भी कि कटाव से बचाने की लागत, उस भूमि की कीमत से, जो बचाई जा सकती है, बहुत अधिक होगी।

*४२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि भूमि के इस प्रकार कटाव के कारण देहली राज्य और पंजाब राज्य के लोगों से कुछ विवाद भी उत्पन्न है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ग्राम गमगरपुर और रायपुर जो बिलकुल नदी के किनारे है, उनके किनारे कट चुके है और उनकी आबादी तक को खतरा हो गया है?

श्री राममूर्ति—माननीय सदस्य को खतरा मालूम होता है लेकिन अभी इंजीनियरिंग विभाग को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि जमुना के दायें किनारे पर देहली और पंजाब की तरफ बांध बनते चले जा रहे हैं और किनारे की जमीन पर काश्त करा रहे हैं जिसकी वजह से जमुना नदी का कटाव दिनों दिन उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश की भूमि दिनो दिन कटती जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिल्ली प्रदेश की सरकार के कुछ गांव है, और जहां इस साल यमुना की बाढ़ आई उस सारे एरिया का हम सर्वे भी करा रहे हैं और जहां कहीं कटाव हो रहा है, या जहां कहीं पानी आने से खतरा होता है बाढ़ आने का उस सब की रिपोर्ट शीघ्र ही हमारे पास आ जायगी और रिपोर्ट आने के बाद फिर बाढ़ से रक्षा के लिए और कटाव से रक्षा के लिए जो मुनासिब इन्तजाम होगा वह किया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि जो जमीन उत्तर प्रदेश की जमुना के इस तरफ की कट चुकी है उस पर दिल्ली और पंजाब के लोग कब्जा किये हुए हैं और उस पर मुकदमें भी चल रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न तो सिंचाई विभाग से सम्बन्ध रखता नहीं। मैं समझता हूं कि जो अनुपूरक प्रश्न किया गया है वह माल विभाग से संबंध रखता है, इसलिए कि जो जमीन नदियों में कटती है उसके भिन्न स्थानों में कुछ मुआहिदे और परम्पराएं चली आ रही है कि इस पार वह जमीन पड़े तो किसकी हो और उस पार पड़े तो किस की हो, और प्रदेश में कई स्थानों पर यह प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इस विषय में माल मंत्री जी से माननीय सदस्य बात कर लेंगे तो पता चल जायगा।

श्री अध्यक्ष—इसमें जो प्रश्न ४२ है उसमें सरकार से पूछा गया था कि क्या कुछ विवाद उत्पन्न हो गया और 'सरकार' शब्द में तो माल मंत्री भी आ जाते हैं।

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)—यह सवाल दोहरा दिया जाय तो मैं अभी जवाब दे दूं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार यह जांच करायेगी कि जमुना नदी के कटाव के कारण जो भूमि उत्तर प्रदेश की धार के उस तरफ चली गयी है उस पर इस प्रदेश और दिल्ली के किसानों में मुकदमे चले हुए हैं?

श्री चरणसिंह—जी, इसमें जांच कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कोई नया मसला नहीं है। लैन्ड रेवेन्यू मैनुअल की धारा १६२३ और १६२४ को कोई पढ़ेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि यह पुराना मसला है और काफी इसको तय कर दिया गया है। उसके सिलसिले में नियम निर्धारित किये जा चुके हैं कि अगर जमीन इस तरह से धीरे-धीरे कटती है कि उसका आईडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता तो जिसके खेत में मिल गयी, वह उसकी हो गयी, और अगर उसका आईडेंटिफिकेशन हो सकता है तो जिसकी जमीन वह पहले थी वह उसकी हो जायगी, चाहे नदी के इधर की हो या उधर की।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि यमुना नदी की दो बड़ी धाराएं इस स्थान पर, जहां का सवाल किया गया है, हो गयी है और यह विवाद बना हुआ है और निर्णय नहीं हो पाया है कि जमुना की मुख्य धारा कौन मानी जाय, इस कारण से मुकदमे बाजी होती है?

श्री चरण सिंह—यह तो किसी खास जगह का मामला मालूम होता है और वह अदालत में मामला चला होगा, मुझे उसकी इत्तला नहीं है।

*४३-४५—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[१७, अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

*४६—श्री भोलासिंह यादव—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४७—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*४८-४९—श्री रामलखन मिश्र—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०—श्री गजेंद्र सिंह (जिला इटावा)—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५१—श्री गजेंद्र सिंह—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५३-५५—श्री दलबहादुर सिंह (जिला रायबरेली)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न १८-२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५६—श्री गजेंद्र सिंह—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५७-५८—श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५९—श्री गंगा प्रसाद सिंह—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कसया में मुन्सफी खोलने से इन्कार

*६०—श्री रामसुभग वर्मा—क्या न्याय मन्त्री पडरौना तथा हाटा तहसील की जनता की सुविधा को देखते हुये कसया में मुन्सफी कचहरी खोलने जा रहे हैं? यदि हां, तो कब, यदि नहीं तो क्यों?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न को माननीय सदस्य वापस लेना चाहते हैं, इस लिए कि जो जवाब उन्हें मिला है अगर उसको माननीय सदस्य सुन लें तो उनको तकलीफ होगी

[श्री अध्यक्ष]
जवाब सुनने में, यह कारण मुझे उचित नहीं मालूम होता। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इसके लिए आज्ञा दे दूं तो वह वापस ले लेंगे। मैं समझता हूं कि वह कोई ऐसे छुई-मुई तो होंगे नहीं कि माननीय सदस्य जवाब सुन कर घबरा जायं, इस लिए इजाजत नहीं देता हूं। इस पर भी अगर वह खड़े न हों तो यह खत्म हो जायगा।

(श्री राम सुभग वर्मा के खड़े होने पर प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया।)

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। अभी कसया में मुन्सफी कचहरी खोलने का कोई विचार नहीं है क्योंकि वहां एक मुन्सिफ के देखने के लिये मुकदमों की संख्या अपर्याप्त है और कचहरी और मुन्सिफ के रहने के लिये जगह की कमी है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय न्याय मंत्री जी के सामने जो लेटेस्ट फीगर वहां के मुकदमों के सिलसिले में आये है, उसको ध्यान में रख कर उत्तर उन्होंने दिया है?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे पास जो फीगर्स है वह सन् १९५३ तक के हैं और उसके देखने से यह मालूम होता है कि वहां की माहाना ऐवरेज सिर्फ ३३ मुकदमों का है और हाई कोर्ट के नजदीक यह काफी नहीं है।

श्री गेंदा सिंह—क्या सन् १९५४-५५ के भी फीगर्स देखने के बाद माननीय न्याय मंत्री अपनी राय बदलने के लिये तैयार है?

श्री सैयद अली जहीर—मैं सन् १९५४-५५ के भी फीगर्स को देख लूंगा। उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो फिर गौर कर के राय बदली जा सकती है।

*६१—**श्री विश्राम राय**—[१ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

नहर विभाग में घोड़ा रखने वाले अधिकारियों को भत्ता

*६२—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नहर विभाग में किस-किस कर्मचारी के लिये घोड़ा रखना आवश्यक है?

श्री राममूर्ति—यों तो सिचाई विभाग में किसी कर्मचारी के लिये घोड़ा रखना अनिवार्य नहीं है परन्तु चालू नहरों पर काम करने वाले अधिकारियों के लिये घोड़ा रखना आवश्यक है।

*६३—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि किस-किस कर्मचारी को कितना-कितना घोड़े का भत्ता दिया जाता है?

श्री राममूर्ति—सिचाई विभाग के जो कर्मचारी या अधिकारी घोड़ा रखते हैं उन्हें घोड़े का भत्ता दिया जाता है। उस भत्ते की दरें निम्नलिखित हैं:—

इग्जीक्यूटिव इंजीनियर	..	७५ रु० मासिक।
असिस्टेंट इंजीनियर	..	७५ रु० मासिक।
डिप्टी रेवेन्यू आफीसर	..	७५ रु० मासिक।
जिलेदार	..	३७ रु० ८ आना मासिक।
ओवरसियर	..	३७ रु० ८ आना मासिक।

*६४—**श्री श्रीचन्द्र**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नहर विभाग के कर्मचारियों को जिनके पास घोड़ा है घोड़े के भत्ते के साथ ही मोटर का यात्रा-व्यय भी दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—निम्नलिखित अफसरों को, घोड़े के भत्ते के अतिरिक्त, मोटर द्वारा यात्रा करने पर यात्रा-व्यय भी दिया जाता है :—

१—इग्जीक्यूटिव इंजीनियर।
२—असिस्टेंट इंजीनियर।
३—डिप्टी रेवेन्यू आफीसर।

उपरोक्त अधिकारियों के कार्यक्षेत्र इतने बड़े है कि पूरे क्षेत्र में दौरा केवल घोड़े के द्वारा नहीं हो सकता है। अतः सरकारी कामों के हित में मोटर द्वारा दौरा करना जरूरी हो जाता है जिसके लिये अधिकारियों को नियमानुसार मोटर का यात्रा-व्यय भी दिया जाता है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या कोई आदेश इस प्रकार के जारी हुये थे कि अक्टूबर सन् १९५५ तक ही नहर चालू के अधिकारी तथा कर्मचारी घोड़े रखना आरम्भ कर दे ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो घोड़े एक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स, डिप्टी रेवेन्यू आफिसर्स, जिलेदार तथा ओवरसियर्स रखते है उनके भत्तों में यह अन्तर क्यों है ?

श्री राममूर्ति—चूंकि घोड़ों मे अन्तर है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन घोड़ों मे किस प्रकार का अन्तर है और क्या यह सही है कि एक ही नाप के रखे जाते है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, एक ही नाप के घोड़े नहीं रखे जाते है। जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास पहली कैटेगरी के घोड़े है उनकी कीमत ९ सौ रुपये है और दूसरी कैटेगरी के जो है उनकी कीमत ३०० रुपये की है।

श्री रामदास रविदास—क्या ये घोड़े उन्हीं नहरों पर रखे जाते है जहां नहरों के बगल से होकर जानेवाले मोटर के रास्ते नही है ?

श्री राममूर्ति—हर डिवीजन के अन्दर ऐसी भी नहरे है जहां पर मोटर के लिये रास्ता नहीं है और ऐसी नहरे भी है जिनपर मोटर चलने का रास्ता है तो इसका ख्याल कुछ नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस संबंध में प्राक्कलन समिति ने क्या सिफारिशें की थीं और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राममूर्ति—इस समय उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है। अगर सूचना दी जाय तो उसके बारे मे जानकारी करा लं।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जो सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी घोड़ा नहीं रखते है उनको भी घोड़े का भत्ता मासिक दिया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—१५० आफिसर्स के लिये आदेश दिये गये थे कि घोड़ा रखें। १६ के पास घोड़े है बाकी खरीदने का इन्तजाम हो रहा है।

*६५-६६—श्री खयालीराम (जिला मुरादाबाद)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६७-६९—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*७०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले में लगाये गये रेडियो सेट

*७१—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला जालौन मे कितने रेडियो सेट सरकार द्वारा लगाये गये है और उनमें कितने चालू है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—जिला जालौन में सरकार द्वारा ४७ रेडियो सेट लगाये गये है। ये सब रेडियो सेट चालू है।

*७२—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रेडियो कितने गांव सभाओं को व कितने-कितने अन्य संस्थाओं को प्रदान किये गये है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—ये रेडियो सेट जिन संस्थाओं को दिये गये हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार है:—

कोआपरेटिव सोसाइटीज	..	..	३९
ग्राम सभायें	..	..	४
स्कूल	..	..	३
सर्वोदय आश्रम	..	..	१
		योग..	४७

*७३—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सरकारी रेडियो सेट किस आधार पर दिये जाते है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—ये रेडियो सेट सूचना विभाग की सामूहिक श्रवण योजना के निर्धारित नियमों (प्रतिलिपि संलग्न) के अन्तर्गत संस्थाओं या संरक्षकों को उधार दिये जाते हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४७–१४९ पर)

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार उन चार ग्राम सभाओं तथा तीन स्कूलों के नाम बताने की कृपा करेगी जिनको रेडियो सेट्स प्रदान किये गये है और इनको ये रेडियो सेट्स कब दिये गये ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—लिस्ट बहुत बड़ी है; इसमें खोजना पड़ेगा।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि सामूहिक रेडियो सेट्स के इस्तेमाल के संबंध में बने हुये नियमों का उल्लंघन करके ग्राम सभा के अध्यक्ष आदि रेडियो सेट्स को अपने घर पर लगा कर उसका प्रयोग करते है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी अगर कोई शिकायत आती है तो उन पर कार्यवाही की जाती है क्योंकि गवर्नमेंट के यह आदेश हो चुके हैं कि कोई इसको अपने घर में न रखे और गांव सभाओं में, कोआपरेटिव्ज में या और दूसरी सार्वजनिक जगहों में रखें जायं।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार को मालूम है कि रेडियो सेट्स बिगड़ जाने पर महीनों वे ऐसे ही पड़े रहते है ? यदि हां, तो उनकी मरम्मत आदि के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मरम्मत के लिये तो अब हम कई सर्विस स्टेशंस भी खोल रहे है। इलाहाबाद में भी खुल गया है, मेरा ख्याल है लखनऊ में है। मेरठ में भी खुलेगा, गोरखपुर में भी खुलेगा और बनारस में भी खुलेगा। यह इस विचार से कि जो रेडियो सेट्स उस एरिया या जोन के भीतर बिगड़ें उनकी वहाँ सर्विसिंग हो जाय और बना दिये जायं।

वैसे अब तक यह व्यवस्था रही है कि सूचना मिलने पर हम हेडक्वार्टर्स पर उसको मंगा लेते हैं, यहां हमारा रेडियो इंजीनियरिंग विभाग उसे ठीक कर देता है और जल्द से जल्द उसे फिर वहां भेज दिया जाता है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गांव सभाओं के अलावा और किन-किन संस्थाओं को सरकार की ओर से रेडियो दिये गये हैं या दिये जाने वाले हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हैं तो वह गांव सभाओं के लिये, लेकिन अब हमने कोआपरेटिव्ज को भी दिया है, स्कूलों को भी देते हैं, वाचनालयों को भी देते हैं और अब तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका कुछ विस्तार करना चाहते हैं, इस दृष्टि से भी कि कुछ शहरों वगैरह में भी लगाये जायं या जहां लेबर कालोनीज हैं वहां भी लगाये जायं।

श्री बाबूनन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि महिला मंगल योजना के लिये भी रेडियो दिये गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। महिलाओं को तो सब कुछ आधा प्राप्त करने का अधिकार है।

श्री कमला सिंह—क्या यह सही है कि जिलों में जितने मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर्स और आपरेटर्स रखे गये हैं उनको अभी तक सरकार की तरफ से कोई सामान मरम्मत के लिये नहीं मिला है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी सूचना मिलने पर जवाब दिया जा सकता है लेकिन यदि रखे गये हैं तो उनको सामान दिया गया होगा। यदि गाजीपुर में ऐसा हो तो वह सूचना दे दें, मैं जांच करवा लूंगा।

*७४–७६—श्री जगदीश प्रसाद—[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*७७–७९—श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—[१७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*८०—श्री रामदास—[४ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

झांसी म्युनिसिपल बोर्ड पर बकाया

*८१—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी म्युनिसिपल बोर्ड को सरकार चुंगी की वापसी, ठेकेदारों व माल सप्लाई करने वाले आदि अन्य लोगों का कुल कितना रुपया अदा करना है व कितनी रकमें ऐसी हैं, जिनका तीन वर्ष से पेमेंट नहीं हुआ तथा इस वर्ष के बजट में कितना घाटा है?

श्री कैलाश प्रकाश—सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५० पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लगभग २५ लाख रुपये की रकम के अलावा बोर्ड को बिजली कम्पनी तथा नहर विभाग का कितना रुपया देना है?

श्री कैलाश प्रकाश—यह आंकड़े इस समय नहीं हैं। माननीय सदस्य यदि नोटिस देंगे तो मंगा दिये जायेंगे।

झांसी म्युनिसिपल बोर्ड के कुप्रबंध की शिकायत

*८२—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने सन् १९५२–५३ से १९५४–५५ तक सड़कों के लिये उक्त बोर्ड को कितना रुपया दिया और उसने उसमें से अभी तक सड़कों पर कितना खर्च किया तथा १ नवम्बर, १९५५ को बोर्ड का Closing balance क्या था ?

श्री कैलाश प्रकाश—झांसी नगरपालिका को १९५२–५३ में सड़कों के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया था। १९५३–५४ और १९५४–५५ में उक्त नगरपालिका को सड़कों के लिये क्रमशः ७५,००० तथा ६९,१०० रुपया अनुदान दिया गया। १९५३–५४ के अनुदान की रकम नगरपालिका खर्च कर चुकी है किन्तु १९५४–५५ का अनुदान अभी खर्च नहीं हो सका है। नगरपालिका का closing balance १ नवम्बर, १९५५ को १,३९,३३० रु० ५ आ० ६ पा० था।

*८३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार ने उक्त बोर्ड की माली हालत की खराबी व बदइन्तजामी तथा आडीटरों की लगातार खिलाफ रिपोर्ट आदि के आधार पर पिछले बोर्ड के समय में इस संबंध में उसको कोई पत्र भेजा था ? यदि हां, तो क्या वह उसे मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—सन् १९४८–४९ की आडिट रिपोर्ट के आधार पर एक पत्र पिछले बोर्ड को अक्टूबर सन् १९५३ में भेजा गया था जिसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५१ पर)

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या यह बात ठीक है कि उक्त रकम के अलावा २० जुलाई, १९५५ को बोर्ड को ९५,१०० रुपये दिये गये थे ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन यदि माननीय सदस्य बतलायें कि किसी और कार्य के लिये दिये गये हैं तो उसकी सूचना प्राप्त की जा सकती है।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पत्र भेज देने के बाद सरकार ने इसके संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह पत्र पिछले बोर्ड को लिखा गया था और नवम्बर में चुनाव हो गया और नया बोर्ड आ गया और वह अपना कार्य करता रहेगा। ऐसी आशा थी कि वह इसको सुधार लेंगे लेकिन अब उनको भी शिकायतें हैं, उनकी देखभाल की जा रही है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५४-५५ का जो रुपया था वह किन कारणों से खर्च नहीं हो सका ?

श्री कैलाश प्रकाश—१९५४–५५ का रुपया इस कारण से खर्च नहीं हो सका कि वह कोई सड़क नहीं बना सके।

जिला बोर्ड बस्ती को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा स्कूलों के लिये सहायता

*८४—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में कितनी-कितनी सहायता जिला बोर्ड बस्ती को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा स्कूलों के लिये सरकार ने दी है ?

श्री सैयद अली जहीर—वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में जिला बोर्ड बस्ती को बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा भवनों जिसमें स्कूलों की इमारतें भी सम्मिलित हैं के सुधार के लिये १,००,००० रुपया का अनुदान सरकार से मिला है। वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में इस बोर्ड को ९०,००० रु० का अनुदान इस संबंध में दिया गया है। इसके अतिरिक्त १९५५–५६ में इस बोर्ड को बाढ़ से क्षतिग्रस्त जूनियर हाई स्कूलों की इमारतों के निर्माण व सुधार के लिये ५,२०० रुपये का एक और अनुदान भी दिया गया है।

*८५—श्री धनुषधारी पांडेय (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त सालों में जिला बोर्ड बस्ती ने सरकार की सहायता द्वारा बाढ़ क्षेत्र की किन-किन सड़कों तथा स्कूलों की इमारतों को ठीक कराया है ?

श्री सैयद अली जहीर—वित्तीय वर्ष १९५४–५५ में मिले अनुदान से जिला बोर्ड बाढ़ क्षेत्र के जिन-जिन पाठशाला भवनों, सड़कों और पुलियों की मरम्मत या निर्माण करवा रहा है उनकी सूची संलग्न है।

वित्तीय वर्ष १९५५–५६ के अनुदान की धनराशियां बोर्ड को कुछ ही दिन पहिले प्राप्त हुई हैं इसलिये उनके द्वारा किये गये कामों की सूची देने का प्रश्न अभी पैदा नहीं होता है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५२–१५३ पर)

खीरी-ईसानगर रोड के आंशिक भाग का पक्का किया जाना

*८६—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का विचार खीरी-ईसानगर रोड, जिला खीरी के ऐरा से ईसानगर तक के भाग को पक्का करने का है ?

निर्माणमंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—खीरी-ईसानगर सड़क के मील १८ फर्लांग ३ से मील २२ फर्लांग २ तक का भाग पक्का किया जा रहा है। शेष कच्चे मीलों को पक्का करने की इस समय कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

खीरी-ईसानगर रोड पर घघौवा नदी के पुल निर्माण पर व्यय

*८७—श्री जगन्नाथ प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि खीरी-ईसानगर रोड पर घघौवा नदी के पुल के निर्माण करने में कितना व्यय हुआ ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—इस पुल के निर्माण में लगभग ६४,००० रुपया खर्च हुआ है।

खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं पर बिक्री करारोपण से उत्पन्न परिस्थिति पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—कल जो कामरोको प्रस्ताव श्री गेंदासिह जी ने दिया था, उस पर मैंने इसलिए अपना निर्णय आज के लिए स्थगित कर दिया था कि उन्होंने अपने बयान में कुछ यह जिक्र किया था कि माननीय वित्त मन्त्री ने बजट के समय कुछ वायदा किया था जिसको उन्होंने तोड़

नोट—तारांकित प्रश्न ८४–८५ श्री राजाराम शर्मा ने पूछे।

[श्री अध्यक्ष]

दिया है। तो माननीय वित्त मन्त्री कल यहां मौजूद नहीं थे, मैंने यह उचित समझा कि उनको मौका दिया जाय और उसके पहले मैं कोई अपना निर्णय उसके सम्बन्ध में न दूं। वह प्रस्ताव यह था :—

"खाद्यान्न तथा दूसरी जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर गत पहली अप्रैल से सरकार द्वारा बिक्री-कर का बोझ बढ़ा देने के कारण जो राज्य भर मे व्यापक क्षोभ और असन्तोष की भावना उत्पन्न हो गयी है उस पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करने का निश्चय करता है।"

इसकी अरजेंसी के सिलसिले में मैंने माननीय गेंदा सिंह जी से पूछा था तो उसमें उन्होंने वित्त मन्त्री जी के वादे का जिक्र किया था। माननीय वित्त मन्त्री ने शायद यह मालूमात हासिल कर ली होगी कि कल के भाषण में उनका क्या जिकर आया था।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैंने तो हासिल नहीं की है।

श्री अध्यक्ष—इसका मतलब यह है कि इस बारे में फिर से माननीय गेंदा सिंह जी को तकलीफ देनी पड़ेगी, कि वह इस बात का जिकर कर दें कि उन्होंने आपके बजट के सिलसिले के भाषण के बारे में क्या कहा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मै जनाब वाला से अर्ज करूंगा कि पहले मेरी गुजारिश सुन ली जाय। गालिबन जब मैं पोजीशन को एक्सप्लेन कर दूं तो मै समझता हूं कि उसकी जरूरत नहीं होगी। मैं गुजारिश यह करना चाहता हूं कि इस वक्त वह शब्द तो मेरे सामने नहीं है जिसकी बाबत गेंदा सिंह जी ने फरमाया, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा उसके मायने सिवाय इसके कुछ नहीं हो सकते कि जो कुछ भी गवर्नमेंट करने वाली है उसको इस ऐवान के सामने आना है और इसकी मंजूरी के बगैर वह नहीं हो सकता है। इस ऐवान को पूरा मौका मिलेगा कि तमाम बातों की जांच की जाय जो गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली है। गवर्नमेंट ने एक आर्डिनेंस पहले इसके कि वह लेजिस्लेचर के सामने बिल की शक्ल मे आता उसको एक दो दिन पहले जारी कर दिया। उसकी वजह, इस हाउस के सामने उस दिन जब कि अप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हुई थी, मैंने डिस्कशन का जवाब देते हुए बतलाई थी। उस वक्त मैंने अर्ज किया था कि अपोजीशन के भाइयों ने एक सबक मुझको दिया है और मैंने अपनी तकरीर में, जो तजकिरा सेल्स टैक्स की बढ़ोत्तरी का किया गया था, उसकी बाबत मुनासिब बात कही थी। इसलिए कि उससे एक स्पेकुलेशन होने वाला था, इसलिए मैंने यह मुनासिब समझा कि उस आर्डिनेंस को नाफिज कर दूं और हाउस के सामने तो वह चीज जरूर ही आने वाली है और वह आती ही। जिस चीज को करना है वह तो वही होगी, उसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने तमाम ट्रांजेक्शन्स जो गलत किस्म के किये जा सकते थे, और स्पेकुलेशन के मातहत किये जा सकते थे, उनको रोकने के लिए यह किया ताकि साल भर की पूरी आमदनी सरकार को हो सके। जहां तक मोशन आफ अजर्नमेंट का सवाल है, मैं पहले ही कहे देता हूं कि मैं उस पर कानूनी बहस करूंगा नहीं, लेकिन मै अपनी राय यकीनी तौर पर यह रखता हूं कि वह मोशन आफ एजर्नमेंट इन आर्डर नहीं है। वैधानिक या अवैधानिक जो कुछ लफ्ज हिन्दी में इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल हो कि वह कानून के खिलाफ है और वह इस हाउस मे डिसकस नहीं हो सकता कानून की रू से। लेकिन यह जरूर है कि मैं अपने अपोजीशन के भाइयों को पूरा मौका बहस का इस मसले पर देना चाहता हूं हालांकि मै तो शायद कल या परसों बिल भी पेश कर दूं और इस हाउस को यह अख्तयार हो जाय कि वह अपने सारे एजेन्डे को छोड़कर उसे पहले से ले। तो फिर एजर्नमेंट मोशन पर बहस की जरूरत नहीं हो सकती है। मै उस मसले पर बहस से इन्कार नहीं किया चाहता हूं और न मैं अपने आपको पहाड़ की खोह में छिपाना चाहता हूं कि कोई मैंने ऐसा काम किया है कि मुझे ऐसा करने की जरूरत हो। मैं इस यकीन के साथ कि मैंने इस प्रदेश के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है हिम्मत और खुशी के साथ हर स्टेज पर बहस के लिए तैयार हूं। इस एजर्नमेंट मोशन के अलावा,

मैं इस बहस के लिए तयार हूं और मैं अपनी तरफ से दरख्वास्त करूंगा कि कोई मौका उसके बहस करने का जरूर दिया जाय कब्ल इसके कि वह बिल की शक्ल मे यहां आवे और उससे पहले बहस होनी चाहिए।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तकलीफ के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मै पूरी बात माननीय वित्त मन्त्री जी की सुनने मे असमर्थ रहा। फिर भी मै बहुत गौर से सुनता रहा और मै उनसे यह निवेदन कर दूं कि मैंने बहुत गौर से सुना था, जब उन्होंने इस माननीय सदन को, नारायणजी की बहस का उत्तर देते हुए, यह विश्वास दिलाया था, बल्कि उन्होंने कुछ प्रिडीक्शन करते हुए कहा था, कि कोई टैक्सेशन मेजर . . .

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——जब इस मसले पर बहस होगी, तब यह कहा जा सकता है कि मैंने किसी वक्त क्या कहा था।

श्री गेंदासिंह——माननीय वित्त मन्त्री की एक हैसियत होती है, और उस हैसियत से कोई घोषणा इस सदन मे हो और उसके विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाय तो उसे मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को सेन्श्योर करने के लिए कोई दूसरा चारा नहीं है। हम बहुत ही अल्पमत मे हैं जिससे कतई कोई परवाह सरकार नही करती लेकिन हम सारे देश की . .

श्री अध्यक्ष——उन्होने यह बात इसी ख्याल से कही है कि चाहे यह आर्डर मे हो या न हो, मौका इस बात के कहने का होगा और उस समय आप कह लेंगे कि उन्होंने अपना वायदा तोड़ा है। बहस का पूरा मौका वह देना चाहते हैं।

श्री गेंदा सिंह——मै इसी पर कहता हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रैसी मे कामरोको प्रस्ताव का कोई महत्व है और यह कोई महत्ता रखता है। यही अवसर है कि इस बात पर कोई हो सके क्योंकि शायद ही किसी सरकार ने या इसी सरकार ने कभी ऐसा काम किया हो जो इस सरकार ने अब की मर्तबा किया है। तो मै समझता हूं कि विधेयक पर ही बहस होने वाली अवश्य है, लेकिन विधेयक पर बहस कामरोको प्रस्ताव का बहस का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती है और न आर्डिनेंस पर बहस कामरोको प्रस्ताव पर बहस का स्थान ले सकती है। इसलिए मै चाहूंगा कि सरकार को कामरोको प्रस्ताव पर बहस करनी चाहिए। मै कोई लोभ नही करता हूं, लेकिन आखिर आज व्यापक रोष सारे प्रदेश में है और अगर अपोजीशन उसे छोड़ दे, उसका नोटिस न ले, तो फिर आपोजीशन किस काम का है? इसलिए मै समझता हूं कि कामरोको प्रस्ताव ही हमारा उपयुक्त साधन है। मै माननीय वित्त मन्त्री जी से कहता हूं कि आज लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, दूकाने बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष——(वित्त मन्त्री से) मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने जो बहस के लिए कहा कि वक्त लेना चाहते है, तो वह आजकल में ही लेना चाहते है या बहुत देर मे?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——जहां तक वक्त का ताल्लुक है, मै तो आज भी लेता कल भी लेता और परसों भी लेता। लेकिन जो बिल इस वक्त हाउस के सामने, कन्सालिडेशन या क्या है वह, हाउस में चल रहा है, मै यह चाहता हूं कि उसकी जरूरत की वजह से मेरी तबियत में यह अहसास है कि वह बिल खत्म हो जाय, आज या कल हो जाय। और इसके लिए जनाब कोई तारीख मुकर्रर कर दें।

श्री अध्यक्ष——आपने विरोधी दल के नेता की बात सुनी, इस प्रश्न की अरजेंसी वह ज्यादा समझते हैं। इसलिए कल का दिन मुकर्रर हो सकता है क्या?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——मैंने इतना अर्ज कर दिया कि मै एडजर्नमेंट मोशन को नहीं मानता हूं। लकिन जितनी एडजर्नमेंट मोशन पर बहस होती, कल को हुजूर फरमावे तो वह हो जाय, कोई वक्त उसके लिए रिजर्व हो जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी की शब्दावली सुनकर मुझे कुछ आशंका हुई। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने कहा कि उन्हें एतराज नहीं है, यदि एडजर्नमेंट मोशन अवैधानिक भी हो। जहां तक गेंदा सिंह जी के एजर्नमेंट मोशन का सवाल है वह निश्चित है, अरजेंट है, यह आप घोषित कर ही चुके हैं। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि उनको कोई एतराज नहीं है कि एडजर्नमेंट मोशन पर भी विवाद हो जाय जोकि शाम को होगा। आप उसे वैधानिक करार दे दें और उसके लिए माननीय वित्त मन्त्री जी जो रुख अख्तियार करना चाहें करें।

राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)---मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि जो आर्डिनेंस जारी किया है वही यहां हाउस में पास होगा या वह पास करावेंगे। तो क्या भवन में यह कहना कि जो आर्डिनेंस हमने किया है वही पास करावेंगे, यह पहले से मान लेना कहां तक सही है ?

श्री अध्यक्ष---ऐसा नहीं है।

राजा वीरेंद्रशाह---श्रीमन्, उन्होंने अभी कहा था।

श्री अध्यक्ष---ऐसा नहीं कहा था, मैंने भी सुना है। उन्होंने जो कुछ कहा उसका अर्थ यही है कि जो कुछ यहां पास होगा वही लागू होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, आज ही कोई समय निकाल कर बहस हो जाय तो अच्छा है, क्योंकि हमारा खाना पीना सब बन्द है। कल ही हम लोग यहां आये हैं और होटल में कुछ खाना नहीं मिलता है। बाजार की बेचैनी भी तभी दूर होगी जब कि कुछ क्लैरिफिकेशन यहां से सारे प्रदेश की पब्लिक को दिया जाय। आज बिल पर बहस बन्द कर दी जाय। शाम को ३ बजे ले लीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि जो बातचीत यहां हो रही है, उसमें किसी किस्म की अनप्लेजेन्टनेस के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, मैं नाखुशगवारी नहीं लाना चाहता हूं। इसलिए मैंने बहुत सी बातों को कहने से दानिस्ता छोड़ा था। मैं जानता हूं कि प्रदेश में क्या हो रहा है और यह भी जानता हूं कि कैसे हो रहा है। इसलिए मैंने किसी ऐब या बुराई का जिक्र किये बिना यह कह दिया कि जब भी हुजूर फरमावें इस पर बहस हो जाय। लेकिन जो बिल चल रहा है, उसे पहले खत्म कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---मैंने कल यह जिक्र किया था कि क्योंकि वित्त मन्त्री यहां नहीं थे, तो यदि आज इस विषय में कुछ प्रकाश डालना चाहें, तो डाल लें। यह भी मैंने जिक्र किया था कि इस बीच में यदि यह सम्भव हो कि विरोधी दल के नेता और गवर्नमेंट में बातचीत होकर इस विषय में कोई रास्ता वे निकाल लें और वह मुझे मालूम हो जाय तो उस पर अमल किया जाय।

श्री गेंदासिंह---वह कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---अगर नहीं हुई तो मैंने यहां अभी कर दी। उसकी पूर्ति आप लोगों ने नहीं की तो मैंने कर दी और इसीलिए यह मौका दिया कि जो बात चीत बाहर न हो सके, वह यहां हो जाय और आप की राय की जानकारी हासिल होने के बाद में अपना फैसला दूं। जब कोई अध्यादेश निकाला जाता है और उसके ऊपर विधेयक आने वाला हो तो साधारण रीति से किसी कामरोको प्रस्ताव द्वारा उस के डिस्कसन को ऐन्टीसिपेट नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐन्टी सिपेशन न हो, यह तभी हो सकता है जब साधारण परिस्थिति हो और यह आशा हो कि विधेयक भी जल्दी सदन में आने वाला है। अध्यादेश जारी हो जाता है और डेढ़ महीने की उसकी मियाद होती है। यह भी हो सकता है कि विधेयक १५ दिन बाद आवें, तब तो कामरोको प्रस्ताव की कुछ गुंजाइश हो सकती है, लेकिन विधेयक जल्दी ही आने वाला हो तो नहीं हो सकती। कल माल मन्त्रीजी ने जिक्र किया था कि इसी सप्ताह

जे वह आ जायगा। लेकिन इसका तो केवल मतलब यह है कि इस हफ्ते के अन्दर वह बिल टेबिल पर रखा जायगा। फिर इसके विषय मे भी शंका रह गयी थी कि वह बिल जिस पर सदन मे अभी विवाद चल रहा है कब समाप्त होगा। मैंने सोचा था कि बातचीत से मामला साफ हो जायगा लेकिन वह नहीं हुई। पर इस समय की बात चीत मे दो बाते मेरे सामने और आयीं। दो प्रस्ताव आये है मेरे पास, एक तो नारायणदत्त तिवारी जी का और दूसरा अवधेशप्रतापसिंह जी ने भेजा है कि जो अध्यादेश सदन मे कल उपस्थित किया गया है, संविधान की धारा २१३ के अनुसार इस सदन को अधिकार है कि उसकी अनुमति न दे, डिसएप्रूव कर दे। तो उनका प्रस्ताव इस किस्म का है कि यह सदन उसको डिसऐप्रूव करना चाहता है। भाषायें दोनों की अलग-अलग हैं। लेकिन सार यही है और हमारे नियम १४४ मे दिया हुआ है कि जब अध्यादेश आवे और उसे डिसऐप्रूव करने का कोई प्रस्ताव लाना' हो तो ३ रोज का नोटिस हमारे सचिव को देदें और उसके ऊपर फिर विवाद हो जाय। किसी एक व्यक्ति को भी यह अधिकार है कि ऐसा प्रस्ताव ले आये। तो यह भी एक नयी परिस्थिति इसमें पैदा हो गयी है। कामरोको प्रस्ताव का महत्व यही है कि कोई विषय इतने महत्व का है कि उस पर जल्दी विचार किया जाय। इन प्रस्तावों द्वारा इससे होगा ३ रोज के बाद विचार। कामरोको प्रस्ताव, अगर मैं कह दूं कि आर्डर मे है, यद्यपि मैंने इसके ऊपर आशंका जाहिर करदी थी और मैंने अभी फैसला नहीं दिया है, तो उसके लिए ३६ व्यक्ति आवश्यक होंगे और उतने व्यक्ति अगर नहीं हुए तो वह खत्म हो जायगा। फिर इतना मैंने देख लिया है कि सरकार भी चाहती है कि बहस इस विषय पर हो और इस महत्वपूर्ण विषय पर वह बहस करने के लिए तैयार भी है। विरोधीपक्ष भी शीघ्र से शीघ्र उस पर विचार कर लेना चाहता है। ऐसी अवस्था मे उसे मैं इस खतरे में तो डालना नहीं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर बहस की सम्भावना खत्म हो जाय और बहस ही न हो, इसलिए मैंने यह उचित समझा कि पहिले सब की राय जाहिर हो जाय और उसके बाद मैं फैसला दूं। अभी माननीय वित्त मन्त्री जी ने यह कहा कि वे शीघ्र ही इस पर विचार करने के लिए तैयार है तो वह तीन रोज के नोटिस का जो नियम है उस प्रस्ताव को ले लेने के लिए, उसमे २ रोज मैं कम कर देता हूं और यह तय करता हूं कि कल उन प्रस्तावों के ऊपर बसह सवा दो बजे से शुरू हो जाय। कामरोको प्रस्ताव में जो बातें है उन सभी विषयों पर कल बहस होने वाली ही है। लिहाजा कामरोको प्रस्ताव को तो मैं वैध करार नहीं देता हूं और उसे उपस्थित करने की अनुमति नहीं देता हूं क्योंकि उसका जो मतलब जल्द बहस हो जाने का है उस मतलब को मै पूर्ण कर देता हूं कल की बहस को मुकर्रर करके। सवा दो बजे उन दो प्रस्तावों पर बहस शुरू होगी। उसके सिलसिले में जो भी बात चीत करनी होगी, जो भी मत जाहिर करने होंगे, वह माननीय सदस्यों द्वारा जाहिर हो जायेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय——अध्यक्ष महोदय, दुकानें और खुलवा दी जायं।

श्री अध्यक्ष——इसके लिए आप सदन के बाहर गवर्नमेंट से बातचीत कर लें।

उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १५४–१६४ पर)

---

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ३ का संशोधन।

२—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के खंड (२) के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण मे, उपखंड (२) के पश्चात् उपखंड (३) के रूप मे निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(३) १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (ऐक्ट) की धारा १३२ में उल्लिखित भूमि, किन्तु वह भूमि पशुचर भूमि न हो"।

श्री अध्यक्ष—खंड २ मे कोई संशोधन नहीं है। इसलिये प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ५ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में शब्द "धारा ४ के अन्तर्गत प्रख्यापन के प्रकाशित होने पर जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, प्रकाशन के दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं (consolidation operations) के अन्तर्गत समझा जायगा" के स्थान पर शब्द "जब धारा ४ के अधीन गजट में प्रख्यापन प्रकाशित हो जाय, तब जिला या स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, तदन्तर्गत निर्दिष्ट दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा" रख दिये जायं।

श्री श्रीपतिसहाय (जिला हमीरपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से जो संशोधन मैं उपस्थित कर रहा हूं, उसको मैं आशा करता हूं यह सदन और सरकार स्वीकार करने की कृपा करेगी। वह इस प्रकार है—

खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

५—जब धारा ४ के अधीन प्रख्यापन गजट में प्रकाशित हो जाय, तो उसमे निर्दिष्ट दिनांक से धारा ५२ के अधीन सरकारी गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक कि चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गयी हैं, प्रख्यापन मे सम्बद्ध क्षेत्र में ऐसे परिणाम उत्पन्न होंगे, जिनका वर्णन इसमें आगे चल कर किया गया है, अर्थात् :

(क) जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र, जैसी भी दशा हो, निर्दिष्ट दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के अधीन खसरे तथा वार्षिक रजिस्टर की तैयारी और रख रखाव का कार्य बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को संक्रामित हो जायगा, और

(ख) ऐसे किसी अभिलेख के संशोधन की सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, स्थगित कर दी जायंगी, किन्तु इससे प्रभावित व्यक्ति का धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष या धारा १० के अधीन और

---

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक १७ फरवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

तदनुसार प्रारम्भ की गयी कार्यवाहियों मे इस प्रश्न को उठाने का अधिकार बाधित न होगा।"

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)——अध्यक्ष महोदय, मुझे यह स्वीकार है।

*__श्री गेंदासिंह__ (जिला देवरिया)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि उपरोक्त संशोधन मे प्रस्तावित धारा ५ की पंक्ति १ मे शब्द "गजट में" के बाद शब्द "उक्त जिले या स्थानीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव में" बढ़ा दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना है कि इस वक्त तक सरकार ने अपना माइन्ड मेक अप नहीं किया है कि वह क्या क्या संशोधन लायेगी, और मैं नहीं कह सकता कि अभी अगर दो तीन दिन तक यह बिल चलता रहा तो पता नहीं किस किस झंझट में सरकार हमें छोड़ेगी और फिर हमें चलेंज किया जायगा कि हम कानून नहीं समझते और तुम क्या जवाब दोगे? लेकिन फिर भी मै माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि कल शाम को भी कुछ संशोधन आ गये जिस वक्त यह बिल आया, उस वक्त भी संशोधन आये, और बिल आने के बाद और हाउस मे विचार होने से पहले मालूम नहीं कितनी परिस्थितियां तब्दील हो गयीं वहां पर जहां चकबन्दी हो रही है, जिनको देखकर माननीय श्रीपति सहाय द्वारा यह संशोधन यहां लाया गया। मैं इस संशोधन को रखते हुए यह सन्देह करता हूं कि इस मे जो यह लिख दिया गया है कि गजट मे प्रकाशित हो जाय, इसमे है कि "जब धारा ४ के अधीन प्रख्यापन गजट मे प्रकाशित हो जाय" जब कि मूल बिल मे है कि धारा ४ के अधीन प्रख्यापन केवल गजट ही मे न होगा, बल्कि जिले और गांव मे भी होगा और उस के अर्थ यह है कि वह हर किसान को जिस के खेत आदि से सम्बन्धित वह तब्दीली होने को है, उस को भी खबर हो जायगी। यहां धारा ४ का जिक्र तो किया गया, लेकिन यह कहा गया है कि जब धारा ४ के अधीन प्रख्यापन गजट मे प्रकाशित हो जाय। तो अगर सरकार की यह मन्शा है कि हर काश्तकार को कि जिसकी जमीन खेत के तबादले मे आती है, उस को खबर हो जाय तो फिर सरकार जब यह चाहती है और पहले भी वह ऐसा मुनासिब समझती थी, तो अब भी वह इतनी ही मुनासिब बात है तो फिर सरकार इन शब्दों को अब क्यों निकाल रही है? मेरा कहना केवल इतना है कि जैसे कि मूल अधिनियम की धारा ४ मे किया है कि केवल गजट में प्रकाशित न होगा, बल्कि वह गांव में और जिले मे जहां काम शुरू होगा, वहां भी प्रकाशित किया जायगा। मैं इस वक्त हाउस का समय बचाने के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस में थोड़े से खर्च की बात है, गांव में प्रकाशित होने के माने यह है कि ढोल पीट दी जायगी और लोगों को समझा दिया जायगा या नोटिस बांटी जायगी, उस मे पैसा कुछ भले ही खर्च हो जाय, लेकिन वह एम्बीगुइटी खत्म हो जायगी। मैंने अपनी मन्शा बतला दी, उस से भिन्न कोई मन्शा सरकार की हो तो माननीय माल मन्त्री बता दें और उस को लिखने से कोई दिक्कत न होती हो और काम में सहूलियत आती हो तो मैं समझता हूं कि दफा ४ के साथ जो पूरी बात है वह लिख दी जाय और इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

श्री चरण सिंह——अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि आज मेरे दोस्त माननीय गेंदासिंह जी कुछ नाराज हैं, क्योंकि कल की बातों को भूले नहीं है। अब तक जो एक बात खामोशी मे कह रहे थे मेरे एक सहयोगी, वह बात उनको अब तक याद है। आपके जरिये उन से दरख्वास्त करता हूं कि बहस जब अच्छी होती है अगर जरा ठंडे दिल से की जाय। अब इस मामले में भी उनको गलतफहमी।

श्री अध्यक्ष——लेकिन मुझे उनके भाषण में कोई गर्मी दिखायी नहीं दी।

श्री चरणसिंह——अच्छी बात है। लेकिन मुझे दिखाई दे रही थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह--आप बड़े नाजुक मिजाज हैं।

श्री चरण सिंह--इस मामले में बहुत डर डर कर यह कह रहा हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी को इसमें गलनफहमी है। गांव गांव में दफा ४ का प्रख्यापन होगा कि अब यहां चकबन्दी का काम शुरू होने वाला है। दफा ५ मे हम यह रख रहे है कि दोनों गजट मे और गांव गांव में भी प्रख्यापन होगा। दफा ५ में यह कह रहे हैं कि प्रख्यापन के कान्सीक्वेंसेज क्या होंगे और इसमें यह कर रहे हैं कि प्रख्यापन के रोज से ये कान्सीक्वेंसेज होंगे। अब प्रख्यापन होगा दो जगह, गजेट में और गांव में। गांव में जो डिक्लेरेशन होगा, वह ५. ७ दिन तक चल सकता है, एक दिन मे शायद सब गांवों मे न हो सके प्रख्यापन मुनादी के जरिये, लेकिन गजेट की एक तारीख होगी। गजेट में भी होगा तो कब से वह समय की गणना हो यह निश्चित हो सकता है, लेकिन अगर गांव में मुनादी पिटवा कर कहें, तो वह तारीख निश्चित नहीं हो सकती. लेकिन गजेट में जो तारीख हो जायगी तो वह तारीख निश्चित होगी। इसलिये केवल समय की गणना के लिहाज से इसमें यह किया गया है कि जब गजेट मे प्रख्यापित हो जाय उस रोज से ये ये नताइज होंगे और समय की गणना की सुविधा की वजह से ही गजेट इसमें लिख दिया गया है। बाकी जो उनकी मंशा है वही मंशा मेरी है।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय माल मन्त्री जी का ध्यान इस संशोधन की ओर ले जाना चाहता हूं। इसमे यह कहा गया है कि जो कलेक्शन आफ पेपर्स इन्दराज शुद्धि के होंगे, वे सब स्थगित हो जायेंगे। कलेक्शन होने पर फल यह होता है कि जितने सबूत के कागजात उस मिसल में रहते हैं, वे वहां पड़े रहते हैं, न वापस मिलते हैं और न वह ए० सी० ओ० के पास जाते हैं। तो यह धनी लोगों के लिए कल्याणकारी होता है, और दरिद्रनारायण को वे कागजात फिर वापस नहीं मिलते, बड़े संकट में पड़ते हैं। अब इस समय फीस भी बढ़ गयी है और ११, १२ वर्ष की नकल लेने से सैकड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। नियम बनाने की बात है। वह माल मन्त्री हैं, उनको पूरा अधिकार है। वे ऐसे आदेश जारी कर दें जिससे कागजात वापस हो सकें, स्थगित मुकदमात में।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो शब्द गजेट है तो उसको हटा ही न दिया जाय। माल मन्त्री कहते हैं कि हम उसको सब जगह प्रकाशित करेंगे, गांव गांव में फैलायेंगे, तो फिर उसको गजेट को हटा दें।

श्री अध्यक्ष--(श्री श्रीपति सहाय से) आप को कुछ कहना है ?

श्री श्रीपतिसहाय--जी नहीं।

(श्री गेंदा सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--संशोधन तो श्री श्रीपतिसहाय जी का है। आप दोबारा कुछ नहीं कह सकते।

श्री गेंदा सिंह--मैं केवल एक ही बात माननीय राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि धारा ४ में जिस प्रकार यह कहा गया है कि गांव में भी इसकी जानकारी करायी जायगी, और उसका प्रकाशन गांव में भी होगा, तो यह जो संशोधन इस वक्त किया जा रहा है, उसका यह तो अर्थ नहीं होगा कि जो धारा ४ में बात लिखी गयी है उससे भिन्न बात हो जाय ?

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"३--मूल अभिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

५--जब धारा ४ के अधीन प्रख्यापन गजट में प्रकाशित हो जाय तो उसमे निर्दिष्ट दिनांक से धारा ५२ के अधीन सरकारी गजट में इस आशय की एक

विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक कि चकबन्दी क्रियाएं समाप्त कर दी गयी हैं प्रख्यापन से सम्बद्ध क्षेत्र में ऐसे परिणाम उत्पन्न होंगे जिनका वर्णन इसमें आगे चल कर किया गया है, अर्थात् :

(क) जिला अथवा स्थानीय क्षेत्र जैसी भी दशा हो निर्दिष्ट दिनांक से चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत समझा जायगा और यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ३ के अधीन खसरे तथा वार्षिक रजिस्टर की तैयारी और रख-रखाव का कार्य बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) को संक्रामित हो जायगा और

(ख) ऐसे किसी अभिलेख के संशोधन की सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों स्थगित कर दी जायेंगी किन्तु इससे प्रभावित व्यक्ति का धारा ८ की उपधारा (३) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष या धारा १० के अधीन और तदनुसार प्रारम्भ की गयी कार्यवाहियों में इस प्रश्न को उठाने का अधिकार बाधित न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४ व ५

४—मूल अधिनियम की धारा ८ की उपधारा (३) में शब्द "अनुसार" और "वार्षिक रजिस्टर" के बीच शब्द "नक्शे या" रख दिये जायं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा ८ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा १० का संशोधन।

पुनरीक्षण अथवा पुनःसर्वेक्षण।

"१०—(१) धारा ८ की उपधारा (२) (ख) के अधीन अथवा अन्यथा सिफारिश प्राप्त होने पर राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके प्रख्यापन कर सकती है कि अभिलेखों का सामान्य या आंशिक पुनरीक्षण या पुनः सर्वेक्षण (Resurvey) या दोनों ही कार्य किये जायेंगे और तत्पश्चात् यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार संबंद्ध गांव या गांवों का पुनरीक्षित नक्शा और खसरा तथा अधिकार अभिलेख उसी प्रकार तैयार किये जायेंगे मानों उक्त अधिनियम की धारा ४८ के अधीन तत्सम्बन्धी विज्ञप्ति जारी कर दी गयी हो।

(२) विज्ञप्ति के दिनांक से वह जिला या स्थानिक क्षेत्र (Local area) उस समय तक अभिलेख या सर्वेक्षण क्रियाओं या दोनों क्रियाओं के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, समझा जायगा जब तक कि क्रियाओं को समाप्त प्रख्यापित करने वाली दूसरी विज्ञप्ति न जारी हो जाय।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

उत्तर प्रदेश अधिनियम ५, १९५४ की धारा १०-क-का संशोधन।

६—मूल अधिनियम की धारा १० क की उपधारा (१) में शब्द "धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् किसी भी समय, किन्तु धारा ६ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से अथवा धारा १० के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी दशा हो, पूर्व" के स्थान पर शब्द "धारा ६ के अधीन वार्षिक रजिस्टर के प्रकाशन से या जब अभिलेखों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रख्यापन किया गया हो तो धारा १० की उपधारा (२) के अधीन विज्ञप्ति के प्रकाशन से, जैसी भी स्थिति हो, १५ दिन के भीतर" रख दिये जायं।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ की अन्तिम पंक्ति में "१५ दिन" के स्थान पर "३० दिन" रख दिया जाय।

यह तो बड़ी सीधी बात है। मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत सी बातों की चकबन्दी के सिलसिले में लोगों को ठीक से जानकारी नहीं हो पाती है। इसका अवसर उनको नहीं मिल पाता है कि वह अपनी बातों को लोगों को समझा सके या दूसरों की बातें समझ सकें। यह वक्त की कमी के कारण है। अगर "१५ दिन" के बजाय "३० दिन" कर दिया जाय तो कोई मैटीरियल लास इसमें होने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोई विशेष कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। पंद्रह दिन के बजाय तीस दिन कर दिया जाय। जैसी तकलीफ आराम बरदाशत करके अभी तक रहे हैं चकबन्दी के सुख से वंचित रहे हैं वैसे पंद्रह दिन के बजाय तीस दिन तक रह जायंगे और मेरा यह विश्वास है कि लोगों को कुछ समझाने और समझने का और अपना काम करने का अवसर मिल सकेगा। इससे जो कुछ असंतोष लोगों को होता है वह भी उसे कम होगा। मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से इसको स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी इसी पर एक संशोधन आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। किन्तु कालावधि के भीतर नहीं है जो संशोधन मैंने दिया है।

श्री अध्यक्ष—वह तो अभी पहुंचा है।

श्री रामलखन मिश्र—माल मंत्री जी जब मेरी युक्तियों को सुनेंगे तो उसे स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आपने मूव नहीं किया। आप उनके संशोधन का विरोध करते हुए अपने संशोधन पर कह सकते हैं।

श्री रामलखन मिश्र—उसका तो मैं विरोध करता ही हूं। मैंने संशोधन यह दिया है कि पंदरह दिन के स्थान पर सात दिन कर दिया जाय। उसका कारण है। यों तो देखने सुनने में ऐसा मालूम होता है कि पंदरह दिन के स्थान पर ३० दिन रख दिया जाय तो यह बहुत ही कल्याणकारक होगा किसानों के लिये। किसी प्रसंग में होता भी हो पर यहां तो बिल्कुल नहीं है। पहले जो शुरू में विधान था धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने का और धारा

९ में जब कि वह रजिस्टर प्रकाशित हो जाता है इसके भीतर कोई खातेदार चाहे तो अपनी इच्छा प्रकट कर दे कि हम बटवारा करना चाहते हैं तो चकबन्दी अधिकारी फिर अमीन के द्वारा या कन्सालीडेटर की सहायता से वह फार्म भरा करके अपने यहां चालू कर देगा। अगर किसी के साथ वह शामिल होना चाहे तो सी० ओ० उसकी व्यवस्था कर देता था; यह उसमें व्यवस्था है। वहां का अमीन सब कुछ कर देता है केवल इच्छा प्रकट करने की बात है। और धारा ४ से धारा ९ के अन्तर्गत कई महीने लग जाते हैं इसके अन्तर्गत उसका मानसिक संतुलन कुछ बन जाता है। अब धारा ९ के प्रकाशन का ज्ञान प्रायः काश्तकार को नहीं होता था, क्योंकि वह चकबन्दी को शीघ्रता से खत्म करने की लालच में चकबन्दी अधिकारियों को आनाकानी करनी पड़ती थी। अब व्यवस्था कर दी गई कि धारा ९ का प्रकाशन ऐसा होगा कि प्रत्येक खातेदार को उसके खातों का कुछ न कुछ ऐक्सट्रैक्ट मिल जायगा वह इतने प्रभावित ढंग से होगा। अब उसमें न जानकारी का कोई प्रश्न नहीं होगा। तो इसलिये ७ दिन बहुत पर्याप्त हैं क्योंकि किसी भी तहसील का दो वर्ष से अधिक समय लेना अन्याय करना होगा और किसान अपने खेतों में पानी न दे उनको बराबर देखता रहे ऐसा होने से गांव की जो उसकी सिविक लाइफ है वह डिस्टर्ब हो जाती है जब तक चकबन्दी समाप्त नहीं हो जाती। तो मेरा अभिप्राय यह है कि यदि १५ दिन का समय रखें तो फिर धारा ११ की सारी कार्यवाही बन्द हो जायगी, क्योंकि धारा ११ में जो नक्शे बनते हैं उनमें से दो एक नक्शे ऐसे हैं जो ब्रेक का काम कर देंगे और सारी चकबन्दी ठप हो जायगी। इसलिये ७ दिन का समय पर्याप्त है क्योंकि उसे कुछ करना ही नहीं केवल अपनी इच्छा प्रकट कर देना है। तो धारा ९ का जब इतने अच्छे ढंग से प्रकाशन हो जाता है कि प्रत्येक खातेदार को उसके हस्ताक्षर करा कर जानकारी करा दी जायगी और इन्तखाब भी दिये जायेंगे तो फिर ७ दिन का समय केवल इच्छा प्रकट करने के लिये काफी है। इन शब्दों के साथ में चाहूंगा कि मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे।

***श्री चरण सिंह**—अध्यक्ष महोदय, बात अगर्चे माननीय गेंदा सिंह ने जैसा कहा कि सीधी है यह ठीक है लेकिन लम्बी पड़ती है। समय कितना नष्ट होता है! हमारा इरादा पहले यह था कि एक साल में एक तहसील में चकबन्दी खत्म हो जाये लेकिन अब डेढ़ साल से पहले एक तहसील में खत्म होने के आसार नहीं। जितना ज्यादा समय बढ़ेगा उतना किसान का खर्च बढ़ जायगा। तो बिला वजह मियाद का बढ़ाना, उससे कोई फायदा नहीं। राज्य कर्मचारी ३० दिन तक खाली बैठे रहेंगे। फिर एक आदमी जिसको पता नहीं है कि गांव में चकबन्दी हो रही है एतराज सुने जा रहे हैं तो उसके लिये चाहे तो उस आदमी के लिए चाहे ३० दिन रख दीजिए चाहे ३० वर्ष रख दीजिए वह फिर भी कुछ नहीं करेगा। इसलिए यह पन्द्रह दिन बहुत काफी होगा। बल्कि यही नहीं, मैं तो माननीय रामलखन मिश्र जी के सुझाव के लिये एक तरह से इन्क्लाइंड हो रहा था ऐक्सेप्ट करने के लिये, लेकिन क्योंकि हमारे यहां से एक दफा यह जा चुका है १५ दिन का इसलिये उनके सुझाव को अगर्चे वह ज्यादा माकूल है बनिस्बत गेंदा सिंह जी के, मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूं। पन्द्रह दिन जैसा कि माननीय रामलखन मिश्र जी ने कहा है और आगे चलकर जो अमेंडमेन्ट है श्रीपति सहाय जी के नाम पर उसमें तो एक एक व्यक्ति पर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

परसनल सर्विस करने जा रहे हैं अगर्चे उससे बहुत हमारा काम बढ़ा जा रहा है और बहुत काफी हम राजकर्मचारियों पर बोझा डाल रहे हैं तो उसको देखते हुए यह कोई जरूरत ही नहीं है ३० दिन के रखने की।

*श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अधिक समझाने की कोशिश अब नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है राजस्व मंत्री जी ने कि वह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि माननीय मिश्र जी ने कहा कि यह तो सात दिन कर दिया जाय तो अच्छा है लेकिन मैं जहां तक समझता हूं धारा ९ के मुताबिक यह है कि धारा ८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत तैयार किया गया वार्षिक रजिस्टर गांव में प्रकाशित किया जायगा। उसकी एक प्रतिलिपि कलेक्टर को भेजी जायगी। अब फिर धारा १० में यह है कि धारा ८ की उपधारा (२) (ख) के अन्तर्गत सिफारिशें प्राप्त होने पर राज्य सरकार इस आशय की एक विज्ञप्ति सरकारी गजट में प्रकाशित करेगी और तत्पश्चात यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के चैप्टर ४ के उपबन्धों के अनुसार सम्बद्ध गांव या गावों का पुनरीक्षित नक्शा खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायगा .....

इसमें कुछ मैं और आगे निवेदन करूं कि ११ में एक स्टेटमेंट तैयार किया जायगा और स्टेटमेन्ट तैयार होने के बाद अब यह १२ में विवरण प्रकाशित होने के बाद सहायक चकबन्दी अधिकारी को ३० दिन का मौका था पहले कि ३० दिन के भीतर अगर उसको कुछ एतराज करना हो तो किसान एतराज कर दे। अब उस ३० दिन के स्थान पर पन्द्रह दिन रखा जा रहा है। तो यह स्टेटमेन्ट जो है बड़ा व्यापक स्टेटमेंट है और इतने लम्बे प्रोसेस में जब वह तैयार किया जायगा तो इसके लिए तो कई महीने का मौका राजकर्मचारियों को मिला है, लेकिन जो निरा अपढ़ बिना पढ़ा लिखा किसान है उसको ३० दिन के बजाय यह अनुभव हुआ है कि १५ दिन में ही वह समझने लगा है। अब उसको ३० दिन समझाने की जरूरत नहीं है पन्द्रह दिन में वह समझने लगा है और मिश्र जी यह समझने लगे हैं कि पन्द्रह दिन में क्या वह तो सात ही दिन में समझ लेगा। तो मैं सिर्फ इतना ही कह के और विचार करने को कहूंगा यों तो यह अस्वीकार होगा ही लेकिन मैं एक चेतावनी के तौर पर निवेदन करता हूं कि इसका कुपरिणाम होगा, भुगतना पड़ेगा किसानों को और भुगतेंगे किसान, वह भुगतने के लिए तैयार हैं क्योंकि वह और करेगा ही क्या! लेकिन उससे राजस्व मंत्री जी को तकलीफ होगी सुनने के बाद अगर सही रिपोर्ट उन तक पहुंच पावे। तो जैसी इच्छा हो वह इसको पास करें।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, ये पंद्रह दिन दिये जायेंगे प्रख्यापन के बाद। प्रख्यापन की परिभाषा यह है कि गांव में मुनादी और चकबन्दी कमेटी के हर मेम्बर को परसनल सर्विस, तीसरे यह कि गांव में किसी चौपाल या किसी पंचायतघर या किसी प्रामिनेंट प्लेस पर उसका टांगा जाना। ये तीन काम हैं। इनके बाद पंद्रह दिन मिलते हैं और कई महीनों के बाद जब कि गांव में अधिकारी पहुंच गये होंगे चकबन्दी के, तो अब तो यह सवाल ओपीनियन का रह जाता है कि ३० दिन काफी हैं या पंद्रह दिन काफी हैं। मैं समझता हूं कि पंद्रह दिन काफी हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ की अंतिम पंक्ति में "१५ दिन" के स्थान पर "३० दिन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

७---वर्तमान धारा १०--ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"१०--ख---किसी खाते के अधिकारी (entitled) खातेदार के लिये खातों का संयोजन। अपने खाते को ऐसी शर्तों पर किसी दूसरे खातेदार के खाते से सम्मिलित कर लेना (amalgamate) विधिपूर्ण होगा जो परस्पर तय हो जायं। खातेदार ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय चकबन्दी अधिकारी के पास तदर्थ एक प्रार्थना-पत्र देगा और चकबन्दी अधिकारी जहां तक व्यवहार्य होगा, चकबन्दी की सामान्य योजना का ध्यान रखते हुये उसे कार्यान्वित करेगा।"

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा १०--ख का संशोधन।

*श्री गेंदा सिंह---खंड ७ में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा १०-ख की पंक्ति ४ में शब्द "खातेदार" और पंक्ति ५ के शब्द "चकबन्दी" के बीच के शब्द "ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह भी नयी बात है और मैं समझता हूं कि इसके पहले क्या दिक्कत पड़ी कि जिसके लिए अब यह उस कानून में लिखने की जरूरत पड़ गई कि ऐसी रीति से वह ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय। टेंडेंसी, अध्यक्ष महोदय, हमने यहां देखी कि "जितनी अवधि" के माने यह है कि जितनी अवधि लोगों को मिलती थी उसको कम करने की प्रवृत्ति है। रीति में मैंने पूरे विधेयक को पढ़ने की कोशिश की है कि सरकार पूरी तरह से काबू में है अपने राजकर्मचारियों के। राज कर्मचारियों की सुविधा जिसमें हो सके, और सुविधा जाने भगवान किस में है, उसके मुताबिक रूल्स बनायेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि जो पुराना कानून है उसी की आवश्यकता है। इस बात को कह देना कि हम ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय इसको अगर मै पहले से समझूं तो मेरी ज्यादती नहीं होगी, क्योंकि आखिर विधेयक में तो एक टेंडेंसी है ही और विधेयक तो शरारती लोगों के लिये और उद्दंड लोगों को दुरुस्त करने के लिये है। तो जो रूल्स बनेंगे वह भी उन्हीं को दुरुस्त करने के लिये बनेंगे। मैं सरकार को समझा नहीं सकता कि उसको चुनने वाले उद्दंड और शरारती नहीं हैं। उसको बैठाने वाले भले आदमी और समझदार लोग हैं और किसानों के लिये यह कानून है। कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि इस वाक्य को यहां पर रखा जाय। कानून में बहुत साफ है, उसके अनुसार कार्यवाही की जाय। मैं समझता हूं कि उस से काम चल जायगा। लेकिन रूल मेकिंग पावर लेने के लिये ही सिर्फ यह संशोधन किया जा रहा है, यानी कानून में हाउस के सामने नहीं आने देना चाहते कि वह क्या करना चाहते हैं। रूल मेकिंग पावर लेना चाहते हैं। जितना हम दे चुके हैं वही बहुत है, इसमें क्या लाया जा रहा है। तो मेरा झगड़ा केवल यह है और इसी पर जोर देना चाहता हूं कि रूल मेकिंग पावर सरकार को न दी जाय और जो कुछ भी सरकार को कहना हो तो इस वक्त इस विधेयक पर बहस हो रही है वह साफ-साफ कह दें। क्यों नहीं वह बतावें कि कितनी अवधि में करना चाहते हैं और किस रीति से काम करना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, यह कोई नयी बात नहीं है कि जब रूल्स बनते हैं तो उन पर कब विवाद होता है और कब उनको यहां रखा जाता है यह बड़ी स्पष्ट बात है। रूल्स की जानकारी भी हमें नहीं होती है, उसके पहले ही उस पर अमल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद एक प्रतिष्ठा की बात सरकार की हो जाती है और मल होने में मालूम नहीं कितने घर उजड़ गये या बस गये और अगर फिर यहां पर बहस के लिये आवें और हम कहते हैं कि इससे यह बरबादी होती है तो सरकार एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके एक रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं होती है। इसलिये मै इस रूल्स मेकिंग पावर को बढ़ाने का पक्षपाती नहीं हूं और मैं उनसे कहूंगा कि अगर अभी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

वह कुछ कहना चाहते हैं तो स्पष्ट कहें कि कितनी अवधि में और किस रीति से कहना चाहते हैं, तब उसपर ठीक तरह से बहस और विचार हो कर यहां से पास होना चाहिये। इसलिये मैं उम्मीद करूंगा कि या तो इसे उसी तरह से रहने दिया जाय जैसा कि मैंने कहा है, या फिर हाउस को समझाने की कोशिश करें और फिर हाउस जैसा मुनासिब समझे वैसी कार्यवाही की जाय।

*श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि बात-बात पर नीयत पर हमला, अफसरान की नीयत पर और गवर्नमेंट की नीयत पर हमला; मेरी समझ में नहीं आता है कि किस तरह से काम चलने वाला है, अगर हर चीज में यह नजर आवे कि गवर्नमेंट की कुछ छिपी हुई नीति है, अफसरान को कुछ अधिकार देना चाहते हैं, किसानों के साथ अन्याय करना चाहते हैं, तो बहस फिर किसी मामले में हो नहीं सकती। कोई भित्ति कामन तो होगी जिसको दोनों फरीक मान कर चलें, फिर बहस हो, तो बात समझ में आ सकती है। अगर माननीय गेंदा सिंह का नीयत पर ही विश्वास नहीं है तो मेरे नजदीक बहस करना बेकार है। इसमें जो लफ्ज लिखे गये हैं, मैंने अपने लीगल ड्राफ्टसमैन से कहा था कि इसकी क्या जरूरत है। हमें १५ दिन तो करने ही हैं, वह धारा में साफ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तो ऐसे ही चलने दीजिये, १५ ही दिन करने वाले हैं और उन्होंने कहा कि अगर इसको हटाते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन बदलना होगा बात केवल इतनी सी है। अब माननीय गेंदा सिंह जी को उसमें दुर्गंध आने लगी, तो मेरे पास क्या इलाज है ? मैं आपके जरिये बतलाना चाहता हूं कि उसमें हमारा इरादा १५ दिन से कम करने का हरगिज नहीं है और मैं इसको कमिट किये लेता हूं। जिस रीति या जिस अवधि के अन्दर यह रूल बनेंगे और मैं तो अभी सोच रहा था कि १५ दिन के भीतर ले आऊं लेकिन जो मैंने गौर किया तो उसमें १५ दिन के भीतर नहीं लाया जा सकता वरना मैं अभी कर देता। मेरे दोस्त गेंदा सिंह जी उसे कटवा रहे हैं लेकिन खुद तय नहीं कर रहे हैं कि कितने दिन हो। अगर माननीय गेंदा सिंह जी की बात मान ली जाय तो १० वर्ष के अन्दर भी कर सकते हैं। दो आदमियों ने मिलकर दरख्वास्त दे दी कि हम दोनों के खातों को शामिल करके एक चक बना दिया जाय। अब रूल मेकिंग पावर तो गवर्नमेंट को देते नहीं हैं और अपने आप कोई सुझाव नहीं देते कि कितने दिन के अन्दर कर दिया जाय तो हो क्या ? अगर उनकी तरफ से भाषा का लिहाज करके कुछ आ जाय तो मैं अब भी तैयार हूं और बात-बात पर शुबहा कि रूल मेकिंग पावर गवर्नमेंट ले रही है !

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, हाउस में इस समय कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम हो जाने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह तो ब्रिटिश सिस्टम ऐसा है जिसमें इतनी दरख्वास्तें ली जा सकती हैं वरना इंगलैन्ड और अमेरिका को छोड़कर बाकी मुल्कों में केवल उसूल लिखे जाते हैं और बाकी हर चीजें अफसरों पर छोड़ दी जाती हैं. वर्क आउट करने की। हम यहां बहुत डिटेल में जाते हैं फिर भी परिस्थितियों का तकाजा है कि डिटेल्स ऐक्ट में नहीं आ सकता इसलिये विवश होकर जो भी गवर्नमेंट होगी डिटेल्स रूल्स में लायेगी। परमात्मा करें गेंदा सिंह जी की गवर्नमेंट आ जाये लेकिन वे भी रूल मेकिंग पावर को रखेंगे और उस पर शुबहा नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—मुझे, अध्यक्ष महोदय, यह बहुत जोरों से इन्कार करना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई आदमी नहीं है और उसकी नीयत भी शायद है नहीं। जब कोई आदमी हो तो नियत हो।

---

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चरण सिंह—और विरोधी दल का नेता आदमी है या नहीं ?

श्री गेंदासिंह—जीवित वस्तु हो तो वह तो सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लें। सरकार क्या है उर्दू लफ्ज में इसके क्या माने है, चौधरी साहब को ज्यादा मालूम होगा। तो मैं तो उनकी नीयत ढूंढता नहीं हूं। चौधरी साहब आदमी है उनकी नीयत का पता लगाया जा सकता है लेकिन मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता हूं और वे समझ लें कि यह मेरी आदत भी नहीं है कि लोगों की नीयत पर शुबहा करूं। लेकिन परिस्थितियों को देखकर अपनी राय उस पर आदमी कायम करता है और सोच सकता है यह मैं कहता हूं कि रूल मेकिंग पावर गवर्नमेंट को मिले वह काम को चलाने के लिये, बखूबी चलाने के लिये रूल मेकिंग पावर रखे तो कोई हर्ज नहीं है लेकिन मेरा कहना तो सिर्फ इतना है कि इस धारा का जो संशोधन हो रहा है वह केवल रूल्स मेकिंग पावर लेने के लिये हो रहा है। इसमें कतई दूसरा कोई संशोधन है ही नहीं। सिर्फ रूल मेकिंग पावर को लेने के लिये यह संशोधित किया जा रहा है यह आपत्ति की बात है। अगर इस धारा को संशोधित करना था तो माइंड मेक अप कर लेना चाहिये था सरकार को, चौधरी साहब को, उनके कंसालिडेशन डिपार्टमेंट को कि वे कम से कम यह समझ लें कि वे हाउस से क्या मंजूर कराना चाहते है। लेकिन यह मालूम होता है कि कुछ नहीं मालूम है। इस संशोधन को रखने के पहले कतई जानकारी नहीं है कि क्या करना है, केवल डिपार्टमेंट ने कह दिया कि रूल मेकिंग पावर ले ली जाय। वैसे तो चौधरी साहब हर चीज को बहुत माइन्यूटली पढ़ते हैं लेकिन मालूम होता है कि इसको उन्होंने पढ़ा नहीं। डिपार्टमेंट वालों ने जैसा बताया वैसा आ गया। अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो हमारे ऊपर नाराज हो रहे है। जब आदमी के पास दलील नहीं रहती है और वह समझता है कि पकड़ में आ रहा है तो गुस्सा होने लगता है। चौधरी साहब कहते हैं कि हम नहीं कह रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कहते हो। अब हमारे मुंह में वह रखना चाहते हैं कि तुम्हीं बताओ कि कितने दिन रखे जायं। बिल के पायलट करने वाले वे, सारे बिल को हमसे ८ गुना, १० गुना और १०० गुना पढ़े होंगे वे, जरूरत महसूस करते है वे और कहते हमसे हैं कि तुम रख दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी में भी बदकिस्मती से अबकी मैं गया ही नहीं। अगर गया होता तो कुछ सुन लिया होता। तो मैं इतना कहूंगा कि रूल मेकिंग पावर के लिये इस धारा का संशोधन न किया जाय। मुझे नियत पर कतई शक नहीं है लेकिन केवल रूल मेकिंग पावर लेने के लिये धारा को संशोधित किया जाय इसका मैं विरोधी हूं और चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे और कम से कम चौधरी साहब की इस मांग को नामंजूर करें।

श्री चरण सिंह—मै पछता रहा हूं कि मैंने सीख काहे को दी क्योंकि "सीख ताको दीजिये जाको सीख सुहाय"। बाकी मैंने यह कहा कि गवर्नमेंट आदमियों की होती है और उसमें हमारी और उनकी दोनों की नीयत एक है कि किसानों का भला चाहते हैं और उसमें हम १५ दिन ही रखेंगे। वह कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं चाहता हूं कि जैसा है वैसा रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ मे प्रस्तावित धारा १०—ख की पंक्ति ४ मे शब्द "खातेदार" और पंक्ति ५ के शब्द "चकबन्दी" के बीच के शब्द "ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर जो नियत की जाय" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

८—मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

उ० प्र० अधिनियम ५, १९५४ की धारा ११ का संशोधन।

"(क) एक नक्शा, जिसमें प्रत्येक गांव में गांव की भूमि का विभाजन या वर्गीकरण (division or grouping) अलग-अलग हारों (blocks) के रूप में दिखाया जायगा जो संख्या में तीन से अधिक न होंगे और जिन्हें निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् सीमांकित (demarcate) किया जायगा:—

(१) गांव में उत्पन्न की जाने वाली फसलों की किस्म और संख्या;

(२) सिचाई की सुविधाओं का होना या उनका अभाव;

(३) मिट्टी की किस्म;

(४) अन्य ऐसे तथ्य जो आवश्यक प्रतीत हों।

(ख) समस्त गाटों की सूची, चाहे वे किसी खातेदार के खाते में सम्मिलित हों या न हों, जिसमें आवश्यकतानुसार निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:—

(१) प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल;

(२) गाटों की मिट्टी का वर्गीकरण (soil classification) जो चकबन्दी समिति के परामर्श से नियत रीति से अवधारित किया गया हो,

(३) पिछले बन्दोबस्त रोस्टर (settlement roster) या पुनरीक्षण क्रियाओं में इनमें से जो भी अंतिम हो, मिट्टी के वर्गों के लिये स्वीकृत लगान की दरें, जैसी और जहां भी वे बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) द्वारा चकबन्दी समिति के परामर्श से नियत रीति से संशोधित की गयी हों;

(४) प्रत्येक गाटे का लगानी मूल्य (rental value);

(५) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(ग) प्रत्येक खातेदार के ऐसे समस्त गाटों की सूची जिसमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:—

(१) चकबन्दी से अपवर्जित (excluded) क्षेत्र;

(२) प्रत्येक हार (block) में चकबन्दी के अन्तर्गत क्षेत्र तथा खंड (ख) के अनुसार अवधारित उसकी मिट्टी का वर्ग (soil class) और लगानी मूल्य;

(३) नियत रीति से आकलित लगान या मालगुजारी;

(४) उसके हिस्से का कुल क्षेत्र, लगानी मूल्य और लगान;

(५) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

श्री श्रीपति सहाय--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खंड (क) तथा (ख)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें :

"मूल अधिनियम की धारा ११ में--(१) उपधारा (१) के खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय"

श्री चरण सिंह--अध्यक्ष महोदय, यह जो ऐजेंडा के आइटम नंबर ६ और ८ के बीच में ७ माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन छपा है इससे कन्फ्यूजन होता है।

६ और ८ एक साथ ले लिये जायं और ७ को बाद को लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--ठीक है यह दोनों पेश कर दे एक साथ।

श्री श्रीपतिसहाय--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

"(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(२) उक्त विवरण-पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में प्रकाशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, जिनमें विवरणपत्र के किसी इंदराज की विशुद्धता (correctness) या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्संबंधी कोई अकरण (omission) बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया हो, विवरण-पत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से, तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर भी जायगी।"

श्रीमन्, इसमें "भी" के बाद "की" होना चाहिये। यह गलत छप गया है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो क्रम संख्या ८ पर संशोधन प्रस्तावित किया गया है उसकी पहले तो कुछ भाषा ही ऐसी है जिसकी कोई संगति नहीं बैठती है। श्रीमन्, आप इसमें स्वयं देखिये कि "उक्त विवरण-पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में प्रकाशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां, यदि कोई हों, जिनमें विवरण-पत्र के किसी इंदराज की विशुद्धता या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्संबंधी कोई अकरण बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया है विवरणपत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से, तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर की जायगी।" यहां पर या तो पंक्चुयेशन की गलती हो गई है या कोई और गल्ती है क्योंकि "आदेश दिया गया है," के बाद पूर्ण विराम हो तो अर्थ निकले और इसका अर्थ भी कुछ अटपटा लगता है। आशय तो यह है कि ऐसा पूर्ण विवरण गांव में नोटिस के सहित प्रकाशित किया जायगा। अब इसमें इतना और जोड़ दिया जायगा कि "विवरण पत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से, तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर की जायगी"। यह तो बहुत अच्छा हुआ और इसका सभी लोग स्वागत करेंगे। लेकिन बीच में जो निरर्थक शब्द जोड़ दिये गये हैं कि "जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, जिनमें विवरणपत्र के किसी इंदराज की विशुद्धता या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्संबंधी कोई अकरण बताया जाय, यह शब्द निरर्थक है क्योंकि मूल अधिनियम की धारा १२ में साफ दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति धारा ११ के अन्तर्गत विवरण प्रकाशित होने के ३० दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष विवरण में किसी भी इंदराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप के रूप में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा तत्संबंधी कोई अकरण बता सकता है।" जो कुछ भी विवरण पत्र के प्रकाशित होने के बाद जो आपत्तियां होंगी वह धारा १२ के अन्दर वह प्रस्तुत करेगा। इसलिये यहां तो मंशा इतना ही होना चाहिये कि विवरण-पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

प्रकाशित किया जायगा और विवरणपत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से, तामील गाँव में की जायगी, प्रत्येक खातेदार पर की जायगी।" यह बीच वाला किसलिये रखा गया है, यह बात समझ में नहीं आती, इसकी कौन सी आवश्यकता है इसलिये मैं समझता हूं कि जो मंशा है वह केवल इतने से ही हल हो जाती है कि उक्त विवरण-पत्र गांव में प्रकाशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, जिनमें विवरण-पत्र के किसी इंदराज की विशुद्धता या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्संबंधी कोई अकरण बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया हो, विवरण-पत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की नियत रीति से तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर की जायगी। मैं नहीं समझता कि मैंने जो संशोधन दिया है उसको माल मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं या नहीं लेकिन यह बिलकुल बीच का अनावश्यक है और इसलिये मैं समझता हूं कि यह बीच वाला अंश निकाल दिया जाय। इससे अर्थ भी स्पष्ट हो जायगा और मतलब भी हल हो जायगा। जो भाषा है यह भी अनावश्यक है, जो जोड़ा गया है जाने किस तरह से, यह भी ठीक किया जाना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने जिन बातों की ओर संकेत किया, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही मुनासिब है। मैंने भी एक संशोधन इस सिलसिले में रखा था और वह इस बात को समझ कर रखा था कि पहले मूल अधिनियम में इस बात की गुंजाइश थी कि स्टेटमेंट जो प्रकाशित होगा उसमें लोगों को अपनी तरफ से उज्रदारी करने का मौका दिया जायगा। वह आपत्ति वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो विधेयक हमारे सामने आया उस में से वह अंश निकाल दिया गया। तो उसके निकलने पर बड़ा संदेह हुआ कि आखिर यह क्यों निकाल दिया गया। लेकिन खुशी की बात है कि सरकार ने फिर इस बात को महसूस किया, चाहे जिस तरह से महसूस किया हो, कि ऐसा करने से नाराजगी फैलेगी और यह समझ कर उन्होंने इसको सुधारने की कोशिश की। लेकिन मैं समझता हूं कि माननीय मौर्य जी का संशोधन क्या है, इसको जानने का अगर हमको मौका मिल जाय तो मैं अपनी कुछ राय कायम कर सकता हूं कि आखिर कौन सा संशोधन मानने के योग्य है। अगर इन से काम पूरा हो जाय तो मुझे अपना संशोधन रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आवश्यकता इस बात की जरूर है कि मौर्य जी का संशोधन अगर इस सिलसिले में हो और उससे उद्देश्य की पूर्ति होती हो तो उसे भी ले लिया जाय और उसके बाद फिर विचार किया जाय, ताकि ठीक विचार हो कर इन संशोधनों की रोशनी में हम किसी फाइनल नतीजे पर पहुंच सकें।

श्री अध्यक्ष—(श्री चरण सिंह से) आपने माननीय मौर्य जी का संशोधन स्वीकार किया या नहीं?

श्री चरण सिंह—जी नहीं, मैंने स्वीकार नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—वह अभी आया है।

श्री गेंदासिंह—मैं माननीय माल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भले ही इसको स्वीकार न करें लेकिन आ तो जाने दें। अगर आ जाने में कोई कठिनाई न हो तो मुमकिन है कि हम लोग भी इसको समझ लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—संशोधन में संशोधन इसकी आवश्यकता नहीं है कि दो एक रोज पहले आये।

श्री अध्यक्ष—आप उनके संशोधन में संशोधन कर रहे हैं। वह संशोधन अगर स्वीकृत हो जायगा तो मैं उनको उसके बाद मौका दे दूंगा।

श्री चरणसिंह—आप तकरीर तो कर ही चुके हैं, तो उसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष— वह संशोधन पेश नहीं कर सके हैं चूंकि मैंने उनको मौका नहीं दिया। तो अगर यह मंजूर हो जाता है श्री श्रीपति सहाय का संशोधन तो उस वक्त मैं उन्हें मौका दे दूंगा।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री गेंदासिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मालूम ऐसा होता है कि माननीय मौर्य जी ने अपने संशोधन को वापस लेने का इरादा कर लिया है। अगर उन्होंने अपने संशोधन को पेश न करने का इरादा कर लिया है तो उस सम्बन्ध में मुझे ऐसा करना है कि मैंने जो संशोधन इस सिलसिले में रखने का इरादा किया था वह इस बुनियाद पर था कि मालूम यह होता है कि सरकार ने ऐसा सोचा है कि अब प्रकाशित करने का फर्क यह होगा कि स्टेटमेंट बन जायेंगे और स्टेटमेंट बन जाने के बाद उपधारा २ के अनुसार गांवों में प्रकाशित करने की और उस पर आपत्ति करने का लोगों को जो अधिकार था उसमें कमी आ जायगी लेकिन जो माननीय श्रीपतिसहाय जी का संशोधन है उससे यह मालूम होता है कि लोगों को उस बात का भी अधिकार होगा कि उनको व्यक्तिगत रूप से नोटिस पहुंचाया जाय और आपत्ति करने का मौका मिले। लेकिन जिस संदेह से मजबूर होकर मौर्य जी ने संशोधन रक्खा था वह सन्देह मैं भी जाहिर करना चाहता था। तो इसमें जो बड़ी शब्दावली रक्खी हुई है उसके बजाय अगर सीधी-सीधी शब्दावली रख दी जाय और यह कह दिया जाय कि स्टेटमेंट प्रकाशित होगा और स्टेटमेंट प्रकाशित होने के बाद जो भी सुविधा किसानों को दी जाती थी यानी इन्दराजात आदि की प्रतिलिपि उनको दी जायगी और उसके ऊपर जो वह आपत्ति करना चाहेगा वह आपत्ति कर सकेगा। इसलिये मैं भी जो संशोधन उपस्थित करना चाहता था उसकी भी आवश्यकता न पड़ेगी।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने भी और माननीय गेंदासिंह जी ने भी दोनों ने हमारी बात मान ही ली है। सन्देह तो थोड़ा बहुत रहा ही करता है लेकिन अगर वह गौर करेंगे तो इसमें कोई सन्देह की गुंजायश नहीं है, जब हर आदमी पर इनिडविजुअल सर्विस होगी तो फिर क्या सवाल रह जायगा? पहले यह था कि आम पब्लिकेशन गांव में होती थी लेकिन अब हम व्यक्तिगत सर्विस करा रहे हैं, व्यक्तिगत तामील उन स्टेटमेंट्स की होगी और साथ ही यह नोटिस होगा कि किसी इन्दराज की विशुद्धता या कोई अकरण या ओमिशन हो तो उसके सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करो। जो संशोधन माननीय श्रीपति जी का आगे नम्बर ६ पर है उससे सब बातें साफ हो जाती हैं, अब इससे तो और भी मौका दिया जा रहा है कि अगर एतराज करना है तो वह कर दें, पहले तो यह था कि १२ में नोटिफिकेशन होगी और वह एतराज करे या न करे, अब तो हम हर एक को नोटिस दे रहे हैं, हम हर एक पर सर्विस करा रहे हैं और उसको उज्रदारी का मौका दे रहे हैं और इससे ज्यादा क्या सहूलियत दी जा सकती है? जैसा कि मैंने एक और संशोधन के सम्बन्ध में जो पहले प्रस्ताव था उसके जवाब में अर्ज किया था कि यह तो हम अपने स्टाफ का काम बढ़ा रहे हैं और बहुत काम बढ़ा रहे हैं, इस पर विभाग में मतभेद भी रहा। बाद में तय हुआ कि काम तो बढ़ जायगा लेकिन अच्छा है कि हर किसान को सारे कागजात की एन्ट्रीज की लिस्ट मिल जायगी। इससे हमारा काम जरूर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

बढ़ जायगा लेकिन किसी को शिकायत की गुंजायश नहीं रहेगी। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूं, यह तो इतना स्पष्ट है कि इसको पढ़ने और समझने के बाद किसी भाई को कोई शंका या सन्देह न रहनी चाहिए।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया है मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं कि उसे मुझे उपस्थित करने की आज्ञा दी जाय। मैं इस शब्दावली को देखते हुए केवल एक पन्चुएशन का संशोधन रखना चाहता हूं। इससे जो एक दिक्कत है...

श्री उपाध्यक्ष--पन्कचुएशन का संशोधन तो कार्यालय कर लेगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--यह संशोधन हो जायगा तो जल्द समझ में आ जायगा, इस तरह से अगर रहेगा तो मेरे जैसे लोगों को समझने में देर लगेगी और मुसीबत में पड़ जायंगे और समय नष्ट होगा। मैं आपकी आज्ञा से क्रमसंख्या ८ पर जो संशोधन माननीय श्रीपति जी का है उसकी उपधारा (२) की पंक्ति ५ में जो, "है," उसकी जगह "।" कर दिया जाय, यह संशोधन मैं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--पंक्ति ५ में तो दो "," हैं।

श्री चरण सिंह--यह "," जो है वह "आदेश दिया गया हो" के बाद "है," इसकी जगह वह "।" चाहते हैं।

यह मुझे स्वीकार है। हो के बाद जो "," है उसको "।" कर दिया जाय। और तामील गांव के प्रत्येक खातेदार पर भी "की" जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा ११ की उपधारा (१) में खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:

"मूल अधिनियम की धारा ११ में--

(१) उपधारा (१) के खंड (क) तथा (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय",

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) के रूप में बढ़ा दिया जाय--

"(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(२) उक्त विवरण-पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में प्रकाशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, जिनमें विवरण-पत्र के किसी इन्दराज की विशुद्धता (Correctness) या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्सम्बन्धी कोई अकरण (Omission) बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया हो। विवरण-पत्र के संगत उद्धरणों के सहित उक्त नोटिस की एक प्रति की, नियत रीति से, तामील गांव में प्रत्येक खातेदार पर भी की जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अब मजबूर होकर इस संशोधन को रखना चाहता हूं क्योंकि वह भ्रम जो है वह जरा फिर भ्रम स्पष्ट हो जाय। मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं कि खंड ८ में प्रस्तावित खंड (ग) के बाद निम्न खंड (घ) बढ़ा दिया जाय :

"(घ) उक्त प्रकार का वक्तव्य (Statement) गांव में प्रकाशित किया जायगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिये मैंने रखने की धृष्टता की है इस संशोधन को कि जो अभी माननीय श्रीपति सहाय जी का संशोधन स्वीकार हुआ है उसमें यह लिखा हुआ है कि उक्त विवरण पत्र एक ऐसे नोटिस के सहित गांव में प्रकशित किया जायगा जिसमें सभी स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों को ऐसी आपत्तियां यदि कोई हों, उनमें विवरण-पत्र के किसी इन्दराज की विशुद्धता या उसके प्रकार पर आक्षेप किया जाय या तत्सम्बन्धी कोई अकरण बताया जाय, प्रस्तुत करने के लिये आदेश दिया गया हो। तो गांव में प्रकाशित करने की बात तो इसमें मानी गई है और गांव में प्रकाशित करने का तात्पर्य मैं समझता हूं और इसमें पहले से थोड़ी सुविधा यह भी दे दी गई है क्योंकि गांव में ही प्रकाशित नहीं होगा लेकिन वे लोग जो स्वत्व रखने वाले हों उनको भी उसमें कुछ कहने सुनने का गुन्जायश हो सके और उनको आपत्ति करने का अधिकर मिलेगा, परन्तु यह तो उस नक्शे के सम्बन्ध में है कि जिनमें स्वत्व रखने वाले के पास नोटिस जायगी, बाकी स्वत्व रखने वाले जो नहीं है उनके ऊपर तो शायद नोटिस तामील ही नहीं होगी और स्वत्व रखने वाले वहीं होंगे जिनका नाम कागज में लिख लिया होगा। परताल में तो अब उसमें जरा यह स्पष्ट हो जाना चाहिये।

श्री चरण सिंह—आप इजाजत दे तो बीच में ही भ्रम दूर हो जाय।

श्री गेंदा सिंह—मैं अभी बैठ जाता हूं आप सुन लें। स्वत्व रखने वाले अगर यह बात स्पष्ट हो जाय कि उनको भी जिनका नाम अभी तक इस प्रोसेस में नहीं आया है और सचमुच जमीन पर कब्जा उनका है तो स्वत्व रखने वाला सिर्फ वही माना जायगा जिसका कि नाम पड़ताल में अब तक आ चुका है। तो उनको अब जाप्ते से गुंजायश नहीं होती है। जरा क्वालीफाइड हो जाता है, गांव में प्रकाशन होने का मतलब यह होता है कि डुग्गी पीट कर या इश्तहार हो जाता जिसमें स्वत्व रखने वाले और न रखने वाले जो कुछ आपत्ति करना चाहते कर सकते थे। लेकिन यह संशोधन जो श्रीपति सहाय जी का स्वीकार हुआ है उसमें यह बंधन लग जाता है कि केवल स्वत्व रखने वाले जो हैं वही आ करके आपत्ति कर सकते हैं। तो इसको जरा राजस्व मंत्री जी स्पष्ट कर दें।

*श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, दो काम होंगे इस संशोधन के स्वीकार हो जाने के बाद। एक तो यह कि गांव में प्रख्यापन होगा कि जो भी आदमी इंटरेस्टेड हो वह आ करके उज़्दारी कर सकता है और गांव के प्रख्यापन के मानी यह है कि चकबन्दी के हर मेम्बर को मनादी के जरिये, पंचायतघर या चौपाल आदि या किसी और जगह विशेष पर वह स्टेटमेंट वगैरह टांग दिया जायगा। यह तो हुआ गांव का जनरल नोटिस कि जिसको भी ऐतराज करना है, विशुद्धता, ओमिशन या उसके प्रकार पर ऐतराज करे और जितने खातेदार हैं उनको व्यक्तिगत नोटिस होगा दोनों काम हैं। अब उसी खातेदार को व्यक्तिगत नोटिस दे सकते हैं जिसका नाम दर्ज है। जिसका नाम ही दर्ज नहीं है तो कैसे पता हो सकता है? उसमें व्यक्तिगत नोटिस कैसे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय गेंदा सिंह क्या चाहते हैं। एक तो आम नोटिस हो गया। यह तो सब के लिए होगा। एक व्यक्तिगत नोटिस

[श्री चरण सिंह]

हो गया, उनके लिए जिनके नाम दर्ज हैं, माननीय गेंदा सिंह कोई ऐसा तरीका बता सकें कि हमारे अफसरान को यह मालूम हो जाय कि फलां आदमी इंटरेस्टेड है, और हम कानून में उन पर ऐसी जिम्मेदारी डाल सकें जिसको वह निभा सकें, तो उन पर व्यक्तिगत सर्विस और करा दें। लेकिन वह नामुमकिन बात है। सब के लिए तो जनरल नोटिस है। जिसके नाम दर्ज हैं उनके लिए व्यक्तिगत नोटिस है। इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता।

श्री गेंदा सिंह—एक प्रश्न और है। क्या इसका प्रभाव यह तो नहीं होगा कि जिन लोगों के नाम नहीं हैं उन लोगों को अपनी बातें कहने का और अपनी आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार छिन जायगा ?

श्री चरण सिंह—वह तो तुलसीदास जी कह ही गये हैं।

श्री गेंदा सिंह—मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस किया गया।)

श्री बिशम्भर सिंह (जिला मेरठ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित एक नया उपखंड (३) के रूप में जोड़ दिया जाय :—

"(३) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (७) के रूप में जोड़ दी जाय।

(७) धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अन्तर्गत विवरण में उल्लिखित किसी गाटे (Plot) के सम्बन्ध में आगम का कोई प्रश्न जो उपधारा (१) के अन्तर्गत उठाया जा सकता था और जिसे उठाया जाना चाहिए था, धारा २० की उपधारा (२) अथवा धारा ३४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी आपत्ति में नहीं उठाया जायगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन का मतलब यह है कि अब तक की जो स्थिति थी इस चकबन्दी कानून के मातहत वह यह थी कि आपत्तियां दाखिल करने के तीन मौके दिये गये थे।

क्वेश्चन आफ टाइटिल एक सेक्शन ११ उपधारा (१) के मातहत और उसके बाद धारा २० की उपधारा (२) के मातहत और उसके बाद धारा ३४ की उपधारा (१) के बाद कोई भी क्वेश्चन आफ टाइटिल उठा सकता था। लेकिन उसमें एक बड़ी आब्जेक्शनेबिल बात यह थी कि किसी भी स्टेज पर सेक्शन ११ के मातहत वह आब्जेक्शन आफ टाइटिल उठा सकता था जिससे बड़ी परेशानी होती थी। तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि यह मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

***श्री गेंदा सिंह**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो संशोधन डा० विशम्भर सिंह जी की मार्फत प्रस्तुत हुआ है वह नहीं प्रस्तुत करना चाहिये था क्योंकि मैं तो डा० साहब को ऐसा समझता हूं कि बहुत सोच समझ कर के कोई संशोधन प्रस्तुत करेंगे। डा० साहब ने पहले पहल संशोधन रखा उसमें उन्होंने यह मांग की है कि जो क्वेश्चन आफ टाइटिल, अपने अधिकार के लिये, पहले अधिनियम में जो कुछ मौके थे वह अपनी बातों को उठा सके उसमें दो मौकों को

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार ले लेना चाहती है और केवल एक ही मौके पर उसको उठाने का अधिकार द रही है। आखिर ऐसा क्यों सरकार करने जा रही है जब कि गांव का रहने वाला किसान जो बहुत कागज-पत्र में होशियार नहीं है वह एक बार चूक सकता है, उससे गलती हो सकती है तो फिर उसको एक दूसरे वक्त पर अपने अधिकारों के लिये आवाज उठाने के लिये, आपत्ति करने के लिये मौका मिले यह गुंजायश थी पहले अधिनियम में। फिर उसके बाद भी अगर वह चूक जाय, उससे गलती हो जाय, किसी दूसरी जगह चला गया हो गांव छोड़ कर छोटे खाते वाला आदमी तो उस अधिनियम में इस बात की गुंजायश की गई था कि तीसरी मर्तबा फिर उसको मालूम हो तो अपने क्वेश्चन आफ टाइटिल का सवाल उठाये। अब इस संशोधन के पास हो जाने के बाद तो उसको यह अधिकार नहीं रह जायगा। तो मेरी राय में यह कोई अच्छी बात नहीं होगी और मैं तो सोचता हूं कि जमीन जो है उससे किसान बहुत मुहब्बत करता है और यहां उसके अधिकारों का फैसला होता है। पहले ही से बहुत ही समरी मेजर हमने अख्तियार कर लिया है, सारे दावानी के मुकदमे और जो रेगुलर मुकदमों की हालत होती थी उनकी पैरवी होती थी उन सबको इस अधिनियम के द्वारा रोक दिया गया है कि सारे अख्तियारात कन्सोलिडेशन के जो अधिकारी हैं, उनको दे रखे हैं, इस अधिनियम के मुताबिक। अब उन अख्तियारों के रहते हुए हमने जब कि कई सालों मुकदमे चल सकते थे दीवानी में उनको हमने ले लिया, उनको समरी तरीके पर फैसल करने के अख्तियारात कन्सालीडेशन डायरेक्टर को दे रखे हैं, सारे अदालतों के अख्तियारों को ले करके वैसी हालत में हम सिर्फ यह मौका दिये हुए थे कि जिन लोगों की जमीन को इकट्ठा करना है या उनकी जमीन का हेरफेर करना है या उनको कोई आपत्ति हो और खासतौर से उस जगह पर जब कि सम्पत्ति के अधिकार पर ही आपत्ति हो, उसके सम्बन्ध में झगड़ा हो तो फिर वह एक मर्तबे अगर चूक गया हो तो दूसरी मर्तबा वह अपनी बात कह ले और उस पर एक फैसला हो जाय कि उसका उस जमीन का मालिक कौन है? अगर दूसरी मर्तबा चूक गया हो तो तीसरी मर्तबा फैसला करा ले। यह नहीं है कि वह अपना फैसला अदालत में करायेंगे बल्कि अपना फैसला उन्हीं लोगों के सामने करायेंगे जो कंसालिडेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो समरी तरीके पर उसका फैसला करेंगे। तो फिर मैं समझता हूं कि इन अख्तियारों को ले लेने से लोगों के ऊपर हार्डशिप होगा और लोगों में असन्तोष बढ़ेगा। इसलिये बावजूद इसके कि डाक्टर साहब का पहले पहल का यह संशोधन है और पहला पहल यह संशोधन आने के बाद मैं उसका विरोध करूं यह मुझे भी कुछ अजीब बात लगती है लेकिन मैं मजबूर हूं और डाक्टर साहब के हाथ से अगर ऐसा संशोधन स्वीकार हो गया तो कानून पेशा वाले तो अपनी मदद कर लेंगे लेकिन जो कानून नहीं जानते हैं और कानून समझने की कोशिश में भी कानून पेशा वालों की मदद लेना चाहते हैं उनको बड़ी दिक्कत हो जायगी। उस दिक्कत का लिहाज करते हुए मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार न किया जाय। बल्कि जो विधेयक पहले आया था उस विधेयक में यह बात नहीं कही गई है, यह बिल्कुल इस वक्त आ गई बात। मालूम नहीं कहां से यह बात आ गई दो दिन में। विधेयक जो आया वह तो पिछले अनुभवों के आधार पर आया हुआ है लेकिन विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद मालूम नहीं कहां से यह इलहाम हो गया कि नहीं अब यह भी अख्तियार ले लिया जाना चाहिए। मैंने कल कहा था कि यह विधेयक जो है वह कुछ मन में यह बात बैठी हुई है कि लोगों को जबरदस्ती जो यह एक अमृत है उसको पिलाया जाय और पीने वाले बिल्कुल बच्चे हैं, वह कतई समझते नहीं। उसी पर यह बेस्ड है यह संशोधन बिल। तो मैं जानता हूं कि हमारे इस कहने का क्या अर्थ होगा लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं इस बात को कि डाक्टर साहब की जबान से इस संशोधन को स्वीकार न कराया जाय। काफी लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी बात कह सकते हैं और जहरीले घूंट भी उतार सकते हैं। तो ऐसी घूंट उनके जरिये न उतारी जाय।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं डाक्टर साहब के संशोधन का हृदय से स्वागत करता हूं। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस संशोधन में जो कोई प्राण है और जो कोई ऐसी वस्तु है जो स्मरण करने योग्य है वह यही संशोधन है। यह १९०१ ई० के बाद से लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट जब से चला आज तक चला आ रहा है। पुराने बटवारे में भी था जो पार्टीशन का केस होता था तो आगम का प्रश्न क्वेश्चन आफ टाइटिल एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिसके लिये निर्णय अकाट्य तरीके से एक बार में कर दिया जाय, तो सारी बिल्डिंग गिर जाने के योग्य हो जाती है। इस कारण से उस समय भी जब क्वेश्चन आफ टाइटिल रेज हुआ करता था या प्रस्तुत किया जाता था तो प्रस्तुत करने वाले को तीन मास की अवधि दी जाती थी। उसी समय में वह अपना वाद प्रस्तुत कर सकता था और उसका निर्णय हो जाने के बाद पार्टीशन की आधारशिला बनायी जाती थी। ठीक यही बात चकबन्दी में भी लागू है और मुझे गर्व है कि जिस समय इसकी पांडुलिपि तैयार हो रही थी, मैंने यह प्रस्तावना की थी पर उस आंधी में मेरे स्वर ने कोई काम नहीं किया और अब चकबन्दी विभाग आज उसी जगह पर आ पहुंचा है और यह संशोधन हमारे सामने आया है। यदि क्वेश्चन आफ टाइटिल, आगम का प्रश्न , धारा १२ के अन्तर्गत आपत्तियों के सम्बन्ध में बिल्कुल निश्चयात्मकरूप से सदा के लिये निर्णय न हो जाय तो फिर आगे चकबन्दी आकाश-कुसुम है। उसकी बिल्डिंग किसी भी समय गिरायी जा सकती है, उसी कारण से धारा २०, ३४ या किसी अन्य जगह के ऊपर फिर आगम का प्रश्न उपस्थित नहीं हो सकता है, ऐसी मान्यता चकबन्दी विभाग को रखनी चाहिये, क्योंकि चकबन्दी की आधारशिला आगम पर ही है। इसलिए यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते यदि आगम का प्रश्न एक ऐसे चंचल वातावरण में रखा जाय कि चकबन्दी हो जाने के बाद भी किसी न्यायालय में उसका निर्णय करायें तो चकबन्दी ही खंडित हो जाय और फिर हम उसी जगह से क, ख, ग पढ़ना शुरू करें। पर मेरा ऐसा विश्वास है कि संशोधन में सर्वरूपेण पूरी भावना नहीं आई है फिर भी माननीय माल मंत्री पूरे तरीके से चकबन्दी के इस प्रश्न को लेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं संशोधन के रूप में नहीं रखना चाहता, धारा ४ के अन्तर्गत कुछ स्थलों को छोड़ कर जहां कहीं भी धारा १२ के अन्तर्गत नोटिस प्रकाशित हो, आगम का प्रश्न हो तो वह उस समय ही प्रश्न उठ सकता है। यदि नहीं उठाया जाय तो सदा के लिए टाइम बार कर दिया जाय यही धारा ६, १११ लैंड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्दर है। मैं अपने माल मंत्री जी से कहूंगा कि चकबन्दी की आधारशिला समझौते के आधार पर है, तो आगम का प्रश्न उपस्थित होने के बाद यदि कहीं कोई गुंजायश हो नियमों में या शासकीय आदेशों में तो एक बार समझौते का भी प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि मैं चकबन्दी के क्षेत्र में रहता हूं और लोगों को जानता हूं। बहुत से प्रश्न समझौते से तय हो सकते हैं। मशीन की तरह से कानून को मशीन के द्वारा काटते चले जायं तो स्वरूप अच्छा नहीं बनता। चकबन्दी को लोग हृदय से चाहते हैं, इसलिए समझौते का प्रयत्न करना जरूरी है। धारा ८ में ही है कि परताल होती है तो उसके पश्चात् चकबन्दी क्षेत्र में उसे समझौता कहा जाता है कि अभी समझौता हो रहा है। यह समझौता कहा जाता है, उसका जो कुछ भी स्वरूप हो। तो इस आगम के प्रश्न के पश्चात् भी एस० सी० ओ० को या किसी को थोड़े समय के लिये ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह आगम का प्रश्न आर्बिट्रेटर के पास जाने के पहले समझौते के रूप में उसको स्पर्श किया जाय तो जल्दी समाप्त हो जायगा। क्योंकि जज साहब के द्वारा बहुत विलम्ब होता है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि सी० ओ० ने बहुत से प्रश्न जो आगम के थे उनके लिये कहा कि आर्बिट्रेटर के यहां जायगा और जब जज साहब के यहां वादी प्रतिवादी गये तो उन्होंने सभी को वापस कर दिया और एस० ओ० सी० के

पहा भेजा और एस० ओ० सी० ने कहा कि जब मैं आगम का प्रश्न निर्णय करूं तब आना चाहिए और यहां धुंआधार वातावरण में कौन सुनता है कि चकबन्दी से कौन सा फाइल कहां आई है, बस्तों में पहुंच गयी या क्या प्रयास हुआ? और आर्बिट्रेटर महोदय तो स्वयं सूखे तालाब की तरह बैठे रहते हैं। वह गिनते हैं कि भगवान कोई केस हमारे सामने आवे। वहां लोगों का पहुंचना कठिन हो जाता है और ईश्वर करे न पहुंचें। चकबन्दी का कोई वाद अगर समझौते के द्वारा हल हो जाय तो इतना लाभकारी हो जाय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं अधिक विवाद में विस्तार न देकर यह कहता हूं कि डाक्टर विश्वम्भर सिंह जी का यह संशोधन सारे संशोधन विधेयक का प्राण है। हमारे गेंदासिंह जी की दृष्टि इस व्यापक तत्व पर नहीं पहुंची। किसी मन्दिर को बनाने में या किसी आन्दोलन को चलाने में संकल्प करना पड़ता है कि इसका मर्मस्थल कहां पर है और कहां पर व प्रहार करने से बिल्डिंग गिर जायगी और कहां नहीं होगी। तो जिस तरह से ये संकल्प होते हैं उसी तरह से हमारे चकबन्दी के भवन के लिये आगम के प्रश्न को निर्णीत करना बहुत आवश्यक है। उसका निर्णय करने के पश्चात् ही चकबन्दी का किला बन सकता है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। इसमें जो लिखा गया है उपधारा ६ के पश्चात् धारा ७ तो मैं इसमें ढूढ़ने-ढूढ़ने परेशान हो गया लेकिन मुझे नहीं मिला है। वह कहां बताया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आप इसको देख लें, इसमें है।

***श्री मोहन सिंह (जिला बुलन्दशहर)**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से डाक्टर विश्वम्भर सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मैटर आफ रस जुडीकेटा है यानी यह इस प्रकार का है कि अगर किसी मामले में कोई पेटीशन करे कि आपने फैसला दे दिया फिर किसी मार्ग से उसका फैसला हो उसी तरह का यह मामला है। जो मामला एक बार चकबन्दी आफिसर के सामने तय हो जाय वह किसी दूसरी अदालत में फिर नहीं आना चाहिये। मुझको ताज्जुब हुआ कि माननीय गेंदा सिंह जी जो मुकदमेबाजी के बहुत खिलाफ हैं मैं समझता हूं कि वे इसके शौकीन नहीं हैं वे आज इस बात को चाहते हैं कि मुकदमेबाजी का पूरा मौका दिया जाय और एक सीमा रहित समय तक उनको मुकदमेबाजी का पूरा अवसर मिले क्योंकि आखिर अदालतों में कितने मुकदमे पड़े रहते हैं और कितना खर्चा होता है तो फिर किसी चकबन्दी के मामले में खास तौर से अगर यह तय हो जाय कि एक गाटा एक शख्स का है तो फिर अब मुकदमेबाजी उस पर हो सकती है किसी अदालत में चाहे वह सिविल कोर्ट में हो या रेवेन्यू कोर्ट में हो तो फिर चकबन्दी हुई है और किसी दूसरी अदालत ने दूसरी तरह से तजवीज दी तो वह सेटिल्ड चीज अनसेटल्ड हो जायगी। जब पूरा मौका मिलता है हर इन्सान को और फिर भी वह सोता रहे तो उस सोते हुये इन्सान को कब तक मौका देते रहेंगे। उन गांव वालों से जिनकी हिमायत माननीय गेंदा सिंह जी कर रहे हैं हमें भी उनसे पूर्ण सहानुभूति है, उनसे पूरी हमदर्दी है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनको हानि पहुंचे। लेकिन आखिर कोई वक्त ऐसा आना चाहिये जिसमें किसी मामले की बाबत यह कहा जाय कि अब यह मामला तय हो गया है। तो मैं समझता हूं कि यह डाक्टर साहब का जो संशोधन है वह बिल्कुल उचित है और इस पर भाई गेंदा सिंह जी अगर फिर विचार करेंगे तो शायद अपनी राय बदल देंगे।

श्री चरण सिंह--श्रीमन्, जो वैधानिक प्रश्न उन्होंने उठाया है वह एक प्रिंटिंग एरर की वजह से है वरना तो कोई प्रश्न है नहीं। विश्वम्भर सिंह जी का संशोधन श्रीपति सहाय जी से पहले है यह इस वजह से है कि ८ लिखा है हाशिया में, वह ८-क होना चाहिये। हाशिया में तो ७ होना चाहिये और ८-क इधर होना चाहिये। इस वजह से कन्फ्यूजन है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—में समझता हूं पहले खंड ८ पर राय ले ली जाय। प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ८-क

श्री श्रीपति सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि—

(१) खंड ८ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ८-क के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"८—क—मूल अधिनियम की धारा १२ में—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(१) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ११ के अधीन प्रकाशित विवरण-पत्र के किसी इन्दराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप करना चाहता हो, अथवा तत्संबंधी कोई अकारण (omission) बताना चहता हो, उक्त विवरण- पत्र के प्रकाशन के ३० दिन के भीतर, (उक्त विवरण-पत्र पर) आपत्तियां, यदि कोई हो, नियत रीति से सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(२) वर्तमान उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

(५) धारा ११ के अधीन विवरण-पत्र के प्रकाशन के पश्चात् ऐसे सभी बाद या कार्यवाहियां जो किसी मौलिक, अपील, अभिदेश, अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (Court of first instance. appeal. refrence or revision) में विचाराधीन हों और जिनमें धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अभिदेश में उक्त विवरण—पत्र में उल्लिखित किसी भी माटे के संबंध में आगम का प्रश्न उठा हो, उस सीमा तक जहां तक वह उक्त माटे से सम्बद्ध हो रोक दी जायेगी और तत्पश्चात नियत रीति से निस्तारित की जायेगी।"

श्रीमान 'निर्धारित' की जगह 'निस्तारित' होना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि यह संशोधन आज ही इसमें प्रकाशित हुआ है तो मैं एक संशोधन आपकी इजाजत से करना चाहता हूं। यह जो प्रस्तावित उपधारा (१) की चौथी पंक्ति में शब्द "उक्त विवरण—पत्र पर" आये हैं इनको निकाल दिया जाय। इसका मतलब में यह समझता हूं कि जो विवरण: पत्र स्वत्व रखने वाले को दिया जायगा उसी विवरण—पत्र पर उसको आपत्ति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अब विवरण—पत्र तो आखिर कागज ही है।

श्री चरण सिंह—सोने की पत्री पर भिजवाया करेंगे।

श्री गेंदा सिंह—फिर तो बड़ा टैक्स मांगेंगे राजस्व मंत्री जी, हमको नोच डालेंगे सोने की पत्री पर भिजवाने के लिये। तो वह तो हम कागज पर ही चाहेंगे। लेकिन यह जरूरी न हो कि उसी विवरण—पत्र पर वह उत्प्रदारी तत्काल करे। किसी भी कागज पर वह कर सकता है तो कर दे केवल इस बात की तरफ ध्यान दिलाने के बाद में समझता हूं कि वह इस कठिनाई को थोड़ा सा महसूस करें कि कहीं किसी किसान के घर में आग लग गई (एक आवाज आग क्यों लग जाय।) अब इसके लिये तो मैं मंत्री जी को पकड़ कर ले जाऊं तो उनको एहसास होगा, और वह मेरी बात सुनेंगे भी तो नहीं औरों की बात सुनेंगे और हमें रिडीक्यूल करेंगे। यह कहते हैं कि क्यों आग लग जाय अरे, आग लग जाय और हजारों घरों में इन दिनों में आग लगती है अगर उसके यहां इन ३० दिनों के भीतर ही आग लग जाय और वह जल जाय तो क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय अगर किसी का अगर पानी में कहीं गिर जाय तो क्या होगा ? अगर इसी विवरण पत्र पर आपत्तियां की जायंगी तब तो मैं इसको नामुनासिब समझूंगा और अगर यह मतलब नहीं है और वह किसी भी कागज पर आपत्ति कर सकता है तब तो ठीक है और इस पर वक्त खराब करना बेकार है। ऊपर का जो कांटेक्स्ट है उसको मैं पढता हूं तो मुझे शक होता है। मैं जानता हूं कि ठाकुर साहब कानून कैसा समझते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप नहीं समझते हैं आप समझते हैं और हम भी समझते हैं। अब इम्तहान हो और राजस्व मंत्री जी सभी लोगों को एक मर्तबा पर्चे देदें और हम भी लिखें और आप भी लिखें और सब लोग लिखें और इम्तहान हो जाय। कितने लोग इन कानूनों को समझते हैं और मैं समझता हूं इसका पता लग जायगा।

यहां तो बड़ा भारी बहुमत है और यह कह देते है कि मैं नासमझ हूं आज तक चार वर्षों में मैंने जितनी बातें कही हैं उनमें से एक भी बात समझदारी की नहीं है। आपने जिक्र किया है कि मैं नासमझ हूं। मैं मानता हूं इसको आपकी समझ के मुताबिक और उस समय तक नासमझ रहूंगा जब तक कि मैं आपको समझा न दूं कि मैं नासमझ नहीं हूं। वह तो कहते रहे मैं उसको बरदास्त कर लेता हूं क्योंकि उनकी आदत है। लेकिन जब दूसरे कहते हैं तो मुझे दुख होता है। वहां बैठ कर रोते हैं और यहां कहते हैं कि यह कानून की भाषा है। जहन्नुम में जाय ऐसी कानूनी भाषा जिसे आम लोग न समझते हों और सिर्फ एक दो प्रतिशत लोग ही समझते हों। ऐसी भाषा को मैं हाथ जोड़ता हूं। ऐसी भाषा लिखें जिसको हमारे जैसा नासमझ भी समझ सके। उक्त विवरणपत्र पर लिखकर दे इसे पढकर मुझे शक हुआ। अगर यह बात नहीं है तो आप उत्तर देदीजिये ताकि व्यर्थ समय खराब न हो। इसमें लिखा हुआ है कि उक्त विवरण पत्र पर आपत्तियां दाखिल की जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रीपति सहाय जी के संशोधन का घोर विरोध करना चाहता हूं। श्रीमन्, जो मूल अधिनियम है, मैं समझता हूं कि वह संशोधन से बहुत अच्छा है। जो मूल अधिनियम है उसमें साफ आदेश दिये गये हैं कि भूमि प्रबन्धक समितियों के विचारों की अवहेलना न की जाय, लेकिन यह जो संशोधन है उसमें साफ कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा १२ में (१) उपधारा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय। मूल अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (१) और (२) इस प्रकार हैं :—

"१२—(१) कोई भी व्यक्ति धारा ११ के अन्तर्गत विवरण प्रकाशित होने के ३० दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष विवरण में किसी भी इंदराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप के रूप मे आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा तत्संबंधी कोई अकरण बता सकता है।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में, यदि आवश्यक हो तो पक्षों की सुनवाई करके भूमि प्रबन्धक समिति के विचारों सहित उक्त आपत्तियों पर अपनी रिपोर्ट चकबन्दी अधिकारी के पास प्रस्तुत करेगा जो उस स्थिति को विचार कर जिसकी व्यवस्था उपधारा (४) में की गई है, सभी आपत्तियों को नियत रीति से निस्तारित करेगा।"

तो श्रीमन्, यह जो संशोधन है इसमें कहीं भी भूमि प्रबन्धक समिति की चर्चा नहीं की गई है और यह साफ कह दिया है कि जब आगम का प्रश्न उठेगा

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

वह खत्म कर दिया जायगा। मैं आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो मूल अधिनियम है उससे अच्छा यह संशोधन है? क्या यह लोकतंत्रात्मक है? इसमें भूमि प्रबन्धक समितियों की राय की अवहेलना की गई है। इसमें नियत रीति से लोगों की आपत्तियों के विवरण पर रोक लगा कर एक अफसर के हाथ में अधिकार देने की बात रखी गई है। मैं आपके जरिये से श्री श्रीपति सहाय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जरा मूल अधिनियम को देखें और राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री चरण सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि १२ (१) में भूमि प्रबन्धक समितियों का जिक्र है कहां?

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह जो मूल अधिनियम है उसकी धारा १२ की उपधारा (१) और (२) आप देखें। इसमें साफ लिखा हुआ है।

श्री चरण सिंह—यह उपधारा (२) के बजाय नहीं उपधारा (५) के स्थान पर है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री रामसुन्दर पांडेय से) क्या माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय—जी हां।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी ने जो "पर" लफ्ज पर एतराज किया है, मैं समझता हूं कि उनका ख्याल उस बारे में गलत है। उसका मतलब यह नहीं है कि उसी कागज पर एतराज लिखे, बल्कि मतलब यह है कि उस कागज में जो बातें लिखी हैं उनके खिलाफ अगर उसे कोई एतराज करना है तो अलग कागज पर उन्हें लिख कर भेजें। यही मतलब है वरना उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी किसान होंगे और जब उनके यहां चकबन्दी होगी और यह कागज उनके यहां जायगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कि वह इसका यह अर्थ कभी नहीं लगायेंगे। गेंदा सिंह किसान यह अर्थ नहीं लगा सकते जो माननीय गेंदा सिंह जी, नेता विरोधी दल की हैसियत से यहां लगा रहे हैं। यहां का तो ऐटमास्फियर कुछ और है। अगर कोई यह कहे अपने नौकर से कि सैन्धव ले आओ और उसके पास वह घोड़ा खड़ा कर दे तो यह ठीक उसी तरह से होगा। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि किसान जब ऐसा कहेगा तो वह उसी कागज पर लिखकर नहीं देगा। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि गेंदा सिंह जी जब किसान होंगे तब वह ज्यादा समझदार होंगे उस आदमी से जो कि घोड़े को खोलकर ले आता है।

दूसरी बात रामसुन्दर पांडेय जी ने जो कही वह भी करीब-करीब ऐसी ही है। संशोधन श्री श्रीपति सहाय जी का यह है कि "८—क—मूल अधिनियम की धारा १२ में उपधारा १ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय यह तो पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा उनका वर्तमान उपधारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय यह उनके संशोधन का दूसरा हिस्सा है। यह अधिनियम की धारा १२ की उपधारा में यह लाना चाहते हैं, यह चीज बिलकुल अलग है। मैं इन शब्दों के साथ माननीय श्रीपति सहाय के संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री गेंदा सिंह—यह संशोधन जो श्री श्रीपति सहाय जी का है उस पर मैंने संशोधन किया था। अब उस संशोधन पर स्पष्टीकरण होने के बाद इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। मैं समझता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का ध्यान रखा जाय कि जो संबंधित विधेयक को पायलेट कर रहा हो वह सदन का समय इस प्रकार से खराब न होने दे। अगर कोई गल्ती करता है तो उसको रोका जाय। मैं तो सही समझता हूं और समझता हूं कि

उसमें गलती हो रही है तो उस को तुरन्त ही ठीक किया जाय और स्पष्टीकरण से समझाया जाय। अगर यह बात सीधे कही जाती कि इसका मतलब यह नहीं है तो मैं समझता हूं कि इतना समय खराब न होता और जो थोड़ी बहुत बदमजगी हुई है वह न होती। असल में राजस्व मंत्री जी यह चाहते हैं कि वह तो बचे रहें और हमारे लोगों के बीच बदमजगी कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखा जाय तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि (१) खंड ८ के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड ८—क के रूप में बढ़ा दिया जायः—

"८—क—मूल अधिनियम की धारा १२ में :—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

(१) प्रत्येक व्यक्ति जो धारा ११ के अधीन प्रकाशित विवरण-पत्र के किसी इन्दराज की शुद्धता अथवा उसके प्रकार पर आक्षेप करना चाहता हो अथवा तत्संबंधी कोई अकरण (omission) बताना चाहता हो, उक्त विवरण-पत्र के प्रकाशन के ३० दिन के भीतर उक्त विवरण-पत्र पर आपत्तियां, यदि कोई हों, नियत रीति से सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(२) वर्तमान उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय (५) धारा ११ के अधीन विवरण पत्र के प्रकाशन के पश्चात् ऐसे सभी वाद या कार्यवाहियां जो किसी मौलिक अपील अभिदेश, अथवा पुनरीक्षण के न्यायालय (Court of first instance. appeal, reference or revision) में विचाराधीन हों और जिनमें धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अभिदेश में उक्त विवरण-पत्र में उल्लिखित किसी भी गाटे के संबंध में आगम का प्रश्न उठा हो उस सीमा तक जहां तक वह उक्त गाटे से सम्बद्ध हो रोक दी जायेगी और तत्पश्चात् नियत रीति से निस्तारित की जायगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—डा० विश्वम्भर सिंह जी का संशोधन मुझे स्वीकार है और माननीय रामलखन जी मिश्र ने उस पर जो अपना मत प्रकट किया था उससे पूर्णतया सहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नये खंड ८—क में उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित एक नया उपखंड (३) के रूप में जोड़ दिया जायः—

(३) उपधारा (६) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (७) के रूप में जोड़ दी जाय :—

"(७) धारा ११ की उपधारा (१) के खंड (ग) के अन्तर्गत विवरण में उल्लिखित किसी गाटे (plot) के संबंध में आगम का कोई प्रश्न जो उपधारा (१) के अन्तर्गत उठाया जा सकता था और जिसे उठाया जाना चाहिये था, धारा २० की उपधारा (२) अथवा धारा ३४ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रस्तुत किसी आपत्ति में नहीं उठाया जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड ८—क इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा १५ का संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

(१) सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अधीन सिद्धांतों का विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखेगा:—

(क) गाटों की प्रदिष्टि (allotment) उनके लगानी मूल्य के अनुसार की जाय,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चकबन्दी संचालक की आज्ञा के बिना उन गाटों के क्षेत्रफल में जिनकी प्रदिष्टि प्रस्तावित हो और मूल गाटों के क्षेत्रफल में किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो।

(ख) किसी हार (block) विशेष में यथासंभव केवल उन्हीं खातेदारों को भूमि मिले, जिनकी वहां पर पहिले से ही कोई भूमि रही हो तथा खातों की चकबन्दी के संचालक की अनुज्ञा बिना प्रत्येक खातेदार को आबादी के लिये विनिर्दिष्ट (earmarked) एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदिष्ट होने वाली चकों की संख्या गांवों में हारों की संख्या, से अधिक न हो,

(ग) प्रत्येक खातेदार को यथासम्भव उसी स्थान पर भूमि प्रदिष्ट हो जहां उसके खाते का सबसे बड़ा भाग उसके कब्जे में हो,

(घ) एक ही परिवार के खातेदारों को यथासंभव पास-पड़ोस वाले चक दिये जायं,

(ङ) चक प्रदिष्ट करने में खातेदार के निवासगृह (residential house) का स्थल (location) या उसके द्वारा की गयी उन्नति (improvement) यदि कोई हो, का यथाशक्य ध्यान रखा जाय,

(च) छोटे-छोटे खातेदारों को यथाशक्य गांवों की आबादी के पास भूमि दी जाय,

(छ) कोई भी वर्तमान संहत (compact) खाता या फार्म, जिसका क्षेत्रफल सवा छः एकड़ या उससे अधिक हो यथाशक्य विशृंखलित (disturbed) या विभक्त (divided) न किया जायगा।

श्री श्रीपति सहाय——मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में शब्द शब्द "मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:——

"मूल अधिनियम की धारा १५ में——

उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदा इसी प्रकार रखा हुआ समझा जाय"

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ में प्रस्तावित धारा १५ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) के रूप में रख दिया जाय:——

"(२) धारा १५ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित धारा १५ की उपधारा (१–क) के रूप में रख दिया जाय:——

(१–क) कोई भी चकबन्दी, चाहे वह उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम १९५६, के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या तत्पश्चात् केवल इस कारण से अवैध न होगी या अवैध न समझी जायगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या गांव में हारों की संख्या से अधिक है।"

श्री गेंदा सिंह——मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम इस संशोधन को स्वीकार करके ऐसा कर रहे हैं कि सन् ५६ से पहले जितने भी चकबन्दी के कार्य हुये थे और जिन्हें असंतोषजनक मान कर रोक दिये गये थे, सन् ४६, ४७, ४५ या ४८ में, उनको भी हम लीगैलाइज कर रहे हैं।

श्री चरण सिंह——नहीं, उनसे कोई वास्ता नहीं है। अमेंडमेंट ऐक्ट ५६ का यही होगा। बिल अमेंडमेंट ऐक्ट कहलायेगा।

माननीय श्रीपति सहाय जी का संशोधन मुझे स्वीकार है। कहीं-कहीं परिस्थितियों से ऐसा हुआ है कि २ ब्लाक हैं, २ हार हैं, किसी गाँव में और ३ जगह किसान को जमीन मिली मान लीजिये कि एक हार में एक जगह और दूसरे हार में २ जगह जमीन मिली। २ जगह के बीच में राजबहा या सड़क या कोई रास्ता आ गया है। तो उसके मुताल्लिक दो राय है तो यह एक चक हुआ या नहीं? अगर बीच में रास्ता या सड़क छोटी सी आजाय और फिर ५० बीघे या ८० बीघे हैं तो हमारे कर्मचारियों की यह राय थी कि यह एक चक है। बीच में रास्ता आ गया है। कभी किसी को यह ख्याल हो जाय कि नहीं, ये दो चक हो गये, तो फिर २ हार में ३ चक हो गये। इस अमेंडमेंट में क्लाज १५ में हम यह करने जा रहे हैं। बिल के पेज ४ में देखें। यहां खंड ९ के उपखंड (ख) में यह है कि किसी हार विशेष में यथासंभव उन्हीं खातेदारों को भूमि मिले, जिनकी वहां पर पहिले से ही कोई भूमि रही हो तथा खातों की चकबन्दी के संचालक की अनुज्ञा बिना प्रत्येक खातेदार को अबादी के लिये विनिर्दिष्ट एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये सुरक्षित क्षेत्रों में छोड़कर प्रदिष्ट होने वाली चकों की संख्या गांवों में हारों की संख्या से अधिक न हो। अब हम ऐसा कह रहे हैं कि डाइरेक्टर आफ कंसालीडेशन की इजाजत से जितने भी हार हैं उससे भी ज्यादा अगर आवश्यकता हो तो चक ज्यादा दिये जा सकते है, यानी एक ही हार में दो चक भी हो सकते हैं। यह संशोधन यह कहता है कि अगर पहले भी ऐसा हुआ हो तो यह समझा जायगा कि यह अमैंडिंग क्लाज रिट्रासपैक्टिव इफेक्ट से लागू हो। एक कन्सटीट्यूशनल डिफीकल्टी को वैलिडेट करने के लिये यह है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय माल मंत्री जी ने बतलाया कि कहीं-कहीं पर यह कठिनाई पैदा हो गयी है तो फिर से करें और एक ही चक दो चकों में गिना जाने लगे। इस तरह जितने हार है उनसे अधिक हारों की संख्या होगी। यह बात कि रास्ते की वजह से एक चक दो हो गया, यह बात समझ में नहीं आती। क्योंकि जब एक ही चक के अन्दर से रास्ता जाता है तो वे दो चक किसी हालत में नहीं हो सकते।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

वह तो एक ही नंबर होगा। अगर उसमें कोई रास्ता जाता है तो एक ही चक रहेगा। म निवेदन करना चाहता हूं कि १९५९ के प्रारम्भ के पूर्व इस तरह से हार से अधिक चक हो गये हों तो वे सही मान लिये जायं और उस वजह से अवैध करार न दिये जायं लेकिन अगर आगे को यह छूट दे दी गयी तो एक कठिनाई और एक आपत्ति होगी। आपत्ति यह है कि जो लोग वहां अमर रखने वाले होंगे कि अगर हार दो हैं और तीन चक मिलने से सुविधा होती है तो वे तीन चक प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। अगर कोई चक उनका गांव के पास है और दूसरा गांव के दूर है तो वे पास वाला तो लेंगे ही और अगर दूर वाला लेने में उनको सुविधा होती है तो उसको भी वे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस कारण से जो पहले हारों की संख्या से ज्यादा चक न रखने का प्राविजन रक्खा गया था वह बहुत सोच विचार कर रक्खा गया था। लेकिन अगर ऐसा रख दिया जाता है तो लोग नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिये यह रास्ता आगे के लिये खोल देना मुनासिब न होगा कई चकों का हो जाना मुनासिब नहीं मालूम होता है। इसलिये मैं माननीय माल मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे "तत्पश्चात्" शब्द निकाल दें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि इससे बहुत नाजायज लाभ लोगों को उठाने का मौका मिल जायगा।

श्री चरण सिंह—लेकिन यह तो सब डायरेक्टर आफ कंसोलिडेशन की आज्ञा और अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही होगा।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—तब ठीक है। इसकी रोक थाम के लिये पूरा प्रबन्ध होना चाहिये कि बहुत ज्यादा चक न हो जायं।

श्री चरण सिंह—माननीय मौर्य जी की जो राय है और मेरी जो राय है वह एक ही है। उसमें कोई फर्क नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में शब्द "मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं——

"मूल अधिनियम की धारा १५ में——

उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदा इसी प्रकार रखा हुआ समझा जाय"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—खंड ९ मे प्रस्तावित धारा १५ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड (२) के रूप में रख दिया जाय——

"(२) धारा १५ की उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित धारा १५ की उपधारा (१—क) के रूप में रख दिया जाय——

(१—क) कोई भी चकबन्दी, चाहे वह उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५९ के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या तत्पश्चात् केवल इस कारण से अवैध न होगी या अवैध न समझी जायगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या गांव में हारों की संख्या से अधिक है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ९ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति १ में "चकबन्दी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:--

"चकबन्दी संचालक की आज्ञा जो चकबन्दी समिति की सलाह से होगी उसके अनुकूल"

इस बिल में यह कहा गया है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि चकबन्दी संचालक की आज्ञा के अनुकूल, उन गाटों के क्षेत्रफल में, जिन की प्रदिष्टि प्रस्तावित हो और मूल गाटों के क्षेत्रफल में किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो।" इसमें भी जब आप ऊपर देखेंगे तो कुछ सिद्धांत बनाये गये हैं और जो धारा ९ है उसकी उपधारा (क) में लिखा है कि गाटों की प्रदिष्टि उन के लगानी मूल्य के अनुसार की जाय और शुरू में कहा गया है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा १४ के अधीन सिद्धांतों का विवरण तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का ध्यान रखेगा, जिस में इस वक्त जो संशोधन हम कर रहे हैं उसमें केवल संशोधन इतना है कि गाटों का एलाटमेंट लगानी मूल्य के अनुसार किया जायगा। तो उसके अनुसार चकबन्दी संचालक की आज्ञा के अनुकूल उन गाटों के क्षेत्रफल में जिन की प्रदिष्टि प्रस्तावित हो और मूल गाटों के क्षेत्रफल में किसी भी दशा में २० प्रतिशत से अधिक का अन्तर न हो। यानी अगर २० प्रतिशत का फर्क पड़ेगा तो केवल उसकी इजाजत से ही तब्दीली हो सकेगी। तो मेरे संशोधन का अर्थ केवल यह है कि अगर चकबन्दी संचालक को अधिकार दिया गया है कि लगान या मालगुजारी के २० प्रतिशत से अगर ज्यादा का फर्क पड़े तो चकबन्दी संचालक उस के लिये खास तौर से इजाजत दे और तभी अदलाबदली हो सकेगी। मान लीजिये कि एक एकड़ जमीन है और ५ रुपया उस का लगान है या मालगुजारी है, तो २० गुना अगर उसकी कीमत माने तो वह १०० रुपया होगी और किसी एक एकड़ की मालगुजारी अगर ढाई रुपया है तो उस की कीमत ५० रुपया होगी, तो अब इस ५० रुपया और १०० रुपये में १०० प्रतिशत का अन्तर होगा, तो १०० प्रतिशत का जहां अन्तर होगा तो वहां चकबन्दी संचालक को देखना है....

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, इस में वैलुएशन जो है उस का अन्तर एक पैसे का भी नहीं होगा, यह रकबे के अन्तर का २० प्रतिशत का सवाल है। दो तरह से चकबन्दी हो सकती है। या तो यह कि जब किसानों की जमीन चक के रूप में एक दूसरे के पास जाय तो रकबा बराबर-बराबर रहे। अगर रकबा बराबर-बराबर रहता है और जमीन में अदल बदल होता है तो वैलुएशन में फर्क पड़ता है। २५ बीघा जमीन मेरे पास है और बदले में २५ बीघा जमीन मुझे बढ़िया मिल जाय तो फायदा हुआ और अगर घटिया किस्म की मिल गई तो नुक्सान हुआ। एक उसूल यह हो सकता था। दूसरा उसूल यह हो सकता है कि जितनी कीमत की जमीन आज मेरे पास है उतनी मुझे मिले, रुपया आना पाई से बराबर। अगर बढ़िया किस्म की जमीन आये तो रकबा कुछ कम, और घटिया किस्म की जमीन आये तो रकबा ज्यादा। तो यह उसूल तो हमने मान लिया कि वेल्यूएशन बराबर करेंगे क्योंकि खंड ९ के उपखंड (१) (अ) में आप देखेंगे "दी एलाटमेंट आफ प्लाट्स शैल बी मेड आन दी बेसिस आफ रेंटल वेल्यू।" इसमें ऐज फारएज पासिबिल नहीं है, यह एबसोल्यूट है। इसमें हमारे अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है। वे कीमत बराबर करेंगे। एक सूरत यह जरूर लगा दी है कि कीमत बराबर होगी। साथ ही यह कोशिश होनी चाहिये कि रकबे में भी २० फीसदी से ज्यादा अन्तर न हो। १०० बीघे तक हमारी जमीन है और कीमत है ६ हजार, तो ६ हजार रुपये के बदले में ६ हजार रुपये की जमीन मिलेगी लेकिन इतनी बढ़िया न दे दी जाय कि ६० बीघा जमीन मेरे १०० बीघे के बराबर हो यानी मुझे इतनी रद्दी न दे दी जाय कि १०० के बजाय १५० बीघा दे दी जाय। इससे यह होगा कि किसान को बहुत रद्दी जमीन मिलेगी और इससे वह समझता है कि मेरे साथ धोखा हुआ। दूसरा प्रतिबन्ध लगाया है, "ऐज फार ऐज पासिबिल"

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

हत्तुलइमकान २० फीसदी से ज्यादा रकबा न हो, में अन्तर न हो हर सूरत में २० फीसदी से रकबे से ज्यादा अन्तर करने के लिये अगर वह विवश हो जायं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्टर की रजामन्दी लें। शायद माननीय गेंदा सिंह जी को यह ख्याल हुआ कि १०० रुपये की जमीन के बदले में १ एकड़ जमीन है और उसके बदले में एक एकड़ जमीन दे दी जाय जो ५० रुपये की हो तो १०० फीसदी का अन्तर हो जायगा। ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर ऐसा होता है तो चकबन्दी कमेटी के मश्विरा से होना चाहिये। यह मेरे माननीय मित्र का ख्याल है लेकिन है नहीं। यह पहले कह चुका हूं कि कीमत बराबर हो और एक एकड़ १०० रुपये की हो तो १०० रुपये की जमीन बदले मे मिले और २५ बिस्वा के बदले मे ३६-३७ बिस्वा हो जाय यानी २० फीसदी से ज्यादा अन्तर न हो। और अगर होता है तो डायरेक्टर के परामर्श से हो।

श्री गेंदा सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मंने यही समझा था और यही समझकर जो मेरा संशोधन है उसे मैंने रखा था।

श्री चरण सिंह—फिर आपने कैसे कह दिया कि १०० रुपये की एक एकड़ जमीन हो और उसे ५० रुपये वाली एक एकड़ जमीन मिल जाय तो १०० परसेंट का फर्क हो जायगा।

श्री गेंदा सिंह—जो उन्होंने समझा है उससे कुछ भिन्न उनको समझाऊंगा, पहले वह सुनने का प्रयत्न करें। मैं निवेदन कर रहा था कि इसे समझ कर ही मैंने संशोधन रक्खा था। आप देखेंगे कि लगानी मूल्य के अनुसार उसकी तब्दीली होगी।

श्री चरण सिंह—तो ५० रुपये की बात आपने क्यों कही थी ?

***श्री गेंदा सिंह**—१०० रुपया लगानी मूल्य एक एकड़ का एक जगह है और ५० रुपये लगानी मूल्य एक एकड़ का दूसरी जगह हो रहा है। इसमें १०० फीसदी का फर्क पड़ रहा है। बजाय उधर ध्यान देने के आप मेरी बात सुनें तो शायद आपकी समझ में बात आ जाय। तो जबतक कि २० प्रतिशत का अन्तर पड़ेगा तब तक तो मौके पर उसको हम अख्तियार दे रहे हैं कि उतना वह कर दे। लेकिन जब बीस प्रतिशत लगानी मूल्य से अधिक अन्तर पड़ने लगेगा तो उसको हम यह कह रहे हैं कि चकबन्दी संचालक जो है . . . .

श्री चरण सिंह—रकबे में बीस फीसदी का अन्तर।

श्री गेंदा सिंह—लगानी मूल्य के अनुसार ही हम रकबा देंगे। रकबे के बराबर रकबा नहीं देंगे बल्कि लगानी मूल्य के बराबर रकबा देंगे।

श्री चरण सिंह—रकबे में २० फीसदी का अन्तर पड़ने लगे, यों कहिये।

श्री गेंदा सिंह—२० फीसदी से रकबे में अगर ज्यादा फर्क पड़ता है तो उसके लिये हम चकबन्दी संचालक को अधिकार दे रहे हैं कि चकबन्दी संचालक की इजाजत से ऐसा किया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि चकबन्दी संचालक को तो ऐसा अख्तियार दे दीजिये। मेरा संशोधन जो है वह सिर्फ यह बता रहा है कि चकबन्दी संचालक अगर आवश्यकता समझता है तो वह चकबन्दी समिति तो गांव की है उसकी सलह के अनुसार कर दे यह काम। बस यह है संशोधन। हमारी चकबन्दी समिति जो है वह चकबन्दी संचालक से ज्यादा जानकारी रखती है उस जगह की। २० प्रतिशत से अधिक कितने प्रतिशत तक रकबे में फर्क हो सकता है, यह यहां कोई पाबन्दी हमने नहीं की है। २० प्रतिशत से जितना भी फर्क हो जाय उतने फर्क पर चकबन्दी संचालक मोहर लगा सकता है। मैं किसी के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करता। लेकिन चकबन्दी संचालक सारे सूबे की उस कदर जानकारी नहीं रख सकता जिस कदर जानकारी चकबन्दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समिति अपने स्थानीय मामलों में रख सकती है। फिर मालगुजारी की बात। सर्किल रेट के मुताबिक अगर मालगुजारी लगी है तो उपाध्यक्ष महोदय सर्किल रेट भी बहुत पुराना है। सर्किल रेट के अनुसार जमीन की मालगुजारी लगायी गयी और वह सर्किल रेट, राजस्व मंत्री जी जरा हमारी मदद करें, इस मामले में, इस सूबे में सर्किल रेट कब रिवाइज किया गया था? क्या हमारे उनके होश में आने के पहले तो नहीं किया गया था? तो पुरानी बात है उस सर्किल रेट के अनुसार जो जमीन की मालगुजारी लगी हुई। जमींदारी खत्म हो जाने के बाद भी अधिकतर जमीन पर उसी सर्किल रेट के अनुसार मालगुजारी है। अलावा इसके जो जमीन जमींदारों ने बन्दोबस्त की है या दूसरे लोगों से उन लोगों ने जमीन ली है उसमें कहीं सर्किल रेट का भी ध्यान नहीं रखा गया है। वह मालगुजारी ऊंची है। तो इस प्रकार की मालगुजारी में भी हमने एक सीमा तक दुरुस्त करने का अख्तियार जमींदारी अबालीशन ऐंड लैन्ड रिफार्म्स ऐक्ट के मुताल्लिक दिया है। एक सीमा तक ही है। बिल्कुल हम उसको उस प्रकार से उलट फेर नहीं कर सकते, जैसा कि हम चाहते हैं कि कर दिया जाना चाहिये। ऐसी हालत में मालगुजारी जो जमीन पर है वह तो बहुत ही भिन्न-भिन्न प्रकार की सारे सूबे में है और अगर हम रामपुर को ले लें जहां कि एक एकड़ में कहीं ३२ रुपये मालगुजारी है वहां बरेली जिले में ५ रुपया एकड़ मालगुजारी है। तो हमने यह ——— के लिये रामपुर का जिक्र कर दिया, सारे सूबे में इस तरह की बात हो सकती है। तो अब वहां पर २० फीसदी का मसला नहीं रह जायगा। यह चकबन्दी जो है वह सारे सूबे में होने वाली है। तो रकबे में २० फीसदी से अधिक का अन्तर अधिक जगहों पर हो सकता है। तो अधिक जगहों पर अगर हो सकता है तो चकबन्दी संचालक को उस काम में हाथ डालना पड़ेगा जैसा कि हम इस खंड से उसको अधिकार दे रहे हैं। चकबंदी संचालक को सही २ ज्ञान हो सके और गलती न हो सके इसलिये मैं सोचता हूं कि चकबंदी समिति की सलाह वह ले ले। सलाह लफ्ज है क्योंकि इस लफ्ज से हम ऐसा नहीं समझते कि चकबंदी संचालक के अख्तियार में चकबंदी समिति किसी प्रकार का इंटरफियरेंस कर देगी और उनका काम चलना दुश्वार हो जायगा, ऐसा नहीं है। सलाह की बात है। मैं तो यह चाहता हूं कि चकबंदी समिति की सलाह पर ही सारी चीज की जाय बल्कि उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया ही न जाय। लेकिन मैंने जानबूझ करके बहुत ही सीधे सादे और बड़े मुलायम लफ्ज इस संशोधन में रखे समझ बूझ कर और जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने समझाया वह मैं समझे हुये था और मैंने समझ बूझ कर उसको रखा कि चकबंदी संचालक जहां अपने इस तरह के अख्तियार का इस्तेमाल करें वहां वह चकबंदी समिति जो है जिसके बल पर हमको चकबंदी की सफलता प्राप्त करना है उसकी सलाह भी हम ले लें तो मैं समझता हूं कि इस मामले में दो रायें नहीं होनी चाहिये और सलाह लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये चकबंदी संचालक को। मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

श्री टीकाराम—इसमें सलाहकार की जरूरत है। सलाह लेना लाजिमी है। जो आपने २० प्रतिशत का बताया है और २० प्रतिशत के हिसाब से उसके लगान का देना आपने बताया है तो मेरी समझ में नहीं आया कि वह कैसे देंगे, जमीन के हिसाब से देंगे या लगान के हिसाब से देंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि पुलनापुर तहसील बरेली में जो अच्छी २ जमीन थी वह जमींदारों ने ले ली और जाटों को घुरिया दे दी, चल कर देख लो। तो अगर चकबंदी सहायक ही ऐसा हो गया तो गरीब का ठिकाना नहीं, हमको मालूम होना चाहिये। क्योंकि आप कहते हैं कि सवा ६ एकड़ से ज्यादा को तोड़ेंगे नहीं और आप यह भी कहते हैं कि छोटे २ काश्तकारों को जमीन गांव के पास देंगे, तो मेरी समझ में नहीं आता कि आप यह कैसे करेंगे, हमको समझाइये कि छोटे काश्तकार को कहां डालेंगे। मेरी तहसील में चकबंदी शुरू हो गयी है और इधर बरेली और बिलारी में हो रही है और मैं भी अभी घूम कर ही आ रहा हूं, सब देख रहा हूं कैसे २ क्या-क्या होता है। तो आप मुझे बता दीजिये क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं तो कम से कम मैं बता तो सकूं।

श्री रमसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन पेश है इसमें जो २० प्रतिशत क्षेत्रफल वाली बात है जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने बताया कि जो सर्किल रेट है अभी तक, उनमें हर जगह फर्क है और एक ही मौजे में फर्क है, खुदकाश्त, सीरदार, भूमिधर और अधिवासी इन सब के रेट्स में काफी फर्क है। अब इनके हिसाब में आप हिसाब लगायेंगे और २० फीसदी आप लगान के हिसाब से लगायेंगे और जो लगान में इतना फर्क है इसमें २० फीसदी का हिसाब कैसे लगायेंगे, यह साफ नहीं है। दूसरी चीज मुझे इस सिलसिले में यह कहनी है कि डाइरेक्टर को आपने यह अधिकार दे दिया है कि २० प्रतिशत क्षेत्रफल से आगे के लिये वह अपनी स्वेच्छा से कर सकेंगे। मैं तो चाहूंगा कि इसमें भी एक लिमिट लगायी जाय, आखिर यह २० से कहां तक, ३० प्रतिशत तक ५० प्रतिशत तक? या कहां तक? तो इसको अगर लिमिट नहीं किया जाता है तो काफी इसमें अन्याय होने की आशंका है और साथ ही साथ जो गांव की कमेटी होगी उसकी सलाह से यह किया जाय।

*श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय टीकाराम जी जो कुछ कहें और वह कुछ जानकारी चाहें तो वह बात तो मेरी समझ में आती है क्योंकि हम सब लोग आम तौर पर झोला लेकर फिरे हैं गांवों में, गांव वालों से वास्ता रहा है, उनकी सेवा की है ईमानदारी के साथ दिन रात। लेकिन यहां कानून बनाने में हमारा सब का हाथ है। तो जिन भाइयों ने पहले कानून नहीं सीखा तो उनकी आकांक्षा या जिज्ञासा की बात तो समझ में आती है। लेकिन जब मैं किसी वकील साहब को ऐसी बात कहते देखता हूं तो फिर समझ में नहीं आता कि आखिर यह काम चलेगा कैसे? मुझे यह मालूम हुआ कि माननीय रामसेवक जी यादव वकालत करते हैं और फिर इस वकालत के सन्दर्भ में जो स्पीच हुई है इसको पढ़ा जाय और कहीं बाराबंकी में किसी अखबार में छप जाय तो फिर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा जिनका कि वह जवाब नहीं दे पायेंगे। इसलिये मैं मशविरा दूंगा कि वह ऐक्ट पढ़लें, बिल पढ़ लें, कोई कानून के अन्दर नुक्श हो, मुझे बतायें, मैं रेजीडेंस पर उनके कमरे में आ जाऊंगा और फिर मैं उनको शंका का समाधान करने की कोशिश करूंगा और अगर कोई नुक्श रह गया होगा तो फिर विधेयक लाऊंगा।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अब माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा यह कि साहब मालगुजारी में बड़ा फर्क है, एक ही गांव के अन्दर फर्क है। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सेटिलमेंट हुये हमारे और उनके होश से बहुत ज्यादा दिन हो गये। बहुत सी जगहों पर और उस जमाने से बड़ा अंतर पड़ गया, ठीक है। लेकिन यह जो उन्होंने बात कही वह इस ख्याल के वशीभूत होकर कही कि मालगुजारी के हिसाब से उसका वैल्यूएशन निकाला जायगा जमीन का। मैं समझता हूं यही बात है तो अगर माननीय गेंदा सिंह जी को यह शंका है तो मुझे कोई शिकायत नहीं क्योंकि वह रेंटल वैल्यू और रेंट में फर्क करना भूल गये। रेंटल वैल्यू है सर्किल रेट, उसके हिसाब से निकाला जायगा, मालगुजारी के हिसाब से नहीं निकाला जायगा। अगर मालगुजारी के हिसाब से वह वैल्यू निकाली जाती तो उसमें अन्याय होता। पास पास आज दो खेत एक ही हैसियत के हैं और मुख्तलिफ किस्म के किसानों के पास हैं रिडिटरी और नानआक्यूपेंसी वगैरह के हैं, आज चाहे जो भी जमीन वह कहलाती हों उनका लगान अलग-अलग है तो मालगुजारी भी अलग-अलग हुई, तो इस हिसाब से एक ही किस्म के दो खेतों की कीमत अलग-अलग निकलेगी और तब तो अन्याय हो जायगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मालगुजारी के हिसाब से हैसियत नहीं निकाली जायगी। वही बात माननीय रामसेवक जी यादव ने दुहरा दी। वह तो जो है रिडिटरी रेट है बन्दोबस्त के वक्त जो तय हुआ था उसके हिसाब वैल्यूएशन निकाली जायगी, मेरी जो जमीन है और माननीय शर्मा जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का जो जमीन है, दो खेत बराबर बराबर एक से हो सकते हैं, और यदि आप ५ रुपया दे रहे हैं एक बीघे के और मैं दो रुपया दे रहा हूं तो वैलूएशन अलग-अलग है, यह मालगुजारी के हिसाब से निकालें। लेकिन नहीं, जब मेरा आपका खेत यकसां है तो उनके हेरीडिटरी रेट सेटिलमेंट के वक्त एक ही होंगे। इसलिये जब कंसालिडेशन में उसकी कीमत निकालेंगे तो एक ही कीमत निकलेगी, चाहे मालगुजारी हम मुख्तलिफ ही क्यों न देते हों। अध्यक्ष महोदय, मैं अब शायद अपना मतलब जाहिर कर पाया हूं।

दूसरी बात यह कि बन्दोबस्त तो पहले हुए थे और अब परिस्थिति यहां बदल गयी, यह बात ठीक है। लेकिन ऐसा बन्दोबस्त नहीं हुआ कि एक गांव में आधी जमीन का बन्दोबस्त ५० साल पहले हुआ और आधे रकबे का अब से २० वर्ष पहले हुआ हो। तब तो अलहदा-अलहदा हेरीडिटरी रेट्स हो जायेंगे। यह तो जिले-जिले का बन्दोबस्त पूरा हुआ, जब कभी भी हुआ। लिहाजा एक ही गांव की जमीन में हैसियत एक ही होगी जो भी उनकी है, जब कभी बन्दोबस्त हुआ हो उनका हेरीडिटरी रेट एक ही है। एक ही गांव के खंड-खंड बन्दोबस्त अलग-अलग नहीं हुए, वह चाहे १८९३ में हो गये, चाहे १८८४ में हो गये, चाहे परमानेंट सेटिलमेंट में ४४ में हो गये, बल्कि हर एक जिले में कोई फर्क नहीं है। रहा यह कि अगर इस बीच में किसी एक विशेष खेत का क्लासिफिकेशन बदल गया है, कंकर निकल आये हैं, चाहे खेती खाकी हो गयी है तो दफा ११ में पढ़ेंगे कि अगर किसी खेत की हालत बदल गयी हो तो मैनेजमेंट कमेटी नयी हैसियत उसकी तय कर सकती है। लेकिन आम तौर पर वैलुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिये उनकी शंका निराधार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ के प्रतिबन्धात्मक वाक्य की पंक्ति १ में "चकबंदी" के पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :—

"चकबंदी संचालक की आज्ञा जो चकबंदी समिति की सलाह से होगी उसके अनुकूल"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

* **श्री गेंदासिंह**—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मद १२ पर निम्न संशोधन का नोटिस दिया था।

खंड ९ में प्रस्तावित धारा १५ की अंतिम उपधारा (छ) की पंक्ति २ में शब्द "सवा छः एकड़ या इससे अधिक" के स्थान पर शब्द "तीन एकड़ या इससे कम" रख दिये जायँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से इस संशोधन को नहीं रखना चाहता हूं, बल्कि जो संशोधन या विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके आखिरी अंश का विरोध करना ही मुनासिब समझता हूं और मैं सोचता हूं कि इसे नहीं बढ़ाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—तो आप यह संशोधन उपस्थित नहीं कर रहे हैं?

श्री गेंदासिंह—जी हां, तो मुझे इजाजत है पूरे खंड का विरोध करने को ?

श्री अध्यक्ष—जी हां, आप पूरे खंड का विरोध कर सकते हैं।

श्री गेंदा सिंह—धारा ९ के (छ) में है—"कोई भी वर्तमान संहत खाता या फार्म, जिसका क्षेत्रफल सवा छः एकड़ या उससे अधिक हो, यथाशक्य बिश्रंखलित या विभक्त न किया जायगा।" यह मानी हुई बात है कि हमारे देश में छोटे किसानों का बाहुल्य है और अगर हम उनको गांव के नजदीक जमीन देना स्वीकार करते हैं तो जब तक कि यह बड़े खाते हैं इनको हम बिश्रंखलित नहीं करेंगे तब तक उन छोटे खातेदारों को गांव के करीब जमीन नहीं दे सकते। मैं ऐसा सोचता हूं कि सवा छः एकड़ से ज्यादा के जो खाते होंगे उनको हम टुकड़े नहीं होने देंगे और यह रुकावट रखेंगे तब तक यह काम होने वाला नहीं है और तब तक यह जो उपखंड "च" इसका है वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

चलनेवाला नहीं है और उसके मुताबिक कोई कार्यवाही हो नहीं सकती और हम तो ऐसा सोचते हैं कि सवा छः एकड़ के जो खाते है वे हमारे सूबे भर में थोड़े से ही है और सवा ५ एकड़ से कम के खाते ज्यादा हैं। मेरी याद्दाश्त अगर इस वक्त मेरा साथ दे तो सवा छः एकड़ से कम के खाते करीब ८५ फीसदी हैं। हम ८५ फीसदी लोगों की सुविधा का ध्यान रखें या १५ फीसदी लोगों की? तो हमें इन छोटे-छोटे टुकड़े वाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखना ही पड़ेगा और इस ख्याल से हम सोचते हैं कि यह पाबन्दी सवा छः एकड़ की या इसके ऊपर के जो खाते है या जो जमीन हैं उसके टुकड़े यदि हम नहीं होने देंगे तो काम नहीं चल पायेगा। उसके टुकड़े करने के लिये हम अपने राज्यकर्मचारी को पूरी सुविधायें देना चाहते हैं कि यदि टुकड़े करके गांव के नजदीक लोगों को जमीन दे सकते हैं तो वह दें। हम चकबंदी इसलिये जरूरी नहीं समझते कि जो सफेद-पोश लोग हम बैठे हुये हैं उनके लिये हो, हम चकबंदी उनके लिये जरूरी समझते है जो विधान सभा में उस तबके के लोग शायद एक भी न पहुंच पावें। उनके लिये चकबंदी हम जरूरी समझते हैं। मैं बार-बार यह सोचा करता हूं कि जो कानून हम बनाते हैं उसका अर्थ केवल इतना तो नहीं है कि हम अपनी सुविधा देखते हैं और अपने मन से अनकांशसली हमेशा उसको प्रेरित करते रहते हैं और वही काम हम करते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसको समझने की मेहरबानी करें हमारे राजस्व मंत्री जी कि इसका अर्थ तो इतना ही होता है कि सवा छः एकड़ का जो फार्म है क्योंकि फार्म शब्द उसमें आया है कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जायगा और उसको डिवाइड नहीं किया जायगा।

हम चाहते हैं कि वह डिस्टर्ब किया जाय, डिवाइड किया जाय अगर आवश्यक हो तो, बिला जरूरत के नहीं। हमने यह तय कर लिया है कि हम तीन हार में सबकी जमीन को कर देंगे। अब अगर तीन हार में सबकी जमीन को करना चाहते हैं तो जो गांव के नजदीक वाला है उसको हम गांव के नजदीक रखना चाहते हैं या नहीं। हम उसको गांव के नजदीक भी रखना चाहते है और उधर हमने यह भी स्वीकार कर लिया कि सवा ६ एकड़ और उसके ऊपर की जमीन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिर गांव के नजदीक कैसे लोगों को देंगे। इसलिये मैं सोचता हूं कि यथाशक्ति लफ्ज है इसमें, तो हम अपने राज कर्मचारियों पर भरोसा क्यों नहीं करते?

श्री चरणसिंह—"यथाशक्ति" रहना चाहिये।

श्री गेंदासिंह—मैं तो इसको बिलकुल निकाल देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपने जो उपखंड (च) लिखा है उसको देखते हुये उपखंड (छ) को निकाल दिया जाय और राजकर्मचारियों के ऊपर यह बात छोड़ देनी चाहिये। आखिर उन्हें चकबंदी करनी है, जो छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनको बड़े टुकड़े करने का काम हमने उनको दे रखा है। एक तरफ तो हम गांव के नजदीक देने की बात कहते हैं और फिर उसी जबान से तुरन्त यह कह देते हैं कि सवा ६ एकड़ से कम टुकड़े उनके नहीं बनने देंगे। तो यह १५ फीसदी लोगों का कानून है, ८५ फीसदी लोगों का नहीं है। तो १५ फीसदी लोगों के लिये कानून बनाने का हक इस सदन को नहीं है। ८५ फीसदी लोगों का हक उपखंड (च) है, (छ) नहीं है, इसलिये इसे नामंजूर किया जाय। राजस्व मंत्री इसको इस दृष्टि से कतई न सोचें कि मैं कोई रुकावट डालने के खयाल से ऐसा कह रहा हूं और शायद उनका ऐसा विचार है भी नहीं। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि राज्य कर्मचारियों के ऊपर कहीं हमारा भी भरोसा तो हो। मैं इन्हीं शब्दों को कहते हुये उनसे आग्रह करता हूं कि इसको वे स्वीकार करें और अध्यक्ष महोदय, अब मैं क्या कहूं, वह तो वक्त ही निकल गया। कुछ ऐसी बात हो गयी पहले संशोधन पर आपके आने के पहले। आप जब खड़े हो गये तो मैं समझता हूं कि किसी सदस्य को हक नहीं है बोलने का। मुझे जवाब देने का हक नहीं मिला पहले संशोधन पर।

श्री अध्यक्ष—मैंने पूछ लिया था, मुझे सूचना मिली थी कि दो दफा आप बोल चुके थे और राजस्व मंत्री जी भी दो दफा बोल चुके थे।

श्री गेंदासिंह——मेरे संशोधन पेश करने के बाद राजस्व मंत्री जी खड़े हो गये थे बीच में और फिर मने उसको पूरा किया इसलिये भ्रम हो गया। खैर, अब वक्त नहीं रहा, कोई बात नहीं है। म समझता हूं कि इस पर विचार करना चाहिये और इस अंश को निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष——उसके एवज मे अब आप बोल लिये। मैं ने यह समझा था कि आप खंड ९ का विरोध कर रहे हैं और आप सिर्फ (छ) का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि आपको संशोधन पेश करना चाहिये था कि यह (छ) निकाल दिया जाय बजाय इसके कि खंड ९ का आप विरोध करते। आपने पूरे खंड का विरोध करने की इजाजत मांगी थी इसलिये थोड़ी सी गलतफहमी हो गयी और आप बोल गये, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१०——मूल अधिनियम की धारा १६ के पश्चात् नयी धारा १६-क तथा १६-ख के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :——

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ में नयी धारा १६-क और १६-ख का बढ़ाया जाना।

चकबंदी क्रियाओं के दौरान में हस्तांतरणों का प्रतिषेध।

१६—क——(१) धारा १६ के अधीन वक्तव्य (Statement) प्रकाशित होने के पश्चात् तथा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक कोई भी खातेदार बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० में किसी बात के होते हुये भी, अपने गाटे अथवा खाते किसी अंश को, जो चकबंदी योजना के अन्तर्गत हो, विक्रय, दान या विनिमय के रूप में हस्तांतरित न करेगा।

(२) बन्दोबस्त अधिकारी उपधारा (१) में उल्लिखित अनुज्ञा प्रदान करेगा सिवाय उस दशा के जब कुछ कारणों के आधार पर, जो लिखित रूप में रखे जायेंगे, उसका यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित हस्तांतरण से चकबंदी योजना के विफल हो जाने की आशंका है।

चकबंदी क्रियाओं के दौरान में भूमि के कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग का प्रतिषेध।

१६—ख——(१) धारा ४ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् तथा धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित होने तक, उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १४२ में किसी बात के होते हुये भी, कोई भी खातेदार बिना बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) की पूर्व प्राप्त लिखित अनुज्ञा के अपने उस समय तक कृषि, उद्यानकरण (horticulture) या पशु-पालन, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्द्धन (pisciculture) तथा कुक्कुट-पालन भी है, से संबद्ध प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त खाते को किसी भवन अथवा घेरे (enclosure) के निर्माण के निमित्त या किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त न करेगा।

(२) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष सिद्ध होने पर वह एक हजार रुपये से अनधिक के अर्थदंड का भागी होगा।[४]

*श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० में प्रस्तावित धारा १६—ख की उपधारा (२) के अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :—

'परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अदालत में मामला दायर करने के पहले चकबंदी समिति से सलाह अवश्य ली जायगी ।"

यह एक ऐसी धारा है जिसमें पहले पहल चकबंदी के काम में जुरमाना लेने की व्यवस्था की गयी है । आज तक जहां तक मुझे याद है कि कभी ऐसी बात की नहीं गयी थी । लेकिन यह देखेंगे कि १६-क और १६-ख के बाद यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति धारा १ के उपबंधों का उल्लंघन करे तो वह एक हजार रुपये तक के दंड का भागी होगा तो इसमें यही बात है और इस विधेयक के बारे में मिश्र जी कह रहे थे कि इसका प्राण कहीं और है लेकिन असल में इसका प्राण यहीं है । अब हम राज्य कर्मचारियों को अधिकार दे रहे हैं कि उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई उंगली उठाये तो उसके लिये एक हजार रुपया जुरमाना रखा हुआ है । मैं कुछ नहीं कह रहा हूं । राज्य कर्मचारी एक हजार रुपये दिलवा देंगे या और कोई भी सजा दिलवा देंगे, जो कुछ भी हो ठीक ही था । लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि वह चकबंदी समिति के पूछे बिना मुकदमा शायद नहीं जायगा ऐसी गुंजाइश इसमें नहीं है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है यह तो वही देखें कि कहां जायगा । मैं समझता हूं कि शायद चकबंदी संचालक या चकबंदी कर्ता को अधिकार नहीं है । यह तो अदालत के सामने जायगा, जुडीशियरी के सामने जायगा । अगर मैजिस्ट्रेट के सामने जाय तो जाने के पहले तो उस गांव की चकबंदी समिति से जरूर पूछा जाय । बगैर उसके पूछे मुकदमा अदालत में न भेजा जाय । इसको राजस्व मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि कैसे मुकदमा बनेगा और क्या प्रोसीजर होगा । मोटे तौर पर यह बात लिख दी गयी है कि एक हजार रुपया जुर्माना हो जायगा । यह जुर्माना चकबंदीकर्ता करेगा या कौन कर देगा यह जुर्माना, यह इसमें साफ नहीं है । मैं कहता हूं कि ठीक है कि इस कानून के मतलब का जो उल्लंघन करेगा तो उसके लिये चकबंदी डिपार्टमेंट प्रोसीक्यूटर बन जायगा और वह अपने उस मामले को अदालत में ले जा कर मैजिस्ट्रेट से उसका चालान करा देगा । मैंने मान लिया कि यही होगा, लेकिन चकबंदी समिति से बिना सलाह लिये ही वह ऐसा न करे । मुमकिन है कि एक आदमी कुछ उद्दंडता करता हो या शरारत करता हो और चकबंदी समिति उसको समझा बुझा कर ठीक करदे ताकि अदालत में जाने की जरूरत न पड़े और वह एक हजार रुपये के जुर्माने से बच जाय, तो इसलिये हमें चकबंदी समिति को कांफीडेंस में लेना चाहिये और उसकी सलाह से मामला अदालत में भेजना चाहिये । उसको पूरा मौका मिलना चाहिये कि मामला अदालत में न जाने पाये । तो मैं इसको इस दृष्टि से सोचता हूं । और लोगों का मत भी इस पर मालूम हो और खास कर माननीय राजस्व मंत्री जी का जो विचार हो, वह मालूम होना चाहिये । अगर वह इसको स्वीकार कर लें तो काहे सदन का वक्त खराब किया जाय ।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास है कि न समझने के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हो गया है । इसके अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कर्ता यदि हस्तान्तरण करना चाहे तो यथाशीघ्र चकबंदी अफसर से आज्ञा ली जा सकती है । मान लीजिये कि आज्ञा के बिना ही किसी ने किया तो वह लिखित किया होगा, क्योंकि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है हस्तांतरण में । तो उसकी रजिस्टर्ड डीड होगी और मान लिया कि १०० रुपये से कम का मामला है तो भी लिखित तो होगा । मकान वगैरह भी उस पर बन सकते हैं । तो दोनों हालतों में यह देखने की व्यवस्था होगी और देखने की व्यवस्था में ऐसी बात नहीं है कि पुलिस का कोई ऐसा मामला है या काल्पनिक साक्ष्य करके कोई मामला चलाया जा सकता है । यहां तो यह प्रश्न नहीं पैदा होता है और चकबंदी समिति की सलाह से मामला अदालत में ले जाया जाय यह कोई बात नहीं है । वह तो स्वयं ही आरोपक का काम करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो संशोधन रखा गया है १६-ख में उसमें कुक्कुट पालन, भूमि के उद्यानीकरण के लिये भूमि को इस्तेमाल करने की बात है। इसमें हस्तांतरण की बात नहीं है। माननीय सदस्य कहां से भाषण कर रहे हैं।

श्री रामलखन मिश्र—माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में एक हजार रुपये के जुर्माने की बात कही . . .

श्री अध्यक्ष—(श्री मिश्र से) आप मुझे इस पर कहने दें। वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया है।

इसमें लिखा हुआ है कि "यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष के सिद्ध होने पर वह १ हजार रुपये से अनधिक दंड का भागी होगा और उपधारा (१) में यह हस्तांतरण का शब्द आया है कि कोई भी हस्तान्तरण नहीं करेगा।" यह है १६–क (१) में।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—लेकिन यह संशोधन (ख) में है।

श्री अध्यक्ष—इसमें तो कोई चीज नहीं है। (श्री मिश्र से) आप जरा संगत बात करें, उनका कहना सही है।

श्री रामलखन मिश्र—माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने भाषण में जिन बातों की चर्चा की, जिन आपत्तियों की उत्पत्ति की मेरे लिये आवश्यक था कि मैं उनका वर्णन करूं। उसके उत्तर में मैंने उसकी पूर्ति की कि यह देखने की बात है और ऐसी कोई आशंका की बात नहीं है जैसी कि गेंदा सिंह जी ने उठाई, वह काल्पनिक बात थी। मैं इससे अधिक कोई समय नहीं लेना चाहता।

*__श्री चरणसिंह__—श्रीमन्, यह गेंदासिंह जी ने जैसा कि रामनारायण त्रिपाठी जी ने बतलाया कि खंड १० के उपखंड का जो दूसरा हिस्सा है १६–ख उसमें जो संशोधन है उस पर उन्होंने संशोधन दिया है। १६–क में यह है कि कोई आदमी बिना चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा के ट्रान्सफर नहीं कर सकता। वह ऐसा ट्रान्सफर नहीं कर सकता जिससे चकबन्दी की स्कीम डिफीट होती हो। १६–ख में जो धारा अधिनियम की बनेगी १५–ख के मुताबिक उसमें यह है कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन को सिवाय खेती, उद्यान, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन के इस्तेमाल नहीं कर सकता है और अगर वह करेगा तो वह एक हजार रुपये तक का देनदार होगा। अदालत में दावा दायर होगा और अदालत समझेगी तो जुर्माना कर देगी। माननीय गेंदासिंह जी चाहते हैं कि वह दावा दायर उस पर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि चकबन्दी कमेटी उसकी इजाजत न दे, यह मुझको मंजूर नहीं है। हमने चकबन्दी कमेटी को कदम-कदम पर एसोसियेट किया है और हर धारा में चकबन्दी कमेटी और भूमि प्रबन्धक कमेटी का जिक्र किया है। शायद ही जनता की सहायता कभी किसी कानून में इतनी ली गयी हो जितनी कि इस चकबन्दी कानून में ली गयी है। लेकिन सवाल यह है कि एक आदमी जुर्म करता है, आफेन्स करता है उस पर कार्यवाही की जाय या न की जाय। इस मामले में चकबन्दी कमेटी की राय लेना मुनासिब नहीं होगा। जो सिविल नेचर की चीजें हैं चकबन्दी के सिलसिले में जो और सैकड़ों बातें हैं उनमें उनका मशविरा ठीक है लेकिन जब एक काम को आफेन्स करार दे रहे हैं तो उस आफेन्स के लिये सजा दी जाय या नहीं दी जाय, इसमें कमेटी या समिति या किसी नानआफिशियल बाडी का मशविरा लाजिमी कर देना मुनासिब नहीं है। तजुर्बा यह बताता है कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। इसी वजह से जूरी सिस्टम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

को खत्म किया गया है। जरी की राय कुछ और होती थी और अदालत की राय कुछ और होती थी, इस वजह से वह खत्म किया गया। तो हमारे मुल्क का तजुर्बा कुछ ऐसा है जिसमें नानऑफिशियल पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिये। उन पर दबाव डाला जाता है, तरह तरह के विचार उनके सामने आते हैं। यह जिम्मेदारी केवल एक पब्लिक सर्वेन्ट पर डालनी उचित है जो उनकी वोट के बल पर वहां नहीं रहता है। वह गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर रहता है। वह एक डिसइंटरेस्टेड परसन की तरह से काम करता है. चकबन्दी कमेटी के सदस्य वहीं के रहने वाले होंगे। बहुत से आदमी ऐसा करते हैं कि मकान बना लें और उसमें पांव रख दें कि यह मकान हुआ या ऐसा काम कर दिया जिसके करने से हमारी स्कीम में खराबी पड़ती हो तो इसी के खिलाफ चकबन्दी कमेटी मशविरा दे सके यह बात बहुत मुश्किल है। मकान बनाने के लिये आमतौर पर सेटिलमेंट आफीसर इजाजत दे देगा, लेकिन अगर वह देखता है कि वह इस चकबन्दी के स्कीम के खिलाफ यह करना चाहता है तथा उसको मकान अथवा घेर की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी बगैर इजाजत के वह ऐसा कार्य करता है तो अवश्य ही वह जुर्म करता है, ऐसे ही आदमी पर मुकदमा चलाया जायगा। एक बार इस धारा के आ जाने से लोगों में भय हो जायगा और अगर १—२ केसेज हो जायेंगे तो दूसरे उससे सबक लेंगे। इसलिये इन शब्दों के साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अपने मित्र का संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय मंत्री जी इस नयी धारा द्वारा जो अधिकार ले रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग दो साल से ज्यादा से इस प्रदेश में चकबन्दी चल रही है। अभी तक ऐसी कोई धारा इस अधिनियम में नहीं थी। यह सही है कि लोगों ने इस प्रकार के हाते, मकान या कुंवें बना लिये हैं। अब धारा १५ के अनुसार यह नियम है कि अगर उनको तोड़ा जायगा तो मुआविजा मिलेगा, इसलिये भी लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन यह जो रक्खा गया है वह तो उन लोगों के लिये रक्खा गया है जो आगे करेंगे लेकिन जो ऐसा कर चुके हैं, जैसा कि हमारा तजुर्बा है, उन लोगों के लिये माननीय मंत्री जी ने क्या व्यवस्था की है।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, इसमें बाग वगैरह की कोई मनाही नहीं है। अगर किसी ने चकबन्दी के एक वर्ष पहले कोई बाग लगा लिया है तो उसको इजाजत होगी। अगर वह खेती के लिये इस्तेमाल करता है या जमींदारी अबोलीशन ऐण्ड लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में जो लैंड की परिभाषा की गयी है कि खेती में एग्रीकल्चर तथा होर्टीकल्चर आदि शामिल हैं, उन कार्यों के लिये इस्तेमाल उन्होंने किया है तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। हां, अगर वह भट्ठों के लिये या मकान के लिए उसका इस्तेमाल करता है तो वह बिना रजामन्दी के नहीं कर सकता।

जहां तक रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट की बात कही गयी तो क्रिमिनल नेचर के जो कानून होते हैं उनके लिये रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष (श्री रामनारायण त्रिपाठी से)—आपका जवाब उन्होंने अन्तिम वाक्य में दे दिया।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—लेकिन ऐसा कहने से काम तो नहीं चल सकता। जो पहले कर चुके हैं उनका क्या होगा? अब प्रश्न यह पैदा होगा कि मान लीजिये किसी ने एक साल पहले ऐसा किया है तो उसका क्या होगा? हमारे ही गांव में ४—५ आदमियों ने मकान, घेर आदि से जमीनों को घेर लिया है। ऐसी सूरत में उन लोगों का क्या होगा? इसके अलावा अभी यह कानून दोनों सदनों से पास होगा और इसमें कुछ दिन लग जायेंगे। १, २ महीना लग जायेंगे तो अगर इसी बीच में कोई ऐसा करता है तो उसके लिये क्या व्यवस्था होगी?

माननीय गेंदा सिंह जी ने अपने संशोधन में सिर्फ यही रक्खा है कि अदालत में मामला भेजने से पूर्व चकबन्दी समिति की राय पहले ले ली जाय। तो कोई वजह नहीं है कि सारे गांव की चकबन्दी समिति कोई अच्छा काम करना चाहती है, वह किसी एक आदमी की वजह से उस अच्छे काम को न करे। ऐसा कह कर तो माननीय मंत्री जी ने जो चकबन्दी की सारी योजना रखी है उसी का विरोध कर रहे हैं कि चकबन्दी समितियां ठीक कार्य नहीं कर रही हैं? तो इस तरह से मुमकिन हो सकता है कि बहकावे से या किसी तरह से कुछ हार्ड केसेज हों तो इसलिये अगर अदालत में मुकदमा दायर करने के पहले चकबन्दी समिति की सलाह ले ली जाय तो ठीक होगा क्योंकि इसमें सजा और जुरमाने का मामला है, यह अधिकार उनको हाथ में न लेना चाहिये, उनको जनता के सहयोग से ही चलना है और उस तरह से कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति पूरी चकबन्दी समिति पर अपना असर भी न डाल सकेगा।

श्री राम सुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इस बिल में रखा गया है मैं उसका विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि अदालत में मुकदमा दायर करने से पहले समिति से सलाह लेना बहुत आवश्यक है। मूल अधिनियम की धारा में जो १९ (ख) (२) के द्वारा जोड़ा जा रहा है वह यह है कि "यदि कोई व्यक्ति उपधारा (१) के उपबन्धों का उल्लंघन करे तो दोष सिद्ध होने पर वह एक हजार रुपये से अनधिक के अर्थदंड का भागी होगा।" १९ (ख) (१) के सम्बन्ध में इसमें कोई रुकावट नहीं है। मैं माननीय माल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि १९ (ख) (१) जो है उसके अन्त में दिया गया है कि इन इन से संबद्ध प्रयोजनों के निमित्त प्रयुक्त खाते को किसी भवन अथवा घेरे के निर्माण के निमित्त या किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयुक्त न करेगा और ऊपर कहा गया है कि वह अपने गाटे या खाते के किसी अंश को जो चकबन्दी योजना के अन्तर्गत हो, विक्रय दान या विनिमय के रूप में हस्तान्तरित न करेगा। उसके लिये यह प्रतिबन्ध मालूम होता है लेकिन १९ (ख) (१) जो है उसके लिये प्रतिबन्ध नहीं मालूम होता है। मैं इसको जानने के बाद ही इस सम्बन्ध में राय प्रकट करूंगा।

श्री चरणसिंह--वह नहीं है, वह तो बैनामा ही नाजायज हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--वह यह कहते हैं कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो अपने खेत में घर बनाना चाहता हो या पशुपालन आदि का काम करना चाहता हो और अधिकारी ने उसको हुक्म न दिया हो, ऐसा कोई केस नहीं। तो जब अधिकारी हुक्म दे देते हैं तो इस तरह के संशोधन की जरूरत क्या है, लेकिन मेरा खयाल है कि अधिकारी आज्ञा नहीं देते हैं और आज्ञा देने में और भी बातें की जाती हैं और इसीलिये संशोधन लाने की जरूरत मालूम हुई और यह उन्हीं अधिकारियों की रिपोर्ट से बिल के रूप में यह संशोधन लाया जा रहा है और मैं यह भी समझता हूं कि इस धारा में १ हजार रुपया दंड देने का अधिकार बहुत दिया गया है लेकिन जिस पर यह १,००० जुर्माना का प्राविजन किया गया है उसको अपील करने की कोई गुंजायश नहीं छोड़ी गयी है। मैं जानना चाहूंगा कि जब मूल अधिनियम में इस तरह की कोई धारा नहीं है तो क्यों इस तरह की यह नई धारा लाई गई है? मैं समझता हूं कि यह उन्हीं लोगों की प्रेरणा से लाई गई है जो सही मानों में इस धारा को जुड़वा कर चकबन्दी को कलंकित करने जा रहे हैं। आज इस युग में १००० रुपया का जुरमाना उन से लेना जो किसान हैं और उनको उस पर अपील का अधिकार भी न देना यह मैं समझता हूं कि कोई अच्छा काम नहीं है।

श्री चरणसिंह--कोई अच्छा काम हमने आज तक किया?

श्री रामसुन्दर पांडेय--अगर नहीं किया तो यह संशोधन बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसमें तो मूल अधिनियम ही अच्छा था, इस को लाकर भी आप उसकी

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

धाराओं को ही कलंकित कर रहे हैं। मैं श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि यह अधिकार जो आप देने जा रहे हैं इस अधिकार का बहुत दुरुपयोग होगा और अपील का जो अधिकार नहीं है, वह लोकतंत्र की प्रणाली पर कुठाराघात करने वाला है। मैं निवेदन करूंगा कि १६ (क), (ख) जो उपधारा रखी गयी है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मूल अधिनियम ही काफी है। जो कोई कुक्कुट पालते हैं या अपने खेत में घर बनाते हैं और चकबन्दी अधिकारी उसको अनियमित करार देते हैं, इससे वे किसान अपना नुक्सान करते हैं और वे जब अपना उल्टे नुक्सान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति पर एक हजार रुपया जुर्माना ठीक नहीं है, और अपील की कोई गुंजाइश न हो, यह उचित नहीं है। मैं इसीलिये गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मैं यह भी नहीं मान सकता कि भूमि प्रबन्धक समिति से ज्यादा इस मामले में चकबन्दी आफिसर को जानकारी होगी कि कोई आदमी अपने खेत में घर बनाता है, या कुक्कुट पालता है तो उसकी आवश्यकता है या नहीं, ऐसी हालत में यदि अदालत में मुकदमा जाता है और चकबन्दी कमेटी अधिकार दे देती है तो राजस्व मंत्री और चकबन्दी अधिकारी का हाथ मजबूत होगा और फैसला अदालत राजस्व मंत्री के मन के अनुकूल करेगी और यदि चकबन्दी सलाहकार समिति उसका विरोध करती है तो अदालतों में राजस्व मंत्री की बड़ी फजीहत होगी, इस धारा की फजीहत होगी, अदालतों को परेशानी उठानी पड़ेगी। अपील करने का अधिकार हाई कोर्ट ने अदालतों को दे दिया तो मैं समझता हूं कि यह जो १ हजार रुपये जुर्माना करने का अधिकार दिया जा रहा है वह खत्म हो जायगा। मैं आपके द्वारा श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जरा ख्याल करें, इस सदन के द्वारा जो आप कानून बनाते हैं उसकी बाहर छीछालेदर भी हुआ करती है और छीछालेदर होती है। उस अनुभव के आधार पर कुछ आपको लोकतांत्रिक ढंग से रास्ता अख्तियार करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का सदन समर्थन करे और राजस्व मंत्री जी उसे मानें।

श्री चरण सिंह—दो ही बातें मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं। एक तो यह कि जिन सज्जनों ने इस संशोधन का समर्थन किया है उनको यह भ्रम है कि चकबन्दी के अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वे जुर्माना कर दें। ऐसा नहीं है, चकबन्दी के अधिकारी मुस्तगीज होंगे, जुर्माना अदालत करेगी। लिहाजा इसके दुरुपयोग का सवाल नहीं रहता। दूसरा यह है कि अपील इसलिये रखी नहीं कि रूल्स में जो भी अधिकार होंगे और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक जिसको अपील सुनने का अधिकार होगा वह सुनेगी, इसमें रखने की जरूरत नहीं। किसी कानून में, किसी काम के लिये जुर्म करार दिया जाता है उसमें केवल सजा दी जाती है। कौन सी अदालत में जायगा या नहीं जायगा उसका इससे कोई वास्ता नहीं। इसलिये जितनी तकरीरें हुई हैं वह सब गैर मुताल्लिक हुई हैं। माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने एक बात और कही कि वह इजाजत उन्होंने नहीं दी है। चकबन्दी अधिकारियों को यह इजाजत लेने का सवाल पैदा नहीं होता। कानून में इजाजत लेने का सवाल होगा, यह तो अब हम कर रहे हैं कि इसे करना चाहते हैं तो इजाजत ले लें। इजाजत नहीं लेता है तो हस्तान्तरण करता है और हस्तान्तरण होगा नाजायज। १६—ख के मातहत मकान बनाता है तो वह नाजायज होगा। बिला इजाजत ट्रान्सफर करता है और मकान बनाता है और क्योंकि मकान बन चुका और मकान टूटने का नहीं। अगर कंसालिडेशन आफिसर समझे कि बिना उसकी इजाजत के मकान बना लिया है जिससे स्कीम में खराबी पैदा हो गयी है तो सारी तहसील में एक आध केस ऐसा कर देगा, सौ दो सौ रुपया जुरमाना हो जायगा। आगे उसकी नकल के लोग नहीं करेंगे, यह मोटी सी बात है।

*श्री गेंदा सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने तो यह जरूर कहा कि जो भाषण हुये वह गैर मुताल्लिक थे। लेकिन मेरी बात गैर मुताल्लिक नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं तो सिर्फ इतनी ही बात कहता हूं कि कोई भी इस मुकदमें को भेजें, जो कोई भेजे वह चकबन्दी समिति से सलाह ले कर भेजे। इसका कोई जवाब देने की मेहरबानी नहीं करते। वह कहते हैं कि चकबन्दी समिति में जो लोग होंगे वह इतने डरपोक होंगे, डरपोक लफ्ज उन्होंने नहीं इस्तेमाल किया—वह कोई इस तरह की शरारत करने वाला आदमी या खराब आदमी होगा जो चकबन्दी को नहीं करने देता होगा या उसको नुक्सान पहुंचाना चाहता होगा तो उसके विरुद्ध वह कोई फैसला नहीं दे सकते हैं कि इसके ऊपर मुकदमा चलाया जाय। मैं उनसे कहता हूं कि कैबिनेट में वह सलाह दें। मेहरबानी कर के मेरी बात सुनें। मिश्र जी सब गड़बड़ कर देंगे, मिश्र जी सब गड़बड़ कर देंगे, यह मैंने कहा। इसलिये मैंने कहा कि उन्होंने प्राण बता दिया है इस विधेयक का। लेकिन वहां प्राण क्या बेचारे का धड़ भी नहीं था। जिस वक्त विधेयक प्रस्तुत हो चुका तब वह प्राण बेचारा आया। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि कैबिनेट में एक सलाह देने की आपसे आग्रह कर रहा हूं। यह जो पंचायतराज विभाग आपने इतना बड़ा खोल रखा है और जिसके चुनाव में कई क़त्ल हो चुके, अभी लोग मर कट रहे हैं उसको तुरत वापस लिया जाय क्योंकि उसमें न्याय पंचायतें जो कायम की हुई हैं, उसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि सलाह देना है कि किसी के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया जाय बल्कि सजा देंगे, जुर्माना करेंगे, कुर्की करा देंगे। उसके ऊपर सारी कार्यवाही कर देंगे जो अदालतें करती हैं। उसमें हमारी हिम्मत है कि फैसला दें। लेकिन चकबन्दी में हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उसके विरुद्ध फैसला दें कि उस पर मुकदमा चलाया जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, बहुत ही नम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि यह बड़ी भारी भ्रान्ति है हमारे मिनिस्टर साहबान को, इस भ्रान्ति से इस कदर सफर कर रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहबान और हमारी गवर्नमेंट कि जनता के ऊपर उसका भरोसा ही नहीं रहा। वह केवल वही काम करते हैं जिसमें उनको वोट मिल जाय। उसमें वह कहते हैं कि वह अकलमन्दी का काम करते हैं। बाकी सब काम बेअक्ली का करते हैं। मैं उनको फिर विश्वास दिलाता हूं कि जो कोई भी चकबन्दी के कार्य को सफलतापूर्वक नहीं चलने देगा और सचमुच चकबन्दी का कार्य बहुमत के हित में होगा तो उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि उसके विरुद्ध लोग कार्यवाही करने का फैसला करेंगे। लाभ सिर्फ इतना होने वाला है कि उसमें लाभ यह हो जायगा कि जिनके विरुद्ध कार्यवाही करने की जरूरत पड़ेगी उनमें से काफी फीसदी ऐसी निकलेंगी जिस पर कार्यवाही नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। अदालत में नहीं जाना होगा, जुरमाना नहीं करना होगा, जुरमाने की वसूली के लिए कुर्की नहीं करनी होगी, उनके घरवालों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। यह होगा कि पंचायत वाले बैठेंगे, उनको समझायेंगे कि तुम क्यों नालायकी कर रहे हो। यह चकबन्दी सब के लाभ के लिये है, क्यों विरोध कर रहे हो। तुमने क्यों चहारदीवारी खींच दी है, या जो कुछ भी करता हो जो १९—क और १९—ख में है, मैं क को छोड़ देता हूं, ख के मातहत बात करता है, और चकबन्दी के कार्य में अगर विघ्न पड़ता है तो उस काम को मत करो। मुमकिन है कि उसका विवेक जग जाय तो फिर सरकार को अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं तो इस दृष्टि से इस बात को सोच रहा हूं। इस दृष्टि से सोच रहा हूं कि चकबन्दी समिति को यह अधिकार मिलना चाहिये। मैं राजकर्मचारियों को कुछ नहीं कह रहा हूं। कुछ नहीं कह रहा हूं राज्य कर्मचारियों को। लेकिन उनको थोड़ा बल मिलेगा जिस वक्त चकबन्दी समिति की सिपारिश के बाद अदालत में मुकदमा आवेगा उस वक्त राजकर्मचारी नहीं पकड़ा जायगा और वह बेईमान नहीं कहा जायगा, यह नहीं कहा जायगा कि जरूरत से ज्यादा सख्ती करी या कार्यवाही की। इन सारी बातों को सोच कर के कह रहा हूं कि राज्य कर्मचारी को चेक रहे। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

उसके मन में कोई बुराई आवे भी तो वह न आने पावे। बिना गवाह के तो मुकदमा चलता नहीं तो चकबन्दी समिति की सिपारिश से जब मुकदमा आवेगा तो समिति गवाह देगी और राज्य कर्मचारी को आसानी हो जायगी नहीं तो वर्षों मुकदमा चलेगा और पब्लिक ऐक्सचेकर को काफी नुक्सान पहुंचेगा। मैं जानता हूं मेरे संशोधन की जो गति होने वाली है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिन बातों को अस्वीकार किया जाता है उनको अन्त में उसके लिये पछताना पड़ेगा और मैं समझता हूं कि २,३,४ महीने बाद ऐसा समझेगी सरकार कि हमने गलती की। अध्यक्ष महोदय, इस बात को आप ध्यान में रखिये कि कभी-कभी किसी न किसी दिन सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने गलती की।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० में प्रस्तावित धारा १६-ख की उपधारा (२) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अदालत में मामला दायर करने के पहले चकबन्दी समिति से सलाह अवश्य ली जायगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री रामनारायण त्रिपाठी द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न करना चाहता हूं कि जब यह घंटी बज चुकी उसके बाद बहुत से माननीय सदस्य लाबी में से आये तो उनकी गिनती कैसे हो गई। यह दो दरवाजे बन्द हुए और वह बन्द नहीं हुआ और सबूत यह है कि वह अभी खड़े हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—अभी तक वह आते ही रहे हैं, वह अन्दर ही समझे जाते हैं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में—९

विपक्ष में—६८)

श्री रामलखन मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं क यह सदन आज उस समय तक बैठे जब तक कि यह संशोधन विधेयक समाप्त न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले इस पर राय ले लूं फिर इसको लूंगा।

प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि यह सदन कब तक बैठे ?

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं तो माननीय मिश्र जी से यह आग्रह करूंगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और अगर कोई इस तरह की बात उन्हें मालूम हुई हो कि इस विधेयक को जानबूझकर हम लोग देर करके पास करना चाहते हैं तब तो उसके दंड में हमको बैठा लें कोई हर्ज नहीं है लेकिन अगर ऐसी बात न हुई हो तो इसकी कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता। हम तो स्वयं चाहते हैं कि जितनी जल्दी पास यह हो जाय उतना ही अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि इस पर अब ज्यादा जोर न दें। काफी तेजी से काम हुआ है। इसलिये मैं बैठक बढ़ाने के प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री रामलखन मिश्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि हमको कुछ अधिक परिश्रमशील होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—ठीक है लेकिन मैंने उसके लिये अब आज्ञा नहीं दी है।

खंड ११--१४

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २० का संशोधन।

११--मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा (३) में शब्द "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द "उपधारा (३)" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २७ का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा २७ में--

(१) उपधारा (१) में शब्द "उक्त" और शब्द "अभिलेखों" के बीच में शब्द "नक्शों और" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (२) में शब्द "तैयार किये गये" और शब्द अधिकार-अभिलेख" के बीच में शब्द "नक्शों और" रख दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २८ का संशोधन।

१३--धारा २८ के द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के शब्द "फसल के प्रकार का ध्यान रखते हुये" निकाल दिये जायं।

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा २९ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा २९ में--

(१) उपधारा (१) का निम्नलिखित वाक्य निकाल दिया जाय--
"उक्त खातेदार कब्जा करने के दिनाक मे नो मास के भीतर उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, जिससे या जिनसे कब्जा संक्रामित किया गया हो ऐसा प्रतिकर देगा और ऐसा न करने की दशा मे उससे ऐसा प्रति-कर मालगुजारी के बकाये के रूप मे (as arrears of land revenue) वसूल किया जा सकेगा।"

(२) उपधारायें (२) तथा (३) निकाल दी जायं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११, १२, १३ और १४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ में नई धारा २९ क का रखा जाना।

१५--मूल अधिनियम की धारा २९ के पश्चात नयी उपधारा २९--क के रूप में निम्नलिखित रख दिया जायः--

"२९-क--(१) जब कोई खातेदार, जिसमे इस अधिनयम के अधीन प्रतिकर की वसूली होनी हो, तदर्थ नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे तो उसके पाने का अधिकारी व्यक्ति (person) (entitled) वसूली के लिये उसे उपलब्ध अन्य किसी साधन के साथ-साथ कलेक्टर को, ऐसी अवधि के भीतर, जो नियत की जाय, इस आशय का प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसकी ओर से प्राप्त धनराशि (amount due on his behalt) सरकार को देय मालगुजारी की बकाया की भांति वसूल की जाय।

(२) यदि इस अधिनियम के अधीन देय प्रतिकर उस दिनाक से तीन महीने के भीतर पूर्णतः या अंशतः अदा न किया गया हो, जिस पर वह खातेदार, जिससे प्रतिकर की वसूली होनी हो, धारा २६ के अधीन कब्जा पाने का अधिकारी हो, तो ऐसी धनराशि पर जो इस इस प्रकार अदा न की गयी हो, ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जायगा"

श्री गेंदा सिंह—आपको आज्ञा से अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १५ मे प्रस्तावित उपधारा २९—क (१) की अन्तिम पंक्ति के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"प्रतिकर पाने का अधिकारी यदि किसी प्रकार की सरकारी देयों मे उस रकम को मुजरा कराना चाहे तो कर दी जाय ।"

यह बहुत सीधा बिना विवाद का प्रस्ताव है और यह इसलिये मै चाहता हूं कि लोगों को तहसील में अपने रुपयों को लेने और देने में बड़ी कठिनाई पड़ती है । इस लिए मैं ऐसा सोचता हूं कि आखिर रुपया तो उसे पाना है लेकिन सरकार को देना भी है। तो लेने और देने ये दोनों काम जो है उसमें दोनों को बेकार परेशानी होती है। उस परेशानी से बचने के लिये मैंने यह कहा है कि न लेना पड़े न देना पड़े । यह तो केवल खजाने का काम है ट्रान्जेक्शन आफ पेपर्स का । वह ट्रान्जेक्शन का काम वहां हो जाय और यह बेकार की परेशानी से बचत हो । इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है ।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय किसी आदमी को गवर्नमेन्ट के ऊपर कुछ देय नहीं है। यह तो वसूल किया जायगा दूसरे आदमी से और बतौर मालगुजारी वसूल किया जायगा । माननीय मित्र चाहते हैं कि गवर्नमेन्ट तो वसूल करती रहे और जो आदमी उस रुपये के पाने का मुस्तहक है उसको अपनी तरफ से मुजरा कर दे यही मतलब है.........

श्री गेंदा सिंह—यह मतलब नहीं है ।

श्री चरण सिंह—अगर दूसरा मतलब है तो उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेन्ट एग्जीक्यूटिव आर्डर्स के जरिये से वह कर सकती है । वह जब चाहे ऐसा कर सकती है कि हमारा अगर किसी आदमी के ऊपर देय है और उससे हमको कुछ वसूल करना है और हमें उसको कुछ देना है तो हम एग्जीक्यूटिव आर्डर से उसको ऐडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि कम्पेनसेशन ५० रुपये से कम का जो था उसको हमने ऐडजस्ट किया था मालगुजारी में। तो एग्जीक्यूटिव आर्डर से इसमे भी कर सकते हैं । इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—मै ऐसा समझता हूं कि उसमे सरकार के ऊपर कोई बोझ मे नहीं डालना और जैसा कि राजस्वमंत्री जी ने समझा कि रुपया तो सरकार वसूल करेगी लेकिन वह वसूल करने के पहले ही उसको मुजरा दे दे यह भी मंशा नहीं है । मंशा सिर्फ यह है कि अगर रुपया वसूल कराकर क्योंकि सरकार ही माध्यम है तहसील ही माध्यम है, वसूल करने के बाद अगर उसके पास पैसा आता है वह मुजरा कराना चाहे अगर उसने दरख्वास्त देदी तो फिर सरकार अपनी तरफ से करेगी । सरकार अपनी तरफ से न करे अगर उसकी तरफ से हो इसको स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मैं तो दिन को दिन ही कह रहा हूं और वह स्वीकार न करें तो यह उनकी मर्जी है।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय मैं क्या करूं माननीय गेंदा सिंह जी को हर बात में ऐसा ही ख्याल रहता है । ऐसी बात नहीं है । मै बहुत मुहब्बत करता हूं माननीय गेंदा सिंह जी से । मैंने तो कहा कि मई एक्जिक्यूटिव आर्डर से हो जायगा ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--हम लोगों को मौका दिया जाय, हम विरोध करेंगे

श्री अध्यक्ष--उनका जवाब हो चुका ।

प्रश्न यह है कि खंड १५ में प्रस्तावित उपधारा २९-क(१) की अन्तिम पंक्ति के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जायः--

"प्रतिकर पाने का अधिकारी यदि किसी प्रकार के सरकारी देयों मे उस रकम को मुजरा कराना चाहे तो कर दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं यह निवेदन कर रहा था कि हम उसका विरोध कर सकते है?

श्री अध्यक्ष--यदि माननीय सदस्य चाहते तो वह एजेन्डे मे आ जाता ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मुझे मौका दे तो मैं शुरू कर दूं विरोध।

श्री अध्यक्ष--मैं कल उसके ऊपर राय लूंगा ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
३ अप्रैल, १९५६ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९ पर)

गाजीपुर जिले में टोंस नदी रामगढ़ के पास रामगढ़ पम्प्ड नहर से सिंचित क्षेत्र पर रेट इस प्रकार लगाने का प्रस्ताव है:—

		दर प्रति एकड़ तोड़ की सिंचाई के लिये (Flow Irrigation)	दर प्रति एकड़ डाल की सिंचाई के लिये (Flow Irrigation)
		रु०	रु०
रबी	..	१२	६
धान	..	१४	७
ईख	..	३२	१६
अन्य खरीफ	..	७	३ रु० ८ आना

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

अनुसूची

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग की सामूहिक श्रवण योजना

(कम्युनिटी लिसनिंग स्कीम) के अधीन रेडियो सेट उधार दिये जाने के संशोधित नियत व शर्तें :

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के सरकारी आदेश संख्या अ/१७८/१९ आर० एम० दिनांक १९ मार्च, १९५३ मे आंशिक संशोधन करते हुये मुझे यह कहने का आदेश हुआ है कि विगत वर्षों के अनुभव को ध्यान में रखते हुये रेडियो सेटों के उपयोग से संबंधित नियमों पर सरकार ने पुनः विचार किया है और निम्नलिखित संशोधित नियम बनाये हैं—

१—सूचना संचालन कार्यालय द्वारा दिये गये रेडियो सेटों का उपयोग अनिवार्य रूप से सामूहिक श्रवण के लिये किया जायगा। सूचना संचालक कार्यालय के रेडियो सेट का किन्हीं भी परिस्थितियों मे निजी रूप से सुनने के लिये उपयोग न किया जायगा।

२—सूचना संचालन कार्यालय द्वारा दिये गये रेडियो सेटों को केवल सार्वजनिक स्थानों में लगाया जायगा जैसे पुस्तकालयों, श्रम केन्द्रों, क्लबों, विकास खंडों, बीज गोदामों, टाउन एरिया केन्द्रों, पंचायतघरों, शिक्षा संस्थाओं आदि रेडियो सेटों का उपयोग केवल जनता के लाभ के लिये किया जायगा।

३—रेडियो सेट को लगाने के लिये चुना गया केन्द्र ऐसे स्थान पर होना चाहिये जहां जनता को पहुंचने मे आसानी हो और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आकर्षित किया जा सके।

४—रेडियो सेटों को केवल उन सार्वजनिक संस्थाओं को दिया जायगा जो वापस न की जाने वाली ७५ रु० प्रति सेट की रकम का अंशदान जमा करने और समुचित मूल्य के दस्तावेजी कागज पर उनके द्वारा नामजद किसी संरक्षक, केयरटेकर, द्वारा इकरारनामा प्रति संलग्न भरने के लिये तैयार हों। अंशदान की उपर्युक्त रकम केवल उन सेटों के लिये निश्चित की गयी है जिनका वितरण इस योजना के अधीन किया जायगा। यह उन सेटों के सम्बन्ध मे लागू न होगा जो पुराने नियमों के अधीन दिये गये है।

५—सार्वजनिक संस्थाओं को रेडियो सेट केवल बतौर ऋण के दिया जायगा और वह सदैव उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग की सम्पत्ति रहेगा।

६—सरकार को रेडियो सेट सप्लाई करने वाली फर्म नई ड्राई बैटरी रेडियो सेटों की सर्विसिंग और रखरखाव उनके प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष तक निःशुल्क करेगी। ऐसी दशा में जब कि सामान्य उपयोग के दौरान में सेट खराब हो जायं या सेट की ही खराबी के कारण कुछ पुर्जों को बदलने की आवश्यकता पड़े तो सेट की सप्लाई करने वाली फर्म अपने खर्च से उसे बदलेगी। लेकिन इस्तेमाल होने पर भी या जानबूझ कर लापरवाही के कारण सेट खराब हो जाय तो उसे बदलने में यदि कोई व्यय होता है तो उसे संरक्षक (केयरटेकर) को बर्दाश्त करना पड़ेगा।

७—जहां तक संभव होगा रेडियो सेटों की सर्विसिंग और उनका रखरखाव सरकारी खर्च पर होता रहेगा । लेकिन एक वर्ष बाद कभी पुर्जों को बदलने की आवश्यकता होगी तो उसका मूल्य संरक्षक को देना पड़ेगा ।

८—इस सम्बन्ध में और अधिक सुविधा देने की दृष्टि से ड्राई बैटरी पैक को पहली बार बदलने का आधा खर्च जिसे लगभग ६ महीने के उपयोग के बाद सूचना विभाग बदलेगा सूचना विभाग वहन करेगा और शेष आधा खर्च हर एक संरक्षक (केयरटेकर) को बर्दाश्त करना पड़ेगा ।

९—यदि रेडियो सेट, उसके पुर्जे आदि या अन्य पुर्जे या अन्य पुर्जों के किसी हिस्से की चोरी, टूट-फूट, आग लगने के कारण नुकसान होता हो तो प्रत्येक दशा में क्षतिपूर्ति केयरटेकर को करनी पड़ेगी । अतएव केयरटेकर का यह कर्तव्य होगा कि वह रेडियो सेट को सुरक्षित रखने के लिये अधिक से अधिक सावधानी बरते । चोरी, टूट, फूट या आग लगने के कारण जो क्षति होगी वह कितनी हुई है इसका निर्णय उत्तर प्रदेश के सूचना संचालक या उनके द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी करेंगे, और यह निर्णय संरक्षकों को मान्य होगा ।

१०—संरक्षक (केयरटेकर) का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखें कि रेडियो सेट का उपयोग नियमित रूप से और सामूहिक श्रवण योजना के अधीन दिये गये रेडियों सेटों के लिये निर्धारित शर्तों के अनुसार होता है । किसी भी कारण से रेडियो सेट बेकार न रहने दिये जायंगे । यदि उपयोग के सिलसिले में या किसी अन्य प्रकार से रेडियो सेट को कोई क्षति पहुंचती है तो इसकी सूचना पास के सर्विसिंग स्टेशन तथा जिले के जिला सूचना अधिकारी को तुरन्त दी जानी चाहिये जो सेट की जांच करने और उसकी उपयुक्त मरम्मत की व्यवस्था करेगा । यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि सेट के बिगड़ जाने पर उसे दो सप्ताह से अधिक समय के लिये बेकार न रहने दिया जाय ।

११—संरक्षक (केयरटेकर) की यह जिम्मेदारी होगी कि उसे जो सेट दिया गया है उसके लिए वह सी० बी० आर० लाइसेंस उत्तर प्रदेश के सूचना संचालक के नाम में प्राप्त कर ले । निर्धारित समय पर लाइसेन्स बदलवाने की जिम्मेदारी भी उसी की होगी । यदि संरक्षक निर्धारित समय के अन्दर किसी भी दशा में लाइसेन्स को नहीं बदलवाता तो इस प्रकार लाइसेन्स न बदलवाने के कारण इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी ऐक्ट, १९३३ के उल्लंघन के परिणामस्वरूप जो कुछ सरचार्ज या तावान (पेनाल्टी) देना पड़े उसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।

१२—यदि किसी रेडियो सेट का उपयोग सामूहिक श्रवण के लिये नहीं किया जाता या २ सप्ताह से भी अधिक समय के लिये वह बेकार पड़ा रहता है और इसे चालू हालत में लाने के लिये प्रयत्न नहीं किये जाते या सी० बी० आर० लाइसेंस को नहीं बदलवाया जाता तो इसे सामूहिक श्रवण योजना के अधीन निर्धारित उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन समझा जायगा । यदि सूचना संचालक को इस बात का विश्वास हो जाय कि किसी संरक्षक केयरटेकर या संरक्षकों (केयरटेकरों) ने जानबूझ कर सामूहिक श्रवण योजना के नियमों का उल्लंघन किया है या नियमों का किसी भांति उल्लंघन हुआ है तो उन्हें यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बतलाये संबंधित संरक्षक (केयरटेकर) या संरक्षकों (केयरटेकरों) से रेडियो सेट वापस ले लें और ऐसी दशा में अंशदान की वापसी का कोई प्रश्न नहीं उठेगा ।

उपर्युक्त संशोधित नियम यह पत्र जारी होने की तारीख से लागू हो जायेंगे ।

इकरारनामा

उत्तर प्रदेश सरकार की सामूहिक श्रवण योजना के अधीन संलग्न अनुसूची में सरकारी आदेश के नियमों और शर्तों के आधार पर एक रेडियो सेट नं० . . . .

. . . . माडल . . . .

ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या अन्य किसी संस्था को उधार देने की शासकीय स्वीकृति के फलस्वरूप में

. . . .

पिता का नाम . . . .

ग्राम . . . . डाकघर. . . . .

थाना . . . . .तहसील . . . .

जिला . . . .

उपर्युक्त संस्था की ओर से इस प्रमाणपत्र द्वारा निम्नलिखित घोषणा और प्रतिज्ञा करता हूं--

१--उक्त रेडियो सेट उधार पर प्राप्त करने के निमित्त मैंने . . . . के सरकारी खजाने में मत ४६ मिस्लेनीयस सी, मिस्लेनियस इनकम फ्राम दि कम्युनिटी लिसनिंग स्कीम आफ दि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के अन्तर्गत केवल ७५ रु० (पचहत्तर रुपये) जमा कर दिया है ।

जिला सूचना अधिकारी . . . . उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के कोषाध्यक्ष को केवल ७५ रु० (पचहत्तर रुपये) अदा कर दिया है। मुझे विदित है कि अंशदान की यह रकम मुझे वापस नहीं मिल सकेगी ।

२--मैं उक्त योजना के सम्बन्ध में सरकारी आदेश से उद्धृत संलग्न अनुसूची के सभी नियमों और शर्तों का पालन करूंगा ।

३--यदि मैं उक्त सभी नियमों और शर्तों या उनमें से किसी नियम या शर्त का पालन न कर सकूंगा तो जमा की गयी उपर्युक्त रकम को जब्त कर लेने के अतिरिक्त सरकार को यह भी अधिकार होगा कि वह उक्त रेडियो सेट को मुझ से वापस ले ले और सेट को मेरे द्वारा पहुंचाई गयी किसी प्रकार की क्षति के लिये जो भी रकम सरकार उचित समझे मुझसे वसूल कर ले ।

४--उक्त रेडियो के लिये मैंने सूचना संचालक, उत्तर प्रदेश के नाम बी० आर० लाइसेंस संख्या . . . . दिनांक . . . . प्राप्त कर लिया है और प्रति वर्ष निर्धारित समय के अन्दर ही अपने खर्च से लाइसेंस को बदलाने की प्रतिज्ञा करता हूं।

५--मैं उक्त रेडियो सेट के सम्बन्ध में कभी अपने स्वामित्व का दावा न करूंगा कि और उपर्युक्त नियमों और शर्तों के अधीन सदैव उसको संरक्षक (केयरटेकर) की हैसियत से रहूंगा

उल्लिखित अनुसूची

(सरकारी आदेश संख्या अ ४१५/१६ आर० एस०-५५१-४७-४८, दिनांक ७ मार्च, १९५५ में वर्णित नियम और शर्तें :--

साक्षी | संरक्षक के हस्ताक्षर

पूरा नाम व पता सहितः--

१--

२--

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

१—म्युनिसिपल बोर्ड, झांसी को जो रुपया अदा करना है उसका विवरण इस प्रकार है :—

		रु०
(१)	सरकारी ऋण की अदायगी के हेतु (दिसम्बर १९५५ तक) ..	८,२०,४८४
(२)	चुंगी की वापसी के हेतु (दिसम्बर १९५५ तक) ..	१,७३,१२९
(३)	ठेकेदारों व माल सप्लाई करने वाले अन्य लोगों को अदा करने वाली रकम (दिसम्बर १९५५ तक) ..	३,६०,०५५
(४)	चुंगी की वापसी, ठेकेदारों व माल सप्लाई करने वाले अन्य लोगों को दी जाने वाली रकम जिसका पिछले तीन वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है। ..	९९,०९९

२—बोर्ड के आर्थिक वर्ष १९५५-५६ के बजट में दस लाख से अधिक का घाटा है।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६६ पर)

COPY of G. O. no. 10794 XI-A-404(65)/49, dated October 22, 1953 addressed to the Chairman, Municipal Board, Jhansi and copies endorsed to the District Magistrate, and Commissioner, Jhansi Division.

Subject—Audit objection and inspection note for 1948-49.

I am directed to invite a reference to your letter no. 414/A dated June 19, 1953, and to say that the Board does not seem to have made genuine efforts for the removal of the audit objections as would appear from the observations made by the Commissioner in his endorsement no. 4892/XXIII-186(2) dated July 7, 1953. Government do not appreciate the attitude adopted by the Board in the settlement of the audit objections, which would not only frustrate the real purpose of the Audit but also undermine the supervision of the Board itself over its accounts. I am, therefore, to request that the audit objections relating to the year 1948-49 should be removed to the satisfaction of the District Magistrate, Jhansi, and the Commissioner of the Division. A report should be furnished to Government as early as possible.

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७ पर)

सूची जिला बोर्ड, बस्ती के पाठशाला भवन, सड़क व पुलिया जिनका बाढ़ या अति वृष्टि से क्षति के कारण पुनर्निर्माण या मरम्मत की जा रही है।

पाठशाला भवन

क्रम-संख्या	नाम पाठशाला	अनुमान
		रु०
१	प्राइमरी अशरफपुर	५,१५०
२	,, करमैनी	४,३५९
३	,, महसों	२,७६७
४	,, विक्रम जोत	३,८७९
५	,, खखरा मेलोजो	४,६६८
६	,, रामपुर देवरिया	२,७६७
७	,, पिपरौला	४,९५६
८	,, डुमरियागंज	४,१४२
९	,, रसियावल करमैनी	४,४०१
१०	,, पैंकोलिया बरूवार	४,६५०
११	जूनियर हाई स्कूल कठेला ग्रान्ट	६,२७९
	योग . . ,	४८,०१८

निर्माण पुलियां

क्रम सं०	नाम सड़क		अनुमान
			रु०
१	घनघटा चपरा घाट समीप मौजा फतेहपुर	. .	२,३४५
२	कलवारी, गाय घाट समीप मौजा बगही	. .	१,५५२
३	कलवारी छावनी समीप प्रतापपुर	. .	१,४९३
४	सोहास लोटन समीप दलदला	. .	२,६७४
५	सोहास लोटन समीप दहला	. .	२,६३६
६	लोटन नैपाल फ्र० समीप चनेरेया	. .	८,०००
७	लोटन नैपाल फ्र० समीप लोटन	. .	५,१०५
८	इटावा विस्कोहर समीप पेंडारी	. .	१६,५२५
		योग . .	४०,३३०

पक्की सड़कें

क्रम सं०	नाम सड़क	नम्बर मील	अनुमान रु०
१	मेहदावल बाजार	१६	३,५५७
२	बस्ती महसों	२	६,४६०
३	,,	३	६,७०८
४	बस्ती टांडा	२	५,३७९

पक्की सड़कें

क्रम सं०	नाम सड़क	नम्बर मील	अनुदान
			रु०
५	टरैया बाजार	०	२,४६४
६	बस्ती बांसी	६	४,५१६
७	अस्पताल सोनूपार	१	२,२४७
८	पांडे बाजार	४	३,१७४
९	उस्का बर्डपुर नैपाल फ्रा०	१	५,५२०
		योग	४४,१३३

कच्ची सड़कें

१	अस्पताल से कांग्रेस भजन शोहरतगढ़	..	७१७
२	जुज हिस्सा सड़क बखिरा बांसी	..	७८६
३	बस्ती मेंहदावल	..	२,०००
		योग ..	३,४०३

मरम्मत पुलियां

१	सड़क बस्ती टांडा	२,३२०
२	,,	४,०००
	जमा करने रोड़ा ईट बजाय कंकड़ पुलिया पर	
	योग ..	६,३२०

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ पर १०१)

उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६

हिन्दी साहित्य सम्मेलन को पुनःसंघटित एवं पुनःसंविहित करने के लिये

विधेयक

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का निगमन सन् १९११ ई० में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० (१८६० का अधिनियम संख्या २१) के अधीन हुआ था;

अब उसे पुनःसंघटित और पुनःसंविहित करना उचित है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के इस सातवें वर्ष मे निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह राज्य सरकार द्वारा सहकारी गजट में इस निमित्त विज्ञापित दिनांक को प्रचलित होगा।

परिभाषाएं।

२—इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो—

(क) "अन्तरिम मंडल" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा ८ के अधीन स्थापित अन्तरिम मंडल से है;

(ख) "अन्तरिम काल" से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने और इसकी धारा १४ के उपबन्धों के अनुसार अन्तरिम मंडल के समाप्त होने के बीच के काल से है;

(ग) "नियमावली" से तात्पर्य धारा ७ के अधीन और उसके अनुसार निर्मित अथवा संशोधित नियमावली से है और उसमें धारा ११ के अधीन और अनुसार निर्मित नियमावली का भी अन्तर्भाव है;

(घ) "सम्मेलन" से तात्पर्य धारा ३ के अधीन संविहित हिन्दी साहित्य सम्मेलन से है;

(ङ) "स्थायी समिति" से तात्पर्य नियमावली के अनुसार संविहित स्थायी समिति से है।

सम्मेलन की स्थापना और निगमन।

३—(१) सम्मेलन के आदि सदस्य, इसके उपरान्त बनने वाले सदस्य, उस काल तक के लिये जब तक वे सदस्य बने रहें, और ऐसे निकाय जिन्हें सम्मेलन नियमावली के अनुसार अपने प्रयोजनों के लिये संविहित करे एतद्द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नाम से एक निगम निकाय के रूप में संविहित किये जाते हैं।

(२) सम्मेलन शाश्वत उत्तराधिकारशील होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से ही वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा एवं उस पर वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(३) सम्मेलन का प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में होगा।

(४) सम्मेलन के आदि सदस्य होंगे——

(क) वे व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले वाले दिनांक को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० के अधीन निबद्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन के (जिसे आगे चलकर इस अधिनियम में "समाज" कहा जायगा) विशिष्ट सदस्य थे;

(ख) वे व्यक्ति जो पूर्वोक्त दिनांक को समाज के स्थायी सदस्य थे;

(ग) समाज के भूतपूर्व सभापति; और

(घ) वे व्यक्ति जो समाज द्वारा मंगलाप्रसाद पारितोषिक पा चुके हों।

(५) सम्मेलन की आगे की सदस्यता नियमावली के अनुसार होगी।

४——सम्मेलन के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे—— सम्मेलन के उद्देश्य।

(१) हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य और देवनागरी लिपि की भारत एवं विदेशों में अभिवृद्धि, विकास तथा उन्नति के लिये कार्य करना;

(२) हिन्दी साहित्य का सर्जन, मुद्रण और प्रकाशन;

(३) हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा परीक्षाओं की व्यवस्था करना और उपाधियां प्रदान करना;

(४) हिन्दी भाषा और साहित्य के शिक्षण के लिये विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं स्थापित करना और चलाना तथा अपनी परीक्षाओं के लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को अपने से सम्बद्ध करना;

(५) हिन्दी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि का उद्देश्य रखने वाली संस्थाओं को अपने से सम्बद्ध करना;

(६) उत्कृष्ट हिन्दी सेवियों को मानद एवं अन्य उपाधियां तथा वाचस्पत्य पदवियां प्रदान करना;

(७) हिन्दी के विशिष्ट साहित्यकों को पारितोषिक प्रदान करना।

(८) हिन्दी भाषा एवं साहित्य सम्बन्धी अनुसंधान की उन्नति करना और उसे प्रोत्साहन देना;

(९) पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो अन्य उपाय आवश्यक और उपयुक्त प्रतीत हों, उन्हें काम में लाना।

५——सम्मेलन अपने कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन नियमावली के अनुसार करेगा। अधिकार और कृत्य।

६——(१) समाज इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिन समाप्त हो जायगा और कार्य करना बन्द कर देगा। अधिकार और सम्पत्ति का निहित होना।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होते ही——

(क) वे समस्त अधिकार और वह समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति जो उक्त प्रारम्भ के पूर्व समाज की थी या उसमें निहित थी इस अधिनियम के अधीन स्थापित सम्मेलन की होकर उसमें निहित हो जायगी;

(ख) समाज के सभी ऋण और दायित्व सम्मेलन को संक्रान्त हो जायंगे और तदन्तर उसके ही द्वारा पूर्वोक्त सम्पत्ति से भरे और चुकाए जायंगे।

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व निष्पादित सभी प्रकार के कारण, वसीयत, विलेख या लेख्य में, जिसके अन्तर्गत दिस्मा दान एवं न्यास वाले विलेख भी है, समाज के सम्बन्ध में हुए प्रत्येक उल्लेख का इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानो वह उस अधिनियम द्वारा स्थापित सम्मेलन का ही उल्लेख हो;

(घ) उक्त प्रारम्भ के पूर्व समाज से सम्बद्ध सभी विद्यालय, महा-विद्यालय एवं अन्य संस्थाएं जब तक सम्मेलन द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाय पूर्ववर्ती निबन्धनों और शर्तों के साथ सम्मेलन से सम्बद्ध हो जायेंगे।

नियमावली

७—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सम्मेलन नियमावली बना सकता है; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम नियमावली धारा ११ के उपबन्धों के अनुसार ही बनेगी।

(२) नियमावली में स्थायी समिति के, जो सम्मेलन का शासनिक निकाय होगी, संगठन और स्थापना की व्यवस्था रहेगी।

(३) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते हुए, नियमावली में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिये व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) सदस्यता से सम्बद्ध विषय, जिसके अन्तर्गत सम्मेलन के सदस्यों की पात्रता, विपात्रता, पदत्याग एवं सदस्यता-समाप्ति भी है;

(ख) स्थायी समिति के अधिकार और कृत्य;

(ग) सम्मेलन की समितियों एवं प्राधिकारियों के संगठन, स्थापना, अधिकार और कृत्यों से सम्बद्ध विषय;

(घ) स्थायी समिति एवं नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के संगठन के लिये निर्वाचनों का संचालन और उक्त निर्वाचनों के अवसर पर या उनके सम्बन्ध में शंकाओं और विवादों का निर्णय;

(ङ) सम्मेलन की स्थायी समिति एवं नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के कर्त्तव्य-पालन, कृत्य-सम्पादन एवं अधिकार-प्रयोग की रीति और प्रक्रिया;

(च) सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निधि की स्थापना और संधारण;

(छ) खंड (च) में उल्लिखित निधि के विनियोग और उसमें से व्यय की रीति और प्रक्रिया;

(ज) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये लेखाबही तथा अन्य पंजी और विवरण रखने की प्रक्रिया और प्रपत्र;

(झ) सम्मेलन के वैतनिक सेवियों की नियुक्ति, नियन्त्रण एवं सेवा की अन्य शर्तें;

(ञ) सम्मेलन, स्थायी समिति तथा नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के निमित्त एवं उनकी ओर से पत्र-व्यवहार, लेख्य-निष्पादन और संविदा;

(ट) सम्मेलन, स्थायी समिति, अन्य समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा एवं उनके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन;

(ठ) विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के संबद्ध किये जाने से सम्बद्ध विषय;

(ड) उपाधियों तथा वाचस्पत्य पदवियों के प्रदान से सम्बद्ध विषय;

(ढ) पारितोषिकों के प्रदान से सम्बद्ध विषय;

(ण) नियमावली के संशोधन की प्रक्रिया;

(त) सामान्यतः ऐसे अन्य विषय जिन्हें सम्मेलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक समझे।

(४) सम्मेलन को अधिकार होगा कि नियमावली को, जिसके अन्तर्गत धारा ११ के अधीन बनी नियमावली भी होगी, उसमें विहित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर संशोधित करे।

(५) नियमावली एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों की एक प्रति नियमावली बनने और संशोधन होने के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार को भेजी जायगी।

अंतरिम मंडल का संगठन।

८—(१) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एक अंतरिम मंडल स्थापित किया जायगा :—

(क) प्रथम नियमावली बनाना,

(ख) स्थायी समिति के लिये प्रथम निर्वाचन कराना,

(ग) अन्तरिमकाल में सम्मेलन का कारबार चलाना।

(२) अन्तरिम मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे—

(क) राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक सभापति,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री,

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामांकित ९ अन्य सदस्य।

(३) अन्तरिम मंडल राज्य सरकार द्वारा अपनी स्थापना सरकारी गजट में विज्ञापित किये जाने के दिन कार्यभार ग्रहण कर लेगा।

(४) अन्तरिम मंडल की बैठकों के लिये गणपूर्ति ३ सदस्यों की होगी।

(५) मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से अन्तरिम मंडल के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर मंडल के अन्य सदस्य उक्त स्थान की पूर्ति आमेलन द्वारा करेंगे, किन्तु अन्तरिम मंडल द्वारा किया गया कोई कार्य या पारित कोई प्रस्ताव उक्त कार्य किये जाने या प्रस्ताव पारित होने के समय ऐसी किसी रिक्ति के अपूरित रह जाने के कारण असाधु नहीं समझा जायगा।

(६) अन्तरिम मंडल के सभी निर्णय मंडल की बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार होंगे।

अन्तरिम मंडल का सम्मेलन एवं उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध का भार ग्रहण करना।

९—इस अधिनियम की धारा ७ या अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, अन्तरिम मंडल की स्थापना के दिनांक से ही उस पर सम्मेलन के कारबार के प्रबंध, नियंत्रण और प्रशासन का भार होगा और वह उक्त दिनांक को ही सम्मेलन की समस्त सम्पत्ति, जिसमे धारा ६ के अधीन सम्मेलन मे निहित निधि और सम्पत्ति भी होगी, अपने अधिकार मे ले लेगा।

आदि सदस्यों की सूची।

१०—(१) अन्तरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से ३० दिन के भीतर, यदि राज्य सरकार कोई अनुदेश दे तो उनका पालन करते हुये, धारा ३ के अर्थ मे सम्मेलन के आदि सदस्य समझे जाने वाले समस्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा।

(२) सूची ऐसी रीति से प्रकाशित कर दी जायगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(३) यदि उपधारा २ के अधीन आदि सदस्यों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात् किसी समय, अन्तरिम मंडल को यह प्रतीत हो कि त्रुटि से किसी व्यक्ति का नाम सूची मे अंकित होने से रह गया है या सूची मे अंकित हो गया है तो उसे अधिकार होगा कि वह उस नाम को उक्त सूची में अंकित कर दे या उसमें से निकाल और ऐसा नाम ऐसी रीति जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय प्रकाशित कर दिया जायगा। जहां किसी व्यक्ति का नाम पूर्वोक्त रीति से अंकित किया जाय वहां ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में सर्व प्रकार से यह समझा जायगा कि उनका नाम सूची में उपधारा (१) के अधीन तैयार के होने के समय से ही रहा है।

(४) इस धारा के अधीन तैयार की गयी सूची मे जिन व्यक्तियों के नाम होंगे उनके अतिरिक्त और कोई व्यक्ति धारा ३ के अर्थ में सम्मेलन का आदि सदस्य नहीं समझा जायगा।

(५) न्यायालय उक्त सूची की वैचारिक अवेक्षा करेगा और उसे इस बात का निश्चायक प्रमाण मानेगा कि उसमे नामोल्लिखित व्यक्ति सम्मेलन के आदि सदस्य हैं।

प्रथम नियमावली का निर्णय।

११—(१) अन्तरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से ४ मास के भीतर धारा ७ में विनिर्दिष्ट विषयों में से सब या किसी विषय में प्रथम नियमावली बनायेगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनायी जाने वाली प्रस्तावित नियमावली का एक आलेख्य राज्य सरकार के पास उसके अनुमोदन के लिये भेजा जायगा।

(३) राज्य सरकार आलेख्य पाने के बाद यथाशीघ्र उस पर विचार करेगी और उसे अधिकार होगा कि वह उसे बिना किसी परिष्करण के या परिष्करणों के साथ अनुमोदित कर ले।

(४) नियमावली जिस रूप में राज्य सरकार उसे अनुमोदित करे, अन्तरिम मंडल द्वारा ऐसी रीति से प्रकाशित कर दी जायगी जो राज्य सरकार विहित करे।

अन्तरिम मंडल द्वारा स्थायी समिति का संगठन।

१२—अंतरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से छः मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुयी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर दे नियमावली के उपबन्धों के अनुसार स्थायी समिति का प्रथम निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा

और ऐसे सब उपाय काम में लायेगा जो पूर्वोक्त रूप से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्थायी समिति के यथोचित संगठन और स्थापना के लिये आवश्यक हों।

अंतरिम मंडल के अधिकार।

१३—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त एवं उन्हें बाधित न करते हुये, अंतरिम मंडल अन्तरिम काल में सम्मेलन के निमित्त और उसकी ओर से आगे विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का सम्पादन करेगा—

(क) सम्मेलन द्वारा प्राप्य सभी भाड़े, लगान एवं अन्य देय वसूल करना और सम्मेलन को दी गयी सहायताएं, दान, चन्दे, परीक्षा एवं इतर शुल्क तथा अन्य सभी धन प्राप्त करना ;

(ख) अपने कृत्यों के सम्पादन और कर्त्तव्यों के पालन के लिये उसे अपनी समझ से जो-जो व्यय आवश्यक प्रतीत हों उन्हें सम्मेलन की निधियों में से करना या करने की अनुज्ञा देना ;

(ग) ऐसे सभी बैंकों एवं अन्य स्थानों में जहां सम्मेलन का हिसाब हो वहां रुपया निकालना-पैठालना और इस प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक पदाधिकारियों को ऐसे सब हिसाबों में रुपया निकालने-पैठालने और विपत्रों, चिकों, रसीदों एवं अन्य ऐसे लेख्यों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देना, जिन पर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन और कर्त्तव्यों के पालन के लिये अन्तरिम मंडल को हस्ताक्षर करना हो या जिनका उसे निष्पादन करना हो।

(घ) इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये अधिकारों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन के लिये अभिकर्ता, कार्यपालक या सेवी नियुक्त करना और जैसी आवश्यकता प्रतीत हो उन्हें, अन्तरिम मंडल की ओर से अन्तरिमकाल में वाद या प्रतिवाद प्रस्तुत करने अथवा अन्य कार्य करने का अधिकार देना।

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में उपविधि बनाना।

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उन समस्त कार्यों को करना जिन्हें वह आवश्यक समझे।

प्रशासन और सम्पत्ति का हस्तांतरण।

१४—धारा ७ की उपधारा (२) में उल्लिखित स्थायी समिति की स्थापना से १५ दिन के भीतर अन्तरिम मंडल सम्मेलन का प्रशासन और प्रबंध एवं उसकी सभी सम्पत्ति और निधि स्थायी समिति को हस्तान्तरित कर देगा, तदन्तर स्थायी समिति नियमावली के अधीन उसे सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगी और उक्त १५ दिन की अवधि की समाप्ति के दिनांक तथा पूर्वोक्त उक्त रीति से प्रशासनादि के हस्तान्तरण के दिनांक में से जो पूर्ववर्ती होगा उस दिनांक को अन्तरिम मंडल समाप्त और विघटित हो जायगा।

वादों और कार्यवाहियों का उपशमन।

१५—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि मे किसी बात के होते हुये भी, ऐसे सब वाद, जिनका सम्बन्ध किसी ऐसे विवाद से हो जो समाज के संविधान और कार्य संचालन के विषय मे हो और जिसमे समाज पक्षकार हो, चाहे वे मूल न्यायालय मे चल रहे हों चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय मे, ऐसे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को उपशांत हो जायेंगे और उनके सम्बन्ध मे हुयी सब कार्यवाहियां प्रत्याहृत हो जायंगी।

कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार के अधिकार।

१६—राज्य सरकार को अधिकार होगा कि कठिनाइयों को विशेषकर ऐसी कठिनाइयों को, जिनका सम्बन्ध अन्तरिम मंडल की स्थापना प्रथम नियमावली के निर्माण या सम्मेलन अथवा प्रथम स्थायी समिति की स्थापना से हो, दूर करने के प्रयोजन के लिये राजाज्ञा द्वारा यह आदेश दे कि यह अधिनियम राजाज्ञा मे विनिर्दिष्ट अवधि मे उसके द्वारा आवश्यक और उचित समझे जाने वाले अनुकूलनों के साथ ही, जो परिष्करण, परिवर्द्धन या अपवर्तन मे से किसी भी रूप मे हों, सप्रभाव होगा।

विधेयक का हेतु और प्रयोजन

हिन्दी साहित्य सम्मेलन हिन्दी के विद्वानों और कार्यकर्ताओं की प्रतिनिधि संस्था है। इसका सर्वप्रथम अधिवेशन पंडित मदनमोहन मालवीय जी के सभापतित्व में १९१० मे हुआ था। सन् १९११ ई० में यह सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट (१८६० का अधिनियम संख्या २१) के अधीन एक सोसाइटी के रूप में निबद्ध हुआ था। अपने ४५ वर्ष के कार्यकाल में इसने हिन्दी की अभिवृद्धि के लिये उल्लेखनीय कार्य किया है। इसका पिछला अधिवेशन, जो इसका ३८ वां अधिवेशन था, १९५० में हुआ था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सम्बन्ध इसके जन्मकाल से ही हिन्दी के बड़े-बड़े साहित्यिकों और कार्यकर्ताओं से किसी न किसी रूप में रहा है। हमारे देश के सार्वजनिक जीवन में उच्चतम स्थान ग्रहण करने वाले विशिष्ट व्यक्ति इसके सभापति रहे हैं।

२—इस सम्मेलन के पिछले अधिवेशन के, जो सन् १९५० ई० में हुआ था, पश्चात इसके कार्य संचालन के विषय में कुछ ऐसे वैधानिक झगड़े उठ खड़े हुए जिनके कारण एक प्रतिगृहीता (रिसीवर) की नियुक्ति हो गयी। वैधानिक विवाद चलते हुये अब लगभग पांच वर्ष हो चुके हैं और पता नहीं इसका कब अन्त होगा। सम्मेलन का साधारण कारबार प्रतिगृहीता की देखरेख में चल अवश्य रहा है। किन्तु जहां तक राष्ट्रीय जीवन के विविध क्षेत्रों में हिन्दी की आवश्यकताओं की पूर्ति का सम्बन्ध है एक शक्तिशाली संस्था के रूप में सम्मेलन की गति अवरुद्ध हो गयी है। इस विधेयक का प्रयोजन यह है कि सम्मेलन को एक ऐसे दृढ़ आधार पर स्थित कर दिया जाय कि भविष्य में वह हिन्दी की प्रगति और हिन्दी भाषा सम्बन्धी विविध समस्याओं के समाधान के लिये कार्य करने को स्वतंत्र हो जाय।

३—इस विधेयक में एक ऐसा अन्तरिम मंडल बनाने की व्यवस्था है जो सम्मेलन की भावी नियमावली बनायेगा, जिसके अनुसार उसकी प्रबन्धकारिणी के रूप में स्थायी समिति का निर्माण हो सके। अन्तरिम मंडल सम्मेलन के प्रशासन का भार भी तुरन्त ग्रहण कर लेगा। फिर जब स्थायी समिति बन जायगी तब सम्मेलन को चलाने का उत्तर दायित्व वह अपने ऊपर ले लेगी और अन्तरिम मंडल स्वतः विघटित हो जायगा।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

अ	
अचल सम्पत्ति	Immovable property.
अधिकार	1. Power 2. Right.
अधिकार प्रयोग	Exercise of powers.
अनुकूलन	Adaptation.
अनुज्ञा देना	To Sanction.
अनुदेश	Instruction
अनुमोदन	Approval
अनुसंधान	Research
अन्तरिम मंडल	Interim Board
अन्तर्भाव	Inclusion
अपवर्तन	Omission
अपूरित	Unfilled
अभिकर्ता	Agent
अभियोजन	Prosecution
अभिवृद्धि	Promotion
अवधि	Period
असाधु	Invalid
आ	
आदि सदस्य	First members
आमेलन	Co-option
आलेख्य	Draft
इ	
इतर	Other
उ	
उत्कृष्ट	Distinguished
उत्तराधिकार	Succession
उद्देश्य	Aims and Objects
उन्नति	Advancement
उपबन्ध	Provision
उपविधि	Byelaw
उपशमन	Abatement
उपशांत होना	To abate
उपाधि	Degree
उल्लिखित	Referred to
उल्लेख	Reference
ए	
एतद्द्वारा	Hereby
क	
करण	Instrument
काल ..... अन्तरिम	Period........Interim
कृत्य	Function

कृत्यसंपादन — Performance of functions
कार्यपालक — Functionary
कार्यभार ग्रहण करना — To take over charge
कार्यान्वित करना — To carry into effect
किसी बात के होते हुये भी — not withstanding anything

ग

गणपूर्ति — quorum

च

चल सम्पत्ति — Movable property

त

तात्पर्य — Meaning
त्रुटि से — Wrongly

द

दायित्व — Liability
दित्सा — Bequest
देय — Dues

न

नामांकित — nominated
नामोल्लिखित — named
निकाय — Body
निगम निकाय — Body corporate
निगमन — Incorporation
निधि — Fund
निबद्ध — Registered
निबन्धन — Terms
नियंत्रण — Control
नियुक्ति — Appointment
निर्मित — Framed
निर्वाचन — Election
निर्वाचन का संचालन — Conduct of election
निश्चायक प्रमाण — Conclusive proof
निष्पादन — Execution
निष्पादित — Executed
निहित — Vested
न्यास — Trust

प

पंजी — Register
पक्षकार — Party
पदत्याग — Resignation
परिवर्द्धन — Addition
परिष्करण — Modification
पात्रता — Qualification

पुनरीक्षण	Revision
पुन: संघटन	Reorganization
पुन: संगठित करना	Reorganize
पुन: संविहित करना	Reconstitute
पूर्ववर्ती	1. Earlier, 2. Foregoing
पूर्वोक्त	Aforesaid
प्रकाशन	Publication
प्रक्रिया	Procedure
प्रतिकूल	Repugnant
प्रतिवाद प्रस्तुत करना	To defend
प्रत्याहृत	Withdrawn
प्रशासन	Administration
प्रसंग	Context
प्रस्तावित	Proposed
प्राधिकारी	Authority
प्रारम्भ	Commencement
प्रोत्साहन	Encouragement

ब

बाधित न करते हुये, को	Without prejudice to

भ

भूतपूर्व सभापति	Ex-President

म

महाविद्यालय	College
माध्यम	Medium
मानद उपाधि	Honorary degree
मुद्रण	Printing
मुद्रा	Seal
मुद्रा सामान्य	Common Seal
मूल न्यायालय	Court of first instance

र

रिक्त	Vacant
रिक्ति	Vacancy
रीति	Manner

ल

लिपि	Script
लेखाबही	Account book
लेख्य	Document

व

वाचस्पत्य पदवी	Academic distinction
वाद	Suit
वाद प्रस्तुत करना	To sue
वाद प्रस्तुत किया जाना, पर	To be sued
विकास	Development
विघटित	Dissolved

विज्ञापित	Notified
विद्यालय	School
विनिर्दिष्ट	Specified
विनियोग	Application
विपत्र	Bill
विपात्रता	Disqualification
विलेख	Deed
विवरण	Statement
विवाद	Dispute
विषय	1. Matter 2. Subject
विहित	Prescribed
वैचारिक अवेक्षा	Judicial notice
व्यवस्था करना	1. To arrange for 2. To provide for
श	
शंका	Doubt
शाश्वत	Perpetual
शाश्वत उत्तराधिकार	Perpetual succession
शाश्वत उत्तराधिकार शील	Having perpetual succession
शासनिक निकाय	Governing body
शिक्षण	Instruction
स	
संविदा	Contract
संविधान	Constitution
संविहित	Constituted
संशोधित	Amended
संस्था	Institution
संक्रान्त	Transferred
संगठन	Constitution
संधारण	Maintenance
सदस्यता....आगे की सदस्यता	Membership (Subsequent membership)
सप्रभाव होना	To take effect
समय विशेष पर प्रचलित	For the time being in force
समिति	Committee
सम्बद्ध	1. Affiliated 2. Relating to
सम्बद्ध करना	Affiliate
सर्जन	Creation
सामान्यतया	Generally
सामान्य मुद्रा	Common seal
सेवी	Employee
स्थापित	Established
ह	
हस्तान्तरण	Handing over
हस्तान्तरित करना	To hand over

पी० एस० यू० पी०— ए० पी०—१६ एल० ए०—१९५६—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२७०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
एजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कमलासिंह, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
कृप शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री

टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुलहक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री (गोंडा)
बलदेव सिंह, श्री (बनारस)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीरअहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री

मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहन लाल , श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन श्री
रमेश वर्मा, श्री
राज किशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री

श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि कर सम्बन्धी पूछताछ

**१—श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या यह बात सही है कि सरकार के उच्च अधिकारियों ने जिले के कृषि कर अधिकारियों को यह आदेश दे रखा है कि यदि कृषि कर दावा के हिसाब से खालिस आमदनी परते के हिसाब से कम है तो स्वीकार न की जाय ?

माल उप मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी नहीं।

श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार का कोई ऐसा आदेश है कि कृषि कर दाता जो हिसाब पेश करते हैं उसका व्यय ५५ प्रतिशत से अधिक आमदनी से है तो उसको ठीक न मानें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसा कोई डेफिनिट आर्डर तो नहीं है, लेकिन अगर किसी को आमदनी से ५५ प्रतिशत अधिक व्यय हो, तो वह सही नहीं मालूम होता।

श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार को ज्ञात है कि सरकार के कृषिकर विशेषाधिकारी कृषिकर मुकदमों के इन्सपेक्शन में नोट कर देते हैं कि इसका व्यय आमदनी से ५५ प्रतिशत अधिक है, स्वीकार करने योग्य है और उसका रिवीजन दाखिल करने की सिफारिश करते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अभी अर्ज किया कि वे अपने कामनसेंस से कह देते होंगे कि ५५ प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं हो सकता, और इसलिए वे ऐसा लिखते होंगे।

श्री अध्यक्ष—(श्री रतन लाल जैन से) क्या आप पढ़ रहे हैं ?

श्री रतनलाल जैन—जी नहीं नोट कर रखा है।

श्री अध्यक्ष—तो आप उसको याद कर लें। लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते।

श्री रतनलाल जैन—क्या सरकार को ज्ञात है कि कृषिकर के मुकदमों में कृषिकर अधिकारी हिसाब को चाहे वह बिलकुल बाकायदा और सही हो क्यों न हो आम तौर पर नहीं मानते है और हिसाब पर दाखिल हुए जो मामले हैं उनके केसेज आम तौर से नहीं के बराबर हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ऐसी बात नहीं है । जो हिसाब सही होते हैं वे माने जाते हैं और जो गलत होते हैं वे नहीं माने जाते हैं ।

एटा, बरेली तथा लखनऊ के रेंट कंट्रोलरों के खिलाफ शिकायतें

२—श्री रामदुलारे मिश्र** (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि प्रदेश के कुछ नगरों मे रेन्ट कन्ट्रोलरों के खिलाफ गम्भीर शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ? अगर हां, तो कहां से और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

नियोजन मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी हां । एटा, बरेली और लखनऊ के कन्ट्रोलरों के खिलाफ शिकायतें आयी हैं । इनकी जांच की जा रही है ।

श्री रामदुलारे मिश्र—उपरोक्त रेन्ट कन्ट्रोलरों के खिलाफ जो शिकायतें है वे कब आयीं और कब से उनकी जांच हो रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो एक वैयक्तिक प्रश्न हो जायगा । यदि आप आम शिकायत के बारे मे पूछते हैं किसी किस्म के, तो मै इजाजत दे दूंगा । आप सवाल फिर से करें ।

श्री रामदुलारे मिश्र—जी हां, आम शिकायतों के बारे में जानना चाहता हूं ।

श्री बलदेव सिंह आर्य—एटा के रेन्ट कन्ट्रोलर के विरुद्ध यह शिकायत आयी थी कि उन्होंने कासगंज के एक मकान के एलाटमेंट के सम्बन्ध में अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और मकान मालिक को उस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में रिट आवेदन-पत्र दायर करना पड़ा । हाई कोर्ट ने उस पर गम्भीर निर्णय दिये ।

दूसरी बरेली के रेन्ट कन्ट्रोलर के विरुद्ध यह शिकायत थी कि वे अपने अधिकारों का और ऐक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं । उसकी जांच हुई और उनमें से कुछ शिकायतों के बारे में यह मालूम हुआ कि वे सही नहीं हैं और कुछ शिकायतों के बारे में अभी जांच हो रही है । †रेन्ट कन्ट्रोलर, लखनऊ के विरुद्ध पक्षपात तथा भ्रष्टाचार की जो शिकायतें आई थी उनकी जांच कराने के पश्चात तत्सम्बन्धित दरख्वास्तें झूठी तथा उपर्युक्त आरोप निराधार साबित हुए ।

राशनिंग विभाग के छटे हुये कर्मचारियों की रोडवेज विभाग में नियुक्ति

३—श्री रामदुलारे मिश्र**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज विभाग की नौकरियों में भर्ती करते समय राशनिंग विभाग के छटे हुए कर्मचारियों को किसी अनुपात विशेष से प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं ।

४—श्री रामदुलारे मिश्र**—यदि हां, तो वह अनुपात क्या है और उस अनुपात के अतिरिक्त क्या शेष स्थानों में अन्य सरकारी विभागों की तरह ५० प्रतिशत बाहरी उम्मेदवारों के लिए सुरक्षण रहता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—प्रश्न नहीं उठता ।

---

† २२ मई, १९५६ को सभा सचिव द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित ।

प्रदेश के पूर्वी जिलों में ओलों से क्षति

५—श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस बात की सूचना प्राप्त हुई है कि अभी थोड़े दिन पहिले प्रान्त के पूर्वी जिलों में भयंकर ओला पड़ा है जिस से फसल को काफी क्षति हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। कुछ पूर्वी जिलों मे ओला पड़ने की सूचना सरकार को मिली है।

६—श्री रामेश्वरलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास यह सूचना प्राप्त हुई है कि क्षति ग्रस्त जिले कौन-कौन से है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन पूर्वी जिलों में ओला पड़ने की सूचना अब तक प्राप्त हुई है उनके नाम इस प्रकार हैं :—

(१) इलाहाबाद।
(२) सीतापुर।
(३) प्रतापगढ़
(४) बाराबंकी।
(५) जौनपुर।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिस रोज माननीय माल मन्त्री जी देवरिया तशरीफ ले गये थे उस रोज वहां काफी ओला गिरा और वहां की फसल को उस से काफी क्षति पहुंची है ?

माल मन्त्री (श्री चरणसिंह)—मुझे मालूम नहीं है लेकिन कभी-कभी ऐसा जरूर हुआ है कि जहां माल मन्त्री और सूचना मन्त्री सूखे के जमाने में गये है तो उस रोज वहां बारिश हुई है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या माननीय मन्त्री जी इस स्थिति में हैं कि वह बता सकें कि इस ओले के गिरने से कितना नुकसान हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कितना नुकसान हुआ यह अभी नहीं बताया जा सकता।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार जो क्षति पहुंची है उस की जांच करा के वहां के लोगों को सहायता पहुंचाने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह—इस की जांच के लिए कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है। रेवेन्यू मैनुअल में ओला, आग, सूखा, बाढ़ के लिए पुराने नियम है और उनके अनुसार वहां के अधिकारी जरूर मौके पर गये होंगे और उचित कार्यवाही की होगी, इस लिए आदेश देने की जरूरत नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जानकारी हासिल करायेंगे कि आमजगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में भीषण ओला पड़ा और वहां फसल की अधिक बरबादी हुई है ?

श्री चरण सिंह—इसका जवाब मैं दे चुका। जानकारी हासिल करने की जरूरत हम महसूस नहीं करते, वह तो अपने आप जांच करेंगे।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय माल मन्त्री जी को मालूम है कि २४ मार्च को कानपुर में भीषण ओले की वर्षा हुई और उसकी वजह से वहां फसल बरबाद हो गयी ?

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ५—६ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

श्री अध्यक्ष—यह तो पूर्वी जिलों का प्रश्न है, कानपुर उन मे नहीं आता। इस की मैं इजाजत नहीं देना।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय माल मंत्री फतेहपुर क्षेत्र के एम० एल० ए० श्री ब्रजविहारी मिश्र तथा श्री रामसेवक यादव से जानकारी हासिल करके वहां के क्षतिग्रस्त क्षेत्र मे मालगुजारी की माफी और सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी जिलों मे भी तो ओला पड़ा है आप कृपा करके पूछने दें कि किन पश्चिमी जिलों मे . . . . . .

श्री अध्यक्ष—वह इस मे नहीं आते।

लखनऊ जिले में शराब व भांग की दूकानों की आमदनी में वृद्धि तथा घाटा

७—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मादक कर मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष लखनऊ जिले मे शराब की दूकानों मे सरकारी आमदनी मे वृद्धि हुई है ? अगर हां, तो कितनी ?

मादक कर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—जी हां। शराब की दूकानों के लिए १९५६–५७ के वर्ष के नीलाम मे १९५५–५६ की अपेक्षा ३,३४,७०० रु० की वृद्धि हुई है।

८—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि लखनऊ मे इस वर्ष भांग की दूकानों मे सरकारी आमदनी घटी ? अगर हां, तो कितनी और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। भांग की दूकानों के नीलाम मे इस वर्ष १९५५–५६ की अपेक्षा ३२,१२५ रु० की कमी हुई। इस कमी के मुख्य कारण यह है :—

(१) पहली अप्रैल, १९५६ से गांजा की बिक्री पर प्रतिबन्ध, तथा

(२) तीन दूकानों का बन्द हो जाना।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि मद्य निषेध की योजना मे लखनऊ जिले को लेने पर सरकार विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब से और अगर नहीं, तो क्या कठिनाई है ?

श्री गिरधारीलाल—अब तो जैसा कि मद्य निषेध के सिलसिले में बजट के समय में यह बतलाया गया था कि इस योजना को आगे बढ़ाने के विषय में हमें केन्द्रीय सरकार की ओर से भी इन्तजार है। प्लानिंग कमीशन ने जो इन्क्वायरी की है, उसके जो भी आदेश आयेंगे, उनके माफिक कार्यवाही की जायगी। जब आगे कार्यवाही होगी, तो चाहे वह लखनऊ जिला हो या कोई और जिला हो, उस वक्त उस पर विचार किया जायगा।

तारांकित प्रश्न

*१–२—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—[११ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये।]

जिला आजमगढ़ की फूलपुर तहसील में गुड़ उन्नति योजना

*३—श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर के उत्तरी भाग में गुड़ उन्नति योजना लागू की गयी है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—जी हां ।

*४—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में अब तक क्या-क्या कार्य किये गये है ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३५—२३६ पर)

*५—श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत इस वर्ष १९५५—५६ में क्या-क्या कार्य किये जाने वाले है ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २३५—२३६ पर ।)

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि जिले का यह ऐसा क्षेत्र है जहां सारे का सारा गन्ना कोल्हू में ही पेरा जाता है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, मालूम है। वहां पर कोई शुगर फैक्टरी नहीं है इसलिये सारा गन्ना कोल्हू से ही पेरा जाता है ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या उन्नतिशील कोल्हू की बढ़ती हुई मांग को दृष्टि में रखते हुये सरकार इस क्षेत्र के लिये कोई कोल्हू इस वर्ष देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—इस वर्ष इस कार्य के लिये अधिक धनराशि रखी गयी है और ऐसी आशा की जाती है कि जिन क्षेत्रों में अधिक कोल्हुओं की मांग होगी वहां ये अधिक संख्या में दिये जायेंगे ।

अगोरी, जिला मिर्जापुर में सवैया रोग का प्रकोप

*६—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के अगोरी परगने में कौन क्षेत्र तथा चतरवार, जोंगईल, परसोई तथा कनहरा आदि गांव के क्षेत्र के निवासियों में सवैया (Yaz) की बीमारी की बहुलता है और वहां अभी तक इसकी चिकित्सा का कोई प्रबन्ध ही नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के अगोरी परगना में कौन आदि क्षेत्रों में सवैया का प्रकोप है, मगर यह सत्य नहीं है कि वहां अभी तक इसकी चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है ।

*७—श्री व्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या उक्त क्षेत्रों का सर्वे करा कर वहां चिकित्सा का समुचित प्रबन्ध करने की कृपा की जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन क्षेत्रों में उचित सर्वे हो चुकी है। आठ (८) मोबाइल टीम इस बीमारी के रोकथाम के लिये मिरजापुर जिले में नियुक्त की गयी हैं और कार्य कर रही हैं । दुद्धी तहसील में कार्य समाप्त करने के बाद अब वे अगोरी परगना में कार्य कर रही हैं । कौन क्षेत्र तथा अन्य गांवों में जल्दी ही उनके पहुंचने की आशा है ।

*८—श्री ब्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में कोई औषधालय या अस्पताल अभी नहीं खुल पाया है, जब कि जनता तथा जन प्रतिनिधियों ने कई बार इसके लिये सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोन तथा गहरवार गांव में एलोपैथिक औषधालय खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। चोपन में एक अस्पताल १९५४—५५ में खोला गया है।

*९—११—कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[८ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ६—८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

उद्योग विभाग के अन्तर्गत पिछले २—३ वर्षों में नियुक्तियों में हरिजनों की संख्या

*१२—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन्डस्ट्रीज विभाग में सन् १९५४ से अब तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं और उनमें हरिजनों की संख्या क्या है ? क्या सरकार नियुक्तियों की सूची मय पद और योग्यता के मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना एकत्र हो रही है। एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

उद्योग विभाग के मुअत्तिल कर्मचारी

*१३—श्री वासुदेवप्रसाद मिश्र—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इंडस्ट्रीज विभाग में गत तीन माह से अधिक के मुअत्तिल कितने कर्मचारी हैं और क्या ऐसे कर्मचारियों की सूची मुअत्तिली के कारण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—वांछित सूचना एकत्र हो रही है। एकत्र होने पर माननीय सदस्य को भेज दी जायगी।

कांधला मुजफ्फरनगर के शीराजों के कुटीर उद्योग की दशा

*१४—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कांधला मुजफ्फरनगर के शीराजों का उच्चकोटि का कुटीर उद्योग अत्यन्त ही गिरी हुई दशा में पहुंच चुका है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

*१५—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार उपरोक्त कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार से जिस सहायता की प्रार्थना की जायगी सरकार उस पर अवश्य आवश्यक कार्यवाही करेगी।

*१६—श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बतायेगी कि इन शीराजों के आवेदन-पत्र सरकार की सहायतार्थ आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने कोई जांच करायी है जिससे मालूम हुआ कि शीराजों के उद्योग-धंधे की क्षति नहीं हो रही है।

श्री बनारसी दास—वहां जांच करायी गई है। इस कस्बे के अन्दर लगभग १०० व्यक्ति इस कार्य को करते हैं। उनकी मुख्य कठिनाई यह है कि उनको भारी सूद पर ऋण लेना पड़ता है। इसके लिये उनको सलाह दी गई है कि वे सरकार के पास प्रार्थना पत्र भेजें जिससे उनको सस्ते दर पर रुपया मिल सके। करीब-करीब ऐसे १५ व्यक्ति हैं जो रुपया चाहते हैं। उनको सलाह दी गई है कि वे संचालक, उद्योग विभाग के पास अपने प्रार्थना-पत्र भेजें। प्रार्थना-पत्र आने पर उनको ऋण देने पर विचार किया जायगा।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि अनेकों आवेदन पत्र भेजे गये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री बनारसी दास—सरकार के पास किसी प्रकार के आवेदन-पत्र नहीं आये हैं लेकिन जैसा कि निवेदन किया उनको सलाह दी गई थी कि इसके लिये एक फार्म होता है जो संचालक महोदय, उद्योग विभाग के पास होता है, उस पर प्रार्थना-पत्र भेजे जायं। शायद ऐसे १५ आदमी हैं जिनके आवेदन-पत्र आयेंगे, उस समय उन पर विचार होगा।

*१७—१८—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—[स्थगित किये गये।]

*१९—**श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी**—[११ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२०—२१—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

टाउन एरिया राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर में रेंट कन्ट्रोल लागू करने का सुझाव

*२२—**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार जिला मिर्जापुर के राबर्ट्सगंज टाउन एरिया में मकान मालिकों द्वारा मनमाने तौर पर किराया बढ़ाये जाने से अवगत है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस बारे में कुछ शिकायतें आई हैं।

*२३—**श्री रामस्वरूप** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर किरायादारों की कठिनाई दूर करने के लिये वहां रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट की कुछ धाराओं को लागू करने पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*२४—२६—**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)—[स्थगित किये गये।]

*२७—२८—**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)—[२५ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२९—३१—**श्री धर्मदत्त वैद्य** (जिला बरेली)—[स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में राजकीय खादी केन्द्रों का खोला जाना

*३२—**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने राजकीय खादी केन्द्र खुले हैं और अम्बर चर्खा शिक्षण केन्द्र कहां-कहां खोलने की योजना है ?

श्री बनारसी दास—आजमगढ़ जिले में १४ राजकीय खादी केन्द्र खोले जा चुके हैं। प्रदेशीय खादी विकास योजना के अन्तर्गत अम्बर चर्खे का शिक्षण केन्द्र चलाने की कोई योजना नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह १८ केन्द्र कहां-कहां है ?

श्री बनारसी दास—यह १८ नाम हैं अगर आज्ञा हो तो मैं पढ़ दूं। वह है जहानाबाद, कतरू, दोहरीघाट, घोसी, मुहम्मदाबाद, बरुआ, गोदाम, कोपागंज, महाराजगंज, मार्टिनगंज, कोयलसा, रानीपार, में रोदामपुर, अहरौला और अतरौलिया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अम्बर चर्खा शिक्षण केन्द्र चलाने के लिये सरकार का निकट भविष्य में कोई इरादा है ?

श्री बनारसी दास—जैसा उत्तर दिया गया है अभी जो खादी बोर्ड है उसकी तरफ से यह परीक्षण किये जा रहे हैं और खादी बोर्ड की तरफ से हमारे यहां जोनल डायरेक्टर, मेम्बर इस काम को कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई केन्द्र नहीं चल रहा है। जब खादी योजना को स्वीकार कर लिया जायगा तो सरकार उस पर विचार करेगी।

*३३-३४—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३५—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला झांसी की मऊरानीपुर, मौठ तथा गरौठा तहसीलों में जनाना अस्पताल खोलने पर विचार

*३६—श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला झांसी की मऊरानीपुर, मौठ तथा गरोठा तहसीलों में कोई जनाना अस्पताल है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—तहसील मऊरानीपुर के जिला बोर्ड द्वारा संचालित मर्दाने अस्पताल में स्त्रियों की चिकित्सा के लिये महिला विभाग (Women's Wing) है। तहसील मौठ और गरोठा में कोई जनाना चिकित्सालय नहीं है।

*३७—श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार उक्त तहसीलों में जनाना अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—मऊरानीपुर के महिला विंग के प्रान्तीयकरण का प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है। गरोठा में एक जनाना अस्पताल खोलने के सुझाव पर जिला चिकित्सालय परामर्श दात्री समिति की राय मांगी गई है, जिसके आने पर इस विषय पर विचार किया जायगा। मौठ में अस्पताल खोलने के लिये कोई प्रार्थना अभी सरकार के पास नहीं आई है। जब आवेगी तब विचार किया जायगा।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊरानीपुर में कोई लेडी डाक्टर है, यदि नहीं तो वहां भेजने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री बनारसी दास—इस समय वहां कोई लेडी डाक्टर नहीं है। दो तीन साल से इस पर विचार किया जा रहा है कि इसका प्रान्तीयकरण किया जाय। अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि वहां पर कोई किराया का लेडी डाक्टर के लिये एपार्टमेंट मिल सकें तो जल्दी ही इस बात की कोशिश करेंगे कि एक लेडी डाक्टर की स्वीकृति दे दें।

नोट—तारांकित प्रश्न ३६—३७ श्री लक्ष्मणराव कदम ने पूछे।

बुलन्दशहर में शुगर मिल की स्थापना

*३८—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर शुगर मिल के खोले जाने की स्वीकृति सरकार द्वारा कब दी गई और यह मिल बुलन्दशहर में कब से चालू है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—पन्नीजी शुगर मिल को गोकुलनगर से हटाकर बुलन्दशहर में लगाने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किये गये लाइसेन्स संख्या ८/१५ ५४, दिनांक १८ मई, १९५४ में दी गई थी। यह मिल गत गन्ने की पिराई के सीजन में दिनांक २८ जनवरी, १९५५ को बुलन्दशहर में चालू की गयी थी।

श्री श्रीचन्द्र—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस गन्ने की फैक्टरी को कितने रुपये की सहायता सरकार ने दी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक पैसा नहीं दिया।

जिला हमीरपुर की महोबा व चरखारी तहसीलों में अस्पताल खोलने की मांग

*३९—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगले वर्ष सन् १९५५–५६ में जिला हमीरपुर की तहसील महोबा तथा तहसील चरखारी के किन-किन ग्रामों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा यूनानी अस्पताल सरकार द्वारा खोले जाने का विचार है?

श्री बनारसी दास—कदाचित् माननीय सदस्य का आशय १९५६–५७ से है। इस वर्ष में कहां-कहां अस्पताल खुलेंगे यह अभी निश्चित नहीं है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह निश्चय कब तक होगा?

श्री बनारसी दास—यह अभी जैसा कि प्रश्न किया गया है १९५५–५६ में इस जिले में दो एलोपैथिक और एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोले जाने वाले थे। एलोपैथिक अस्पताल खोले जा चुके हैं केवल एक स्थान पर डाक्टर नहीं पहुंचा है उसके आदेश दे दिये गये हैं। जहां तक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का सवाल है वह विचाराधीन है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चरखारी तहसील को हमीरपुर जिले में मिलाया गया है वहां कोई अस्पताल नहीं है तो क्या वहां अस्पताल खोलने का सरकार विचार रखती है?

श्री बनारसी दास—यह तो इसी साल १९५५–५६ में चरखारी में एक जनाना अस्पताल कायम किया गया है।

श्री मन्नीलाल गुरुदेव—मेरा मतलब ग्रामीण क्षेत्र से है वहां एक भी अस्पताल नहीं है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अस्पतालों के खोलने के विषय में जो नीति निर्धारित है इस वर्ष के लिये तथा आयन्दा सालों के लिये वह यह है कि पहले अस्पतालों की संख्या तय कर दी जायगी कि अमुक जिलों में इतने अस्पताल द्वितीय पंच वर्षीय योजना में खुलेंगे और नियोजन समितियां इन अस्पतालों को स्थापित करने के विषय में प्राथमिकता प्रदान करेंगी और वह प्राथमिकतायें यहां आयेंगी और उन पर विचार होगा और फिर

नोट—तारांकित प्रश्न ३८ श्री श्रीचन्द्र ने पूछा।

उन पर निर्णय लिया जायगा कि कहां अस्पताल खोले जायं ? उसके अनुसार अस्पताल खोले जायंगे ।

इटावा जिलान्तर्गत भरथना-उसराहार सड़क को पक्का करने का प्रस्ताव

*४०—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर सब से अधिक श्रम से अर्थ वर्क (earth work) किस सड़क पर हुआ है और उस पर तखमीनन कितने रुपये का कार्य हुआ होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भरथना-उसराहार सड़क पर किये हुये कार्य का अनुमानित मूल्य ४२,३५० रुपया है ।

*४१—श्री मिहरबान सिंह—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इसके लिये कोई ऐसा प्रयत्न कर रही है कि उस सड़क का सोलिंग हो कर वह कुछ कंकड़ वगैरह से पक्की बन जावे जिससे जनता का परिश्रम बेकार न होने पावे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर अर्थ वर्क के अलावा और कोई ईंट के सोलिंग का काम हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास जो सूचना है उससे ज्ञात होता है कि दो मील सड़क पर कंकड़ पड़ चुका है और दो मील पर शायद पड़ रहा है और आगे ११ मील है । इस विषय में जिला बोर्ड का जो कंट्रीब्यूशन होगा, प्रादेशिक सरकार का होगा और केन्द्रीय सरकार का होगा, उसके तहत मे व्यय किया जायगा ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सड़क पर जो ईंट का सोलिंग हुआ है उस पर गिट्टी कंकड़ न पड़ने के कारण और ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण सोलिंग टूट गया है और यात्रियों के लिये परेशानी की चीज हो गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है । माननीय सदस्य बतलाते हैं इसलिये मै और जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री मिहरबान सिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जनता को विश्वास दिलाया गया था कि इस सड़क पर अर्थ वर्क श्रमदान से करा दिया जाय तो पक्की सड़क सरकार करा देगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मैंने अभी बताया कि ४ मील पक्की सड़क करने का प्रबन्ध किया है । ११ मील के विषय में जिला बोर्ड एक हिस्सा और एक हिस्सा प्रदेशीय सरकार का जो अनुदान इस कार्य के लिये होता है उससे और केन्द्रीय सरकार जो इस कार्य के लिये अनुदान देती है उसमें से एक हिस्सा सड़क बनाने के लिये कंकड़ बिछाने का पूरा प्रबंध किया जायगा ।

जिला गोरखपुर स्थित सिसवा बाजार और घुघली चीनी मिलों द्वारा सड़कों का निर्माण

*४२—श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चीनी मिल सिसवा बाजार और घुघली जिला गोरखपुर से १९५४-५५ और १९५५-५६ में कितने रुपये सेस से अथवा अन्य करों से उसे प्राप्त हुये हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४२-४३ श्री केशव पांडेय ने पूछे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—घुघली मिल से १९५४–५५ सीजन के सेस का ४,०५,७७४ रु० १५ आना और १९५५–५६ सीजन के सेस का अब तक ८९,०६२ रु० ११ आना प्राप्त हुआ है। सिसवा बाजार मिल से १९५४–५५ सीजन के सेस का ३,३९,९३९ रु० ८ आना ९ पाई और १९५५–५६ सीजन के सेस का अबतक ५०,००० रु० वसूल हुआ है।

*४३—श्री शुकदेव प्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि फैक्ट्री से कितनी दूरी तक की सड़कों के बनवाने की जिम्मेदारी मिल मालिकों पर है और उपर्युक्त दोनों मिलों में इसका पालन कहां तक हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फैक्टरी के मालिकों का उत्तरदायित्व है कि वे फैक्टरी में गन्ने की गाड़ियों के पड़ाव (Parking Ground) को निकट की आम सड़क से मिलाने के लिये सड़क बनाये ताकि गाड़ियों का (Parking Grouud) में आना सुगम हो सके। अतः किसी फैक्टरी को कितनी दूर तक सड़क बनवानी चाहिये यह बात उस फैक्टरी की स्थानीय स्थिति पर निर्भर होगी सिसवा बाजार तथा घुघली फैक्टरियों की स्थिति इस सम्बन्ध में इस प्रकार है :—

सिसवा बाजार—फैक्टरी ने अपने यहां की पार्किंग ग्राउन्ड को आम सड़क से मिलाने के लिये अब तक कोई सड़क नहीं बनवायी है। फैक्टरी को डेढ़ फर्लांग की दूरी तक पी० डब्लू० डी० की सड़क से मिलाने के लिये सड़क बनवानी चाहिये।

घुघली—मिल के एक ओर पक्की आम सड़क मौजूद है और दूसरी ओर सड़क उसने बनवा ली है। परन्तु तीसरी ओर से गाड़ियों के आने के लिये अभी सड़क नहीं बनी है।

जिलाधीश गोरखपुर ने इन मिलों को उपयुक्त सड़कें बनवाने के लिये लिखा है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा हो रही है। उनके जवाब मिलने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि इन सड़कों को बनाने के लिये कहां-कहां से रुपये की व्यवस्था की जाती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक अपनी जगह पर सड़कें बनाने का प्रश्न है वह तो मिल को स्वयं ही करना होता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितना सेस था जिसमें से इतना वसूल हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुझे दुख है कि पूरे सेस का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। मैं इसकी जानकारी, यदि हो सकेगा, तो नोटिस मिलने पर दे दूंगा।

श्री केशव पांडेय—क्या सरकार इन सड़कों को अपनी ओर से बनवा कर मिल से या केन यूनियन से पैसा वसूल करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां तक उतनी सड़कों का विषय है जिनका वर्णन उत्तर में किया गया है वह जिम्मेदारी मिल की है और जो मिल ऐसा नहीं करती है तो इस सम्बन्ध में जो हमारे नियम हैं उनके अन्तर्गत उनको सजा दी जा सकती है और जुरमाना भी किया जा सकता है। जब जिलाधीश का उत्तर आ जायगा तो जैसा मैंने उत्तर में बताया है, इन मिलों के ऊपर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कलेक्टर ने कब इन सड़कों के बनवाने के लिये मिलों को लिखा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह मेरे पास अभी रिपोर्ट नहीं आयी है। जो केन कमिश्नर ने सूचना दी है उसमें इतना बताया है कि वह जिलाधीश को इस विषय में लिख चुके हैं और उनसे अभी

उत्तर नहीं आया है। तो उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। जब उत्तर आ जायगा तो उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री केशव पान्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि इस मिल एरिया की इन सड़कों के बारे में अनेक बार शिकायतें मिल और सरकार से की जा चुकी हैं, फिर भी यह सड़क बन नहीं रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इस विषय की सूचना नहीं है। कदाचित् मेरा ध्यान पहली ही बार इस ओर आकर्षित किया जा रहा है।

*४४-४५—**श्री उमाशंकर**—[९ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न ३६-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४६—**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया)—[५ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिला बोर्ड को कुछ सड़कों के निर्माणार्थ स्वीकृत धन का न मिलना

*४७—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर सन् १९५४ के सप्लीमेंटरी बजट के अनुदान संख्या ४१ में आजमगढ़ जिला बोर्ड को—(१) कप्तानगंज-महाराजगंज, (२) मेंहनगर-कम्हरिया और (३) गोकुलपुर-मऊ सड़क के निर्माण के लिये ५८,५०० रु० का जो अनुदान प्रदान किया गया था क्या यह सही है कि उक्त धन अब तक जिला बोर्ड आजमगढ़ को प्राप्त नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वास्तव में ५८,५०० रु० इन सड़कों का सम्पूर्ण सामुहिक व्यय अनुमानित था। एक तिहाई हिस्सा स्थानीय सहायता लोकल कंट्रीब्यूशन से हुआ था और बाकी ३९,००० रु० भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेशीय सरकार को देना था। अभी तक लोकल कंट्रिब्यूशन के बारे में जिला बोर्ड ने हल नहीं किया है। इन सड़कों की अंतिम रूपरेखा निर्धारित होने पर यह धन जिला बोर्ड को स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय नियोजन मंत्री को ज्ञात है कि जिन तीन सड़कों के बनाने के लिये रुपया प्रदान किया गया था वह सड़कें जिला द्वारा बना दी गयी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सब स्थानों की सूचना तो मेरे पास नहीं है। लेकिन जहां तक इस प्रश्न से सम्बन्ध रखने वाली सड़क का विषय है वह तो अभी तक नहीं बनी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या नियोजन मंत्री इसकी जांच करायेंगे कि वह सड़क जिला बोर्ड द्वारा बनायी गयी है और जो रुपया भारत सरकार ने प्रदेशीय सरकार को प्रदान किया है उसको जिला बोर्ड को वापस कर देंगे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला बोर्ड पूरा धन व्यय करने वाला है। इस बात का निर्णय कर लिया गया है कि एक बटा तीन जिला बोर्ड खर्च करेगा, एक बटा तीन प्रदेशीय सरकार व्यय करेगी और एक बटा तीन केन्द्रीय सरकार के अनुदान से व्यय किया जायगा। तो अवश्य वह धनराशि उनको देने की सहूलियत दी जायगी। जो सूचना मेरे पास है उससे ऐसा निर्णय मालूम होता है कि एक बटा तीन यह तीनों बाडीज जिनका मैंने जिक्र किया है वह धनराशि अपने अपने अनुदान से व्यय करेंगी।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर बतलायेंगे कि यह धन कब तक जिला बोर्ड को प्राप्त हो जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास तो यह सूचना थी कि इस सड़क के बारे में कुछ इस्टीमेट इत्यादि तैयार किया गया था। वह इस्टीमेट हमारे चीफ इंजीनियर पी०डब्लू०डी० के पास

भेजा गया। उन्होंने कुछ सुझाव उस सड़क को चौड़ी करने के विषय मे दिये। तो जिला बोर्ड से कहा कि यह सड़क अमुक मात्रा में चौड़ी होनी चाहिये। जिला बोर्ड ने कदाचित् यह कहा कि यदि वह इस सड़क को अमुक मात्रा में चौड़ी करने की व्यवस्था करेगा तो उनको अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से यह मामला, जहां तक उस धनराशि का सम्बन्ध है जो प्रदेशीय सरकार और केन्द्रीय सरकार देती थी, पड़ा रहा। इस सड़क के विषय में यदि चीफ इंजीनियर के सुझावों को जिला बोर्ड ने नहीं माना तो फिर प्रदेशीय सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ेगा क्योंकि चीफ इंजीनियर इन तमाम सड़कों के इस्टीमेट के विषय में कि कितनी सड़क चौड़ी होनी चाहिये इस प्रकार की सलाह देते हैं। प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिये हम उनकी सलाह लेते हैं और उनकी सलाह पर ही कार्य करते हैं।

देवरिया नगर में अम्बर चर्खा-निर्माण एवं शिक्षण की व्यवस्था

*४८—**श्री रामेश्वर लाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि क्या यह सही है कि देवरिया नगर में अम्बर चर्खा-निर्माण एवं शिक्षण की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या खर्च कर रही है?

श्री बनारसी दास—(अ) जी हां।

(ब) इसका आयोजन अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा हुआ है, प्रदेशीय सरकार उस पर कुछ खर्च नहीं कर रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुयी है? चालू हो गयी है या चालू होने वाली है, तो कब तक?

श्री बनारसी दास—यह तो उत्तर दिया जा चुका है कि सरकार की तरफ से नहीं, यह अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से देवरिया के अन्दर यह केन्द्र चल रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खादी बोर्ड ने सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र दिया है कि अम्बर चरखे की ट्रेनिंग में सरकार सहायता प्रदान करे?

श्री बनारसी दास—जी नहीं। वैसे अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे सहायता मिलती है और उसी की तरफ से यह केन्द्र चल रहा है और जितना भी रुपया इन प्रशिक्षण केन्द्रों में खर्च होगा खादी बोर्ड के द्वारा वह सरकार का ही पैसा होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में शिक्षण केन्द्र खास देवरिया में चल रहा है या और कहीं भी खोले जायेंगे?

श्री बनारसीदास—मैंने निवेदन किया कि वहां पर शिक्षण केन्द्र चल रहा है और उस पर लगभग चार हजार रुपया वैसे व्यय भी होगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उस जिले में कहां कहां वह शिक्षण केन्द्र चल रहा है?

श्री बनारसी दास—कहां-कहां चल रहा है इसकी सूचना तो मेरे पास है नहीं। ज्यादा केन्द्र तो चल नहीं रहे हैं जिले में।

राजा का सहसपुर शुगर मिल, जिला मुरादाबाद में गन्ने की खपत

*४९—**श्री महीलाल** (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि शुगर केन फैक्टरी राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद के गेट पर गन्ना देने वाले गन्ना उत्पादकों

नोट—तारांकित प्रश्न ४८ श्री रामनारायण त्रिपाठी ने पूछा।

की इस वर्ष की पैदावार का क्या अनुमान है और उसमें से अब तक कितना गन्ना फैक्टरी ले चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष राजा का सहसपुर शुगर मिल, जिला मुरादाबाद के गेट पर गन्ना उत्पादकों की पैदावार का अनुमान ३० लाख मन है और दिनांक १५ फरवरी, १९५६ तक उक्त मिल गेट पर ११ ७१ लाख मन गन्ना खरीद चुकी है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल——क्या यह सही है कि वहां का पूरा गन्ना उस मिल के द्वारा नहीं पेरा जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——पूरा तो मेरा ख्याल है पश्चिमी जिले में जितना गन्ना इधर पैदा हो रहा है कोई भी मिल शायद पेर भी नहीं सकेगी क्योंकि उस गन्ने का काफी हिस्सा गुड के बनाने में जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय——९ लाख मन गन्ना जो शेष रह गया है क्या सरकार उसको परवाने की कोई व्यवस्था करने वाली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——जहां तक जो गन्ना उन्हें दिया गया है वह गन्ना तो मिलें ज्यादा से ज्यादा समय तक पेरने की व्यवस्था स्वयं करेंगी, ऐसा आदेश उनको है और ऐसी कार्यवाही विभाग की ओर से हो रही है कि अधिक उन मिलों को चलाकर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गन्ना पेरा जा सके उसका प्रबंध किया जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या यह सही है कि राजा का सहसपुर मिल की ओर से यह इस प्रकार की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी थी कि २० लाख मन गन्ना इस मिल में पेरा जा सकेगा और अब उसे पेरने में असमर्थ साबित हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अब यह तो मैं जानता नहीं । लेकिन हमारे विभाग की ओर से इस बात पर बहुत जोर है और हमारे केन कमिश्नर घूम फिर कर मिलों को इस बात के लिए राजी कर रहे हैं कि वे अधिक समय तक मिलों को चलायें और चलाकर जैसा मैंने पहले कहा अधिक मात्रा में गन्ने को पेरवाये । वह ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि जिससे यदि कोई मिल अधिक गन्ना पेरने में असमर्थ है तो उस मिल का गन्ना किसी और नजदीक वाली मिल को दिलाये जिससे अधिक मात्रा में गन्ना पेर दिया जाय ।

श्री जगन्नाथ मल्ल——क्या यह सही है कि उन किसानों को जिनका गन्ना पेरने से बच जायगा उस मिल के द्वारा मुआवजा दिलाने की कृपा करेगी सरकार ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मुआवजा का प्रश्न उठता नहीं क्योंकि मैंने बता दिया कि गन्ना बहुत मात्रा में किसानों ने बोया है और जितना मिल गन्ना पेर सकती है, उन्होंने उन मिलों की कैपिसेटी और सामर्थ्य को भी सामने रखते हुये अधिक पैदा किया है । तो गन्ना मिलों से मुआविजा दिलाने का प्रश्न तो उठता नहीं क्योंकि मिलें अपनी कैपेसिटी से जहां तक गन्ना पेर सकती हैं पेरने की चेष्टा कर रही हैं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——क्या किसानों का गन्ना जब तक यह मिलें चलेंगी उसी दर से लिया जायगा या कोई दर में कमी की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अब इस विषय में तो एक नियम बना हुआ है कि मई के बाद या कोई तारीख बंधी हुयी है उसके बाद जब आयेगा तो रिकवरी बेसिस इत्यादि के ऊपर फिर गन्ने की कीमत दी जाती है ।

*५०——श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)——[१८ अप्रैल, १९५६ के लये स्थगित किया गया ।]

*५१—श्रीरामहेत सिंह (जिला मथुरा)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५२-५३—श्री गंगा प्रसाद सिंह—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५४—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५५-५६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५७-५८—श्री देवदत्त मिश्र (जिला कानपुर)—[९ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३९-४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५९-६०—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

अमृतसर—कांग्रेस अधिवेशन में यू० पी० हैंडीक्राफ्ट, लखनऊ की दूकान का आय-व्यय—

*६१—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट, लखनऊ की दुकान अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में गयी थी ? उसमें कितनी आमदनी व कितना खर्च हुआ ?

अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में यू० पी० हैंडीक्राफ्ट, लखनऊ की दूकान का आय-व्यय।

श्री बनारसी दास—(अ) जी हां।

(ब) इस पर २०,८९० रुपया व्यय हुआ और इसमें ४,७८३ रुपये की बिक्री हुयी। चूंकि अधिवेशन में भाग लेने का उद्देश्य प्रचार तथा प्रदर्शन था, अतः इससे आमदनी होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अमृतसर कांग्रेस सेशन में जिस प्रकार से यह दूकान भेजी गई थी क्या उसी प्रकार से और राजनैतिक सम्मेलनों में दूकान भेजे जाने की व्यवस्था है ?

श्री बनारसी दास—इसका वास्तव में राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रदर्शिनी कांग्रेस सेशन से काफ़ी दूर थी और प्रदर्शिनी का उद्देश्य तो यही होता है कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रचार हो सके भेज दें बिला लिहाज किसी राजनीतिक पार्टी के।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रकम व्यय हुई उसमें कर्मचारियों का भत्ता वगैरा कितना है और सामान ले जाने का व्यय कितना कितना है ?

श्री बनारसी दास—यह तफ़सील मेरे पास नहीं है।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां के मैनेजर कै दफ़ा अमृतसर आये और कै दफ़ा गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब इसकी सूचना तो है नहीं। मैं नहीं जानता कि कै दफा आये और कै दफा गये।

*६२—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—[१८ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*६३—श्री तेजासिंह—[२० अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न ६१ श्री राम सुन्दर पांडेय ने पूछा।

प्रदेश में नमक की व्यवस्था

*६४—**श्री महीलाल** (अनुपस्थित)—क्या रसद व पूर्ति मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में कुल कितना, कौन-कौन सा नमक आता है और कहां-कहां से आता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भारत सरकार की जोनल योजना के अनुसार प्रदेश को २८०३ एम० जी० वैगन का मासिक कोटा मिलता है जो निम्नलिखित सूत्रों से प्राप्त होता है :

(१) सांभर	..	..	..	७१७	एम० जी० वैगन
(२) खाराघोडा	..	..	..	६३७	बी० जी० वैगन
					अथवा
				१२७४	एम० जी० वैगन
(३) धारंगधरा	..	..	..	३६२	एम० जी० वैगन
(४) कान्डला	..	..	..	४२०	एम० जी० वैगन
		कुल	..	२८०३	एम० जी० वैगन

*६५—**श्री महीलाल** (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आने वाले नमकों में से कौन-कौन से नमक, किस किस जिले में दिये जाते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूची प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २३७—२३९ पर ।)

जौनपुर जिले में ग्राम सेवकों का चुनाव और उसमें पिछड़ी जातियों के उम्मीदवार

*६६—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वी० एल० डब्ल्यू० के उम्मेदवारों का चुनाव जौनपुर जिले में किस कमेटी के द्वारा होगा और उसके कौन-कौन से सदस्य होंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम सेवकों का चुनाव जौनपुर जिले में नहीं होगा ।

*६७—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या यह सही है कि जौनपुर जिले में पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों के प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे ? यदि हां, तो उनके कितने-कितने प्रार्थना-पत्र आये तथा चुनाव कब तक होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जौनपुर जिले से पिछड़ी जाति के १८१ और अनुसूचित जाति के ३८ प्रार्थना-पत्र आये हैं । चुनाव कब होगा यह अभी विचाराधीन है ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कुल कितने स्थानों के लिये यह चुनाव होने वाला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सारे प्रदेश में आरजी उम्मीदवार इस विषय में मुकर्रर किये हैं और कैसे चुनाव होगा और किस स्थान पर चुनाव होगा इसका निर्णय डेवलपमेंट कमिश्नर करेंगे । ऐसा समझा जाता है कि कमिश्नरी के स्थान पर ही यह चुनाव भी करेंगे ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—मैंने यह पूछा कि ऐसे कितने स्थान हैं जिनके लिए चुनाव होगा ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय संख्या तो बता नहीं सकता ।

*६८-६९—श्री बसन्तलाल—[२ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रान्तीय रक्षक विभाग के स्थायी कर्मचारी

*७०—श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४९ से ले कर १९५५ तक प्रान्तीय रक्षक विभाग में कितने कर्मचारी स्थायी हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१८।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनमें से कितने हरिजन मुस्तकिल हुए हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मेरे पास इस समय इसकी सूचना नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस विभाग में कितने अस्थायी कर्मचारी हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बाकी के जितने बचे वे सब अस्थायी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बतायेगी कि प्रान्तीय रक्षकदल के जो कर्मचारी अब तक स्थायी नहीं किये जा सके हैं उनमें ऐसे कितने हैं जो दस वर्ष से अधिक से काम कर रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कम से कम [†]११३ के बारे में मुझे जानकारी है उनके विषय में भी आदेश जारी किये जा चुके हैं कि उनको अस्थायी कर दिया जाय।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कर्मचारी स्थायी किये गये हैं उसका क्या आधार है और जो नहीं किये गये उनको क्यों नहीं किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी जो स्थायी किये गये हैं वे सीनियर थे तथा उनके विषय में उनके अधिकारियों ने सिफारिशें की थीं। वैसे और भी लोगों के बारे में सिफारिश हैं परन्तु वित्त विभाग जब-जब कुछ विषयों के संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर देता है, तब-तब स्थायी बनाने का प्रश्न आता है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उस पर निर्णय लेता है। निर्णय लेने के पश्चात् आदेश जारी किये जाते हैं।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सही है कि स्थायी करते वक्त उन कर्मचारियों का ध्यान नहीं रक्खा गया जो कार्य करने में चतुर थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह बात बिलकुल गलत है।

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो लोग स्थायी किये गये हैं उनकी अधिक से अधिक कितने सालों की सर्विस हो चुकी थी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कदाचित ९-१० साल की सर्विस उन लोगों की थी।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो कर्मचारी स्थायी बतलाये गये हैं वे किस रैंक के हैं?

---

†यह संख्या सभा सचिव श्री बलदेव सिंह आर्य के ९—४—५६ के वक्तव्य के अनुसार शोधित है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मब के बारे में केडर तो नहीं बना सकता। कुछ गजटेड रैंक के थे और कुछ नान गजेटेड रैंक के थे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी——क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह विभाग अस्थायी है या स्थायी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——अभी अस्थायी है।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)——जो लोग अस्थायी हैं क्या उनमें राजनैतिक पीड़ित भी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——उनमें राजनैतिक पीड़ित भी होंगे।

श्री जोरावर वर्मा——क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब यह विभाग अस्थायी है तो रक्षक दल के लोगों को कैसे स्थायी किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त——उनमें से कुछ लोग ऐसे विभागों से आये है जो स्थायी हैं। चूंकि अभी सारे विभाग के कैडर को स्थायी नहीं बनाया गया, इसलिये विभाग को अस्थायी रक्खा गया है। जब सारे कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय हो जायगा तब सारा विभाग स्थायी रूप मे कार्य करने लगेगा।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक के बारे में पूछताछ

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)——मैं एक बात जानना चाहता हूं कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन बिल के सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्री जी ने बतलाया था इस सदन मे छुट्टियों के पहले कि उसके सम्बन्ध में वह सूचना सदन को देंगे कि वह विधान सभा के सम्मुख आयेगा या नहीं और उस पर सुझाव भी मैंने दिया था क्योंकि रीजनल कौंसिल्स की भी बात उसमें आती है और उससे उत्तर प्रदेश का भी सम्बन्ध है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिलाकर एक रीजन बनेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या निश्चय हुआ है उस सम्बन्ध मे और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में क्या पत्र व्यवहार इसके सम्बन्ध मे हुआ है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)——जी, यहाँ तो वह नहीं पेश हो रहा है। बहस के लिए वह बिल हमारे लेजिस्लेचर मे नहीं पेश हो रहा है।

१९५१–५२ के अतिरिक्त अनुदानों के लिए मांग

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री धर्मसिंह)——अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय वर्ष १९५१–५२ के अतिरिक्त अनुदानों के लिये मांग उपस्थित करता हूं।

*उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ †खंड १५ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष——अब उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार जारी रहेगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)——अध्यक्ष महोदय, जो धारा १५ इस विधेयक की है जिसके द्वारा मूल अधिनियम में धारा २९ (क) बढ़ायी जा रही है उसमें यह व्यवस्था की जा रही है, उस धारा की उपधारा (१) में कि अगर

*१७ फरवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

†३ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

जिससे प्रतिकर पाना हो किसी को वह नियत अवधि के भीतर प्रतिकर न दे तो जिसको प्राप्त करना है वह जिला कलेक्टर को प्रार्थनापत्र दे सकता है और उसके बाद जिला कलेक्टर इस बात की व्यवस्था करेगा कि 'मालगुजारी' की तरह से वह धनराशि वसूल हो। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वह स्वतंत्ररूप से दो मनुष्यों में लेन-देन की बात थी। तो इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तो इससे चकबन्दी की व्यवस्था बदनाम होगी और दूसरे लोगों की गिरफ्तारी और फस्लों और प्रापर्टी की कुर्की होगी जिसमें काफी ज्यादतियां होने की संभावना है, और खासतौर से इस बात का भी ध्यान रखा गया है, इसमें ६ प्रतिशत सूद की व्यवस्था की गयी है। तो ६ प्रतिशत सूद काफी ज्यादा है और जिसके यहां प्रतिकर बकाया होगा वह इस बात की कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द दे दिया जाय ताकि सूद न देना पड़े। तो सरकार अगर सूद भी कम करती तो हम लोग इस बात पर विचार कर सकते हैं कि जिला कलेक्टर को उसका प्रार्थना-पत्र दे दिया जाय। तो २९ (१) में नियत अवधि सिर्फ नियम बनाने की जोड़ दी गयी है। इसमें विधान सभा के सामने यह नहीं पता चला है कि एक वर्ष या दो वर्ष, कितनी मियाद के बाद वह प्रार्थना-पत्र दे सकता है। तो मैं समझता हूं इसमें एक मियाद निश्चित कर देनी चाहिये कि इतने समय के बाद न दे सके तब जिला कलेक्टर कार्यवाही करे।

दूसरी बात यह है कि ६ प्रतिशत का सूद बहुत ज्यादा है। प्रतिकर पाने वालों के लिये मेरा तो सुझाव यह है कि दो या ढाई परसेंट काफी होगा। इसलिये मैं इस नयी धारा का इन दो कारणों से विरोध करता हूं और जो पहली व्यवस्था थी वही कायम रखी जाय और आपस में मनमुटाव और हार्डशिप पैदा करने की जरूरत न पड़े, तो अच्छा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं मूल अधिनियम की धारा २९ में जो २९ (क) १ और २ रखी गयी है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष—आप इस पूरी धारा का विरोध करना चाहें तो करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—जी हां, मैं कर रहा हूं। श्रीमन्, मूल अधिनियम में और इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जो उपधारा २ में यह लिख दिया है कि ६ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायगा, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सेविंग्स बैंक में सरकार ढाई परसेंट सूद देती है और कोआपरेटिव सोसाइटीज बैंक में अधिक से अधिक ५ रुपया देती है, तो मैं समझने में असमर्थ हूं कि जब कि किसान के गल्ले की कीमत और किसान की आमदनी दिन प्रति दिन घटती चली जा रही है ऐसी अवस्था में उनसे ६ रुपया ब्याज लिया जाय, यह कोई अच्छी चीज नहीं है। अच्छा यह होता कि यह व्यवस्था खत्म ही कर दी जाती और कोई अवधि निश्चित कर दी जाती कि उतने समय में रुपया देना पड़ेगा और न देने पर ढाई परसेंट ब्याज लिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस धारा का विरोध करता हूं।

***माल मंत्री (श्री चरण सिंह)**—अध्यक्ष महोदय, माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने यह फरमाया है कि अगर मुआविजे का मालगुजारी की तरह वसूल किये जाने का नियम रहा तो लोगों को तकलीफ होगी, क्योंकि कुर्की होगी, इसलिये जो पहले से इसके सिलसिले में कानून बना हुआ है वही रहना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, जिस आदमी को मुआविजा देना है उसको हम केवल इसी रेमेडी पर छोड़ दें कि वह एक रेगुलर सूट फाइल करे, उसकी अपील होती रहे तो परेशानी उसको हो जायगी। जिसको प्रतिकर पाना है, जिसकी फसल भी चली गयी और अब नालिश करता है, उसको एक्जीक्यूटिव कराता है, धक्के खाता फिरता है, बर्षों उसको लग जायंगे। यह एक दूसरी साइड है। यह जिसको कम्पेंसेशन पाना है, उसकी साइड है और रामनारायण जी कह रहे हैं कि जिसको देना है उससे बतौर मालगुजारी वसूल न किया जाय,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि उसको दिक्कत हो जायगी । अध्यक्ष महोदय, जिसको देना है उसे देना चाहिये क्योंकि वह फसल पा चुका है । उसे मौका दिया जाता है कि कितने दिनों के अन्दर दे दो । रूल्स के मुताबिक समय मुकर्रर किया जायगा ६ महीने, ८ महीने, सालभर और इसके अन्दर भी नहीं देता है उसको जिसकी फसल उसने ले ली तो हमको सोचना है कि जिसकी फसल चली गयी । उसको क्यों उसके ही रिसोर्सेज पर छोड़ दें कि वह डिग्री जारी करवाता रहे । क्या वह गरीब आदमी नहीं है और इसमें गरीब-अमीर का सवाल क्या है, किसान और गैरकिसान का सवाल नहीं है, वे सब एकसां है, सभी किसान है । तो दोनों ही रामसुन्दर जी और रामनारायण त्रिपाठी जी के तर्क मेरी समझ मे नहीं आये और मैं असहमत हूं ।

दूसरी बात यह कि जिस तरह से कल तकरीरें हुयीं और माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी पढ़कर आज आये होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा था लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे आज फिर वही बात दुहरानी पड़ रही है । माननीय त्रिपाठी जी फरमाते हैं कि इस सिलसिले में जो कायदे कानून बने हैं वही रहने चाहिये और बतौर मालगुजारी वसूल करने का संशोधन न किया जाय । मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले भी यही था । अब केवल यही हुआ है कि धारा २९ की उपधारा २ पहले थी—अब इसको हमने धारा २९ की उपधारा दो और तीन निकालकर और उपधारा तीन के शब्दों को बदलकर नई धारा २९ (क) कर दी । लेकिन बिलकुल यही लफ्ज थे कि अगर समय के अन्दर जो नियत किये जायं वह प्रतिकर न दें तो बतौर मालगुजारी के वसूल कर लिया जाय । तो अगर माननीय त्रिपाठी जी पढ़ने की तकलीफ गवारा फरमाते पहले ऐक्ट को, तो उन्हे जो सब काला ही काला दीखता है इस गवर्नमेंट का किया हुआ वह न दीखता ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, सूद वाली बात का जवाब नहीं दिया आपने । ६ परसेंट वाली वह बात है ।

श्री चरण सिंह—आठ आने के करीब पड़ा । उसकी फसल निकल गयी । क्यों आपको उस गरीब से हमदर्दी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १६

१६—मूल अधिनियम की धारा ३३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ३३ का संशोधन ।

"३३—(१) सहायक चकबंदी अधिकारी नियत रीत से चकबंदी का व्यय (cost) अवधारित करेगा और उसे उन व्यक्तियों में बांट दिया देगा (distribute) जिन पर चकबंदी-आज्ञा का प्रभाव पड़ता हो,

(२) यदि राज्य सरकार निर्णय करे तो वह आज्ञा दे सकती है कि चकबंदी व्यय की प्रथम किस्त के रूप में कोई निर्दिष्ट धनराशि, नियत रीति से, अग्रिम वसूली की जाय ।

(३) इस धारा के अधीन व्यय—रूप में देय धनराशि मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल की जायगी ।"

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा ३३ (१) के अन्त में निम्न प्रतिबन्धात्मक शब्द बढ़ा दिये जायं:—

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अवधारित रकम दो रुपये प्रति एकड़ से अधिक न होगी ।"

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

श्रीमन्, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से और सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोई काम करते वक्त एक सीमा और कोई एक सिद्धांत अवश्य निर्धारित करना चाहिये। सरकार जो भी काम करना चाहती है खेती-बारी के सम्बन्ध मे उस काम के बदले में कुछ लेना चाहती है। जब जमींदारी के खात्मे का सवाल आया तो राजस्व मंत्री जी ने दसगुना का नारा लगाया और सोचा कि दसगुना जमा करके सरकार का काम चलायेंगे और भूतपूर्व जमींदारों के लिये भी सम्पत्ति जमा कर सकेंगे। वह इरादा सरकार का टूटा और पूरा नहीं हुआ। उसी प्रकार सरकार के सामने सीरदारी का सवाल आया तो १५ गुना जमा करने का सवाल उठाया। अब चकबंदी का सवाल है तो उसमे यह कहा जा रहा है कि रुपया दो और रुपये के बदले चकबंदी होगी। यह बात उचित नहीं है सरकार को कुछ काम तो ऐसे करने चाहिये कि किसानों को कुछ न देना पड़े और सरकार जो करोड़ों रुपया लेती है उससे दे। जब जमींदारी थी तब आप का काम ८ करोड़ से चलता था लेकिन पिछले साल राजस्व मंत्री जी ने ही एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि २३ करोड़ ९० लाख की आमदनी प्रदेश की है। सीरदारी के बाद कितना फायदा हुआ, मैं नहीं कह सकता। तो जब इतना मुनाफा खेतिहर किसानों से होता है तो उसमे कुछ हिस्सा तो उनको अब दे दिया जाय चकबंदी के सिलसिले मे। सरकार जो पैसा किसानों से लेती है उस पैसे का दूसरों पर खर्च किया जाना ठीक हिसाब नही है। यह कोई ठीक इंसाफ नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि जरा सा आप उन किसानों की ओर ख्याल कीजिये। बहुत कम किसान ऐसे है जो ज्यादा खेती जोतते है। अधिकतर किसान ऐसे है जिनके पास अलाभकर जोतें है। अलाभकर जोतों के लिये कांग्रेस ने कई मर्तबा प्रस्ताव पास किया कि अलाभकर जोत वालों से मालगुजारी भी नहीं लेंगे लेकिन आप उनसे चकबंदी के लिये भी पैसा मांग रहे है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय गेंदा सिंह जी का जो संशोधन है वह जो अवस्था आज किसानों की है, उसको देखते हुये है। खेतों के सम्बन्ध मे मैं कहूंगा कि उनकी अलग-अलग मिट्टी होती है, अलग-अलग पैदावार होती है। गांव के सारे खेत एक तरह के नहीं होते है। सब खेतों से एक तरह पैसा लिया जाय चकबंदी के लिये यह ठीक नहीं है। दो रुपये प्रति एकड़ का जो संशोधन हमने रखा है उसको माननीय मंत्री जी किसानों की गल्ले की पैदावार का ख्याल करते हुये स्वीकार करें।

*श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह जी का संशोधन तो यह था कि दो रुपये प्रति एकड़ लिया जाय। तकरीर जो हुयी वह यह हुयी कि बिलकुल न लिया जाय। अच्छा हुआ कि उन्होंने यह नहीं कहा कि दो रुपये प्रति एकड़ और दे दिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात इस सिलसिले में कहना चाहता हूं, दूसरी नहीं कहूंगा कि इस प्रदेश में टैक्स कहां से आयेगा। मासेज से आयेगा। खर्चा जो भी गवर्नमेंट का होगा, चाहे कंसालिडेशन का खर्चा हो, चाहे ट्यूबवेल्स का खर्चा हो, चाहे किसी भी काम पर खर्चा हो, वह जनता से आना है और हमारे यहां की जनता के माने है किसान। लिहाजा ये तकरीरें और यह तर्क कि वह गरीब किसान, वह कहां से देगा बिल्कुल बेमानी हो जाती है। सारा सवाल तो यह है कि यह गरीब किसान नहीं देगा तो और कौन देगा। इसमें, अध्यक्ष महोदय, गलफहमी है हमारे बहुत से लोगों को पढ़े-लिखे लोगों को ज्यादा, जिन्होंने अंग्रेजी ज्यादा पढ़ी है, क्योंकि अंग्रेजी की किताबें हमने पढ़ी जिनको लिखने वाले थे अमरीका और इंगलैन्ड के लोग। उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार सारी एकोनामिक्स की किताबें लिख डालीं। उनके यहां किसान मासेज नहीं है, क्लास है। वे किसान को, मोटर चलाने वाले को, बुलियन मर्चेन्ट को, साइकिल डीलर्स को या जो और लोग है इस तरह के उनको रेलीफ पहुंचा सकते है मासेज पर टैक्सेशन करके। अमरीका में १०० में १४ आदमी खेती करते है, इंगलैन्ड में ६ आदमी खेती करते है। तो उनके यहां ८६ फीसदी और ९४ फीसदी जो नान-ऐग्रीकल्चरिस्ट्स है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वे सलेस हैं। तो वहां किसान वनास है। वहां किसान को जो रिलीफ इंतजाम सकती है वह यहां नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यहां किसान मामेज हैं। सारा टैक्स उसी से आयेगा, अगर भला करना चाहते हैं देश का। खर्चा अगर इससे होता है ५, ६, ८ या ३ रुपये और यह कहा जाय कि वह खर्चा गवर्नमेंट अपने पास से ले आये तो हम ले आयेंगे। स्कूल बन्द कर देंगे अबकी बार जो हमको बनवाने हैं और अस्पताल नहीं खुलवायेंगे। लेकिन जो रुपया हम उधर लगा देंगे स्कूल और अस्पताल बन्द करके या और कहीं से निकाल कर अपने बजट में से, तो वह चाहे कहीं से हम लायें आयेगा वह किसान की जेब से ही। यह तो हो सकता है कि जो और जगह रुपया हम खर्च करना चाहते थे वह इधर उधर कर दें लेकिन रुपया दोनों के जेब में किसानों से ही आयेगा। इस मामूली और सीधी सी चीज को यदि रामसुन्दर जी पांडेय याद कर लें तो वे गलत तकरीर करना छोड़ देंगे।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—अध्यक्ष महोदय, यह बात माननीय माल मंत्री जी ने किसानों के लिये कही और अमरीका की मिसाल दी। वह अंग्रेजी जानते हैं और मैं तो देहात का रहने वाला हूं और गंवार हूं और श्रीमन्, जहां के रहने वाले हैं वहीं का मैं रहने वाला हूं। एक खेत में चार तरह की जमीन होती है दमट, मटियार वगैरा और उसी के मुताबिक पैदावार में फर्क होता है और उसी के मुताबिक हर चीज का फर्क होता है। यह कहना है कि वह टैक्स किसानों से ही लेंगे और किसान ही लेंगे और कौन देगा। जब आपकी दृष्टि इस तरह की है कि सिवाय किसानों के और कौन देने वाला है तो यह भी देखना है कि उसका हिसाब लेने वाला कौन है। अगर काश्तकारों की तादाद देखें तो छोटे काश्तकारों की तादाद लाखों से है और ५-१० एकड़ के काश्तकारों की तादाद उससे कम है और २५ एकड़ के काश्तकारों की तादाद बहुत ही कम है। जो काश्तकार १, २, ३ और ५ एकड़ के हैं वह तो मजदूर ही है।

अध्यक्ष महोदय, अगर उनकी पैदावार का मुकाबिला किया जाय तो मालूम होगा कि किस हिसाब से औसत पड़ता है। किसान अपने हाथ से खेती कर रहे हैं तो उनको मजदूरी तक बचाना मुश्किल हो रहा है। मैं सामान्य काश्तकार हूं। ५० बीघे जमीन रखता हूं। एक हल चलाता हूं, दो बैल रखता हूं और एक भैंस रखता हूं। अगर किसान के यहां पानी का इंतजाम नहीं है, नहर नहीं है, उसकी पैदावार का मुकाबिला करें और देखें कि एक हल चलाने वाला किसान २५ बीघे में खेती करेगा और खरीफ करेगा तो भैंस के लिये चारा भी बोयेगा और ४ बीघे में मक्का ज्वार वगैरा बोयेगा और चार बीघे में चारा बोयेगा। इस तरह से ८ बीघा जमीन निकल गयी और किसान के पास केवल १७ बीघा ही जमीन रह गयी। अब इसमें वह बाजरा, ज्वार वगैरा बोयेगा। अब हिसाब लगा लीजिये कि खरीफ की उसकी उपज क्या होगी। अच्छी से अच्छी पैदावार हो तो मन बीघे से ज्यादा बाजरा नहीं होता है। अब उसके काम देने वाले भी हैं जैसे नाई, बढ़ई, लोहार, धोबी, कुम्हार वगैरा सबको वह नाज ही देता है और इसके अलावा और कोई चीज उसके पास देने को नहीं है। इस तरह से उसकी खरीफ की पैदावार २५-३० मन से ज्यादा नहीं होती है। अब रबी की लीजिये।

श्री चरण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट आफ आर्डर पेश करता हूं कि यह सब हिसाब बतला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—थोड़ी देर आप सोशेलिज्म पर जरा व्याख्यान सुन लें। मेरे ख्याल में कम से कम खेती का हिसाब सुन लें।

(इस समय १२ बजकर १२ मिनट पर श्री अध्यक्ष के चले जाने पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये।)

श्री टीकाराम—अध्यक्ष महोदय, अब रबी की पैदावार लीजिये। ४ बीघे में वह जौ बोयेगा और दो बीघे में वह चारा वगैरा बोयेगा अब इस तरह से १९ बीघे रह गये जिसमें

[श्री टीका राम]

वह गेहूं, जौ, चना मटर वगैरा बोयेगा, अब कोई भी चीज बो ले उसकी उपज का औसत दो मन बीघा से ज्यादा नहीं पड़ता है। अब औसत रबी की पैदावार ६० मन से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस तरह से खरीफ की पैदावार को मिलाकर ८५/९० मन से ज्यादा नहीं होता है। अगर एक कुटुम्ब में खाने वाले केवल ५ आदमी ही लीजिये तो......

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मुझे मशिवरा दिया था कि मैं सोशेलिज्म का व्याख्यान सुन लूं। वह व्याख्यान मैंने काफी सुन लिया और अब मैं आप से अपील करता हूं कि अमेंडमेंट का उनकी तकरीर से वास्ता उतना ही है जितना कि एक भैंस का बैल से होता है यानी कहने का मतलब यह है कि कोई वास्ता नहीं है। आप सबका हिसाब बतला रहे हैं और गेंदा सिंह जी का संशोधन जिसे श्री पांडेय ने पेश किया यह है कि प्रति एकड़ दो रुपये से ज्यादा नहीं होगा। यदि छः एकड़ है तो १२ रुपये लिये जायंगे।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपने संशोधन पर ही बोलें तो अच्छा है।

श्री टीकाराम—मैं इसलिये हिसाब लगा रहा हूं कि किसान देगा कैसे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि वह मेरा हिसाब भी सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय, उसके घर में अगर ५ आदमी हैं उनको १२ छटांक आटा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि जेल के हिसाब से तो उनको देना ही चाहिये। तो ५ आदमियों के लिये ४ सेर आटा रोजाना चाहिये और महीने का ३ मन हुआ और साल भर का ३६ मन आटा हुआ जो एक साल के लिये उसको देना जरूरी है। इसके अलावा एक जोड़ी बैल और एक भैंस, तो इनको डेढ़ सेर तो दाना देना जरूरी ही है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि इस हिसाब से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री टीकाराम—तो इसका भार जमीन पर ही तो पड़ेगा। जब उसके पास बचेगा नहीं तो फिर वह कहां से देगा। उपाध्यक्ष महोदय, जरा मेरी बात को सुन लिया जाय। जब यह हालत हो गयी तो ३६ मन अनाज निकल गया। ४ मन बीज के लिये उसको चाहिये। तो कुल मिलाकर ४० मन अनाज उसको चाहिये अब। तेल की उसको जरूरत है साल भर के लिये। ३ मन सरसों चाहिये। कपड़ा उसके पास है नहीं तो अब माल मंत्री जी हमको बतलायें कि जब उसके पास रहता नहीं है तो वह किसान लायेगा कहां से आप सब उससे लेना चाहते हैं। रोटी भी तो उसको जिन्दा रखने के लिये आप दीजिये। मजदूर से अगर कोई किसान काम कराता है तो उसको भी तो वह मजदूरी देनी पड़ती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मजदूरी करके पेट पालते हैं। तो इस प्रकार के सब हिसाब को लगाकर मैं यह ठीक समझता हूं कि २ रुपये रखने का जो यह प्रस्ताव आया है उसको आप स्वीकार करें।

श्री चरणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय......

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय मंत्री जी अपनी इन्टरविनिंग स्पीच दे चुके हैं। उमाशंकर जी खड़े हुये थे तो उनको मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्यों को खड़ा होने का मौका दिया गया। अब मंत्री खड़े हो चुके हैं और मैं उनको बोलने के लिये पुकार चुका हूं।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई उसूल की बात नहीं है और न किसी व्याख्यान की जरूरत है। हम केवल यह रख रहे हैं यह पहले भी था उसमें

बोड़ प्रचेज कर रहे हैं। नियम में यह तय कर दिया जाय कि इतना खर्च होगा। इसके लिये नियम बना दिया जाय। गेंदा सिंह जी यह चाहते हैं कि दो रुपये से ज्यादा खर्च न हो। हम यह चाहते हैं कि डेढ़ रुपया हो जाय, १२ आने हो जाय लेकिन उसको पहले तय नहीं किया जा सकता कि इतना हो सकता है। यह हो सकता है कि इससे ज्यादा हो जाय २॥ रुपया हो जाय ? हो जाय या ३ हो जाय। पंजाब में ८ रुपया फी एकड़ वसूल किया जाता है। उन्होंने अपने यहां ८ रुपये का नियम बना रखा है। हम भी अब इसके लिये नियम बना रहे हैं। कम से कम रखने की कोशिश करेंगे लेकिन पहले से यह तय नहीं किया जा सकता है कि दो रुपया हो। इतना तो हमको दिखाई दे रहा है कि २ रुपये से ज्यादा होगा। यदि हम यह संशोधन मान लेते हैं तो खर्चे का बाकी हिस्सा पब्लिक एक्सचेकर पर पड़ जायगा और वह बहुत बोझ होगा। इसलिये मैं यह संशोधन मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं श्री टीकाराम जी की तकरार के सिलसिले में एक बात याद दिलाना चाहता हूं। एक खर्चा और एक आमदनी वह याद दिलाना भूल गये। भूसे से गोबर बनता है और उससे उपले बनकर बदायूं में बिकते हैं और दूसरे यदि किसान इलेक्शन में खड़ा हो जाय तो वह खर्चा भी भूल गये। तो ये बातें गैरमुताल्लिक हैं। जो किसान १ एकड़ जमीन का है और ३ रुपये खर्चा पड़ता है तो वह ३ रुपये देगा और जो २५ एकड़ का है वह ७५ रुपये देगा। जितनी जिसकी जमीन है उसके तनासुब से वह खर्चा देगा। हां, मैं माननीय टीकाराम जी की हिम्मत की तारीफ करूंगा कि उन्होंने यह समझकर कि वह किसी गांव में चौपाल पर व्याख्यान दे रहे हैं अपना व्याख्यान दिया, इसकी मैं जरूर तारीफ करूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी की दलील ऐसी नहीं हुई जिससे हम अपना संशोधन वापस ले लें। मूल अधिनियम में और दूसरे संशोधन विधेयक में यह था कि परताल का काम सहायक चकबन्दी अफसर करेगा परन्तु अब वह लेखपालों को दे दिया गया है अर्थात् ऊंची तनख्वाह वालों से लेकर काम नीची तनख्वाह वालों को दे दिया गया है। तो सरकार का खर्चा कम होना चाहिये। जब आप तहसीलदारों से लेकर काम लेखपालों को देते हैं तो खर्चा अवश्य कम होना चाहिये। उधर आप समय की भी कमी कर रहे हैं कि १५ दिन में हो। तो और भी कम खर्चा होना चाहिये। फिर इतना खर्च क्यों लिया जाता है, इसका जवाब मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से चाहूंगा। क्यों खर्चा ज्यों का त्यों रखा जाता है ?

माननीय टीका राम जी का व्याख्यान माननीय मंत्री जी से बरदाश्त नहीं हुआ। लेकिन उन्हें इसका खयाल करना चाहिये कि आप किस अनुपात से किसान से लेना चाहते हैं उससे ले कितना रहे हैं। मालगुजारी में आप कितना लेते थे और अब कितना ले रहे हैं, यह भी सोचना चाहिये। अलग अलग खेतों की पैदावार अलग अलग है, किसी की पैदावार १०० रुपये एकड़ है और किसी की २० रुपये एकड़ है। हमारे यहां बहुत से ऐसे गांव हैं जिनका सर्किल रेट २ रुपये एकड़ है और उसी के पास वाले गांव में १८ रुपये है। तो क्या कारण है कि चकबन्दी के लिये दोनों एक ही रेट से दें ? यह संशोधन इसलिये रखा गया है कि चूंकि अब सरकार का खर्चा कम हो गया है इसलिये इसका खर्चा २ रुपये से ज्यादा न लिया जाय। सरकार को हर काम में दूकानदारी नहीं करनी चाहिये। कुछ काम किसान के लिये ऐसा भी करना चाहिए जिससे उसे यह महसूस हो कि सही मानों में सरकार उसके लिए कुछ कर रही है। सूद दर सूद किसान से वसूल नहीं करना चाहिये। मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों तरफ का ख्याल करें, अपने खर्चे का और साथ साथ किसानों का भी। २ रुपये से ज्यादा किसी तरह से भी चकबन्दी का खर्चा नहीं लेना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे संशोधन को मान लें।

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष——प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा ३३ (१) के अन्त में निम्न प्रति-बन्धात्मक शब्द बढ़ा दिये जायं :——

"परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अवधारित रकम दो रुपये प्रति एकड़ से अधिक न होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ——

पक्ष में——८

विपक्ष में——७४।)

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)——उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के इन शब्दों को सुनकर मुझे यह विश्वास हुआ है कि वे किसानों को बहुत धनिक समझते हैं और उन्होंने यह भी तय कर रक्खा है कि उनसे पैसा वसूल किया जायगा। उनके ये शब्द हैं कि हमारे प्रदेश की जनता के माने ही किसान हैं। और यह कहना कि जो टैक्स भी लगते है वे सब किसानों के ऊपर ही जायेंगे यह कह कर उनके ऊपर टैक्स की भरमार करते जाना ठीक नहीं है। इसलिये मैं अपना यह कर्त्तव्य समझता हूं कि माननीय मंत्री जी से किसानों की ओर से कुछ सिफारिश करूं। माननीय मंत्री जी की नीयत पर मैं विश्वास करता हूं। उन्होंने बहुत देशों के साहित्य को पढ़ा होगा, किताबों को छाना होगा तब वे धारा १६ को लाये होंगे लेकिन उन्होंने अपनी तैयार कराई हुई जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। उसको भी उन्हें पढ़ना चाहिये था, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्रदेश के १०० में ७३ किसान ऐसे है जो सालभर के लिये अपना खाना भी पैदा नहीं कर सकते हैं। उनके पास साधन नहीं है। अपने सालभर के खाने के लिये बच्चों को खानों और मिलों में मजदूरी करने को भेजते है, फाकाकशी करते है, एक वक्त खाते हैं, और अपना गुजारा करते हैं, उन्हीं किसानों के ऊपर माननीय मंत्री जी ने चकबन्दी का नया टैक्स शुरू कर दिया है। माननीय मंत्री जी को यह भी पता नहीं है कि चकबन्दी का टैक्स कितना होगा। इसलिये उन्होंने अग्रिम टैक्स लगाने की व्यवस्था कर दी है। इससे और परेशानी मालूम होती है। इस धारा के अनुसार जो नियमावली बनी है उसमें चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी कर्ता, पैमाइश करने वाला, मिट्टी के वर्ग बनाने वाले, चपरासी और लेखपाल आदि तमाम लोग होंगे जिनकी तनख्वाहें किसानों के ऊपर पड़ेंगी। मैं कतई इस हक में नहीं होता कि तीन खाते बनाये जायं यदि यह सरकार समूची व्यवस्था कर सकती, शांति कायम कर सकती। मैं तो यह कहता कि एक एक चक सबको दे दिया जाय और सब लोग अपने अपने चक में घर बनवा कर रहें लेकिन मुझे इस सरकार पर दया आती है। आज हालत ऐसी है कि अगर कोई आदमी अपने आदमियों और पशुओं के साथ अपने चक पर जाकर रहे तो दिन में ही उसको लूट लिया जाय। लिहाजा यह नामुमकिन है कि एक एक चक बनते क्योंकि इस सरकार की सही व्यवस्था नहीं है, यह सरकार तो एक नाममात्र की सरकार है। इसके राज्य में लोगों को निर्भयता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में एक तरफ तो सत्य का प्रचार महात्मा गांधी करते थे और दूसरी तरफ आज जब उनके लोग सरकार में बैठे हैं तो असत्य और अनैतिकता का बोलबाला है और खुले आम न्याय की कुर्सी पर बैठकर माल विभाग के कर्मचारी अन्याय कर रहे हैं। चकबन्दी एक अस्थायी व्यवस्था है जो कर्मचारी माल विभाग के चकबन्दी में लगे हैं उनकी नौकरी भी अस्थायी है और वह चाहते हैं कि जितनी देर तक इस काम को चलाया जा सके अच्छा है। नियमावली में यह भी लिखा है कि दफा ४ में जब एलान होगा कि चकबन्दी में यह क्षेत्र है उस वक्त से आखिर तक यह कर्मचारी गांव के किसानों के ऊपर लदे रहेंगे और एक एक दिन का एक एक पैसे का खर्च रोशनाई और कलम का खर्च सब किसान से लिया जायगा, दौरे आदि का सब खर्च वसूल किया जायगा। इस तरह से तो कोई लिमिट खर्च की नहीं रहेगी और वह दस रुपये प्रति एकड़ भी हो सकती है। नमूने के

और पर म आपको बतला दूं कि हमारे जिले की बगल मे सदर तहसील मे चकबन्दी हो रही है, वहां एक किसान को बताया गया कि तुम्हारा अमुक चक बन गया तो वह किसान घबरा कर कुये में कूद गया कि ऐसा खराब चक मुझे मिल रहा है। मैं तो यह हालत देखकर परेशान हो गया। वहां रिश्वत की इतनी भरमार है कि जितना यह सब खर्च या टैक्स होगा उससे पांच गुनी घूस वहां लोगों को देनी पड़ रही है और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि इसमे खर्च बढ़ेगा और दूसरी तरफ जब घूसखोरी भी बढ़ेगी तो वही हिसाब होगा कि चौबे जी बनने चले छब्बे बन गये दूबे। काश्तकार तो दोनों तरफ से लूटा जायगा बजाय इसके कि उस को चकबन्दी का लाभ पहुंचे और भी संकट मे फंस जायगा। जिस तरह से बटवारे में कहा जाता है कि जिस गांव का बटवारा होना है वह बिक जाता है। इसी तरह से मै समझता हूं कि किसानों को अपने खेत बेचकर ऐसी चकबन्दी में चक खरीदने पड़ेंगे।

माननीय मंत्री जी ने अमरीका और रूस के चक पढ़े होंगे और वहीं को तरह उन्होंने शायद वहां के समाज को भी सुव्यवस्थित समझ लिया है और वहीं की तरह वह यहां भी कानून लागू करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उस तरह की चीज यहां नहीं चल सकती। इसलिये मंत्री जी को फिर से पढ़कर एक नई धारा लानी चाहिये कि जिससे किसानों पर कम बोझ पड़े और एक बार फिर मैं उनके हृदय को अपील करता हूं कि वह जिस सरकार मे हैं अच्छा हो कि वह जरा जमींदारी उन्मूलन कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ें जो उन्हीं लोगों की स्वयं बनाई हुयी है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हमारे यहां १०० में से ७३ किसान साल भर के लिये खाना नहीं पैदा करते और वह मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन किसानों से चकबन्दी के लिये कोई अग्रिम या कोई कर न लिया जाय। इस तरह की व्यवस्था की जाय कि चकबन्दी उनके लिये मुफ्त की जाय, वह मालगुजारी तो देते ही हैं आप टैक्स लेते हैं किस काम के लिये वह तो इसी व्यवस्था के लिये आप लेते हैं। इसलिये आप उसके मुफ्त चक बनाइये और न बना सकें तो यह अग्रिम वसूल करना आप अवश्य रोकें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खंड १९ का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। खंड १९ में ३३ (१) और (२) उपधारायें जोड़ी गई। इनमें दो तरह की व्यवस्था है कि चकबन्दी में जो व्यय पड़ेगा चकबन्दी आफिसर उसको बांटेगा। दूसरी में यह कहा गया है कि राज्य सरकार यदि निर्णय करे तो चकबन्दी व्यय की प्रथम किस्त अग्रिम वसूल कर ली जाय। मैं इन दोनों व्यवस्थाओं का सख्त विरोध करता हूं। श्रीमन्, मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा यह विश्वास है कि वे इसको जानते भी हैं कि किसान को वे प्रत्यक्ष कर देने के लिये जो मजदूर कर रहे हैं, इसके अलावा उसको अप्रत्यक्ष कर भी देना पड़ता है। उसको अच्छा खेत और जितना खेत है, उतना खेत प्राप्त करने के लिये कई जगह देवी देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इसकी जानकारी मेरा ख्याल है कि राजस्व मंत्री को है। लेकिन राजस्व मंत्री प्रत्यक्ष कर की ओर ध्यान देते हैं, अप्रत्यक्ष कर की ओर ध्यान नहीं देते। मैं समझता हूं कि जिस नियत से आप चकबन्दी करने जा रहे है, उस चकबन्दी का फायदा उठाने के पहले उसे पहले अपना खेत देना पड़ेगा और खेत देने के बाद चकबन्दी का फायदा मिलेगा। श्रीमन्, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि किसी तरह से भूमिधरी में बहुत से किसानों ने दस गुना जमा किया और अपने खेतों को बन्धक रख दिया उसी प्रकार से टैक्स उसको देना होगा और टैक्स देने के पहले उसको बन्धक रखना पड़ेगा। यह तो प्रत्यक्ष कर देना ही होगा, और देवी देवताओं की पूजा भी करनी ही होगी। उसके लिये भी श्रीमन्, वह मजबूर होता है और राजस्व मंत्री जी अगर चाहें तो हजार, दो हजार सबूत दूं। लेकिन यह सरकार उसके पक्ष में निर्णय नहीं करती है, बल्कि उन्हीं अधिकारियों के पक्ष में निर्णय करती है जो कि किसान को लूट रहे हैं और इस चकबन्दी योजना को कलंकित कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पहले वसूल करने की योजना उपधारा में बढ़ाई गई है यह बहुत ही खराब है। कोई आदमी ऐसा नहीं करता है,

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

न्याय भी नहीं है कि पहले ही कीमत दे दी जाय किसी सामान की, घर में चीज आये या न आये। यह राजस्व मंत्री जी की योजना है कि उस गांव या उस किसान की चकबन्दी हो या न हो लेकिन रुपया पहले वसूल कर लिया जाय। किस लिये वसूल किया जाय, क्यों वसूल किया जाय, इसका कोई तरीका होना चाहिये। यह कोई दूकानदारी नहीं होगी। अगर पहले पैसा जमा करता है तो उसको लाभ होना चाहिये। उसको यह लाभ होना चाहिये कि जो सरकार मालगुजारी वसूल कर रही है, प्रत्येक्ष कर ले रही है उसमें कमी होनी चाहिये। लेकिन सरकार बिलकुल हठवादिता पर तैयार है, वह टैक्स में कमी करने के लिये तैयार नहीं है।

मै राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे शिकमी किसान के पक्ष में बहुत हैं लेकिन शिकमी किसानों के पक्ष में रहते हुये, शिकमी किसानों से सरकिल रेट से दूनी मालगुजारी वसूल करवा रहे हैं। मै पूछना चाहूंगा कि जो किसान सरकिल रेट की दूनी मालगुजारी दे और टैक्स भी अदा करे, और उसी किसान पर सरकिल रेट का ख्याल न करते हुये इस तरह से अप्रत्यक्ष कर लिया जाय इसको सरकार को सोचना चाहिये। यदि नियोजन मंत्री माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी इस बात को कहते तो कुछ आश्चर्य न होता क्योंकि उनको किसानों के बारे में जानकारी नहीं है, किसान किस तरह से मेहनत करते है, कैसे गल्ला पैदा करते है, किस भाव से गल्ला बेचते है, क्या क्या दिक्कते होती है। उसकी माननीय नियोजन मंत्री को पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन माननीय राजस्व मंत्री चौधरी चरणसिंह जी, मै समझता हूं कि किसानों से ज्यादा संबंध रखते है, वह वहां पर इस तरह का विधेयक पेश करते है और जब उसका विरोध होता है तो विरोध में इस तरह से जमे रहते है, तो तकलीफ होती है हमारे ऐसे आदमियों को। सरकार शिकमी किसानों के साथ इतना हमदर्दी दिखलाती है और उनको राहत देने के लिये कानून बनाती है लेकिन उनसे पहले ही टैक्स वसूल करना चाहती है। इससे उनकी क्या हालत होने वाली है? मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को इस धारा के संबंध में बहुत संजीदगी के साथ सोचना चाहिये और श्रीमन्, अगर सरकार चाहती है कि चकबन्दी योजना सफल हो तो इस धारा को निकाल देना चाहिये। टैक्स का वसूल करना बिलकुल अन्याय है और अन्याय की बातें लोकतंत्रात्मक सरकार के आदर्श के विरुद्ध होती है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि खंड १९ को माननीय राजस्व मंत्री जी इस विधेयक से निकालने की कृपा करें।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता तो यह है कि कांग्रेस सरकार की भूमि सम्बन्धी नीति बिलकुल निराधार है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि अगर छोटा किसान है तो उसको चार रुपये के हिसाब से छोटी रकम देनी पड़ेगी और जो बड़ा किसान है उसको बड़े रकबे के हिसाब से बड़ी रकम देनी पड़ेगी। छोटे बड़े का सवाल ही नहीं है। अभी हाल ही में विधान परिषद में विरोधी दल के नेता ने यह प्रश्न उठाया था कि ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कायम कर दिया जाय, लगान न लिया जाय। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय सरकार की तरफ से माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने जवाब दे दिया कि वह तो कर जो लगता है वह ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और आमदनी का प्रश्न यहां नहीं छेड़ा जाना चाहिए क्योंकि जमीन के इस्तेमाल के बदले में वह कुछ रुपया दे दिया करते हैं। यह लफ्ज उनके थे। अब यह प्रश्न उठता है कि जमीन किसकी है। इसके मानी यह है कि जमींदारी टूटने के बाद, उन्होंने यह मंजूर कर लिया कि जमीन सरकार की है, सरकार खुद जमींदार है और किसानों को कोई हक नहीं है जमीन पर। तो सरकार किस हिसाब से टैक्स लेती है। आमदनी का टैक्स तो हो सकता है। लेकिन जब सरकार खुद जमींदार है, जमीन का मालिक किसान नहीं है तो फिर उनसे एक ऐडिशनल बर्डेन के रूप में क्यों रुपया वसूल करने जा रही है? माननीय राजस्व मंत्री इसको भी स्पष्ट कर देंगे कि सरकार जमींदार है या किसान मालिक है और किस हिसाब से ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का विरोध किया जाता है और उससे लगान लिया जाता है। ऐसी सूरत मे जब कि

सरकार मालिक है तो मालिक सरकार हो और चकबन्दी का खर्चा किसान से वसूल किया जाय यह बिलकुल नामुनासिब बात है ।

दूसरी बात यह है जैसा कि माननीय टीकाराम जी ने बताया, ८ करोड़ ५६ लाख रुपया सिर्फ दो रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हो जाता है तो क्या सरकार का इरादा है कि पूरा बजट इसी से पूरा कर लें एक साल का क्या केवल चकबन्दी से ही वह सारा रुपया पूरा कर लेना चाहती है ? सरकार को इस सम्बन्ध में सफाई करनी चाहिए । यह प्रश्न किया जाता है कि देने वाला कौन है, किसान की चकबन्दी हो रही है तो देने वाला कौन है और हम बताते बताते थक गये कि देने वाला कौन है । अगर मान लिया जाय कि सरकार की योजना के मुताबिक दस करोड़ रुपया का सवाल है, चार रुपये के हिसाब से किसान से दस ग्यारह करोड़ रुपये के वसूल करने का सवाल है । इस सदन मे बार-बार कहा जा चुका है कि केवल ६६ मिल मालिक ऐसे है हमारे सूबे मे, जिनको कि सालाना २० करोड़ रुपये का फायदा हुआ करता है, तो ६६ आदमी एक तरफ और सारे सूबे के किसान, जिसमे माल मंत्री स्वयं कहते है कि जब हम जमीन के बटवारे का प्रश्न उठाते है तो कहते कि ७३ फीसदी किसान ऐसे है जिनके पास ५ बीघे से कम जमीन है । तो उन लोगों से क्यों नहीं लिया जाता ? और इस प्रकार गरीब जनता से आंख मूंद कर के टैक्स लगाना हर प्रकार से बहाने बाजी करना, इस तरह का सरकार का रवैया निन्दनीय है और मै समझता हूं कि यह ज्यादा नहीं चल सकती ।

पुरानी बात को क्या याद दिलायें, राजस्वमंत्री जी तो है नहीं, माननीय शर्मा जी हैं, वह भी कांग्रेस ऐग्रेरियन कमेटी के मेम्बर थे और उन्होंने इस बात की घोषणा की थी अनइकोनोमिक जोतों पर लगान नहीं लगेगा, जो अनार्थिक खेत है उन पर लगान नहीं लगेगा, वह भी आपने माफ नहीं किया और अब चकबन्दी पर भी टैक्स लगाना और सरकार का मालिक बनना कहां तक बर्दाश्त किया जा सकता है, कहां तक उनकी कमर तोड़ी जा सकती है । तो ऐसी हालत में यह धारा निकाल दी जाय और सरकार ने स्वयं घोषणा की कि चकबन्दी का सारा खर्चा सरकारी खजाने से होगा क्योंकि राजस्व मंत्री जी ने कहा कि सरकार जनता की है, खास कर गरीब किसानों की, तो फिर १७ करोड़ का खर्चा लगाना कहां तक न्याय-संगत है ? अगर दूसरे से लेना होता तो बात दूसरी थी लेकिन जब किसान सारे बजट का भार बर्दाश्त करता है तो फिर यह टैक्स लगाना मुनासिब नहीं है । आपका बहुमत है, कनसौल-डेटेड फंड से जितना रुपया चाहें निकाल लीजिये उसके लिये परमानेंट कायदा आपने बना रखा है । तो आपको ऐसी कौन सी कमी पड़ गई कि पहले से टैक्स लेना शुरू करें ? पहले ले लीजिये और उसके बाद कहिये कि कम खर्च हुआ तो फिर जनता को रुपया वापस लेने में भी तरह तरह की परेशानी बर्दाश्त करनी पड़ती है । सरकार से रुपया लेने में माननीय सदन को मालूम है कि कितनी परेशानी होती है । इस तरह से एक ऐसी व्यवस्था रख देना जिससे अनर्थ ही अनर्थ हो, मैं नहीं समझता कि इसका क्या तुक है । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय माल मंत्री जी इस १६ वीं धारा को वापस ले ले ।

*श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, यह जो धारा १६ है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया कि इसमें जो यह धारा है कि पेशगी ले ली जायगी यह तो धारा बड़ी गलत है । माननीय त्रिपाठी जी ने बताया कि गवर्नमेंट को रुपये की कमी तो हो नहीं सकती । या तो मंत्री जी कहें कि उनके खजाने का दिवाला हो गया है, तब तो ठीक है । लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी खजाने का दिवाला हो गया । तो इस तरह से पहले रुपया ले लेना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

किसानो से और अगर्चे वह रुपया मान लीजिये श्रीमन्, दो ही रुपया खर्च हुआ और मंत्री जी ने ४ रुपया पहले ले लिये तो वह २ रुपया वापस करने में जो दिक्कत होगी वह किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह से सरकार ने एक दफा हुक्म दिया कि गन्ने पर दो आने मन के हिसाब से पैसा कटे और इस लिये कटे कि जब किसान को जरूरत पड़ेगी तो वह दिया जायगा। आज ४,५ साल हो गये लेकिन आज भी किसान रोज दौड़ कर आते हैं खजाने पर और उसको वह रुपया वापस नहीं होता। बहुत से किसानों को एक कौड़ी नहीं मिली है। कभी कह दिया जाता है कि रुपया ही नहीं है। इस तरह से बहुत परेशानी पैदा कर दी जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि यह जो इसमें धारा है कि अगोड़ लिया जायगा यह कहां तक मुनासिब है? माननीय मंत्री जी को इस किस्म की धारा इसमें नहीं रखनी चाहिये थी।

दूसरी चीज यह कि कुछ ठीक नहीं कि कितना रुपया आ जाय और फिर कितना खर्च हो, यह कहा नहीं जा सकता। और मैं समझता हूं कि इस धारा के रखने से खर्चा बढ़ेगा ही। और इसी लिए बढ़ेगा कि जो लोग कि चकबन्दी में काम करते हैं वह ज्यादा तर टैम्पोरेरी स्टाफ है, सब टैम्पोरेरी स्टाफ है। तो टैम्पोरेरी स्टाफ तो चाहेगा कि जितने दिन हमारा काम लगा रहे उतना ही अच्छा है। वह हमेशा ही चाहेगा ऐसा। अगरचे परमानेन्सी उनकी नौकरी में होती तो वह सोचते कि चलो जल्दी काम को खत्म करो। लेकिन जब टैम्पोरेरी स्टाफ है तो वह हमेशा इस बात की कोशिश करेगा कि जितने दिन हम इसको ले चलें उतने दिन हमारी सर्विस रहेगी। इस तरह से जितने ही दिन ज्यादा वह इसको बढ़ाने का प्रयत्न करेगा उतना ही ज्यादा खर्चा बैठेगा और वह सब किसानों के मत्थे जायगा। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि सरकार को इन धाराओं को हटाना चाहिए और चकबन्दी तो ठीक है। चकबन्दी का तो कोई विरोध करता नहीं है। लेकिन इस तरह की धारायें रख कर किसानों को तकलीफ पहुंचाना यह उचित नहीं है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि इन धारा को वह इस में से अलग कर दे।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चकबन्दी का विरोध नहीं करना है, यह तो सबको मान्य है। चकबन्दी में खर्चा होगा। इसमें दो रायें हो नहीं सकतीं। यह खर्चा कहां से आये? जनता से आयेगा तो जिस जनता का विशेष फायदा उससे है उसी से आना न्यायोचित है। इस न्यायोचित बात को मानने के लिए विरोधी दल के माननीय सदस्य तैयार नहीं हैं। उन्हें 'बकरी की तीन टांग' कहनी ही है जब कि चार होती हैं। अब इसका क्या जवाब दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ४२ का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४२ में शब्द "सहायक संचालक (चकबन्दी)" तथा "सहायक चकबन्दी संचालक" के स्थान पर "उपसंचालक चकबन्दी" रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १८

१८— मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

उ० प्र० अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ४८ का संशोधन।

"४८—चकबंदी संचालक किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि मध्यस्थ (Arbitrator) से भिन्न उस अधिकारी ने जिसने उस मामले का निर्णय किया है या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, किसी ऐसे क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) का प्रयोग किया है, जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान (substantial) अनियमितता पूर्वक आचरण किया है, तो वह उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उपर्युक्त समझे।"

अभिलेख मांगने तथा आदेशों का पुनर्वीक्षण करने का चकबंदी संचालक का अधिकार।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, खंड १८ इस प्रकार है—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ४८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

"४८—चकबन्दी संचालक किसी मामले या कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकता है, यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि मध्यस्थ (अर्बीस्ट्रेटर) से भिन्न उस अधिकारी ने जिसने उस मामले का निर्णय किया है या उस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है, किसी ऐसे क्षेत्राधिकार (जूरिस्डिक्शन) का प्रयोग किया है, जो उसे विधितः प्राप्त नहीं था या विधितः प्राप्त किसी अधिकार-क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया है या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में अवैध रूप से या सारवान (सबस्टैंशियल) अनियमितता पूर्वक आचरण किया है, तो वह उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।"

उपाध्यक्ष महोदय, एक तो संचालक चकबन्दी हमारे प्रदेश में है। और इसमें भी कई जिलों में चकबन्दी हो रही है और आगे के लिए भी सरकार की व्यवस्था है। तो यह धारा जो पहले ही थी और अब सुधरे हुए रूप में इसको फिर रखा जा रहा है इसमें पहली बात तो यह है कि मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में इस अधिकार का प्रयोग किया गया या नहीं किया गया और अगर मामले उन्होंने मंगाये और आर्डर्स दिए तो किस किस प्रकार के दिए। दूसरे किसी एक अधिकारी को ए० सी० ओ० और सी० ओ० और उसके अलावा आर्बीट्रेशन की व्यवस्था है, तीन अधिकारियों के अलावा इनको एकाधिकार देना इस बात का कि चाहे जिस कार्यवाही को मंगा सकता है या उसकी पूरी फाइल को मंगा सकता है, क्योंकि ऐसे अधिकार को देने की जरूरत पड़ी? मैं यह भी यहां कहना चाहता हूं कि सरकार बेबुनियाद के अख्तियार लेकर और बेजरूरत के अख्तियार लेकर हमारे अधिकारियों को भी परेशान करती है और ख्वामख्वाह उनके ऊपर बोझा डालती है और फिर कांग्रेस पार्टी का रवैया यह है कि वह सरकार और पार्टी में कोई फर्क ही नहीं समझती। तो इस किस्म के रवैये को बदलने की जरूरत है और बेजा मदाखलत किसी किस्म की नहीं होनी चाहिये। इसीलिए उस बेचारे संचालक चकबन्दी को यह अधिकार देकर और फिर प्रेशर डाल कर उसको मुसीबत में डालने की क्या जरूरत थी? इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि उनको यह अधिकार न दिया जाय। यह एक उसूल की बात है कि क्यों उनको ऐसा अधिकार दिया जाय और मुसीबत डाली जाय। तो इन वाजूहात से मैं जो धारा १८ के द्वारा उनको एक्सट्रा एक्जिक्यूटिव पावर्स दी गयी है किसी केस की फाइल मंगाने की उसका विरोध करता हूं, और माननीय माल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इसे निकाल दें ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके।

*श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने, जब जनरल डिस्कशन का प्रस्ताव आया कि इस संशोधन विधेयक पर विचार किया जाय, उस पर अपना ऐसा ही ख्याल जाहिर किया जो कि उन्होंने अब जाहिर किया है और मैं उस समय जवाब दे चुका था। अगर उसके बाद भी उन्होंने तकरीर करना जरूरी समझा तो मेरी बदकिस्मती है और मैं क्या कहूं ? जो जवाब मैंने पहले दिया था उसी को देता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—कितनी फाइल्स उन्होंने मंगाई ?

श्री चरण सिंह—जवाब यह है कि यह कोई एक्सट्राआर्डिनरी काम नहीं हुआ। एक्सट्रा आर्डिनरी पावर्स नहीं दी जा रही हैं डायरेक्टर चकबन्दी को। जो सिविल प्रोसेजर कोड में है कि हाईकोर्ट को रिवीजन की पावर हासिल है कि अगर नीचे की अदालत ने जूरिस्डिक्शन को ठीक तरह से एक्सरसाइज नहीं किया गया और गलत एक्सरसाइज कर लिया, अपने जूरिस्डिक्शन से बाहर वह चले गये या सबस्टैंशल कोई बदउनवानी कर ली, इर्रेगुलरिटी हो गयी, तो हाईकोर्ट को यह अधिकार होगा कि चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, मुंसिफ हो, मैजिस्ट्रेट हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, उनकी फाइल को मंगाकर जैसा उचित समझे स्वयं आर्डर दे दें। यह सिविल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन है। उसी प्रकार का अधिकार डायरेक्टर आफ कंसालिडेशन को देने जा रहे हैं। देने नहीं जा रहे बल्कि पहले से था कि किसी मामले की पत्रावली को मंगा सकते हैं और अब हम कहते हैं कि प्रोसीडिंग को मंगा सकते हैं। तो "प्रोसीडिंग" शब्द को बढ़ा रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। यह धारा तो पहले से पास हो चुकी है, मंजूर हो चुकी है, अधिनियम की चीज है, केवल केस के अलावा प्रोसीडिंग और कर रहे हैं। तो कौन सी नयी बात हो गयी ? हाईकोर्ट तक को यह हक है, डायरेक्टर को पहले से था, उसमें प्रोसीडिंग नहीं थी। कुछ कानूनी कार्यवाही ऐसी होती है जो केस की डेफिनीशन में नहीं आती, प्रोसीडिंग में आती है। हां, एक उलाहना माननीय राम नारायण त्रिपाठी को देना चाहिये, उन्होंने कहा नहीं। उनको यह नुक्ताचीनी करनी चाहिये थी कि यह गवर्नमेंट बड़ी निकम्मी है, इसको इसे पहले से रखना चाहिये था। वह न करके, जो स्वयं मंजूर कर चुके है, उसी को काटना शुरू कर दिया।

अब रहा कि एक आदमी को इतना अधिकार क्यों दिया जाय और कितनी पत्रावली और फाइल्स मंगाई है कैसेज की, तो मैंने इसको जानने की जरूरत नहीं समझी। मुमकिन है ५–७ बमुश्किल तमाम केसेज हुए हों, क्योंकि यह तो आखिर में जब कि नीचे की अदालतों में बावजूद अपील वगैरह के खास लोगों को फैक्ट्स वगैरा की गलती हो जाय तो यह कार्यवाही होगी। अगर फैक्ट्स को मंगाने वाली बात पास की गयी होती तो सेकेंड अपील हो जाती, यह तो जुरिस्डिक्शन का सवाल है। ए० सी० ओ० या सी० ओ० ने वह जुरिस्डिक्सशन एक्सरसाइज कर लिया जो उसमें नहीं था या उसको एक्सरसाइज नहीं किया जो उसमें था तो ऐसे केसेज रेअर होते हैं। कोशिश तो यह है किसानों के साथ न्याय हो उसी के लिये कानून बनाया गया है और डायरेक्टर कंसालिडेशन की ईमानदारी और निष्पक्षता में मुझे विश्वास है और जो कोई डायरेक्टर रखा जायगा उस पर विश्वास रहेगा, जब तक उस पर विश्वास है तब तक वह रहेगा लिहाजा मैं पूछता नहीं हूं उससे कि कितने केसेज उसने मंगाये कितने नहीं मंगाये और क्यों नहीं मंगाये, मैं यह कभी नहीं पूछता। होना यह चाहिये कि केसेज के बाद शब्द कार्यवाही या प्रोसीडिंग रख दिया जाता लेकिन हमने पुराना सेक्शन निकाल कर उसके एवज में यह रख दिया था। माननीय त्रिपाठी जी को वह लम्बा लगने लगा और एतराज हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो खंड है सदन उस को स्वीकार करेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १९

१९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५२ के स्थान पर निम्नलिखित उ० प्र० रख दिया जाय :—

अधिनियम सं० ५, १९५४ की धारा ५२ का संशोधन ।

"५२—धारा २७ के अधीन नये नक्शे और अभिलेख तैयार होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य सरकार सरकारी गजट में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रचारित करेगी कि गांव में चकबन्दी क्रियायें समाप्त कर दी गयी हैं और तदुपरान्त उक्त गांव चकबन्दी क्रियाओं के अधीन न रहेगा ।"

चकबंदी क्रियाओं की समाप्ति ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नया खण्ड २०

श्री श्रीपतिसहाय (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १९ के पश्चात् निम्नलिखित खंड २० के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

"२०—धारा ५४ की उपधारा (२) में खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (णण) के रूप में बढ़ा दिया जाय :—

(णण) परिस्थितियां तथा विषय जिन पर चकबन्दी व्यय को बांटने में विचार किया जायगा और जिनमें वह अनुपात भी समाविष्ट है जिसके अनुसार उक्त व्यय बांटा जायगा ।"

श्री चरण सिंह—मुझे स्वीकार है। इसमें केवल इतना है...

श्री उपाध्यक्ष—ठहरिये, इसमें एक संशोधन पर संशोधन है ।

श्री उमाशंकर—इसमें एक अमेंडमेंट में अमेंडमेंट पेश करना चाहता हूं ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। माननीय श्रीपति सहाय जी ने खंड १९ के बाद नया खंड २० रखना चाहा है। मूल अधिनियम के अन्दर खंड २० है। उसकी जगह रखा जाता तो बात थी यह अनियमित है और माननीय मंत्री जी इसको मंजूर भी करने जा रहे हैं तो ऐसी सूरत में यह समझ में नहीं आता कि यह कैसे होगा ?

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह तो इस विधेयक के सम्बन्ध में है, जो धारा ५४ रूल मेंकिंग सेक्शन है उसमें अमेंडमेंट है। १९ तक इसमें है। उसके बाद २० का नया खंड होगा। अब क्या १९, २० भी बताना पड़ेगा ?

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन् सदन में कोरम नहीं है।

श्री उपाध्याय—अभी कोरम की भी कमी बतलाई जाती है ।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ ।)

श्री उमाशंकर—श्रीमन्, मैं पहले उस संशोधन का कितना हिस्सा मानता हूं और उसके आगे जो जोड़ना चाहता हूं वह कहता हूं :

"परिस्थितियां तथा विषय जिन पर चकबन्दी व्यय को बांटने मे विचार किया जायगा और" उसके बाद वाला मैं निकाल देना चाहता हू और उसके स्थान पर यह रखना चाहता हूं "अलाभकर जोतों पर कोई व्यय नहीं लगाया जायगा।"

श्रीमन्. मै कई बार कह चुका हूं, जैसा कि इस सदन मे जितने माननीय सदस्य बैठे हैं सबको मालूम है कि राज्य मे ऐसे किसान जो दिन रात मेहनत करते है और काम करते हैं उन्हीं के पास अलाभकर जोते है।

श्री चरण सिंह—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर पेश करना चाहता हूं। जो संशोधन माननीय श्रीपति सहाय जी ने दिया है वह तो धारा ५४ में जो नियम बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को देती है उसमें है। तो उसमे अब यह बढ़वा रहे हैं कि वे हालात कि जिनमें खर्चा लगाया जाय और आपस मे जो टैन्योर होल्डर्स पर तकसीम किया जाय उसका अनुपात इस नियम से तय हो सकता है। तो यह संशोधन जो है वह यहां बैठता कहां है। रूल मेकिंग पावर वाला जो सेक्शन है उसमे आप कही यह कर सकते हैं कि अलाभकर जोतों से न लिया जाय या कितना लिया जाय। यह यहां आउट आफ आर्डर है यह मैं अर्ज कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य इसके समर्थन में कुछ कह सकते है कि यह संशोधन यहां क्यो आना चाहिये ?

श्री उमाशंकर—इस संशोधन में यह है कि परिस्थितियां तथा विषय जिन पर चकबन्दी व्यय को बांटने में विचार किया जायगा, और मै यह कहता हूं कि इसके आगे यह और बढ़ा दिया जाय कि "अलाभकर जोतों पर कोई व्यय नहीं लगाया जायगा।"

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जो संशोधन इस वक्त पेश है उसके साथ यह असंगत सा होता है।

अब प्रश्न यह है कि खंड १९ के पश्चात् निम्नलिखित खंड २० के रूप मे बढ़ा दिया जाय :—

"२०—धारा ५४ की उपधारा (२) में खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (णण) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

(णण) परिस्थितियां तथा विषय जिन पर चकबन्दी व्यय को बांटने में विचार किया जायगा और जिनमें वह अनुपात भी समाविष्ट है जिसके अनुसार उक्त व्यय बांटा जायगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नया खंड २० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

कुछ प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

यह आवश्यक है कि आगे प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित किया जाय;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ। १—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक का अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरण सिंह—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (तृतीय संशोधन) विधेयक १९५५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के अननुमोदनार्थ संकल्प

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ४४ के अनुसार निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर संशोधन अध्यादेश, १९५६ जिसके द्वारा जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं जैसे अन्न, नमक, कपड़ा आदि पर भी कर लगाया व बढ़ाया जा रहा है, अत्यन्त अयुक्तियुक्त तथा अवांछनीय है। अतएव यह सदन उक्त अध्यादेश का घोर विरोध करते हुये उसका अनुमोदन नहीं करता है।"

श्रीमन्, पहली अप्रैल एक ऐसा दिन है जब कि लोग आपस में ब्रिटिश परम्परा के अनुसार कुछ मजाक भी करते हैं। हम सब लोग जब कि होली की छुट्टी में घर गये हमको यह पता नहीं था कि सरकार उसी पहली अप्रैल के दिन हम सभी लोगों के पीछे और सामने एक इस प्रकार की भद्दी मजाक करेगी कि जब विधान सभा का सेशन चल रहा हो और केवल हम होली की छुट्टी के लिये अपने घर गये हों, एक इतने महत्वपूर्ण अध्यादेश की शक्ल में बोझे को बिना किसी पूर्व जानकारी के हमारे ऊपर लाद देगी। यह हमारे वैधानिक अधिकारों के प्रति एक गम्भीर मजाक समझी जा सकती है। यह बात सही है कि अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदय ने यह हमको बताया कि ९॥ करोड़ रुपये का घाटा होने वाला है और वह सेल्स टैक्स और दूसरे टैक्सों से उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

घाटे को पूरा करने वाले हैं। कहीं पर भी हमको यह स्पष्ट नहीं बताया कि यह सेल्स टैक्स किन मदों पर वह बढ़ाने वाले हैं। इसका कोई पता उस समय विधान सभा को नहीं हुआ। जब हमने इस सदन में पूछा बजट प्रस्तुत होने के समय कि कौन से टैक्स बढ़ने वाले हैं और सेल्स टैक्स किन मदों पर बढ़ने वाला है तो वित्त मंत्री ने हमसे जो कहा उन गूंजते हुये उनके शब्दों को असेम्बली की कार्यवाही में छपे हुये देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिना सदन की इत्तिला दिये हम कोई सेल्स टैक्स बढ़ाने की कार्यवाही करने वाले नहीं हैं। आखिर सदन को इत्तिला देने का क्या यही तरीका है कि हमको पता न हो और एक वैधानिक मर्यादा के विपरीत हो या न हो लेकिन यह कांस्टीटच्यूशन की स्प्रिट के विरुद्ध है कि इस प्रकार से आर्डिनेंस लाया जाय। उस आर्डिनेंस को लाने के लिये कौंसिल को प्रोरोग किया गया। मैं साफ कहना चाहता हूं कि उस आर्डिनेंस को लाने के लिये कौंसिल को प्रोरोग किया गया जिसमें इस प्रकार के टैक्सेज का प्रस्ताव किया जाने वाला था। हमने उस समय सन्देह प्रकट किया था कि कोई न कोई आर्डिनेंस लाने वाले हैं। हमको पता नहीं था कि सरकार इस हद तक जा सकती है। यह तो पार्टी के मेम्बरों के प्रति भी एक प्रकार से अविश्वास है क्योंकि हमको सन्देह है कि अगर यह बिल की शक्ल में आया होता तो शायद पार्टी के अन्दर यह बिल पहले ही ठुकरा दिया गया होता। जब पहले सन् १९४८ में यह यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट यहां पर पेश हुआ था तो उस समय फुड ग्रेन्स पर, तेल पर और किरोसिन आयल पर भी टैक्स लगने वाला था लेकिन जब वह सेलेक्ट कमेटी में गया तो सेलेक्ट कमेटी ने एक मत से खाद्यान्न, तेल वगैरा पर जो टैक्स लगने वाला था उसको ठुकरा दिया। उस समय पन्त जी भी यहां पर मौजूद थे। उसको समाप्त कर दिया इसी सदन की सेलेक्ट कमेटी ने तब इस प्रकार की चीज बिल के रूप में आयी और ठुकरा दी गयी। सरकार को वह दिन याद होगा और सरकार को यह ख्याल होगा अगर हम बिल लायेंगे तो सदन उसको ठकुरा देगा, सेलेक्ट कमेटी उसको ठुकरा देगी। अब बजाय उसके गवर्नर महोदय ने प्रेसीडेंट महोदय के इंसट्रक्शन्स से एक आर्डीनेन्स जारी किया। हमको नहीं मालूम कि वे इंसट्रक्शन्स क्या है। बम्बई की गवर्नमेंट ने भी एसेन्शियल कोमोडिटीज ऐक्ट के मातहत प्रेसीडेंट महोदय से टैक्स बढ़ाने की आज्ञा चाही थी तो उनको जो प्रेसीडेंट महोदय के इंसट्रक्शन्स आये वह यह थे कि आप जो टैक्स बढ़ाना चाहते हैं उसमें मल्टी पाइन्ट टैक्स लगाने से जो रुपया आपको प्राप्त होगा उतना रुपया उससे अधिक नहीं होगा जितना सिंगिल पाइन्ट से हुआ है। इस प्रकार के आदेश बम्बई की सरकार को दिये गये थे। लेकिन इस आर्डिनेंस में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस आर्डिनेंस के सम्बन्ध में प्रेसीडेंट ने गवर्नर महोदय को क्या आदेश दिये हैं। वे इंस्ट्रक्शन्स क्या थे और क्यों थे, उसमें नहीं बताया गया है।

सरकार ने एक सेल्स टैक्स कमेटी बनायी थी जिसमें माननीय परिपूर्णानन्द जी, माननीय बालेन्दु शाह तथा विरोधी दलों के और लोग भी उनके प्रतिनिधि रूप में थे। यह कमेटी जनवरी सन् ५५ में बनायी गयी थी। उसके टर्म्स आफ रिफरेंस में वे सभी चीजें मौजूद थीं कि किन मदों पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय, किन पर घटाया जाय, सेल्स टैक्स ऐक्ट में कौन सी तब्दीलियां की जांच और कौन सी न की जायं। इस प्रकार से ११ बातें उसके टर्म्स आफ रिफरेंस में थीं। अब इस सेल्स टैक्स कमेटी के दो हिस्से हुए। "ए" सब कमेटी और "बी" सब कमेटी। "ए" सब कमेटी जिसके कुंवर गुरु नारायण जी अध्यक्ष थे, उसने प्रान्त के मुख्य मुख्य केन्द्रों का दौरा किया जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, आदि और वहां के व्यापारियों के प्रतिनिधियों से, जनता के प्रतिनिधियों से मिले और लोगों की गवाहियां लीं, यह जानने के लिये कि उसके बारे में लोगों की राय क्या है। बाद में उस कमेटी ने मुख्य कमेटी को अपनी रिपोर्ट दी।

मुख्य कमेटी ने उसकी एक रिपोर्ट पर तो विचार कर लिया है लेकिन अभी कमेटी की रिपोर्ट फाइनेलाइज नहीं हुई, जो कि फाइनेलाइज होकर शीघ्र ही सरकार के सामने आने वाली है। लेकिन सरकार ने बिना उसका इन्तजार किये इस प्रकार का यह आर्डिनेंस लाना उचित समझा। मैं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह मांग करूंगा कि सेल्स टैक्स आर्डिनेंस निकालने से पहले कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार तो कर लिया जाना। सब कमेटी ने जो रिपोर्ट इतनी छानबीन करके तैयार की है उसको ही प्रकाशित कर दिया जाय ताकि प्रदेश की जनता को यह मालूम हो जाय कि किस तरह से जनता की भावनाओं के विरुद्ध अथवा उनके अनुसार यह आर्डिनेंस लाया गया है। मुझे तो इसमें बुनियादी ऐतराज यह है कि यह आर्डिनेंस नैतिक दृष्टिकोण से, विधान की मर्यादा के दृष्टिकोण से, सदन की परम्परा के दृष्टिकोण से अनैतिक, अमर्यादित और सदन की परम्पराओं के लिये अशोभनीय है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे आशा है कि इस आदरणीय सदन के सदस्य एकमत होकर, जो हमारे वैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, हमारे पीछे जो इतना महान् अध्यादेश लागू कर दिया गया है, उसका खुले दिल से विरोध करेंगे।

अब उस अध्यादेश को देखिये और उस अधिनियम को देखिये। इस अध्यादेश के द्वारा उसमें जो परिवर्तन किये गये हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे प्रदेश की जनता और उसकी वित्तीय स्थिति पर आधार रूप से कुठाराघात करते हैं। प्रदेश के जो कामन मैन हैं उनकी जेब पर बिना किसी सिद्धान्त के, बिना किसी उसूल के, एक प्रकार से डकैती डाली गयी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की किस सिफारिश के आधार पर आज यह आर्डिनेंस लाया गया है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इस सूबे की किस फाइनेन्शियल कमेटी की सिफारिश से यह लाया गया है? क्या अर्थ मंत्री जी के पास इसका कोई उत्तर है? किस प्रकार से जीवन की कितनी आवश्यक वस्तुओं पर एकबारगी यह टैक्स दुगुना किया गया है। २ पैसे से बढ़ा कर एक आना किया गया है जैसे बीडी पर, कपड़े पर, होजियरी गुड्स पर जूट गुड्स पर, किरोसीन आयल पर, चमड़े पर दियासलाई पर, वनस्पति पर बुलैन गुड्स और न मालूम कितनी और जरूरी चीजें इसमें रख दी गई हैं। इसके अलावा नया बिक्री कर कागज, फूड ग्रेन्स जैसी चीजों तक पर लाद दिया गया है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो पहले से एगजेम्पशन की लिस्ट थी उसमें ५७ आइटम्स थे जो सेल्स टैक्स से बरी थे लेकिन अब वह केवल ३३ रह गए हैं। अब तो गुड़ पर, किताबों पर कागज पर, बुलेन गुड्स पर, नमक पर, ईंट पर, सीमेंट पर सभी चीजों पर लगा दिया गया है। देखना है कि जो आर्टिकिल्स अब तक एगजेम्पटेड थे उन पर एकबारगी ३ पैसे के रेट से सेल्स टैक्स लगाया जाय यह कहां तक उचित है। टैक्सेबिल टर्नओवर को भी १५,००० से घटा कर १०,००० कर दया गया है और जो बाहर के इम्पोर्टेड गुड्स का टर्नओवर है उसकी भी लिमिट समाप्त कर दी गई है। इनके साथ साथ जो सिंगिल प्वाइंट सेल्स टैक्स था और जिसका जिक्र धारा ३ में है और केवल मोटर पार्ट्स, रिफ्रिजरेटर्स, सिनेमेटोग्राफ गुड्स आदि पर १ आने के हिसाब से लगाया जाता था लेकिन अब तमाम वस्तुओं पर १ आना लगा दिया गया है। इसी प्रकार का संशोधन धारा ३ (ए) में है। संक्षेप में, इस प्रकार के परिवर्तन करना अत्यन्त आश्चर्यजनक है और वह भी अकस्मात् और यकबारगी कर डालना तो और भी खेदजनक है। यहां हवाला मद्रास और बिहार का दिया जाता है कि वहां भी फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स है लेकिन देखना यह है कि वहां पर यह सेल्स टैक्स किस वक्त लगाया गया था। मद्रास में पहली बार सन् ३९ में वह लगाया गया था जब कि वहां हमारी हुकूमत नहीं थी, देश का विधान नहीं बना था और कोई एसेन्शियल कमोडिटीज ऐक्ट नहीं था, तो वहीं वह आजाद होने के बाद नहीं पहले से ही लगा था और इसी तरह से बिहार में भी अक्तूबर सन् ४४ में यह टैक्स लगाया गया था और आजादी होने और विधान बनने के बाद वहां कोई टैक्स किसी फाइनेन्शियल ईयर में नहीं आया।

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—अब वह वहां पर है या हट गया?

श्री नारायणदत्त तिवारी—हटाता कौन है? अगर हटा लें तो इससे अच्छी क्या बात होगी? मद्रास भी हटा लें इससे अच्छी और क्या बात वहां के लिए हो सकती है? तो मदरास और बिहार में आजादी के बाद, विधान के बाद नहीं लगाया गया, वह उससे पहले ही लगाया गया था लेकिन एसेन्शियल गुड्स ऐक्ट पास होने के बाद यह, सूबा पहला अभागा प्रदेश है जहां पर फूड ग्रेन्स पर कैरोसिन आयल पर, नमक पर, दियासलाई पर, कागज पर, घी पर और तमाम जरूरी चीजों पर कर लगाया जा रहा है और एकबारगी लगाया जा रहा है। अगर आप मदरास की आमदनी शराब या एक्साइज की देखे तो वहां उससे ४२ लाख रुपया मिलता है अगर वह बम्बई मे केवल ९७ लाख रुपया है जब कि इस प्रदेश की आबकारी की आय ५ करोड़ ४४ लाख है। आप के यहां प्रोहिबिशन उस माने में नहीं है जैसा कि बम्बई या मदरास में है। मद्रास मे फूड ग्रेन्स पर आजादी से पहले से ही लगा है और बम्बई मे फूड ग्रेन्स पर आज तक नहीं लगाया गया है। उनमे २ प्वाईन्ट सेल्स टैक्स लगा हुआ है लेकिन फूड ग्रेन और कैरोसिन आयल पर मल्टपिल टैक्स लगा है और बम्बई के उस व्यापारिक नगर में अहमदाबाद मौजूद है। बिहार, बम्बई, मद्रास से इस राज्य की तुलना नहीं की जा सकती है इसलिये कि आप देखे कि हमारे यहां लेन्ड रेवेन्यु से कितना ज्यादा आमदनी है जब कि यू० पी० मे ५३—५४ मे १८ करोड़ ९२ लाख आमदनी थी, वहां बिहार में ३ करोड़ १९ लाख, बम्बई मे ७ करोड़ १२ लाख और मद्रास मे ७ करोड़ ३६ लाख आमदनी थी। तो उन राज्यों मे जहां पर लैन्ड रेवेन्यू से इतना कम रुपया मिलता हो उनकी तुलना उत्तर प्रदेश से नहीं किया जा सकता जहां कि लन्ड रेवेन्यु से बहुत अधिक रुपया मिलता हो। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है। हमारी राज्य सरकार इसीलिये कहती आयी है कि इंडस्ट्रीज की यहां बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिये यहां परकैपिटा टैक्स का इंसिडेंस वह नहीं हो सकता जो कि बम्बई, मद्रास या बंगाल में है। इस दृष्टिकोण से इस सेल्स टैक्स को बढ़ाये जाने की प्रणाली उचित नहीं है। टैक्सेशन इंक्वारी कमीशन ने फूडग्रेन्स के बारे मे सिफारिश की थी कि अगर कोई राज्य अपनी हालत को देखकर अपनी वास्तविकता को देख कर अगर फूड ग्रेन्स में या इसी प्रकार की चीजों में मल्टपिल प्वाईन्ट सेल्स टैक्स लगा भी दे तो वह हाफ परसेंट के रेट पर होना चाहिये। आप परसेंटेज लगाये जो रेट हमारी सरकार ने अनाजों पर लगाया है यह कितना अधिक है। मद्रास में केवल तीन पाई फी रुपया है और हमारी सरकार ६ पाई से शुरू कर रही है माननीय मंत्री बतलाये इसका क्या कारण है? टैक्सेशन एंक्वायरी कमीशन कहता है कि १०० में ८ आने और आप चाहते है रुपये में ६ पाई। यह किस सिद्धान्त या किस सिफारिश के आधार पर है इसका कोई पता नहीं। किसी भी राज्य ने आज तक यह गुस्ताखी या हिम्मत नहीं की है कि कैरोसिन आयल या नमक पर टैक्स लगाये। मैं इस सेल्स टैक्स के बारे में, साल्ट के बारे मे टैक्सेशन इंक्वारी कमीशन के दो एक जो उद्धरण है उनको अवश्य पढ़ना चाहता हूं, वाल्यूम एक, पेज १९९ पर लिखा हुआ है—

> "A tax on salt is regressive also for the reason that its consumption, considered as an article of human food, is for the most part inelastic and hence its incidence falls heavily on the lower income groups. Moreover, since persons engaged in manual labour physisiologially stand in need of a larger quantity of salt in their diet than others, the burden of the tax would be greater for such persons not merely in relation to income but absolutely."

इसका अनुवाद है कि नमक पर जो टैक्स है वह प्रातिक्रियवादी इस मानी में है कि जो उसके उपभोक्ता है वे कम आमदनी वाले ग्रुप में आते हैं, उन्हीं पर भार पड़ता है और वे शरीरिक मेहनत करने वाले व्यक्ति है उनको नमक की ज्यादा आवश्यकता होती

हैं अपने श्रम के दृष्टिकोण भी। इसलिये इस टैक्स का बर्डेन उन पर ज्यादा पड़ता है। आगे चल कर इंक्वायरी कमीशन कहता है—

"The political aspect of the question is not irrelevent to a discussion of the salt tax as fiscal measure. Taxes are levied in order that revenue may be raised and the collection of revenue as an administrative problem presupposes a reasonable degree of responsiveness on the part of those who are required to pay it. A tax which may provoke widespread resentment and evoke popular resistance, whatever its merits, must to that extent be regarded as an undesirable tax. From all that we have heard in the course of our enquiry, this is a consideration which applies particularly to the salt tax and we think that it would be a serious mistake of judgement to ignore it."

कमीशन कहता है कि जो राजनैतिक दृष्टिकोण है साल्ट टैक्स का, उसको भी इनको ध्यान में रखना है। एक ऐसा टैक्स जिसका आम तौर पर विरोध हो और जो जनता की ओर से विरोध की भावना पैदा करे उसके सम्बन्ध में मेरिट्स पर चाहे कितनी ही सही बात हो, उसको फिर भी एक प्रकार से अवांछनीय टैक्स माना जाना चाहिये। इसलिये जो कुछ हमने अपनी गवाहियों में सुना है नमक पर खासतौर से टैक्स लगाना और अनाजों को छोड़कर इन सब भावनाओं का ख्याल न करना एक गम्भीर भूल होगी। नमक टैक्स के बारे में टैक्सेशन एंनक्वारी कमीशन की यह राय है। श्रीमन्, अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक पीछे एक महा-मानव की मूर्ति, हम विराजमान देखते हैं, मैं अपने सरकारी मित्रों से जो ठीक मेरे सामने बैठे हुए हैं जरा यह अपील करना चाहूंगा कि जरा घूम कर उनके चेहरे की तरफ देखें और याद करें कि उन दिनों जब हमने और आपने सबने धर्सना मार्च और डांडी मार्च किया और तमाम शहरों और देहातों में, सारे देश में, नमक सत्याग्रह किया और नमक बनाया और नमक के टैक्सेशन के विरोध में आवाज लगायी। जरा एक क्षण के लिए अपने दिलों में गम्भीरतापूर्वक सोचें। किस प्रकार प्रेसीडेंट महोदय ने इस पर दस्तखत कर दिये ? मैं समझता हूं कि प्रेसीडेंट राजेन्द्रप्रसाद जी के पास यह आर्डिनेंस गया ही नहीं होगा। शायद उनके सेक्रेटरी ने इस पर दस्तखत कर दिये होंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि प्रेसीडेंट महोदय ने दस्तखत किये होंगे। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार उस कैबिनेट की मोहर इस पर लगी है जिसके आज मुख्य मंत्री माननीय सम्पूर्णानन्द विराजमान हैं, उनके दस्तखतों से यह आर्डिनेंस निकला है। लेकिन जो चीज अविश्वासनीय है, जो विश्वास करने योग्य नहीं है उसे आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। श्रीमन्, मैं उनकी याद ताजा करने के लिये गांधी जी का उद्धरण देता हूं। तेंदुलकर साहब ने गांधी जी की जो जीवनी लिखी है उसमें गांधी जी ने वायसराय को जो चिट्ठी लिखी थी उसके दो तीन वाक्य उद्धरित करना चाहता हूं:—

"But the British system seems to be designed to crush the very life out of him. Even the salt he must use to live is so taxed as to make the burden fall heaviest on him, if only, became of the heartless impartiality of its incidence. The tax shows itself more burden-some on the poor man, when it is remembered that salt is the one thing he must eat more than the rich both individually and collectively."

इसका अनुवाद मैं नहीं करता। मै पट्टाभि सीतारमैय्या ने जो कांग्रेस का इतिहास लिखा है उससे उद्धरित करना चाहता हूं—

"नमक तो उसके जीवन के लिए भी आवश्यक है। परन्तु उस पर भी कर इस तरह लगाया गया है कि यों दीखने में तो वह सब पर बराबर पड़ता है, परन्तु इस हृदयहीन निस्पक्षता का भार सबसे अधिक गरीबों पर पड़ता है। याद रहे कि नमक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी और मिलाकर भी अमीरों से गरीब लोग अधिक मात्रा में खाते हैं। इस कारण नमक कर का बोझा गरीबों पर और भी ज्यादा पड़ता है।"

यह अनुवाद पट्टाभि सीतारमैय्या जी का है। श्रीमन्, एक ही लाइन और उद्धरित करना चाहता हूं उस पत्र में से जो कि डांडी मार्च के समय गांधी जी ने वायसराय को लिखा था।

" I regard this tax to be most inequitious of all from the poor man's standpoint."

गरीब साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से मैं इस टैक्स को सब से अधिक इनक्विटस समझता हूं।

"It was open to Viceroy to disarm me by freeing poor man's salt, tax on which costs him five annas per year or nearly three days income."

वायसराय महोदय मेरी बात मान सकते थे, गरीब व्यक्ति को टैक्स को समाप्त करने के लिए, यह एक ऐसा टैक्स है जो पांच आने साल में वसूल होता है। इसमें उसकी तीन दिन की आमदनी चली जाती है। उस समय साल भर में पांच आने टैक्स लगता था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया। उस समय साल भर में केवल पांच आने टैक्स गरीब देता था और आज देखिये जो सेल्स टैक्स हम नमक पर लगाने जा रहे हैं वह कितना है, एक आना रुपया। उसका १९३१ में हम इंसीडेंस याद करें और आज कितना अधिक यह सेल्स टैक्स उस मात्रा मे नमक पर पड़ जाता है और गांधी जी के उन शब्दों को याद करें। श्रीमन्, मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं जिनसे मैं अपनी भावनाओं को सही रूप से व्यक्त कर सकूं। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि सेल्स टैक्स इनक्वायरी कमेटी की उस रिपोर्ट को बालायताक रख कर टैक्सेशन के सिद्धान्तों को बलायताक रख कर इस प्रदेश की वास्तविक स्थिति न देखते हुए, कि यहां टैक्स का इंसीडेंस कितना है, किस पर टैक्स लगना चाहिए, किस पर नहीं लगना चाहिए, किस पर टैक्स बढ़ना चाहिए, किस पर नहीं बढ़ना चाहिए, इन सिद्धान्तों का बिना विचार किये हुए इस सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया। आने वाला इतिहास बतायेगा कि अगर सरकार ने अपने दृष्टिकोण को संशोधित नहीं किया, जिसकी आशा बहुत कम है, यह आशा अवश्य है कुछ गांधी जी के आदर्शों का कुछ अंश हमारे हृदयों में विद्यमान है, तो शायद कुछ असर आ जाय। लेकिन अगर यह भी न हुआ तो स्थिति बड़ी भयावह मालूम होती है।

मैं अन्त में श्रीमन् सदन के माननीय सदस्यों से यही निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न दल का नहीं है, या पार्टी या विरोध का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है कौन टैक्स लगाया जाय कौन न लगाया जाय। इस दृष्टिकोण से इस अध्यादेश को देखते हैं, अपनी वैधानिक स्थिति के अनुसार देखते हैं तो एकमत से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस अध्यादेश को ठुकराना, इसको वापस करवाना यह हम सब के प्रजातान्त्रिक अधिकारों की एकमात्र कसौटी है।

श्री अध्यक्ष—(श्री अवधेश प्रताप सिंह से) आप अपना प्रस्ताव या तो संशोधन के रूप में उपस्थित कर सकते है अथवा जो नारायण दत्त तिवारी जी ने उपस्थित किया है उसका समर्थन करके उसको आप पूरा कर सकते है। दोनों के शब्द करीब २ मिलते-जुलते हैं। तो आप क्या उचित समझेंगे?

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, यह फौर्म तो इसका कोई बदला नहीं हुआ है, फौर्म तो एक ही है जो पहले से एजेन्डे पर....।

श्री अध्यक्ष—जो आपका प्रस्ताव है अगर आप उसको पेश करना चाहते हैं तो मैं उसको उसके लिये सब्स्टीटयूट अमेंडमेंट के फार्म में ले लूंगा कि आपका यह

संशोधन है कि फलां-फलां प्रस्ताव के शब्दों के बजाय यह शब्दावली रखी जाय। या दूसरा तरीका यह है कि मैं आपको भाषण देने की इजाजत दूं और आप समर्थन करें माननीय नारायणदत्त जी के प्रस्ताव का।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, मैं इसमें अमेंडमेंट मूव कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर आप अपना प्रस्ताव पेश कर दें। उसको मैं मान लूंगा कि वह संशोधन है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि प्रस्तुत संकल्प को निम्न रूप में रख दिया जाय—

"सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ जिसके द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर अनावश्यक कर लादा जा रहा है, जैसे अन्न तथा नमक इत्यादि पर, उस अध्यादेश का सदन घोर विरोध करते हुए अनुमोदन नहीं करता है।"

श्री अध्यक्ष—आपके १५ मिनट हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—श्रीमन्, यह तो कम होगा।

श्री अध्यक्ष—यह तो नियम में ही दिया हुआ है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, जब हम भारतवर्ष, इस प्रदेश में प्रजातन्त्र की दुहाई देते हों, जब उसको राम राज्य बनाने की इच्छा रखते हों वैसी परिस्थिति में ऐसे निन्दनीय कलंकित आर्डिनेंस का प्रादुर्भाव होना सर्वथा अनुचित है और महान् दुखदाई है। मान्यवर, यह निर्विवाद है, निर्विरोध है कि महामान्य राज्यपाल को यह अधिकार है अनुच्छेद २१३ (१) के अधीन कि वह आर्डिनेंस बना सकते हैं। परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब हाउस या हाउसेज सेशन में हों तो उस समय उनको यह अधिकार नहीं होता है। मान्यवर, यह सब को विदित है कि हम २४ मार्च को होली के लिए उठे और दूसरी तारीख को पुनः मिलने वाले थे। ऐसी परिस्थिति में उस आर्डिनेंस का आना सर्वथा अनुचित है और साथ ही साथ भारतीय संविधान की स्प्रिट के विरुद्ध है। मान्यवर, आपके द्वारा सदन का ध्यान अनुच्छेद १३ (१) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां तक महामान्य राज्यपाल को यह अधिकार है साथ ही साथ उनके लिए यह भी देखना परमावश्यक है कि वह इससे संतुष्ट हैं, इससे वह सेटिसफाइड हैं कि इस प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, एक ऐसी एमरजेन्सी है जिसकी वजह से वह आर्डिनेंस लावें।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मन्त्रिगण इसको सुन लें जब कभी किसी भी लेजिस्लेशन में लफ्ज "सैटिस्फैक्शन" लफ्ज आता है तो उसके माने हैं रीजनेबुल सेटिस्फैक्क्शन से। दूसरी बात उसके साथ-साथ हमको यह भी देखनी है कि जो आर्डिनेंस आता है, क्या वह इमर्जेन्सी ऐसी है कि जिसकी कसौटी पर यह देखा जा सके कि जो आर्डिनेंस बनाया जा रहा है वह औचित्यपूर्ण है। मान्यवर, मैं कपोलकल्पित या अपने मन से नहीं बल्कि आइन्दा चल कर इस सदन के सम्मुख रूलिंग रखूंगा और इसका विश्वास दिलाऊंगा कि यह सर्वथा अनुचित हुआ है और अवैधानिक है। मान्यवर, यह आपके द्वारा मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप यह न भूलें कि जब कि यह हाउस सेशन में था वह तो एक दूसरी वस्तु है लेकिन यह सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था कि इमर्जेंसी थी और दूसरी बात जो देखनी चाहिए थी वह यह है कि इमर्जेन्सी इस आर्डिनेंस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

को जस्टीफाई करती है या नहीं। मान्यवर इसके सम्बन्ध में मैं कुछ रूलिंग्स आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह रतनलाल वर्सेस स्टेट आफ बिहार केस है और जस्टिस सरजू प्रसाद का स्टेटमेंट है—

"The Ordinance in question has been promulgated by the Governor of the State of Bihar in exercise of the powers conferred on him by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India. Article 213 provides that when the Legislative Assembly of a State is not in session, or where there is a Legislative Council in a State when neither of the Houses of the Legislature are in session the Governor is entitled to promulgate Ordinace but before he does so, there are two conditions necessary: first is that the Governor should be satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action, and second is that he may promulgate such Ordinances as the circumstances appear to him to re- quire."

मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं उसी केस में चीफ जस्टिस स्टेट आफ बिहार जस्टिस मेरेडिथ का स्टेटमेंट भी पढ़ना चाहता हूं—

"For valid Ordinance, two conditions are necessary under Article 213 (1) that the Governor is satisfied that circumstances exist which require immeditate action, and (2) that in his opinion the circumstances require such an Ordinance as he promulgates."

श्रीमन्, इसके आगे वह लिखते हैं—

"This point at first glance may appear highly technical or even trivial. Yet, in my opinion, this is the rock upon which this Ordinance must be founded. A slender pinnacle of rock is sometimes the sharpest and most effective in sinking the ship. We are apt to lose sight of the importance of the point simply because we almost inevitably think of the matter in the light of the existing circumstances and the existing Ordinace, and find it difficult to ingnore the fact that the present Ordinance is quite clearly in appropriate to the circumstances."

श्रीमन्, सरकार के पक्ष में यह कहा जाता है या अभी नहीं तो कुछ देर बाद कहा जायगा कि अपर हाउस प्रोरोग हो चुका था तो गवर्नर महोदय को यह अधिकार था, यह उनके अधिकार क्षेत्र में था कि वह आर्डिनेंस बना सकें। श्रीमन्, जैसा कि मैंने आपके सम्मुख इन रूलिंग्स को रखा है उसके साथ-साथ उसकी यह दो कंडीशन्स भी लाजिमी हैं। देखना है कि हां, सचमुच इमर्जेन्सी है और इसी के साथ-साथ श्रीमन् कांस्टीटयुएंट असेम्बली में डाक्टर अम्बेदकर ने इसी आर्टिकिल के सम्बन्ध में यह कहा है कि कोई ऐसी इमर्जेन्सी एराइज होनी चाहिये और इसके पीछे सिद्धान्त ही यह है कि गवर्नमेंट को यह पावर दी जाती है कि यदि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाय जब कि कोई हाउस या हाउसेज सेशन में न हों, तब ऐसी इमर्जेन्सी की बात कही जा सकती है। लेकिन मैं सरकमस्टैंसिज को बताना चाहता हूं कि जब कि हम २४ तारीख को उठे और २ तारीख को पुनः मिल रहे थे, अपर हाउस प्रोरोग किया गया था कि और संभवतः मार्च के महीने में बहुत ही कम उदाहरण ऐसे होंगे जब कि अपर हाउस प्रोरोग हुआ हो। अगर गवर्नर महोदय को ऐसा करना ही था या सरकार की सम्मति पर उनको करना था तो वह इस हाउस को भी प्रोरोग कर सकते थे। लेकिन एक हाउस बैठा हुआ था। इससे इन्कार नहीं कि इस भवन की जो जिम्मेदारियां है

उनको हमें पूरी करना है। क्या कारण है, मैं इस पूरे सदन से पूछना चाहता हूं, कि सरकार ने हम से छिपाया? २८ फरवरी को जब बजट भाषण मंत्री महोदय ने यहां दिया था उसके बाद एक पूरा महीना उनके पास था और अगर यह कहा जाय सरकार की तरफ से कि सेंट्रल बजट हमारे सामने न था तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया, उसके बाद भी उनके पास काफी समय था जबकि वह सदन को बना सकते थे। और श्रीमन्, यही नहीं जब कि १६ अप्रैल को अगर हाउस फिर बुलाया जा रहा था। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन का यही सम्मान है? क्या यह सरकार हमारे अधिकारों की रक्षा इसी भांति करेगी कि जब हम जाग्रत हों, बैठे हों उस समय महामान्य राज्यपाल से आर्डिनेंस पास कराया जाय? यही नहीं, वे कौन से पदार्थ हैं जिनके ऊपर कर लगाया जा रहा है? वह अन्न और नमक है। क्या श्रीमन्, आज महात्मा गांधी का नाम याद करके, यह उस पक्ष में नहीं बल्कि हर भारतीय का सर क्या नीचे नहीं होता है? क्या उसमें लज्जा नहीं आती है? क्या उसमें पश्चाताप नहीं होता है? क्या धमनियों में अब रक्त नहीं रहा जो उन बापू की बातों को समझ सकें या याद कर सकें कि उस नमक के लिए हमने ब्रिटिश साम्राज्य से टक्करें लीं और क्या-क्या किया। आज इस सदन में बैठकर मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप निकम्मे हैं या सरकार निकम्मी है। हम सभी निकम्मे हैं। यह लांछन हम पर भी है। यह एक ऐसा विषय नहीं जिस पर पार्टी का ख्याल किया जाय। मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इसमें दल के प्रभाव से प्रभावित होकर आप अपना मन और विचार न प्रकट कीजिये। श्रीमन्, यह सच है कि जहां एक प्रजा की जिम्मेदारी है वहां हम एलेक्टर्स की भी जिम्मेदारी है। हम सभी चुनकर आये हैं। हमारा यह मुख्य कर्तव्य है कि आज उनके हकों की रक्षा करें। आज अन्न और नमक पर टैक्स लगा कर यह न समझा जाता हो कि इसका प्रभाव क्या होगा। श्रीमन्, यह मल्टी प्वाइंट टैक्सेशन है। इसका नतीजा यह होगा कि जितने हाथों में यह अन्न जाता है, जितने दूकानदार इसको खरीदते हैं या बेचते हैं उतना ही टैक्स लगा दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष——क्या आप कुछ समय ज्यादा लेना चाहते हैं?

श्री अवधेश प्रताप सिंह——जी हां।

श्री अध्यक्ष——चूंकि माननीय सदस्य ने एक स्वतंत्र प्रस्ताव दिया है, अगर वह नारायण दत्त जी से पहले लाते तो उनका अधिक वैधानिक था, जो माननीय सदस्य इस वक्त बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि, मैंने नारायणदत्त जी को अपने प्रस्ताव में संशोधन करने की इजाजत दी थी इसलिये यह संशोधन के रूप में आ गया है। तो मैं यह उचित और न्यायसंगत समझता हूं कि माननीय सदस्य को जो पूरा समय दिया जाता है, प्रस्तावक को २५ मिनट वह इनको दिया जाय। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी)

तो इसी तरह से अन्य दो माननीय सदस्यों के लिये भी मंत्रियों में से, मैं इजाजत दूंगा कि वह २५–२५ मिनट बोल सकें। इससे बराबरी हो जायगी।

श्री अवधेशप्रताप सिंह, आप जारी रखें।

श्री अवधेशप्रताप सिंह——मान्यवर, यह टैक्स का सर्वसिद्ध सिद्धांत है कि मल्टी प्वाइन्ट टैक्स जो होता है वह सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स से कम होता चाहिये।

मान्यवर, अन्न पर मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स लगाया जा रहा है। इसका असर यह होगा कि जितने दूकानदारों के हाथ से वह जाता है उतना उस पर टैक्स लगता जायगा। यही नहीं मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि उन गांवों में छोटा बनिया जो निरक्षर है, जो साक्षरता से मतलब नहीं रखता जो हिसाब-किताब नहीं रख सकते हैं उनके ऊपर इसका क्या असर होगा?

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

और किस तरह से उनसे हिसाब-किताब रखवा सकते हैं। श्रीमन्, इसका परिणाम यह होगा कि देहातों में भाव बढ़ते जायेंगे जो कि आप आज लखनऊ में ही अनुभव कर सकते हैं। आज बहुत से हमारे भाई वगैर शक्कर के चाय पाये होंगे बहुतों को आटा न मिला होगा, बहुतों को चावल न मिला होगा और वह ब्लैक मार्केटिंग जो फैली हुई थी उसका नज्जारा फिर हमको दिखाई दिया। वह छोटे-मोटे दूकानदार जो दूकान खोले थे उन्होंने अपने मनचाहे दाम लिये।

मान्यवर, मैं इसके साथ-साथ सरकार से यह भी जानना चाहूंगा कि इस टैक्स से वह कितना फायदा उठाने की सोचते हैं। साथ ही साथ वे यह भी बताने की कृपा करें कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में कितनी वृद्धि होने वाली है। यह सच है कि साढ़े नौ करोड़ का डेफीसिट बजट हमारे सामने है और मेरे पास सरकार की तरफ से कोई फैक्ट्स फिगर्स नहीं हैं लेकिन अंदाजा यह है कि शायद साढ़े पांच करोड़ इससे उनको मिलने वाला है। मैं मान्यवर यह कहना चाहता हूं कि जहां पर वे गल्ले पर मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्सेशन करें या नमक पर टैक्स लगाएं वहां अगर सरकारी विभागों में देखा जाय और केवल इस्टीमेट कमेटी के जो इशारे हैं उन पर ही सरकार गम्भीरतापूर्वक कार्य करे तो कम से कम दो करोड़ या इससे अधिक ही बचत हो सकती है। श्रीमन् एक तरफ तो सरकारी कर्मचारी लोग जीप्स पर घूमें, पेट्रोल पानी की तरह फूंके और हर तरह से रुपया नष्टभ्रष्ट किया जाय दूसरी तरफ अन्न के लिये हम टैक्स दें, तन ढांकने के लिए वस्त्र चाहिये तो उसके लिये भी टैक्स मौजूद है, साधारण सी चीज नमक चाहते हैं तो उसके लिये भी टैक्स मौजूद है। मान्यवर, यह दुख की बात है। यह ठीक है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये हमें धन चाहिये परन्तु यह आप न भूलिये कि इस प्रदेश के लोगों की पेइंग कैपेसिटी है उस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया जाय। कहां तक हम उन टैक्सों को दे सकते हैं और मान्यवर इसका क्या प्रभाव होगा यह भी देखना है।

श्री अध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि सदन में शांति रहे। बातें बहुत हो रही हैं, भाषण सुनाई नहीं देता।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—बहुतों में जो द्वितीय योजना के प्रति श्रद्धा है जो आज आशा लगाये हुये बैठे हैं उनको भी ठेस पहुंचेगी और श्रीमन् यही नहीं जो सबसे बड़ी गम्भीर बात है देखने की वह यह है कि आखिर वह कौन-कौन सी चीजें हैं जो इस प्रदेश के टैक्सेशन से एक्जेम्ट होने चाहियें। श्रीमन्, इस प्रदेश में कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि जीवन के बहुत से आवश्यक पदार्थ हैं उनपर कोई कर न लगाया जाय और अगर कोई लेने के लिये उतारू हैं जो सर्वथा अनुचित है। वह मल्टीपिल प्वाइन्ट टैक्स इस तरह से लगना चाहिये जो टैक्सपेयर को खल न सके। श्रीमन्, यह ठीक है एक सिंगिल प्वाइंट से ज्यादा टैक्स लगाया जा सकता है लेकिन मल्टीपिलप्वाइन्ट टैक्स अगर खासकर जैसे गल्ला है बड़ा खलने वाला है जैसे एक ही बाजार में एक बड़ा बनिया है उससे छोटा बनिया लेता है और उसी से दस कदम आगे छोटा बनिया लेकर उसे रखता है और बेचता है। हर काश्तकार के पास क्या काफी गल्ला है कि दोनों वक्त खा सके। यह सही है कि आपने १९ प्रतिशत पर कैपिटा इन्कम बढा दी हो और यह भी सही है कि गल्ला आप दूसरे स्थानों में बेच रहे हैं परन्तु यह भी न भूलिये कि ऐसे लोग इस प्रदेश में हैं जिन्हें दोनों वक्त खाना मिलना दुर्लभ है ऐसी परिस्थिति में ऐग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। बहुत सी जगह तो मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू है लेकिन बहुत सी जगहों पर लागू नहीं है। मजदूर जो कमाता है वही खाता है। ऐसी परिस्थिति में जब कि खाने के लिये उसके पास पैसा नहीं है वह सरकार को टैक्स देगा। यह तो वह उसूल है जैसे रोम में जूलियस सीजर ने कहा था कि हर गरीब आदमी को टैक्स देना पड़ेगा या रूस में पीटर्स ने कहा कि जो आदमी दाढ़ी नहीं रखता वह भी टैक्स दे। यह सरकार प्रजातंत्र की बड़ी दुहाई देती है। लेकिन मैं आपको यह निहायत अदब के साथ बताना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग थे जो कि अपने अधिकारों को संकुचित नहीं करना चाहते थे। हिटलर और मुसोलिनी भी ऐसे लोग थे। उनकी दुर्दशा भी

हमने देखे हैं और उनके अच्छे दिन भी हमने देखे हैं। "नो टैक्सेशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन" डेमोक्रेसी का यह एक ऐसा उसूल है जिसके खिलाफ कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना रिप्रेजेंटेशन होते हुये २८ तारीख तक हम मौजूद हैं और होली के लिये जाते हैं तो आर्डिनेंस आ जाता है। श्रीमन्, आपने स्वयं देखा कि यूनिवर्सिटीज के दो विधेयकों को ५ बजे के बाद भी बैठकर हमने किया। अगर हमसे यह बताया जाता कि आर्डिनेंस आने वाला है तो १२ बजे रात तक बैठते और आपको नेक सलाह देते और उस मार्ग से जाने से रोकते जो आपके लिये कदापि हितकर नहीं हो सकता है।

यह मैंने माना कि अभी माननीय हाफिज जी "स्वामी नायडू वर्सेज इंस्पेक्टर आफ पुलिस" और "केशा चार्यी वरसेज स्टेट आफ बिहार" की रूलिंग को सामने रख देंगे और आर्टिकिल १७८ का उद्धरण देंगे और यह कहेंगे कि गवर्नर को यह अधिकार था कि चाहे एक हाउस प्रोरोग करे चाहे दोनों करे? लेकिन इन दोनों केसेज में ये सूरतें नहीं हैं और यह इस पर लागू नहीं होता। यह मैंने इसलिये कह दिया कि आपको कोई मौका नहीं कि इस रूलिंग को लेकर इस सदन में ढिंढोरा पीटें। और यह कहना कि आर्टिकल १७४ में महामान्य राज्यपाल को अधिकार था, तो यह अधिकार तो उनको उस समय था ही। हाउस और हाउसेज में सैकड़ों इंटरप्रेटेशन किया जा सकता है कि लोअर हाउस या ऊपर हाउस अगर विधान के प्रति यही आदर रखी जाती कि वह कोई साम्प्रदायिक या मालिक पत्र है जो केवल इन महान व्यक्तियों के दिलों को राहत पहुंचाने के लिये उनकी तबियत में खुशी रखने के लिये नित्य प्रति दिन बदला जा सकता है तो मैं समझता हूं कि उसकी पुनीतता और पवित्रता कायम नहीं रह सकती। यही नहीं, इस संविधान में हमें यह गारंटी दी गयी है कि बहुत सी खाने की सामग्री प्रेसीडेंट महोदय की इजाजत पर है। मैं राज्यपाल और प्रेसीडेंट के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकता लेकिन इस पर प्रेसीडेंट महोदय के हस्ताक्षर होने चाहिये।

मान्यवर, आज जब कि समय बहुत कम है मैं केवल आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस पर गम्भीरता से सोचें। यह नहीं कि अवधेश प्रताप ने कह दिया है इसलिये कोई गुनाह हो गया। मैं समझता हूं कि जनता का हित मुझ से कम आपके दिल में नहीं है। मुझे यह भी स्वीकार है कि आपने अधिक बलिदान और जनता की अधिक सेवायें की हैं और मैं आपके द्वारा उनसे यह पूछना चाहता हूं कि इस गरीब जनता ने क्या गुनाह कर दिया है? क्या यही कि उसकी वजह से इतने बहुमत में आप आज इस जगह पर विराजमान हैं। यदि यही उसका गुनाह है और भगवान ने यदि कुशल रखी तो कुछ थोड़े से दिनों के बाद हमें फिर से पोल्स पर जाना है और उसकी मिसाल आप इलेक्शन में देखेंगे और जब इस भवन से, इस विशाल भवन से उठकर, जब कि यहां पर बिजली भी है, पंखा भी है और सब तरह का आराम भी है, जब देहातों में चलेंगे, जहां की जनता ने आपको यहां भेजा है, उनका सामना करेंगे और उनकी तकलीफों को देखेंगे तो वहीं तकलीफें आपको भी दिखाई पड़ेंगी। लेकिन यहां तो लखनऊ का वातावरण है जिसमें सुख और शांति के कारण आप अपने कर्तव्य को भूल चुके हैं। केवल थोड़े से शब्दों में मैं आपको याद दिहानी कराना चाहता हूं। यदि उचित हो तो मानिये वरना मत मानियेगा।

(डाक्टर सम्पूर्णानन्द के खड़े होने पर श्री रामनारायण त्रिपाठी ने नारा लगाया "मुख्य मंत्री इस्तीफा दें, मुख्य मंत्री इस्तीफा दें")

श्री अध्यक्ष—सदन में नारे लगाना उचित नहीं है।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के संबंध में कई तरह की बातें कही जा सकती हैं और कही भी गई हैं। एक कच्चा तर्क यह भी सुनने में आया कि इस अध्यादेश का निकालना अनकांस्टीट्यूशनल था। मैं इस बात के ऊपर बहस करके सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता हूं। जिन लोगों ने हमारे कांस्टीट्यूशन का थोड़ा सा भी अध्ययन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

किया होगा। वह जानते हैं बगैर किसी लम्बी किताबों को देखे हुये, बगैर किसी हाई कोर्ट की रूलिंग को पढ़े हुये, कि किन परिस्थितियों में आर्डिनेंस निकाला जा सकता है और वह यह भी जानते हैं कि उन्हीं परिस्थितियों में यह निकाला गया है ; हां एक बात हो सकती है, उसके संबंध में दो रायें हो सकती हैं। शायद किसी का कहना यह है कि यह अध्यादेश लेटर आफ कांस्टीट्यूशन के अनुसार निकाला गया है लेकिन स्प्रिट आफ कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है। यह बिल्कुल कायदे की बात है, ठीक है लेकिन जो मतलब था कांस्टीट्यूशन बनाने वालों का.... ..

श्री अध्यक्ष--आपके पैर में दर्द होने से यदि आप बैठना उचित समझते हों तो बैठ जायें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इसके लिये मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन यह आदत हो गई है। यदि नहीं होगा तो मैं पैर उठाकर रख लूंगा।

श्री अध्यक्ष--लेकिन बीच में आप यदि बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द-- स्प्रिट आफ कांस्टीट्यूशन यह एक बड़ी वेग चीज है, दार्शनिक है और इस पर बड़ा विचार हो सकता है लेकिन इसके लिये यहां फारम नहीं है। जहां कानून की बड़ी-बड़ी किताबों हों वहां पर विचार हो सकता है कि यह स्प्रिट आफ कांस्टीट्यूशन के विरुद्ध है या नहीं। इसलिये मैं समय का लिहाज रखते हुये इस बहस में पड़ना नहीं चहता हूं। नैतिकता और अनैतिकता ऐसे शब्दों का भी यहां पर प्रयोग हुआ है। यह भी बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मैं भी दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं और घंटों इस पर बोल सकता हूं कि यह नैतिक है या अनैतिक है। इस पर काफी गम्भीरता के साथ बोल सकता हूं कि पोलिटीकल साइंस के अनुसार पोलिटिक्स में किस को नैतिक कहते हैं और किस को अनैतिक कहते हैं; परन्तु यह भी यहां पर अप्रासंगिक है। हमको इसी बात को देखना होता है कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक कोई चीज है या नहीं और वह ला के मुताबिक है या नहीं। अगर इसके आगे हम जाने लगेंगे तो बहुत लम्बे चौड़े झमेले में पड़ जायेंगे। मैं उसमें इस सदन का समय नष्ट करना नहीं चाहता।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात कही गयी और यह बातें कही जाना संभव था कि जिन चीजों का इस अध्यादेश में जिक्र है उनमें कौन चीज ऐसी है जिन पर टैक्स लगना नहीं चाहिये या उन चीजों पर कितना टैक्स लगना चाहिये या जिन पर टैक्स लगने की बात सोची गयी है उन पर थोड़ा टैक्स लगना चाहिये या जितने टैक्स लगने की बात सोची गयी है उतना टैक्स नहीं लगना चाहिये। मैं मानता हूं कि इस प्रकार से विचार करना सर्वथा उपयुक्त है और सर्वथा वैध है लेकिन यह जरूर मेरा ख्याल है कि अभी इस सदन को उस बिल पर विचार करना होगा। अकेले अध्यादेश से टैक्स नहीं लगने वाला है। बिल को यहां पर आना होगा और इसकी एक-एक क्लाज पर, एक-एक अंश पर, एक-एक अंग पर इस सदन को विचार करना है। सदन को पूरा अख्तयार है कि जो टैक्स उचित समझे उसको लगाये और जिसको वह उचित नहीं समझे उसको न रखे। जिस चीज की रेट को बढ़ाने की बात कही गयी है उसको कम कर दें ; मैं इस बात के लिये आग्रह नहीं करता कि जिन शब्दों में यह अध्यादेश रखा गया है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। हम बराबर आपकी बात को सुनने के लिये तैयार हैं। माननीय सदस्य अगर कोई सजेशन करना चाहें या कोई सलाह देना चाहें या मुझको सलाह देना चाहें या वित्त मंत्री जी को सलाह देना चाहें तो हम हमेशा मानने के लिये तैयार हैं। जहां तक व्यापारियों की बात है, आज कानपुर से बुलियन के व्यापारी आये थे और वे माननीय वित्त मंत्री से मिले हैं और कुछ कपड़े के व्यापारी आने वाले हैं और दूसरे लोग भी आने वाले हैं, उन सब की बराबर हम बातें मानने के लिये तैयार हैं। जो भी आवश्यक होगा जहां तक संभव होगा हम उसमें देखेंगे कि अध्यादेश का जो रूप है उसमें आगे चलकर जो बिल का रूप होना चाहिए उसमें हम क्या तरमीम कर सकते हैं।

उसमें अगर बड़े-बड़े विशेषज्ञ की जरूरत होगी तो शांतिपूर्वक बड़ी आसानी से उस पर विचार हो सकता है और विचार होगा लेकिन उसका समय आज नहीं है। बिल आयेगा उस समय उस पर विचार होगा। इस बीच में हम बराबर विचार कर रहे हैं और जो भी रिप्रजेन्टेटिव आता है, उनके सुझाव आते हैं, आये हैं और आने वाले हों उन सब पर हम विचार करने के लिये तैयार हैं। उनके उद्देश्य से ऐसी चीज होनी चाहिये जो कि इस प्रदेश के लिये हर तरह से बेहतरी की हो।

यह बात जरूर मैं कह दूं कि किसी की धमकी का असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। कुछ लोगों के तार भी आये हैं कि हम अनशन करना चाहते हैं या और किसी प्रकार से मरने की बात करते हैं। तो अगर कोई शख्स इस प्रकार से समझ सकता है कि उसकी जान फिजूल है, अगर कोई यह समझता है कि उसकी जिन्दगी का कोई और उपयोग नहीं है तो उसको पूरा अख्तियार है लेकिन जहां पर करोड़ों मनुष्यों की जान का सवाल है, करोड़ों मनुष्यों की भलाई और बुराई का सवाल है तो वहां पर किसी का अनशन करना सरकार के कामों को जो जनता के हित में किये जाने वाले हों सरकार नहीं बदला करती। आज हड़ताल हो रही है। हड़ताल ऐसी चीज नहीं है जिसके लिये हम तैयार न हों। हम जानते हैं जब कोई टैक्स लगाया जाता है तो वह बहुत अच्छा किसी को नहीं लगता। बहुत से ऐसे टैक्स होते हैं कि उनके विरोध में कुछ प्रोटेस्ट करना मुश्किल होता है। मसलन तार का रेट बढ़ गया। भारत सरकार ने तार के रेट को बढ़ा दिया, रजिस्ट्री के रेट को बढ़ा दिया लेकिन यह जरा मुश्किल है कि हम तार न देंगे, हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। तो वहां प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। इस तरह के बहुत से टैक्स होते हैं जिनको जबरन बरदाश्त करना पड़ता है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत टैक्स ऐसे होते हैं जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना संभव है। हर शख्स को पूरा अधिकार है कि वह प्रोटेस्ट करें, अपनी नाराजी जाहिर करें और उनमें एक तरीका हड़ताल करने का भी है। लेकिन एक चीज मैं कह देना चाहता हूं कि हर चीज की सीमा होती है। कहीं-कहीं ३,४ दिन की हड़ताल की बात कही जाती है कहीं ७ दिन की हड़ताल की बात कहीं जाती हैं और जो लोग हड़ताल की बात कहते हैं वह यह भी जाहिर करते हैं कि उनको जनता के साथ बहुत बड़ी हमदर्दी है और बड़ा प्रेम है। प्रेम का अन्दाजा हमको भी है, हम भी जानते हैं कि जिस समय गरीब किसान से अन्न खरीदा जाता है, किस भाव पर खरीदा जाता है, गुड़ किस भाव पर खरीदा जाता है और बाजार में रोक कर किस भावों पर लोगों को बेचा जाता है। उस वक्त प्रेम कहां चला जाता है? हम भी खूब जानते हैं प्रेम को। अब ऐसे मौके पर लम्बी चौड़ी हड़तालों की बात कही जा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हे पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है। सर्विस वाले लोगों के पास आम तौर से महीने का गल्ला नहीं रहता है। तो जिसके साथ प्रेम की बात कही जाती है उसे भूखों मारने का इन्तजाम किया जाता है, क्या यही प्रेम समझा गया है? हम थोड़ा सा मौका देते हैं देखने का लेकिन हम इन प्रेम करने वालों को इस बात का मौका नहीं देंगे कि लोगों को भूखों मार दें। इस तरह की धमकियों में हम आनेवाले नहीं हैं। शांति के साथ, ठंडे दिल से, हर समय हम विचार करने के लिये तैयार हैं। जो भी रेट की बात है, सिंगिल प्वाइन्ट या मल्टीपिल प्वाइन्ट की बात है हम उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं। लेकिन यदि कोई धमकियों से हमारे निश्चयों को बदलवाने की आशा करे तो उसे एक दम निराश होना पड़ेगा।

एक या दो बातें कही जाती हैं उन्हें हमें ठीक से समझ लेना है। अभी कुछ माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि हमको पंचवर्षीय योजना चलाना बहुत जरूरी है लेकिन इकानामी से काम चल सकता है। मैं सौ बार मानने के लिये तैयार हूं कि इकनामी की गुंजाइश होगी। इकानामी की कमेटियां हैं, न हों तो और बैठ सकती है। लेकिन हमको बात व्यवहार की दृष्टि से करनी चाहिये। सब लोगों को अपने घर गृहस्थी का तजुर्बा है और बड़ी गृहस्थी का काम भी है जो यहां हो रही है और माननीय सदस्य गवर्नमेंट की कमेटियों के सदस्य भी है

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

वह भी जानते होंगे कि जहां करोड़ों रुपये का काम होना है वहां पर जरूर कुछ गुंजाइश इकानामी की होगी ? लेकिन जितने रुपये की जरूरत पंचवर्षीय योजना के लिये है उतनी गुंजाइश कहीं से नहीं निकाल सकती है।

कुछ जिक्र वोट का, आगरे का या किसी और जगह का हुआ। हम जानते हैं कि वोट के क्या मानी होते हैं। हमारे सामने यह भी बात आई कि आगे चलकर जनरल इलैक्शन है और उसके पहले इस चीज को नहीं करना चाहिये था। जहां तक उन लोगों की बात है जो इस तरफ बैठे हैं मैं इतना स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारे यहां होने का खास कारण है। आज से कुछ वर्ष पहले हम दूसरी जगह थे। हम गांव-गांव और जंगलों में मारे-मारे फिरते थे और जेलों में दुख पड़ते थे। यह इसलिये नहीं था कि हमको जेलों में रहना अच्छा लगता था या घर पर आराम से नहीं खा सकते थे। लेकिन इसलिये था कि हमको और उस संस्था को जिसके हम सदस्य हैं यह बात मान्य थी कि देश की सेवा करने का वही तरीका था। आज अगर हम यहां हैं तो हमारे यहां रहने का एक मात्र उद्देश्य यही है कि हमको उस संस्था को जिसके हम अंग हैं यह विश्वास है कि देश की सेवा करने का यही एक तरीका है। हम किसी कुर्सी पर चिपकना नहीं चाहते हैं। हमने देश की सेवा का आयोजन बनाया है। न केवल हमने ही बल्कि देश के सभी लोगों ने मिलकर एक आयोजन बनाया है। अगर पबलिक यह समझती है कि इस तरह से देश की सेवा हो सकती है तो वह हमें यहां भेजेगी वरना किसी और को भेजेगी जो बगैर रुपये पैसे के, जादू मंतर से, देश की भलाई के कार्य कर सकते हों। वोट के लिये हम किसी अच्छे काम को नहीं छोड़ सकते हैं जिससे देश का कल्याण होने वाला है। हम देश की सेवा उसी तरीके पर करेंगे जो हमारी बुद्धि से ठीक है। जो हमने इतनी बड़ी योजना बनाई है यह कैसे चलेगी ? इस सदन ने उसका एक हिस्सा पास किया। सारी पबलिक को अधिकार है कि वह हमसे पूछे कि आपने ५ वर्षों में जो इतना बड़ा खर्च करने की योजना बनाई है, इतना खर्चा करने का तय किया है, उसमें इतनी तो हमारी आमदनी है, और बाकी गप कैसे भर जायगा। ईमानदारी से इसका कोई जवाब तो होना चाहिये।

. गवर्नमेंट आफ इंडिया जरूर हमको कुछ रुपया देती है लेकिन उसका कुछ आधार होता है। यह नहीं हो सकता कि वह सारा का सारा रुपया हमको खैरात की तरह से दे दे। हमें उत्तर प्रदेश का रुपया भी लगाना ही होगा। जो लम्बी चौड़ी बातें हम करते हैं कि हमको स्कूल भी चाहिये, अस्पताल भी चाहिये, सड़कें और नहरें भी चाहिये, बेरोजगारी भी दूर होनी चाहिए तो ये सब पैसे के बिना नहीं हो सकता है। सरकार के पास पैसा टैक्सेशन से ही आता है यद्यपि यह दूसरी बात है कि कहीं से १ पैसा घटाकर दूसरी जगह बढ़ा दिया जाय। किसी भी पार्टी का कोई सदस्य हो, हमको यह सोचना है कि, हर माननीय सदस्य को यह सोचना है कि अपने यहां से बीमारी, अविद्या बेरोजगारी इत्यादि को दूर करना है या नहीं। यह सब बगैर रुपये के नहीं हो सकता है। रुपया आने का सिवाय टैक्सेशन के दूसरा तरीका नहीं है। अगर देश की जनता के सामने चीज को साफ-साफ रखा जाय तो वह इस बात को मानेगी और इस बात का अन्दाजा कर सकती है कि रुपया लगाया जाय और परिश्रम किया जाय तो क्या-क्या काम हो सकते हैं। मैं उन मित्रों से जो सामने बैठे हैं एक अपील करना चाहता हूं। यह मेरे लिये मुमकिन है कि मैं एक ऐसी स्पीच दे दूं जिसके जरिये से मैं यह साबित करने की कोशिश करूं कि देश के कल्याण का सारा ठेका मैंने ले रखा है और जो लोग सामने बैठे हैं वे देश की भलाई नहीं चाहते हैं और जो काम करते हैं देश के हित के खिलाफ करते हैं। इसी प्रकार से सामने के मित्र भी एक स्पीच दे सकते हैं कि हम देश का कल्याण न करके हानि करते हैं। हमारी और आपकी स्पीचें अखबारों में छपें, लेकिन यह सोचना है कि हमारी इस अखाड़ेबाजी में उठकापटकी में किसका नुकसान होता है। एक स्पीच कैसी भी जोरदार हो सकती है लेकिन यह देखना है कि उससे देश की हानि होगी या लाभ। एक कामा और फुलस्टाप पर घंटों बहस हो सकती है लेकिन यह देखना है एक भलाई किसमें है। जनता के हम और आप प्रतिनिधि हैं और उसका कल्याण होना चाहिये। अगर इस दृष्टि से देखा जाय तो जैसे प्रस्ताव उपस्थित किये गये

हैं उनके लिये कोई स्थान नहीं है। मैं फिर दोहराता हूं जिस समय ब्योरे की बात आवे हम बातचीत करने के लिये तैयार हैं। टैक्स की बात नहीं सोचनी चाहिये यह न हम और और न आप जनता के सामने कह सकते हैं। जनता को हमें, आपको और इस कड़वे प्याले के लिये तैयार करना ही होगा। बगैर पैसे के लोग किसी हालत में भी उन चीजों को नहीं पा सकते हैं जो स्वराज्य के बाद उनको हासिल होनी चाहिये। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अपने, अपने कर्तव्यों को समझें। ब्योरे की बातों का तो माननीय वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है कि हम लोगों को पार्टी के ऊपर इन बातों में उठना चाहिये। यदि हमने ऐसा किया तो मुझे विश्वास है कि हम अपने देश में उचित टैक्स लगा सकेंगे और अपने आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे।

*श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण के बाद अब ऐसी कोई बात नहीं रह जाती है जिस पर मेरे लिये कहना आवश्यक हो और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय नारायण दत्त जी तिवारी अपने प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे। जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका समर्थन किया है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस अध्यादेश की आवश्यकता थी और वह उचित था। मैं किसी भी प्रकार से तिवारी जी और अवधेशप्रताप सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। इसका यह अर्थ नहीं है कि जो कुछ भी अध्यादेश में लिखा हुआ है उसका पूरा ही मैं समर्थन कर रहा हूं। इस बात को तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर ही दिया कि सदन के सामने जब वह बिल आयेगा तो सदन को यह अख्तियार होगा कि जो भी चाहे उसमें संशोधन करे, जितनी चीजों को छोड़ना चाहे छोड़े, जितनी चीजों पर और टैक्स लगाना चाहे लगाये। तिवारी जी ने गांधी जी तथा और लोगों को भी कोट किया। मैं आज उनसे यह कह देना चाहता हूं कि आज जो हम यहां आये हुए हैं वह इसलिये आये हुए हैं कि हमारे प्रान्त की जनता के हित में जो कुछ हो उस पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करें और भावावेश में आकर कोई बात न कर बैठें। हमें तथ्यों को लेना है और उनके अनुसार काम करना है। वह तथ्य यह है कि किस प्रकार से हमें अपने राज्य को आगे ले चलना है, किस प्रकार से लोगों की गरीबी को दूर करना है, किस प्रकार से अपने प्रदेश की भुखमरी को दूर करना है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को विचार करना है।

अभी थोड़े दिन की बात है जब बजट पर विचार हो रहा था उस वक्त चाहे इधर के माननीय सदस्य हों, चाहे उधर के माननीय सदस्य हों, सब ने यह मांग पेश की थी कि हमारे राज्य की उन्नति होनी चाहिये और कोई भी ऐसा अनुदान नहीं आया जिसमें गवर्नमेंट के ऊपर यह आक्षेप न किया गया हो कि वह कम है, उसमें रुपया और बढ़ाया जाना चाहिये। इससे प्रदेश का काम नहीं चल सकता। यह बात तो सही है लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर रुपया कहां से आयेगा, आखिर डाका डाला जायगा? जैसा माननीय नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि चन्द मदों में कमी कर दी जाय। लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या उससे ६ करोड़ रुपया प्राप्त किया जा सकता है? यह कोरी भावना ही है। सदन को इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम यहां सरकार को चलाने के लिये बैठे हुए हैं, जनता की सेवा करने के लिये बैठे हुए हैं केवल मंत्री बने रहने के लिये बैठे हुए नहीं हैं कि मंत्री बने रहें और तनख्वाह लेते रहें। हम तो यहां केवल उस वक्त तक रहेंगे जब तक हम समझेंगे कि यहां रह कर हम जनता की सेवा कर रहे हैं। ५ वर्ष के बाद जब जनता से वोट मांगने के लिये जायेंगे तो जनता हम से पूछेगी कि आपने ५ वर्ष में क्या-क्या किया। कोरा शासन करना ही हमारा काम नहीं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधामोहन सिंह]

हमसे पूछा जायगा कि तुमने क्या-क्या काम किया ? अगर हमारे पास उन्नति के साधन नहीं होंगे तो फिर भला क्या काम कर पायेंगे। मुझे माननीय नेता विरोधीदल का वह भाषण याद है जब उन्होंने कहा था कि जब आप टैक्सेशन का प्रस्ताव लेकर आयेंगे तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन अब वे देखते हैं कि चाहे देश का हित हो या न हो उनकी पार्टी के हित में यह चीज है और इसीलिये वे इसका विरोध कर रहे हैं और जनता की भावनाओं को उभार रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात को साफ कर दिया है कि उसके पीछे क्या भावना छिपी हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब व्यापारीगण ने हड़ताल की तो उनके सामने यह प्रश्न था कि सदन में बैठने वाले, तनख्वाह पाने वाले इससे तकलीफ पायेंगे। उनको उस समय जब कि वह हड़ताल कर रहे थे क्या इस बात का ख्याल हुआ कि जो रोज पैसा पाने वाले मजदूर हैं या वेतनभोगी हैं उनके घर के खाने पीने का क्या प्रबन्ध है ? उन्होंने तमाम लोगों के खाने को बन्द किया लेकिन उन्होंने अपने खाने को बन्द नहीं किया।

इस तरह से ऐसे महीने के शुरू में जब कि लोगों के घर में खाने का सामान नहीं है बाजार को बन्द करना कहां तक ठीक है। हम तो समझते हैं कि वह अपने स्वार्थवश ऐसा करते हैं और यह तो उनका एक बहाना है वर्ना वह ऐसे समय हड़ताल की बात न करते। मैं यह जरूर मानता हूं कि प्रजातन्त्र में हर एक व्यक्ति को किसी भी काम के लिए विरोध करने का हक है और वह एक अच्छी चीज हो सकती है लेकिन इसके साथ ही हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमको वह काम नहीं करना है कि जिसका जनता के जीवन पर खराब असर पड़े। अगर उनको खाने की चीजों पर टैक्स का विरोध है तो वह उसका अलग विरोध करके दूसरे तरीके से कर सकते थे लेकिन इस तरह से हड़ताल ऐसे मौके पर करना उचित बात नहीं है। वह इस पर विचार करें। इस पर अभी विचार हो सकता है कि अध्यादेश वैधानिक है या नहीं, या उसकी आवश्यकता है या नहीं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने साफ कर दिया कि अगर हम पहले से इस चीज को सदन में लाते तो लीक आउट होने का डर था और लक्ष्य की पूर्ति में कुछ कठिनाई हो सकती थी और दिक्कत का सामना करना पड़ता और अब जब यह बिल की शक्ल में सदन में आयेगा तो उस समय सदन के सदस्यों को पूरा मौका मिलेगा कि वह इस पर पूरा विचार करें और जो उचित समझें उसमें संशोधन लायें।

*श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता कि माननीय मुख्य मंत्री जी के बाद माननीय राधामोहन सिंह जी न बोले होते और जो फिजा माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सामने रखी थी उसका कुछ असर हम पर भी होता। अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा दल या अपोजीशन पार्टीज में आज जो हालत हमारे सूबे में हो गई है उसको किसी प्रकार से भी एक्सप्लायट करने को तैयार नहीं है। जहां तक बढ़े हुए टैक्सेज की बात है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब हमारी प्लानिंग कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में इस बात का जिक्र आया कि हमारे सूबे की पंचवर्षीय योजना कैसे चले उस समय हमने और कौन्सिल के विरोधी दल के नेता कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा था कि हमारे प्रदेश में बिना टैक्सेज लगाये हुए कोई सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान नहीं चल सकती। उस वक्त टैक्स की बात कहते हुए बहुत से हमारे कांग्रेस के भाई भी डरते थे लेकिन हमने उनसे उसी वक्त कहा था कि बिना टैक्सेज लगाए विकास के कार्य नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं यह भी साथ में बताना चाहता हूं कि जहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमने कहा कि हम टैक्स लगाने को तैयार हैं वहां पर हमने यह भी कहा था कि जो एक्स्ट्रावेगेन्ट खर्च हैं उनको भी रोकना होगा और इस चीज के तमाम पहलुओं पर विचार करना होगा। मैं आज प्रदेश की जनता को आगाह करूंगा और समझाऊंगा कि बिना टैक्सेशन के विकास कार्य नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जहां उनके पास सत्ता है उनके पास आज ताकत है, इतना बड़ा विशाल बहुमत है जो चाहें कर सकता हैं वहां हमारे सूबे की जनता यदि यह भी समझती होती कि जहां किसी प्रजातन्त्र के लिए ठीक से चलना है वहां एक मजबूत विरोधी दल की भी आवश्यकता है लेकिन आज बदकिस्मती है कि एडजर्नमेंट मोशन आता है उस वक्त ३६ आदमी भी खड़े नहीं होते और अहम मसलों पर विचार नहीं हो पाता। अगर प्रजातन्त्र सफलतापूर्वक चलाना है तो आवश्यक है कि अपोजीशन पार्टी बहुत स्ट्रान्ग हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि खिल्ली और हंसी उड़ायेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह भी मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से इस सरकार ने इस आर्डिनेंस को लाकर रक्खा है वह हमारे इस विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों की एक बेइज्जती हुई है और वह इस तरह से हुई है कि हम २४ तारीख को अपने घर जाते हैं तो, सारा कानून, सारा मामला क्या किसी ने रात भर में बना लिया? क्या वह यह कह सकते हैं कि उन्हें मालूम नहीं था कि वे आर्डिनेंस लाने वाले हैं? क्या सरकार कह सकती है कि उसके विभागों को पता नहीं था कि इस तरह का आर्डिनेंस, इस तरह का टैक्सेशन मेजर आने वाला है। २४ तारीख को कौन्सिल बन्द होती है और प्रोरोग हो जाती है इस नीयत से कि आर्डिनेंस लाना था और प्रदेश की जनता पर यह टैक्स लगाना था। टैक्स तो खैर लगना ही है। टैक्स का उतना विरोध नहीं है जितना कि तरीके का विरोध है। जहां तक कानून की बात है कानून के अन्दर तो सारी बात आ जाती है। अपर हाउस अगर प्रोरोग है, एक लेजिस्लेचर अगर प्रोरोग है तो आर्डिनेन्स लाया जा सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, होता क्या है? एक टैक्सेशन मेजर हमारे प्रदेश के लोगों पर किया जा रहा है। नमक पर टैक्स लगाया जा रहा है, खाने पर टैक्स लगाया जा रहा है और उसके बाद बयान देने के लिए कौन आता है? एक डिपार्टमेंटल हेड आता है। सेल्स टैक्स कमिश्नर ब्यान दे रहे हैं कि सेल्स टैक्स किन-किन चीजों पर लग रहा है। यह है हमारी इज्जत। हमारे चीफ मिनिस्टर आये होते, हमारे अन्न मंत्री आये होते बयान देने के लिये, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदेश के अन्दर कोई हल्ला न होता। लेकिन हमारे एक कमिश्नर साहब ब्यान दे रहे हैं कि इसका यह असर हो सकता है। क्या यही तरीका है?

फिर अध्यक्ष महोदय, टैक्सेशन मेजर तो इसी लेजिस्लेटिव असेम्बली से आ सकता है। कौन्सिल में तो इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। हर टैक्सेशन मेजर यहां से पास होता है। वहां जाता अवश्य है लेकिन पास यहीं से होता है। राज्यपाल महोदय ने कौंसिल को प्रोरोग किया, इसलिये प्रोरोग किया कि एक आर्डिनेन्स जारी करना था। माननीय वित्त मंत्री जी यह कहेंगे कि हमने इसलिये आर्डिनेंस निकाला कि हमारे यहां स्पेकुलेटर्स थे, बहुत सा रुपया वे बना लेते, किसी को पता नहीं करना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा ऐक्ट बनता उस ऐक्ट में भी हम यह कह सकते थे कि जितनी भी चीजों पर सेल्स टैक्स लगता वह पहली तारीख के बाद लगता। आप यह बात जब इस ऐक्ट को इस सदन से पास करते, उसमें लिख सकते थे कि पहली तारीख से इन चीजों पर सेल्स टैक्स लगेगा, तो फिर क्या जरूरत रहती आर्डिनेंस लाने की? हमें यह दिखाना चाहते थे कि हमारा विशाल बहुमत है और जो हम चाहते हैं वह कर डालेंगे। इस वजह से हमें कांफिडेंस में नहीं लिया गया, हमें बताया नहीं गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रान्त के अन्दर जितने रुपये की कमी सेकिंड फाइव ईयर प्लान के अन्दर होती

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

हैं--हम कहते हैं कि हमारी नहरें बनें, हमारी सड़कें बनें-- तो हम इस बात के लिये तैयार रहते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनसे रुपये इकट्ठे कर सकते हैं। फिर क्या बात है नमक ही रहा, चावल ही रहा जिस पर टैक्स लगाने की बात की? कितना टैक्स आयेगा? हमारे सेल्स टैक्स कमिश्नर का अनुमान है कि एक दो करोड़ रुपया आ जायगा। २० से ३१ मार्च के अन्दर जो सरकारी विभाग मोटरें खरीदते हैं अपने सरप्लस से, बचे हुए रुपये को जो फूंका जाता है वही रुपया अगर इकट्ठा कर लिया जाय तो २ करोड़ रुपये में से काफी रुपये की उसमें बचत हो सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट यह समझते हैं कि यह हुकूमत जायगी। अंग्रेजी हुकूमत नमक टैक्स से गई और हमारी ब्यूरोक्रेसी आज यह चाहती है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी हुई है यह भी इस नमक कर से ही इस प्रदेश से चली जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आज विरोधी दल में इतनी ताकत नहीं है कि वह हुकूमत के अन्दर चला जाय। वैसे कोई हुकूमत बना ले तो वह जैसे तैसे चल ही जायगी लेकिन हम यह चाहते हैं कि आज देश और प्रदेश के अन्दर जो कांग्रेस हुकूमत है वही बरकरार रहे, वह अपनी सीट पर आबाद रहे। यही हुकूमतें सारे प्रदेशों में रहें। हम तो विरोधी पक्ष, जो सरकार की गलतियां और खामियां होंगी उनको दूर करने के लिए बैठे हैं। हम यह नहीं चाहते कि हम जाकर उन कुर्सियों पर बैठें। हमें यह मालूम है कि हमने देश को आजाद कराने में अपनी जिन्दगी बितायी और आज भी हम इस देश की सेवा करना चाहते हैं और हम सेवा करेंगे। हम यह समझते हैं कि हम विरोधी पक्ष में रह कर इस प्रदेश की ज्यादा सेवा कर सकते हैं। हमें यह लालच नहीं है कि हम गवर्नमेंट में जायं या पब्लिक को एजीटेट करें। वही गवर्नमेंट में रहें। हम इस बात के इच्छुक नहीं हैं कि हम जाकर अपनी गवर्नमेंट बनाएं। पर हम यह अवश्य चाहते हैं कि यह हुकूमत जो जा रही है, हमारे मिडिल क्लास के लोग जिनके बारे में हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा, मैं बताना चाहता हूं कि यही लोग सारी फिजा पैदा करते हैं, इन्हीं से सारी हवाएं आती हैं। अगर हम लोगों में समझ होती, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी यही स्टेटमेंट पहले दिये होते तो यह समस्या काफी हल हो गयी होती। बहुत से लोग भूख हड़ताल नहीं करते और बड़ी-बड़ी हड़तालें कभी नहीं होतीं, लेकिन आज सारी बातें हो गयी हैं। और उसका कारण यह है कि जिस तरह टैक्स लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है, अन-कांस्टिट्यूशनल है। आपका बहुमत है आप जो चाहे उससे करा सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, आश्वासन दिया इस बात का कि हम बैठेंगे, मिलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और हमें इस बात का विश्वास है कि वह प्रदेश के अन्दर एक ऐसी फिजा पैदा करवा देंगे, जिससे जनता हमारे साथ होकर जिस टैक्स को भी हम लगायेंगे उसको सहर्ष स्वीकार करेगी और अपने देश का विकास करेगी। हम सब मिल कर इस काम को करेंगे। लेकिन ऐसी फिजा पैदा करनी चाहिए, ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए, जिसके अन्दर हम जनता का सहयोग प्राप्त कर सकें। यह नहीं कि उनका विशाल बहुमत है और उसके बल पर जो चाहें कर लेंगे।

एक बात और कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम यह भी बता देना चाहते हैं कि भूख हड़ताल से न सरकार पर असर पड़ता है और न हम पर कोई असर पड़ता है। भूख हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने भी आज अखबार में पढ़ा कि माननीय हाफिज जी के घर एक साहब भूख हड़ताल करेंगे। किस किस के घर पर भूख हड़ताल की जायगी और कहां से समस्या इससे हल हो सकेगी? अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं भी सारे प्रदेश के लोगों से कह देना चाहता हूं कि भूख हड़ताल का प्रश्न सामने न रखें। अपनी मांगों के लिए एक सही तरीका इस्तेमाल करें। गलत

तरीके इस्तेमाल न करें। जितने हमारे कांस्टीट्यूशनल तरीके हैं उन सब को इस्तेमाल करें। अगर कोई उनकी सही मांग है, अगर कोई गलत चीज होती है, नमक पर टैक्स लगता है, गेहूं और चावल पर टैक्स लगता है, तो मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता की इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह सरकार को मजबूर कर दे कि वह अपने आर्डिनेंस को वापस ले। यह हमारी ताकत होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमसे यह कहा जाता है कि हम एक्सप्लायटेशन करते हैं, हमारी यह बिल्कुल भी मंशा नहीं है कि हम गवर्नमेंट में जायं। लेकिन हम एक मिनट के लिए भी यह बरदाश्त नहीं कर सकते कि जिस साल्ट टैक्स के लिए हम मारे गये, हम जेल गये, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने नमक बनाया और पुलिस ने डंडा मारा पीठ पर, आज उसी साल्ट टैक्स को बरदाश्त करने के लिए मैं तैयार नहीं हो सकता। मैं देखता हूं कि हमारे बहुत से साथी इस बात को चाहेंगे और समझता हूं कि इसका असर भी है कि यह एलेक्शन के पहले हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठीक बात कही कि इसमें एलेक्शन से डरने की क्या बात है, देश की सेवा हमें यदि करनी है। लेकिन हम भी नहीं चाहते कि कोई गलत हुकूमत आ जाय। अगर हमारी किसी ऐसी गलती करने से कोई गलत हुकूमत आ गयी तो हमारी सारी मेहनत बरबाद हो जायगी, हमारा देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का उद्देश्य खत्म हो जायगा। इसे हम कैसे बरदाश्त करने के लिये तैयार हो सकते हैं? इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, मैं समझता हूं कि उसके बाद कोई माननीय सदस्य उधर से न बोलें तो अच्छा है, क्योंकि जब कोई कुछ कह देता है तो उसका उत्तर देना भी शुरू हो जाता है। उन्होंने एक आथारिटेटिव बात कही है। उनकी अश्योरेन्स का हमें विश्वास करना चाहिए और इसको कोई पालिटिकल इश्यू नहीं बनाना चाहिए। अगर हम प्रदेश के अन्दर सारे लोगों को समझा सकें, हम उनको कनविंस करा सकें, तो हमें विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री जी की इस बात को वह मानेंगे और हमारे प्रान्त के अन्दर जो आज हाहाकार मचा हुआ है, जो हड़तालें हो रही हैं, दो-तीन दिन से लोगों को खाना नहीं मिला, मेरे यहां अगर "रेस्ट्रां" न होता तो मैं तो भूखों मर जाता।

मैं यह अवश्य चाहूंगा इस वजह से नहीं कि हम सरकार की धमकियों से डरते हैं, इस वजह से नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम दूसरा रास्ता निकालेंगे, यह बात नहीं। लेकिन इस चीज से कि प्रदेश की जनता को आज तकलीफ हो रही है, खाने पीने की काफी परेशानी है, मैं अपने प्रदेश के तमाम व्यापारियों से, अपने प्रदेश के हर शहर के रहने वालों से यह प्रार्थना करूंगा कि वह हड़ताल खत्म कर दें और जो पीसफुल तरीके हैं उनको अपना कर सरकार को मजबूर करें कि वह टैक्सों को हटा दे। और मुझे विश्वास है आटा, चावल, तेल, कैरोसिन आयल जिसका हम पर बड़ा भारी असर पड़ता है, और तो बहुत सी डिटेल्स की बातें हैं जिनको मैं यहां नहीं कहना चाहता, बिल के वक्त कहूंगा, इन पर से टैक्स सरकार को हटाना पड़ेगा। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि सचमुच से हमारे प्रदेश में अमन चैन हो तो हम लोग सब मिल करके सारे प्रदेश के रहने वाले एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे हमारे प्रदेश की भलाई होगी, विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और हम लोग उन्नति की ओर बढ़ेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बनारस जेल से पहली तारीख को ही आपकी सेवा में अपने भावों को तार द्वारा व्यक्त किया था। सम्भवतः दो तारीख को वह तार आपको मिला होगा और शायद आपने सदन को अवगत भी कराया होगा। । श्रीमन्, मैंने लिखा था कि "सेल्स टैक्स आर्डिनेन्स मोस्ट अनडेमोक्रेटिक ऐन्टी पीपुल रिग्रेसिव अनबेयरएबिल"

[श्री राजनारायण]

है। मैं अनडेमक्रेटिक क्यों कहता हूं? क्योंकि २३ तारीख को यह सदन स्थगित होता है होली के लिये। काउन्सिल की भी बैठक हो रही थी। यदि सरकार के दिमाग में सेल्स टैक्स में वृद्धि करने या अध्यादेश जारी करने की बात रहती तो उसके लिये कोई बाधा नहीं थी कि सरकार उसे सदन में प्रस्तुत न कर सकती। फिर भी श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसा कि मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि इस बात का ऐलान कर दिया था कि दो अप्रैल से यह सदन पुनः बैठेगा। तो जब २ अप्रैल से यह सदन बैठने वाला था तब यह बात समझ सकने में असमर्थ हो रहा हूं और यदि कोई व्यक्ति तनिक भी जनतान्त्रिक परम्परा का अवलोकन करेगा तो इस नतीजे पर पहुंचेगा कि सरकार ने जिस तरीके से अध्यादेश जारी किया यह गैरजनतान्त्रिक था।

जब मैं यह कहता हूं कि यह ऐन्टी पीपुल, ऐग्रेसिव, अनबेयरएबिल, जनहित विरोधी है, सहनशक्ति के बाहर है, प्रतिक्रियावादी है तो इस सदन में बार-बार चर्चायें हो चुकी हैं बराबर माना जाता है कि सेल्स टैक्स का बोझा जो व्यक्ति सामान खरीदता है उसी पर पड़ता है। अगर इस सेल्स टैक्स का समुचित नामकरण हो तो खरीद टैक्स माना जाना चाहिये। जो खरीदते हैं उनके ऊपर इसका बोझ पड़ता है। श्रीमन्, एक प्रसिद्ध अर्थ शास्त्र डा० डाल्टन ने सेल्स टैक्स के बारे में बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा है—

> "A practicable sales tax tends almost inevitably to be regressive....It is a fundamental weakness of a sales tax that it cannot make allowance for domestic circumstances and indeed that it tends to fall more heavily as between taxpayers of equal income, on those who have the largest number of dependents."

यानी जिनके कुटुम्ब में ज्यादा लोग हैं और जितना ही अधिक सामान खरीदेंगे उनके ऊपर उतना ही ज्यादा भार पड़ेगा।

अब इन बातों को सामने रख कर देखा जाय तो जब पहले का सेल्स टैक्स था उसके हम विरोधी थे। तो जिस तरीके से तानाशाही मनोवृत्ति को अपनाकर यह अध्यादेश जारी किया गया है इसके समर्थन में तो वही जा सकता है जिसने अपने दिमाग को जनता के हित में लगाने से अलग कर दिया है।

श्रीमन्, जब माननीय मुख्य मंत्री बोल रहे थे तो आप माफ करेंगे उस शब्द के प्रयोग, लिये मैं समझ रहा था कि राम-रावण युद्ध हो रहा है और रावण बोल रहा है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं यह उचित नहीं है, इसको आप वापस लें।

(आवाजें—वापस लीजिये)

आप मुख्य मंत्री जी को रावण नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण—तो मैं सरकार को कहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने मुख्य मंत्री को सम्बोधित करते हुए कहा था इसलिये आपको वापस लेना चाहिये।

श्री राजनारायण—अगर आप कहते हैं कि मैंने व्यक्ति को कहा तो मैं वापस लेता हूं मैं कहता हूं कि जब इस सरकार के द्वारा भावों को व्यक्त करने के लिये यहां पर मंत्रीगण सरकार की नीति की चर्चा करते हैं तो वह सरकार

की नीति होती है। सरकार की नीति जिस तरह से यहां पर व्यक्त की जा रही थी वह रावणशाही थी। और उसी के साथ-साथ मैं एक मनोवृत्ति और भी कहना चाहता हूं कि जब कि मैं विरोधी पार्टी के उप-नेता की बात सुन रहा था तो कुम्भकरणी निद्रा......

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि यह तरीका उचित नहीं है, इस तरह से सब को राक्षस बना देना।

श्री राजनारायण——तो श्रीमन्, अब एक व्यवस्था हमारे यहां रही है राम की व्यवस्था। मैं राम की व्यवस्था के लिये आया हुआ हूं। और किसी प्रकार भी एक मिनट के लिये इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिये कि मैं इस अध्यादेश की मुखालिफत में हूं और इसके लिये मैं हड़ताल का आवाहन करने वाला हूं प्रदर्शन का आवाहन करने वाला हूं। बनारस में कल जितनी जबरदस्त हड़ताल हुई और आज भी है——माननीय कमलापति त्रिपाठी जी यहां नहीं हैं——एक पान भी बनारस में खाने को नहीं मिल रहा है। इतनी जबरदस्त हड़ताल माननीय मुख्य मंत्री के शहर में, पता लगायेंगे कि कितनी जबरदस्त हड़ताल हुई। यदि कल मैं जुलूस के साथ में न रहा होता तो शायद जनता सिनेमाघरों में घुसकर सिनेमाओं को बन्द करती। लेकिन हमने रोका। श्रीमन्, आप याद रखिये वह सरकार के प्रतिनिधि हैं मुख्य मंत्री। जब वह सरकार की नीति को घोषित करते हैं उस वक्त वह व्यक्ति नहीं रहते। जब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मुख्य मंत्री बोल रहे थे तो मैं यह समझ रहा था कि यह कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था में आस्था रखने वाला सरकार का प्रतिनिधि बोल रहा है या कोई तानाशाही व्यवस्था में आस्था रखने वाला बोल रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि वह एक तानाशाही मनोवृत्ति रखने वाला बोल रहा था। जनता का हित सामने रखने वाला नहीं बोल रहा है। आज कौन जनता का हित सामने रखता है, यह सामने बैठने वाले जनता का हित सामने नहीं रखते। आखिर जनता का हित कौन सामने रखता इसकी क्या कसौटी है? कल जब यहां पर हजारों की तादाद में विधान भवन के सामने जनता आयी हुई थी तो वह किस मनोवृत्ति का द्योतक थी? अपना हित अनहित पशु पक्षी भी समझते हैं। गोसाईं तुलसीदास जी ने कहा है कि "हित अनहित पशु पक्षिहुं जाना।" पशु पक्षी भी अपना हित अनहित समझते हैं। आज हर व्यक्ति समझता है कि किसमें हमारा हित है और किसमें हमारा नुकसान है। हम नहर बनायें, अस्पताल बनायें, नलकूप लगायें और अगर गरीब को और जनता को कश करते चले जायं, दबाते चले जायं, टैक्सों के बोझ से उसका खून चूसते चले जायं तो यह रावणशाही की मनोवृत्ति नहीं है तो क्या है? रावण ने भी खून चूसा था और यह सरकार भी खून चूस रही है। और क्या इंजेक्शन लगाकर खून चूसेगी? इसी तरह से यह खून टैक्स लेकर चूस रही है। आज यह सरकार खून टैक्स ले रही है। आज जिस जिस स्थान पर खाने के पदार्थ की बिक्री होगी, हर बिक्री पर दो पैसा टैक्स देना पड़ेगा। यह सरकार की कौन सी नीति है? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया हूं और मैं जानना चाहता हूं, जो अपने को विरोधी दल कहलाते हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, और आज यहां पर बहुत से व्यापारीगण के भी प्रतिनिधि हैं मैं उनके लिए भी दो शब्द कहूंगा और व्यापारी बन्धुओं से निवेदन करूंगा.......

श्री अध्यक्ष--आप सदन से ही निवेदन करिए, उनसे नहीं।

श्री राजनारायण--इसमें भी बहुत से व्यापारी हैं व्यापारी मनोवृत्ति के लोग हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वह इस बात को समझ ले वह इसी प्रकार दब-दब करके यह सब सहन करते जायेंगे और इसी तरह के आचरण करते रहेंगे और उसमें सहयोग देने की बात करते जायेंगे। तो यह दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। निश्चय रूप से सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहती है, निश्चय रूप से पूंजीशाही को बढ़ावा दे रही है, निश्चय रूप से यह सरकार जनतांत्रिक व्यवस्था को नहीं बढ़ावा देना चाहती, निश्चय रूप से यह सरकार जनता के हाथ में ताकत नहीं देना चाहती है, निश्चय रूप से यह सरकार जनता की गरीबी को बढ़ावा देना चाहती है और फिर इस तरह से जब बढ़ावा देने की ओर सरकार बढ़ती हो और ऐसी कोई भी बात की जाय उसमें कोई भी व्यक्ति सहयोग देने की बात करता है तो वह सरकार के चरण कमलों का चुम्बन करने वालों में से ही हो सकता है। इसलिये सफाई की बात होनी चाहिये। साफ-साफ बात होनी चाहिये। विरोधी भी किया जाय और सहयोग की भी बात की जाय। दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। मैं यह भी कह दूं, श्रीमन्, हम उस विरोधी पार्टी के हैं जिसमें शक्ति है, साहस है, बुद्धि है, क्षमता है जो सरकार चला सकती है और जिस दिन जनता हमको चाहेगी हम चला करके दिखा देंगे। यह सरकार कौन चला रहा है आज ?

एक आवाज--आप।

श्री राजनारायण--हां, हम भी चला रहे हैं। लेकिन जनता ने हमको सही माने में कहा नहीं है सरकार चलाने को और अब वह कहने जा रही है, बहुत जल्दी कहने जा रही है। वरना सरकार में ऐसे व्यक्ति जिनका बौद्धिक दिवाला निकल चुका हो, वह शिक्षा मंत्री बनें....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आप इसको वापस लें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, बीच में बोलते हैं तो यह कौन सा राजनीतिक तरीका हो गया ?

श्री अध्यक्ष--मुझसे ही कहा जाता है।

श्री राजनारायण--तो मैं यह बरदाश्त नहीं कर सकता कि अपने अध्यक्ष के बारे में सुनूं कि वह इस तरह की सरकार चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--अगर वह बीच में टोकते हैं तो आप मुझसे अपील करें।

श्री राजनारायण--(श्री बनारसी दास के खड़े होने पर) आप बैठे रहें।

श्री अध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप मुझे ऐड्रेस करें।

श्री राजनारायण--यह सदन अच्छी तरह से समझ ले कि मंत्रियों की तनख्वाह बढ़ती है इसमें कौन सा राष्ट्रीय हित होता है। डिप्टी मिनिस्टर की तनख्वाह बढ़ती है, पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री की तनख्वाह बढ़ती है तो कौन सा राष्ट्रीय हित होता है ? मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष इनके और इनके खान्दान को डाक्टरी की फीस और दवा के दाम से मुक्त कर लिया तो इसमें कौन सा राष्ट्रीय हित होता है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि इस सरकार की नीयत ऐसी घृणित हो गयी है और जनता के हित के विरोध में हो गयी है कि अब हर इन्सान को आगे

बढ़ना चाहिये और हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिये । इसीलिये श्रीमन् मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने उन पत्रकार बन्धुओं का जिन्होंने ६ बजे बनारस खबर भेजी कि लंच के बाद यह संकल्प पेश होगा । आप आइये और मैं इसीलिए आया और भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूं । मैं मुख्य मंत्री से ऐलानिया कहना चाहता हूं कि उनकी तानाशाही नहीं चलने वाली है और वह पुलिस और फौज की शक्ति के बल पर तानाशाही मनोवृत्ति का परिचय देते हैं तो हम जन संख्या के बल पर आगे बढ़ेंगे । अगर वर्तमान सरकार रावणीय प्रवृत्ति को लेकर चलेगी तो हमारी राम की प्रवृत्ति सर्व-विदित है । आज श्रीमन्, पोलिटिकल ईक्वालिटी का नाम लिया जाता है लेकिन आज सोशलिस्ट, सोशल और इकानामिक ईक्वलिटी के लिए कटिबद्ध हैं । इसलिये हमारा यह ध्येय है कि जब तक हमारे अन्दर खून की एक बूंद रहेगी तब तक हम इस सरकार की तानाशाही को काटने के लिये तैयार रहेंगे ।

श्री बनारसीदास--अध्यक्ष महोदय जब यह अध्यादेश जारी किया गया, इस से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल के सामने केवल दो ही विषय हो सकते थे । एक तरफ एक अप्रिय क्रूर कर्त्तव्य का पालन और इस प्रदेश की भावी जनता का सुनहला स्वप्न और दूसरी तरफ सत्ता प्राप्त करने के लिये एक सस्ते ढंग से लोगों की वोट हासिल करने के लिये अपनी नजर को रखना, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मंत्रिमंडल ने अपने क्रूर कर्त्तव्य का पालन करना चाहा । यदि यह सही है तो मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं विरोधी पक्ष के लोगों से । यदि कर्त्तव्य पालन करने की भावना नहीं है तो आपका क्या आरोप मंत्रिमंडल के ऊपर है? आप एक ही बात कह सकते हैं विवेकहीनता है । यह नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों को अपने हित का कोई ध्यान नहीं है और न हममें इतनी बुद्धि रह गयी है कि किस तरीके से हम अपने को सत्ता में बनाये रखें और किस तरीके से हम जनता के हित का सम्पादन करें । महात्मा गांधी ने कहा था कोई भी राष्ट्र दुःख और कष्ट सहन की परीक्षा में गुजरे बिना तरक्की नहीं कर सकता । बीज के उगने के पहले शर्त यह है कि बीज जमीन के अन्दर अपनी शक्ति को मिटा दे । यदि यह सत्य है तो क्या भारतवर्ष और हमारा यह प्रदेश इस अग्नि परीक्षा में गुजरे बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है या जिस भविष्य की एक कल्पना हो सकती है उसको हम अपने इस प्रदेश के अन्दर ला सकते हैं जहां तक कर्म का प्रश्न है मुझे बड़ा हर्ष हुआ माननीय उपाध्याय जी का भाषण सुनकर कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि यदि हमको इस प्रान्त को बनाना है, यदि बेरोजगारी को दूर करना है तो हमको भारी बोझा अपने कंधों पर लेना पड़ेगा । हड़ताल कराने के लिये जनता का ऐलान कराने के लिये किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है किसी साहस की जरूरत नहीं है । यह तो आसान सी चीज है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की एक बेसिक मनोवृत्ति को अपील करें । सबसे बड़ा कार्य तो यह होता है कि आदमी के अन्दर जो हीनवृत्ति होती है किस तरह से उसका आवाहन करें । लेकिन कितने व्यक्ति हैं जो सहर्ष कष्ट सहन के लिये और त्याग के लिये तैयार हो सकते हैं । यदि आप यह मानते है कि इस प्रदेश के अन्दर हमको आय २५ प्रतिशत बढ़ाना है, आगामी पांच वर्षो के अन्दर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना है तो उसके लिये हमको सोचना पड़ेगा कि जनता का इसके लिये हम किस तरह से आवाहन करें । नमक और गल्ले पर जो कर की घोषणा की गयी है उससे उत्तेजना हो सकती है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि विचार किया जा सकता है कि हमारे करों के सिद्धान्त क्या हों, लेकिन मैं तो समझता

[श्री बनारसी दास]

हूं कि इन करों की घोषणा करके जनता को अधिक से अधिक कुरबानी करने का आवाहन किया गया है और इस बात के लिये सूचित किया है कि प्रदेश और देश की रक्षा के लिये देश को आगे बढ़ाने के लिये उनको नमक और गल्ले तक की कुरबानी करने के लिये अपने को तैयार करना होगा। तो प्रश्न आज यह है कि अगर हम इस कर के मूल सिद्धांतों को मानते हैं और अगर हम मूल सिद्धान्त को कि इन करों के द्वारा हम जितनी धनराशि चाहते हैं वह हम देना चाहते हैं तो फिर विकल्प पर विचार किया जा सकता है कि वह कौन से साधन हैं जिनके जरिये से इस प्रदेश के कोष को भरा जा सकता है।

राम और रावण की बड़ी दुहाई दी गई है। लेकिन लंका पर विजय करने के लिये वानरों ने भी तो सेतु पर पत्थरों को तैराया था और लंका तब पराजित हुई थी। इसी तरह से गरीबी और बेकारी की लंका को पराजित और ध्वस्त करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री आज आवाहन करते हैं। देश के प्रत्येक व्यक्ति आज वानरों की भांति उसके सेतु को बांधने के लिये पत्थर तैराये तो क्या इस कुरबानी से लंका को पार करने के लिये तैयार नहीं है? आज प्रत्येक व्यक्ति को इसके अन्दर योग देना पड़ेगा आखिर कौन सा तरीका हो सकता है। अभी नारायणदत्त जी ने कहा कि बम्बई के अन्दर इतनी आमदनी भी नहीं है तब भी टैक्स नहीं है हमारे यहां १८ करोड़ आमदनी है। उनको मालूम होना चाहिये कि जमींदारी अबालिशन से पहले इस प्रदेश की कितनी आमदनी थी। इन १८ करोड़ में से कितने लाख हमें जमींदारी के प्रतिकर के रूप में देना है। आपने एक्साइज ड्यूटी का जिक्र किया, लेकिन मैं पूछता हूं कि इन सब को मिलाकर और टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को भी देखिये तो भी पर कैपिटा टैक्सेशन इस प्रदेश के अन्दर क्या बम्बई बंगाल और मद्रास और दूसरे बड़े बड़े प्रदेशों के मुकाबले में कम है या अधिक। तो इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अपना प्रदेश बंगाल मद्रास पंजाब जितने भी प्रदेश हैं इन सब के मुकाबले में हमारे यहां पर कैपिटा कर का भार कम है। हमारी आबादी साढ़े ६ करोड़ के लगभग है, लेकिन आज बम्बई की आबादी हम से कम होते हुये भी टैक्सेशन का इन्सीडेन्स ज्यादा है। बम्बई के लोग ज्यादा बलिदान करने के लिये तैयार हैं तो हमको भी इस प्रदेश के अन्दर यह वातावरण पैदा करना होगा। यह नहीं कि सस्ती अपीलों के जरिये से, हम लोगों के वोट हासिल कर सकें। जब रूस अपनी उन्नति कर रहा था और वहां जनता के ऊपर भार ज्यादा था तो जून, १९३१ में सोवियट कांग्रेस हुई और स्टालिन से कहा कि आज हम पर भार बढ़ गया है हमको ज्यादा अन्न दिया जाय, हमको ज्यादा मक्खन दिया जाय, हमको ज्यादा भोग्य वस्तुएं दी जायं, तो स्टालिन ने यह कहा था कि यदि रूस को दुनियां के अन्दर जिन्दा रहना है तो हमको ५० साल के काम को १० साल के अन्दर पूरा करना है। तो वहां का आदर्श यह हो गया कि आगे बढ़ो, यदि आंसू निकलेंगे तो हम अपना दिल कड़ा करेंगे, यदि पसीना बहेगा तो भी हम आगे बढ़ते चले जायंगे, यदि खून गिरेगा तो हम अपने खून को अपने मुल्क के लिये कुर्बान कर देंगे। स्टालिन ने कहा कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो रूस पर हमला होगा और रूस का नाम दुनियां के अन्दर से मिट जायगा। यदि वे दस साल के अन्दर वैसा बलिदान न करते, यदि इन दस सालों के अन्दर स्टालिन भयभीत हो जाते करों का भार कम कर देते तो आप

अन्दाजा लगा सकते हैं कि रूस का क्या भविष्य होता। शायद आज दुनियां के राजनीतिक मंच के ऊपर रूस का नाम नजर नहीं आ सकता था। हिटलर विजयी होता और फासिस्ट सत्ता वहां पर कायम होती, तो रूस को तो ५० साल के काम को दस साल में पूरा करना था लेकिन हम तो ढाई सौ साल पीछे हैं दुनियां के मुल्कों से। हमको तो दस साल के अन्दर ढाई सौ साल का काम पूरा करना है। हमारी सीमा के चारों तरफ आज सीटो नाटो और बगदाद का जाल बिछा हुआ है। हमारी आन्तरिक शान्ति खतरे में पड़ी हुई है। हम नहीं कह सकते कि किस वक्त केन्द्र की तरफ से जो रुपया हमको मिल रहा है वह देना बन्द कर दिया जाय और केन्द्र का एक-एक पैसा इस देश की सुरक्षा के लिये, इस देश की आजादी की रक्षा के लिये खर्च करना पड़े।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी कहा है कि देश की रक्षा के लिये अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने डिफेन्स का बजट बढ़ायेंगे, जरूरत पड़ी तो हम अपने डेवलपमेन्ट का खर्चा कम करेंगे, हर तरह से मुल्क की रक्षा करेंगे। यदि यह खतरा हमारे कन्धों पर है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश को अपने रिसोर्सेज के ऊपर खड़ा होना होगा, ज्यादा से ज्यादा बलिदान जनता से मांगना होगा और जनता से इसके विरुद्ध प्रदर्शन के लिये जाना, उसके अन्दर एक रोष पैदा करना बिल्कुल अनुचित है। कौन ऐसा आदमी है जो टैक्स देना चाहता है। मैं अपने माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जब फस्ल के दाम १० रुपये मन भी नहीं थे और जब वही १५, १६ रुपये मन हो गयी तो कहां उन्होंने हड़तालें कीं कि यह भाव बढ़ता चला जा रहा है। अब भी हमने यह देखा कि यह हड़ताल किस तरह से हुई। आज जहां एक तरफ हड़ताल है वहां दूसरी तरफ दो रुपये सेर चीनी, चार आने का एक पान, एक रुपये का एक सेर आटा बिक रहा है। ऐंटी—सोशल यह आर्डिनेन्स नहीं है। ऐंटी—सोशल वे लोग हैं जिन्होंने जनता का शोषण किया है, जिन्होंने ब्लैकमार्केटिंग की है, जिन्होंने जनता को भूखा मारने के लिये, जनता को खुदकशी करने के लिये ऐंटी—सोशल एलीमेंटस को उत्तेजित किया है। उपाध्याय जी ने उचित ही कहा है कि हड़ताल करना प्रदर्शन करना ही कोई उचित उपाय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि राजनारायण जी को और हमारे दूसरे लोगों को तो हमारा कृतज्ञ होना चाहिये कि कम से कम उनको अपना प्रोपेगंडा करने का सरकार के प्रति रोष प्रकट करने का एक मौका तो हमने दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि पालीवाल जी का चुनाव हो या किसी का हो यदि हमारी नजरें चुनाव की तरफ होतीं तो हम यह रास्ता अख्तियार करते कि प्रदेश की प्रगति हो चाहे न हो हम कर नहीं बढ़ायेंगे। पहले भी एक मौका आया था जब कि हमने अनाज पर लेवी लगाई थी तो उस समय भी यही कहा था और हमारे सामने एक प्रलोभन था विदेशों से अनाज लेने का। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने २० करोड़ रुपये के अनाज के आफर को यह कह कर ठुकरा दिया कि यदि मैं विरोधी दल के लोगों की आवाज से घबराकर इस आफर को मंजूर करता हूं तो मैं अपने देश की आजादी के साथ सौदा करता हूं। लोग इस पर मेरे लिये यही कहेंगे कि जवाहर लाल गद्दार हैं और इसने गांधी जी की आजादी को कुरबान कर दिया और लोगों के चिल्लाने की परवाह न करके मैं इसको ठुकराता हूं और मैं अपने देश के लोगों से कहूंगा कि आप लोग भूखे रहें। मैं जनता के सामने जाऊंगा तो लोग भले ही मुझे काला झंडा दिखायें और मेरे गले में जूतों की माला डालें लेकिन मैं विरोधी दल के लोगों को खुश करने के लिये २० करोड़ के अनाज के इस आफर को हिन्दुस्तान की, अपने प्यारे भारतवर्ष की आजादी को खोकर मंजूर नहीं कर सकता हूं।

[श्री बनारसी दास]

इसलिये जैसी कि समस्या उस समय हमारे सामने थी। जरा राजा साहब कृपा करके आराम के साथ सुनें। इसमें कोई संदेह नहीं है कोई शक नहीं है कि राजा साहब को भी जनता के साथ बड़ी हमदर्दी है और राजा साहब ने हमदर्दी का दरिया भी बहाया है। अभी हाल में माननीय जयप्रकाश जी ने कहा था कि एक तरफ तो मजदूर कहता है कि उसको मजदूरी नहीं मिलती है और दूसरी ओर पूंजीपति कहता है कि मैं अपनी सारी सम्पत्ति दे देता हूं। लेकिन गांधीवाद कहता है कि यदि मजदूर साहस करके आठ आने फेंक दे तो इतना नैतिक बल उसको प्राप्त हो जायगा कि उसके कारण करोड़ों रुपये पूंजीपतियों से आ जायेंगे। जैसा कि हमारे जयप्रकाश जी ने कहा कि यदि हमारे मजदूर कुर्बानी करें तो इतना नैतिक बल उनको प्राप्त हो जायगा कि पूंजीपति अपना पैसा राष्ट्र के हित के लिये छिपा नहीं सकता है। आज आपको राष्ट्र का उत्थान करना है और इसके लिये आपको त्याग और बलिदान करना ही होगा और इसके साथ-साथ साधनों पर भी गौर करना होगा कि किन साधनों से हमें धन प्राप्त हो सकता है जिससे हम अपने देश का उत्थान कर सकें।

इसलिये जहां तक इस आर्डीनेन्स का सवाल है यह एक दवा है, एक औषधि है। यदि यह एक अनाड़ी के हाथ में होगी तो नुक्सान हो सकता है और यदि एक होशियार डाक्टर के हाथ में होगी तो इससे जान बचाई जा सकती है। यह अच्छा डाक्टर जानता है कि किस मौके पर पेंसलिन दी जाती है और किस मौके पर सल्फा ड्रग देने की जरूरत है। इसलिये इस आर्डीनेन्स की मैरिट पर विरोध करना एक राजनीतिक जगलरी है, एक राजनीति का वितन्डावाद है इसके मकसद को देखना है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि सस्ते चुनाव का तरीका विरोधी लोग न अपनावें। यह भी हो सकता है कि चुनाव में हम हार जायं लेकिन जनता हमको पहचानेगी। हम बड़े से बड़े बलिदान करेंगे और भारत के उस सुनहरे स्वप्न को लाना चाहेंगे जिसको हम आज देख रहे हैं। हम अपना खून और पसीना बहाकर नया हिन्दुस्तान बनायेंगे। आज कांग्रेस नया भारत बनाने के लिये जनता को कुरबानी करने के लिये आवाहन करती है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये से इस सदन के मेम्बरान से दरख्वास्त करूंगा कि वह कुछ देर मेरी गुजारिश को जरा ध्यान से सुनें। इसके बाद मैं यह उम्मीद करूंगा कि जो कुछ मैंने यहां अर्ज किया उसका कोई असर सुनने वालों की तबीयत पर हुआ। आज की तारीख में जब कि इस शानदार सदन की उम्र २८ वर्ष की है तो पहली दफा एक रिजोल्यूशन एक आर्डीनेन्स को डिसएप्रूव या नामंजूर कर देने के मुताल्लिक हमारे सामने आया है।

जहां तक उस आर्डिनेन्स का सम्बन्ध है मुझको अफसोस है कि उसके मुताल्लिक मेम्बर साहबान की तबियत में एक गलतफहमी है और वह यह है कि गवर्नमेंट ने उनको इस काबिल नहीं समझा कि इस आर्डिनेन्स के निकालने में उनसे मशविरा करती। इसके सिलसिले में मेरे दोस्त प्रस्तावक साहब ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा है यह भी उन्होंने बतलाया है कि मैंने अपनी गुजिश्ता तकरीर में इस सदन के अन्दर यह अर्ज किया था कि मेम्बरान को जो कानून लाया जायगा उसकी इत्तिला दी जायगी और जो टेक्स लगेगा वह मेम्बर साहबान के मशविरे से लगाया जायगा। मगर अमलन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यकलख्त एक रोज सुबह को आर्डिनेन्स लोगों के सामने आ गया जिससे लोगों को, मेम्बरान को बहुत ही ताज्जुब और तकलीफ हुई अब उस दिन जो अर्ज किया था वह इस वक्त मेरे सामने है। एक लफ्ज में मेरे दोस्त ने अपनी

तकरीर में उस को बयान कर दिया लेकिन जितनी पूरी बात मैंने अर्ज की थी वह उन्होंने नहीं फरमाई। वह यह थी उस का थोड़ा हिस्सा मैं आप की इजाजत से पढ़ना चाहता हूं। मैं अर्ज करना हूं कि हाउस के बिना इत्तला के टैक्स नहीं लगेगा हम जो कानून लाकर सामने रखेंगे उस कानून के जरिये से सब बातें मेम्बर साहबान को मालूम हो जायेंगी और उस पर पूरा मुबाहसा होगा। मैं जानता नहीं कि उस में यहां तक कोई कमी है वरना जो कुछ मैंने अर्ज किया और अपनी इस गुजारिश को जो मैंने पढ़ा उस के मुताबिक इस पर अमल किया गया। जो आर्डिनेन्स लाया गया इस सदन में भी उस की कार्यवाही की मेम्बर साहबान को इत्तला होने वाली है। वह पहला कदम था।

आर्डिनेन्स क्यों लाया गया उसकी बाबत दो ऐतराज किये गये। एक यह था कि कोई इमरजेन्सी ऐसी नहीं थी जिसमें आर्डिनेन्स लाया जाता। दूसरी यह कि यह आर्डिनेन्स कानून के खिलाफ और संविधान के खिलाफ लाया गया। जहां तक इमरजेन्सी या जरूरत का ताल्लुक है बरखिलाफ इसके कि जो मेम्बर साहब ने फरमाया मैं समझता हूं कि इस मौजूदा लेजिस्लेचर और इस सदन की इस मौजूदा तारीख में अगर कभी कोई जरूरत पैदा हुई किसी कानून को आर्डि-नेन्स के जरिये से प्रोमलगेट करने की तो वह इसी आर्डिनेन्स के जरिये जरूरत हुई। आज इस वक्त जब कि मैं इस ऐवान में खड़ा हूं मेरे इल्म में वह बातें आ रही हैं जिन बातों की बिना पर मैंने इस आर्डिनेन्स को गवर्नमेंट की इजाजत से निकाला। अभी तक हमारे राज्य की जो इस सेल्स टैक्स से आमदनी थी वह ५ करोड़ साल की थी।

ऐसी चीजों पर टैक्स लगाया गया जिन पर पहले नहीं था। सिर्फ गल्ला या नमक की बात नहीं है। अगर यह आर्डिनेन्स की शकल में नहीं किया जाता और मामूली तरीके से बिल की शक्ल में कानून इस ऐवान के सामने लाया जाता जैसा कि आम तौर से होता है, और जब कानून बनाया जाता है, तो उसके पास होने में २ महीने लगते या जो भी अर्सा लगता उस में मुझे इस में कोई शुबहा नहीं है कि गल्ले के बेचने वाले अपने स्टाक को अन्डरग्राउंड कर लेते और आपको उस आमदनी से जो टैक्स के जरिये वसूल हो सकते हैं महरूम कर देते। मैं एक फर्जी बात कहता हूं। यहां इस हाउस में गल्ले पर टैक्स लगाने की बहस चल रही है और उस मुबाहिसे के दौरान में जिस में काफी दिन लग सकते हैं कितना गल्ला अन्डर ग्राउंड चला जाता है यह कोई अचम्भे की बात नहीं है कि ऐसा कहीं दुनियां में नहीं हुआ हो। टैक्स के सिलसिले में यह करना ही पड़ता है। हमेशा तो नहीं लेकिन कुछ खास सूरतों में ऐसा करना लाजमी हो जाता है। मैं यह समझता हूं कि जरूरत पड़ने पर ही मुल्क में ऐसी बातें होती रही होंगी।

गवर्नमेंट ने इस गरज से कि ऐसी कार्यवाही न होने पावे, इसे आर्डिनेन्स की शक्ल में जारी किया है। आर्डिनेन्स की जिन्दगी ६ हफ्ते की होती है। उससे ज्यादा कोई टैक्स चल नहीं सकता है तावक्ते कि यह हाउस और काउन्सिल उसे कानून की शक्ल न दे। जब कानून बन जावेगा तो जो प्राविजन्स इसमें हैं उनमें से अगर कोई मन्सूख हो गया, मान लीजिये कि नमक पर टैक्स नहीं होना चहिये या जहां हमने चार पाई रखा है वहां ३ पाई होना चाहिये, तो वह बात मानी जायेगी और वही कानून होगा। कुछ मकसदों को हासिल करने के लिये यह चीज हमारे संविधान में रखी गई है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट के लिये उसे इस्तेमाल करना उचित था। रही कन्स्टीट्यूशन की बात। वह लम्बी है। अगर इस स्टेट का एक हाउस प्रोरोग कर दिया जाय तो आर्डिनेन्स हो सकता है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने इस बात को सही मान कर इसकी बिना पर आप की आर्टीकिल १७४ को अमेंड किया, इसलिये कि एक हाउस को एडर्जन होने के बाद आर्डिनेन्स बनाया जा सकता है। उस में लफ्ज का या स्प्रिट का कोई फर्क नहीं है। मैं समझता हूं कि वह बिलकुल कानून के मुताबिक हुआ है और उसके ऊपर कोई कानूनी ऐतराज नहीं किया जा सकता है। मगर हमारे एक दोस्त ने जो इस संशोधन के प्रस्तावक हैं जो इस रेज्यूलेशन में पेश है एक रूलिंग पेश की।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

मैंने आपसे उसको मांगा जिसको मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। वह रूलिंग हाईकोर्ट ने आर्डिनेन्स के मामले मे दी थी।

श्री राजनारायण--आप उस रूलिंग को छोड़ दीजिये जनता जो रूलिंग दे रही है उसको लीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं तकरीर अपनी अक्ल से करता हूं किसी दूसरे की अक्ल से नहीं। हाईकोर्ट के सामने मसला यह था कि कुछ कारणों से उस आर्डिनेन्स को वाइड कर दिया जाय। उसमें वह साफ-साफ इस नतीजे पर पहुंचे हैं। उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाये देता हूं:--

"for these reasons I cannot bring myself to hold that the promulgation of the ordinance is illegal and in my opinion, therefore, the ordinance is not void."

यह नतीजा है उन तमाम बातों का जिसकी अफवाह उधर से की गयी थी और जो कुछ उधर से कहा जा रहा था उसके खिलाफ उन्होंने फैसला दिया है।

अब मैं जरा सी बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। वह यह है कि अब मैं यह बहस नहीं करता कि रुपये की जरूरत है, मैं यह बहस नहीं करता कि आपको डेवलपमेन्ट करना है। यह सब समझते है कि जो कुछ हमें करना है और जितने रुपये की जरूरत है। इस आर्डिनेन्स से जो स्कीम है मैं उसकी हकीकत को बयान कर देना चाहता हूं कि इस सदन में २३ मार्च को बजट खत्म हुआ, एप्रोप्रियेशन बिल पास हुआ और बजट पर डिसकशन खत्म हुआ और २४ तारीख को कौंसिल से हुआ। उसके बाद ५-६-८-१० रोज जो हो गये वे हो गये। इसमें कुछ चीजें पहले से हमने सोच रक्खी थीं जिन पर टैक्स बढ़ाना था। यह तो शिकायत नहीं की जा सकती है कि हाउस को इत्तिला नहीं की गयी कि सेल्स टैक्स बढ़ेगा। मैंने यह पहले ही अर्ज कर दिया था कि सेल्स टैक्स बढ़ेगा इतना इशारा दिया जा चुका था। उसको जो सूरत देनी है वह सूरत अभी नहीं दी गयी है। वह सूरत आज देखना हो तो जो टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट निकली है उसके अन्दर मौजूद है। जहां तक गवर्नमेन्ट की ख्वाहिश है वह यही है कि हम अपने यहां जो भी टैक्स लगायें वह उसी के मुताबिक लगायें। जिस कमेटी का मेरे दोस्त जो इस रिजोल्यूशन के प्रस्तावक हैं उन्होंने हवाला दिया उस कमेटी के टर्म्स आफ रिफरेंस में यह बात नहीं थी लेकिन उन्होंने भी स्कीम को बदलने की रिपोर्ट की है, रिकमेंडेशन तैयार की है। अभी यह तो कहा नहीं जा सकता है कि गवर्नमेन्ट के पास वह रिपोर्ट आ गयी है लेकिन उन्होंने सिफारिश की है कि सिंगिल पाइन्ट टैक्स लगाया जाय। कमीशन भी कहता है और इंक्वायरी कमेटी भी कहती है कि सिंगल पाइन्ट टैक्स लगाया जाय।

हम उसको लगाना चाहते हैं और उस को लगाने के लिये एक खास तैयारी की जरूरत है और वह तैयारी यह है कि जितने यहां के डीलर हैं उन सब के रजिस्ट्रेशन का इंतजाम किया जाय जिसमें कम से कम ६-७ महीने लगेंगे। यह सब करने के लिये और इसके मुताल्लिक और बातें करने के लिये जिस वक्त की जरूरत है वह वक्त बिताना था। अब यह साल जो चल रहा है और इस साल में जो ज्यादा रुपये की जरूरत है और अगर जैसा कि मेम्बरान को याद होगा कि साढ़े ९ करोड़ रुपये का डेफिसिट है इस को भी मैं मान लूं कि कुछ खर्च का एकोनामी से पूरा किया जाय और दूसरी सूरतों से बचाया जाय लेकिन यह बात देखने के लिये है कि यह शक्ल टैक्स की जो आर्डिनेन्स में है उसको किस

शक्ल में हमें मंजूर करना है, उससे कितना रुपया मिल सकेगा और अगर उस साढ़े ६ करोड़ रुपये में से अगर साढ़े ५ करोड़ रुपया मिलने वाला है तब भी काफी गैप रहना है और उस को कवर करने का कोई कोशिश नहीं की गई है और उस के लिये कोई टैक्स आप के सामने नहीं आया है। मैं इस सूरत में अर्ज कर दूं कि गवर्नमेन्ट चाहती है कि जो योजना हमारी है उस के लिये पैसा आए और गवर्नमेन्ट ने यह एक सूरत सदन के सामने रख दी। अब रहा यह कि किस चीज पर टैक्स हो सिंगिल्ल पाइंट हो या मल्टिपिल पाइंट हो और कितना लगे और किसी तरीके से अगर लोगों को रिलीफ मिल सकती हो तो वह जरूर मिले और यह सब आप तय कर देंगे और थोड़े दिन बाद जब सब चीजें मंजूर हो जायेंगी तो वह शक्ल आप के सामने आ जायगी ?

अब रही यह बात की किस चीज पर टैक्स लगे या किस चीज पर न लगे या किस चीज पर कम लगे और फलां चीज पर ज्यादा लगे यह ऐसी बात नहीं है कि जिस पर किसी को बेइतमिनानी हो। लेजिस्लेचर में वह तमाम चीज आयेंगी और उन को आसानी से घटाने-बढ़ाने का अख्तियार होगा। अगर लेजिस्लेचर तय कर देगा कि नमक पर टैक्स न लगाया जाय तो गवर्नमेन्ट को इसमें क्या एतराज होगा ? हम सब को फिर भी एक बात देखनी होती है और हम सब उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं इधर वाले भी और उधर वाले भी कि हमको रुपया पैदा करना है लेकिन मैं एक आम बात कहता हूं और वह मैंने पहले भी कही थी कि हम इससे ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते कि सेल्स टैक्स बढ़े या कौन सा टैक्स घटे, लेकिन कोई सूरत इस चीज की जरूर निकले कि स्टेट के काम के लिये जितने पैसे की जरूरत है वह किसी टैक्स से जनता के चन्दे से या मुफ्त लेकर कहीं से मिल जाय। जिस तरह से भी हो उस कदर इन्तेजाम किया जाय हम को इतना चाहिये इस से ज्यादा नहीं। अब रहा सेल्स टैक्स के बारे में कहीं हड़ताल हो या किसी की तबियत में बेचैनी हो तो मैं समझता हूं बेचैनी की कोई वजह नहीं है। एक सेल्स टैक्स कमेटी है जो हमने बैठाई है उसका मैंने जिक्र किया उसने भी सेल्स टैक्स बढ़ाने की सिफारिश करने का इरादा किया है इसके अलावा जब हाउस में आइटम्स आयेंगे तो सदन को अख्तियार होगा कि वह देखें कि किन चीज पर लगायें या न लगायें या कितना लगायें और कितना न लगायें इसमें गवर्नमेन्ट को ज्यादा इसरार न होगा। हमें तो जितने रुपये चाहिये वह कहीं से मिलना चाहिये। मेरे दोस्त ने अपनी तकरीर में मालूम नहीं कहां से बिहार और मद्रास के सेल्स टैक्स का हवाला दिया उन्होंने, तिवारी जी ने फरमाया कि वहां गल्ले पर टैक्स आजादी से पहले सन् ३६ में लगा था।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैंने मद्रास के लिये कहा था, बिहार में सन् ४४ में कहा था।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह कानून मेरे पास रखा है। जरा मोटा है सारे राज्यों के कानून मेरे पास मौजूद हैं। बम्बई में सन् ४७ में बना है आजादी के बाद। वह जो सन् ३६ का मद्रास के अन्दर चला आता है उसमें सन् ५५ में अमेंडमेन्ट हुआ है और वह अमेंडमेन्ट इसमें मौजूद है। आंध्र जो अब बना है उस में अब लगा है गल्ले के उपर टैक्स मैं नहीं समझता कि वहां किसी ने उसपर मुखालिफत की। मेरे दोस्त ने शरह की बात कही। मैं यह भी बतला देता कि वहां क्या शरह है और यहां क्या शरह है। यह मैं बतला दूंगा कि जिस वक्त बहस होगी और (व्यवधान) मैं एक बात अर्ज करूं कि आप इस सदन को ऊपर से नीचे देखें और मेम्बर से आपके जरिये दरख्वास्त करता हूं कि वे सुनें . . . .

कई सदस्य—सुनाई नहीं देता ।

श्री अध्यक्ष—(श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम से) जब आप उधर मुंह कर बोलने लगते हैं तो इधर वाले सुन नहीं पाते ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह हमारे भाई मिनिस्टर साहब बीस वर्ष से हमारे इस ऐवान के अन्दर बैठने वाले हैं कभी उधर के थे अब बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से इधर के हो गये हैं लेकिन मैंने ऐसी तहजीब और शायस्तगी का सबूत इस ऐवान की तवारीख में कभी नहीं पाया, जैसा कि हमारे दोस्त राजनारायण जी इजहार कर रहे हैं।

श्री राजनारायण—ग्रान ए प्वाइंट ग्राफ ग्रार्डर । क्या सदन में उस भाषण को भी होने दिया जाय जो सम्मानित सदस्य सुन न पायें ?

श्री अध्यक्ष—मैं कोशिश यही करता हूं कि माननीय वक्ता का भाषण सुन लें लेकिन मैं हर हरकत के ऊपर यह नहीं कर सकता कि बिजली का बटन दबा दूं और प्रश्न हल हो जाय ।

श्री राजनारायण—यह पालियामेंटेरियन व्यवस्था का प्रश्न है । जहां तक मैं समझता हूं बहुत सी बातें आप भी सुन न पाते होंगे ।

श्री अध्यक्ष—यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो खुद इनग्राडिबिल होते हैं । कुछ लोग यह चाहते हैं कि उनके शब्द सुनाई न दें ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मुझको हैरत यह है कि जब मैं इस हाउस में यह सवाल लेकर मेम्बरों के सामने आता हूं कि मेम्बर्स जिस जगह पर बैठे हों उस जगह पर वे सुन सकें तो मेरे दोस्त उसकी मुखालिफत करते हैं । आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो खर्चा इस स्टेट का ३१ मार्च से पहले सन् ५६ तक था उसको छोड़ कर इस प्लान में जो १ अप्रैल, सन् ५६ से शुरू हुआ है ५ वर्ष के अन्दर जो खर्च होने वाला है उसमें से ७० करोड़ रुपया वह है जो राजस्व से है । रेवेन्यू से होगा । उसमें प्लानिंग कमीशन से यह तय हुआ है कि ४४ करोड़ रुपया खुद यू० पी० बरदाश्त करेगा और बाकी रुपया गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से मिलेगा, जिसका साफ मतलब यह है कि ४४ करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ाने का इंतजाम होना है । उसको सालों में अगर तकसीम किया जाय तो करीब नौ करोड़ रुपये के हिसाब से ४५ करोड़ रुपया होना है । उस नौ करोड़ का इंतजाम इस साल करना है । अगर हम प्लान को पूरा करना चाहते हैं अगर हम एकोनामी करें और दूसरे जरियों से पैसा हासिल करें तो उसको ज्यादा खर्च करने के काबिल बनायें । अलावा प्लान के हम जानते हैं कि हर साल कुछ ऐसे अनएवायडबिल खर्च पैदा होते रहते हैं जिनके ऊपर हमें खर्च करना पड़ता है हर साल पांच—छः करोड़ के सप्लीमेन्टरी एस्टीमेंट्स आते हैं । उसमें से फर्ज कीजिये कि ६ करोड़ में से यह कहा जाय कि चार करोड़ तो ऐसा है जिस को मानना चाहिए और २ करोड़ को नहीं मानना चाहिये । तो वह चार करोड़ भी जो हम पर खर्च बढ़ता है वह भी तो कहीं से आना चाहिये। उन सब रुपयों को बालाय ताक रख कर उन तमाम खर्चों को बालाये ताक रख कर जो हमारे सूबे में से हैं और आइन्दा भी पूरा करना है उन सब को अलग रख कर इतना रुपया हम को ४४ करोड़ रुपया ५ साल के अन्दर ९ करोड़ रुपया सालाना उसका इन्तजाम करने की तो जरूरत है । उसको पूरा करने के लिये यह कदम उठाया गया । अगर इस ऐवान को यह कदम उठाया जाना पसन्द

नहीं है जैसा कि चारु मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि मुख्तलिफ किस्म के पैगाम मेरे पास कानपुर से और दूसरी जगहों से लाते हैं, शिकायतें लाते हैं वह सब कुछ मालूम हुआ और सब सुन रहा हूं मैं कहता हूं आज इस ऐवान में अन्दर जहां कि कुछ मेम्बरान की तरफ से यह शिकायत होती है मैं कहता हूं कि गवर्नमेन्ट इस पर इसरार नहीं करती कि यह टैक्स जरूर लगाया जाय। सिर्फ यह अर्ज करता हूं कि हमें अपना काम करने के लिये उस रुपये को पैदा करना है तो जो दूसरे जराये मुनासिब समझते हों उस रुपये को पैदा करके के वह बताए।

श्री राजनारायण—आप वापस ले लें। हम आपको रास्ता बतलायेंगे।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री राजनारायण—श्रीमान्, कुछ समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—अगर पांच बजे के बाद समय लेना चाहें तो आप बैठक का समय बढ़ाने का एक प्रस्ताव लाएं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय ताकि इस महत्वपूर्ण विषय पर पूरा विचार हो सके।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—मेरा प्रस्ताव है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय पहले इस पर राय ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष—समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राथमिकता लेगा क्योंकि समय बढ़ाने का जब सवाल आयेगा तो उसके अनुसार लोग अपनी राय बदल सकते हैं कि विवाद अभी खत्म करना है या नहीं। एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय तो उत्तर देने में एक घंटा तो वह लेंगे नहीं, विवाद खत्म करने का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर जवाब देने का उनको एकदम से मौका आ जायगा और उनको घंटा भर मिल नहीं सकता। कायदे से तो दूसरों को भी भाषण देने का समय बढ़ने पर मौका मिलना चाहिए। तो पहले मैं इसके ऊपर राय ले लेता हूं कि समय बढाना है या नहीं। एक चीज तो स्पष्ट है ही कि यह प्रस्ताव कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय अगर स्वीकार भी हो जाता है तो १५ और १५ तीस मिनट लगेंगे। उसका मतलब यह होगा कि १५ मिनट आप बोलेंगे। उसके बाद में आज काम खत्म कर दूंगा और कल उसके ऊपर वित्त मंत्री जी आखिर में जवाब देंगे। फिर राय ली जायगी। अगर समय बढ़ा दिया जायगा तो दूसरी हालत होगी।

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरा प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले यह तय हो जाय, अब मैं प्रस्ताव पहले लेता हूं। कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री रामेश्वरलाल द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--श्रीमान, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब सरकार ने इस बात का पूरा मौका दिया और कल घोषणा भी की कि इस पर पूरा विवाद करने का अवसर दिया जायगा तो फिर एक घंटा या आधा घंटा बढ़ाये जाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिये। और मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि विषय का महत्व देखते हुए स्वयं राजी हो जायं।

श्री अध्यक्ष--वह तो एक तरह से फैसला हो गया।

मैं एक सूचना और देना चाहता हूं इस विषय में कि गवर्नमेन्ट की तरफ से यह विधेयक मेरे पास आ चुका है और शायद वे उसे आज ही उपस्थित कराना चाहते थे, लेकिन चूंकि आज थोड़ा सा वादविवाद रखा गया था अध्यादेश को कैंन्सिल करने के प्रस्ताव पर इस कारण मैंने उचित नहीं समझा कि विधेयक को कार्यवाही में आज ही शामिल करूं। उस विधेयक पर भी जनरल डिस्कशन होगा जब विधेयक सामने आयेगा और मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी कल उसको पेश करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि वह जल्दी ही आने वाला है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह जनाब बिलकुल सही है। कल के मुताल्लिक स्पेसिफिकली इरशाद फरमाया इसलिये मुझको ताम्मुल सा हुआ कि आयेगा या नहीं, लेकिन बहुत जल्द यकीनन आने वाला है।

श्री अध्यक्ष--मतलब यह साफ मालूम होता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के दफतर से मेरे पास जो इत्तिला आयी है उसका उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरे पास वह विधेयक आ चुका है। मैंने ही उसे एजेंडे में आज नहीं रखा। तो मेरे पास वह आ तो चुका ही है। अगर गवर्नमेन्ट यह लिखकर नहीं भेजेगी कि उसको कल न रखा जाय तो मैं उसे रख दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि वह आने वाला है और इसलिये उस वक्त जनरल डिस्कशन में मौका एक दफा और मिलेगा जिसमें कि एक घंटे या दो घंटे की लिमिट नहीं रहेगी तो जनरल डिस्कशन इस विषय पर फिर भी हो सकता है इसलिये इसमें आज और ज्यादा समय बढ़ाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं मालूम होती।

(कुछ ठहरकर)

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार स्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--१८३

विपक्ष में--२१।)

श्री अध्यक्ष--(माननीय नारायण दत्त तिवारी से) आप पन्द्रह मिनट बोल सकते हैं। आप भाषण कल भी जारी रखेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं यह अर्ज करूं कि आप कल को कर लेंगे पूरी तकरीर।

श्री अध्यक्ष--आज इसे खत्म करना चाहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

श्री अध्यक्ष--(श्री नारायणदत्त तिवारी से) आप अगर चाहे तो कल ही पूरी तकरीर कर लें। पन्द्रह मिनट कल ही ले लें। उनके कहने का मतलब यह है कि आधी तकरीर आज हो और आधी कल हो बजाय इसके कल ही आप पूरी तकरीर कर लें। वह कुछ और सूचना देना चाहते हैं।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक पर विवाद का कार्यक्रम

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं जनाब से और इस हाउस से माफी चाहता हूं कि मुझसे एक गलती हुई कि आज सुबह यहां यह दरियाफत किया गया था कि एस० आर० सी० रिपोर्ट पर जो बिल तैयार हुआ है उस पर यहां बहस होगी कि नहीं होगी तो मैंने उस वक्त यह अर्ज कर दिया था कुछ अपनी मालूमात की बिना पर कि नहीं होगी, मगर मैं यह इत्तिला देता हूं आपके जरिये से हाउस को कि उस पर बहस होगी, और उसकी तारीख मेरे खयाल में बहुत मुनासिब यह है कि ६ तारीख रख ली जाय ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, उसके लिए तो हम लोग अभी तैयार नहीं हैं क्योंकि हम लोग समझते हैं कि १७ तारीख अगर रखी जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—वह तो लेट हो जायगा उसके पहले ही यह प्रश्न सदन में आना चाहिये ।

मुख्य मन्त्री (डाक्टर संपूर्णानन्द)—बात ऐसी है कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने हमारे गवर्नमेंट की राय मांगी है १५ तारीख तक । तो १५ तारीख तक गवर्नमेंट की राय भेज ही सकते हैं लेकिन मैं चाहता था कि सदन की राय भी चली, जाय क्योंकि उस वक्त उस पर गौर करना शुरू कर दें, इसलिये यह मुनासिब समझा । वैसे तो और कोई भी तारीख हो सकती थी लेकिन ६ तारीख मैं खास तौर से सदन के सामने रखता हूं । इसकी वजह यह है कि कुछ और सदनों में जो हमारे पास-पड़ोस में हैं वह ६ तारीख के बाद ही गौर करने वाले हैं। तो हमारे यहां कुछ विचार हो जाय तो उनको भी कुछ बल मिल जायगा । इसलिये इन बातों को सोच कर रखा है । इसलिये जो प्रतियां हैं वह आज रात को शायद बट जायंगी ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, हमारी दिक्कत यह है कि हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं वह बाहर गये हुये हैं और यह एक ऐसा इम्पार्टेन्ट मसला हमारे सामने है कि उस पर ६ को ही जो परसों होता है उस दिन बहस हो जायगी तो यह आपकी इच्छा है लेकिन एक-दो दिन और तारीख बढ़ जाय तो हमको जरूर आसानी हो जायगी, क्योंकि ऐसा इम्पार्टेन्ट मसला है कि मैं अपनी जिम्मेदारी से कुछ नहीं कह सकता । इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि अगर कल समय दे दें कि कोई तारीख निश्चित होगी और कुछ दिन बढ़ा दें तो उससे काम चल जायगा।

श्री अध्यक्ष—राजा वीरेन्द्र शाह, आप कुछ कहना चाहते हैं ?

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—मुझे तो आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक सुझाव आया था कि ६ और ९ को दो रोज बहस उस पर रहे। इस सम्बन्ध में कुछ कहना है ?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सेटरडे को भी बहस हो जाय तो बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण सवाल है इसलिये ६, ७ तारीख को बहस हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—६-७ को बहस हो सकती है। कल इसके ऊपर फाइनल विचार होगा ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला बलिया)--७ को तो सनीचर है?

श्री अध्यक्ष--आपने सूचना दे दी कि उस पर बहस होगी। हम कल उस पर विचार कर लें कि कब होगी। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, कल तक विधेयक की प्रतियां बंट जायंगी।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उम्मीद है कि आज रात को बंट जायंगी।

श्री अध्यक्ष--तो कल आखिर में बात तय होगी उसे कल बता दिया जायगा।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
४ अप्रैल, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४-५ के उत्तर पीछे पृष्ठ १७२ पर)

आजमगढ़ जिले की तहसील फूलपुर के उत्तरी भाग में गुड़ योजना के अन्तर्गत सन् १९५४-५५ तक की प्रगति निम्नलिखित थी :—

	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२	१९५४-५५
१—कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	७२	२४	२४	२४
२—केन्द्रों की संख्या	६	२	२	२
३—शिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या	१३	०	०	०
४—उन्नतिशील भट्ठियों का निर्माण	३०१	०	०	१०
५—किसानों की संख्या जिनको देवला बीज बांटा गया	७२	०	०	०
६—उन्नतिशील कोल्हुओं की संख्या जो बांटे गये	४	७	५	३२
७—उन्नतिशील कढ़ाव की संख्या जो बांटे गये	०	०	०	०
८—प्रदर्शन—				
(अ) कोल्हू	५	०	२	२
(ब) भट्ठठी पर	५	०	२	२
(स) रस की सफाई के साधनों पर	५	०	२	२
९—गुड़ उत्पादकों द्वारा उत्पादन:—				
(अ) उन्नतिशील भट्ठियों पर	६३५ मन	०	०	२५० मन
(ब) उत्तम गुड़	०	०	०	१०० मन
(स) कपास के रंग के गुड़ का उत्पादन	१ मन २० सेर	०	०	०

उपरोक्त क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत १९५५-५६ में फरवरी, १९५६ तक जो प्रगति हुयी उसका वितरण निम्नलिखित है:—

१—कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामों की संख्या	७२
२—केन्द्रों की संख्या	६
३—शिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या	१

	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५४–५५
४—उन्नतिशील भट्ठियों का निर्माण				३७
५—किसानों की संख्या जिनको केवल बीज बांटा गया				३५
६—उन्नतिशील कोल्हुओं की संख्या जो बांटे गये				८
७—उन्नतिशील कढ़ाव की संख्या जो बांटे गये				०
८—प्रदर्शन:—				
(अ) कोल्हू पर				१०
(ब) भट्ठियों पर				१०
(स) रस की सफाई के साधनों पर				१०
९—गुड़ उत्पादकों द्वारा उत्पादन:—				
(अ) उन्नतिशील भट्ठियों पर				३००० मन
(ब) उत्तम गुड़				३६० मन
(स) कपास के रंग के गुड़ का उत्पादन				२मन

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८३ पर)

सन् १९५६ की नमक की जोनल योजना

(एक मीटर गाज वैगन में २९५ मन नमक आता है।)

राजस्थान साल्ट सोर्सेज डिवीजन सांभर से नमक का एलाटमेन्ट

जिले का नाम			निर्धारित मासिक कोटा (मीटर गाज-वैगन)
१—पीलीभीत	..	..	२३
२—गोरखपुर	..	..	८३
३—बलिया	..	..	४३
४—बस्ती	..	..	८७
५—देवरिया	..	..	७५
६—नैनीताल		..	२७
७—अलमोड़ा		..	३४
८—गढ़वाल	..	..	२६
९—टेहरीगढ़वाल	..	..	२१
१०—खीरी	..	..	४४
११—गोंडा	..	..	७६
१२—बहराइच	..	..	४९
१३—आजमगढ़			८६
१४—गाजीपुर			४३

७१७ मीटर गाज वैगन प्रति माह
अथवा
८६०४ मीटर गाज वैगन प्रति वर्ष

सन् १९५६ की नमक की जोनल योजना

(एक ब्राड गाज वैगन में ५८० मन नमक आता है)

खारागोडा से एलाटमेन्ट

जिले का नाम			निर्धारित मासिक कोटा (ब्राड गाज वैगन)
१—देहरादून	..	..	८
२—सहारनपुर	..	..	३१
३—बिजनौर	..	..	२२
४—मुरादाबाद	..	..	३४
५—बांदा	..	..	२०
६—हमीरपुर	..	..	१७
७—झांसी	..	..	२२
८—जालौन	..	..	१८
९—इलाहाबाद	..	..	४७
१०—रायबरेली		..	२७
११—फतेहपुर	..	..	२०
१२—कानपुर	..	..	४०—१५ *(बम्बई के नमक के स्थान पर)
१३—लखनऊ	..	..	२८

जिले का नाम			निर्धारित मासिक कोटा (ब्राड गाज वेगन ।)
१४—उन्नाव	..	..	१९
१५—सीतापुर	..	..	२८
१६—रामपुर	..		१३
१७—बरेली	..	..	२८
१८—आगरा	..	..	३४
१९—मथुरा	..	..	२३
२०—अलीगढ़	..	..	३८
२१—बुलन्दशहर		..	३५
२२—मेरठ	..	..	४२
२३—मुजफ्फरनगर	..	..	२८

६२२+१५=६३७ ब्राड गाज वैगन प्रति माह
अथवा
७६४४ ब्राड गाज वैगन प्रति वर्ष

सन् १९५६ ई० की नमक की जोनल योजना

(एक मीटर गाज वेगन में २९५ मन आता है ।)

खरांगधरा से अलाटमेन्ट

जिले के नाम			निर्धारित मासिक कोटा (मीटर गाज वेगन)
१—शहाजहांपुर	..		४९
२—हरदोई	..		६४
३—फर्रुखाबाद	..		५२+१०* (बम्बई के नमक के स्थान पर)
४—मैनपुरी	..		५२+१०* (बम्बई के नमक के स्थान पर)
५—इटावा	..		५२+१०* (बम्बई के नमक के स्थान पर)
६—बदायूं	..	..	५०
७—एटा	..	..	४३

३६२+३०=३९२ मीटर गाज प्रति माह
अथवा
४७०४ मीटर गाज प्रति वर्ष

कान्डला मे अलाटमेन्ट

जिले के नाम			निर्धारित मासिक कोटा (मीटर गाज वैगन)
१—मिरजापुर	..	..	४६
२—बनारस	..	..	८०
३—जौनपुर	..	..	६६
४—फैजाबाद	..	..	६४
५—बाराबंकी	..	..	५८
६—प्रतापगढ़	..	..	५२
७—सुलतानपुर	..	..	५४
			४२० मीटर वैगन प्रति माह

अथवा

५०४० मीटर वैगन प्रति वर्ष

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२० एल० ए०—१९५६—७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ५ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२४८)

अंमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरू, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण शरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथमल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री

दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति, राम श्री
देव राम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधर्मी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राज नारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री

राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअवतारसिंह यादव, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्री निवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हमीदखां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ५ अप्रैल, १९५६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों का पद एवं गोपनीयता की शपथ लेना

**१—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय जनवरी, १९५६ में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ विधान सभा मे विचारार्थीन था तो यह शंका उपस्थित की गई थी कि जब तक राज्य के उपमंत्री और सभासचिव, अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राज्यपाल महोदय के सम्मुख शपथ नहीं लेते तो वह संविधान के अनुसार विधिवत् कार्य नहीं कर सकते ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां ।

**२—श्री नारायणदत्त तिवारी—यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उप-मंत्रियों तथा सभा सचिवों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने मुख्य मंत्री को अधिकृत कर दिया था। तदनुसार मुख्य मंत्री ने प्रत्येक उपमंत्री तथा सभा सचिव को अपने कार्यभार संभालने से पूर्व शपथ दिलाई । अतः अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मुख्य मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्य मंत्री जी को उपमंत्रियों तथा सभासचिवों को गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिये विधान की किस धारा के अनुसार अधिकृत किया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—राज्यपाल को शपथ दिलाने का अधिकार है और विधान की किसी धारा में ऐसा नहीं लिखा है कि वे किसी दूसरे को अधिकृत नहीं कर सकते इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि उनको अधिकृत करने का अधिकार है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को यह पता है कि जिस दिन यह शंका विधान सभा में उठाई गई थी उसी दिन माननीय अध्यक्ष ने एक शब्द यह प्रयुक्त किया था कि "समझदार को इशारा काफी" तो उस सम्बन्ध में इशारे को समझते हुये मुख्य मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की ।

श्री अध्यक्ष—मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं देता । मैं स्पष्ट कर दूं कि वह द्व्यर्थक बात मैंने कही थी और दोनों ओर उसका इशारा होता था । मैंने कोई फैसला नहीं दिया था इसलिये यह प्रश्न नही उठता । हमेशा यह होता है कि कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो उसमें बातों में गर्मी को टालने के लिये कुछ ऐसी बात कि जिसमें लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आगे के विषय की ओर चले ऐसा मैं कह देता हूं । इसलिये मैं उक्त प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस आज्ञा के अनुसार राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्य मंत्री जी को अधिकृत किया था उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस वक्त तो वह प्रति मेरे पास नहीं है परन्तु मैं आप की आज्ञा से सदन का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जेनरल एलेक्शन के बाद जबकि पहली बार गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त भी उपमंत्रियों की नियुक्ति हुई थी और उस वक्त जो तत्कालीन गवर्नर थे उनके अधिकृत किये जाने के बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने उपमंत्रियों को शपथ दिलाई थी और उस समय सदन में या सदन के बाहर किसी तरफ से कोई आक्षेप नहीं किया गया। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि इसको कन्वेंशन कहा जाय सदन ने [illegible] लिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि दूसरे राज्यों में तथा केन्द्र में जहां पर कि यही विधान लागू है वहां पर किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा मुख्य मंत्री जी को या किसी और मंत्री जी को अधिकृत नहीं किया जाता बल्कि राज्यपाल या राष्ट्रपति स्वयं ही शपथ दिलाया करते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जहां तक मैं जानता हूं [illegible] लेकिन यह दुर्भाग्य है कि उन्होंने अपने यहां कोई नया कन्वेन्शन बनाने की कोशिश नहीं की है? हम अपने यहां नये कन्वेन्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह बहुत अच्छी बात मालूम होती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गवर्नर महोदय द्वारा अधिकृत किये जाने का यह भी अधिकार मानते हैं कि सभा सचिव और उपमंत्री लेजिस्लेटिव कौंसिल में भी जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष—यह स्वतंत्र भिन्न प्रश्न है और कानूनी सवाल है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

तारांकित प्रश्न

बलिया जिले के हलधरपुर थाने के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)**—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के हलधरपुर थाने की पुलिस के विरुद्ध ७ व ८ मास के भीतर थाने के ग्राम अकोल्हा, सरैयां, गड़रा, चकरा, रतनपुरा, और चलईपुर से बहुत से व्यक्तियों की दरख्वास्तें पुलिस कप्तान, बलिया और उनके पास आई हैं जिनमें डकैती एवं चोरी की रिपोर्ट न लिखने, निर्दोष व्यक्तियों को मारने एवं घूस लेने तथा स्त्रियों के साथ बलात्कार करने आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—मामलों की रिपोर्ट न लिखने तथा घूस लेने की शिकायतें पुलिस कप्तान को प्राप्त हुई थीं। परन्तु किसी स्त्री पर बलात्कार करने की कोई शिकायत नहीं आई।

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई, तथा उसका परिणाम क्या निकला?

श्री जगनप्रसाद रावत---इन शिकायतों की जांच डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस द्वारा की गई जिसके परिणाम स्वरूप एक सब-इंस्पेक्टर तथा दो कांस्टेबुलों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

*३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जांच करने वाले अधिकारियों ने मौके पर जा कर प्रार्थियों से बयान और प्रमाण नहीं लिये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जांच मौके पर जाकर की गई और संबंधित व्यक्तियों के बयान व प्रमाण भी वहीं लिये गये।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मामलो की रिपोर्ट न लिखने तथा घूस लेने की कितनी शिकायतें पुलिस सुपरिटेंडेन्ट, बलिया को प्राप्त हुई थीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---एक साहब ने शिकायत की थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि पुलिस सुपरिटेंडेट ने डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट द्वारा जांच सवाल करने के बाद कराई ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह सम्भव हो सकता है कि उधर उसकी दरख्वास्त आयी हो इधर आपने सवाल किया हो और दोनों के बीच में कहीं जांच हो गयी हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन सब-इंसपेक्टर और कांस्टेबिलों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जा रही है ये तीनों कर्मचारी उसी थाने में मौजूद है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जिन सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच की जा रही है वे ट्रेनिंग में गये हुये थे और ट्रेनिंग से लौटने के बाद उनके खिलाफ जांच हुई।

श्री राम सुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभागीय कार्यवाही कब से प्रारम्भ हुई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैंने जैसा कहा, वह ट्रेनिंग से लौट कर जब आये कुछ दिन हुये तभी विभागीय कार्यवाही शुरू हुई।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो प्रत्येक जिले में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस इस काम के लिये नियुक्त किया गया है उसके द्वारा यह जांच क्यों नहीं कराई गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---यह जांच का काम पहले ही शुरू कर दिया गया था और डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, जो इस काम के लिये नियुक्त हुये हैं उनकी नियुक्ति कुछ बाद में हुई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि उन दोनों कांस्टेबिलों और सब-इंस्पेक्टर के उस थाने में मौजूद रहने के कारण लोगों को विभागीय कार्यवाही में गवाही देने मे दिक्कत हो रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---गवाहियां बहुत आसानी से आयीं। कठिनाई तो कोई नहीं दिखाई देती।

जिला बलिया के थाना भरलीपुर में डकैती

*४—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि भरलीपुर थाना गड़वार जिला बलिया में ९ और १० अक्तूबर, १९५५ के बीच की रात में कोई डाका पड़ा था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं ।

*५—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि इस सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—प्रश्न ही नहीं उठता ।

*६—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला उन्नाव में हत्यायें व डाके

*७—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में जुलाई, १९५५ से १५ फरवरी, १९५६ तक कितनी हत्याएं हुईं और कितने डाके पड़े ?

श्री जगन प्रसाद रावत—२० हत्यायें हुई और १७ डकैतियां पड़ीं ।

*८—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष डेढ़ महीने अर्थात् १ जनवरी से १५ फरवरी, १९५६ तक कितनी हत्याये हुईं और कितने डाके पड़े ?

श्री जगन प्रसाद रावत—६ हत्याये हुईं और १० डकैतियां पड़ीं ।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उनमें से कितने मामले अदालत में भेजे गये और कितने सजायाब हुए ?

श्री जगनप्रसाद रावत—१–७–५५ से १५–२–५६ तक २० मामले आए और उसमें से १६ अदालत में भेजे गये और १–१–५६ से १५–२–५६ तथा ६ मामलों की रिपोर्ट आई और ४ मामले अदालत में भेजे गए और डकैती के १–७–५५ से १५–२–५६ तक ८ मामले न्यायालय में भेजे गये । और १–१–५६ से १५–२–५६ तक २ मामले न्यायालय में भेजे गए ।

श्री रामदुलारे मिश्र—मैंने यह पूछा था कि जो मामलें अदालत में भेजे गए उनमें से कितने सजायाब हुए ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वह अभी तो न्यायालय में विचाराधीन है ।

*९—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—[२ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला बहराइच के थाना पयागपुर में डकैती

*१०—श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बहराइच के पयागपुर थाना में अभी हाल में जो डकैती पड़ी है उसमें कितना माल असबाब लूटा गया और कितने आदमी घायल हुये तथा मरे ?

नोट—तारांकित प्रश्न ४–५ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

नोट—तारांकित प्रश्न ७–८ श्री रामदुलारे मिश्र ने पूछे ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---५१० रु० का माल असबाब लूटा गया। तीन आदमियों के चोटें आई, मरा कोई नहीं।

*११---श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि डाकुओं की संख्या कितनी थी तथा उनके पास क्या-क्या हथियार थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कहा जाता है कि १३ डाकू थे और उनके पास बन्दूक, देसी पिस्तौल और लाठियां थीं।

*१२-१३---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---[हटा दिये गये।]

जिला आजमगढ़ में पिस्तौल के लाइसेंस

*१४---श्री वृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या यह सत्य है कि आजमगढ़ जिले में बहुत से व्यक्तियों के पिस्तौल के लाइसेंस इस वर्ष जब्त कर लिये गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी नहीं।

*१५---श्री वृजविहारी मिश्र---यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री वृजविहारी मिश्र---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिस्तौल के लाइसेंस होल्डरों की संख्या ५४-५५ में कितनी थी और ५५-५६ में वह कितनी रह गयी है ?

श्री अध्यक्ष---यह सवाल इससे उठता नहीं है। आपने तो जब्ती के बारे में मूल प्रश्न में पूछा था कि कितने जब्त हुये ?

श्री वृजविहारी मिश्र---क्या पिस्तौल का लाइसेंस देने के नियम में सरकार ने कोई संशोधन किया है ?

श्री अध्यक्ष---यह भी नहीं उठता। जब वे इन्कार कर रहे हैं कि जब्त ही नहीं हुये तो यह प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री वृजविहारी मिश्र---इसीलिये मैंने सवाल किया कि कितनी संख्या ५४-५५ में थी और कितनी ५५-५६ में थी।

श्री अध्यक्ष---आप तो क्रास एग्जामिनेशन कर रहे हैं।

गजटेड अफसरों के इण्टेगरिटी सर्टीफिकेट रोकने के लिए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश

*१६---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Disciplinary Proceedings Inquiry Committee की इस सिफारिश पर, कि उन गजटेड अफसरों के Integrity Certificate को रोक लिया जाय जिनके रहन-सहन का स्तर उनकी आर्थिक सीमा के बाहर है और जो विभागीय अपने अफसर द्वारा पूछे गये तत्संबंधी प्रश्न का समुचित उत्तर न दे सकें सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार ने Disciplinary Proceedings Inquiry Committee की यह सिफारिश मान ली है और संबंधित अधिकारियों को इस विषय पर आदेश भेज दिया गया है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह आदेश किस तिथि को भेजे गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---३० जनवरी, १९५३ को।

श्री गंगा प्रसाद सिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस बीच में किसी अधिकारी के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत सरकार के पास आई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तीस जनवरी से लेकर आज तक सारा रेकार्ड मेरे दिमाग में नहीं है। बगैर इत्तिला के बतला नहीं सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---कोई गजटेड आफिसर अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करता है इसके जानने के लिये सरकार ने क्या तरीका अख्तियार किया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---स्टेटिक तरीका तो होना नहीं है, रहन-सहन को देखा जाता है। ऊपर के आफिसर जिनको इंटेग्रिटी सार्टिफिकेट देना होता है उनसे उम्मीद की जाती है कि वे देखेंगे इस बात को।

*१७-१८---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) [१८ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ५९-६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मथुरा जिले में डकैती व कत्ल

*१९---श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में सन् ५४-५५ व ५६ में कितनी डकैती व कत्ल हुये हैं?

*२०---उक्त कत्लों में कितने केसों में सजा हुई तथा कितने छूटे हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गई सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०२ पर)

*२१---श्री रामहेत सिंह (अनुपस्थित)---[२४ अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला देवरिया के बरियारपुर ग्राम में नयी पुलिस चौकी की स्थापना

*२२---श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला के कोतवाली देवरिया के बरियारपुर ग्राम में कोई नई पुलिस चौकी स्थापित की गई है? यदि हां, तो कब से?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां, बरियारपुर में एक अस्थाई पुलिस चौकी सितम्बर १३, १९५४ से स्थापित है।

*२३---श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि बरियारपुर चौकी के पास अपना भवन है? यदि नहीं, तो क्या सरकार कर्मचारियों की सुविधार्थ उक्त चौकी को निकटस्थ ग्राम बैकुन्ठपुर में ले जाने के प्रश्न पर विचार कर रही है जो उसी क्षेत्र का बाजार व एक छोटा कस्बा है?

श्री जगनप्रसाद रावत---बरियारपुर चौकी के पास कोई अपना भवन नहीं है और यह गांव वालों द्वारा निःशुल्क दिये गये एक मकान में स्थित है। इसको बरियारपुर से हटाने का कोई विचार नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो बरियारपुर ग्राम की चौकी जो बार्डर पर स्थित है उसकी सिचुएशन को देखते हुये इसे चौकी के स्थायी करने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—चौकी अपना कार्य कर रही है अगरअनुभव से ऐसा प्रतीत होगा कि इसको स्थायी कर दिया जाय तो कर देंगे।

श्री रामेश्वरलाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चौकी जहां स्थित है वहां वह छोटी गंडक नदी और एक दो नालों से घिरी हुई है और बरसात में लोगों के तथा सिपाहियों के आने जाने में असुविधा होती है, इस बातको ध्यान मे रखते हुये इस चौकी को वहां से ट्रांसफर करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब यह चौकी वहां कायम की गई थी तो इन सब बातो पर विचार कर लिया गया था।

जिला देवरिया में डकैती, चोरी इत्यादि

*२४—श्री रामेश्वरलाल—क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला में सन् १९५५ में कितनी चोरी, डकैती, बलवे, कत्ल एवं बैल खोलाई की घटनाये अलग-अलग थानों में हुई ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मांगी हुई सूचना संलग्न विवरण पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३०३ पर)

श्री रामेश्वरलाल—क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि प्रस्तुत तालिका के अनुसार दवरिया जिले के जो स्थान बोर्डर पर स्थित है वहां ज्यादा घटनायें हुई है यदि हा तो क्या वह उसका कारण बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो स्पष्ट ही है कि बोर्डर पर जो गांव स्थित होते हैं वहां पर लोग इस प्रकार के जुल्म करके सरहद पार कर चले जाते है और उनके पकड़ने में कठिनाई होती है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या मंत्री जी इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुये इस पर विचार करेंगे ताकि बैलों की चोरी कम हो जाय ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस पर कार्यवाही जारी है।

*२५-२७—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हाकिम परगनों के इजलास तहसील में स्थायी रूप से खोलने पर विचार

*२८—श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाकिम परगनों के इजलास तहसील में स्थायी रूप से खोलने को निश्चय कर लिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जैसा कि मैंने सामान्य प्रशासन का अनुदान उपस्थित करते हुये बतलाया था, इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

श्री कामताप्रसाद विद्यार्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पर अंतिम निर्णय कब तक हो जाने वाला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जब सब जगह से सूचना आ जायगी कि कहां मकान है कहां नहीं है, किस किस अफसर को कहां रहना चाहिये और कौन का जुरिस्डिक्शन कहां होना चाहिये यह सब इत्तिला अभी नहीं आई है।

जिला इलाहाबाद के थाना सराय अकिल में कत्ल, चोरी व दफा १०७ के मुकदमें

*२९—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इलाहाबाद जिले के थाना सरायं अकिल में फरवरी, १९५५ से फरवरी, १९५६ तक कितने कत्ल हुये तथा चोरी के मुकदमें में दर्ज किये गये और उनमें कितने मुकदमें चालू किये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—२ कत्ल तथा ६५ चोरियों की रिपोर्ट की दर्ज की गई। कत्ल का एक और चोरियों के १९ मुकदमें न्यायालय में भेजे गये।

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले के सरायं अकिल के थाने में पिछले ६ माह में कितने मुकदमें दफा १०७ जाब्ता फौजदारी के चलाये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—सितम्बर, १९५५ से फरवरी, १९५६ तथा पुलिस की रिपोर्ट पर कुल ५ मुकदमें धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत चलाये गये ?

श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो चोरी का मुकदमा नहीं चलाया गया वह क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत—क्योंकि उसमें कोई चीज साबित नहीं हो पाई।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन चोरियों में कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—८८ आदमी पकड़े गये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि दो रिपोर्टें ऐसी लिखाई गई थीं कि जिन में पुलिस वालों के विरुद्ध भी चोरी करने का अभियोग लगाया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यहां सब रिपोर्टों की तफसील मेरे पास नहीं है कि किस किस्म की रिपोर्ट लिखाई गई थीं।

*३१-३२—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—[२६ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

गाजियाबाद में पुलिस फोर्स बढ़ाने के संबंध में पूछताछ

*३३—श्री तेजासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार गाजियाबाद में जहां से देश विदेश के महापुरुष बहुधा गुजरते हैं पुलिस फोर्स बढाने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

थाना जालौन के अन्तर्गत पिछले दो वर्षों में हत्यायें

*३४—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार जिला जालौन में थाना जालौन के अन्तर्गत सन् १९५४-५५ व सन् १९५५-५६ में प्रति वर्ष कितने २ कत्ल हुये इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*३५—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितने कत्ल के मामलों में पता लगाने में पुलिस को सफलता मिली तथा किन २ मामलों में मुल्जिमों को सजा मिली ?

*३६—क्या सरकार यह बतायेगी कि अभी कौन २ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी गई सूचना संलग्न नक्शे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३०४ पर)

श्री बसन्तलाल—जो मैंने प्रश्न पूछा था उसमें नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की मांग की गयी थी। इसमें नाम नहीं आये, इसलिये मैं पूरी सूचना प्राप्त नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—मुझे इस बात का अधिकार है कि कोई वैयक्तिक बात अगर आप पूछें तो उसे प्रश्न में से काट सकता हूं। मैंने इसी प्रकार उतने भाग की इजाजत नहीं दी।

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह १९५५ में जो दो रिपोर्टें लिखाई गई हैं उनके नाम बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन कत्ल हुए ?

श्री जगनप्रसाद रावत—तफसील तो मेरे पास नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो कत्ल हुये हैं उनमें से कितने ऐसे मामले हैं कि जिनमें मुलजिम नहीं पकड़े जा सके हैं अभी तक ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसमें तो दो ही हैं और दोनों ही चालान हो गये हैं।

श्री बसन्तलाल—यह जो सन् १९५४ में ३ कत्ल दिये गये हैं उनमें एक में सजा हुई, एक छूट गया और तीसरा जिसका पता नहीं चला, उसका क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—बात यह है कि ऐसे मामले भी हो जाते हैं कि जिसमें कोई नाम बतलाया नहीं जाता और असली आदमी जिसने कत्ल किया है उसका पता नहीं चल पाता।

*३७—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—[१९ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

नये विधायक निवास से विधान भवन आने जाने में विधायकों को कठिनाई

*३८—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि विधान भवन से आने जाने वाले विधायकों को तथा अन्य संबंधित जनों को नये निवास भवन को आने जाने में राजमार्ग की व्यस्तता के कारण चिन्तनशील स्थिति में पार करना कठिन हो जाता है और संकट का स्वरूप सामने आ जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जी नहीं।

*३९—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार कोई सुगम मार्ग (Underground or flooring bridge) बनवाने पर विचार करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

श्री जोरावर वर्मा—विधायक निवास से विधायकों को आने जाने में जो अड़चन व कठिनाई होती है उसको दूर करने के लिये क्या माननीय मंत्री कोई व्यवस्था करेंगे जिसमें कि वे सुविधापूर्वक आ सकें ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३८-३९ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जवाब में यह कहा गया है कि नहीं की गई है। इसलिये नहीं की गई है कि उस जगह पर लड़कों का कुछ बदलाव होने वाला है जिसके जरिये से यह बात खुदबखुद जाती रहेगी। अगर इत्तिफाक ऐसा हुआ कि वह नहीं हुआ और वह चीज बाकी रही तो इन्तजाम हो जायगा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री को इस बात का ज्ञान है कि पिछले साल वहां पर एक कांस्टेबिल किसी कार से टकरा कर मर गया?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, मुझे इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री इस सुझाव पर विचार करेंगे कि रायल होटल के पास जो चौराहा है और हजरतगंज के पास बीच में ५ मील की रफ्तार से गाड़ी चलाने का आदेश दिया जाय?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अगर मुझे कोई वजह बतलायेंगे मेरे दोस्त मुझ से मिल कर तो मैं बकोशिश करूंगा कि ऐसा हो।

सहारनपुर जिलान्तर्गत के जंगलाती ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा बाबड़ घास के ठेके के कुप्रबन्ध की शिकायत

*४०—**श्री राम नारायण त्रिपाठी**—क्या मुख्य मंत्री को जंगलाती ग्राम पंचायत इलाका घाड़, जिला सहारनपुर के प्रधान का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें निकासी रवन्ना न दिये जाने और ठेके के कुप्रबन्ध आदि के विषय में शिकायत है?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—जी हां।

*४१—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—क्या मांगें न पूरी होने पर जनता की ओर से भूख हड़ताल करने की सूचना दी गई है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, परन्तु कन्जरवेटर महोदय से बातचीत करने के बाद भूख हड़ताल का इरादा स्थगित कर दिया गया है।

*४२—**श्री रामनारायण त्रिपाठी**—यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जांच की जा रही है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वह कौन २ सी शिकायतें प्रार्थना-पत्र में थीं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह बाबड़ घास लेने की बात थी कि हमें बाबड़ घास गृह उद्योगों के लिये मिले।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा करायी जा रही है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अपने जंगलात के कंज़र्वेटर द्वारा यह प्रश्नोत्तर में लिखा है।

डाकू मान सिंह की मृत्यु के उपरान्त उसके गिरोह द्वारा वारदातें

*४३—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मान सिंह डाकू की मृत्यु के बाद उसके गिरोहों की हलचलों की स्थिति क्या है? उनके द्वारा कितनी वारदातें हुईं और कितने आदमी मारे गये?

श्री जगनप्रसाद रावत—मानसिंह डाकू की मृत्यु के बाद उसके गिरोह की बागडोर रूपा ने संभाली। शस्त्रों की कमी के कारण गिरोह कुछ काल के लिये तितर-बितर हो गया। इस बीच में रूपा ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और उसने लाखन नामक एक दूसरे नामी डकैत से भी संधि कर ली। इस संयुक्त गिरोह ने हर प्रकार से अपराध कर जनता को आतंकित करना शुरू कर दिया। अब तक इस गिरोह द्वारा की गई १३ वारदातों की सूचना मिली है जिसमें १२ व्यक्ति मारे गये।

*४४—**श्री देवकीनन्दन विभव** (अनुपस्थित)—क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की इन डाकुओं के सम्बन्ध में जो सम्मिलित योजना थी उसे क्यों समाप्त किया गया और इन गिरोहों को खत्म करने के लिये अब क्या प्रयत्न किया जा रहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—संयुक्त डकैती मोर्चे की स्थापना उत्तर प्रदेशीय तथा मध्य भारत पुलिस द्वारा कुख्यात डाकू मानसिंह व अन्य डाकुओं के गिरोहों को समाप्त करने के लिये की गई थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के बाद संयुक्त मोर्चे का सामूहिक संचालन अनिवार्य नहीं समझा गया। अतएव उसे ३१ जनवरी, सन् १९५६ से समाप्त कर दिया गया। मानसिंह के शेष गिरोह को समाप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत की पुलिस द्वारा कार्यवाही जारी है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि रूपा और लाखन सिंह के उत्पात को देखते हुए वह पुनः वहीं ज्वाइंट कमांड की व्यवस्था कायम करने की कृपा करेंगे ताकि शान्ति और व्यवस्था कायम हो सके?

श्री जगनप्रसाद रावत—काफी विचार करने के बाद ही यह निर्णय किया गया है कि अब इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि ज्वाइंट कमांड को भंग करने से ही लाखनसिंह और रूपा का उत्पात अधिक बढ़ गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी बात नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार को मालूम है कि ज्वाइन्ट कमांड बन्द करने के कारण देवी सिंह, कुख्यात डाकू उस इलाके में पैदा हो गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—देवी सिंह तो बहुत पहले से है। जहां तक देवी सिंह का ताल्लुक है उसका कार्य हमारे उत्तर प्रदेश में करीब करीब नहीं के बराबर है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)—क्या सरकार को विदित है कि मानसिंह के मरने के बाद रूपा के गिरोह ने एक-एक रात में तीन-तीन गांव लूटे हैं और एक-एक दिन में चार-चार कत्ल किये हैं जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था?

श्री जगनप्रसाद रावत—माननीय सदस्य की यह सूचना सही है।

नोट—तारांकित प्रश्न ४३-४४ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कष्ट करेंगे कि रूपा के गिरोह ने कितने पुलिस के कर्मचारियों को मारा है और उनके मरने के बाद सरकार ने उनके परिवार का क्या इन्तजाम किया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मानसिंह के मरने के बाद १२ आदमियों का कत्ल हुआ है। इसमें कुछ कांस्टेबिल भी है। जो भी कांस्टेबिल या दूसरे पुलिस के अफसर डकैतों का मुकाबला करने में मारे जाते हैं उनके परिवार को तात्कालिक सहायता दे दी जाती है और उसके बाद उसका स्थायी प्रबन्ध भी किया जाता है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार इस नतीजे पर अभी नहीं पहुंची कि जो आपरेशंस वहां पर किये गये हैं, जो प्रबन्ध किया गया है वह इस खतरे का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त साबित हो रहा है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो प्रबन्ध अपर्याप्त होता है उसकी कमी को पूरा करने की कोशिश की जाती है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि १२ आदमी जो मारे गये इसमें कितने डाकू थे, इनमें कोई डाकू भी था ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इनमें तो कोई डाकू नहीं था।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि रूपा और लाखन आज कल हमारे प्रदेश में हैं या प्रदेश के बाहर ?

श्री जगन प्रसाद रावत—आज और कल की बात तो मुझे मालूम नहीं।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो डाकुओं से मुकाबला हुआ उनमें कोई डाकू भी मारा गया या नहीं मारा गया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—मुकाबले में आदमी नहीं मारे गये। यह उन लोगों ने कत्ल किया। मुकाबले से तो वह लोग भागते रहते हैं इस बीच में।

अस्थायी आडीटरों का स्थायी न किया जाना

*४५—**श्री रामसुभग वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि गत ७-८ वर्षों से सुपरवाइजर और एकाउन्टेन्ट के पदों से तरक्की पाकर आये हुये रिक्त स्थानों पर काम करने वाले आडीटरों को स्थायी घोषित नहीं किया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी आडिटरों को स्थायी घोषित न करने का क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—गैर-मुस्तकिल मुलाजमीन जो हैं किसी मुहकमे के, वह मुस्तकिल जब किये जाते हैं जो मुस्तकिल तादाद मुकर्रर है मुहकमे की उस तादाद में बढ़ोतरी की जाय। जिस वक्त मौका आयेगा बढ़ोतरी करने का तब इनमें से मुस्तकिल होने का नम्बर आयेगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी और स्थायी आडिटरों के वेतन-क्रम क्या हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—तनख्वाहों में कोई फर्क नहीं है। फर्क यह होगा कि कोई दो वर्ष का होगा, कोई तीन वर्ष का होगा, जितने इन्क्रीमेंट्स होते रहते हैं उसके हिसाब से फर्क होगा।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अस्थायी आडिटरों को स्थायी घोषित करने पर वह विचार करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने तो विचार का समय बतला दिया है। विचार का समय आयेगा तो विचार जरूर करेंगे।

फैजाबाद जिले में राजनैतिक पेंशन की अदायगी

*४६—**श्री रामदास रविदास** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद जिले में कितने आदमियों को राजनैतिक पेन्शन दी गई है और कितने-कितने रुपये मासिक की ?

श्री जगन प्रसाद रावत—१६ व्यक्तियों को। अलग-अलग व्यक्तियों को दी गयी पेंशन की रकमें भिन्न-भिन्न हैं।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन व्यक्तियों को कितने रुपये की मासिक पेंशन दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—मै यह उचित नहीं समझता हूं कि राजनैतिक पेंशन पाने वालों में हर एक का नाम लिया जाय। आप किसी का नाम न पूछिये।

श्री रामदास रविदास—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १६ आदमियों को पेंशन दी गयी है उनके अलावा कुछ ऐसे आदमी हैं जिनका केस सीरियस था, उनको कुछ नहीं मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह हो सकता है। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। ज्यों-ज्यों केस सामने आते जाते हैं विचार होता जाता है। अभी अन्तिम विचार नहीं हुआ है इसलिए कई लोगों के नाम बाकी होंगे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कोई ऐसा सिद्धान्त है जिसके अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक मासिक पेंशन दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई विशेष सिद्धान्त तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज से कई वर्ष पहले जब पोलिटिकल पेंशन देना शुरू हुआ था उस वक्त कुछ ऐसी बहस चल गयी थी कि १० रुपये से ज्यादा किसी को न दिया जाय और अधिक स अधिक की बात यह है कि उसी का पालन करीब-करीब हो रहा है। कम से कम के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है लेकिन जाहिर है कि १५-२० रुपये महीने से कम किसी को क्या दिया जायगा ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या चीफ मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके बतायेंगे कि जिन सियासी सफरर्स को आपने इमदाद दी है उस इमदाद को तय करने के लिए कोई कमेटी है या कोई फर्द है जो इसको तय करता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी पूरी जिम्मेदारी अकेले मेरी है।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सहायता लम्प-सम भी दी जाती है या माहवारी दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पेंशन तो माहवारी ही दी जाती है, लेकिन मैं सदन में जिक्र कर चुका हूं बजट के सिलसिले में कि लड़कियों की शादी के सिलसिले में यकमुश्त रुपया भी दिया गया, या रोजगार के लिए कुछ दिया गया है। लेकिन १०-५ ही ऐसे केसेज होंगे।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो राजनीतिक पीड़ित शरीर से अयोग्य हैं उनके लिए प्राथमिकता देने का विचार गवर्नमेंट के ध्यान में है कि उनको प्राथमिकता दी जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--विचार का सवाल नहीं। इस पर तो काफी मुद्दत से अमल हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पर बोलते हुये यह स्वीकार किया था कि किसी राजनीतिक पीड़ित को २० रुपये से कम पेंशन नहीं दी जायगी? यदि हां, तो क्या इसका आदेश राजनीतिक पीड़ित विभाग के विशेषाधिकारी को हिदायत कर दी गई कि वे राजनीतिक पीड़ित जो इससे कम पेंशन पाते हैं उनको २० रुपये कर दी जाय?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इधर जिन लोगों को पेंशन दी जा रही है उनको अब २० रुपये से कम नहीं दी गयी है। इससे पहले कुछ लोग ऐसे थे जिनको कम रही है लेकिन पेंशन और महंगाई मिला कर उनको १५ रुपये मिलते हैं। पहले इन केसेज को देखने के बाद इन केसेज को देखेंगे और इनको मिलने की व्यवस्था करने का प्रयत्न होगा, हां अगर किसी की दरख्वास्त आ गई है तो उनको बढ़ा दिया गया है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या चीफ मिनिस्टर साहब मेहरबानी करके फरमायेंगे कि जिन लोगों को अपनी लड़कियों की शादी के लिये या जरूरत के मौके पर इमदाद पोलिटिकल सफरर्स को दी जाती है उनकी जरूरियात का तअाउन करने के लिये दरयाफ्त करने का उनके पास क्या तरीका है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आम तौर से लड़कियों की शादी के लिये हम पांच सौ रुपये देते हैं चाहे जरूरत कुछ भी हो लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दो सौ या ढाई सौ अपनी तरफ से चाहे तो यह उनकी मेहरबानी है, हम इससे ज्यादा उनको नहीं देते।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राजनीतिक पेंशनों में वृद्धावस्था के लिये जो आयु रखी गई है वह क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--आम तौर पर हम ५० वर्ष मानते हैं।

चौकीदारों के स्थानों की समाप्ति

*४७--श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किस-किस जिले में चौकीदारी के स्थानों को खत्म कर दिया गया है और इस वर्ष वह किन-किन जिलों में खत्म करने जा रही है?

श्री जगन प्रसाद रावत--चौकीदारों को हटा कर उनके स्थान पर कांस्टेबुलों को नियुक्त करने की योजना को प्रतापगढ़ और बुलन्दशहर जिलों के क्रमशः बघराय और सिकन्दराबाद पुलिस सर्किलों में प्रयोगात्मक रूप से चालू किया गया है। केवल उन्हीं सर्किलों में चौकीदारों को हटाने का अभी निश्चय किया गया है। प्रदेश के अन्य कुछ अथवा समस्त जिलों में चौकीदारों को इस वर्ष हटाने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री हरिप्रसाद--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां पर चौकीदारों को हटा कर कांस्टेबिल रखे गये हैं वहां के मैनेजमेंट में कुछ फर्क पड़ा?

श्री जगन प्रसाद रावत---अभी यह प्रयोग शुरू ही हुआ है।

श्री हरिप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि और जिलों में कितने दिनों में चौकीदारों को हटाया जायगा ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जब इस प्रयोग को देख लेंगे और अगर यह प्रयोग सफल होगा तो और जिलों में भी करेंगे।

जिला इटावा में १९५५ में डकैतियां व कत्ल

*४८---श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर दिनांक १ जनवरी, सन् १९५५ से ३१ दिसम्बर, सन् १९५५ तक कितनी डकैतियां हुई हैं तथा कितने व्यक्ति डाकुओं द्वारा कत्ल किये गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत---२८ डकैतियां हुई जिनमें ३ व्यक्ति मारे गये।

श्री मिहरबान सिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के अन्दर मानसिंह का लड़का तहसीलदार सिंह जो गिरफ्तार किया गया है उसमें वहां के स्थानीय किसी अहीर का हाथ था जिसकी वजह से वहां के लोगों को डाकू मारते और नुकसान पहुंचाते है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---इसकी कोई खास सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन माननीय सदस्य का विचार मुमकिन है कि ठीक हो।

श्री मिहरबान सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इटावा जिले के अन्दर वहां के अहीरों को डाकू लोग मार रहे है और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---वह तो जो भी वहां के आसपास के गांव हैं सभी में उन्होंने आतंक मचा रखा है। उसमें अहीर या किसी खास कौम के खिलाफ कोई बात हो ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जहां पर ऐसा आतंक मचा हुआ है वहां पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री जगन प्रसाद रावत---जहां इस प्रकार का आतंक होता है हम अपनी पी० ए० सी० का फोर्स रखते हैं और जो भी कुछ इन्तजाम हो सकता है वह करते हैं।

श्री मिहरबान सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से मध्य भारत की सरकार ने वहां के लोगों के लिये अपनी रक्षा के लिये बन्दूक के लाइसेंस देने की आम तौर पर घोषणा कर दी है उसी तरह से वहां के लोगों को अपनी रक्षा के लिये बन्दूक का लाइसेंस देने की सरकार घोषणा करेगी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---हम तो जिसको हथियार की आवश्यकता होगी उसको लाइसेंस देंगे, किसी खास को इसकी छूट नहीं दे सकते।

निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों को स्वीकृत २ रु० वृद्धि का वन विभाग के खूंट मुहर्रिरों को न दिया जाना

*४९---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार द्वारा पिछली वर्ष निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन २) मासिक की जो वृद्धि स्वीकृत हुई थी, उसे वन विभाग के खूंट मुहर्रिरों पर भी लागू किया गया है या नहीं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार जिस प्रकार से फारेस्ट गार्डों को दो रुपया मासिक रुपये की वृद्धि प्रदान की है उसी प्रकार से खूंट मुहर्रिरों को भी दो रुपया मासिक वेतन वृद्धि देने का विचार करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——जी नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन खूंट मुहर्रिरों की तनख्वाह क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——इनका कोई फिक्स स्केल नहीं है और यह दैनिक वेतन पर कार्य के लिये गये हैं । इनका कोई मासिक वेतन नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको दैनिक वेतन क्या मिलता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

वन विभाग के निम्न कर्मचारियों को वर्किंग प्लान ड्यूटी पर विशेष वेतन का दिया जाना

*५८——**श्री नारायणदत्त तिवारी**——क्या सरकार को ज्ञात है कि वन विभाग के निम्न कर्मचारियों को वर्किंग प्लान ड्यूटी पर मिलने वाला विशेष वेतन पिछले वर्ष से या तो घटा दिया गया है, या समाप्त कर दिया गया है जबकि गजटेड आफिसरों का विशेष वेतन उसी प्रकार बना हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——वन विभाग में वर्किंग प्लान ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में केवल रेंजरों को ही विशेष वेतन मिलता रहा है । नियमानुसार इस विशेष वेतन की अधिकतम मात्रा २५ रु० मासिक हो सकती है । सन् १९५४ से पहले इन रेंजरों को विशेष वेतन २५ रु० मासिक की दर से दिया जाता था, परन्तु अब इसकी मात्रा घटा कर १५ रु० मासिक कर दी गई है । १९५४ ही से सरकार ने बहुत से गजटेड अफसरों के विशेष वेतन बिलकुल बन्द कर दिए हैं और इन अफसरों में वर्किंग प्लान ड्यूटी करने वाले असिस्टेंट कंजरवेटर आफ फारेस्ट्स भी सम्मिलित हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी——क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि रेंजरों को जो मासिक विशेष वेतन दिया गया है उसकी मात्रा घटा कर १५ रुपया कब से कर दी गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——यह सन् ५४ से पहले की गयी है । ठीक तो नहीं मालूम, लेकिन अन्दाजा बताया जा सकता है कि वह दो तीन साल पहले ही किया गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी——क्या यह सही है कि वर्किंग प्लान ड्यूटी पर काम करने वाले कर्मचारियों में रेंजरों के अलावा और दूसरे कर्मचारियों को भी वर्किंग प्लान मिलता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——डिप्टी रेंजर वगैरा को भी मिलता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी——क्या यह सही है कि वन कर्मचारी ऐसोसियेशन का एक डेपुटेशन माननीय वन मंत्री जी से मिला था और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिये थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी——जी हां, ऐसोसियेशन मिला था । उनकी कुछ मांगें भी थीं, उनमें जो मुनासिब थीं उनको कंसीडर भी किया गया । भत्ते वगैरा की जो मांगें थीं उन पर भी विचार किया गया था ।

*५१—श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—[२७ अप्रैल, १९५६ के लिए प्रश्न २१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मिर्जापुर में घरेलू तथा औद्योगिक बिजली की दरें

*५२—श्री ब्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि मिर्जापुर में घरेलू तथा औद्योगिक बिजली का रेट प्रदेश में सबसे ज्यादा है और ऊपर से १५ प्रतिशत War Cost Surcharge अभी तक वसूल किया जा रहा है, जब कि युद्ध समाप्त हुये १० वर्ष से अधिक हुआ ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मिर्जापुर में बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में सब से ज्यादा नहीं है किन्तु वार कास्ट सरचार्ज (War Cost Surcharge) वसूल किया जाता है।

*५३—श्री ब्रजभूषण मिश्र (अनुपस्थित)—यदि हां, तो रेट घटाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर में घरेलू उद्योग-धंधों के लिए बिजली का रेट क्या है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मिर्जापुर में हवा और रोशनी यानी पंखे और रोशनी के लिए है आठ आने पर यूनिट और २५ फीसदी का डिस्काउंट मिलता है। इन्डस्ट्री के लिए है दो आना ६ पाई पर यूनिट और तीन आने ६ पाई है घरेलू उद्योगों के लिए।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या माननीय वित्त मन्त्री जी के पास कोई ऐसे प्रार्थना-पत्र मिर्जापुर से घरेलू उद्योग-धंधा करने वालों की तरफ से आये हैं कि उनकी बिजली का रेट जो है वह कम कर दिया जाय? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बिजली का रेट कम करने की विशेष प्रार्थना तो कोई मेरी याद में नहीं आयी है मगर यह आमतौर पर वहां के मुतालिक शिकायत रही है कि बिजली का वह रेट ज्यादा है। लेकिन मैंने उसकी जांच कराई थी और हर साल कराता हूं। जो कुछ कि हिसाब वहां पर खर्च वगैरह का है उसके हिसाब से ज्यादा नहीं है।

लखनऊ जिला जेल में हवालाती कैदियों को उपयोगी कार्य में लगाने की योजना

*५४—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ जिला जेल में कितने हवालाती कैदियों को उपयोगी कार्य में लगाये रखने के लिये कौन सी नई योजना चालू की गई है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—सन् १९५३ से प्रयोग के रूप में जिला जेल, लखनऊ में विचाराधीन कैदियों को काम पर लगाने की योजना चल रही है। इसके अन्तर्गत केवल वही विचाराधीन कैदी काम पर लगाये जाते हैं जो स्वयं काम करने के इच्छुक हों। काम करने वालों को यदि उनका आचरण और काम संतोषजनक रहा हो तो श्रमिकों के भोजन के अतिरिक्त काम पर व्यतीत प्रत्येक दिन के लिये एक दिन का विशेष परिहार दंड प्राप्त होने पर दिया जाता है।

नोट—तारांकित प्रश्न ५२-५३ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अब तक कितने कैदियों को विशेष परिहार दिन प्राप्त हो चुके हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—इन कैदियों की फेहरिस्त इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कैदी दंडित नहीं हुए हैं उनको भी विशेष परिहार दिवस दिया जाता है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जो दंडित नहीं हुए है उनको विशेष परिहार दिवस का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला मुरादाबाद के अन्तर्गत सहकारी संघों में गबन

*५५—**श्री महीलाल** (अनुपस्थित)—क्या सहकारी मंत्री को ज्ञात है कि जिला मुरादाबाद के सहकारी संघ मूंढ़ा पांडे, चन्दौसी, सम्भल, जटपुरा, फतेहपुर विशनोई, आदि संघों में पिछले कई वर्षों से हजारों रुपये के गबन चल रहे हैं जिनकी ओर लेखा परीक्षकों ने अपने आपत्ति पत्रों द्वारा अधिकारियों का ध्यान दिलाया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मूढ़ा पांडे तथा फतेहपुर विशनोई संघों में गत दो वर्षों में कोई गबन नहीं मिला है और न लेखा परीक्षणों में कोई इसका उल्लेख है ।

चन्दौसी व जटपुरा संघों के लेखा परीक्षणों में कुछ गबनों का उल्लेख अवश्य है पर जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि वह केवल हिसाब किताब की त्रुटियां है ।

सम्भल सहकारी संघ में कुछ गबन अवश्य पाया गया है, जिसमें उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या वित्त मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये की कमी पायी गई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसमें लिखा है कि लगभग साढ़े पांच हजार रुपये का जो स्टाक था उसकी कमी पड़ी ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लेखा परीक्षकों ने उनकी जांच कब की और यह कमी किस कारण से हुई ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह मामला तो सन् १९५४-५५ का था ।

गोरखपुर कमिश्नरी से सेल्सटैक्स से आमदनी

*५६—**श्री धनुषधारी पाण्डेय** (जिला बस्ती)—क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५५ में गोरखपुर कमिश्नरी से सेल्स टैक्स में सरकार को कितना धन प्राप्त हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सन् १९५५ में गोरखपुर कमिश्नरी से सरकार को सेल्स टैक्स से ३७,३४,९६७ रु० प्राप्त हुआ था ।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सेल्स टैक्स प्राप्त हुआ उस पर सरकार की वसूली में कितना व्यय हुआ है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हर जगह की अलग अलग कलेक्शन की खर्च की रकम मेरे पास इस वक्त नहीं है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ५५ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछा

प्रदेश में चौकीदारों की संख्या और उसमें हरिजन

*५७—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने चौकीदार है उनमें कितने हरिजन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उत्तर प्रदेश में कुल ४९,२७८ चौकीदार है जिनमें से २२,३७४ हरिजन है।

गणतंत्र दिवस पर बदायूं में पाकिस्तानी झंडा फहराने के संबंध में परिप्रश्न

*५८—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गणतंत्र दिवस (२६ जनवरी) के अवसर पर बदायूं में किसी सार्वजनिक संस्था ने राष्ट्रीय झंडे के बजाय पाकिस्तानी झंडा फहराया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

*५९—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेगे कि उपर्युक्त संस्था का क्या नाम है और इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

जेल उद्योग जांच समिति की रिपोर्ट

*६०—श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने जेल उद्योग जांच समिति कब नियुक्त की और अब तक समिति ने अपने कार्य मे क्या प्रगति की हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत—समिति की नियुक्ति १९ फरवरी, १९५५ को हुई थी। उसका कार्य समाप्त हो गया है और सरकार के पास रिपोर्ट आ गई है।

श्री गंगाप्रसाद सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रिपोर्ट कब आई है और उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बाते क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रिपोर्ट अभी ५-६ दिन हुए आई है और अभी उसको देखने का और गौर करने का मौका नहीं मिला है।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक के आलेख्य तथा संविधान के संशोधन के निमित्त सम्बद्ध प्रस्तावों पर विचारार्थ संकल्प की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब पहले मै इस बात को जानना चाहूंगा कि राज्य पुनस्संगठन के सम्बन्ध में जो विधेयक उपस्थित है केन्द्र की लोक सभा में, तो उसके सम्बन्ध में कोई संकल्प आने के बारे में और उस पर वाद विवाद होने के लिये कौन सा दिन मुकर्रर होता है·

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, कल आपने जैसा आदेश दिया था हमने संयुक्त दल के नेता से भी बातचीत कर ली है। हम लोग इस बात पर राजी हैं कि कल से इस पर बहस शुरू हो जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री जी, क्या यह ठीक है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, ठीक है।

श्री अध्यक्ष—तो चूंकि कल से उस पर वाद-विवाद शुरू होने वाला है तो मैं आदरणीय सदन के सामने जो प्रस्ताव नेता सदन द्वारा प्रस्तुत होने वाला है उसकी सूचना दिये देता हूं। वह प्रस्ताव यह है :—

"मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन राज्यों के पुनस्संगठन से सम्बद्ध प्रस्तावों पर, जैसे कि वे राज्य पुनस्संगठन विधेयक के आलेख्य में तथा संविधान के संशोधन के निमित्त संबद्ध प्रस्तावों में उल्लिखित हैं, विचार विनिमय करे।"

यदि कोई माननीय सदस्य संशोधन देना चाहें तो अधिक अच्छा यह होगा कि तीन बजे तक दे दें जिससे छापने में आसानी होगी। अगर उसके बाद आयेंगे तो मैं यह नहीं कहता कि उनकी इजाजत नहीं दूंगा, लेकिन छप नहीं पायेंगे। मैं तत्काल उनके लिये कोई दूसरी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आज जरूर आ जाने चाहिये। कल तत्काल आने से नहीं लिये जा सकेंगे।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, प्रस्ताव है 'विचार विनिमय करे'। सदन की कोई राय का प्रस्ताव तो है नहीं। तो प्रस्ताव की भाषा के बारे में मुझे जरा आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—आप भाषा को दुरुस्त करने के लिये पंडित हैं, अपने सुझाव को भेज दीजिये।

१९५१-५२ के अतिरिक्त अनुदानों की मांग पर मतदनार्थ निर्धारित तिथि में परिवर्तन

श्री अध्यक्षअरिुत—त अक्नुदानों के बारे में मतदान कल होने वाला था। वह अब १० तारीख को होगा।

राज्य पुनस्संगठन विधेयक की हिन्दी प्रतियों के लिए मांग

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मैं एक निवेदन करना चाहता था आपसे कि राज्य पुनस्संगठन का जो विधेयक हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है वह अंग्रेजी में है और मैं जानता हूं कि इस सदन में करीब ८० फी सदी माननीय सदस्य ऐसे हैं जो अंग्रेजी में पूरा ज्ञान भी नहीं रखते हैं, विचार करने की बात अलग रही। और जब हमारे प्रदेश और देश की राज्यभाषा हिन्दी घोषित कर दी गयी है तो मैं नहीं समझता कि क्यों यह बिल माननीय मुख्य मंत्री द्वारा हिन्दी में न रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह कोई अपत्ति उठाई नहीं जा सकती, क्योंकि यह विधेयक इस सदन का नहीं है। यह लोक सभा की तरफ से उपस्थित होने वाला है, आपकी राय के लिये आया है। वहां अब भी अंग्रेजी भाषा में सब कार्यवाही होती है। तो हम उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—जब ८० प्रतिशत सदस्य भाषा नहीं समझेंगे तो विचार क्या करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—जो शिकायत करने वाले हैं वे सब अंग्रेजी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो न जानता हो।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जो कल बहस शुरू होगी, जिसके लिये वक्त मुकर्रर किया गया है वह बहस कितने दिन तक जारी रहेगी ?

श्री अध्यक्ष—माननीय मुख्य मंत्री, इस पर कोई निश्चय होगा ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अभी कोई खास निश्चय तो नहीं हुआ। कल की बहस देखने के बाद अन्दाज हो जायगा कि क्या रखा जाय।

टेहरी गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—श्रीमन्, मैं टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३०५-३०६ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ के अननुमोदनार्थ संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब श्री नारायण दत्त तिवारी जी के संकल्प पर जो विचार हो रहा था उसका श्री नारायणदत्त जी जवाब देंगे।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं यह कहने को विवश हूं कि मैंने कल सरकार को जितना निरुत्तर पाया इतना शायद पहले कभी नहीं पाया। माननीय वित्त मंत्री जी की ओर से और माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से इस बात की चेष्टा हुई कि वे अपने व्यक्तित्व और नेतृत्व का भार दें कर एक ऐसे सिद्धान्त का प्रतिपादन करें जो कि तर्कों की कसौटी में खरा नहीं उतरता। सरकार की ओर से और सरकारी पार्टी की ओर से चार व्यक्तियों ने विवाद में भाग लिया जिनमें से तीन व्यक्ति सरकार से सीधा सम्बन्ध रखते थे, माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय बनारसी दास जी। केवल राधामोहन सिंह जी ही एक ऐसे माननीय सदस्य थे जिन्होंने सरकार का साथ देने की चेष्टा की और उन तक ने भी यह कह दिया कि इसके अर्थ यह नहीं हैं कि जो टैक्स लगाये गये हैं उनसे मैं सहमत हूं। श्रीमन्, इस टैक्स के संबंध में कांग्रेस पार्टी के अन्दर कितना विवाद मचा हुआ है इससे स्पष्ट होता है कि कल सरकार की ओर से लिखा हुआ एक विशेष व्हिप जारी किया गया कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस पर विचार प्रगट न करें। श्रीमन्, इस प्रकार का सरक्यूलर जो आया है उस विशेष व्हिप की एक कापी मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको इसके पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस में आदेश स्पष्ट दिया हुआ है कि इसके सिद्धान्तों का समर्थन सभी सदस्यों को करना है। तो इस प्रकार से इस प्रस्ताव पर सामान्य रूप से विवाद होने की प्रेरणा कम से कम लोगों को नहीं मिली और अन्त में आपने देखा कि व्हिप विशेष ने प्रस्ताव रखा कि प्रश्न उपस्थित किया जाय, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस पर अधिक विवाद बढ़े।

श्रीमन्, एक तर्क बनारसी दास जी ने दिया और उन्होंने पहली बार स्टैलिन की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि किस प्रकार से उसने अपने यहां लोगों पर टैक्सेज लगाये और रूस ने उन्नति की और पहले पहल स्टैलिन की उन्होंने प्रशंसा की, वह बधाई के पात्र हैं। लेकिन आज जब सोवियट रूस में स्टैलिन की कल्ट आफ परसानेलिटी की बड़ी भारी निन्दा की जा रही है तो उस समय टैक्सेशन को जस्टीफाई करने के लिये उन्होंने स्टैलिन की बड़ी प्रशंसा की। क्या वह अपने देश के विकास करने में स्टैलिन के तरीकों को अपनाना चाहते हैं। अगर वह चाहते हैं तो यह उनको मुबारिक हो और वह इस तरह से अपने देश का विकास करे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर गांधीवादी तरीके से, प्रजातंत्र वाद तरीके से आप अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो उसका मार्ग दूसरा होगा"।

बनारसी दास जी ने पर कैपिटा की बात कही कि यू० पी० में सब राज्यों से कम है। मालूम नहीं उनको कहां से यह जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन इस राज्य से बहुत से राज्यों की पर कैपिटा इंसीडेंस कम है जैसे उड़ीसा की ३.६७ है, बिहार की ४.२१ है, मध्य प्रदेश की ५.६६ है और मैसूर की ५.९८ है। इस प्रकार बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनका अभी मैंने नाम लिया, जहां टैक्सेशन प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश से कितना कम है। उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों ऐसे व्यक्तियों की संख्या है जो खरीद नहीं सकते है, इसलिए इन व्यक्तियों की गिनती तो नाममात्र के लिये है जो इतने गरीब हैं और पूर्वी जिलों के रहने वाले जिस श्रेणी पर पर कैपिटा इंसीडेंस पड़ती है उसका हिसाब लगाया जाय तो उत्तर प्रदेश के लिये कहा जा सकता है कि टैक्सेशन की सीमा एक निश्चित हद तक पहुंच गई है और आगे टैक्स बढ़ाने में फूंक-फूंक कर कदम उठाना होगा।

वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि अगर हम आर्डीनेन्स जारी न करते तो स्टाक्स अंडर ग्राउंड चले जाते। मैं यह जानना चाहूंगा कि किन राज्यों ने आर्डीनेन्स निकाल कर टैक्स बढ़ाये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी प्रदेश में नहीं बल्कि देश के तमाम प्रदेशों में लागू है। विभिन्न प्रदेशों ने अपने यहां विभिन्न चीजों पर टैक्सेज लगाये हैं तो क्या इसी प्रकार आर्डीनेन्स निकाल कर लगायें हैं। केन्द्र में करीब ५७ करोड़ रुपये की टैक्सेज से पूर्ति की गई और इसके लिये उन्होंने बजट भाषण में ही कह दिया था। आंध्र में टैक्स लगाये गये, क्या वहां पर आर्डिनेन्स निकाला गया? मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि आपको एक भी मिसाल नहीं मिल सकेगी कि इस प्रकार अप्रजातांत्रिक ढंग से आर्डीनेन्स निकाल कर टैक्स बढ़ाये गये हों। माननीय वित्त मंत्री जी ने कल एक और बात कही कि सेल्स टैक्स कमेटी ने सिंगिल प्वाइंट टैक्स में सेल्स टैक्स लगाने की सिफारिश की थी। जिस प्रकार उन्होंने बात कही उससे लोगों को यह समझ में आ गया कि सेल्स टैक्स कमेटी ने सिफारिश कर दी कि फूड ग्रेन्स और साल्ट पर सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाया जाय। कल इसी प्रकार से यह बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी। मुझे दुख है कि माननीय वित्त मंत्री जी उसके निष्कर्ष को घोषित कर दिया। मैं सेल्स टैक्स कमेटी का सदस्य हूं। मैं उसके क्या फैसले हुए, उनको यहां स्वभाव-वश और चूंकि एक शपथ भी मैंने ली है इसलिये, घोषित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि जो कल माननीय वित्त मंत्री जी ने सफाई दी और यह कहा कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाने की सिफारिश भी इन वस्तुओं पर सेल्स टैक्स कमेटी ने की है, यह बिलकुल गलत है। सेल्स टैक्स कमेटी ने फूड ग्रेन्स पर, साल्ट पर कभी भी टैक्स लगाने की सिफारिश इस प्रकार नहीं की है कि सिंगिल प्वाइंट टैक्स इन वस्तुओं पर लगाया जाय। चूंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने इसका जिक्र किया, इसलिये मैं उनसे मांग करूंगा और यह न्याय का तकाजा है कि वह सेल्स टैक्स कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित करें। बिना उसको प्रकाशित किये उन्होंने उसके फैसले को गलत रूप से सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने कल मेरे उस वाक्य को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने मद्रास और बिहार के संबंध में गलत सूचनायें दीं या न मालूम मैंने कहां से जानकारी प्राप्त कर ली। श्रीमन्, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो मोटी किताब दिखलाई थी उसी से मैंने यह जानकारी ली है। उसको वह देखें। उन्होंने जो बिहार का ऐक्ट दिखलाया, उसके आगे उस ऐक्ट में वह जरा खोल कर देखें, पेज १९, बिहार सेल्स टैक्स ऐक्ट, जो १९४७ में पास हुआ उसमें लिखा हुआ है कि "Bihar Sales Tax Act, 1944 is hereby repealed." तो उन्होंने पढ़ लिया कि सन् १९४७ में ऐक्ट रिपील हुआ। इसके माने यह हुए कि सेल्स टैक्स ऐक्ट, १९४४ से लगा हुआ है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--इसके माने यह हुए कि १९४७ से लागू हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैंने यह कहा कि मद्रास में सेल्स टैक्स लगने की शुरुआत १९४४ में हुई। फूडग्रेन्स में भी सेल्स टैक्स मद्रास में लग चुका १९४४ में। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका रूप इस प्रकार दिया कि उससे यह प्रतीत होने लगा कि बिहार में सेल्स टैक्स फूड ग्रेन्स पर १९४७ में लगा और मद्रास में १९५५ में लगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह बतावें कि १९५५ में फूडग्रेन्स पर कहां टैक्स लगा और कौन टैक्स लगा मद्रास में? उन्होंने कहा कि आंध्र में आजादी के बाद फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स लगाया गया। श्रीमन्, आप जानते हैं कि आंध्र तो मद्रास राज्य का पहले हिस्सा था और आंध्र के जिलों में तो मद्रास का सेल्स टैक्स ऐक्ट पहले से लागू था। आंध्र के समस्त जिलों में फूड ग्रेन्स पर सेल्स टैक्स पहले से लागू था, तो जब आंध्र अलग हुआ तो उसी सेल्स टैक्स को उसने फिर रिइन्ऐक्ट कर दिया। तो श्रीमन्, आंध्र में भी वही प्रतिबन्ध लागू हुए जो मद्रास में थे। माननीय वित्त मंत्री जी क्या यह कह सकते हैं कि आंध्र में वह टैक्स नहीं लगा जो कि मद्रास में है? क्या मद्रास से भिन्न प्रकार का कोई टैक्स वहां लागू हुआ है? तो इससे स्पष्ट होता है कि आंध्र में या मद्रास में या बिहार में जो सेल्स टैक्स फूड ग्रेन्स पर लगा हुआ है वह आज का नहीं है, वह आजादी के और विधान के लागू होने के पहले का है जिसकी जिम्मेदारी उन सरकारों पर सीधी नहीं डाली जा सकती है। यह कहा जा सकता है कि उस टैक्स को समाप्त क्यों नहीं किया गया या उसके आज समाप्त करने की जरूरत है। इस तरह की अगर कोई बात है तो उन राज्यों को उसका निश्चय करना है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन राज्यों का भद्दा अनुकरण करें, जिसका आज यहां पर अनुकरण करने का प्रयास किया गया है।

माननीय वित्त मंत्री ने और माननीय मुख्य मंत्री ने विकास का नाम लिया कि विकास के लिये धन चाहिये तो वह कहां से लाया जाय। उन्होंने हमको इस बात का निमंत्रण दिया कि वह दल जो बिना रुपये के सरकार चला सकती है वह इधर बैठें। उन्होंने इस बात का संकेत किया और इस बात की भ्रांति फैलाने की कोशिश की कि आज का जो विरोधी दल है वह बिना टैक्स के सरकार चलाना चाहता है या प्रत्येक टैक्स का विरोध करना चाहता है या बिना रुपये के सरकार चलाना चाहता है। मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि अगर कोई भी सदस्य आज इस भ्रांति को, इस गलत धारणा को फैलाना चाहता है कि आज का विरोधी दल यहां बिना टैक्स के सरकार चलाने की बात कहता है तो उनको यह समझ लेना चाहिये कि यह भ्रान्ति और गलत धारणा जनता को प्रेरित करने वाली नहीं है। हम प्रत्येक टैक्स का विरोध नहीं करते। यदि हम प्रत्येक टैक्स का विरोध करते तो स्टेट ड्यूटी टैक्स का समर्थन नहीं करते। यदि हम प्रत्येक टैक्स का विरोध करते तो एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का समर्थन कदापि नहीं करते। अगर हम प्रत्येक टैक्स का विरोध करते तो जिस समय इन्श्योरेन्स बिजनैस का नेशनलाइजेशन किया गया था उसका भी विरोध करते, लेकिन हमने किसी भी इस प्रकार के टैक्स का विरोध नहीं किया जिससे स्टेट या देश का लाभ होता हो। सवाल केवल यह है कि किस वस्तु को किस निश्चय और किस दृष्टिकोण से देखा जाय। हम सही बात को सही समझते हैं और गलत बात को गलत समझते हैं। इस हिम्मत के साथ ही हम अपनी नीति को प्रतिपादित करते हैं और विरोधी दल की नीति के आधार पर ही अगर कोई बात सही है तो उसका समर्थन करते हैं और अगर गलत है तो उसका विरोध करते हैं। सरकार अगर यह समझती हो कि विकास के नाम पर टैक्स लगा कर गलत फैसले को सही बना सके तो इस के लिये न देश और न जनता तैयार है और न हम तैयार हैं और न आपके पीछे बैठने वाले सदस्य ही तैयार हैं। इसलिये यह

सोचना कि आप लोग इस प्रकार से एक विकास का नाम लेकर और विकास का नारा लगा कर गलत टैक्स लगा देंगे यह हमारे लिये सम्भव नहीं है इसको मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम विचार करेंगे और हम विचार करने के लिये सदा तैयार हैं और हम डेपुटेशन वगैरह से हमेशा मिलने और बातचीत करने के लिये तैयार हैं। क्या आपको पता नहीं है कि सेल्स टैक्स कमेटी डेढ़ साल से काम कर रही है? क्या यह बात सही है कि सैकड़ों डेपुटेशन कमेटी से मिल चुके हैं और माननीय मुख्य मंत्री से मिल चुके हैं। जब कि आपको काफी इस पर विचार करने का मौका मिला है तो यह आप नहीं कह सकते कि आपको विचार करने का मौका नहीं मिला। आपने इस पर विचार किया, लेकिन आपने जो निश्चय किया वह गलत किया। विचार करने की बात कहीं जाती है। क्या गांधीवादी मनोवृत्ति के इस आजाद भारत में नमक पर टैक्स लगाने की बात हो सकती है? क्या इसमें विचार करने की गुंजाइश है? माननीय वित्त मंत्री जी जो कि गान्धीवादी विचार-धारा के उपासक अपने को कहते हैं वह तो एक क्षण के लिये नमक पर टैक्स लगाने की बात सोच भी नहीं सकते हैं विचार और परामर्श की बात कौन कहे? आज जब कि देश की क्रय शक्ति घट रही है और देहात की दशा भी अच्छी नहीं है तो हमको बहुत होशियारी के साथ इस पर सोचना होगा कि कौन सी चीज पर टैक्स लगायें और कौन सी चीज पर नहीं लगायें। अगर विरोधी दल इस बात की मांग करता है कि आप इन चीजों पर टैक्स न लगायें तो यह कौन सी न्याय की बात है कि आप उस पर टैक्स लगाते हैं? अगर सरकार से यह मांग की जाती है कि इस पर ठीक प्रकार से विचार नहीं किया गया तो यह कहां की गलत बात है? क्या इस पर सरकार ने ज्यादा समय तक नहीं सोचा है? आर्डिनेन्स तभी लाया गया जब कि इस पर निश्चय कर लिया गया। इस पर विचार किया गया और निश्चय किया गया और यह सब तय करके लाया गया और इसको स्थायी रखने के लिये ही यह लाया गया है। सरकार इस गलत सिद्धान्त को प्रतिपादित कर रही है तो हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है। मैं आपसे यह कहता हूं कि इस सदन की इस समय यह भावना नहीं है कि टैक्स लगाया जाय। ऐसी सूरत में सरकार मेरे प्रस्ताव पर विचार करे और गम्भीरता के साथ विचार करें और अपने भारी बहुमत से इसको पास करने की बात को न सोचे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---अध्यक्ष महोदय, अभी जो तकरीर इस सदन में हुई उसमें जो बातें कही गयीं, मैं चाहता था कि उनमें से कुछ बातों के सम्बन्ध में मुझे कुछ न कहना पड़ेगा, मगर जो बात मैंने सुनी, उसके लिहाज से मुझको कहने की जरूरत मालूम हुई। एक बात यह है कि कल मैंने अर्ज किया कि आर्डिनेंस क्यों निकाला गया। उससे पहले शायद एक दफा मैं यह भी अर्ज कर चुका था कि कुछ इशारा मुझे उधर से मिला इस मामले का और मैंने अर्ज किया कि स्पेकुलेशन को रोकने को और स्टाक्स को अन्डरग्राउन्ड जाने से रोकने के लिए आर्डिनेंस के जरिये से इस कानून को लागू किया गया। अब जो कुछ कहा गया मैं उसके जवाब में यह अर्ज करता हूं कि जिस रोज यहां बहस हो रही थी, ऐप्रोप्रिएशन बिल पर, उस बिल पर इस रिजोल्यूशन के पेश करने वाले साहेब ने जो तकरीर की, और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा, थोड़ा सा वह यह.......

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैंने उस पर कोई तकरीर नहीं की। बिलकुल गलत आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---बजट के सिलसिले में, उनका मतलब है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--लेकिन वे तो ऐप्रोप्रिएशन बिल कह रहे है, इस लिए "गलत है" कह दीजिये आप।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस बात को कल भी मने कुछ दबी जबान मे दबे अल्फाज मे अर्ज किया था कि इस तरह का इन्टरवेन्शन नहीं होना चाहिए। यह इस मदन की शान के खिलाफ बात हैं। जिस किसी को कुछ कहना हो, सुनने के बाद कहे या जब इसका मौका आये तब कहे। तो मै किसी के इन्टरवेन्शन की तरफ कोई तवज्जेह नहीं करूंगा।

यह एक तकरीर है मेरे दोस्त की, जिन्होंने रिजोल्यूशन पेश किया है। उससे जरा सा पढ़कर मै सुनाये देता हूं। "परन्तु हमारे यहां यह होता है कि घोषणा तो कर दी जाती है कि सेल्स टैक्स बढ़ाये जा रहे है, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि किस चीज पर और किस हिसाब से।" नतीजा यह होता है कि दूकानदार अपना स्पेकुलेशन करके कन्ज्यूमर्स से अधिक पैसा लेने लगता है कि उस पर टैक्स बढ़ रहे है। मै कैसे कह दूं कि सरकार को इसका पता नहीं है? जब वह तकरीर हुई तो मैने यह अर्ज किया था कि . . . . . .

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, यह किनकी तकरीर पढ़ी जा रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जिनकी तकरीर मेरे दोस्त की समझ मे कभी नही आती।

मेरे दोस्त फर्मा रहे थे कि स्पेक्युलेशन होता है। तो आज मुझे यकीन हो गया है कि जरूर होगा और मुझे इस बात का इन्तजाम करना है। इसमे भी मने यह अर्ज किया था कि हां, मै उसका इन्तजाम जरूर रखूंगा कि स्पेक्युलेशन हर्गिज न होने पावे।

श्री राजनारायण--जरा हमारी भी तकरीर पढ़ लीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अगर वह तकरीर पढ़ने के काबिल है तो मुझे दिमाग में . . . (जोर से हंसी)

जहां तक इस आर्डिनेंस के जरिये से इसे लाने का ताल्लुक है, हमारे दिमाग मे जो कुछ भी हो, लेकिन मै इस हाउस से जनाब के जरिये से यही बात अर्ज करता हूं कि उस वक्त से जिस वक्त मैने यह बात सुनी--मै दलील के तौर पर नहीं कह रहा हूं बल्कि एक सही बात कह रहा हूं--मेरी तवज्जह उस वक्त से इस बात पर लग गयी कि मै इस तरह से करूं कि स्पेक्युलेशन न हो। अब उससे खुद गुरेज करने का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

सेल्स टैक्स कमेटी के मुताल्लिक इरशाद हुआ कि मैने उसके मुताल्लिक कल यह कहा कि इस कमेटी ने यह तजवीज किया है कि गल्ला और नमक पर टैक्स लगे। अगर कहीं और मेरी इस किस्म की तकरीर को सुन कर कहा जाता, तो मै नहीं कह सकता कि मै क्या जवाब देता, इसलिए कि मै वहां आजाद होता कि जैसा चाहे जवाब दूं, लेकिन मजबूरी मेरे सामने यह है कि यहां मै उस तरीके से नहीं कह सकता हूं और वे अल्फाज मेरी जबान पर नहीं आ सकते हैं, जिनमें उसका जवाब दिया जाना चाहिए। मैने तो सिर्फ इतनी बात कही कि सिन्गिल प्वाइन्ट टैक्स की तजवीज उस सेल्स टैक्स कमेटी ने की थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--किस चीज पर की?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मेरी तकरीर में कोई पर नहीं लगा था। उस कमेटी ने यह कहा है कि हमारे यहां सिस्टम सेल्स टैक्स का सिंगिल प्वाइन्ट टैक्स हो।

दूसरी बात यह है कि सेल्स टैक्स कमेटी का यह काम नहीं था कि यहां पर टैक्स बढ़ाया जाय या नहीं। बिहार के और मदरास के कानूनों की बात कही गयी और फिर मेरी वह मोटी

किताब मालूम नहीं वहां कैसे पहुंच गयी। बहुत ही हैरत अंगेज बात थी कि इस वक्त मैंने उसका नाम लिया। मगर उस किताब की तरफदारी देखिये कि उनके हाथ में पहुंचने के बाद भी वह उस नतीजे पर नहीं पहुंच सके जिस पर पहुंचना चाहिए था। बिहार में और मद्रास में सेल्स टैक्स लगा। इस कानून को उन्होंने रिपील किया और नया कानून सन् ४७ में बनाया और उसके जरिये से आज बिहार में उन चीजों पर जिन पर मैं लगाना चाहता हूं टैक्स लगा हुआ है और मेरी दलील इसलिए गलत हो गयी कि अंग्रेजों के जमाने के कुछ कानून खत्म करके नया कानून बना या गया। मद्रास में उन्होंने सन् ५५ में जब कुछ तरमीम की तो वे एक लफ्ज यह भी लिख सकते थे कि यह जो अंग्रेजों के जमाने की हिमाकत हमारे यहां चल रही है इसे हम खत्म करते हैं और अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारे यहां यह टैक्स रहे और उसको इस तरीके से समझ करके, जिस तरीके से कि वे इसके मुताल्लिक जवाब दे रहे हैं, वह एक नामुनासिब बात है।

अब दूसरी बात यह है कि आर्डिनेंस के जरिये से टैक्स लगा। मैंने अर्ज किया कि वह आर्जी इन्तजाम किया गया है। बिल बनेगा और जो कुछ होगा, उसके जरिये से होगा। मैं आज ही बिल पेश करता, लेकिन जब मेरे कान में पड़ा कि स्पेक्युलेशन होगा, तो क्या मेरे लिए यह बात मुनासिब नहीं थी कि मैं हाउस के रिऐक्शन को देखूं। जो बातें मेरे सामने आयीं तो क्या उन पर मैं विचार न करूं और अगर उस के लिए १–२–३–४–५ दिन का वक्त उसको पेश करने का लूं तो इसमें क्या बेजा बात है।

जहां तक आर्डिनेंस का ताल्लुक है, उसके ऊपर जो कुछ भी जिन लोगों को कहना था कह लिया गया। अब इन्तजार करिये। उसके नतीजे से जो भी स्टेट के लिए मैं मुनासिब समझूंगा, जिसमें मैं यह समझूंगा कि इस तरह से स्टेट को किसी किस्म की खराबी नहीं होगी, उसको करूंगा। लेकिन मैं जनाब के जरिये से मेम्बरान की खिदमत में यह अर्ज करता हूं और उससे पहले विरोधी दल की जो बात मैं सुन रहा था, वह अर्ज कर दूं। विरोधी दल के कुछ नियम हैं। उसे उसके मुताबिक होना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि आम को आम और अंगूर को अंगूर कहना चाहिए, लेकिन वह आम तो हो, वह अंगूर, अंगूर तो हो। मगर जो कुछ है, है। फिरवकाई जो होना चाहिए और वही हो तो मैं अर्ज करता हूं कि मैं उसकी बड़ी कद्र करता, बड़ी इज्जत करता, मैं यह नहीं कहता कि मैं कद्र नहीं करता हूं। लेकिन जिन्दगी में, दुनियां, मुल्क और नेशन्स की तारीख में मौके आते हैं जब आदमियों को उनके खर्चों में बड़ी एहतियात करने की जरूरत होती है, जिससे ह्युमैनिटी का फायदा हो। सिर्फ उस मुल्क के रहने वालों का ही नहीं। यह मसला जो इस वक्त हमारे सामने है, वह कांग्रेस पार्टी का नहीं है, किसी और पार्टी का नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की किस्मत के फैसले का मसला है, उसकी भलाई और बुराई का इन्हिसार उसके ऊपर है। मैं मानता हूं कि मैं गलती कर सकता हूं, मेरी गलती की आप इस्लाह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों का, जिनका वास्ता मुल्क के साथ है, अपने इस प्रदेश के साथ है, उनकी नजर से अगर मैं देखूं, तो उसके लिए फारसी के कुछ लफ्ज मेरे सामने आते हैं जो आम तौर पर बोले जाते हैं। "नादान दोस्त, दाना दुश्मन।" यानी अगर समझदार दुश्मन भी है, वह इतना खतरनाक नहीं है, जितना कि नादान दोस्त खतरनाक होता है। हिन्दी में मैं नहीं जानता उसको क्या कहते हैं, लेकिन यह जो मसला है वह आगाह करता है कि ऐ इन्सान, तू नादान दोस्त से डर, लेकिन दाना दुश्मन से न लड़। अब मैं आपको क्या बताऊं कि लखनऊ में, दूसरी जगहों पर, और सूबे में क्या हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, वह तो है, लेकिन एक बात मैं खास तौर से कह रहा हूं और एक नया लफ्ज मेरी जबान पर आ रहा है उस को आप अभी सुनेंगे—वह है "स्पेक्युलेशन,, वह लफ्ज जिस का जिक्र उधर से पहले उठा, पहले मैंने उस को नहीं उठाया, उसको राइज कराया किसी नादान दोस्त ने और उसी नादान दोस्त ने उसको कराया। इस तरह से कि हमारे तरीके से जो स्टाक्स थे वह अन्डर ग्राउन्ड नहीं जा सके हर केस, में लेकिन हमारे नादान दोस्त के जरिए से इतना ब्लेक मार्केटिंग इन ४–५ रोज में हो गया

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

जब से हड़ताल चली और इतना अखलाक इन्सानों का बढ़ा और इतनी तरक्की इस अर्से में प्रदेश ने की कि मैंने सुना है कि १२ आना सेर और एक रुपया सेर आटा बिक गया इस दौरान में। अब कहने वाले कहें इसमें कोताही किसकी है। इस तरह से ऐसे वक्त में ब्लैक मार्केटिंग करना और यहां के आदमियों को इस तरह की राहें दिखलाना और इस तरह से गलत रास्ते पर लोगों को चला कर मुल्क को नुकसान पहुंचाना कोई अक्लमन्दी का काम नहीं कहा जा सकता।

कल यहां सदन में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था और मैं भी कहता हूं कि बराबर जब से यह आर्डिनेंस की बात चली है सुबह से शाम तक हमारे पास वफद आ रहे हैं और जो भी आता है उसकी बात इत्मिनान से हम सुन रहे हैं, सबकी बातें नोट कर रहे हैं और वह इस गरज से कि उनकी सुनें समझें और अगर किसी सही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है तो हम उस पर पहुंचे और इसी वजह से अभी हम उसमें देर लगा रहे हैं, मैं बिल को आज भी रख सकता था और कल भी रख देता, लेकिन मैं रुक रहा हूं, महज इसलिए कि जो लोग हमसे मिल कर कहना या सुनना चाहते हैं वह कहें सुनें और अगर कहीं मेरी राय उनकी नजर में गलत है तो मैं उनको क्यों समझाने और कहने का मौका न दूं और क्यों न उसका फायदा उठा कर अपनी राय दुरुस्त करूं अगर कहीं गुंजायश है और क्यों न मुनासिब तब्दीली की भी अगर जरूरत है तो वह करें।

(श्री राजनारायण के कुछ कहने पर)

मुझे नहीं मालूम कि यह बीच में बोलने की वबा किस दिन यहां से जायगी। यह कब तक यहां से जाय, है तो बहुत खतरनाक कि वह इस हाउस में रहे और उसका यहां रहना बहुत ही खतरनाक है, वह वबा यहां न रहे बाजार में इधर उधर हो तो गनीमत है लेकिन कम से कम यहां न रहे तो अच्छा है लेकिन वह होता है एक इस किस्म का कीड़ा कि न जाने कैसे रेंग आता है, वह कीड़ा बाजार में और बाहर सब जगह तो है ही, लेकिन यहां भी वह आ गया, पता नहीं कब उससे निजात मिले। अब चूंकि वक्त खत्म हो रहा है इसलिए मैं बड़े अदब से हुजूर के जरिए से माननीय मेम्बरान की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि निहायत शान्ति से, इतमिनान से अपने आपको अपनी तबियतों में रखें और दूसरों को नेक मशवरा और नेक राय देकर समझावें और अगर जनता में कोई गलतफहमी पैदा होती है तो हममें से हर एक का फर्ज है कि अपनी अपनी जगहों से उस गलतफहमी को समझाकर दूर करने की कोशिश करें और अगर किसी की राय में कुछ बात गलत है तो वह मुझे समझावें और ठीक करावें, हर वक्त मेरे नजदीक रास्ता खुला है और मैं हर उस चीज को मानने के लिए हर वक्त तैयार हूं जो स्टेट के फायदे की बात है और जिससे किसी किस्म का नुकसान यहां के रहने वालों को नहीं होने वाला है।

श्री अध्यक्ष —— मैं पहले इस प्रस्ताव के संशोधन को ले लेता हूं और फिर उसके बाद मूल प्रस्ताव ले लूंगा। श्री अवधेश प्रताप सिंह का संशोधन इस प्रकार है कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय——

"सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ जिसके द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं पर अनावश्यक कर लादा जा रहा है, जैसे अन्न तथा नमक इत्यादि पर, उस अध्यादेश का सदन घोर विरोध करते हुए अनुमोदन नहीं करता है।"

प्रश्न यह है कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मत प्रस्ताव श्री नारायणदत्त जी का लेना है। प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ जिसके द्वारा जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं, जैसे अन्न, नमक, कपड़ा आदि पर भी कर लगाया व बढ़ाया जा रहा है, अत्यन्त अयुक्तियुक्त तथा अवांछनीय है। अतएव यह सदन उक्त अध्यादेश का घोर विरोध करते हुए उसका अनुमोदन नहीं करता है।"

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं विभाजन चाहूंगा और चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर लिखित विभाजन हो जाय क्योंकि नमक का मामला है।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके महत्व को अच्छी तरह से समझता हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—२०

विपक्ष में—११९।)

श्री मदनमोहन उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है और मैं आशा करता था कि माननीय वित्त मंत्री जी आज इस बात का ऐलान अवश्य करते कि फूडग्रेन्स, साल्ट और केरोसिन आयल पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। पर मुझे बड़ा दुःख है कि उन्होंने अभी इस बात का ऐलान इस सदन के सामने नहीं किया। वह अब भी इस सदन को कान्फीडेंस में नहीं लेना चाहते। इसलिए विरोधी दल के लिए अब एक ही रास्ता रह जाता है कि हम इसके विरोध में पांच मिनट के लिए इस सदन का त्याग कर दें।

(इसके बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

श्री राजनारायण—हम पांच मिनट के लिए नहीं दस मिनट के लिए सदन का त्याग कर रहे हैं। इतना काला कानून, जो कि तानाशाही का कानून है. .

श्री अध्यक्ष—देखिये, कृपा करके आप जा सकते हैं।

(सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी बाहर चले गये।)

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि हमारे मंत्री महोदय ने जो बातें कही है, उनका मूल अभिप्राय यह है कि उन्होंने यह कार्य, अनजस्टीफाइड मीन्स से, बहुमत के अहंकार से किया है। यह असहाय और दुर्बल दल जो है, हम भी लाचार है, इसका साथ नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम भी बाहर जाना चाहते हैं।

(संयुक्त दल के सदस्य भी बाहर चले गये।)

उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक, १९५६

†माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा एक विधेयक है। इसमें उसूल की एक ही दो बातें हैं।

* १७ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है।

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरण सिंह]

बाकी तफसील की बातें हैं। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि सदन को ये सारी चीजें स्वीकार होंगी।

श्री अध्यक्ष---कृपा करके जरा शान्तिपूर्वक बाहर जायं, जो जाना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से जो मोटे-मोटे संशोधन हैं, पांच सात, वैसे इसमें खंड हैं १६, उनकी तशरीह करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---उनके उसूलों की तशरीह?

श्री चरण सिंह---हां उसूलों की तशरीह।

मूल अधिनियम की धारा २३ की एक उपधारा का एक खंड था, जिसका मतलब यह था कि ७ जुलाई, १९४९ के बाद मे जब कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था विधेयक पेश किया गया था ७ जुलाई, १९४९ के बाद के बैनामे और हिबानामे बायड होंगे। अगर कोई जमींदार ७ जुलाई, १९४९ के बाद कोई बैनामा या हिबानामा करे तो बेअसर समझा जायगा।

यह धारा २३ की उपधारा (१) का उपखंड (II) था। वह इसलिए रखा गया था कि जो हमारे कानून का ढांचा है या जो उसकी नीति है वह फ्रस्ट्रेट हो जाती। उस पर अमल करने में हमको नाकामियाबी होती अगर बिल पेश हो जाने के बाद ही जमींदार लोग अपनी जमीन का बैनामा करते रहते। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से याद दिलाना चाहता हूं अपने माननीय मित्रों को जो उस जमाने में भी, बहुत से आजकल के सदस्यों में से थे, उस वक्त भी सदस्य थे और यह अधिनियम बाद में सबने देखा और पढ़ा ही होगा। स्कीम हमारी यह थी कि जो काश्तकार अपने लगान का दसगुना दे दे तो उसका लगान आधा हो जाय, और हस्तांतरण और कुछ और अधिकार उसको मिल जायं। लेकिन हमको अन्देशा यह था कि अगर बिल के पेश हो जाने के बाद भी बैनामे वगैरह की इजाजत रह जाती है तो जमींदार लोग काश्तकारों को यह कहके कि देखो गवर्नमेंट आपसे १० गुना लगान को लेकर तब आपको भूमिधर बना रही है और लगान आधा कर रही है। हम जिस जमीन में तुम काश्तकार हो इसी का जो प्रोप्राइटरी राइट है जो हक मिल्कियत है, वह आठ गुना लगान पर तुमको देने को तैयार है, उनसे यह कह के वह उनको उसका बैनामा कर सकते थे, क्योंकि लगान के आठ गुना तक या नौ गुना या सात गुना तक भी बड़े जमींदारों को बतौर मुआवजा नहीं मिलता। दस हजार से ज्यादा मालगुजारी देने वाले जमींदारों को कोई पुनर्वासन अनुदान नहीं मिलता है, केवल प्रतिकर मिलता है और प्रतिकर मिलता है आठ गुना पक्की आय का, जिसका मतलब यह है कि लगान में से मालगुजारी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, लोकल रेट, पन्द्रह प्रतिशत खर्चा वसूलयाबी वगैरह यह सब काट कर जो आमदनी बची उसका आठ गुना। तो बड़े जमींदारों के यह इकोनामिक इंटरेस्ट में था कि वह काश्तकारों को यह आफर करते कि गवर्नमेंट तुमको भूमिधर बना रही है दस गुना लगान लेकर और हम आठ गुना पर तुमको पूरी जमीन निकाल देंगे। तो अगर आगे को यह बैनामा करने की इजाजत रहती तो वह ऐसी सूरत हो सकती थी। जो दस हजार रुपये से कम मालगुजारी देने वाले थे, उनकी तादाद ज्यादा थी। ज्यादा देने वालों की तादाद तो तीन सौ या चार सौ के लगभग थी। जो दस हजार से कम मालगुजारी देने वाले थे, उनको तो हमने मुआवजा पक्की आय का नौ गुना, ग्यारह गुना, २८ गुना तक दिया। वे ऐसा आफर न करते क्योंकि उनको कोई फायदा नहीं था। उनको तो अपने लगान के दस गुने से ज्यादा मिलता है। २५, ५० या १५० रुपये तक के मालगुजारों को या जो पहले इस

बरद के जमींदार थे उनके लिए यह बात थी। इसलिये हमने यह रखा था उस कानून में कि ७ जुलाई, १९४९ के बाद में कोई बनामा वायड होगा। इसके बाद में डिलीट कर दिया था सन् ५८ में जो अमेंडमेंट किया था तो इस उपधारा का यह खंड हमने डिलीट कर दिया था। अब डिलीट जब हमने किया तो उसको हमको करना चाहिए था पहली जुलाई सन् ५२ से, लेकिन वह डिलीट हुआ दस अक्तूबर १९५८ से, जब वह अमेंडमेंट हुआ। तो धारा २३ यह कहती है कि कम्पेंसेशन और रिहैबिलिटेशन का ग्रान्ट के आकने के समय या उसको कैलकुलेट करने में ऐसे बनामे वगैरह एकाउंट में लिए जायेंगे। वह तो वायड हो गए। तो जो नये मालिक हो गये उसको हमने नहीं माना। खैर, मैं इसकी और ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं मोटी सी बात समझाना चाहता था कि जो अमेंडमेंट होना चाहिए था वह पहली जुलाई सन् १९५२ से होना चाहिए था, अक्तूबर १९५८ से नहीं, क्योंकि उसके बीच में कम्पेंसेशन के स्टेटमेंट तैयार हो गए थे। तो वह हमको रोकना पड़ेगा। बाद में मालूम हुआ कि यह गलती हो गई। यह रिपील होना चाहिए था रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से। तो उस रिपील को रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट दिया जा रहा है और जो कम्पेंसेशन रुके पड़े हैं वे इसीलिए रुके पड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तो यह बात है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन जिनका कम्पेंसेशन रुका हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी है।

दूसरी बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि दफा १० यह कहती है कि २५० रुपये से कम मालगुजारी देने वाले जमींदार की सीर के जो गैर-दखिलकार काश्तकार हैं वे तो माने जायंगे अधिवासी और ढाई सौ रुपये से ज्यादा मालगुजारी देने वाले जमींदार की सीर के जो गैर-दखीलकार काश्तकार थे वे सीरदार माने जायंगे, यह हमारा ऐक्ट कहता था। इसको हमने बनारस में लागू किया तो हाई कोर्ट में एक केस चला गया और वहां यह तय हुआ कि नहीं, इसमें कुछ कांस्टीटयूशनल डिफेक्ट्स हैं, क्योंकि वैसे का वैसा ही सेक्शन हमने लागू कर दिया था।

अब हम यह करने जा रहे हैं कि जहां तक बनारस स्टेट का सम्बन्ध है या ढाई सौ रुपये की वजह से जो कम देने वाले थे अध्यासी और ज्यादा देने वाले जमींदार की सीर के काश्तकार सीरदार, इस डिस्टिंक्शन को हम हटा दें। इस ख्याल से कि जब हमने यह किया था बनारस में तब सिर्फ अधिवासी का जिक्र था। अब हमने अधिवासी ही सीरदार बना दिया, लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। बजाय इसके कि पहले हम उनको अधिवासी बनाये और बावजूद हाई कोर्ट की रूलिंग के हम अपने उस सेक्शन को फालो करें और अधिवासी बना कर सीरदार बनावें; तो बनारस स्टेट का जहां तक सम्बन्ध है ढाई सौ रुपये की जो डिवाइडिंग लाइन है वह हमने हटा दी है। उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक यह है कि जहां तक गवर्नमेंट की जमींदारी है, एस्टेट है और गवर्नमेंट काश्तकारों को जमीन देती है जैसे तराई है तो जहां अपनी मिल्कियत वाली जमीन में किसी काश्तकार को जमीन देती है तो ग्राउंड ग्रांट्स ऐक्ट के मुताबिक अमल किया जाता है। उसमें काश्तकारों की क्या हैसियत होगी, यह सवाल उठा तो जो ऐक्ट था उसमें कोई जवाब नहीं था। मान लो कि जो जमीन रेलवे डिपार्टमेंट के पास है और किसी डिपार्टमेंट के पास है, वह हमारे पास रहती आई और गवर्नमेंट उस जमीन की मालिक रही और वह हम किसी काश्तकार को दें तो उस काश्तकार की क्या हैसियत होगी। उसको तो सीरदार होना चाहिये, लेकिन मौजूदा ऐक्ट में कोई प्रावीजन नहीं था। सीरदार कौन-कौन हो सकेंगे वह धारा १३१ है, उसमें उपधारा "ग" ऐड की गयी है कि ऐसे लोग भी सीरदार ही कहलायेंगे। यही उसका मंशा है।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, एक यह कि गांव समाज अपनी जमीन मे बगीचा लगायेगा और लगा रहे हैं बहुत से और उस बगीचे की खिदमत के लिए साल दो साल तो किसी आदमी को उसमें छोड़ दिया, उसके साथ रिआयत कर दी कि तुम खेती भी कर सकते हो जब तक पौधे बड़े हों और इसकी आमदनी तुम्हारे पास रहेगी, लगान तुम मत देना। खिदमत के बदले में लगान होगा। अब जो कानून है उसके मुताबिक वह सीरदार हो जाता है, लेकिन दरअसल यह खेती के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, बल्कि यह बीच में तीन-चार साल या दो साल तक, जब तक वह पौधे बड़े हों तब तक खेती उसमें कर लेता है, मतलब यह कि उनके बड़े होने तक सेवा करेगा। तो ऐसा आदमी असामी होगा, कहीं वह क्लेम करने लगे कि मैं सीरदार हूं। अब खंड ७ है, जिसमें चकबन्दी जिन-जिन इलाकों मे हो रही है और जहां होगी तो हो जाने के बाद बहुत से सदस्यों को यह भ्रम रहता है, भ्रम क्या शंका है और सही है वह शंका। इसके बाद क्या होगा कि फिर डिकंसालिडेशन हो जायगा कुछ दिनो के बाद और फिर ये चक टूट जायेंगे। तो अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले मे कुछ तो गलतफहमी है और कुछ शंकाओं पर गलत फहमी है।

कुछ लोगों का ख्याल है कि एक आदमी की मृत्यु हो गई है उसके तीन लड़के हुये और तीन टुकड़े हो गये उसके खाते के तो फिर ये चक टूट गये तो इस कंसालिडेशन से क्या फायदा। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह अपने मित्र के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि डिकंसालिडेशन नहीं हुआ यह तो फ्रेगमेंटेशन हुआ। कंसालिडेशन का मतलब तो यही है कि आज जितने दूर-दूर खाते है वह एकट्ठे हो जायं। जो १५ खेत थे उसके मरने के बाद तीन लड़कों मे वह ४५ खेत हो सकते है। यह भी हो सकता है कि लड़के पांच-पांच खेत बांट लें अगर उनकी अक्ल सही हो, लेकिन वे एक-एक खेत के लिये झगड़ेंगे, एक-एक खेत की मेड़ लगती है। पांच बाघी के तीन खेत है। तो बाप के मरने के बाद एक-एक पांच-पांच बीघे का खेत नहीं लेते बल्कि हर खेत के तीन टुकड़े कर देते हैं यानी एक-एक खेत का बटवारा होता है। तो ये १५ खेत जो एक हो गये तो अब जो वारिसान होंगे उस किसान के उनके तीन चक हुये। यह तो सही है कि लड़कों के पास जमीन तिहाई रह गई लेकिन जितनी जमीन रही कंसालिडेटेड रही। तो मैं यह अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि डिकंसालिडेशन नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन होगा यानी उनके चक छोटे हो जायेंगे "बट इट विल रिमेन ए चक"। जमीन एकट्ठी रहेगी जब तक प्राइमोजेनीचर हमारे यहां है तब तक यहां यह रहेगी।

जर्मनी में यह है कि बाप के मरने के बाद जो छोटे भाई होंगे वे जब तक एबिल न हो जायं तब तक पैट्रीमोनी जिसको मिलती है तब तक उसका फर्ज है कि वे छोटे भाई बहिनों का जब तक एबिल न हो जायं उनके एजूकेशन का उनके मेंटिनेंस का और उनका दीगर खर्चा बरदाश्त करे। इसके बाद उनका कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अधिकतर इंगलैण्ड, फ्रांस और बेल्जियम वगैरह में बाप के मरने के बाद बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति जिम्मेदारी नहीं है लेकिन वहां और सूरत है। उनके यहां इंडस्ट्री वगैरह बहुत है और यह बच्चे इन कामों में लग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं उनके लिये रास्ते खुले हुये है।

हमारे यहां प्राइमोजेनीचर का भूत आज भी स्थित है और इसलिये हमारे यहां विरासत के कानून की वजह से आगे को चकबन्दी तकसीम दर तकसीम होती रहेगी लेकिन एक वारिस के पास वही एक चक रहेगा उसकी वजह से डिकंसालिडेनश नहीं होगा। लिहाजा हम अपने दिमागों को साफ कर लें कि उसकी वजह से डिकंसालिडेशन नहीं होगा जमीन थोड़ी-थोड़ी होती जायगी, क्योंकि आबादी बढ़ती जायगी लेकिन

एक वजह और होती है जिसकी वजह से डिकंसालिडेशन होता है कि जिनकी जमीन का राइट आफ ट्रांसफर जो है कि अगर एक सीरदार की जमीन नीलाम हो जायगी तो खरीददारी की जा सकती है। तो इसकी वजह से आज जो चक है वह डिकंसालिडेट हो सकते हैं तो उसका यह इलाज है जो संशोधन किया जा रहा है। खंड ७ के जरिये से उसका इलाज यह है जो किया जा रहा है जब हम लोग यहां तय कर चुके थे तब हमने दूसरे ऐक्ट में भी देखा और उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से है। कि ३.१२५ एकड़ यानी ५ पक्के बीघे से कम अगर किसी जमीन का एक चक है तो वह अगर नान-एडज्वाइनिंग चक-होल्डर को बेचता है तो अपना सारा चक बेचेगा। अध्यक्ष महोदय, अगर मेरा चक दो एकड़ का है और जनाब मेरे एडज्वाइनिंग चक-होल्डर हैं या टेन्योर होल्डर है, तो अगर मैं आपको बेचना चाहूं तो एक हिस्सा बेच सकता हूं। मेरा चक हो जायगा १.३१ बिस्वा का और आपके में एक हिस्सा बढ़ जायगा। लेकिन डिकंसालिडेशन नहीं हुआ। अगर किसी गैर को बेचता हूं, जो एडज्वाइन नहीं करता तो उसको दो एकड़ का दो एकड़ ही बेचूंगा. कम नहीं बेचूंगा।

मुझे माफ करेंगे अगर मैं रिपीट करूं क्योंकि यह बात काफी इम्पार्टेन्ट है। एक किसान की जमीन अगर ५ बीघा पुख्ता या ३.१२५ एकड़ से कम का एक चक है। तो जो उसके चारों तरफ दूसरे चक वाले हैं उनको अगर वह जमीन बेचता है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे जितनी बेचे। उसमें चकबन्दी में फर्क नहीं आता। लेकिन ये जो चार, पांच चक-होल्डर्स एडज्वाइन करते हैं उनको न बेच कर अगर किसी दूसरे को बेचना चाहता है तो पाबन्दी यह रखी जा रही है कि फिर अगर ५ पक्के बीघे से कम का उसका चक है तो वह सारी जमीन बेचे। और अगर ५ बीघे पुख्ता से ज्यादा बड़ा चक है और बिट्स में बेचना चाहता है तो ५ बीघे पुख्ता से कम कोई बिट नहीं होगा। एक आदमी को बेचेगा तो ५ बीघे से कम नहीं बेचेगा। उसको यों कहा जा सकता है कि एडज्वाइनिंग ओनर को बेचे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है चाहे कितना ही चक हो। लेकिन अगर बाहर वाले को बेचता है और ५ बीघे से कम है तो सारी बेचेगा और ५ बीघे से ज्यादा है तो ५ बीघे से कम के टुकड़ों में नहीं बेचेगा। यह तो ठीक है कि जो बहुत बड़ा चक होगा, ५ बीघे से ज्यादा तो उसके बहुत चक हो जायंगे, लेकिन ज्यादा डिकंसालिडेशन नहीं होगा। और खास तौर से हमारे पूर्व के जिलों में तो औसत होल्डिंग ही तीन, साढ़े तीन एकड़ की है।

देवरिया में तीन से भी कम है और आजमगढ़ में भी, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो साढ़े तीन एकड़ से ज्यादा नहीं है ऐवरेज फैमिली होल्डिंग। और क्योंकि उधर धान ज्यादा होता है तो बहुत से किसानों के दो-दो, चार-चार होल्डिंग्ज होती हैं। तो तीन एकड़ से भी कम चक होंगे। तीन एकड़ से ज्यादा बड़े एरिया के बिट्स बनाना यह पाबन्दी लगाना ठीक नहीं है। इसलिये हमने यह सोचा है कि यह रीजनएबिल रेस्ट्रिक्शन है जो कांस्टीटयूशन की कसौटी पर भी ठीक उतर जायगा। बुन्देलखंड के लिये सवा ६ एकड़ किया है। मिर्जापुर, ट्रांस-राप्ती वगैरह में वह छः एकड़ हो जायगा। तो इस संशोधन को कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्ज ऐक्ट में यों नहीं रख रहे हैं कि यह तो टेम्पोरेरी ऐक्ट है और जब ऐक्ट बनेगा तो वह परमानेंट ऐक्ट होगा। इसलिये यह संशोधन करना जरूरी होगा।

अध्यक्ष महोदय, गांव समाज की जमीन अगर असामी के पास है खरबूजे वगैरह लगाने के लिए तो वह उसको दे सकती है और उसका लगान वसूल करने में यदि गांव समाज को दिक्कत होती है और वह तहसीलदार को लिख दे कि हमारा लगान बतौर मालगुजारी के वसूल कर दिया जाय तो हम यह १२५ दफा में पावर दे रहे

[श्री चरणसिंह]

हैं कि ऐसा लगान बतौर मालगुजारी के वसूल करके गवर्नमेंट गांव समाज को दे सकती है। यह अमेंडमेंट खंड १० का है।

अध्यक्ष महोदय, अब एक धारा २२९ की है उसमें यह है कि कोई भी शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ दावा दायर कर सकता है कि मैं असामी हूं और इस बात का डिक्लेरेशन दे दिया जाय। हम इसको करने जा रहे हैं कि मैं असामी हूं इसका डिक्लरेशन कर दिया जाय बल्कि यह कि मैं सीरदार हूं इसका भी डिक्लरेशन कर दिया जाय और सीरदार डिक्लरेशन होगा तो उसमें राज्य सरकार या गांव सभा पार्टी बनेगी।

अध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट यह है कि अब तक यह था कि अधिवासी का प्रश्न आगम में नहीं था। लेकिन अब यह कि फलां आदमी अधिवासी है या नहीं। अगर यह सवाल माल में उठेगा तो वह तय कर देगा। लेकिन अगर दीवानी में उठता है तो यह माल में ही जायगा कि यह अधिवासी है या था यहां पर है का कोई सवाल नहीं है। अब सवाल यह है कि सीरदार कोई व्यक्ति है या नहीं। यह मामला टाइटिल का नहीं माना जायगा और अदालत माल में तय होगा।

अध्यक्ष महोदय, बराबर यह शिकायत रही है .....

श्री अध्यक्ष--अब आप अपना भाषण सवा दो बजे जारी रखें।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरण सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बिल के पास हो जाने के बाद अधिवासी का प्रश्न भी टाइटिल, मल्कियत या आगम का प्रश्न होकर न रहे और सीरदारों के मामले भी अदालत माल में तय हों।

बस इसके अलावा और जो इवैकुई जायदाद है, उसके मुताल्लिक एक शैड्यूल है ऐक्ट में नम्बर ५ का, उसमें कुछ गल्ती रह गई है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए यह खंड १७ में संशोधन है। बाकी १८ वें खंड में सेविंग है, १९वें में ट्रांजीशन है। मोटी-मोटी जो तरमीमें करने की तजवीज थी वह मैंने अर्ज कर दी। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन को किसी भी संशोधन से कोई आपत्ति न होगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ को प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य का प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति के लिये है या प्रवर समिति के लिये?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--मेरा प्रस्ताव संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के लिये है। यह प्रस्ताव मैंने इसलिये रखा है कि जमींन के संबंध में और खास कर जमींदारी उन्मूलन विधेयक, १९५०, जो हमारे प्रदेश में लागू है उसके सम्बन्ध में हमारे प्रदेश में तरह-तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिये यह छोटा सा संशोधन विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है। श्रीमन् मैं इस नन्हें से संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से बाद को निवेदन करूंगा लेकिन मैं उनसे अभी यह निवेदन करूंगा कि खेतीबारी के सम्बन्ध में जो हमारे प्रदेश में कानून कायदे बने हैं, उनसे सदन के सदस्यों के सामने और इस प्रदेश की जनता के सामने जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं उनके सम्बन्ध में

कोई वास्तविक फल निकल सके यह हमारा मन्तव्य है। मेरा मतलब केवल यह रोकना नहीं है कि सिलेक्ट कमेटी में भेज करके इस विधेयक को पारित करने में देर की जाय। मैं चाहता जरूर हूं कि संशोधन विधेयक जल्दी से जल्दी पारित हो लेकिन साथ ही साथ यह जरूर चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं उन्हें इसमें और जोड़ा जाय और जोड़ने के साथ-साथ कुछ धाराओं में परिवर्तन करने के अलावा इसमें कुछ ऐसी धारायें भी हैं कि जिनमें हमको विरोध है, उसमें परिवर्तन पर विचार किया जाय। मैं, श्रीमन्, यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार की ओर से जो विधेयक पेश किया जाता है और सदन से जो उसके सम्बन्ध में संशोधन लाये जाते हैं उनको सरकार स्वीकार कर लेती है। उनको सरकार स्वीकार नहीं करती है और हठवादिता के रास्ते पर चली जाती है और मजबूर होकर वह सारे संशोधन अस्वीकार कर देती है और इसका नतीजा यह होता है कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है।

श्रीमन्, आपको याद होगा कि इसरा संशोधन विधेयक जब इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ था और जब वह सेलेक्ट कमेटी में गया था तो सेलेक्ट कमेटी में हम लोगों ने अपनी असहमति लिखी थी और जोरदार शब्दों में यह निवेदन किया था कि मुकदमों को माल में ही रखना उचित होगा और दीवानी में नहीं भेजना चाहिये। लेकिन अफसोस है उस वक्त माननीय माल मंत्री जी ने हमारे सुझाव को नहीं माना। उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे प्रदेश के हजारों किसानों को मुसीबत भुगतनी पड़ी और साथ ही साथ उनको खेतों से हाथ भी धोना पड़ा है। वह गलती शायद अब राजस्व मंत्री जी को मालूम हुई है और इसी वजह से इस प्रकार का संशोधन विधेयक वह लाये हैं। अगर उस समय वह हमारी बात मान ली गयी होती तो लाखों रुपया हमारे प्रदेश की जनता का जो अदालतों में गया है वह न जाता और माननीय राजस्व मंत्री जी के जो पीछे बैठने वाले वकील लोग हैं उनके हाथ में रुपया नहीं गया होता और समय की जो बरबादी हुई है वह देखने को नहीं मिली होती। अतः मैं आग्रह करूंगा कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके इस छोटे से विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेज दें जिसमें इन धाराओं पर बैठकर शान्तिपूर्वक विचार किया जा सके। श्रीमन् मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज वक्त का तकाजा है कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेज कर राजस्व मंत्री जी इसकी भी घोषणा कर दें कि प्रदेश में जमीन का बटवारा हम करेंगे। जब जमीन के बटवारे की बात की जाती है तो राजस्व मंत्री जी लम्बी सांस लेने लगते हैं और सांस लेते-लेते इन्कार कर देते हैं।

श्री चरण सिंह—सांस इसलिये लेने लगता हूं कि जमीन उतनी नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—श्रीमन्, मैं किसकी बात सही मानूं। सरकार की बात सही मानूं या जिस पार्टी के आप नेता हैं राजस्व मंत्री जी उनकी बात को मानूं या पं० जवाहरलाल जी की बात को माना जाय या कांग्रेस की तरफ से जो विकास कमीशन बना हुआ है उसकी बात को माना जाय। मैं श्रीमन् कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा प्रस्ताव पास किया है अलाभकर खेतों की मालगुजारी की मुआफी का। जवाहरलाल जी ने अभी कहा है कि बिना जमीन की सीमा निर्धारित हुये समस्या हल होने वाली नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट भी यही है कि सीमा निर्धारित होनी चाहिये और श्रीमन्, कई प्रदेश में सीमा निर्धारित होने के लिये विधेयक प्रस्तुत हो चुके हैं लेकिन हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहां पर माननीय राजस्व मंत्री जी यह मानने के लिये तैयार नहीं होते।

श्री चतुर्भुज शर्मा—मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जमीन के बटवारे का इससे क्या सम्बन्ध है?

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य विधेयक पर ही रहेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--मैंने जो प्रस्ताव किया है प्रवर समिति में भेजने का वह यदि स्वीकार हो जायगा तो इसको और बढ़ाया जा सकता है।

श्री चरण सिंह--पहले यह प्रस्ताव मंजूर हो जाय तब आप और बातें लायेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--यदि इस प्रकार का भाषण नहीं होगा तो सदन आकर्षित न हो सकेगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक में सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिये कि खेतों की मालगुजारी क्या हो। खेतों की मालगुजारी हमारे प्रदेश में एक ही गांव में भिन्न-भिन्न है। यह भी कहूंगा कि जिस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत हमारे देश में लोगों को लूट लूट कर अपने खजाने भरा करती थी उसी तरह से यहां के दूर के जमींदार भी मालगुजारी बढ़ा-बढ़ा कर लूटते रहे हैं। उसी विभिन्न तरीकों से शोषण करते थे। और उसी को आज माननीय राजस्व मंत्री स्वीकार करते है। श्रीमन् मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। हमारे यहां के जमींदार यहीं लखनऊ के रहने वाले थे। माननीय सदन के सदस्य, ब्रजबिहारी मिश्र जी की हमारे घर के पास परसिया गांव में जमींदारी थी। उस गांव में मालगुजारी का सर्किल रेट २ रुपया है और पास के दूसरे गांव मूसाडोही की मालगुजारी ६ रुपया १० आना प्रति एकड़ है। दूसरा सुल्तानपुर एक गांव है जहां पर ४ रुपया ३ आना है और उसके पास ही एक गांव मटिया है वहां पर १८ रु० १३ आ० है। जो भूतपूर्व जमींदार थे वे किसानों में हमदर्दी नहीं रखते थे। उनके अन्दर यह भावना नहीं थी कि हमारे प्रदेश के किसान फले फूले। अब इन जमींदारों के खत्म होने के बाद सरकार को नये सिरे से सोचना चाहिये और जो भूतपूर्व जमींदारों ने मालगुजारी स्थिर की है उसको परिवर्तन करना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता था कि जब तक वे इस समस्या को हल नहीं करते हैं, खेतों की मालगुजारी उसकी पैदावार के हिसाब से नहीं रखते हैं तब तक चाहे वे हजारों कानून इस प्रदेश में क्यों न बना लें लेकिन गरीब जनता जिसके पास छोटे छोटे खेत है वह मेहनत करती जायगी, गल्ला पैदा करती जायगी, गल्ला पैदा करके सस्ते दामों में बेचती जायगी, मालगुजारी और टैक्सों को अदा करती जायगी और खाली हाथ घर में बैठ कर उपवास करती ही रहेगी। लेकिन आपको यह तरीका बदलना होगा।

श्रीमन्, हमने शिकमी किसानों की मालगुजारी की निश्चित दर के सम्बन्ध में विरोध करते हुए कहा था कि उनसे दुगुना लगान न लिया जाय। मैं जानना चाहूंगा कि आज शिकमी किसानों की हालत क्या है? सर्किल रेट से दुगनी मालगुजारी उनसे क्यों वसूल की जा रही है? आज उनकी इस गयी गुजरी हालत के बावजूद भी सरकार आज यह कहते थकती नहीं है कि उनके कानून बहुत अच्छे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी को मैं जरूर ही बधाई दूंगा कि जब वे गांवों में जाते हैं तो वे अपने कानूनों की तारीफ करने में थकते नहीं हैं। इन कानूनों को सुनने के लिये किसान अपने सारे कामों को छोड़ कर आता है लेकिन सुनने के बाद क्या होता है? मैं दो-एक उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ अखबारों की कटिंग भी साथ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की मालगुजारी इतनी ज्यादा है कि वे उसको अदा नहीं कर पा रहे है। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा था कि आज शिकमी किसान ऐसे किसान हैं जो बेबस हैं उनकी रक्षा के लिये ही हम यह कानून बना रहे हैं और उनको इस प्रकार के अधिकार देने जा रहे हैं। ४४ लाख कई हजार किसान हमारे प्रदेश में शिकमी हैं और आजमगढ़ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार ४ लाख ६५ हजार हैं। उनमें से अधिकांश मालगुजारी नही दे पा रहे हैं और उनको मालगुजारी देने में बड़ी दिक्कत हो रही है। माननीय राजस्व मंत्री जी को मालूम

होता और उनको इसी सदन में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा कहा गया कि मालगुजारी वसूल करने में किसानों को खम्भे में बांध दिया जाता है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है, जमाबन्दी उनकी बढ़ाई जा रही है, पहले जमींदार ही अबवाब देते थे लेकिन आज सारे किसानों से अबवाब लिया जा रहा है। कहा जाता है कि हम समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं, कहा जाता है कि किसानों को शक्तिशाली बनाने के लिए उनकी छाती पर जो जमींदारी कायम थी उसको हमने खत्म किया, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जमींदारी के खात्मे के माने क्या है ?

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम होने पर पुनः सदन की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जमींदारी तो जरूर खत्म हुई लेकिन जमींदारी के खात्मे के बाद जो मालगुजारी हम से पहले जमींदार वसूल करते थे उसको अब माननीय राजस्व मंत्री जी के कुर्क अमीन वसूल करते हैं, जमींदार अगर कुछ हर्जा बेगारी लेता था किसानों को मुर्गा बनाता था और आज भी राजस्व मंत्री जी के कुर्क अमीन और चपरासी उनको खम्भे और चारपाई में बांधते हैं। उनकी आय आज पाने ८ करोड़ से बढ़कर २३ करोड़ ९० लाख हो गई है। इस लिए मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा कि उनको जिस किसान से इतनी ज्यादा आमदनी होती है उस के खेतों की मालगुजारी आज भी भिन्न-भिन्न है, ऐसी परिस्थिति में यह सबसे जरूरी है कि खेतों की मालगुजारी फिर से निश्चित की जाय और जो सर्किल रेट्स हैं वह फिर से ठीक किए जायं और खेतों की पैदावार के अनुसार मालगुजारी निश्चित की जाय।

मैं दो चार धाराओं का सिंहावलोकन करते हुए मंत्री जी का ध्यान धारा २३२ की ओर दिलाना चाहता हूं। इस धारा के अनुसार हमारे सूबे में बहुत से शिकमी काश्तकारों ने जमीन वापसी की दरख्वास्तें दीं। अब उनकी जमीन वापसी की दशा क्या है, यह मेरा ख्याल है कि माननीय राजस्व मंत्री जी हमसे ज्यादा जानते होंगे, सारे सूबे के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है लेकिन आजमगढ़ जिले के बारे में मुझे जानकारी है और मेरा उससे अन्दाजा है कि इसी तरह की हालत प्रदेश के अन्य जिलों में भी होगी। आजमगढ़ में धारा २३२ के अनुसार शिकमी किसानों ने खेतों की वापसी के लिए ११६४ दरख्वास्तें दीं और मुकदमे दाखिल किए। वह मामले दीवानी में आए, फिर माल में आए, फिर माल से दीवानी में गए, फिर दौड़ते धूपते वह कमिश्नरी में गए और उनमें से केवल ३२८ मामले शिकमियों के पक्ष में तय हुए और बाकी ७८५ भू-स्वामियों के हक में ही फैसले हुए और उसके बाद के उन ३२८ में भी अपीलें हुईं और उनमें से फिर आधे से कम ही शिकमियों के हक में फैसले रह गए और आधे से ज्यादा फिर अपील में भू-स्वामियों के हक में रहे। कमिश्नर ने आर्डर दे दिया कि फिर वे दीवानी में जाकर अपने फैसले करायें। १३५९ फ० के इन्द्राज की दुरुस्ती के लिए कानून बना और कहा गया कि उस सन् फसली में जिसका कब्जा होगा वह सीरदार माना जायगा, लेकिन मेरे पास सैकड़ों सबूत हैं कि १३५९ फ० में इन्द्राज है, अदालत से डिग्री हुई है लेकिन फिर भी वह किसान अपने खेत को नहीं काट पाते हैं और इस सरकार की अदालत और पुलिस सब अपाहिज हैं शिकमी किसानों की रक्षा करने में। यह श्रीमन्, एक दो नहीं मेरे पास एक फाइल पड़ी हुई है शिकमी किसान २० वर्ष से खेत को जोतता है। अदालतों से डिग्री है, उसका नाम इन्दराज है, कोई झगड़ा नहीं है, परगना हाकिम के यहां दरख्वास्त दी, राजस्व मंत्री के यहां दरख्वास्त दी, कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दी, खेत काट लिया जाता है, मारा जाता है, थाने में रिपोर्ट होती है, डाक्टर मुलाहिजा करता है,

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

लेकिन उसके बाद भी उस शिकमी किसान की कोई पूछ नहीं होती। एक नहीं पचासों उदाहरण दे सकता हूं। श्रीमन्, मुझे अफसोस है कि बनारस में सब से ज्यादा बेदखली हुई है। जिस जिले के निवासी हमारे मुख्य मंत्री, भूतपूर्व हमारे विरोधी दल के नेता राजनारायण और प्रभुनारायण सिंह मौजूद रहे वहां पर श्रीमन्, किसानों को पीट-पीट कर अदालतों में बाकायदा उनसे इस्तीफा दाखिल कराया गया और जो धारा संशोधन विधेयक में है उसके द्वारा अधिकार दिया जा रहा है उनको सीरदारी का, क्या हक मिलेगा सीरदारी का?

श्री चरण सिंह--क्या अधिकार दिया जा रहा है। दिया जा चुका है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--जिसके लिए संशोधन आप ला रहे हैं कितना उनके पास खेत हैं। पता लगाइये, अदालत से पूछिये, अदालतों में कितने स्तीफे दाखिल हुए हैं। १३५९ फसली का इन्दराज क्यों नहीं हुआ। अदालतें इन कानूनों को क्यों मानतीं नहीं। अब श्रीमन्, मैं जानना चाहूंगा किसका दोष है। कानून की गलती है या अधिकारियों की गलती है। दोनों में किसी की गलती जरूर होगी। रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला कर लिया। श्रीमन्, भूमिधर का हक सुपीरियर है। इस सेशन में काम रोको प्रस्ताव रक्खा और माननीय चौधरी साहब से निवेदन किया कि आप कोई संशोधन लाये इस धारा में। माननीय राजस्व मंत्री और उनके सलाहकार मानने के लिये तैयार नहीं है कि उनका विधेयक गलत है। श्रीमन्, मैं मानता हूं कि विधेयक गलत नहीं है। यदि विधेयक गलत नहीं है तो उनके अधिकारी गलत फैसला करते हैं। रेवेन्यू बोर्ड तक अपील होती है। हाई कोर्ट तक जाती है। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। हाई कोर्ट वह शिकमी किसान जायगा कहां जिसे आप कमजोर और मूक कहते हैं। वह हाई कोर्ट में नहीं जा सकता। वही जाता है जिसके पास पैसा होता है। श्रीमन्, इस विधेयक में १३५९ फसली में २३२ धारा के मातहत अदालतों में जो हो रहा है उसकी बिना पर कुछ संशोधन करने के लिये आया होता तो मुनासिब था। लेकिन आज चूंकि प्रदेश में मनमाने फैसले हो रहे हैं, उस पर सरकार संशोधन नहीं ला रही है तो मजबूर होकर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन विधेयक को आप प्रवर समिति में भेजें, जिससे गम्भीरतापूर्वक इस धारा पर विचार करके कुछ संशोधन लाया जा सके। श्रीमन्, एक और फजीहत है एक नियम है ११५ (सी)। उसके अनुसार जिन लोगों ने जमींदारी टूटने के बाद से परती जमीनों पर कब्जा कर लिया है उनके विरुद्ध गांव समाज के प्रधान या कोई भी सदस्य दरख्वास्त देंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां या अव्वल दर्जे के मैजिस्ट्रेट के यहां तो वह किसान बेदखल कर दिया जायगा। राजस्व मंत्री जी को हमसे ज्यादा जानकारी होगी, होनी भी चाहिये हमें इसमें शुबहा नहीं है। लेकिन श्रीमन्, हमको जानकारी जिस आधार पर है उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि ११५-सी का बहुत दुरुपयोग किया जा रहा है। और आजमगढ़ में तीन हजार से अधिक मुकदमे दायर हुए हैं। एक एक एकड़ पर एक-एक हजार रुपया जुर्माना हुआ है। उस नियम में कहीं गुंजायश नहीं है कि किस प्रकार जुर्माना किया जायगा, उसके सामने कोई नियम नहीं। मैजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार है मनमाना जुर्माना करने का। कोई सकिल रेट का विचार नहीं, कोई मालगुजारी का ख्याल नहीं, कोई जमीन की पैदावार का ख्याल नहीं। एक-एक हजार रुपया जुर्माना एक एक एकड़ पर होता चला जा रहा है। सवाल हुआ और उसके बाद उम्मीद करता था कि सरकार इस पर कुछ सोचेगी। लेकिन सरकार सोचने में बिल्कुल असमर्थ रही है। ११५-सी के अन्तर्गत जो लोग आते हैं उनमें से ९५ फीसदी ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल भूमिहीन रहे हैं, जिसके पास खेत बहुत कम रहे हैं जमींदारी टूटने के बाद भूतपूर्व जमींदारों ने, जब जमींदारी टूटने का ऐलान हुआ तो

उन्होंने जमीनों को नजरअन्दाज करके उठाया था। उस वक्त गरीब किसानों ने अपना पेट काट काट कर अनगिनत जमींदारों से जमीन खरीदी थी और उसका इन्दराज नहीं हुआ।

श्रीमन्, अवध में इतने मुकदमे दायर हुए दीवानी में और माल में; ऐसे ऐसे मुकदमे हैं जिनमें गांव के लम्बरदार ने जाकर अपना बयान दिया कि फलां वर्षों से खेत जोतता है, सारा गांव बयान देता है। लेकिन कोई परवाह नहीं। अदालत दुश्मनी जाहिर करके, लोगों के खेतों को निकालती है, इतना जुर्माना करती है। जरा माननीय राजस्व मंत्री जी इस पर भी ख्याल करें कि एक-एक हजार रुपया जुर्माना देना और उन खेतों का देना जिसमें कुछ नहीं हुआ या हुआ भी तो एक साल होता है न न जोत, फिर साल जोता। इस पर सरकार को ख्याल करना चाहिए। श्रीमन्, सरकार को इन चीजों के सम्बन्ध में या तो कानून में संशोधन करना चाहिए और अगर अधिकारी सरकार के बनाये कानून का उल्लंघन करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर गलत कानून बना है तो उसका संशोधन शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। इस लिए मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्रीमन्, मैं धाराओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। इसमें एक दो धाराएं ऐसी हैं जिनका समर्थन किया जा सकता है। लेकिन एक दो धाराएं ऐसी हैं जिनका समर्थन करने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। खंड ६ में १३२-ग के स्थान पर संशोधन लाया गया है। जो मूल अधिनियम है उसमें मैं यह समझता था कि बेईमानी करने का रास्ता नहीं था। लेकिन यह संशोधन जो है उसमें लोगों का बेईमानी करने का रास्ता कुछ साफ किया जा रहा है। यह रास्ता बनाया जा रहा है कि शिकमी किसान जो खेत बीसों वर्षों से जोत रहे हैं, उनको मौरूसी का हक भले ही प्राप्त हो गया हो, लेकिन कुछ लोग यदि कोआपरेटिव बेसिस पर फल का बाग लगाना चाहते हों, या कोआपरेटिव बेसिस पर और कोई सामुदायिक काम करना चाहते हों, म्यूनिसिपैलिटी गड्ढा बनाना चाहती है, उन सबके लिए इस संशोधन के जरिये छूट दे दी गई है निकालने की। १३२ धारा में सिर्फ "ग" में केवल टांगिया में बन लगाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन इसके जरिये पूरा अधिकार दिया जा रहा है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है। आप विश्वास कीजिये कोआपरेटिव सोसाइटियां बनाना आसान है। पांच आदमी से जहां ज्यादा हो गये कोआपरेटिव सोसाइटी बन गयी। श्रीमन्, उसकी रजिस्ट्री में कोई रोकथाम नहीं। दस आदमी मिल कर कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें और किसान को जो मौरूसी का हक मिला है उसको बेदखल किया जा सकता है। गांव के जो भूतपूर्व जमींदार हैं, जिनके पास पचास बीघे, १०० बीघे खेती है, राजस्व मंत्री उनसे वाकिफ नहीं हैं, उनकी जो पुरानी भावना रही है वह आज भी मौजूद है।

श्रीमन्, इसके अलावा खंड ७ के सम्बन्ध में, १६८-ग में संशोधन के लिए जो कहा गया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। यह बात सही है कि जहां चकबन्दी हो रही है और चकबन्दी में पास का जो छोटा सा टुकड़ा वाला है वह खेत को बेचना चाहता है तो उसको खेत मिलना चाहिए, जो पास का खातेदार है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा राजस्व मंत्री जी से कि क्या इस संशोधन से यह नहीं होने वाला है कि उस किसान को उस खेत की पूरी कीमत नहीं मिलने वाली है। आप मजबूर कर रहे हैं एक किसान को जो खेत बेचना चाहता है। खेत कई तरह से बेचा जाता है। कुछ लोग गरीबी के कारण खेत बेच सकते हैं। कुछ लोग कम खेत होने की वजह से बेच सकते हैं। लेकिन जब चकबन्दी होगी तो जो बड़े खेत वाले हैं उनका छोटा टुकड़ा अगर कहीं है तो वह टुकड़ा उनके बड़े चक में चला जायगा। लेकिन छोटा खेत किसका बिकेगा? छोटा खेत उसका होगा जो छोटा किसान है। तो छोटे

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]
किसान को आप इस संशोधन के द्वारा मजबूर कर रहे हैं कि अपने खेत को बेचे और उसको बेचे जो पास का है।

श्री चरण सिंह—बेचने को मजबूर कैसे कर रहे हैं ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—यह विधेयक है अगर बेंचना चाहे। तो फिर क्या यह ठीक है ? मै समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। और यह गरीब किसान जो हैं उनके हक में यह नुकसान होने वाला है; उसको पूरी कीमत खेत की मिलने वाली नहीं है। इसमें संशोधन करना चाहिए।

श्री चरण सिंह—क्या होना चाहिए, यह बता दीजिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह होना चाहिए कि अगर वह खेत बेंचना चाहता है तो बोली बोली जाय। दस बीस उस गांव के आदमी जो उस खेत को खरीदना चाहें वह बोली बोलें और सबसे ज्यादा बोली जो हो उतनी कीमत देकर पास के खेत वाले किसान खरीद लें। तब तो मै समझूंगा कि उसके खेत की कीमत उसको भरपूर मिलेगी।

एक संशोधन खंड ९ में किया गया है कि रास्ता और तालाब के बीच मे "पोखरा" शब्द जोड़ दिया जाय। इससे माननीय मंत्री जी को कुछ सान्त्वना हो सकेगी कि पोखरा शब्द जोड़ देने से सभी गांव समाजों की सम्पत्ति वापस हो जायगी धारा २१२ में, लेकिन, श्रीमन्, मै इस मौके पर राजस्व मंत्री जी से फिर सवाल करना चाहता हूं कि जरा बतावें तो मुझको वह इस प्रदेश मे कितने जिलों के कलेक्टरों ने धारा २१२ के अनुसार सार्वजनिक भूमि को वापस किया है गांव समाज के पक्ष में। मेरा खयाल है कि शायद ही किया होगा।

आजमगढ़ के सम्बन्ध में पूरी जानकारी मुझे है कि पोखरे और कब्रिस्तान, रामलीला का मैदान ऐसे स्थानों पर, श्रीमन्, गांव समाज के प्रधान ने अगर दर-ख्वास्त दी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां वापसी के लिए तो वह जेलखाना गया है; वापस होने की बात तो दूर है। सरकार कोई अपने बनाये हुए कानून की पाबन्दी अपने अधिकारियों से नहीं करा पायी। कहा जा सकता है कि कानून तो है ठीक। कानून की पाबन्दी नहीं होती तो जिम्मेदारी किसकी है ? अगर इस प्रदेश में कानून की पाबन्दी न हो तो जिम्मेदारी किसकी है ? सरकार की जिम्मेदारी है, श्रीमन्, और सरकार अब अपने बनाये हुए कानूनों की जिम्मेदारी सिर पर उठा कर उनको मजबूर नहीं कर सकती है तो मैं समझता हूं कि ऐसे कानूनों के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं और यदि राजस्व मंत्री जी चाहे तो, श्रीमन्, मै प्रमाण दे सकता हूं उनको। पोखरे हैं आज भी उसमें से खेत में पानी चलता है लेकिन कागज में काश्तकारी दर्ज है। कागज में जौ, गेहूं आदि की पैदावार लिखी जा रही है और उनका दुलारा लेखपाल रिपोर्ट नहीं करता है। गांव समाज का प्रधान रिपोर्ट करता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। मुकदमा लड़ता है, कलेक्टर मानता नहीं। एक दो सबूत भी दे दें माननीय राजस्व मंत्री जी आजमगढ़ जिले का, तो में मान जाऊं कि हां, इस तरह से सार्वजनिक स्थान वापस किए गए है। मै इसलिए विधेयक के इस खंड का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन इस अपनी बात के जरिये राजस्व मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा इस धारा को अमली जामा तो पहनावें, जरा देखें तो सही कि इस धारा का इस खंड का दुरुपयोग हो रहा है या सदुपयोग हो रहा है और, श्रीमन्, निष्क्रान्त सम्पत्ति पर २० गुना के बदले १५ गुना लेकर के सीरदार बनाने का अधिकार इस विधेयक के जरिये राजस्व मंत्री जी दे रहे है। ठीक है २० प्रतिशत के बदले १५ प्रतिशत हो जाय।

राजस्व मंत्री जी को शायद महसूस होने लगा कि अब हमारे प्रदेश के किसान की धीरे-धीरे आमदनी घटती चली जा रही है। अगर यह बात सही है तो मैं निवेदन करूंगा कि इस पन्द्रह गुना की पाबन्दी को हटाइए। क्यों बार बार बदलने की बात होती है? जो किसान जमीन को जोतता है, उसका अधिकार है, वह खेत का मालिक है। जमीन, जोतने वाले की है। जब आपने एक तरीका बना लिया तो फिर मुआवजे की बात क्यों करते हैं? राजस्व मंत्री जी, मुआवजे की बात छोड़िए। एक और निवेदन करूंगा आपसे निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कि बहुत से लोग पकिस्तान चले गये और पाकिस्तान जाने के बाद अपनी सम्पत्ति खेत को छोड़ गये, लेकिन उस खेत पर सिकमी किसानों का भी कब्जा है। कोई किसान है, जिसका कोई भाई पाकिस्तान चला गया। उसके पास पूरे १० बीघा खेत हैं, लेकिन १० बीघा खेत भी खास भाई के पास है। आपको एक रास्ता तय करना होगा कि ऐसे किसान को वह जमीन मिलनी चाहिए। इस विधेयक में इसकी कोई चर्चा नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह चर्चा ऐसी भी होनी चाहिए निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

मैं आपके जरिये, श्रीमन्, यह निवेदन करूंगा कि अनुसूची में मूल अधिनियम की अनुसूची २ के स्थान पर जो अनुसूची रखी गयी है यह भी देखने योग्य है। इस में भी कई ऐसी धाराएं हैं जिनका संशोधन है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से धारा २१२ के सम्बन्ध में हमने आपसे निवेदन किया कार्यवाही करने को, उसी प्रकार मैं निवेदन करूंगा कि इसमें भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसे अफसरान जो बनाये हुए कानूनों का उल्लंघन करते हैं, सदन का अपमान करते रहते हैं, उनको ठीक करना चाहिये। और इसको प्रवर समिति में भेजने का इरादा हमारा इसी कारण है, यह नहीं कि कोई देरी की जाय। जिसको राजस्व मंत्री जी चाहें उस सदन की संयुक्त समिति बना कर, रात दिन बैठ कर इस पर विचार और गौर किया जाय और गौर करने के बाद मूल अधिनियम में भी कुछ धाराओं को बदलें और इसमें कुछ परिवर्तन और संशोधन करें, जिससे सही माने में लोगों को स्थिर किया जा सके और उनको भरोसा दिलाया जा सके कि जो अधिनियम बनाया गया है उसकी ठीक तौर से पाबन्दी हो और हक लोगों का बरकरार रहता है। अगर हक बरकरार रहता है तो कानूनों की इज्जत होती है। अगर कानून एक बार ठीक तरह से बन जाता है तो आगे के लिए भी उसका पालन विकास की ओर होता है। लेकिन बहुत से कानून इस सदन में ऐसे बने जिनकी हाई कोर्ट में और अदालत में छीछालेदर हुई और सरकार हठवादिता की तरफ गयी और जिले के अधिकारियों ने जैसी राय दे दी उसके मुताबिक फिर उसमें संशोधन हो जाता है, न तो जनता की राय का और न सदन की राय का खयाल किया जाता है। इसलिए प्रवर समिति में भेजने से उसमें उचित परिवर्तन होगा। मैं अपने इस प्रस्ताव को पुनः पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो संशोधन माननीय पांडेय जी ने रखा है, उसमें भी मेरा थोड़ा सा अमेंडमेंट है, वह यह कि जब यह समिति को भेजा जाय तो समिति को यह भी अधिकार दिया जाय कि वह इसके स्कोप को भी बढ़ा दे। तो अब हमारा संशोधन हो गया कि यह विधेयक प्रवर समिति में, समिति को यह अधिकार देते हुए कि वह स्कोप को भी बढ़ा दे, भेज दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—आप संयुक्त प्रवर समिति को चाहते हैं या प्रवर समिति को?

श्री राजनारायण—अगर माननीय पाण्डेय जी का संशोधन "संयुक्त" का है तो संयुक्त हम मान लेंगे, लेकिन उसमें हम एक अवधि चाहते हैं कि वह एक महीने की अवधि रख दी जाय ताकि सरकार उस को अनिश्चित काल तक के लिये न टाले।

श्री उपाध्यक्ष— तो आप दोनों चाहते है ?

श्री राजनारायण—जी हां, हम दोनों चाहते है, एक तो इसका स्कोप बढ़ाया जाय और दूसरा संयुक्त प्रवर समिति में एक महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये, उसकी रिपोर्ट सदन में इतने समय के अन्दर प्रस्तुत हो जाय। श्रीमन्, मैं सर्वप्रथम ही माननीय मंत्री जी से यह पहले ही निवेदन करना चाहूंगा कि वे हमारी बात को व्यक्तिगत ढंग पर और निजी ढंग पर न लें और यह भी कभी न समझें कि मैं उनकी भावना, उनके इंटेन्शन्स या उनके मोटिव को खराब समझता हूं या अच्छा समझता हूं। मैं उनसे जो भी निवेदन करूंगा वह यही है कि फल क्या हो रहा है। यानी यह हमारा चौथा संशोधन विधेयक तो है ही। जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट आया सन् १९५० में, उसके बाद ५२ में, ५४ में और ५६ में यानी करीब-करीब हर साल संशोधन लाने पड़ रहे हैं। आरम्भ से ही हमने जो कुछ माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था, यदि उस निवेदन के अनुसार ये काम किये होते तो सदन का समय भी नष्ट न होता और आज जो मुसीबत का पहाड़ खेतिहर जनता पर टूट पड़ा है वह भी न टूटा होता।

श्री चरण सिंह—वह हम पर टूट रहा है।

श्री राजनारायण—आप पर नहीं टूट रहा है। श्रीमन्, मैं यह साफ-साफ बता दूं कि माल मंत्री जी का जिस भूमि-व्यवस्था के विभाग से सम्बन्ध है वे कम से कम अपने विभाग से परिचित ता जरूर हैं इतना मैं मानता हूं। यहां बहुत से मंत्री हैं जिनको अपने विभाग के बारे में कोई जानकारी नहीं है जैसे शिक्षा मन्त्री इसमें हैं मगर इनके बारे में मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये परिचित हैं। हमारी इच्छा इनके मोटिव पर अटैक करने की नहीं है लेकिन हमारी इच्छा यह है कि हम इस सदन में साफ-साफ बतावें कि यह सरकार क्या चाहती है। हम चाहते हैं कि इस बात को समझ लिया जाय कि आज जो कुछ भी संघर्ष है वह यही है कि हम इक्वैलिटी की ओर बढ़ना चाहते हैं। हम यह देखें कि जो विधेयक आया है वह हमें इक्वैलिटी की ओर ले चल रहा है या नहीं।

माननीय परिपूर्णानन्द जी यहां बैठे हैं भूमि-व्यवस्था से उनकी काफी जानकारी है। वे भी इस बारे में सोचें। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हमने कानूनी समानता तो दे दी। कानून सब के लिये बना है जो चाहे अपना फैसला करा सकता है। माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हमने राजनीतिक समानता भी दे दी। जनता पसन्द करती है इसलिये कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, नहीं पसन्द करेगी, हट जायेगी। तो कानूनी समानता और राजनीतिक समानता दोनों ही बुरी हैं जब तक कि सोशल और इकनामिक इक्वैलिटी न हो। आज सामाजिक समानता और आर्थिक समानता का संघर्ष है। हमारे देश में सामाजिक समानता का ज्यादा है। दुनिया के मुल्कों में अधिकांश में इस समय सामाजिक समानता भी प्राप्त है लेकिन आज हमारे देश में आर्थिक विषमता भी कायम है और सामाजिक विषमता भी कायम है। तो उस आर्थिक विषमता के लिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं और जो संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत हुआ है क्या वह उधर प्रगतिशील है ? मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि तनिक भी उधर नहीं बढ़ता है। आज बड़े तपाक के साथ जब यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि चारों तरफ राष्ट्रीय विकास हो रहा है और सरकार राष्ट्रीय विकास के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ है तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि जमीन पर कोई कैद लगा दी जाय, ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया जाय जिससे जमीन का बंटवारा संभव हो और जो कोई असीम जमीन अपने पास रखता चला जा रहा हो उस पर एक प्रतिबन्ध लगे, आज इस संशोधन में जब कि यह ५६ का संशोधन है इसकी कहीं भी हमें गुंजायश नहीं दिखलायी पड़ रही है कि माननीय मंत्री जी जमीन के बटवारे की ओर भी बढ़ रहे हैं। जब माननीय पांडेय जी बोल रहे थे तो उस बीच में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जमीन कहां है। इस सदन में हमने बार बार आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और आज भी मैं अपने आंकड़े

को बता दूं थोड़े से, श्रीमन्, कि यदि ३० एकड़ बड़ी से बड़ी जोत की सीमा मान ली जाय तो अपने प्रदेश में ३० एकड़ के ऊपर वालों की जमीन अगर ली जाय तो हमारे आंकड़े के मुताबिक जो इन्हीं सरकारी किताबों से निकलता है उससे, कम से कम ३० और ३५ लाख एकड़ जमीन बचेगी जिसका कि हम बंटवारा कर सकते हैं।

इसी के साथ-साथ, श्रीमन्, आप ध्यान रखें कि मैं इकोनामिक इक्वेलिटी की तरफ आ रहा हूं और यदि हमारा मतलब इकोनामिक इक्वेलिटी का है और ३० एकड़ अधिकतम जोत की सीमा रखने में हम अधिकांश लोगों को जमीन नहीं दे पाते हैं तो हम कहीं बंधे हुये नहीं हैं, हम उस परिधि को घटा कर २० एकड़ भी ला सकते हैं और हमने १० एकड़ का भी हिसाब लगाया है। अगर २० एकड़ अधिकतम जोत की सीमा रखी जाय तो हमारे यहां ६५ लाख एकड़ जमीन बचेगी जिसको कि हम गरीब किसानों में बांट सकते हैं। और यदि १० एकड़ अधिकतम जोत की सीमा रख दी जाय तो ९५ लाख एकड़ के ऊपर बचती है। श्रीमन्, इसके बाद कितनी जमीन ऐसी है जो ऊसर है, परती है, बंजर है, पानी से ढका हुआ इलाका है, तराई भाबर का इलाका है। माननीय मंत्री जी समुचित आंकड़े अगर अपने सामने रखते होंगे तो इन तमाम जमीनों को अगर लिया जाय तो इसमें भी कम से कम ६० एकड़ जमीन तो ऐसी निकलेगी जो बांटने के काम में आ सकती है।

श्रीमन्, इवैकुई प्रापर्टी की भी चर्चा है इसके उद्देश्य में। मैं निवेदन करूंगा कि यदि सरकार की मंशा है और सरकार चाहती है कि आज ऐसे लोग जो जीवन के साधनों से वंचित हैं, जिनके पास धन पैदा करने के साधन नहीं हैं, जो खेती के सहारे ही अपने जीवन निर्वाह पर आश्रित हैं उनके लिये खेती की व्यवस्था हो तो क्यों नहीं इवैकुई प्रापर्टी में इस तरह की बात शामिल की जाती कि जो लोग यहां आये हुये हैं, चाहे आप उनको शरणार्थी कहें या पुरुषार्थी कहें, उनको बदले में जो जमीन देनी है वह सरकार दे, मगर जो जमीन बचती है वह जमीन फिर नीलाम क्यों की जाय, उसके लिये यह क्यों न तय किया जाय कि वह जमीन हरिजनों को बांटी जायगी, पिछड़े लोगों को बांटी जायगी, यह जमीन उन लोगों को दी जायगी जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमि रहित हैं? मैं देखता हूं तो मुझे इस विधेयक में कहीं नहीं मिलता है। फिर किस माने में हम यह मानें कि यह सरकार जो खेती के बारे में विषमता फैली हुई है उस विषमता को निकालना चाहती है? चाहे मंत्री जी बार बार कहें, पहाड़ पर चढ़ कर बोलें और कहें कि हम समानता लाना चाहते हैं तो मैं यह कहूंगा कि सरकार की यह समानता स्वप्न की है, इस सरकार की समानता भाव की है, इस सरकार की समानता इमोशन की है और सरकार इस ओर कोई निश्चित कदम उठाना नहीं चाहती है और अगर यह अपना कोई निश्चित कदम नहीं उठायेगी तब समानता और स्वतंत्रता का नारा बुलंद करना उनके लिये लज्जा की बात है और सरकार को यह नारा बुलंद करना बन्द करना चाहिये। अन्यथा जनता ऊब जायगी और निराशावादिता तेजी से फैल रही है।

श्रीमन्, लोग एक ही बात कहते हैं कि हम समानता लाना चाहते हैं, हम विषमता मिटाना चाहते हैं। लेकिन यह कैसे होगा? आज कोई चोरी करे, डाका मारे, और कहीं से रुपया लाकर रखे और जितनी जमीन चाहे खरीदता चला जाय। कहां इस पर रोक है? क्या प्रतिबन्ध है कि कोई अधिक से अधिक कितनी जमीन जोत में रख सकता है? श्रीमन्, सरकार कहती है कि वह समानता की ओर बढ़ रही है तो वहीं इस समानता का मतलब समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि आम जनता इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य न भूलें और वह बुद्धि विभ्रम में न पड़ें। समानता का नारा सही और सच्चा होना चाहिये जो कानून में विषमता को मिटाने के लिये आगे बढ़े। श्रीमन्, इसी लिये मैंने अपने संशोधन में निवेदन किया है कि जब यह सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में विचारार्थ जाय तो इसका स्कोप बढ़ा दिया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। निवेदन यह है कि सिलेक्ट कमेटी किसी विधेयक का स्कोप नहीं बढ़ाती है बलिक सदन बढ़ाता है।

श्री उपाध्यक्ष--सदन इसके स्कोप को बढ़ाने का आदेश दे सकता है और ऐसा पहले हुआ भी है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अभी कानपुर से इम्तहान दे कर आये है। मैं अर्ज कर रहा था कि हमें एक मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिये और सदन अविलम्ब अपनी राय दे दे कि जमीन का बंटवारा हो कर रहेगा। कोई भी परिवार पांच आदमियों का हो वह किसी भी माने में एक हल बैल के परिश्रम से जितनी जमीन जोत सकता है उससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है। आज यह सरकार इस संशोधन के जरिये इस विधेयक की धाराओं में यह बात रख दे कि एक हल बैल से जितनी खेती हो सकती है उससे तिगुनी से ज्यादा जमीन से ज्यादा किसी के पास नहीं रह सकेगी। यदि ऐसा सरकार कर दे तब ठीक होगा। तिगुनी जमीन चाहे २० एकड़ हो या २५ एकड़ हो अगर ३० एकड़ से ज्यादा हो जाती है तो हर्गिज नहीं रखनी चाहिये। हम इसलिये दो शर्त लगाना चाहते है कि एक हल बैल से जितनी जुताई तथा बुवाई हो सके, यांत्रिक खेती नहीं, बल्कि एक साधारण किसान जितनी जुताई या बुवाई एक हल बैल से करता है, उससे तिगुनी से ज्यादा जमीन किसी परिवार के पास नहीं रहनी चाहिये। अगर किसी के पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है तो वह उसके पास नहीं रहना चाहिये यानी, "Three times or 30 acres whichever is less--" या तो तीन गुनी हो या ३० एकड़ हो। इन दोनों में से जो कम हो उससे ज्यादा जोत की जमीन किसी भी परिवार के पास नहीं रहनी चाहिये। यह मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि अब जो कोई विधेयक जमीन से संबंधित यहां पेश हो उसमें यह धारा जरूर रहे।

इसके साथ-साथ, श्रीमन्, मैं यह भी आप के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत समय तक नारा लगाया गया हरिजन उत्थान हरिजन उत्थान। हरिजन उत्थान का शाब्दिक पक्ष अब अगर मूर्तिमान स्वरूप लेने वाला है तो इसको माना जाना चाहिये, किन्तु यदि केवल मौखिक रूप में, शाब्दिक रूप में ही यह हरिजन उत्थान होने वाला है तो मैं कहूंगा कि यह खेल बन्द होना चाहिये। मैं सदन को उन सम्मानित सदस्यों से जो हरिजनों के प्रतिनिधि बन कर यहां बैठते हैं, यह निवेदन करूंगा कि हरिजन विद्यार्थियों को शिक्षा विभाग से कुछ दान दिला कर, हरिजन विद्यार्थियों को हरिजन सहायक विभाग से कुछ सहायता दिला कर, उत्थान नहीं हो सकता है। क्यों न हरिजनों के हाथ में धन पैदा करने के साधन दिये जायं? जब तक हरिजनों के हाथ में धन पैदा करने के साधन नहीं दिये जायंगे वह कभी भी सेल्फसफीशियेन्ट, स्वतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। वह हमेशा मुखापेक्षी रहेंगे। श्रीमन्, आप जानते होंगे कि कानून जो बना दिये जाते हैं उनका बहुधा पालन नहीं होता। विश्वनाथ जी के मन्दिर में क्या हुआ? गिरफ्तारियां हो रही है हरिजनों की, और इस सेवक को भी जेल की हवा खानी पड़ी.......

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य विधेयक से ही सम्बन्ध रखें, बाहर न जायें।

श्री राजनारायण--तो, श्रीमन्, मैं केवल रेफरेंस इसलिये दे रहा था कि जो हरिजनों के एम० एल० ए० रिजर्व सीट से यहां आते हैं वह भी अपने कर्त्तव्य को न भूलें। अब उनके कर्त्तव्य की पूर्णाहुति केवल दान और भिक्षा दिलाने में नहीं होनी चाहिये; अब उनके कर्त्तव्य की पूर्णाहुति होनी चाहिये इस बात में कि समाज के जितने अंग है, उसके जितने प्राणी हैं वह सब समान हों। "समम् बर्तते इति समाजे" कि जहां मनुष्य समानता का व्यवहार करे और वह समान हों। अगर इस समाज को बनाना चाहते हैं तो हमारे इस संशोधन को मुक्त कंठ से एक स्वर से आप सब सहयोग दें और कहें कि हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा देश खेतिहरों का देश है और इस खेतिहर देश में कितने ऐसे

बेतिहर मजदूर हैं कि जिनके पास खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं, मकान नहीं, पैसा नहीं. उनका काम कैसे चलेगा, वह अपने बच्चों का पालन कैसे कर पायेंगे, वह तरक्की कैसे कर पायेंगे। इसलिये उनके लिये जमीन की व्यवस्था होनी चाहिये। उन लोगों के पास से जमीन छीनी जानी चाहिये कि जो जमीन को स्वतः जोत बो नहीं सकते और दूसरों के श्रम का उपयोग करते हैं, उनसे खेती बारी कराते हैं। जब तक यह व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे कितने ही संशोधन हो जायें ......

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)—आपकी जमीन के बारे में क्या है ?

श्री राजनारायण—यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी आप को कुछ सिखलावें तो उसमें अच्छा है कि उनको चाहिये कि वह खुद ही उठ कर पूछें। मैं तो कहता हूं कि जो "फूंके घर आपना, चले हमारे साथ।" मैंने बतलाया कि चाहे वह हमारा जमीन हो संपूर्णानन्द जी का बगीचा हो या परिपूर्णानन्द जी का कोई इलाका हो या कमलापति जी की ताल्लुकेदारी हो ; बिना किसी डिस्टिंक्शन के सब की जमीन ली जाय और मेरी जमीन जो कुछ भी हो वह पहले ले ली जाय। कुछ लोगों ने सदन में यह भ्रम डाल रखा है और खास कर मेरे लायक दोस्त ने कि मेरे पास काफी जमीन है। मगर मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि मैं गरीब हूं जिसको सच्चे मायने में......

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जो भाषण हो रहा है वह कहां तक संगत है, यह मैं नहीं समझता।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह इसके सम्बन्ध में ही अपने भाषण को सीमित रखें।

श्री राजनारायण—आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है। मैं समझता हूं और सदस्यों को भी यह शिरोधार्य होगी। यह जो ५९ में संशोधन आया है माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह से यह समझ लेना चाहिये कि अब इस संशोधन विधेयक के जरिये से जमीन का बटवारा उसी दृष्टिकोण से जैसा हमने बतलाया है उसी दृष्टि कोण से बटवारा होना अवश्यम्भावी है। बिना जमीन के बंटवारे के यदि ऐसा संशोधन आयेगा तो उससे भला होने वाला नहीं है।

दूसरी बात इस संशोधन के सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की ख्वाहिश है कि सही मानों में जो जमीन का जोतने वाला है जमीन उसके पास रहनी चाहिये। आपने इस बात को सदन में और सदन के बाहर कहा है कि हमने सब को सीरदार बना दिया। मगर मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कानून वह सही जो मूर्त रूप में लोगों की मदद करे और मूर्त रूप में लोगों के पास पहुंचे। हर जिले में देखा कि बहुत से किसानों का नाम सीरदार हो गया उनसे लगान भी लिया जाता है। मगर वह जमीन उनके पास नहीं है। उसका कारण यह है कि पटवारी के जो कागज पुराने बने उस पुराने कागज में सीरदार का, उनको हक तो हो गया और उसके पास लिखित पहुंच गया कि तुम सीरदार हो गये मगर पटवारी के कागज में या लेखपाल के कागज में कैफियत के खाने में दूसरे का कब्जा लिख दिया है। उस कैफियत के खाने में जिसका कब्जा लिखा हुआ है उसने लाठी के जरिये से उस पर कब्जा किया हुआ है। उसके पास वह जमीन नहीं है। वह सीरदार बना हुआ है और उससे सीरदार का लगान भी वसूल किया जाता है मगर उसके पास जमीन का एक धुर भी नहीं है। यह व्यवस्था है या अव्यवस्था है ? माननीय मंत्री जी इसको चाहे जो भी कहें लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अव्यवस्था है और सरकार यह लूट कर रही है। मैं नहीं मानता हूं कि सरकार के पास यह खबर नहीं आती है। सरकार के पास खबरें आती हैं मगर वह अपनी मजबूरी को स्वतः समझ सकते हैं ; मैं तो उसको समझ नहीं पाता हूं कि क्या मजबूरी है। मगर

[श्री राजनारायण]

मुझे याद है। मैंने लाल गौर मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और उसका जवाब भी मेरे पास है मगर मैं नहीं समझ पाता हूं कि उस जवाब के मुताबिक कहां काम लिया जाता है। अगर वह सीरदार लोगों को बनाना चाहते हैं कि जितने अधिवासी हैं वह सब सीरदार हो गये तो क्यों नहीं कानून में इस बात को ठीक-ठीक रख दिया जाता कि जो आदमी सन् में ५६, ५९ में जमीन पर काबिज था और जिसका नाम लेखपाल के कागज में दर्ज है आगे चल कर चाहे किसी दूसरे का नाम लिख दिया हो तो वह नहीं माना जायगा? सरकार का दिमाग इसमें साफ होना चाहिये। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चय रूप से धारा लिखें कि ५६, ५९ में जिसका कब्जा था वह सब सीरदार हो गये। अगर किसी प्रकार से उसके कब्जे में वह जमीन निकल गयी है तो उस जमीन पर उसका कब्जा मिलेगा, वह जमीन उसे मिलेगी और उसके बाद मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से इसकी सफाई हो। मेरे मित्र पांडेय जी ने बनारस की भी चर्चा की। यह सही है और मैं इसमें लज्जित भी हूं कि हमने बनारस में वह आबहवा और जनशक्ति पैदा नहीं की कि सही खेत जोतने वाला उसका मालिक हो। हजारों की तादाद में एक एक परगना हाकिम को इजलास में जबरदस्ती दिलाये हुये इस्तीफे पड़े हुये हैं। आदमी इजलास में गया भी नहीं है, दूसरे लोग जाकर उसका इस्तीफा दाखिल कर देते हैं और कह देते हैं कि वह यही आदमी है। दूसरे का दस्तखत भी बना दिया जाता है। जब मैं चल रहा था तो हमारे यहां का फागू चमार जो हरिजन मन्दिर प्रवेश में सत्याग्रही के रूप में आया था और जब वह गिरफ्तार नहीं हुआ तो वह हमारे पास आया और कहा कि उसे लोग जबरदस्ती कचेहरी ले गये, एक कागज पर दस्तखत करा लिये और कह दिया कि तुम्हारा इस्तीफा हो गया और खेत नहीं जोतने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष——मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को वर्तमान विधेयक में जो वे सुधार चाहें उन्हीं पर बोलना चाहिये।

श्री चरण सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, अगर गुस्ताखी नहीं हो तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी उदारता का प्याला भी भर गया है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)——मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इस भूमि व्यवस्था विधेयक के संबंध में माननीय राजनारायण जी बार-बार हरिजन प्रवेश और मंदिर प्रवेश और सत्याग्रह की बात कर रहे हैं और जानबूझ कर ऐसे विषय को ला रहे हैं जिसका वह अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं।

(श्री राजनारायण ने खड़े होकर कुछ कहा)

मैं बोल रहा हूं तो वह कैसे खड़े होते हैं? उन्हें तमीज भी तो सीखनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप कृपा करके उन्हें रोक दें।

श्री उपाध्यक्ष——मैं माननीय सदस्य से कह चुका हूं और उन्होंने किसी हद तक मेरी बात को मान भी लिया है।

श्री राजनारायण——श्रीमन्, आपकी बात वह जल्दी नहीं समझ पावेंगे। उनकी बुद्धि ही ऐसी है। मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को पढ़ता हूं। इससे यह मालूम हो जायगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वह इस विधेयक के अन्दर आता है या नहीं। इसमें लिखा है कि १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की कार्यान्विति के अध्ययन से जोतों की चकबन्दी योजना तथा निष्क्रांत कृषि भूमियों के प्रशासन के संबंध में कुछ दोषों और न्यूनताओं का पता चला है। तो इन दोषों को अगर हम नहीं बतावेंगे तो कौन बतावेगा? क्या उनकी परेशानियां हैं, उनको हम नहीं यहां रखेंगे तो कौन रखेगा? इसके आगे है कि "खातेदारों के लिये, जिन में से अधिकांश साधारण स्थिति के व्यक्ति हैं, माल न्यायालयों में मुकदमेबाजी करना अधिक सुविधाजनक और मितव्ययितापूर्ण होगा। इन तथा छोटी-छोटी कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है

को मैंने आपके द्वारा यह कहा है कि इस विधेयक का स्कोप बढ़ा दिया जाय। अगर मैं अपनी बात नहीं रखूंगा तो कैसे सदन इसे ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने का समर्थन करेगा? कैसे स्कोप बढ़ाने की बात करेगा?

श्री चरण सिंह--माननीय परिपूर्णानन्द जी के प्वाइन्ट आफ आर्डर का आपने कुछ जवाब दिया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्योंकि उद्देश्य और कारण में यह लिखा है कि कुछ दोष हैं तो उन्हें दूर करने के लिये यह कानून लाया जा रहा है, लिहाजा वह सारे दोष गिनवा देंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिये आप अपनी व्यवस्था दे दें। जिन विशेष धाराओं का इसमें जिक्र है उन्हीं के ऊपर उन्हें बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से पहले भी कह चुका हूं कि जो सुधार वह चाहते हैं वे बतला दें।

श्री राजनारायण--यही तो मैं कह रहा हूं। एक चीज भी बाहर की नहीं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--मंदिर सत्याग्रह इसके अन्दर नहीं आता है।

श्री राजनारायण--मंदिर चर्चा तो ऐसी हो गई है कि अब उनका दिल जानता है और अगर हमने थोड़ा कह दिया तो कोई बात नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि आज गरीब किसान लूटा जा रहा है। अगर अधिनियम में यह बात साफ होती कि जो सीरदार हो गया और जिसका नाम ५६ और ५९ में था, जिसके कब्जे में जमीन थी वह सीरदार हो गया और आगे चलकर अगर कैफियत के खाने में लेखपाल जो कुछ भी लिख दें उसका कानून के हिसाब से कोई मतलब नहीं है तो यह मुकदमेबाजी नहीं होती। आखिर यह परेशानी इस अधिनियम की खराबी के कारण तो हो रही है। और जब मैं ऐसा चाहता हूं तो ट्रेजरी बेंचेज के लोग चाहते हैं कि मैं उन बातों को अच्छी तरह से स्पष्ट न करूं।

तीसरी बात यह है कि निश्चय रूप से मेरा मत है कि किसी भी दशा में अब यह मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिये। सरकार को स्पष्ट से ऐलान कर देना चाहिये कि जो इस्तीफे कचहरी में जाकर पड़े हुये हैं वह नाजायज माने जावेंगे और सन् ५९ में जिसका नाम दर्ज था और जो खेतिहर के रूप में शिकमी आसामी के रूप में खेत जोतता था उसी के पास जमीन रहेगी अगर सरकार ऐसा करती है तो हम समझेंगे कि सरकार किसान के साथ भलाई करना चाहती है। हमने इस्तीफा शब्द का प्रयोग किया है। मुझे ध्यान आगया, माननीय बेचनराम जी यहां इस समय नहीं हैं। ऐसा भी होता है कि लोग इस्तीफा नहीं दिलाते कोर्ट में। इस्तीफा शब्द का प्रचलन है इसलिये हमने उसका प्रयोग किया है। वे ऐसा करते हैं कि कचेहरी में जाकर उसका बयान दिलवाते हैं, चाहे वह झूठा हो या सही हो, मगर उससे ही कहलवाया जाता है कि हमारा नाम लेखपाल ने फरजी या गलती से लिख दिया है या इस खेत पर चढ़ा रखा है, यह खेत हमारे कब्जे में नहीं था, इसलिये हमारा नाम काटकर असली मालिक का नाम उसमें चढ़ा दिया जाय।

श्रीमन्, जैसी चर्चा अभी हुई कि अपने पापों को खूब धुलवाया जाता है, प्रायश्चित्त होता है। अब हमारे यहां खेत जोतने वाले शिकमी किसानों को जबरदस्ती डन्डे के जोर से कहीं-कहीं ऐसा भी सुना जाता है कि चारपाई पर उठा लिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य जिन अत्याचारों का वर्णन कर रहे हैं, उनका इस विधेयक से क्या संबंध है?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, इसी का कारण है कि यह मुकदमेबाजी हो रही है नहीं तो यह मुकदमे होते ही नहीं। अगर वे विधेयक में यह रख दें कि १३५६ से १३५९ फसली में जिनके नाम का इन्दराज था या जिनके पजेशन में जमीन थी वह सीरदार हो गये और यदि आगे

[श्री राजनारायण]

की किसी भी कार्यवाही से जो उसके विरुद्ध जाती है, उसके हक पर असर पड़ता है तो वह नहीं मानी जायगी। वह मुकदमे नही होंगे न उनको दीवानी मे जाना पड़ेगा और न माल विभाग मे और जमीन उनके पास रह जायगी।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी और इस सदन के सम्मानित सदस्य समझ ले, क्योंकि यहा सही और सच्चे किसानों के प्रतिनिधि कम है, हम जब पहले यह कहते थे कि इन्दराज गलत है तो सरकार कहती थी कि उनमे गलती नही है। अगर इन्दराज गलत नहीं थे तो फिर ये दो तीन हजार दरख्वास्त कैसे पड़ी हुई है कि हमारा नाम फर्जी जोड़ दिया गया है, हमारा नाम काट कर असली स्वामी का नाम जोड़ दिया जाय? जब हम कहते थे कि इन्दराज गलत है तो सरकार कहती थी कि ऐसा नही है लेकिन अब खुले इजलास मे दरख्वास्त दी जाती है कि इन्दराज गलत है और उन गलत इन्दराजो की बुनियाद पर सारे शिकमी आसामी जो सीरदार हो गये थे बेदखल किये जा रहे हैं। क्या यह कानून की दकियानूसियत नही है? अगर इस कानून के रहते हुये जो खेत जोतने वाले शिकमी आसामी है चाहे उनको आप सीरदार या भूमिधर या और कोई संज्ञा दे लेकिन अगर उनके पास जमीन नही रहती है तो वह उस संज्ञा को लेकर क्या करेगा? सरकार क्यों नही सीधे-सीधे आती है, क्यों नही ऐलान करती है कि कचेहरियो में जो इस तरह की दरख्वास्ते पड़ी हुई है कि उनका नाम काट दिया जाय, उनका कोई असर नही होगा?

सरकार की ओर दूसरी मे यह दलील दी जातीहै कि जब कोई आदमी अपने आप अपनी जमीन को छोड़ना हो तो फिर आप क्यो उससे जमीन जुतवाना चाहते है। मै निवेदन करूंगा कि इस समय ऐसा कौन व्यक्ति मिलेगा जो यह कहेगा कि हम जमीन नही जोतना चाहते। ऐसे लोग मौजूद है जो यह कहते है कि हमसे जबरदस्ती दरख्वास्त दिलाई गई है। अगर ऐसा है तो उनके लिये इस विधेयक मे कोई धारा क्यों नही रक्खी गयी है? कहां है ऐसी धारा इस विधेयक मे? क्यों नहीं आप विधेयक मे कहते है कि ऐसी दरख्वास्तें जो सीरदार कानून बनने के बाद कचेहरियों में आयी है नाजायज समझी जायंगी? क्या यह मै कोई नाजायज या अनुचित बात कह रहा हूं? सरकार भी कहती है कि वह सीरदार बनाना चाहती है मगर सही मानी में वह डरती है और इसीलिये वह इन बातों को ब्योरे के साथ नहीं लाना चाहती। ऐसा करना उनका स्वभाव ही है। जब आजमगढ़ मे बेदखली का सत्याग्रह जारी था तो सरकार के कर्मचारियों ने जबरदस्ती उन किसानों की फसलों को उठवा कर बड़े-बड़े ताल्लुकेदारों के घरों मे रखवा दिया और वहां यह बात साबित हो चुकी है कि सही मानों मे सरकार और उसके अफसर जो बड़े लोग है उनकी ही मदद करती है, गरीबों की वह मदद नही करती, हरिजनों की वह मदद नही करती, वह बेकवर्ड क्लासेज का प्रतिनिधित्व नही कर रही है, न वह मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है, वह आज उच्च मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही है और उन का प्रतिनिधित्व रखते हुये ही वह कानून में इस तरह की चपलें बाजियां रखते है जिस से उन मे फंस कर हम परेशान हो जायं। मैं सरकार से पूछुंगा कि वह शिकमी किसान जो गरीब २ बीघे जमीन जोतकर सीरदार बना, उस को जमीन भी नहीं मिली और उस से लगान भी लिया जा रहा है, उससे कहते है कि माल विभाग मे जाओ और माल विभाग हुक्म देता है हमसे कुछ मतलब नही, दीवानी मे जाओ, कहां उसके पास पैसा है, इक्वैलिटी बिफोर ला है, कानून के लिये समानता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है और वह कचेहरी का भार सहन नहीं कर सकता, अदालतों मे वह जा नहीं सकता और वहां से अपना हक और न्याय वह पा नही सकता। तो फिर इस कानून के रहते हुये गरीब जनता का और खेतिहरों का उद्धार कैसे हो सकता है? इसलिये यह इस नुक्तेनजर से ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी मे जाय इसके स्कोप को बढाते हुये।

इसके अलावा मै निवेदन करूंगा कि जोतो की चकबन्दी की जो बात है उसके संबंध में माननीय रामसुन्दर जी ने ठीक ही कहा है कि इस कानून के द्वारा बांधा जा रहा है। मान लें कि अब दो किसान है, एक के पास अगर ४-५ एकड़ जोत है और अगर दूसरे के पास सौ एकड़

जोत है तो वह पहला अपनी जमीन को सौ एकड़ वाले को बेचने के लिये बाध्य होगा और वह सौ एकड़ वाला उसको मजबूर करेगा कि तुम अपनी जमीन हमें ही बेचो। क्या यही न्याय है, यही हक है, इसमें कैसे हक मिलता है? मार्य जी जानते हैं; वह किसानों से परिचित हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा प्राविजन होना चाहिये कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी के पास न रहे लेकिन ऐसा कहीं नहीं है, जरा कानून की भाषा को पढ़िये, मैंने जो कहा है वह कहीं भी इसमें नहीं है। मैंने तो पहले भी कहा और अब फिर कहता हूं और दिमाग में इस चीज को पहले समझ लिया जाय कि पहले प्राविजन होना चाहिये कि एक हल बैल से जितनी जमीन बोई जोती जा सकती है उसकी तिगुनी या ३० एकड़ दोनों में से जो कम हो उससे ज्यादा जोत किसी भी परिवार के पास न रहे। इस नुक्तेनजर को आप ध्यान में रखें अगर आप यह पहली बुनियादी बात को छोड़ देंगे तो आप चक्कर में फंसते जायेंगे। अगर आप इस चीज को अब सन् ५८ में नहीं करेंगे तो अगले सात-आठ साल में जनता जबरदस्ती आप के ऊपर चढ़ बैठेगी और यह सरकार ही कानून बनाने के लिये यहां नहीं रहेगी। मैं तो एक तरह से इस सरकार का हित कर रहा हूं, मैं उसको आगाह कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं कि वह सम्हल जाय। इसके बाद गांव समाज के देय वसूली की कठिनाई की बात थी। जो लोग देहात से परिचित होंगे वे इस बात को जानते होंगे—हमारे श्री टीकाराम जी, श्री रामसेवक जी बतायेंगे कि यह दिक्कत अब तक है। पटवारी लेखपाल ने कागज बना दिया। कागज बना कर गांव समाज को दे दिया कि यह बंजर भूमि गांव समाज को मिल गई। लेकिन मैंने स्वतः दो केस देखे हैं और पैरवी की है और पैरवी करने के बाद भी आखीर में जा कर नाकामयाब हुआ हूं। श्रीमन्, बनारस का मामला है। काशी विश्वविद्यालय के पास पंचकाशी सड़क आती है। उस पर एक बड़ा तालाब है, उसका एक बगीचा आप देखेंगे कि गांव समाज का हो गया है। उस पर लेखपाल ने नक्शा बनाया लेकिन एक बड़े भारी रईस जो कि वहां के अफसर थे उनसे मिले और एक रात में पोखरे को घेर लिया और जो उनका बंगला था उससे दरवाजा खुलवा दिया। उन्होंने कहा कि यह हमारा पोखरा है, हमारी जमीन है, हमारी इंटे लगी हुई हैं हमारे बंगले से रास्ता है। परगना हाकिम के यहां हाजिर हुये, जिलाधीश के दरबार में हाजिर हुये और सब के दरबार में हाजिर होते-होते जो आफिसर साहब मौका मुआयना करने गये उन्होंने कहा कि मेरा तो यही खयाल है कि यह बाबू साहब का ही पोखरा है क्योंकि उनके बंगले से ५० गज की दूरी पर कोई तालाब या बगीचा हो और उनका न हो, यह कैसे संभव है? यह दे दिया फैसला, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार के पास भी हमारी दरख्वास्तें होंगी। वे जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते कि वह पंचकाशी सड़क है, बड़ा पुराना पत्थर लगा हुआ है और वहां यात्री देश के कोने-कोने से आते हैं और वे अब तालाब में स्नान नहीं कर पायेंगे क्योंकि पुराने ताल्लुकेदार अव्वल नम्बर के दरबारी हैं। ज्योंही कलेक्टर साहब का तबादला हो कर आया तो पहले वे पहुंचे। अब वह उनके कब्जे में चला गया है और तार वाले कांटे लग गये हैं। इसी तरह से ग्रांड ट्रंक रोड पर एक जमीन थी। बाकायदा नक्शा बन कर उसका मिला हुआ है। गांव समाज की यह बंजर जमीन है।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन एक बड़े पुराने ताल्लुकेदार शाह साहब पहले देहात में नहीं रहते थे, शहर में रहते थे और शहर में रहते हुये देहात के जमींदार थे, यकायक एक रात को जा कर, श्रीमन्, उस तमाम जमीन का दावा किया। कुछ दाने बिखरा दिये और अब जो अफसर साहब वहां मुआयना करते हैं और कहते हैं कि यह तो खेत है, बंजर जबरदस्ती लिख दी है। पटवारी जबरदस्ती बंजर लिख दे तो हम क्या उसे बंजर मान लेंगे यह तो शाह साहब का खेत है। अब क्या हुआ, करीब पचीसों बीघों के दायरे में बड़ी भारी चहारदीवारी बन गई है। यह मजाक किया जा रहा है, जनता के हित के साथ खेल किया जा रहा है और आज ६ साल हो गये जमींदारी उन्मूलन कानून बने हुये। तब से बराबर इस सरकार से सादर साग्रह निवेदन किया, अर्जियां लिख कर दीं, प्रदर्शन किये, लेकिन यह सरकार सुनती नहीं। आपके द्वारा, श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से

[श्री राजनारायण]

पुनः निवेदन करूंगा कि कानून मे दुविधा की भाषा नहीं रहनी चाहिये। कानून में सफाई की भाषा रहनी चाहिये और सफाई की भाषा में सही तरीके पर कहना चाहिये कि जो बंजर जमीन थी, जिसको लेखपाल ने बंजर लिख कर गांव समाज को दिया था अब वह जमीन गांव समाज की हो करके रहेगी। अगर किसी ने इस कानून के बनने के बाद उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो उसका कब्जा नहीं माना जायगा। कहां इसमें हम पाते है कि यह बातें आ रही हैं ? क्या यह छोटी-मोटी कठिनाइयां नहीं हैं ? छोटी मोटी कठिनाइयां हैं। जब १९५० में संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ तो इस अवसर पर मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो लगान मे गड़बड़ी है, लगान की वसूली के तरीके में जो गड़बडी है उसमें भी संशोधन होना चाहिये यह कहा गया। उस पर सरकार की ओर से आश्वासन हुआ कि लगान समान होगा और लगान की व्यवस्था सम होगी। एक ही परगने में तीन तरह, दो तरह के लगान नहीं होंगे।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, अध्यक्ष महोदय। माननीय राजनारायण जी ने यह समझ रखा है कि भूमि-व्यवस्था संशोधन का जो बिल आया हुआ है उसके जरिये से सरकार की नीति पर.......

श्री अध्यक्ष—आप का प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री राधामोहन सिंह—जो यह कह रहे हैं इस बिल से वह संबंध नही रखता। इसलिये मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो बिल के अन्दर प्वाइन्ट्स हैं उन्हीं पर उनको बोलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त जो बिल के सिद्धांत हैं, उन्हीं के ऊपर आप सीमित रह कर अपना भाषण करें।

श्री राजनारायण—जी हां, वही कर रहा हूं। मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, माननीय सदस्य से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जरा एक बार उद्देश्य और कारण खुद पढ़ लें तो हमको भी परेशानी न हो और आपको भी न हो। वह बीच में टोक कर यह चाहते हैं कि हमारी धारा टूट जाय। मैं यह निवेदन कर रहा था कि गांव समाज की देय की वसूली में भी कठिनाई हुई है। खुद उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है। पता नहीं किस तरह से कितनी जमीन किस तरह से ले लिये होंगे, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि गांव सभा का देय क्या है और क्या कठिनाइयां अनुभव हो रही है। उन कठिनाइयों के अनुभव का समाधान यहां कैसे है ? समाधान नहीं है। बहुत से गांव समाजों के पास बड़े-बड़े तालाब है जिनमे मछलियां निकलती हैं, और गांव समाज एक वर्ष दो वर्ष, उसकी मछली भी बेंच चुका है। लेकिन दूसरे एक्स-जमींदार उस तालाब पर जबरदस्ती कब्जा करके जिनको मछली बेची उनसे कहते हैं कि रुपया हम को दो, उनको मत दो ; ये कठिनाइयां है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि हमने जो यह मोटी-मोटी बातें रखी है उनकी ओर वह और सरकार ध्यान दे। अगर सरकार ध्यान देगी और अगर यह विधेयक प्रवर समिति में लाया जाय, इसके स्कोप को बढाते हुये, एक महीने के अन्दर इसकी रिपोर्ट पेश हो, तो मैं समझूंगा कि सही मानो में जनता का कुछ हित सरकार कर पायेगी और यदि सरकार हठवादिता का परिचय देगी और कहेगी कि नहीं यह संशोधन विधेयक हर हालत में इस समय विचाराधीन होगा ही और इसको कानून की शक्ल भी दिया जायगा ही तो मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, निवेदन करना चाहूंगा जैसे हमने पूर्व अवसरों पर भी निवेदन किया है कि सरकार को परिस्थितियां फिर बाध्य करेंगी और सरकार फिर कोई न कोई विधेयक इस सदन में लायेगी। अब इस सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। अंतिम समय में मैं चाहता हूं कि कुछ श्रेय लग जाय इस सरकार के हाथ में। इसलिये आपके द्वारा, श्रीमन्,

मैं इतना समय लेकर के इस सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि इन बातों को जमीन के बटवारे को, अधिक से अधिक जोत की ३० एकड़ की सीमा की बात को, जब से सीरदारी का कानून बना उसके बाद जितनी अर्जियां, दरख्वास्तें, इस्तीफे पड़े हुये हैं, उन तमाम इस्तीफों को गैरकानूनी मानने की और जिनके नाम सीरदारी भी हो गई है उनसे लगान भी लिया जा रहा है और उनके कब्जे में जमीन नहीं है तो वह जमीन भी उनके कब्जे में दिलाने की यह सारी की सारी बातें यहां आनी चाहिये, इसको वह ले आवे और जब तक यह बातें नहीं आयेंगी तब तक निश्चित माने में चाहे यह सरकार संज्ञा का प्रयोग करे, मैं हमेशा यही कहूंगा कि यह सरकार की नीति किसान-हित विरोधी नीति है, जनहित विरोधी नीति है। यह सरकार कानून में दुविधा की भाषा रखकर किसानों और गरीब जनता की जिन्दगी पर कुठाराघात करना चाहती है। इन शब्दों के साथ मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को मान ले।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि जो हमारी चकबंदी हो तो फिर भी हस्तांतरण द्वारा वह चकबंदी व्यर्थ न हो जाय इसलिये जो भी व्यक्ति अपना भाग या कोई टुकड़ा हस्तांतरित करना चाहे तो अपने पड़ोस के चक वाले को ही हस्तांतरित करे। इससे यह बात होगी कि जो भी टुकड़ा हस्तांतरित होगा वह दूसरे चक में शामिल होकर के पूरा चक बना रहेगा। लेकिन अगर वह टुकड़ा है यानी ३ १/८ एकड़ से कम भूमि है अगर उसको कोई हस्तांतरित करना चाहता है तो फिर पूरे का पूरा हस्तांतरित होगा। इससे यह लाभ होगा कि फिर वह चक ज्यों का त्यों बना रह जायगा। लेकिन हमारे भाई माननीय रामसुन्दर पांडे जी ने इसका विरोध किया है और यह कहा है कि हस्तांतरण पर कोई प्रतिबन्ध न होना चाहिये। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह इसका क्या उपाय बताना चाहते हैं कि जो चकबंदी होगी और फिर उस हस्तांतरण से जो चकबंदी नष्ट होगी उसके लिये दूसरा क्या प्रबंध हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल सही है और इस चीज को पहले लाया भी नहीं जा सकता था जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि यह चौथा संशोधन इस समय क्यों उपस्थित किया गया, तो मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि इसलिये भी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी कि जो चकबंदी होने के बाद हस्तांतरण हो उससे चकबंदी को नष्ट होने से कैसे बचाया जा सके। चूंकि चकबंदी कानून उस वक्त नहीं बना था या उसकी क्रिया नहीं हो रही थी उस वक्त इसलिये यह एक नयी चीज अनफोरसीन थी पहले। अब उसको इस विधेयक के जरिये से दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो खंड ७ में व्यवस्था की गयी है इसके सम्बन्ध में आपके द्वारा माननीय उपमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह धारा पूरी नहीं हो पायी है क्योंकि इस धारा में १६८—क की उपधारा (२) में जो यह कहा है कि हस्तांतरण वायड होगा तो फिर उसके कांसीक्वेंसीज क्या होंगे यह बात इसमें नहीं रखी गयी।

जहां तक अगर कोई चक वाला भूमिधर हस्तांतरण करता है तो उसके लिये प्रतिबन्ध धारा १५४ मूल अधिनियम में यह है कि ३० एकड़ से ज्यादा के रखने पर ही वह रद्द किया जा सकता है। जिसके पास उससे कम है, उसके हक में अगर हस्तांतरण हो तो वह वैध होता है, उसके खिलाफ करने पर ही वह रद्द किया जा सकता है। इस तरह से धारा १६३ में यह है कि कोई सीरदार या असामी अगर हस्तांतरण करे तो दोनों बेदखल कर दिये जायेंगे गांव सभा के वाद करने पर। इस हस्तांतरण के बारे में जो कि चकबंदी को नष्ट होने से रोकने के लिये इस धारा के द्वारा रखा गया है अगर वायड हो गया तो क्या उसके कांसिक्वेंसेज होंगे, यह बात पूरी नहीं होती है और वायड हो गया। किसी ने कर दिया, वायड हुआ। लेकिन फिर वह बेदखल हो जायेंगे या गांव सभा उसका वाद प्रस्तुत करेगी, या फिर जिसका है उसी के पास रह जायगा। इसका कोई क्लियर समावेश नहीं किया गया है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उसे गौर से देख लें। मैंने अच्छी तरह से देखने का प्रयत्न किया है, इसलिये इसमें कोई न कोई सरकार की तरफ से सुधार आना चाहिये।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

जहां तक सारदारी के वाद जो होंगे वह कलक्टरी की अदालत में होंगे, यह बात पिछले संशोधन के समय भी और इसके पहले भी कही गयी थी । सरकार से निवेदन किया था बहुत से लोगों ने कि सारदारी के मुकदमें अदालत कलक्टरी मे होने चाहिये, लेकिन उस वक्त यह बात मानी नहीं गयी थी । लेकिन जो कठिनाइयां उपस्थित हुयी, अदालत दीवानी में सारदारी की नालिशात हुयी और उसमें इस तरह के जवाब लिये गये कि सारदार नहीं हैं, असामी है तो उसके ईश्यूज ट्रांस्फर हो गये अदालत कलक्टरी को । गलत तरह के कम्पलीकेशंस पैदा हुए। अब अदालत कलेक्टरी मे सारदारी के मुकदमे होंगे, यह व्यवस्था इस विधेयक के जरिये की गयी है और मै उसका स्वागत करता हूं । जो बात पहले नहीं मानी गयी थी, अगर वह पहले ही मान ली जाती तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, अगर अब भी इस विधेयक के जरिये से संशोधन किया गया कि सारदारी के मुकदमे अदालत कलेक्टरी में होंगे तो इससे कठिनाई दूर होगी । तो इससे स्पष्ट हो गया कि अब भूमिधरी के मुकदमे दीवानी अदालत मे और सारदारी के, चाहे वह पहले के हों या अधिवासी से बने हों, सब अदालत कलक्टरी मे होंगे और इससे दिक्कत रफा हो गयी ।

धारा २१२ में पोखरा को जोड़ दिया गया है, उसमे तालाब तो पहले से था, लेकिन यह दिक्कतें शायद सरकार को महसूस हुई और उसके नोटिस मे यह बात आयी कि कहीं-कहीं पोखरों पर अदालतों ने एतराज किया कि तालाब नहीं है पोखरी है, इसलिये २१२ के अन्दर उस सवाल को उठाने का उसको हक नहीं है, इसलिये इस कठिनाई को दूर करने के लिये यह जोड़ दिया गया । पहले गांव सभा को उस धारा २१२ मे वाद प्रस्तुत करने का अधिकार था, लेकिन बाद मे संशोधन के जरिये कलेक्टर को भी यह अधिकार दे दिया गया। लेकिन मै सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश मे आज तक कलेक्टर के द्वारा कितने मुकदमेदायर हुये किसी तालाब या पोखरे के बारे मे जोकि गांव सभा का तालाब या पोखरा होना चाहिये था और जिस पर कि दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है । आया भूतपूर्व जमींदारों ने कब्जा कर रखा है, या भूतपूर्व मध्यवर्तियों या उनकी तरफ से दूसरे आदमियों ने या किसी ट्रेस्पासर ने । मै तो जहां तक समझता हूं कोई भी मुकदमा कलेक्टर की तरफ से आज तक दायर नहीं हुआ । अगर हुआ हो तो वह माननीय मंत्री महोदय सदन में बतलाने की कृपा करें। मैने स्वयं अपने जिले में देखा है कि बहुत से तालाब और पोखरे जो निहित होने के दिनांक पर गांव सभा को मिलने चाहिये थे उन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है और भूतपूर्व मध्यवर्तियों ने तोड़कर, खेत बनाकर दूसरे लोगों को दे दिया है और कब्जा कर लिया है और आज तक गांव सभा का अधिकार उन पर नहीं हो पाया है । स्वयं मेरे गांव में ऐसा एक तालाब है जिसकी बाबत मुकदमा चल रहा है और जिसके लिये इस बात की काफी कोशिश की गयी कि गांव सभा की मिल्कियत वह बनी रहे । चूंकि दीवानी अदालत मे मुकदमा है इसलिये उसके बारे मे कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन यह बतलाना चाहता हूं कि सन् ५२ में जमींदारी उन्मूलन हुआ। आज सन् १९५९ है और अभी तक उसके बारे मे निर्णय हो सका है । उसमे मै भी चाहता था कि जो सही बात है वह आ जाय लेकिन आज तक वहां जब कुछ नहीं हो पाया तो बहुत से गांवों में जो गांव सभाओं के सभापति है या सदस्य है उनके लिये मुकदमा लड़ना, या ऐसे मध्यवर्तियों के मुकाबिले में खड़े होकर पैरवी करना असम्भव होता है क्योंकि सभापति लोगों की यह व्यक्तिगत चाज तो होती नहीं और गांव के प्रतिनिधि के नाते सारा झगड़ा अपने ऊपर मोल लेना ठीक नहीं समझते। अगर कहीं किसी सभा ने ऐसा झगड़ा मोल लिया भूतपूर्व मध्यवर्ती से तो उसको उसकी वजह से काफी क्षति उठानी पड़ी और वह काफी परेशान किया गया ।

मै स्वयं जानता हूं कि आज गांवों में बहुत से पोखरे के झगड़े चल रहे है । मेरे गांव के तालाब के सम्बन्ध में मेरे खिलाफ भी एक कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का मुकदमा हाईकोर्ट मे दायर हुआ उसी भूतपूर्व मध्यवर्ती की तरफ से, और हालांकि वह मुकदमा हाईकोर्ट म खारिज हुआ और उसमें डिग्री भी खर्च के लिये दी गयी लेकिन उसकी वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी

पड़ी और उसमें जो इंटरेस्टेड लोग थे उन्होंने उन लोगों ने काफी मदद की। तो ऐसी सूरत गांव सभा के बारे में हो सकता है। जहां तालाब पोखरों का भी कोई प्रश्न गांव समाज का है जिस पर दूसरे लोगों ने नाजायज कब्जा किया है और इस तरह के कब्जे बहुत ज्यादा हैं। तीन वर्ष की जो मियाद है कि उसके अन्दर अगर गांव सभा की सम्पत्ति पर किसी ने कब्जा कर रखा हो तो नालिश हो सकती है, वह वक्त भी खत्म हो गया और बहुत से गांव सभाओं ने नालिशें भी नहीं की हैं जब कि गांव सभा की प्रापर्टी पर ऐसे लोगों का गलत तरीके से कब्जा है तो इसलिये सरकार को जहां तक गांव सभा की प्रापर्टी का सम्बन्ध है उसको सोचना चाहिये कि कैसे उस गांव सभा की प्रापर्टी की रक्षा हो। उसमें अगर मियाद खत्म हो गयी है तो उस मियाद को भी सरकार बढ़ाये क्योंकि गांव सभा में अभी तक ताकत नहीं हुयी है और उसके पास फंड भी नहीं है और गांव सभा के सभापति हिम्मत नहीं कर पाये कि नालिश कर सकें। मियाद खत्म हो जाय तो इसका मतलब यह है कि जो लोग खेत पर नाजायज तरीके पर कब्जा कर रहे हैं उनका कब्जा बना रहे और उनकी सिक्कियत हो जाय। इतना ही नहीं बल्कि माननीय मंत्री महोदय ने जो दरख्वास्त देने का प्राविजन किया है कि जिलाधीश के यहां गांव सभा दरख्वास्त दे दे, ऐसी जायदाद के बारे में जहां पर गांव सभा की सम्पत्ति हो और दूसरों ने कब्जा किया हो, तो जिलाधीश उसको देख करके तय कर दे. यह तो ठीक है, लेकिन बहुत से मुकदमे अदालत दीवानी में जो तय होने वाले नहीं हैं उसमें विशेष रूप से जिलाधीश को आदेश जारी करने के लिये प्राविजन होना चाहिये कि वह उचित मामलों की तहकीकात करावे। जो गलत तरीके पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उन सबकी तहकीकात करा कर सरकार की तरफ से सारे मुकदमे दायर हों तथा उन गलत आदमियों से जमीनों को वापस लिया जाय और वे गांव सभाओं के कब्जे में दी जायं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें एक संशोधन धारा २८६ में सीरदार की मालगुजारी की बाबत आया है। सीरदार की मालगुजारी के लिये यह विधान पहले से है कि जो अधिवासी से सीरदार बने हैं अगर उनकी मालगुजारी रोस्टर रेट के दुगने से ज्यादा होगी तो वह रोस्टर रेट के दूने के बराबर कर दी जायगी और अगर वह रोस्टर रेट के दूने से कम है तो जितनी है उतनी ही रहेगी। जमींदारों और दूसरे काश्तकारों ने समय-समय पर जब अपनी जमीनें छोटे, गरीब किसानों को लगान पर उठायीं तो वह लगान काफी बढ़ा हुआ था। उसको सरकार ने कृपा करके रोस्टर रेट के दूने तक किया। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ भूमिधर या सीरदार ऐसे हैं जिनके लगान की दर उनकी जमीन की हैसियत से बहुत कम है और ऐसे सीरदार जिनको लगान की दर उनकी जमीन की हैसियत से कहीं ज्यादा है उसमें तारतम्य होना चाहिये। जब हमने एक तरह की नौय्यत कर दी तो जमीन की मालगुजारी में भी जो इतना अन्तर है उसको दुरुस्त करना चाहिये क्योंकि यह शोभा की बात नहीं है कि जमीन की हैसियत के खिलाफ मालगुजारी की दरें हों। जो भी मालगुजारी निर्धारित की जाय उसमें सरकार अगर इस तरह का कोई कदम उठाये तो वह जनता के हित में होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो छोटे खाते वाले लोग हैं, जिनकी अलाभकर जोतें हैं उनके खेतों की मालगुजारी माफ होनी चाहिये। यह मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, यह तो हमारा कमिटमेंट है। फैजपुर में कांग्रेस का यह प्रस्ताव पास हो चुका था कि अलाभकर जोतों की मालगुजारी माफ हो।

श्री चरण सिंह—कराची में।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने मुझे दुरुस्त किया, तो मैं अपने को करेक्ट किये लेता हूं। सन् ३६ में कांग्रेस के मेनीफेस्टो में भी यह बात कही गयी थी कि छोटे खातों की मालगुजारी कम की जायगी और अलाभकर की जोतों मालगुजारी माफ की जायगी। पहले सवा छः एकड़ अलाभकर जोत मानी गयी थी। लेकिन अब जो छोटे टुकड़े हैं, जैसा कि टुकड़े की परिभाषा में लिखा है वह ३ १/८ एकड़ है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जो टुकड़े हैं उनकी मालगुजारी सरकार माफ करे। आप स्वयं देखें श्रीमन्, कि ५ बीघे में कोई किसान क्या अपना पेट भर सकता है,

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

क्या अपने बच्चों को कपड़े पहना सकता है और क्या अपने लड़कों को पढ़ा सकता है और क्या अपनी और जरूरतों को पूरा कर सकता है? किसान खेत का मालिक है। सरकार मालगुजारी के रूप में जो लेती है वह तो सरकार इन्तजाम के लिये लेती है। तो ऐसे छोटे और गरीब किसानों की मालगुजारी माफ होना ही न्याय है। पहले तो मैं यह समझता हूं कि माननीय माल मंत्री जी इन गरीब किसानों की स्थिति को समझते हैं, उनकी कठिनाइयों को जानते हैं। शायद उनके दिल में उनकी तरफ कुछ हमदर्दी है उसका इजहार करें और मेरी बात मान लें, ऐसी हमें आशा थी लेकिन उनके सामने दिक्कत जरूर है कि मालगुजारी का जो नुकसान हो जायगा उसको सरकार बरदाश्त करना नहीं चाहती है। मुझे आशा जरूर थी कि वह इस पर गौर करेंगे जबकि हमारी कांग्रेस ने इस बात को अपने मैनीफैस्टो में माना था और उसका निर्णय किया था लेकिन अब मुझे आशा दिखायी नहीं दे रही है क्योंकि इस सरकार की अब नीति यह हो गयी है कि रुपये की कमी की वजह से प्रोहीबीशन बंद नहीं किया जा सकता है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रुपये की कमी की वजह से प्रोहीबीशन लागू नहीं कर सकते हैं और जब हम देखते हैं कि रुपये की कमी की वजह से नमक पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, तो हम यह आशा छोड़ देना चाहते हैं जो हम माननीय मंत्री जी से आशा करते थे कि वह कम से कम अलाभकर जोतों से मालगुजारी हटा देंगे और गरीब किसानों को इससे मुक्त कर देंगे।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा विधेयक में जो बातें मैंने कहीं हैं उनकी तरफ माननीय मंत्री महोदय ध्यान देने की कृपा करेंगे। धारा ७ का जो मैंने जिक्र किया मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उसको देख लें। मैंने प्रस्ताव रख दिया है लेकिन वह छपा नहीं है और अगर उसमें कमी हो तो उसको वह पूरा करने की कृपा करेंगे।

इसके अलावा बहुत सी बातें विरोधी पक्ष की ओर से कही गयी हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक की खामियों को दूर करने की ओर सरकार का ध्यान आगे बढ़ा है। जैसे इवैकुई प्रापर्टी थी उसमें पहले यह था कि वह २० गुना जमा करें और अपनी जमीन के भूमिधर हो जायं और इसके लिये एक वर्ष की मियाद थी और वह खत्म हो गयी। अब ३० सितम्बर १९५६ तक मियाद रखी गयी है और २० गुने के बजाय केवल १५ गुना कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि जिन किसानों के पास इवैकुई प्रापर्टी थी उनके लिये यह विशेष सुविधा की गयी है और उनके साथ एक रियायत की गयी है। इसलिये इसमें ऐतराज करने की कोई बात नहीं है।

माननीय राजनारायण जी ने इस सम्बन्ध में इस कमी की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है कि इस विधेयक में जमीन के हस्तांतरण या बटवारे की ओर कि किसके पास कितनी जमीन रहे इसकी कोई धारा नहीं रखी गयी है। मैं समझता हूं कि यह इस विधेयक के स्कोप के बाहर की चीज है और जमीन के बटवारे का प्रश्न इसमें नहीं आ सकता है। अगर उनको यह करना है तो वह स्वयं अलग से अपना विधेयक ला सकते हैं। इसमें यह चीज कही नहीं बैठती है। मैं नहीं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति के पास जाने की कोई आवश्यकता है। जहां तक इसके प्रवर समिति में जाने का सवाल है कि इससे खामियां दूर हो जायंगी तो उसकी तरफ कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है। जहां तक यह कहा गया कि बड़े बड़े लोग इससे नाजायज फायदा उठा लेंगे और सामुदायिक तरीके पर उसमें फलोद्यान वगैरह के लिये जमीनें ले लेंगे, तो उस के लिये मैं माननीय श्री राम सुन्दर जी से कहना चाहता हूं कि वह तो उनके लिये घातक होगा। क्योंकि सामुदायिक उद्यान लगाने वाले व्यक्ति को कोई राइट उसमें सीरदारी का नहीं होगा, वह तो असामी रहेगा, जैसे टैंगिया रीति से कोई वन लगाने की व्यवस्था है तो सीरदारी का अधिकार उसमें रोकने के लिये और उसी तरह से म्युनिसिपैलिटी का कूड़ा करकट डालने के लिये जरूरत पड़ती है कि जिससे लिया जाय। उसमें सीरदारी

का एक हो जाय, उसको रोकने के लिये यह धारा रखी गयी है। मैं समझता हूं कि इसके कोई नुकसान की बात न होगी।

तो यह जो विधेयक है, इसका [illegible] इसमें जो थोड़ी-थोड़ी कमी रह गयी है उसको [illegible] किया जायगा।

श्री शिवनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने है और उसमें जो विरोधी दल का यह प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, मैं उसका विरोध करता हूं। माननीय राजनारायण जी ने स्वयं कहा कि सरकार इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दे और वह एक महीने में इसको वापस भेजे। हम तो इसमें भी जल्दी करना चाहते हैं और इसको यहीं पास करा देना चाहते हैं। मैं उनसे चार कदम आगे हूं। वह एक महीने की बात करते हैं और मैं चार दिन की, अब कौन आगे है इसका फैसला यहां बड़े-बड़े मैथमिटीशियन और वकील बैठे हैं, वह स्वयं ही कर लें। श्रीमन्, कहा जाता है कुछ और किया जाता है कुछ और। इस विधेयक के सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि अधिवासी जो जमीन जोतते थे उनकी जमीनों को जिन्होंने हड़पा है उनके लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं सरकार के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उन्होंने डाई-डाई सौ एकड़ जमीन तक एक एक साल में छीनी है और वह बैठे हैं जमीन दबाये हुये और उनकी चेकिंग नहीं हो रही है। वह अधिकारी पहले अपने दिल पर हाथ रख कर देखें। वह अपने विभाग में ही कुछ नहीं देखते।

माननीय राजनारायण जी ने कहा कि बनारस के लोगों के पास अच्छी-अच्छी कोठियां हैं, अगर वह हममें बंट जायं तो बहुत अच्छा हो। मैं सब से खुश होऊंगा कि अगर धन और धरती बंट जाय और इससे सब से ज्यादा फायदा हम चमारों को होगा, लेकिन कोई बांटता नहीं है। इसलिये मैं इस पर एतराज करता हूं। मैं कहता हूं कि 'ड्राप डाई' करो या मरो। तो मैं कहूंगा कि सरकार भी इस पर ध्यान दे और अपने अधिकारियों से कहे कि क्या हो रहा है। मान्यवर, मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि गांव में आज पुराने ताल्लुकेदारों और जमींदारों का नालों आदि पर बड़ा दबदबा है। और इस सम्बन्ध में सरकार को अपने कवानीन पर अमल करना चाहिये। वह जमीन चाहे श्री शिवनारायण की हो, श्री राजनारायण जी की हो या श्री संपूर्णानन्द जी की हो, वह सब गांव समाज को मिलनी चाहिये, यह नहीं कि "करता करता बहुत मिला, गहता मिला न कोय"। मैं श्री राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि अमल कीजिये, शिक्षा मंत्री पर यह किसी और पर अटैक किया जाय यह बात ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप संगत रहें, असंगति का जवाब असंगति नहीं है।

श्री शिवनारायण—आप कहते हैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन जमीन की कमी बहुत है। मैं राजनारायण जी से कहना चाहता हूं कि वह जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं, वह अपने दामन को देखें कि वह क्या कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—आप बिल की तरफ जाइये, उनकी तरफ़ नहीं।

श्री राजनारायण—अगर हम दूसरी तरफ़ जा रहे हैं तो सरकार को चाहिये कि हमारी जायदाद छीन ले।

श्री शिवनारायण—मैं भी वही चाहता हूं। हम तो बिना खेती बारी के थे, हल जोतते थे, लोगों की खेतीबारी करते थे। वह तो पटवारी की मेहरबानी से कहीं, कहीं एक दो बीघा नाम में लिख गया, लेकिन देहात में आज भी बड़े लोगों का डंडा चल रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गरीब किसानों की मदद कीजिये। जो छोटे खेत वाले हैं उनके लिये जैसा मौर्य जी ने कहा कि उनका लगान माफ कर दीजिये,

[श्री शिवनारायण]

मैं उसके पक्ष मे नही हूं। जो खेत जोते उसका लगान उसको देना चाहिये और लगान में समता होनी चाहिये। आज सरकार ने १० गुना लेकर भूमिधर बना दिये हैं और सीरदार को भी भूमिधर बना दिया गया है, इससे गरीब किसानों को बहुत लाभ हुआ है। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मान्यवर शोर करते हैं उन पर चेकिंग होनी चाहिये। मैं अपनी सी० आई० डी० से पूछना चाहता हूं कि वह क्या करती है? उसको जा कर देखना चाहिये कि क्या ज्यादतियां हो रही हैं? उन लोगों को देखना चाहिये जो रास्तों को खराब कर रहे हैं, सरकार को उसका प्रबन्ध करना चाहिये। जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिये। लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं जब माल विभाग के मामले दीवानी मे भेज दिये जाते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है कि वे दीवानी मे जायं और वहां पर मुद्दत तक लड़ते रहें। वहां पर लोगों को ६ महीने लग जाते हैं। वकील लोग इसके लिये कहते हैं कि तुम्हारे कानून पूरे नहीं हैं सब अधूरे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वह माल विभाग में लाये जायं। माल विभाग में लोगो को सुविधा होगी। जो भी गलती हो उस को सुधारना चाहिये। जहां पर गड़बड़ है वहां पर खेतों को ठीक करना चाहिये। जहां पर जरूरत हो नया कानून बना कर लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जाय। इसलिये मैं विरोधी दल के लोगों से अपील करूंगा कि आप का सजेशन अच्छा होना चाहिये। बनारस की मन्दिर की बात कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हरिजनों के लिये आपने चैलेंज किया, जब कांग्रेस की पुकार होगी तो हम देश के लिये आगे आयेंगे और अपना कर्त्तव्य पालन करेंगे।

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि माननीय मंत्री जी खेत दिलायें और इसका मुनासिब तरीके से कलेक्टर को अधिकार दें कि उसके पास दरख्वास्त पहुंचते ही वह तुरन्त कार्यवाही करे। हम सरकार से यह कहना चाहते हैं कि हमारा पैसा बचाया जाय। मामूली बात पर पैसा खर्च करना उचित नहीं है। हमारे भाई करते हैं खुद इस तरह की बातें लेकिन कहते हैं सरकार को। जो भी बात कही जाय उस पर अमल किया जाय। यदि आप सरकार को थ्रो आउट करना चाहते हैं तो जनता के बीच में जा कर कहिये। कोई शक्ति नही है कि जो हमको हमारे लक्ष्य से हटाये। आप तो आपस मे ही इस तरह से लड़ा करते हैं। वह पहला बिल ठीक नही था यह ठीक है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजबिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े गौर से इस बिल पर हुए भाषणों को सुनता रहा हूं। माननीय राम सुन्दर जी ने तो कुछ बातें ऐसी भी कहीं हैं जिनका कुछ सम्बन्ध इस विधेयक से था मगर माननीय राजनारायण जी ने तो कई दिनों के बाद सदन में भाषण दिया है, उन्होंने एक भी बात इस विधेयक से संबंध रखने वाली नहीं कही है। जैसा वक्त बे वक्त भूमि के बटवारे का प्रश्न वह उपस्थित करते हैं वही उन्होंने फिर दुहरा दिया और इसी तरह से माननीय मौर्य जी ने भी अलाभकर जोतों का सवाल उठा दिया। अगर इस बिल के उद्देश्य और कारणों को देखा जाय तो मालूम होगा कि क्यों इस विधेयक को लगाया गया है। जोतों की चकबन्दी की योजना कार्यरूप में परिणत की जा रही है उसके लिये क्या व्यवस्था होनी चाहिये, इस सम्बन्ध में कानून बनाने की आवश्यकता है। अगर चकबन्दी बीच में हो गई और उसके बीच में बैनामे का अधिकार दे दिया गया और कोई लिमिटेशन न रखा गया तो वह व्यक्ति चाहे जिसे बैनामा कर दें, इस तरह से तो चकबन्दी का सिद्धांत ही समाप्त हो जायगा। इसे हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। निष्क्रान्त भूमि के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि आज उन्होंने यह कर दिया कि उस भूमि के सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त कर सकता है। कुछ मियाद भी बढ़ा दी गई है कि सितम्बर, सन् ५६ तक लोग १५ गुना जो जमा कर के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं यह भी सराहनीय कार्य है, इससे लोगों की परेशानी दूर होगी। दीवानी अदालतों में सीरदारी के मुकद्दमे

मदुन नक चलने रहते थे प्रान वर्षों की न रीगर लगती थी और लोग परेशान होते थे। पहले भी हम लोगों ने उस बात के लिये प्रयत्न किया था. माननीय राजस्व मन्त्री जी के समक्ष इस बात को रखा था कि मन्दिरों के मामले प्रदालत माल में ही देखे जावें परन्तु उस समय किसी कारण से वे बातें स्वीकार नहीं की गई थी. माननीय मन्त्री महोदय ने अब उसे स्वीकार किया है. इस सम्बन्ध में इस विधेयक में जो रख दी गयी है, कि वह बहुत ही उत्तम है। हम इसके लिये माननीय राजस्व मन्त्री जी को बधाई देना चाहते हैं।

माननीय राजस्व मन्त्री जी ने कहा कि इस विधेयक का स्कोप बढ़ाया जाय और इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। मैं समझता हूं कि यह एक छोटा सा विधेयक है, जो १६, १७ धाराओं का है और बहुत ही मोटी-मोटी बातें इसमें हैं उनके लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजना आवश्यक नहीं है। सदन का समय बेकार बरबाद करना भी उचित नहीं है। जो संशोधन हैं उन पर यहां विचार हो सकता है और यह सदन उन पर निर्णय ले सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो प्रस्ताव इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने का है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने सदन के सामने उपस्थित किया है कि जो इस विधेयक में कमियां, दोष और कठिनाइयां रह गई हैं उनको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। श्रीमन्, यों तो माननीय मंत्री जी अपने को एक निपुण कृषि पंडित समझते हैं लेकिन श्रीमन्, मैं कहता हूं कि वे ऐसे पंडित हैं जैसे एक किसान का लड़का था। जो देहात का था। वह कहीं बाहर गया और बाहर के देश में जा कर सारी विद्यायें उसने अध्ययन की। घर आया। उसके घर वाले अनपढ थे। संयोग से घर में वह बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने के बाद जब उस को प्यास लगी तो पानी मांगने के बजाय वह "आब आब" कह कर पानी मांगने लगा। वह आब-आब कहता कहता मर गया लेकिन घर का कोई उसको पानी नहीं दे पाया। उसी प्रकार से माननीय मंत्री जी किसानों की हालत को अच्छी तरह से जानते हुए भी, किसानों की सारी शिकायतों को जानते हुए भी, वह पढ़ लिख कर ऐसे पंडित हो गये हैं कि ऐसा कानून बनाते हैं जिससे नुकसान होता है। अब तक जितने कानून किसानों के हित को सोच कर उन्होंने बनाये हैं, सचमुच उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार किसानों की हित की बात सोची है और कानून बनाया है, लेकिन वह कानून देहात में जा कर बिल्कुल उल्टा हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, वह कानून बहुत से ऐसे हैं जो हमारे माननीय सदन के सदस्य भी बहुत से नहीं समझ पाते। शुरू-शुरू में उन्होंने बेदखली को रोकने का कानून बनाया लेकिन लाखों किसानों के खाते उसमें बिक गये और मुकदमा लड़ते-लड़ते उनके घर भी बरबाद हो गये। उसे सब तरह की परेशानियां हुई लेकिन उनके खाते वापिस न हो सके। भूमिधर बनने के लिये उसने घर की धन दौलत और गहना बेचा और वह बरबाद हो गया। इसी प्रकार यह शिकमी वाला कानून माननीय मंत्री जी ने बनाया है। श्रीमन्, मैं भी देहात का रहने वाला किसान हूं और खुद भुक्तभोगी हूं। मेरा खेत ग़लती से एक आदमी के नाम से पटवारी ने लिख दिया है। वह जानता भी नहीं था, जब जाना तो इस्तीफा देने को तैयार है लेकिन लोग कहते हैं कि इन्हीं का कानून बनाया है मत छोड़ो। जब यह कानून शिकमी का बना तो लोगों ने यह सोचा कि वे सीरदार हो जायेंगे लेकिन आज देहात में इस कानून में क्या हो रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिन लोगों के पास धन है, शक्ति है, लाठी है, वही लोग शिकमी वालों को अपने पास रक्खे हुये हैं लेकिन छोटे-छोटे किसान जिनके हित के लिये यह कानून बनाया गया था उसको न मिल कर उनकी जमीन बड़े-बड़े लोगों को मिल रही है। माननीय

[श्री रामसुभग वर्मा]
अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं कि छोटे-छोटे किसानों को जमीनें नहीं मिल पा रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि देहातों में जो छोटे-छोटे किसान हैं उनके खेत पटवारियों ने या लेखपालों ने गलती से या किसी तरह से पहले से जो पुराने जमींदार थे या बड़े-बड़े काश्तकार हैं और जो पटवारियों को सालाना फसल में गल्ला दिया करते थे कि हमारे दूसरे के नाम न लिख दिये जायं बल्कि दूसरे के खेत हम रे नाम लिखे जायं। दूसरे के खेत उनके नाम दर्ज कर दिये और जो हरवाही या हजामत वगैरा करके उनके खेत जोतते थे उनके नाम दर्ज न कर के वह उन्हीं सत्ता वालों के नाम दर्ज किये रहते थे और उन बड़े-बड़े लोगों के नाम ही खेत चढ़े रहते थे और अब भी जो आज कानून बना वह भी उन्हीं के हक में हो गया, आज अगर इन बड़े लोगों के कब्जे में खेत नहीं भी हैं, तब भी वह कब्जा कर लेते हैं लेकिन अगर किसी छोटे काश्तकार के नाम दर्ज हो रहा है तब भी लाठी के बल से कब्जा कर लेते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं आपकी इजाजत से अध्यक्ष महोदय, एक बात अर्ज कर दूं कि क्या मुझे माननीय मित्र बतलायेंगे कि शिकमियों के नाम कितने रकबे पर अब से ८ साल पहले देवरिया जिले में दर्ज थे और इस साल में कितने दर्ज हैं या वह बता दें। आप जरा यह आंकड़े तो दें।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय मंत्री जी को घबराना नहीं चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस तरफ आ ही रहा था और मंत्री जी को बता रहा था कि जिन लोगों का कब्जा था और बराबर जोतते चले आ रहे थे उनके नाम गायब हो गए और वह लोग आज कब्जा नहीं पा रहे हैं। वह लगान देते हैं, एक तरफ काश्तकार लगान देते हैं और शिकमी काश्तकार भी देता है, दोनों से लगान वसूल किया जा रहा है लेकिन जिनके पास शक्ति है, लाठी है, वह खेत पर कब्जा किये हैं। मंत्री जी ने उनको कानून बना दिया कि दीवानी में जाओ, वहां से कहा गया कि फिर माल विभाग में जाओ और फिर वह दीवानी में भेजे जाते हैं, इस तरह से दौड़ने और पैसा व्यय करने की उन गरीबों के पास शक्ति नहीं है और इस तरह से उनके लिए न्याय पाना, जमीन पर कब्जा पाना सम्भव नहीं है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई ऐसा आंकड़ा देवरिया का बताइए। मैं अपने यहां की बताता हूं। हमारे यहां एक गांव है ठाढ़ीभार, मंत्री जी तो पूरे जिले की बात कह रहे हैं मैं उनको केवल एक गांव की ही बात बताता हूं। ठाढ़ीभार में मंत्री जी ने एक जो स्पेशल परताल करवा रहे थे इस वक्त पटवारी ने किसी पेड़ के नीचे या किसी के दरवाजे पर बैठ कर पड़ताल कर ली और जिस तरह से सारे गांव की परताल एक जगह बैठ कर लेखपाल कर लेता है उसी तरह से उसने किया। संयोग से इस पड़ताल के खिलाफ गांव के सभापति ने और सैकड़ों लोगों ने दरख्वास्तें दीं और सैकड़ों की तादाद में दरख्वास्तें थीं। मैंने सैकड़ों खेतों में जाकर देखा कि किसी खेत में घुरहू काबिज है तो निरहू का नाम दर्ज है, कहीं धान बोये हैं तो कुछ और दर्ज है, कोई खेत बोया जोता जा रहा है तो वह पर्ती दर्ज है और दस दस बारह बारह साल से इस तरह के गलती परताल वहां होती चली आ रही थी। सैकड़ों की तादाद में मैंने खुद गलतियां नोट कर के और लोगों के बयान लेकर तहसीलदार को तहसील पर दरख्वास्तें भेजीं और हाकिम परगना को भी भेजीं और सम्भव है माननीय मंत्री जी के पास भी भेजी हों लेकिन उस पर क्या हुआ वह तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे क्योंकि जिस तरह से शिकमी काश्तकारों का उन्होंने भला किया है वह तो वही जानते हैं। उनका गला घोटा जा रहा है। आज देहातों में अनेकों प्रकार की परेशानियां हैं। लगान में कुर्की होती है, बेदखली होती है, खेत उनके कब्जे में नहीं रहते। खेत वह बोये हुए हैं और पचासों वर्षों से कब्जा था। नाम शिकमी में चला आता है। और इस कानून के मुताबिक अदालत में मुकदमा दायर है। कब्जा नहीं पाते हैं। लाठी के बल पर उनकी बोयी हुई फसल

कटवा ली जाती हैं। यह सारी चीजें हैं सिकमी में। दूसरे गांव समाज के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उनमें सुधार करने के लिये यह संशोधन विधेयक लाये हैं, लेकिन मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गांव समाज में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो गांव समाज की सम्पत्ति है वह उन लोगों को दे दी जाती है। लेखपाल के पास जो सम्पत्ति-रजिस्टर होता है उसमें लिखा है कि जितनी भूमि बंजर थी, जितनी लावारिस जमीन थी, लेकिन श्रीमन्, उन जमीनों का इस तरह से दुरुपयोग किया गया कि गांव के सभापति और उपसभापति ने जब कि नियम यह है कि इन जमीनों को भूमिहीनों को पहले मिलना चाहिये--ऐसा न करके अपने बेटे भतीजों के नाम से इन जमीनों को कर दिया गया। जो पोखरे, परती, खलियान, चरागाह, सार्वजनिक हित की जमीनें थीं उन जमीनों को गांव समाज के द्वारा लोगों को न देकर तहसीलों में भूदान में लेखपाल द्वारा लिखा लिया गया। भूदान द्वारा वह जमीनें उस गांव समाज के प्रेसीडेंट या और लोगों ने जैसे दीं वैसे ही वह भी दी गई और भूदान के लोगों ने उनका बटवारा किया और बटवारा होने के बाद उन्हीं लोगों को वे जमीनें दी गई जो कि लाठी वाले हैं, जिनके पास जन शक्ति और सम्पत्ति है, वही उस पर कब्जा किये हुये हैं। जिनको जमीन मिलनी चाहिये उनको नहीं मिली। इस तरह से गांव समाज की सम्पत्ति की जो छीछा लेदर हो रही है वह सारी बातें माननीय मंत्री जी के सामने आ रही हैं। माननीय शिवनारायण जी ने बताया कि यह विधेयक इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिये लाया गया है। श्रीमन्, ठीक है, विधेयक के द्वारा गलतियां सुधारें। लेकिन अगर सारा का सारा कानून ही गलत हो तो वह कैसे सुधारा जा सकता है। लिहाजा जैसा माननीय पांडेय जी ने प्रस्ताव रखा है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजना चाहिए और जो खामियां हैं, वहां उन पर बहस हो उसे देखा जाय, सोचा जाय और सोच विचार कर के तब फिर संयुक्त प्रवर समिति से आये और आकर वह पास हो, इसका मैं भी समर्थन करता हूं। यह नहीं होना चाहिये कि ६ महीने के बाद फिर संशोधन विधेयक लाये और दुबारा फिर ६ महीने के बाद लायें। यह क्या खिलवाड़ मचा रक्खा है किसानों के साथ। एक कानून बना कर लागू किया। किसान परेशान होता है, लड़ता है, झगड़ता है, अपनी भूमि पर कब्जा नहीं पाता है। फिर माननीय मन्त्री जी संशोधन विधेयक ले आते हैं, यह सदन का समय बर्बाद करना है और किसानों के साथ खिलवाड़ करना है। लिहाजा माननीय मंत्री जी को सोच विचार कर के संशोधन विधेयक लाना चाहिये जिससे किसानों का भला हो। इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सामने भेजा जाना चाहिये ताकि एक सुन्दर सीधा सादा कानून वह बनायें जिससे कि किसानों का भला हो।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
५ अप्रैल, १९५९।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९–२० के उत्तर पीछे पृष्ठ २४९ पर)

मथुरा जिले में सन् १९५४–१९५५ तथा १९५६ में हुये डकैती व कत्ल के अपराधों का विवरण

क्रम-संख्या	वर्ष	अपराध	रिपोर्ट हुई	सजा हुई	छूट गये	न्यायालय में विचाराधीन	जांच जारी है	लापता रहे
१	१९५४	डकैती ..	२०	..	..	..	..	..
		कत्ल ..	१५	३	५	३	–	४
२	१९५५	डकैती ..	१८	..	..	..	..	..
		कत्ल ..	१५	–	३	९	–	३
३	१९५६	डकैती ..	५	..	..	..	..	..
		कत्ल ..	२	–	–	१	१	–

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५० पर)

सन् १९५५ मे देवरिया जिले में हुये अपराधों का विवरण

थाना		चोरी	डकैती	बलवा	कत्ल	सेंध खोलाई
१—कोतवाली	..	१८	—	६	२	४
२—खुखुन्दू	..	११	—	१	—	२
३—पडरौना	..	१७	—	६	१	१
४—हाटा	..	७	—	२	१	१
५—कसिया	..	१२	—	२	—	—
६—पथरदेवा	..	७	—	५	—	४
७—तरकुलवा	..	११	२	१	२	६
८—तरय्या सुजान	..	९	१	२	२	—
९—बिशुन पुरा	..	१०	—	—	—	३
१०—खम्पार	..	४	—	२	१	६
११—बरहज	..	६	—	५	१	४
१२—लार	..	११	—	५	१	७
१३—रुद्रपुर	..	८	—	३	२	१
१४—रामकोला	..	३	—	२	—	—
१५—गौरी बाजार	..	११	—	१	१	४
१६—कप्तानगंज	..	२	—	२	२	१
१७—खड्डा	..	९	—	४	—	५
योग	..	१५९	३	४९	१६	४९

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४–३६ के उत्तर पीछे पृष्ठ २५२ पर)

सन् १९५४––१९५५ व १९५६ (३१–३–५६ तक) जिला जालौन, थाना जालौन में हुये कत्ल के मामलों का विवरण

सन्		रिपोर्ट हुई	पता चला व चालान हुआ	सजायाब हुआ	छूट गया	अदालत में विचाराधीन
१९५४	..	३	२	१	१	–
१९५५	..	२	२	–	१	१
१९५६ मार्च तक	..	–	–	–	–	–

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २६४ पर)

टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदाधिकारियों का (विशेषाधिकार) विधेयक, १९५६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

टेहरी-गढ़वाल के राजस्व पदधारियों को थानों (Police Stations) के अवधायक पदाधिकारी (Officer incharge) के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देने का

विधेयक

यह इष्टकर है कि टेहरी-गढ़वाल के राजस्व पदधारियों को थानों (Police Stations) के अवधायक पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम टेहरी-गढ़वाल राजस्व पदधारियों का (विशेषाधिकार) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार टेहरी-गढ़वाल जिले में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

कतिपय क्षेत्रों के राजस्व पदधारियों में थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकार निहित करना।

२—(१) राज्य सरकार की आज्ञा द्वारा तदर्थ घोषणा करने पर लेखपाल, पटवारी अथवा ऐसा अन्य राजस्व पदधारी (Revenue Official), जो निर्दिष्ट किया जाय, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्दिष्ट की जायं, तत्समय प्रचलित किसी विधि के अधीन पुलिस पदाधिकारी (Police Officer) अथवा थाने के अवधायक पदाधिकारी (Officer incharge) के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और कर्त्तव्यों (Functions and duties) का सम्पादन करेंगे, जो निर्दिष्ट किये जायं भले ही उस विधि में कोई बात इससे असंगत हो।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी आज्ञा में ऐसे प्रासंगिक एवं आनुषंगिक उपबन्ध हो सकते हैं, जिन्हें राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

(३) उपधारा (१) के अधीन की गयी घोषणा में निर्दिष्ट लेखपाल, पटवारी अथवा राजस्व पदधारी केवल उपधारा (१) के अधीन दी गयी आज्ञा के अनुसार थाने के अवधायक पदाधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने के कारण पुलिस ऐक्ट, १८६१ के अधीन नामांकित (enrolled) पुलिस पदाधिकारी नहीं समझा जायगा।

धारा २ के अधीन दी गयी आज्ञा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायगी।

३—(१) उक्त प्रत्येक आज्ञा की प्रतिलिपि, जिसे धारा २ के अधीन जारी किये जाने का विचार हो, पांडुलेख के रूप में राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जबकि उनका सत्र हो रहा हो, ३० दिनों से अन्यून अवधि के लिये रखी जायेगी, और यदि उस अवधि के भीतर कोई भी सदन उक्त आज्ञा के जारी किये जाने का अननुमोदन न करे अथवा केवल परिष्कारों सहित

उसके जारी किये जाने का अनुमोदन करे, तो उक्त आज्ञा जारी नहीं की जायेगी, अथवा जैसा कि स्थिति अनुसार अपेक्षित हो, केवल ऐसे परिष्कारों सहित जारी की जायेगी जिनसे दोनों सदन सहमत हों ।

(२) ऐसी प्रत्येक आज्ञा सरकारी गजट में प्रकाशित की जायेगी और ऐसे प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी ।

उद्देश्य और कारण

अल्मोड़ा और गढ़वाल तथा नैनीताल की पहाड़ी पट्टियों के राजस्व पदधारी पुलिस अधिकारियों के कुछ कर्त्तव्यों का पालन करते हैं। चूंकि यह पद्धति बड़े संतोषप्रद ढंग से कार्य करती रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में अपराधों की घटनाएं भी बहुत अधिक नहीं रही हैं । अतएव टेहरी-गढ़वाल में भी वैसी ही एक पद्धति प्रचलित करने का प्रस्ताव है । वहां राजस्व पदधारियों के पुलिस कार्य में प्रशिक्षित न होने के कारण अभी तक ऐसा नहीं किया गया था। अब वे प्रशिक्षित हो चुके हैं और उन्हें पुलिस के अधिकार देने का प्रस्ताव है। अल्मोड़ा आदि में राजस्व पदधारियों को ये अधिकार शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट ऐक्ट, १८७४ की धारा ६ के अधीन दिये गये थे, किन्तु अब यह ऐक्ट गवर्नमेन्ट आफ इंडिया (एडैप्टेशन आफ इंडियन लाज) आर्डर, १९३७ द्वारा निरस्त हो चुका है। अतः टेहरी-गढ़वाल में पुलिस के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राजस्व पदधारियों को पुलिस के अधिकार देने के प्रयोजन से यह विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

सम्पूर्णानन्द,
मुख्य मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २३ एल० ए०--१९५९--७९६ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३ अप्रैल, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्मा राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२५९)

अंशुमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री

गुलजार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री

तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनाराम, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री

बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नालाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणञ्जयसिंह, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

रामकुमार [illegible], श्री
[illegible], श्री
रामचन्द्र शर्मा, श्री
रामदयाल द्विवेदी, श्री
रामकुमार मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री

[illegible] प्रसाद, श्री
[illegible], श्री
[illegible], श्री
[illegible], श्री
[illegible]
[illegible]
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
[illegible]
[illegible]
ब्रजबिहारी मिश्र, श्री
ब्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
[illegible], श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
[illegible] शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ससिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री

सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह, पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हुकुमसिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बनारस जिला बोर्ड को अध्यापकों के वेतन भुगतान के लिए सहायता

**१—श्री लालबहादुर सिंह (जिला बनारस)—क्या यह सच है कि सरकार बनारस जिला बोर्ड को घाटे का वह रुपया देने जा रही है जो अध्यापकों के बढ़े हुये वेतन देने में जिला बोर्ड असमर्थ है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—गत वित्तीय वर्ष १९५५–५६ में सरकार ने राजाज्ञा दिनांक २३ मार्च, १९५६ द्वारा जिला परिषद् बनारस को २,८५,००० रु० की धनराशि अनावर्तक अनुदान के रूप में अध्यापकों के अवशेष वेतन तथा मंहगाई भत्ते के हेतु दिया है।

श्री लालबहादुर सिंह—क्या कृपा करके सरकार यह बतायेगी कि जिला बोर्ड बनारस को घाटा है वेतन और मंहगाई को मिला कर ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—खाते में ८५ हजार दिया गया है, लेकिन कुल हिसाब मेरे पास नहीं है कि कितना है।

श्री लालबहादुर सिंह—अगर सरकार को हिसाब बतला दिया जाय कि घाटा कितना है तो अधिक रुपया देने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—अभी तो सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलावेंगे कि इस तरह की मांग और भी जिला बोर्डों ने की है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

डी० टी० डी० डिप्लोमा प्राप्त डाक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट अलाउन्स देने का विचार

**२—श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या यह सच है कि डी० टी० डी० डिप्लोमा प्राप्त डाक्टरों को जो चिकित्सा विभाग के हैं, Post graduate allowance अभी तक नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जी नहीं। कारण यह है कि अभी तक इस डिप्लोमा को Post graduate allowance देने के लिये मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

* ३—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि D. T. D. डिप्लोमा प्राप्त डाक्टरों को allowance देने के सम्बन्ध में किस तारीख से विचार किया जा रहा है और अभी तक किस निष्कर्ष पर सरकार पहुंची है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—मामला सरकार के विचाराधीन काफी समय से है। अन्तिम निर्णय में अभी और कुछ समय लगेगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस देने के लिये जो मान्यता प्रदान नहीं की गई है वह किस कारण से नहीं की गई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस सम्बन्ध मे संचालक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं से प्रिंसिपल आगरा तथा डीन आफ फ़ेकल्टी आफ मेडिसिन से राय मांगी गयी थी और इस सम्बन्ध में संचालक महोदय से बातचीत चल रही है। जब उनसे सिफारिश आ जायगी तब उस पर सरकार अन्तिम रूप से कोई निश्चय करेगी।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि टी० डी० डी० डिप्लोमा प्राप्त लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट अलाउंस दिया जाता है और वह डिप्लोमा डी० टी० डी० डिप्लोमा के सदृश है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, टी० डी० डी० डिप्लोमा वालों को पोस्ट ग्रेजुएट का अलाउंस दिया जाता है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो ये दोनों समकक्ष हैं तो डी० टी० डी० डिप्लोमा वालों को अलाउंस क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—टी० डी० डी० डिप्लोमा विदेशों से प्राप्त किया जाता है और डी० टी० डी० भारतीय विश्वविद्यालयों से प्रदान किया जाता है। उसको तो मान्यता पहले प्राप्त हो चुकी है और जो कि भारतीय विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा दिया जाता है उस सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है और संचालक महोदय से राय मांगी गयी है।

श्री तेजप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि पिछले वर्ष जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय भी उन्होंने उत्तर में यह कहा था कि बहुत शीघ्र ही दो तीन महीने के अन्दर हम इस विषय पर फैसला करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस सम्बन्ध में एक बात पर विचार करना बहुत आवश्यक है कि पोस्ट ग्रेजेएट एलाउन्स देने के लिये जो डिप्लोमा और डिग्रियां डाक्टरों ने प्राप्त की हैं वह काफी संख्या में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमें कितने विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। उसी आधार पर इस बात पर भी विचार किया जायगा और आया कि इन डिप्लोमा वालों को मान्यता दी जाय या न दी जाय।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि टी० डी० डी० और डी० टी० डी० जो एक विदेशी डिप्लोमा है और जो भारतीय डिप्लोमा है उन दोनों को एक ही प्रकार के खतरों से गुजरना पड़ता है इसलिये इन दोनों को पोस्ट ग्रेजुएट एलाउन्स दिया जाय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—यह सारी चीजें सरकार के विचाराधीन हैं।

हमीरपुर जिलेमें ओला वृष्टि से क्षति

**४—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माल मंत्री बतायेंगे कि गत ६ मार्च व ११ मार्च को हमीरपुर जिले में लगभग १५० गांवों में हुई भीषण ओला वृष्टि की रिपोर्ट आ चुकी है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--जिला हमीरपुर की चर्खारी तथा महोबा तहसीलों के १२२ गांवों में ६-३-५६ को भीषण ओला गिरने की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है।

**५--श्री तेजप्रताप सिंह--सरकार इन क्षतिग्रस्त गांवों के निवासियो की सहायतार्थ क्या अब तक कर चुकी है व आगे क्या करने जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--क्षतिग्रस्त गांवों मे प्रारंभिक जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने पर छूट इत्यादि के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री तेज प्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले की चर्खारी और महोबा तहसीलों के १२२ गांवों मे ही ओला से क्षति नहीं हुई है बल्कि १५० गांवों मे हुई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिलाधीश ने जो रिपोर्ट भेजी है वह तो १२२ की है। वहां और गांवों मे कुछ ओले गिरे हों लेकिन क्षति थोड़ी होगी इसलिये शायद उसकी रिपोर्ट नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि गत २२ मार्च को मौदहा तहसील के ३० गांवों के अन्दर बहुत भारी ओले गिरे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--२२ तारीख के बारे मे तो प्रश्न नहीं था और न उसकी कोई रिपोर्ट आयी है।

बनारस के सारनाथ टी० बी० सेनिटोरियम को सरकारी प्रबन्ध में लेने की प्रार्थना

**६--श्री लालबहादुर सिंह--क्या सरकार बनारस के सारनाथ टी० बी० सेनेटोरियम को अपने अधिकार में ले रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जी नहीं।

श्री लालबहादुर सिंह--क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि उसके पास कोई रेप्रेजेंटेशन किया गया था कि उस अस्पताल को सरकार अपने कब्जे में ले ले?

श्री बलदेवसिंह आर्य--इस प्रकार की कोई सूचना मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री लालबहादुर सिंह--क्या सरकार कृपा करके इस अस्पताल को अपने अधिकार में न लेने का कारण बतलायेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य--जहां तक मुझे ज्ञात है मंगलाप्रसाद सेनिटोरियम की व्यवस्था ठीक नहीं थी। वहां का आय-व्यय का हिसाब ठीक नहीं था। इस सम्बन्ध मे सरकार ने कोई निश्चय नहीं किया है।

अलमोड़ा जिले की चम्पावत तहसील और हाकिम परगना की कचेहरी एक स्थान में रखने पर विचार

**७--श्री हरगोविन्द पन्त (जिला अल्मोड़ा)--क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा की चंपावत तहसील और परगना हाकिम की कचेहरी एक स्थान में रखे जाने के विषय में सरकार ने कोई निश्चय किया है? यदि हां, तो क्या और क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी नहीं, कुल मामला सरकार के विचाराधीन है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में नई तहसील बनाने की मांग

८—श्री हरगोविन्द पन्त—क्या सरकार के पास कोई मांग बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा में एक नई तहसील बनाने के बाबत आई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

९—श्री हरगोविन्द पन्त—क्या सरकार ने विचार किया है कि अल्मोड़ा जिले में वर्तमान तहसील हेडक्वार्टर्स पट्टी मल्ला दानपुर तथा पट्टी नाकुरी से कितनी दूरी पर है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां, लगभग ३. मील दूरी पर है।

श्री हरगोविन्द पन्त—इस विषय में सरकार कब तक किसी निश्चय पर पहुंचने की आशा करती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सारे प्रदेश की तहसीलों का मामला सरकार के विचाराधीन है। उसी के साथ साथ इस पर भी विचार किया जायगा।

श्री हरगोविन्द पन्त—क्या सरकार को मालूम है कि लोहाघाट में एक हाल बनाने के लिए ४५ हजार रुपये का अनुदान सरकार ने मंजूर किया है। यदि विलम्ब हुआ तो क्या यह रुपया तब तक खर्च हो जायगा या नहीं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—लोहाघाट में एस० डी० ओ० कोर्ट करते हैं। इसलिये तहसील के सवाल से वह जुड़ा हुआ नहीं है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार इस प्रश्न पर फैसला करने के पहले उस तहसील की तमाम गांव सभाओं से इस बात का राय ले लेगी कि तहसील का हेडक्वार्टर्स किस जगह रखा जाय, लोहाघाट या चम्पावत में?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी यह प्रश्न विचाराधीन है और रेप्रेजेन्टेशन्स तो आते ही हैं। कुछ बागेश्वर के पक्ष में भी आये हैं। तो लोगों को जो कुछ कहना है कहेंगे और उस पर विचार किया जायगा।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)—क्या मंत्री महोदय उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिसके कारण यह तहसील की मांग की जा रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो दरख्वास्तें आयी हैं उनमें लिखा है कि कुछ इलाके अल्मोड़ा से बहुत दूर पड़ते हैं और वहां पर मुकदमे काफी होते हैं। कोई कहते हैं कि वहां की आबादी घनी है। दूसरी बात यह भी कही गयी है कि जो बागेश्वर का इलाका है उसमें कुछ सुविधायें हैं। यह लोगों का कहना है जो मैंने बताया, सरकार का नहीं।

श्री हरगोविन्द पन्त—क्या जनता की असुविधा को दूर करने के लिये बागेश्वर में तहसील बनाने पर जल्द से जल्द सरकार विचार करने वाली है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—मैंने अर्ज किया कि सारे प्रदेश की तहसीलों का सवाल सरकार के विचाराधीन है। उसके साथ साथ इस पर भी विचार होगा और शायद जल्दी ही होगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि बागेश्वर में तहसील बनाने की मांग जो जनता से आयी है वह बहुत दिनों से आ रही है और सरकार यही कहती है कि इस पर जल्दी ही विचार होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले जो मांग आयी थी उस पर कह दिया गया था कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण नहीं किया जा सकता। तो पहले का विचार तो खत्म हो गया : अब फिर से विचार करने की बात है और वह हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि प्रदेश भर की तहसीलों का प्रश्न विचाराधीन है तो क्या सरकार की विभागीय प्रणाली से इसकी जांच होगी या कोई कमीशन या कमेटी आदि इसकी जाच करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह विभागीय मामला है। इसमे कोई कमीशन या कमेटी की जरूरत नहीं है।

उन्नाव जिलान्तर्गत भगवन्तनगर टाउन एरिया कमेटी के सभापति के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव

१०—श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)—क्या स्वशासन मंत्री को विदित ह कि उन्नाव जिला अन्तर्गत भगवन्तनगर टाउन एरिया कमेटी के सभापति के विरुद्ध आधे से अधिक कमेटी के सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव गत अक्तूबर, १९५४ को सरकार के पास भेजा था ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—अक्तूबर, १९५४ में कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया बल्कि मई सन् १९५५ मे एक पत्र सरकार को प्राप्त हुआ जो मूलतः अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी उन्नाव को सम्बोधित था और जिसमे टाउन एरिया कमेटी भगवन्तनगर के सभापति के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की नकल दी हुई थी।

११—श्री देवदत्त मिश्र**—क्या यह सही है कि उक्त सदस्यों द्वारा दो स्मृतिपत्र भी सरकार की सेवा में भेजे गये ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं।

१२—श्री देवदत्त मिश्र**—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त अविश्वास के प्रस्ताव और स्मृतिपत्रों पर सरकार ने अब तक कोई निर्णय किया और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—चूंकि उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज ऐक्ट मे अविश्वास के प्रस्तावों के सम्बन्ध मे कोई प्राविधान नहीं है अतः उपर्युक्त प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नही की गई।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या ऐसा कोई कन्वेन्शन या परिपाटी नहीं है जिसके अनुसार अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार किया जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश—परम्परा और कन्वेन्शन का प्रश्न तो उठता नहीं है जब तक अधिनियम में कोई इस बात की गुंजायश नहीं है कि अविश्वास का प्रस्ताव आ सके।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया के चेयरमैन के खिलाफ जो शिकायतें आई है उनके खिलाफ जांच कराने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, शिकायतें आई हैं, जांच कराई जा सकती है और यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उनकी जांच करा दी जायगी।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या मंत्री जी जांच का परिणाम संक्षेप में बताने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उन्होंने यह कहा कि जांच करा दी जायगी।

तारांकित प्रश्न

*१–२—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—[४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के नार्मल स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्ति

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के प्रत्येक राजकीय नार्मल स्कूल में कितने-कितने छात्र हैं?

डाक्टर सीताराम—सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७१ पर)

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के राजकीय नार्मल स्कूलों के छात्रों को राज सहायता नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, सहायता छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि नार्मल स्कूलों के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रायः सभी लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाती है। सिर्फ उनको नहीं दी जाती है जो अपनी मर्जी से नार्मल स्कूल में जाते हैं और यह कह देते हैं कि वह छात्रवृत्ति नहीं लेंगे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह छात्रवृत्ति सब को एक सी दी जाती है या कुछ कम ज्यादा दी जाती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—सबको २० रुपये महीने की छात्रवृत्ति दी जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि इस प्रकार की दरख्वास्तें आई हैं कि वह जिला बोर्ड के जरिये भेजे गये हैं और बाढ़ पीड़ित एरिया के हैं फिर भी उनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि करीब-करीब सबको छात्रवृत्ति मिलती है और १० फीसदी से ज्यादा लड़के नहीं होंगे जिनको नहीं मिलती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने बिना चुने हुये नार्मल स्कूल ज्वाइन किया है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह तीन-तीन चार-चार महीने की एक साथ दी जाती है?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसकी कोई शिकायत कभी नहीं आई।

श्री रामेश्वर लाल——क्या मंत्री जी इसको प्रश्न समझ कर इसकी जांच करने की व्यवस्था करेंगे कि छात्रों को छात्रवृत्ति तीन-तीन चार-चार महीने की एक साथ मिलने के कारण दिक्कत होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह——शायद यह बहुत उचित नहीं होगा क्योंकि छात्रवृत्ति उनको मिल ही जाती है और उनका काम चल जाता है और उनको फीस देनी नहीं होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १० फीसदी छात्रवृत्तियों के अलावा जिन्होंने लिख कर नहीं दिया है अगर ऐसे छात्र आये हैं और बाढ़ पीड़ित एरिया के हैं और उनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई है तो क्या वह उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह——मेरा अपना खयाल है कि हर एक स्कूल में कितनी छात्रवृत्ति होगी यह निश्चित है और उतने लड़कों को दी जाती है।

सार्वजनिक हायर सेकेंडरी स्कूल, मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर को मान्यता देने पर आपत्ति

*५——**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)——क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किसी हायर सेकेंड्री स्कूल को इंटर तक की मान्यता प्रदान करने के लिये जिन शर्तों का पालन करना आवश्यक है उनमें सार्वजनिक हायर सेकेंड्री स्कूल मुंगरा बादशाहपुर, जिला जौनपुर ने किन-किन शर्तों का पालन किया था और किन-किन का नहीं तथा वह स्कूल कब खोला गया और मान्यता कब प्रदान की गई ?

डाक्टर सीताराम——सार्वजनिक हायर सेकेंडरी स्कूल, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर ने स्थान तथा अध्यापकों के प्रतिबन्धों की पूर्ति बहुत कुछ की थी। प्राभूत, सुरक्षित कोष तथा पुस्तकालय आदि के प्रतिबन्धों की पूर्ति नहीं की थी। जूनियर हाई स्कूल की मान्यता दे दी गई। विद्यालय १ जुलाई १९५५ को खोला गया। विद्यालय को बोर्ड की केवल १९५७ की परीक्षाओं के लिये १६ सितम्बर, १९५५ को मान्यता प्रदान की गई।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——क्या सरकार को ज्ञात है कि पुराना हिन्दू हायर सेकेंड्री स्कूल इस नये स्कूल के बिल्कुल सन्निकट है ? यदि हां, तो ऐसी दशा में जब कि नियमतः सुरक्षित कोष और अन्य शर्तों की पूर्ति नहीं हुई थी, इस नये स्कूल को मान्यता प्रदान करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह——उसका कारण यह था कि हिन्दू हायर सेकेंड्री स्कूल की ग्रान्ट बन्द थी और अभी भी बन्द है। बोर्ड ने उसको नोटिस दी थी तीन महीने की कि वह वजह दिखायें कि उनका रिकग्निशन क्यों न वापस कर लिया जाय। वहां टीचरों को बहुत दिनों तक तनख्वाह न मिलने के कारण सत्याग्रह चल रहा था और लड़कों का नुकसान हो रहा था। लिहाजा सड़क के दूसरी तरफ जूनियर हाई स्कूल जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का था उसको उन्होंने अपने यहां सार्वजनिक नाम दे कर खोल दिया ताकि लड़कों का नुकसान न हो और वह इंतहान में बैठ सकें और इसलिये उनको सन् १९५७ तक का रिकग्निशन दिया गया।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——क्या सरकार को ज्ञात है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जूनियर हाई स्कूल की इमारत और उसके अध्यापक इस स्कूल में परिवर्तित कर दिये गये थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—[illegible] वह [illegible] डिस्ट्रिक्ट बोर्ड [illegible] उनका इस्तेमाल है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जब हिन्दू इन्टरमीडिएट कालेज [illegible] बिल्डिंग नहीं हुआ था उसके पहले ही यह [illegible] किया गया?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसलिये कि मकान में पहले से सरकारी दफ्तर चल रहे थे जिसके कारण [illegible] नहीं हुआ था। मैं वहां एक एस० डी० एम० को इस के बारे में [illegible] बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि [illegible] इसलिये [illegible] इमरजेंसी [illegible]

*६—७—**श्री राम दुलारे मिश्र**—[२० मार्च, १९५६ को प्रश्न ५—७ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

हरिजन औद्योगिक केन्द्र, नैनीताल के स्टाफ को निवास स्थान का कष्ट

*८—**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरिजन औद्योगिक केन्द्र, नैनीताल पर इस समय कुल कितना स्टाफ कार्य कर रहा है और उनके ठहरने का प्रबन्ध क्या है?

डाक्टर सीताराम—केन्द्र पर इस समय कुल २० कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उनके ठहरने का प्रबन्ध करना सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है, क्योंकि उनकी नौकरी में ऐसी कोई शर्त नहीं है।

*९—११—**श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)—[२० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१२—**श्री रामदुलारे मिश्र**—[४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१३—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—[४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१४—**श्री देवदत्त मिश्र**—[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५—१६—**श्री रामलखन मिश्र** (जिला बस्ती)—[४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*१७—**श्री रामलखन मिश्र**—[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१८—१९—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२०—**श्री रामचन्द्र विकल**—[४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१—२३—**श्री गज्जू राम** (जिला झांसी)—[२० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२४—२५—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न ८ श्री रामदास आर्य ने पूछा।

*२६—**श्री ब्रजविहारी मिश्र** (जिला आजमगढ़)—[२० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२७—**श्री जगदीश सरन** (जिला बरेली)—[२० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२८—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

उन्नाव जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस न मुआफ होना

*२९—**श्री देवदत्त मिश्र**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गंगा नदी मे बाढ़ आने के फलस्वरूप उन्नाव जिले के बाढ़ ग्रस्त किन-किन गांवों के विद्यार्थियों की फीस माफ की गई है और कितनी कितनी और यदि नहीं, तो क्यो ?

डाक्टर सीताराम—उन्नाव जिले मे गंगा नदी मे बाढ़ आने के फलस्वरूप फीस की माफी नहीं दी गई। यह सहायता केवल उन सोलह पूर्वी जिलो मे दी गई है जिसके निवासियो की आर्थिक दशा पिछले पांच छः साल से प्राकृतिक विपत्तियो के कारण बहुत खराब हो गई है। लेकिन उन्नाव जिला के बाढ़ पीड़ित किसानो को इस वर्ष निर्मूल्य सहायता तथा तकावी भी दी गई है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री बाढ़ पीड़ितो की दुर्दशा को देखते हुए अब यदि इस प्रकार सहायता के आवेदन पत्र आये तो उन पर विचार करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—अब तो प्रश्न इस साल उठता नहीं।

बरसरी छात्रवृत्ति की व्यवस्था

*३०—**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरसरी (Burcery) छात्रवृत्ति के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह कितने छात्रो को किन-किन आधारों पर दी जाती है और उसके लिये सरकार को प्रतिवर्ष कितना रुपया व्यय करना पड़ता है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां। इलाहाबाद, लखनऊ और आगरा विश्वविद्यालयो के निर्धन तथा मेधावी प्रत्येक छात्र को ६० रुपये प्रति मास के हिसाब से २०० छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे ही छात्रों को पुस्तकों के क्रय के लिये १०० रुपये तक की आर्थिक सहायता भी प्रति वर्ष दी जाती है। प्रति वर्ष इस मद में १,५०,००० रुपया व्यय होता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह छात्रवृत्ति किसकी सिफारिश से दी जाती है और किसके द्वारा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह इम्तहान में जो नम्बर उनको मिलते है उनकी सिफारिश पर दी जाती है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या इस छात्रवृत्ति में से निर्धन तथा मेधावी पिछड़ी और परिगणित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दो जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

बस्ती जिले में बाढ़ ध्वस्त स्कूली इमारतों की मरम्मत के लिए सहायता

*३१—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में विगत बाढ़ से जिला बोर्ड के किन-किन स्कूलों को व किन हायर सेकेंडरी स्कूलों की इमारतों को हानि पहुंची है ?

डाक्टर सीताराम—हायर सेकेंडरी व जूनियर स्कूलों से सम्बन्धित सूचना संलग्न तालिका "अ" के कालम २ में स्पष्ट है। जिला बोर्ड बस्ती के जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूलों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना संलग्न तालिका "ब" के कालम १ में स्पष्ट है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७२–३७३ पर)

*३२—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्ड की ओर से व प्रत्येक हायर सेकेन्ड्री स्कूलों की ओर से भवनों के पुनः निर्माण व मरम्मत के लिये कितने-कितने रुपये की मांग प्रस्तुत हुई है ?

डाक्टर सीताराम—आवश्यक सूचना संलग्न तालिका "अ" के कालम ४ में तथा संलग्न तालिका "ब" के कालम २ में स्पष्ट है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७२–३७३ पर)

*३३—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक जिला बोर्ड को तथा हायर सेकेन्डरी स्कूलों को कितनी-कितनी सहायता दी गई है या दी जाने वाली है ?

डाक्टर सीताराम—अभी तक जो सहायता हायर सेकेन्डरी और जूनियर स्कूलों को दी गई है वह संलग्न तालिका "अ" के कालम ५ में अंकित है और जो सहायता जिला बोर्ड बस्ती को दी गयी है वह संलग्न तालिका "ब" के कालम ३ में स्पष्ट है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७२–३७३ पर)

*३४—श्री मुहम्मद नसीर (जिला फैजाबाद)—[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

मुजफ्फरनगर जिले की शिक्षा संस्थाओं को सहायता

*३६—श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर सहारनपुर में अलग-अलग कुल कितने डिग्री कालेज, इन्टर कालेज तथा हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं तथा उनको क्या क्या सहायता सरकार से मिल रही है ?

डाक्टर सीताराम- मुजफ्फरनगर में २ डिग्री कालेज, १९ इन्टर कालेज तथा २० हाई स्कूल।

सहारनपुर में १ डिग्री कालेज, २४ इन्टर कालेज तथा १४ हाई स्कूल।

उपर्युक्त जिलों में से प्रत्येक में सहायता प्राप्त विद्यालयों की एक †तालिका सदस्य महोदय के मेज पर रख दी गई है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३१–३३ श्री धनुषधारी पांडेय ने पूछे।
† तालिका छापी नहीं गयी।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि तालिका के स्तम्भ ४ और ५ में जो अनुपालन और अतिरिक्त अनुपालन की आर्थिक सहायता दी जाती है वह किन-किन आधार पर दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--कायदा यह है कि जितना खर्चा होता है उसके लिये एप्रूव्ड इन्कम और एप्रूव्ड एक्सपैन्डीचर का जो अन्तर होता है या जो अप्रूव्ड एक्सपैन्डीचर का आधा होता है दोनों में जो कम हो उतनी ही मेंटेनेन्स के लिये अनुपालन ग्रान्ट दी जाती है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इस सहायता में जो खर्चा किसी स्कूल का होता है क्या उसमें अनट्रेन्ड टीचरों का भी खर्चा सम्मिलित है या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, उसमें जब तक यह साबित न हो जाय कि उस विषय के ट्रेन्ड टीचर नहीं मिलते हैं ?

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सहायता के देने के लिये क्या कोई वार्षिक कमेटी होती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, इसकी कोई वार्षिक कमेटी नहीं होती है। हर एक स्कूल अपना हिसाब बना कर भेजता है उसको देखने के बाद यह अनुपालन की धनराशि कितनी हुई निश्चित होती है।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इसके निर्धारण के लिये अन्तिम तिथि प्रत्येक वर्ष में कौन सी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--निर्धारण के लिये कोई तिथि निश्चित नहीं होती लेकिन शायद हर जनवरी या फरवरी में हर तीन महीने पर साल में चार बार चार इन्स्टालमेंट्स में यह रकम दी जाती है और सितम्बर तथा अक्तूबर तक यह हिसाब पहुंच जाना चाहिये।

*३७--श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)--[४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३८-३९--श्री रामसुन्दर राम--[२० अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०-४१--श्री गोवर्द्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--[१० अप्रैल, १९५६ के लिये प्रश्न ७५-७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फीस की मुआफी के लिए सिविल तथा हीवट इंजीनियरिंग कालेजों के हरिजन विद्यार्थियों का प्रार्थना-पत्र

*४२--श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--क्या सरकार प्रश्न सं० ७३ दिनांक २५-११-५५ के सम्बन्ध में बतायेंगी कि सिविल इन्जीनियरिंग और हीवट इंजीनियरिंग स्कूलों के छात्रों द्वारा उसे प्रार्थना-पत्र कब प्राप्त हुआ और प्रार्थना-पत्र में छात्रों की मुख्य-मुख्य क्या मांगें थीं तथा सरकार ने उन मांगों को कहां तक पूरा किया ?

डाक्टर सीताराम--प्रार्थना-पत्र २६-८-५५ को प्राप्त हुआ था। उसमें छात्रों ने फीस माफ कराने की मांग की थी जो पूरी कर दी गई है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कब उनकी यह मांग पूरी की गयी ? जब उन्होंने प्रार्थना-पत्र २६-८-५५ को दिया था तो उसके मंजूर होने में कितना समय लगा ?

डाक्टर सीताराम—उनकी फीस फरवरी, ५६ से पूरी माफ की गयी थी। जैसा कि प्रश्नोत्तर में बताया गया उनका प्रार्थना-पत्र २६—८—५५ को आया था। देरी होने का कारण यह था कि ईस्ट और सिविल इंजीनियरिंग स्कूलों में अभी तक परिगणित जाति के छात्र नहीं पढ़ते थे अतः वहां के अधिकारियों ने फीस ली थी। फीस लगाने के पश्चात् विद्यार्थियों ने अपने आवेदन-पत्र हरिजन संचालक को प्रस्तुत किये। उन्होंने शासन को लिखा। शासन द्वारा आज्ञा दिये जाने पर उनकी फीस माफ की गयी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या यह सत्य है कि जिन छात्रों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे, उनका यह सेकेंड ईयर है और गत वर्ष वे फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां अगर इस साल वे सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं तो अवश्य ही वह गत वर्ष फर्स्ट ईयर में पढ़ते होंगे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी उन प्रार्थना-पत्रों को देखने के बाद यह पता लगायेंगे कि उनमें से एक दो लड़के इस साल सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं और गत वर्ष फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार को मालूम है कि इनमें से कुछ छात्र गत वर्ष भी इंजीनियरिंग स्कूलों में पढ़ते थे ?

श्री अध्यक्ष—आप जिस मतलब से प्रश्न पूछना चाहते हैं उसको साफ कहें। आप क्रास एक्जामिनेशन करते हैं, प्रश्न का एक हिस्सा लेते हैं और उद्देश्य को छिपाकर रखते हैं। आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसे साफ पूछें।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो छात्र पिछले साल इंजीनियरिंग स्कूलों में पढ़ते थे उनकी फीस जुलाई में ही क्यों माफ नहीं की गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पहले चूंकि वहां परिगणित जाति के लड़के नहीं पढ़ते थे इसलिये कोई आदेश उनके पास नहीं भेजे गये थे। अब तक जिन हरिजन विद्यार्थियों की फीस माफ की जाती थी वह जनरल एजूकेशन में की जाती थी और वहां आदेश भी थे। यहां से जब उन विद्यार्थियों ने प्रार्थना-पत्र भेजे तो यह आवश्यकता महसूस की गयी कि इन हरिजन विद्यार्थियों को भी फीस दी जाय। इसके अनुसार आदेश यहां भी भेज दिये गये।

सिकन्दराबाद तहसील में हरिजनों के लिए कुएं

*४३—**श्री रामचन्द्र विकल (अनुपस्थित)**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हरिजनों के पानी पीने के कितने कुयें तहसील सिकन्दराबाद में बनाये गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—२२।

इनका ब्योरा निम्नांकित है:—

वर्ष				संख्या
१९५२—५३	..	..	..	१०
१९५३—५४	..	..	..	६
१९५४—५५	..	..	..	२
१९५५—५६	..	..	..	४
			योग ..	२२

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अस्थायी अध्यापक

*४४—श्री गोवर्द्धन तिवारी—क्या यह सही है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अस्थायी अध्यापकों को सरकार द्वारा पृथक किर दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

*४५—श्री गोवर्द्धन तिवारी—यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और क्यों उन्हें पृथक किया गया है ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नही उठता ।

श्री गोवर्द्धन तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि राज्य के सभी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी अध्यापकों की संख्या कितनी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस समय यह तो पता नहीं है लेकिन अभी कुछ दिन हुए पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे जिनमें मेरे खयाल से करीब १२३ या १२८ प्रार्थना-पत्र अस्थायी अध्यापकों के आये ।

श्री गोवर्द्धन तिवारी—जो अध्यापक अभी अस्थायी है उनको स्थायी क्यो नही किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उनको स्थायी करने का अधिकार सरकार को नही है । वे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ही स्थायी हो सकते है, यदि वे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुन लिये जायेंगे । उसने कुछ आदमियों को चुन कर भेजा भी है लेकिन चूंकि इस वक्त स्कूलो में कोई नियुक्ति करने से यह आशंका थी कि उनके पठन पाठन में गड़बड़ी होगी इसलिये यही उचित समझा गया कि इस समय उसको रोक दिया जाय । जून में यह नियुक्तिया कर दी जांयगी । जो अस्थायी है, जो चुने नहीं गये है उनको तो नोटिस दे ही दिया गया है ।

श्री गोवर्द्धन तिवारी—क्या यह सही है कि कई अस्थायी अध्यापकों को कार्य करते हुये ५ साल से ज्यादा हो गए है लेकिन उनके नाम सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं भेजे है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पब्लिक सर्विस कमीशन को नाम भेजने का कोई तरीका नहीं है, यह ठीक है कि उन मे से बहुत से ५ या ७ साल से अस्थायी काम कर रहे है और उन्हें हर साल आखिर में नोटिस मिल जाता था और स्कूल खुलने पर फिर उनको रख लिया जाता था, नाम भेजने की कोई प्रथा नहीं है । जितनी जगह होती है विज्ञापन द्वारा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भरी जाती है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने अध्यापकों के लिए विज्ञापन निकाला गया है और कितने स्थान हाई स्कूल में अभी रिक्त है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो मुझे इस समय याद नहीं है कि कितने के लिए विज्ञापन निकाला गया था लेकिन जहां तक मुझे याद है और मुझे मालूम है वह अस्थायी अध्यापक करीब १२३ के थे जो काम कर रहे थे और बकीया कितने अस्थायी ले लिए गए है इसकी सूची मेरे पास नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार उन अध्यापकों को जिन को नोटिस दिया गया है कि उनकी जून में सर्विस समाप्त हो जायगी, एक मौका और देगी कि वे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा चुने जा सकें, क्या वह उनके नोटिस वापस करने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—सच बात तो यह है कि उनको हर साल ही नोटिस दी जाती थी लेकिन स्कूल खुलने पर उनको फिर रख लिया जाता था और जब जब पब्लिक सर्विस से विज्ञापन हो उन को अधिकार है कि वे दरख्वास्त देकर उसके द्वारा चुने जायं लेकिन इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती ।

बांदा जिले के करवी या राजापुर में हरिजन छात्रावास खोलने की प्रार्थना

*४६—**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बांदा जिले के करवी या राजापुर में हरिजन छात्रावास खोलने के लिये सोच रही है ?

डाक्टर सीताराम—इस विषय का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है ।

*४७—**श्री जगपति सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पास इस विषय के प्रार्थना-पत्र बांदा के हरिजनों की ओर से आ चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम—हरिजनों ने स्वयं तो नहीं, पर एक स्थानीय विधान सभा के सदस्य ने एक पत्र भेजा है ।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्होंने ऐसी कोई नीति बना ली है कि हर जिले में कम से कम एक हरिजन छात्रावास होगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा नियम तो नहीं बनाया गया है । लेकिन इस समय सरकार करीब-करीब हर जिले में एक छात्रावास मेंटेन करती है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि जिन विधान सभा के सदस्य महोदय ने यह पत्र दिया है वह हरिजन है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ?

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी भाषा में लिखित थीसिस की अस्वीकृति

*४८—**श्री ब्रजविहारी मिश्र**—क्या यह सही है कि श्री अर्जुन मिश्र, वार्डन डी० ए० वी० कालेज होस्टल, मोतीनगर लखनऊ ने "न्याय वैशेषिक दर्शन में जाति या सामान्य का विवेचन" पर एक बृहद् निबन्ध (थीसिस) हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करने के लिये उपकुलपति से आज्ञा मांगी थी ?

डाक्टर सीताराम—जी हां ।

*४९—**श्री ब्रजविहारी मिश्र**—क्या यह सही है कि उक्त श्री अर्जुन मिश्र को रजिस्ट्रार, लखनऊ विश्वविद्यालय ने पत्र-संख्या २९८९७ दिनांक दिसम्बर २२, १९५५ द्वारा यह सूचना दी है कि उपकुलपति ने आदेश दिया है कि उक्त थीसिस हिन्दी भाषा में न होकर अंग्रेजी में दी जावे ।

डाक्टर सीताराम—जी हां । वर्तमान अध्यादेशों के अन्तर्गत और अनुकृत प्रणाली के अनुसार शिक्षार्थी को बृहद निबन्ध अंग्रेजी में प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया था । किन्तु उन्हें अब हिन्दी में बृहद निबन्ध प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई है और इसके साथ ही उसका संक्षिप्त सार अंग्रेजी में प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है जिसका व्यय विश्वविद्यालय स्वयं वहन करेगा ।

नोट—तारांकित प्रश्न ४६—४७ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे ।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह अध्यादेश, नियम या कार्य प्रणाली कौन सी है जिस के अनुसार थीसिस अंग्रेजी में देने का आदेश दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह अध्यादेश यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित है, कोई सरकारी अध्यादेश नहीं है, उनके नियमों के अनुकूल थीसिस अंग्रेजी में होना चाहिये।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की कोर्ट ने २९-३-४८ को एक प्रस्ताव पास कर दिया था कि शिक्षार्थी डाक्टरेक्ट की डिग्री के लिये अंग्रेजी में अथवा देवनागरी लिपि, हिन्दी मे निबन्ध प्रस्तुत कर सकता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कोर्ट में इस प्रकार का प्रस्ताव पास हुआ या नहीं इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन अगर पास कर दिया है और अध्यादेश में यह बात हो गई होगी तो ऐसा ही नियम लागू होगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि सन् ४९ मे राजनैतिक विभाग में एक थीसिस हिन्दी में प्रस्तुत किया जा चुका है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—उत्तर से स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी में थीसिस दिया जा सकता है लेकिन कुछ संक्षेप में अंग्रेजी में भी दे देना थीसिस देने वाले के लिए सुविधाजनक होना चाहिए।

अनिवार्य शिक्षा देने वाली नगरपालिकायें

*५०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा योजना सम्प्रति लागू है ?

डाक्टर सीताराम—९४ नगरपालिकाओं में बालकों के लिये तथा १० नगर-पालिकाओं में बालिकाओं के लिये जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३७४-३७६ पर)

*५१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी सन् ५६ से प्रदेश की किन-किन नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने की तैयारी है ?

डाक्टर सीताराम—२ नगर पालिकाओं में।

(१) नगरपालिका, शामली।
(२) नगरपालिका, बस्ती।

*५२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय सरकार का चालू वित्तीय वर्ष में चालू योजना में कितना रुपया व्यय हुआ है तथा जनवरी सन् १९५६ से कितना रुपया और व्यय होगा ?

डाक्टर सीताराम—चालू वित्तीय वर्ष में चालू योजना पर :

दिसम्बर ३१, १९५५ तक का व्यय : ३२,१७,९०० रु०।
जनवरी १९५६ से व्यय : ३०,२३,५०० रु०।

श्री रामसुन्दर पांडेय— क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बालिकाओं के लिये अनिवार्य शिक्षा केवल १० नगरपालिकाओं में ही क्यों है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५६ में दो ही नगरपालिकाओं ने सरकार के पास अनिवार्य शिक्षा लागू करने के लिये प्रार्थना-पत्र क्यों दिये हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—हां, दिये होंगे।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन नगरपालिकाओं के अलावा और अधिक नगरपालिकाओं में जल्दी से शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय तो उसमें क्या कठिनाइयां हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—एक कठिनाई तो नगरपालिकाओं की खुद की ही है। उसमें उनको एक आंशिक खर्चा बर्दाश्त करना पड़ता है और जब वे अपना आंशिक खर्चा बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते हैं तभी यह सम्भव होता है कि सरकार वहां कम्पलसरी एजूकेशन रख सके।

श्री परमेश्वरी दयाल (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों की नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा बिल्कुल ही लागू नहीं है?

श्री अध्यक्ष—कहां-कहां लागू है यह तो जवाब में बता दिया गया है। जो बाकी रह जाती हैं उनमें नहीं है। इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू की जाती है उनका चुनाव किस आधार पर किया जाता है?

श्री हरगोविन्द सिंह—मैंने अर्ज किया कि उन्हीं नगरपालिकाओं का प्रश्न सरकार के सामने आता है जो अपना आंशिक व्यय बर्दाश्त करने को तैयार होती हैं।

श्री रामदास आर्य—क्या माननीय मंत्री जी संविधान की धारा ४५ को ध्यान में रख कर कोई ऐसी ठोस योजना इस अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में लागू करने का विचार रखते हैं जिससे प्रति वर्ष इतनी जगहों पर अनिवार्य शिक्षा लागू कर दी जायगी?

डाक्टर सीताराम—अब तो प्रान्त में सिर्फ २० म्यूनिसिपैलटीज बाकी रह गई हैं लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १५ म्यूनिसिपैलिटीज के लिये भी लागू की जा रही है। तो संविधान की धारा को तो स्वयं पूरा करते जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जो नगरपालिका अपना अंश देने को तैयार हो जायगी तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पर कम्पलसरी एजूकेशन कराने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, यह तो बता दिया कि प्रान्त में इस समय २० नगरपालिकाएं सिर्फ हैं और उनके लिये भी पंचवर्षीय योजना में रुपया दे दिया गया है और ज्यों-ज्यों वे अपना आंशिक व्यय बर्दाश्त करने के लिये तैयार होती जायंगी त्यों-त्यों वहां पर यह योजना लागू कर दी जायगी।

———

†६ मार्च, १९५६ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ से सम्बद्ध अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, तारीख ६ मार्च, १९५६ के माननीय कल्याणचन्द मोहिले जी के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नम्बर १ के अनुपूरक प्रश्न के जवाब में यह उत्तर टंका हुआ है—"१५ परिवारों को पचास, पचास फी कस"। उसके बजाय "१७ परिवारों को पचास, पचास फी कस" होना चाहिए इस की दुरुस्ती कर दी जाय।

नव भारत टाइम्स में श्री मदनमोहन उपाध्याय के भाषण को गलत ढंग से छापने पर आपत्ति

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दिल्ली से हमारे कुछ साथियों ने मेरे पास सन्देश भेजा है कि परसों आर्डिनेंस के सिलसिले में मेरा जो जवाब हुआ था, उसके सम्बन्ध में दिल्ली के अखबारों में और खासकर "नवभारत टाइम्स" में इस किस्म की खबर छपी है कि मैंने उस दिन गल्ला, केरोसिन तेल और तेलों पर जो टैक्स लगाया गया है उसका समर्थन किया था और सिर्फ तरीके का विरोध किया जिस तरह से टैक्स लगाया गया। लेकिन आप जानते ही हैं, आपके सामने सारा भाषण हुआ था। मैंने यह कहा था कि मैं डेवलपमेंट के लिए...

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है। लेकिन आप कुछ शिकायत करना चाहते हैं?

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैं यह चाहता था कि आप ही के जरिये से मैं कह दूं क्योंकि आप ही यहां की कार्यवाही के सम्बन्ध में सब से अधिक जानते हैं, बजाय इसके कि मैं हाउस के बाहर कोई स्टेटमेंट दूं। मैंने कहा था कि डेवलपमेंट के लिए टैक्स जरूरी है, पर मैंने इन टैक्सों का विरोध किया था।

श्री अध्यक्ष—इसके लिए दो ही तरीके हैं। या तो किसी अखबार ने अगर गलत छापा है तो आप उसके सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार का प्रश्न खड़ा करें। या मुझे मेरे कमरे में आ कर कह दें कि फलां अखबार ने ऐसा लिखा है, तो मैं उन अखबार वालों से कहूं और तीसरा तरीका सब से डायरेक्ट तरीका यह है कि आप प्रतिवाद छपवा दें। तो तीनों में से कोई तरीका यह नहीं है कि जो आप कह रहे हैं। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—मैंने तो यह सोचा था कि यह आल इंडिया इश्यू है और पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर हूं और मेरे बारे में ऐसी खबर हिन्दुस्तान के किसी कोने में जाय तो गलती हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—तो ठीक है आप प्रिवलेज का प्रश्न उठाते तो मैं सोच लेता, लेकिन वैसा आपने नहीं किया।

प्रश्नोत्तर सम्बन्धी शोधनों पर अनुपूरक प्रश्न करने की मांग

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा जब कोई सवाल का जवाब दिया जाता है और फिर से मंत्री जी की ओर से उसका स्पष्टीकरण किया जाता है तो माननीय सदस्यों को अवसर मिलना चाहिये कि उस पर अनुपूरक प्रश्न कर सकें, अगर प्रश्नों

---

† ६ मार्च, १९५६ की कार्यवाही में संशोधित उत्तर छपा है।

का समय शेष रहे तो । तो मेरा ख्याल है दूसरे दिन वह जवाब मिलना चाहिये हाउस में और उस पर सप्लीमेंट्री करने का अधिकार मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये एक नियम बना हुआ है सीधा कि आप फिर उसके ऊपर दूसरा सवाल कर दें मैं उसको मंजूर कर दूंगा । यानी कोई महत्व का सुधार हुआ है जिसके ऊपर आप पूरक प्रश्न उपस्थित कर सकते थे जिसको कि दूसरा उत्तर दिये जाने के कारण नहीं कर सके । तो ऐसे मौके पर आप दूसरा सवाल भेज दें और चाहे शार्ट नोटिस क्वेश्चन करके भेज दें । और मैं समझता हूं कि यदि उसमें कोई मालूमात हासिल करने की आवश्यकता नहीं होगी जिसमें तो मंत्री जी यहां पर जवाब दे देंगे । तो उस वक्त फिर पूरक प्रश्नों का नया तांता शुरू हो जायगा । लेकिन इस मौके पर पूरक प्रश्न आप नहीं दे सकते हैं । जो उत्तर आपने पाया है उसके अनुसार करेक्शन कर लें । मुझे इस बात की खुशी है कि जो पहले वर्षों तक गलत जवाब भी अगर हो गये हों तो उनमें सही कराने के लिए कोशिश नहीं होती थी यह तरीका माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि गलती दुरुस्त की जावे क्योंकि गलती हर एक से हो जाती है । मैं समझता हूं इस तरीके का सब को स्वागत करना चाहिये । इसमें एक मौका फिर प्रश्नों को उठाने का सदस्यों को और मिल जाता है और बहुत से प्रश्न वे कर सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो क्या मंत्री जी द्वारा जो उत्तर मिला है उस पर सप्लीमेंट्री किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—उसके लिये तो मैंने कहा आप मेरे पास अगर नया संशोधित उत्तर सुनने के बाद प्रश्न लिखित भेज दें तो एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भी आप नया पैदा कर सकते हैं ।

बनारस के विश्वनाथ मन्दिर हरिजन प्रवेश सत्याग्रह के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री रामसेवक यादव जी का एक कामरोको प्रस्ताव विश्वनाथ मन्दिर में हरिजनों की समस्या के सम्बन्ध मे आया है । मैं इस प्रश्न पर पहले निर्णय दे ही चुका हूं और नामंजूर कर चुका हूं । एक ही विषय के ऊपर दोबारा कामरोको प्रस्ताव नहीं आता है उसी विषय पर जिसको मैं नामंजूर कर चुका हूं । इसलिये इसको मैं पढ़ कर सुनाता भी नहीं और इजाजत नहीं देता ।

बिक्री कर अध्यादेश के विरुद्ध प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी वर्षा के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा कामरोको प्रस्ताव श्री रामेश्वरलाल जी का है बिक्री कर के सम्बन्ध मे जो इस प्रकार है—"कल तारीख ५ अप्रैल, १९५६ को लखनऊ में बिक्री कर अध्यादेश के विरुद्ध शान्तिप्रिय प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने निर्दयता के साथ लाठी वर्षा की। पुलिस के इस गैरजनतांत्रिक रवैये से आम जनता में विक्षोभ की भावना पैदा हो गई । अतः सदन इस विषय तथा आवश्यक परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज का अपना कार्य स्थगित करता है" ।

इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई इस विषय में जानकारी नहीं दी गई है कि कहां से इस विषय की खबर आयी । मैं समझता हूं कि केवल अखबार में सब ने यही खबर पढ़ी है

[श्री अध्यक्ष]

और यह प्रस्ताव अखबारी खबर पर आधारित है, क्योंकि किस पर आधारित है यह इसमें कुछ नहीं लिखा है। तो मैं यह समझता हूं कि यह निश्चित नहीं है और इस कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

बिक्री कर अध्यादेश के कारण प्रान्तव्यापी हड़ताल के विषय पर विचारार्थ कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--तीसरा श्री गेंदासिंह जी का है। श्री गेंदा सिंह जी ने यह प्रस्ताव भेजा है कि अध्यादेश की वजह से जो टैक्स वगैरह लगे हैं उनके कारण प्रान्तव्यापी हड़ताल चल रही है, उसके सम्बन्ध में विचार करने के लिए सदन का काम स्थगित किया जाय। इस विषय के ऊपर कल ही अध्यादेश का अननुमोदन करके उसे डिसएप्रूव करने के सम्बन्ध में बहस हो चुकी है। उसमें सभी विषय आ ही चुके हैं और हड़ताल कल भी चल रही थी। आज यह कोई नयी चीज नहीं है। तो इसलिए मैं इसकी भी इजाजत नहीं देता हूं कि इस विषय के ऊपर कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, इसमें अध्यादेश का कोई जिक्र ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--लेकिन वह सब विषय आ चुका है बहस में। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

कार्यसूची में छपे कतिपय कार्यों का स्थगन

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कामनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसियेशन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव उपस्थित करना था लेकिन मैं आपसे इस बात की इजाजत चाहता हूं कि वह आज न पेश करके किसी और दिन पेश किया जाय। इसके सम्बन्ध में मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता से भी बात कर लूंगा और फिर इसके बाद उसे उपस्थित करूंगा।

श्री अध्यक्ष--वह बात यह थी कि कल तो जरूर यह बात तय हुई थी कि आज यह जो तीसरा आइटम है वह लिया जायगा लेकिन चूंकि उसके पहले यह कहा गया था कि दूसरे नम्बर के ऊपर जो प्रस्ताव है वह ६ तारीख को लिया जायगा, इसलिए उसे कार्यक्रम में मैंने रख दिया है। लेकिन आज के लिए कल यही बात तय हुई थी कि तीसरे नम्बर का जो प्रस्ताव है वही आज लिया जायगा। तो इसमें कोई आपत्ति तो नहीं है (नेता विरोधी दल से) आपको नम्बर २ आज न लिए जाने में. . . .

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एस० आर० सी० की भी जो बहस आज होने को तय है उसको भी मैं सोचता हूं कि किसी कारणवश ऐसा तय हुआ था कि आज उसके ऊपर बहस हम कर लें। लेकिन विन्ध्य प्रदेश ने तो अपना फैसला कर लिया जो कुछ उसे करना था। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि ९ तारीख को इसे रखने का जो पहले विचार हुआ था, वही रखा जाय, यानी ९ तारीख को ही इस पर विचार किया जाय और आज हम जो दूसरे कार्य एजेंडे पर हैं उन पर विचार कर लें। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आज उसको भी मुल्तवी कर दिया जाय। कामनवेल्थ वाले को भी और इसको भी दोनों को मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, इस पर मुझे भी निवेदन करना है कि कल आपने सरकार की नीति और जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी विरोधी दल है उसके नेता की नीति सुन ली थी और उन्होंने यह स्पष्ट कहा था कि अब उन्होंने तमाम लोगों की सम्मति ले ली है और ९ तारीख को ही इस पर विचार कर लिया जाय। श्रीमन्, समाचार पत्रों में बराबर यह बात आ चुकी है कि १० तारीख को इस बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसी हालत में बनारस में.......

श्री अध्यक्ष—पहले यह तो मालूम पड़े कि आप विरोध कर रहे हैं या.... .

श्री राजनारायण—हां, मैं विरोध कर रहा हूं। इसलिए श्रीमन् किसी पार्टी की वजह से कोई तिथि बदलना नहीं चाहिए क्योंकि इस बात को आप भी जानते हैं श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी भी जानते हैं और माननीय गेंदासिंह जी भी जानते हैं कि मैं नहीं रहूंगा ९ तारीख को। (शोर) जरा सुन लीजिए। ९ तारीख को श्रीमन्, यहां से सबेरे ही चला जाना है और मैं तो यहां से ७ को ही चला जाऊंगा क्योंकि प्रदर्शन होंगे तो उसकी तैयारी भी होगी। इसलिए ९ के लिए यह न रक्खा जाय। जहां तक माननीय मुख्य मंत्री जी का पहला प्रस्ताव है कामनवेल्थ के बारे में हमने इसके बारे में पहले ही निवेदन कर दिया था क्योंकि मैं कामनवेल्थ एसोसियेशन का सदस्य रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—पहले तो आप यह बताइए कि आप इसे पोस्टपोन करने के पक्ष में हैं या नहीं?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं कि गत वर्ष भी यह प्रश्न उठा था और मैंने अपनी राय निवेदन की थी.....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके यह बतायें कि आज यह लिया जाय या न लिया जाय।

श्री राजनारायण—मैं चाहता हूं कि आज लिया जाय। क्यों मैं चाहता हूं कि पोस्टपोन न किया जाय इसका कारण मैं बता चुका हूं कि नौ और दस को मैं यहां नहीं रहूंगा। गत वर्ष भी हमने अपनी निश्चित राय निवेदन की थी और माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में भी निवेदन किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी हमारी राय को मान गए थे मगर न मालूम क्या परिस्थिति चेंज हुई कि यह ऐसा हो रहा है। जब कि सरकार को यह मालूम है कि नौ और दस को प्रान्त व्यापी प्रदर्शन का प्रोग्राम है तो मैं चाहता हूं कि इसको आज ही लिया जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, यह लाचारी है कि श्री राजनारायण जी ने जो विचार प्रकट किए उनसे मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूं। आबस्टिनेसी या हठ की बात जैसा कि उन्होंने कहा कि एक मर्तबा जब फैसला हो चुका तो उस फैसले को बदला न जाय, यह आबस्टिनेसी, हठ के लिए एक जानवर का नाम आता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा यह अधिकार है कि हम चाहें तो एक निश्चय को बदल कर दूसरा निश्चय कर सकते हैं और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर नौ को लेने में सुविधा हो तो नौ को ही ले लिया जाय, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि यह प्रस्ताव कामन वेल्थ पार्लियामेंट की असोसिएशन की ब्रांच खोलने का यहां आये तो इंटर-यूनियन पार्लियामेंटरी ब्रांच खोलने की बात पर भी विचार करके एक प्रस्ताव यहां आ जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष-- यह प्रश्न इतना ही विचारणीय है कि यह दोनों प्रस्ताव आज लिये जायं या आज स्थगित कर दिये जायं और तीसरे नम्बर पर जो प्रस्ताव है उसके बारे में तो तिथि भी निश्चित होनी है जिसमें ९ तारीख तक यह कार्यवाही में आ जाए । ९ तारीख के बारे में मैं मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा क्योंकि उन्होंने कुछ नही कहा। यह तीसरे नम्बर पर जो प्रस्ताव है वह कब लेना चाहेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय गेंदासिंह जी ने जो प्रस्ताव किया है मैं उससे सहमत हूं ९ तारीख के लिए।

श्री अध्यक्ष--तो तीसरे नम्बर के बारे मे यह तय है कि ९ तारीख को उस पर बहस सदस्य चाहते है?

श्री राजनारायण--श्रीमन्, सम्मति ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष--आप मेरा काम न करे, मै अपना काम कर रहा हूं। दूसरे के बारे मे कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है, यानी स्थगित करने के लिए सिर्फ कहा गया है इस प्रस्ताव को। माननीय राजनारायण जी दोनों के दोनों सुझावों के खिलाफ है। वह यह कहते है कि दोनों आज ही लेने चाहिये।

श्री राजनारायण--मैं निवेदन कर दूं कि अगर यह अनिश्चित काल के लिए दूसरा स्थगित हो जाता है तो मेरा क्या विरोध है? मैं तो चाहता हूं कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय और यदि लाना चाहते है तो आज ही आ जाय।

श्री अध्यक्ष--आपको गलतफहमी है। पहले भी कोई निश्चित समय नहीं तय हुआ था। न तारीख १० के लिए हुआ, न ९ के लिए हुआ था। सुझाव यह था कि बाद मे हम तय कर लेगे कि किस तारीख को लिया जायगा।

श्री राजनारायण--पासिबिलिटी थी ९-१० की।

श्री अध्यक्ष--किसी पासिबिलिटी को तो आप अपोज नहीं कर सकते है।

तो दूसरे नम्बर के प्रस्ताव के बारे मे तो एक मत है, कोई मतभेद नहीं है कि आज न लिया जाय। तो यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। आगे कोई तारीख होगी तो लिया जायगा।

तीसरे नम्बर के प्रस्ताव के बारे में मै राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि कार्यक्रम में तीसरे नम्बर पर जो प्रस्ताव नेता सदन उपस्थित करने वाले थे, वह आज न लेकर ९ तारीख को लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी, इस बीच में निम्न कार्यवाही हुयी)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, जब सदन में कुल एक ही आवाज हो तो क्या तब भी डिवीजन मांगी जा सकती है? मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--वह आवाज चाहे एक हो, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सी आवाजें हो सकती हैं मुझे उसका अन्दाज नहीं और मैं आवाज गिनता नहीं। मैं आवाजें सुन कर 'हां' या 'नहीं' की संख्या कम है या ज्यादा है केवल इस का अन्दाजा लगाता हूं।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१३१,
विपक्ष में--५ ।)

*उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब माल मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश भूमि–व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय तथा उसको संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संशोधनों पर विचार होगा ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—जो तत्काल इस पर संशोधन ले आवेंगे उनको आज्ञा दे दी जावेगी ?

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी पक्ष की ओर से यह बराबर कहा जाता है कि भूमिव्यवस्था कानून एक निहायत ही क्रांतिकारी कानून है इसलिये कि इसमें सारे प्रदेश के कृषि के इंतजाम को तबदील कर दिया है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, क्या हाउस में बोलते समय पतलून में हाथ डालकर बोला जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह प्रश्न उचित नहीं मालूम होता, वैधानिक प्रश्न नहीं है ।

श्री रामसेवक यादव—माननीय सदस्य मालूम होता है कि अभी इम्तिहान दे रहे हैं उसी का असर है । खैर यह क्रांतिकारी कदम जो सरकार की ओर से उठाया गया है वह चार वर्ष हुये, सन् ५२ में यह कानून बना था और आज सन् १९५६ में चार वर्ष के अन्दर चौथी तरमीम है जो इस सदन के सामने है । चार बार कानून में तबदीली होने के बाद भी अगर हम इस विधेयक को देखते हैं तो हम इसमें बहुत बड़ी कमी पाते हैं । जो यहां के किसानों की आकांक्षा है, जो उनकी मांग है उसको यह कानून पूरा नहीं कर पाता । जैसा कि माननीय राजनारायण सिंह जी का प्रस्ताव है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति को दिया जाय और इसके स्वरूप को व्यापक बनाया जाय । मैं इस सिलसिले में निवेदन करूंगा और समर्थन करूंगा कि इसके स्वरूप को बढ़ाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है इसलिये कि न तो मूल कानून में ही और न इस संशोधन में इस तरह की व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय ने की है जिससे जमीन के बटवारे का प्रश्न उठे, जिससे यह पता चले कि यह क्रांतिकारी कानून जो चार बार संशोधित हो चुका है उसमें कहीं पर भी भूमिव्यवस्था की उसूली तब्दीलियों का प्रश्न उठता है । यह भी नहीं है कि जिससे किसी प्रकार की लोगों को राहत मिले, भूमिहीनों को भूमि मिले और बैकवर्ड लोगों के बारे में जिनके बारे में यह सरकार कहा करती है कि हम बहुत प्रयत्नशील हैं उनकी तरक्की करने के लिए, इस भूमि व्यवस्था में उनको जमीन दिलाने के लिये, उनको रोजी और रोटी दिलाने के साधन दिलाने के लिये कहीं कोई जिक्र नहीं है । इसलिये इसके स्वरूप को वैधानिक बनाने की जरूरत है । न तो इस व्यवस्था में यह प्रदान किया गया है कि लगान में किसी प्रकार की कमी हो । चाहिये तो यह था इस नारे के मातहत कि जिनकी अलाभकर जोतें है, जिन जोतों से किसानों को लाभ नहीं होता है उनसे लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिये । लेकिन इसका इस बिल में कहीं पर कोई जिक्र नहीं आता है । अध्यक्ष महोदय, कोशिश की गयी माल मंत्री के द्वारा इसमें कंसालिडेशन के फ्रैगमेंटेशन को रोका जाय और इस सिलसिले में एक धारा लगायी जाय जिसमें यह व्यवस्था की गयी कि फ्रैगमेंटेशन को रोकने के लिये यह जरूरी है कि अगर कोई शख्स अपनी जमीन को ट्रांसफर करता है तो अपने से मिले हुये चक के मालिक को वह ट्रांसफर कर सकता है । इसको अगर गौर से देखा जाय तो यह प्रतीत होता है कि मंत्री महोदय ने एक बात तो ध्यान में रखी कि फ्रैगमेंटेशन नहीं होना चाहिये । तो जो कानून वह बनाने जा रहे है उससे फ्रैगमेंटेशन तो नहीं होगा लेकिन कन्सेन्ट्रेशन आफ होल्डिंग्ज हो सकता है । मान लीजिये कोई अपनी जमीन ट्रांसफर

---

* १८ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री राम सेवक यादव]

करना चाहता है और उसके पड़ोसी के पास एक बड़ा चक है। तो इस कानून के मातहत वह मजबूर होगा कि उस बड़े खातेदार को ही वह जमीन दे। तो अगर इस कानून को क्रांतिकारी बनाना है तो जहां इस विधेयक में फ्रेगमेंटेशन आफ होल्डिंग्ज को रोकने की बात की गयी है वहां यह भी रख दिया जाय कि कोई जमीन अगर ट्रांसफर होती है तो पहले वह जमीन उस गांव के हरिजन या बैकवर्ड जिसके पास कोई जमीन नहीं है उसके हाथ बेची जायगी और अगर दुर्भाग्य से उस गांव में कोई हरिजन या बैकवर्ड लोग नहीं हैं तो वह जमीन उन लोगों को दी जायगी जिनके पास कम जमीन है। तब जाकर इसका मकसद पूरा होगा नहीं तो एक तरफ आप फ्रेगमेंटेशन को रोकेंगे और दूसरी तरफ कन्सेन्ट्रेशन होगा उससे कोई लाभ नहीं हो सकेगा।

दूसरे इसमें मंत्री महोदय ने जुरिस्डिक्शन को चेज करने की कोशिश की है। यह आम शिकायत रही है और जब से इस कानून में तब्दीली होती आयी है, जो प्रैक्टिस में हैं खासतौर से वकील और अदालतें और उन्हें ज्यादा जो लड़ने वाली जनता है बड़ी परेशानी रही है। एक मुकदमा दीवानी में दायर होता है। वहां अधिवासी या असामी का ईश्यू बनता है। फिर माल में गया। अगर माल में दायर होता है तो दीवानी में गया। मंत्री महोदय ने सीरदारी के ईश्यू को तय करने की व्यवस्था दी है कि वह माल की अदालत में तय किया जाय। लेकिन यह कदम बहुत क्रांतिकारी नहीं है। यह हाफ हार्टेड लेजिस्लेशन है। इसलिये कि भूमिधर अभी बसते है और अगर किसी मुकदमें में जो माल की अदालत में दायर हो और भूमिधरी का ईश्यू बनेगा तो वह दीवानी में फैसले के लिये भेजा जायगा। तो जो मकसद मंत्री महोदय या आम जनता के दिमाग में इस बारे में हो सकता है वह यह कि मुकदमे का फैसला एक ही अदालत में हो। एक ही मुकदमे में दो तरह की पैरवी करने की गुंजाइश न रहे। केवल सीरदारों और अधिवासियों के लिये व्यवस्था कर देने और भूमिधरों के लिये व्यवस्था न करने से जो मंशा है इस तरमीम की वह पूरी नहीं हो सकती। अब भी इस तरह की बातें होंगी जब मुकदमें माल और दीवानी, दोनों अदालतों में चलेंगे। अगर हम चाहते हैं कि जो गरीब जनता है उसको दीवानी और माल दोनों अदालतों के दरवाजे खटखटाने से बचाया जाय तो जिस तरह से असामी, अधिवासी और सीरदारों के लिये व्यवस्था की गयी है उसी तरह से भूमिधरों के लिये भी की जाय। मैं चाहूंगा तो यह कि वे दीवानी अदालत में जायं क्योंकि दीवानी में बड़ा अच्छा फैसला होगा। माल की अदालत में जो फैसले होते हैं उसका हम लोगों को बहुत ज्यादा अनुभव है। वहां पर इस कदर करप्शन है और इतनी गड़बड़ी है कि हम उसके मुकाबिले में अदालत दीवानी को लाख दर्जे अच्छा पाते हैं सरकार की कोशिश होनी चाहिये अगर वह जनता के हित में कानून बनाना चाहती है कि यह भूमिधर, सीरदार और अधिवासी के जहां-जहां ईश्यू बनें उनका फैसला एक ही अदालत में होना चाहिये न कि दीवानी और माल अदालत दोनों में हो तो सरकार का यह कदम ठीक नहीं है और थोड़े दिनों बाद सरकार इस बात को महसूस करेगी और दूसरी तरमीम पेश करने के लिये मजबूर होगी और इससे सदन का समय जाया होगा।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज है कि वह भूमि जो इवैकुई प्रापर्टी है उसके मुकद्दमों का फैसला कौन करेगा? इस विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि उनका फैसला कस्टोडियन करेगा। अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रदेश में माल की अदालतें हैं, दीवानी अदालतें हैं और आपने यह व्यवस्था भी दी है कि यह अदालतें और मुकदमों का फैसला करेंगी तो फिर इवैकुई प्रापर्टी वाले मामलों में कस्टोडियन की क्या जरूरत है? इन्हीं अदालतों का फैसला हो सकता है और इवैकुई प्रापर्टी ऐक्ट को यह अदालतें ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हैं। कोई वजह नहीं मालूम होती है कि एक ही इलाके के बसने वाले कुछ लोग दीवानी अदालत में जायं, कुछ लोग माल की अदालत में जायं और कुछ लोग कस्टोडियन के पास जायं। इस तरह की लोगों को सुविधा होनी चाहिये और लेजिस्लेचर में यह खूबी होनी चाहिये कि एक ही तरह के मुकदमे एक ही अदालत में फैसल होने चाहिये और दो तीन जगह नहीं बांटे जाने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि हमारे यहां के कानूनों में रोजमर्रा तरमीम होती रहती है। मैं इसको अपोज नहीं करता हूं। अगर प्रैक्टिस में खामियां पायी जाती हैं और तरमीम की जरूरत है तो जरूर तरमीम होनी चाहिये। लेकिन आजकल सरकार इस तरह की तरमीम करने में आगा पीछा नहीं देखती है और साल-साल डेढ़ साल में तरमीम आती रहती है। मैं निवेदन करूंगा कि जमींदारी अबालिशन कानून कुछ ऐसा है और मैं तो कोई बड़ा वकील नहीं हूं और दो चार साल की मेरी प्रैक्टिस है। लेकिन जो बड़े-बड़े वकील हैं उनकी समझ में भी यह चीज नहीं आती है। और इसकी शिकायत करते हैं कि कैसा कानून बनाया गया है। कानून तो बिलकुल साफ होना चाहिये, यह तो ऐसा कानून है जिसका ताल्लुक सूबे की ८५ प्रतिशत ऐसी जनता से है जो निरक्षर है और वह आये दिन मुकद्दमों का शिकार होती रहती है चाहे इंदराज के सिल-सिले में हो या बेदखली के सिलसिले में हो और किसी और तरह की बात हो। मिसाल के तौर पर मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि धारा २०२ के मातहत जो बेदखली के मुकदमे होते हैं और भूमिधर तथा सीरदार अपने असामी को बेदखल कराते हैं वह लोग जो अयोग्य हैं खेती करने के लिये उसका इंटरप्रिटेशन अजीब होता है। आज उसके मातहत सफाई क्यों नहीं है और आये दिन मुकद्दमे दायर होते हैं। किसी किसान की जमीन उठी हुयी है और वह भूमिधर हो गया है तो मुकद्दमा चलता है और कोई मेडिकल सर्टीफिकेट लेकर आता है कि हमारा हाथ बेकार है। इस तरह से मुकदमें चलते हैं और ऊपर तक पहुंचते हैं। एक जगह नजीर पेश की गयी है कि फिजिकल इंफरमिटी उस हद तक नहीं मानी जायगी जब तक आदमी ऐसा अयोग्य न हो जाय कि वह सुपरवीजन भी न कर सके। इस तरह से आपने कानून में फिजिकल इंफरमिटी की व्यवस्था कर दी है। फिजिकल इंफरमिटी आप किस को लेंगे इसको ठिकाने से डिफाइन नहीं किया गया है। अगर यह ठीक कर दिया जाय तो अदालतों के ऊपर नहीं रहेगा कि वह फैसला करें कि कौन फिजीकल इंफरमिटी है और कौन फिजिकल इंफरमिटी नहीं है तो कानून में इन बातों को पूरा किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जो इसमें एम और आब्जेक्ट बताये गये है उसमें बताया गया है रियलाइजेशन आफ गांव समाज ड्यूज। इस सिलसिले में मैं यह तो नहीं कहूंगा कि माल मंत्री जी को अपने महकमे की जानकारी नहीं है लेकिन जहां यह परेशानी है वहां एक दूसरी तरफ उनका ध्यान नहीं गया है और मैं बताना चाहता हूं कि आज वहां क्या दशा है। हर गांव में और खास कर वहां जहां एक्स जमींदार है, वहां गांव समाज का प्रधान तो दूसरा व्यक्ति होता है लेकिन जोर जमींदारों का रहता है और वह गांव समाज अपनी भूमि का इंतजाम नहीं कर पाता है। उसके प्रोटेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। तहसीलदार आदि सब कान में तेल डाले बैठे रहते हैं और इसके बारे में इस अमेंडमेंट बिल में भी कोई जिक्र नहीं है। तो इसके बगैर अगर यह कानून बनता है तो इससे जनता का कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है।

इस कानून को बड़ा क्रांतिकारी कदम बताया गया है, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज, टाउन एरियाज और शहरों आदि में जो जमींदारियां है वह अभी भी बाकी हैं। सरकार ने इरादा भी जाहिर किया है कि हम उस तरफ कदम उठायेंगे, लेकिन उसका असर यह होता है कि लोग थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की ओर झुकते हैं और उसका बुरा असर गरीब जनता पर और लोगों पर होता है और फायदा बड़े लोग उठा जाते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय और इसके स्वरूप को और व्यापक बनाया जाय ताकि इसमें जमीन के बटवारे का प्रश्न हो, लगान में कमी करने की बात हो, जो अलाभकर जोतें हैं उनको लाभकर बनाने की बात हो और इसमें यह भी दिया जाय कि इतने से अधिक जमीन कोई नहीं रख सकता है और अगर कोई आदमी खेती नहीं करता है तो वह खेती नहीं रख सकता है और हरिजनों के लिये इसमें खास व्यवस्था होनी चाहिये कि जमीन जो बचे वह सब उनको दी जाय। इतना होने के बाद कोई फायदा इस बिल से हो सकता है वरना इस प्रकार के लेजिस्लेशन लाने से भले ही कुछ लोग संतुष्ट हो पायें या माल मंत्री जी सोच लें कि हमने एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर लिया

[श्री रामसेवक यादव]

लेकिन इससे वास्तव में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अगर उनका मतलब है कि वाकई में जनता को इससे फायदा पहुंचे और एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बने तो इन बातों को इसमें करना चाहिये। आज तो किसानों में भी दो क्लास हैं। वे दो तरह का लगान देते हैं। कुछ अधिवासी हैं और कुछ सीरदार हैं। किसानों की कौम तो एक होती है और अगर उनकी कौम इस तरह की हो . . . .

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—इसमें किसानों की कौम नहीं बनायी जा रही है।

श्री रामसेवक यादव—खैर, जो आप बना रहे हैं वह तो बनायेंगे ही, लेकिन दो क्लास बनाने का मतलब यह है कि किसानों को आपस में लड़ाया जाय। तो अगर हम चाहते हैं कि किसान अच्छी तरह से रहें तो उन सब को एक किस्म का आदमी होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक लगान के घटाने का सवाल है, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि क्या यह वही कांग्रेस है कि जिसने कभी फैसला किया था कि जब हम सरकार में आयेंगे तो किसान का लगान आधा कर देंगे। यहां मैं अपनी यह मांग नहीं कर रहा हूं, सोशलिस्ट पार्टी का तो बड़ा लम्बा प्रोग्राम है, इससे भी बहुत आगे, लेकिन मैं यहां इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिन जोतों से लाभ नहीं होता है उन पर लगान न लिया जाय। करांची कांग्रेस में श्रीमन्, कांग्रेस का यह प्रस्ताव था कि सरकार में आते ही हम हर जमीन पर लगान आधा कर देंगे। उसकी बड़ी हंसी और मजाक उड़ायी गयी। शायद माननीय मंत्री से यह कहा गया कि चूंकि अब करांची पाकिस्तान में चला गया है इसलिए उसके रेजूलूशन का क्या अब असर पड़ेगा ? किन्तु मेरा निवेदन यह है कि यह कोई पार्टी का प्रश्न नहीं है। अगर इसको ईमानदारी से सोचा जाय और अगर आप यह चाहते हैं कि यहां पर अग्रेरियन रिफार्म किये जायं तो सब को सम्पत्ति पैदा करने के साधन मिलने चाहिये। सब को रोजी रोटी कमाने के साधन मिलने चाहिये और सब को इस प्रकार के अधिकार प्राप्त होने चाहियें जिससे वह अपनी रोजी रोटी पैदा कर सके जिससे यह हरिजनों की समस्या सदैव के लिये दूर हो। जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मन्दिर की समस्या सामने है वह सब समस्यायें दूर हों। तो हर एक को रोजी रोटी कमाने का साधन देना चाहिये। हिन्दुस्तान में खेती, खासकर हमारे प्रान्त में खेती वह जरिया है जिसके ऊपर अधिकांश लोग अपनी रोजी रोटी का गुजारा करते हैं। अगर जमीन का बटवारा, लगान में कमी और हरिजनों को जमीन देने का प्रबन्ध नहीं करेंगे तो इससे वे स्वयं अपना रास्ता बनायेंगे और माननीय मंत्री जी कुछ कर नहीं पायेंगे।

श्री शिवनारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—५८,

विपक्ष में—१५।)

***श्री चरण सिंह**—अध्यक्ष महोदय, यह ५, ६ तकरीरें जो माननीय मित्रों की तरफ से मेरे प्रस्ताव के विरोध में हुई हैं उनमें जो बातें उन्होंने फरमाई उन तकरीरों के जरिये उनमें अधिकतर इर्रिलिवेन्ट हैं। इस बिल में या इस बिल के जरिये से जो संशोधन गवर्नमेंट कराना चाहती है इस बिल में उनसे उन तकरीरों और दलीलों का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुश्किल यह हो गयी है अध्यक्ष महोदय, कि जब कोई रेज्योलूशन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या कोई विधेयक महकमे माल की तरफ से आया तो एक चीज अर्थात् लैंड रिडिस्ट्रिब्यूशन की बात जरूर कही जाती है। चाहे वह लगती हो या नहीं लगती हो लेकिन उसका जिक्र जरूर किया जाता है चाहे उसका उससे कोई वास्ता हो न हो। चाहे कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स बिल हो तो भी लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल, चाहे ज्यूरिस्डिक्शन बदलने का प्रश्न हो तो भी लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल, चाहे मालगुजारी के सिलसिले में कोई प्रस्ताव हो तो भी लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल, तो अध्यक्ष महोदय, अब मुझे यह डर लगने लगा है कि कहीं म ट्रान्सपोर्ट के सिलसिले में कोई बिल लाऊं तो यह समझ कर कि यह चूंकि मालमंत्री ने पेश किया है यह लैंड डिस्ट्रिब्यूशन का सवाल पेश न कर दिया जाय। दूसरा डर यह है कि लैंड डिस्ट्रिब्यूशन एक ऐसा आबसेशन हो गया है कि कहीं माननीय मित्रों की तन्दुरुस्ती पर उसका खराब असर न पड़ जाय। मैं कई बार कह चुका हूं कि जहां तक भूमि व्यवस्था का ताल्लुक है उसके उसूल को वह राजनैतिक दल, जिस दल में इस गवर्नमेंट के मेम्बरान और जो मित्र इधर बैठे हुये हैं, वे इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं और मैं भी व्यक्तिगत हैसियत से उसको स्वीकार करता हूं। अब जो साहब यह कहते हैं कि इतना तो हुआ तो उनकी जानकारी के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि जब शायद उनके कुछ भी इसके मुताल्लिक विचार नहीं रहे होंगे उसके पहले से मेरे अपने विचार इसके सिलसिले में चले आ रहे हैं। लेकिन मेरा कथन केवल इतना है कि जहां तक अपने प्रदेश का इससे संबंध है भूमि वितरण का प्रश्न कोई प्रैक्टीकल सिगनीफिकेन्स का प्रश्न नहीं है। उसके लिये मैं आंकड़े बता चुका हूं, दलीलें दे चुका हूं। लेकिन चूंकि इन आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से तो दिया नहीं जा सकता और दलील दी नहीं जा सकती लिहाजा उसको केवल दुहराया जा रहा है। मैंने यह कहा था कि ५० एकड़ से बड़े खातों को अगर हम तोड़ते हैं और ५० एकड़ से अधिक का जितना रकबा है उसको ले लेते हैं तो साढ़े चार एकड़ के करीब जमीन हमें मिलेगी। लेकिन अगर हम प्लानिंग कमीशन की रिकमंडेशन्स को मानें तो जो शर्तें उन्होंने लगायी हैं उसके अनुसार उतनी जमीन भी हमें नहीं मिल सकती। फिर भी दूसरे महानुभाव और माननीय गेंदासिंह जी हमेशा यही बात कहते हैं।

श्री अध्यक्ष——माननीय गेंदा सिंह जी इस पर बोले ही नहीं हैं। आप पुरानी बात के ऊपर जवाब नहीं दे सकते।

श्री चरण सिंह——इसलिये मैं उसके सिलसिले में ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। कभी घंटों बहस हो तब मैं उसको ले सकता हूं। तो प्लानिंग कमीशन ने जो शर्तें लगायी हैं बड़ी होल्डिंग्स को लेने की, उन शर्तों के अनुसार साढ़े चार लाख एकड़ जमीन भी हमें नहीं मिलती है। अगर अपने आप ही रिडिस्ट्रिब्यूशन हो जाय, यानी जो खेती नहीं कर सकते हैं, या जो जमीन को खाली रखते हैं, उसका इंतजाम नहीं कर पाते तो इस कानून और दूसरे कानूनों के अनुसार यह जमीन को खाली नहीं रख सकते। और इसको अपने सूबे की परिस्थिति को देखते हुए यह गवर्नमेंट काफी समझती है। और भी कई कारण हैं, वह केवल आंकड़े ही नहीं हैं कि जिनकी वजह से अपने सूबे के हालात में यह चीज की जाय यह प्रश्न असली महत्व का है ही नहीं कि यहां लैंड का रिडिस्ट्रिब्यूशन किया जाय, केवल जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है वे ऐसी बात करते हैं। तराई का उन्होंने जिक्र किया, अगर प्लानिंग कमीशन की सिफारिश को देखें तो तराई का एक भी फार्म इसमें नहीं आयेगा, वहां तो ५० एकड़ क्या सौ एकड़ और उससे भी ज्यादा के फार्म हैं लेकिन प्लानिंग कमीशन की रिकमेन्डेशन के मुताबिक एक भी फार्म नहीं आता इसलिये मैं उनकी शर्तों का जिक्र करना नहीं चाहता। यहां है क्या, १,००० किसानों में से एक के पास भी ५० एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, उस पर बार बार कहा जाता है कि फिर से तकसीम करो, प्राबलम तो हमारे सामने और है लेकिन उन से लोगों का ध्यान हटाने के लिये बार-बार श्री गेंदा सिंह जी वही रट लगाते

[श्री चरण सिंह]
है कि फिर से जमीन का बटवारा करो। मैं चाहता हूं कि यह नारा उनको मुबारक रहे क्योंकि उनको कुछ न कुछ कहने को तो चाहिये। क्या दो-दो एकड़ बांट दिया जाय, हम को ऐसा यहां के लोगों से जरायतीपेशा नहीं कराना, हम चाहते हैं कि लोग देश के कारखानों में जांय, आज भी हमारे यहां देश भर से ज्यादा प्रतिशत किसानों का है, आबादी का साढ़े ६७ प्रतिशत किसानों का किसी प्रदेश में नहीं है। हमें इस सूबे को गरीब बनाने के लिये ज्यादा लोगों को खेती में नहीं लगाना है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जमीन के फिर से बटवारे का इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दूसरे यह भी कहा गया कि मालगुजारी घटाई जाय, मौर्य जी ने यह फरमाया, वह कई बार इस सिलसिले में प्रस्ताव वगैरा भी पेश कर चुके हैं, मैंने उनको सरकार की कठिनाई व्यक्तिगत तरीके से भी समझाने की कोशिश की लेकिन लैंड का रिडिस्ट्रिब्यूशन और एक्जेम्पशन आफ अनएकनामिक होल्डिंग्ज फ्राम रेवेन्यू तक सभी बातें कही गई और कराची से लेकर यहां तक का जिक्र किया जाता है, यह दूसरी बात है कि उसका जिक्र बार-बार बिना मौजूदा परिस्थितियो का अध्ययन किए किया जाता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)——कराची तो अब पाकिस्तान में चला गया इसलिये मैं वहां की बात वापस लेता हूं।

श्री चरणसिंह——यह बात आप ने कई बार कही लेकिन उस से कोई वास्ता नहीं। मालगुजारी माफ करने या न करने की बात यह है कि २० करोड़ रुपये के करीब लैंड रेव्यून्यू यहां वसूल होती है और अगर हम ६ एकड़ से नीचे की अनएकनामिक होलडिंगज मान लें तो हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद अनएकनामिक होल्डिंग्ज की है, उन सबको एगजेम्प्ट कर दिया जाय तो २० हजार में से करीब-करीब सब रुपया एगजेम्प्ट हो जायगा और फिर रुपया आयेगा कहां से? कौन चाहता है कि किसी से रुपया लिया जाय लेकिन यह मुल्क इस कदर गरीब है कि जो एकानामिक है उनसे भी न लिया जाय तो बेहतर है। अंग्रेजों की बात छोड़िये, अंग्रेजों का क्या जिक्र करते हो, जो एवरेज होल्डिंग ५ एकड़ की आती है वह अमरीका के पास ३० गुनी आती है और वहां सवाल होता है कि एग्रीकलचरल इनकमटैक्स रहे और लैंड रेवेन्यू न रहे। इस देश की हालात और स्थिति का मुकाबला वहां से करना और नतीजे निकालना गलत है चाहे वह रूस हो या अमरीका हो, या इंगलैंड हो, अपने यहां के हालात मुख्तलिफ़ हैं, यहां बहुत छोटे छोटे आदमी हैं स्माल मैन हैं। तो अगर हमें मुल्क को बनाना है तो रुपया भी यहीं से आना है। जितने मेरे मित्र यहां बैठे हैं उनमें से क्या कोई ऐसा है कि जिसके दिल में गरीब आदमियों के लिये उसी गर्मी से धड़कन नहीं होती जैसी कि मेरे मित्र के दिल में होती है। यह दूसरी बात है कि किसी वजह से टोपियों के रंग में फर्क पड़ गया हो बाकी तो सब ने साथ मिल कर देश की सेवा की, विचारों में कोई अन्तर नहीं था और आज भी अन्तर नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)——अन्तर है।

श्री चरणसिंह——खैर यह तो मेरा अपना ख्याल है कोई अन्तर नहीं है और मेरा अपना ही खयाल नहीं है (कोलाहल) जो अन्तर बतला रहे हैं उन्होंने एक दफा रिजोल्यूशन पास किया था भूमि व्यवस्था के सम्बन्ध में वह हमने पास कर दिया तो अन्तर यह होगा कि प्रगतिशील लोगों की पंक्ति में इधर के लोग होंगे और गैरप्रगतिशील लोगों की पंक्ति में माननीय रामेश्वरलाल जी खड़े होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था......

श्री अध्यक्ष——आप जरा बैठ जायं, मैं एक नियम सुना दूं। बात यह है कि मैं कल से देख रहा हूं कि इस नियम को लोग भूल रहे हैं। इस नियम १७९ को मैं इसीलिये याद दिहानी के लिये बता देना चाहता हूं:

"179. Rules to be observed by Members while present in the House. Whilst the House is sitting, a member—

(i) Shall enter, sit in and leave the House with decorum and shall take and leave his seat after bowing to the Chair;

(ii) shall not come in between the Chair and the member in possession of the floor of the House:

(iii) shall not cross the floor of the House;

(iv) shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the House;"

इन चारों के बारे में मैं देखता हूं कि बहुत कम लोग इसका विचार रखते हैं लेकिन पांचवां जो हिस्सा है वह इस प्रकार है—

"(v) shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other way so as to disturb the smooth transaction of the business."

यानी इसका हिन्दी अनुवाद यह है, "अस्तव्यस्त बात या कोलाहल या किसी अन्य रीति से किसी सदस्य के भाषण में कोई अन्य सदस्य बाधा न डालेगा जिससे कार्य के सुचारुरूप से निष्पन्न होने में बाधा पड़े।" मैं समझता हूं कि एक-एक दो-दो मिनट में आप वक्ता को टोकेंगे तो बाधा पड़ेगी। बीच में एक-आध दफा प्रश्न पूछा जाय तो दूसरी बात है। मैं माननीय मंत्री जी से भी कहता हूं कि मुझे भी वे बीच में माननीय सदस्यों को इस प्रकार टोकने से रोकने का मौका दें। किसी का प्रश्न सुनते ही जवाब एकदम शुरू न कर दें। टोके जाने पर जवाब एकदम यदि वे देंगे तो मैं टोकाटोकी करने वालों को रोक नहीं सकूंगा। तो वे इस तरफ जरा मेरा अटेंशन ड्रा करें कि उन्हें बार-बार टोका जा रहा है तो अधिक अच्छा है जिससे मैं टोकना रोक सकूं जिसमें बहस का कार्य आसानी से चल सके।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—असल में चौधरी साहब जिस वक्त खड़े होते हैं तो उनको टोकने में और जवाब सुनने में मेम्बरों को बड़ा आनन्द आता है। सिर्फ इतनी बात है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन सदन में मुझे नियम का पालन कराना है। क्योंकि कहीं यह आदत बढ़ जाय तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—मैं तो व्यक्तिगत जानकारी के लिये मंत्री जी से पूछ रहा था।

श्री अध्यक्ष—आप मुझे मुखातिब हो कर प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न का उत्तर दिला दूंगा यही तरीका और नियम बना हुआ है परन्तु अस्तव्यस्त बात सदन में हो या कोलाहल हो तो यह ठीक नहीं है।

श्री उमाशंकर—आप के द्वारा प्रश्न करना चाहता हूं कि मालगुजारी ७ करोड़ या पौने आठ करोड़ के ली जाती थी। अब उससे ज्यादा आज ली जाती है लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह उससे कम हो रही है जो आज ली जा रही है।

श्री अध्यक्ष—मंत्री जी भाषण जारी रक्खें और अगर इस प्रश्न का जवाब देना चाहें तो तो दे सकते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं आपका बहुत मशकूर हूं जो आपने मेरे मित्र जो उधर बैठे हैं उनका उस नियम की ओर ध्यान आकर्षित किया। वह तो टोकने पर उतरे हुये थे। माननीय उमाशंकर जी को तो मैं बिल्कुल इग्नोर कर रहा था, मैंने नोटिस नहीं लिया। सिर्फ माननीय रामेश्वर लाल जी का मैंने जवाब दिया। अब अगर कोई टोका करेगा तो बैठ जाया करूंगा लेकिन उससे टोकना ज्यादा बढ़ जायगा।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको बैठने को नहीं कहता। मेरा ध्यान जरूर आप आकृष्ट करें ताकि मैं उन्हें रोक सकूं।

श्री गेंदा सिंह—कभी-कभी ऐसा भी किया करें कि बैठ जाया करें।

श्री चरण सिंह—मैं माननीय उमाशंकर जी के सवाल का जवाब दिये देता हूं। ७ करोड़ नहीं अब वह आपको ८ करोड़ से ज्यादा मिलेगी। जमींदारी एबोलीशन के पहले हमने एग्रिकल्चर टैक्स लगाया था। उसकी आमदनी १ करोड़ ३६ लाख की हो गई। इस तरीके से साढ़े नौ करोड़ होता है। दो ढाई करोड़ की गलती तो उनसे यही हो गई है दूसरी बात यह है कि हम जो अब मालगुजारी ले रहे हैं तो मालगुजारी में अधिकतर वह रकम है जो सीधे किसान जमींदार को दिया करते थे तो वह हम ले रहे हैं। यह नहीं है कि मालगुजारी हमने बढ़ा दी। अगर यह खयाल वह पैदा करना चाहते हों—अगर माननीय उमाशंकर जी ने आजमगढ़ की किसी मीटिंग में यह स्पीच दी होती और यह ख्याल लोगों में पैदा करना चाहते कि इस गवर्नमेंट ने मालगुजारी इतनी बढ़ा कर के कर ली है तो मैं समझता हूं कि शायद उनका मतलब हल हो जाता। लेकिन यहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वह बात यहां पूरी नहीं हो सकती। या इससे अपना अज्ञान जाहिर होता है कि इतना भी नहीं मालूम है कि लगान मालगुजारी हो गई है इसलिये कि मुआवजा देना है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारा मुल्क तो गरीब ही है। अगर हो सके तो हम यह चाहते हैं कि मालगुजारी अनइकोनामिक होल्डर्स की बिलकुल माफ कर दी जाय, तबियत यह चाहती है। जिनको हम इकोनामिक होल्डर्स मानेंगे उनकी हालत भी ऐसी होगी कि उनमें बहुत से मालगुजारी देने के लायक नहीं होंगे। मालगुजारी देने के लायक है, या नहीं, गरीब है या नहीं, इसका गज क्या है नापने का? इसका गज जो है उस गज की दृष्टि से कोई आदमी मालदार है या नहीं, कोई आदमी गरीब है या नहीं, किसी आदमी से टैक्स लेना चाहिये या नहीं लेना चाहिये, ये लोग अगर सारे ट्रांस्लेट कर दिये जायं, यू० पी० के सारे किसान अमेरिका में तो शायद कोई होगा जिस पर इनकम टैक्स लगे वहां की स्थितियों के मुताबिक, अमेरिका के गज से नापी जायगी गरीबी और अमीरी। लेकिन हमारे यहां जो गरीबी और अमीरी नापने का गज होगा वह और होगा। हमारे देश की समस्याएं और होंगी। टैक्स ले या न ले, यह हमारी आवश्यकताओं और समस्याओं की दृष्टि में ही आंका जा सकता है। कोई ऐब्सोल्युट थियरी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, अनरिलेटिव टू सर्कम्सटेंसेज ऐण्ड फैक्ट्स आफ लाइफ, जिनका कोई सम्बन्ध हमारी स्थितियों से न रहे, जिस पर कस कर कह दिया जाय कि गरीबी है, मालगुजारी और टैक्स न लगाया जाय। जिन देशों में तानाशाही होती है और उनको अपने मुल्क को बिल्ड अप करना पड़ता है वह टैक्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा लगाते हैं। लेकिन जिनके यहां प्रजातंत्र नहीं होता जनता को अपनी मुखालिफत और तकलीफ के इजहार का मौका नहीं मिलता मुल्क को जल्दी बिल्ड अप कर लेते हैं। रूस में क्या हुआ? जो पैदावार किसान के यहां होती थी, मशीन और ट्रैक्टर स्टेशंस से जो मशीन और ट्रैक्टर कलेक्टिव फार्मों को जाते थे, उसका खर्चा और दूसरे टैक्स, मालगुजारी वगैरह जो भी उनके टैक्स हैं, उन सब को, जो गल्ला कलेक्टिव फार्मों पर पैदा होता है, उसको जिन्स की शक्ल में लेती थी। लेकिन बाजार भाव पर नहीं। बाजार भाव के २० प्रतिशत मूल्य पर और फिर उस गल्ले को यू० स० एस० आर० की गवर्नमेंट ने अपने शहरों में बेचा और यहां नहीं विदेशों में भी बेचा: उससे जो मुनाफा हुआ, कंट्री को बिल्ड अप किया। तो गवर्नमेंट ने पेट पर पट्टी बंधवा दी। कोई कहने सुनने वाला नहीं। १९१४–१५ में जहां ८० फीसदी किसान रहते थे, १९५१ में जा कर ५७ प्रतिशत रह गये। नान ऐग्रीकल्चरल रिसोर्सेज कायम किये। रूस ने जल्दी जल्दी अपने मुल्क को बिल्ड अप किया, जल्दी रुपया लिया। लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। और दूसरे

मुल्कों ने . दूसरी गवर्नमेंटों ने जहां प्रजातंत्र है सौ वर्ष, डेढ़ सौ वर्ष में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका ने धीरे-धीरे अपने देश को बिल्ड अप किया। लेकिन दोनों मुल्कों में रुपया आया अपनी जनता से।

अब हमारी डेमोक्रेसी होगी, बहुत फुल फ्लेज्ड होनी चाहिये थी, जानबूझ कर हमारे लीडर्स ने इस तरह का कान्स्टीट्यूशन बनाया। अब अगर इस मुल्क की बैकवर्ड इकोनोमी को खत्म करना है तो टैक्स लगाना है, मालगुजारी लेनी है, अनइकोनामिक होल्डर्स से भी लेनी है, एक एकड़ जो आदमी जोतता है उससे भी लेनी है। किस लिये उसी की खातिर ताकि नहर उसके लिये बनायी जा सके ट्यूब वेल बनाये जा सकें। अब अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी है हमारे यहां, तो माननीय गेंदा सिंह या राजनारायण जी या और उधर के दोस्त इस लोभ का संवरण नहीं कर पाते हैं कि वह जो मालगुजारी एक बीघे वाले को देनी पड़ रही है, वह जो सेल्स टैक्स दुकानदार पर है यद्यपि उसे नहीं देना है, टैक्स देना है कनज्यूमर को, तो वह कहते हैं कि नहीं लेना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपने माननीय मित्र कम से कम गेंदा सिंह जी से, अगर राजनारायण जी से नहीं, यह उम्मीद करता हूं कि वाद जब दें तो ऐसी कहते हैं कि अगर कल को जिम्मेदारी इस स्टेट गवर्नमेंट की जनाब के कंधों पर आ जाय तो उस बात को आप निभा सकें। हां, अगर ऐसा समझ कर कहते हों तो बात बहुत ठीक कही, उसमें हमारा उनका मतभेद है। लेकिन मुझको डर यह है कि जब मालगुजारी माफ़ी की बात एक एकड़ वाले से बिल्कुल न ली जाय, यह जो बात की जाती है वह ज्यादातर उस टेम्पटेशन में की जाती है कि मालगुजारी घटाने की बात शायद किसान को अपील कर जाय इलेक्शन के वक्त और जयमाला इलेक्शन के वक्त उन पर पड़ जाय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारा किसान और गरीब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। मैं तो पिछले इलेक्शन में जहां गया, माननीय गेंदा सिंह जी के यहां दो दिन रहा और यह कहा इलेक्शन में बिला वजह भी कि दोस्तो अगर मुल्क को बनाना है तो टैक्स बढ़ाना है और टैक्स आपसे लेंगे। हम वादा नहीं करते कि वह टैक्स घट जायगा, बल्कि बढ़ सकता है और बावजूद इसके लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लोग जानते हैं किसी टैक्स की वर्किंग में कोई खराबी हो उसको दूर करना चाहिये, रिलीफ़ जितनी दे सकते हैं देनी चाहिये। लेकिन जो सच्चाई है वह है रुपया आयगा गरीबों में ताकि उनकी हड्डियों में कुछ चिकनाई, कुछ गीलापन और कुछ उनकी आंखों में रोशनी आ सके और उसके लिये कोई तरीका नहीं। हमको इसके लिये तैयार होना चाहिये "टु बी वोटेड आउट आफ़ आफिस" लेकिन हम देश के लिये जिस चीज को अच्छा समझते हैं उसे करेंगे चाहे पोलिंग स्टेशन्स पर हार जायं, कोई हर्ज नहीं। अपनी आत्मा तो संतुष्ट रहेगी कि जो कुछ हमने किया देश के भले के लिये किया। और जो साहब आयेंगे वह देख लेंगे कि बिना टैक्स के कर सकते हैं। जनता फिर अपना निर्णय स्वयं कर लेगी। गवर्नमेंट और पोलिटिकल पार्टीज अपोजीशन कोई इस सच्चाई से आंख नहीं मींच सकता कि टैक्स नहीं लगेंगे और हमको यह रिस्क लेना चाहिये।

चाइना है बैकवर्ड बिल्कुल उनके यहां यही गवर्नमेंट रहे जैसी है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट न रहे तो वह बहुत जल्दी बिल्ड अप कर ले अपने कन्ट्री को। दो रास्ते हैं डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। हमको सोचना है कि किस प्रकार बढ़ें। लोगों का रोड़ा अटकाना आसान है, मालगुजारी की माफ़ी कहना आसान है, लेकिन टैक्स लगाना होगा, कड़वा काम करना होगा। सिर्फ देखना यह है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम रख कर या डिक्टेटोरियल सिस्टम से। तो श्रीमन्, हमने यह तय किया कि डेमोक्रेसी चलायें और चलाकर दिखायेंगे और जो कड़वी बात हमारे किसानों को आज लगती है लेकिन, अन्ततोगत्वा उसका फल मीठा होगा। जो कड़वी हो उसको हम करें जो देश के हित के लिये हम समझें। लेकिन बारबार मालगुजारी माफ कर दो अनइकोनोमिक होल्डिंग्ज का, यह हम भी जानते हैं, हम भी उन गरीब किसानों की पोतड़ों में पैदा हुये हैं।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, माननीय राम सेवक जी यादव ने यह कहा---पता नहीं चले गए या हैं, शायद उधर बैठे हैं---कि साहब इससे यह डीकंसालिडेशन रोकने के लिए जो इसमें प्राविजन किया जा रहा है कि पांच बीघे पुख्ता से कम अगर किसी का चक हो तो वह अगर अंशों में, जुजों में, छोटे छोटे बिट्स में बेचना चाहता है तो ऐडज्वाइनिंग चकहोल्डर्स को बेंच सकता है और अगर बाहर के किसी को बेचता है तो सारा अपना चक बेचे, यही मैंने कहा था कल और यही इसका प्राविजन है कि तीन एकड़ या पांच बीघे से कम है तो बाहर वाले को बेचे तो सारा बेंचे और पड़ोसी को बेचना चाहता है तो जुज भी बेच सकता है तो वह कहते हैं कि इस तरह से कंसेंट्रेशन आफ प्रापर्टी होता है। कैसे होता है ? किसे मजबूर किया जा रहा है उसको बेचने के लिए कि वह अपने पड़ोसी चकहोल्डर को ही बेचे। सिर्फ इतना किया जा रहा है कि जुजन बेचे तो पड़ोसी को बेचे और सारा बेंचे तो बाहर वाले को बेच सकता है और फिर चारों तरफ जो चकहोल्डर्स हैं वह कोई एक नहीं है, पांच सात हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक रेस्ट्रिक्शन रखा जा रहा है और उस रेस्ट्रिक्शन से कुछ न कुछ कठिनाई तो होगी ही। कोई और रास्ता नहीं है संसार के अन्दर और कम से कम गवर्नमेंट के सामने कोई और रास्ता ऐसा नहीं है कि जिससे डीकंसालिडेशन को रोका भी जा सके और किसी को कोई कठिनाई न भी हो। दो इविल्स में से हमेशा लेसर इविल को चूज करना पड़ता है। इसमें रेस्ट्रिक्शन रखा जा रहा है लेकिन यह रेस्ट्रिक्शन न रखें तो और ज्यादा नुकसान है, पब्लिक इंटरेस्ट को ज्यादा डेट्रिमेंट है। इस लिए वह रखा जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राम सेवक जी यादव को और जिस किसी भी मित्र को इसमें शंका हो उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वह कोई और तजवीज निकाल सकते हों तो वह संशोधन पेश कर दें, मुझे खुशी होगी उसको स्वीकार करने में। अगर कोई संशोधन वह ऐसा पेश कर दें कि यह काम भी हो जाय और रेस्ट्रिक्शन कोई न रहे, तो मैं बड़ी खुशी से उसको स्वीकार कर लूंगा। तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन तो है लेकिन कंसेंट्रेशन आफ प्रापर्टी नहीं होती। कितने आदमी ३० एकड़ से या ५० एकड़ से ज्यादा वाले हैं यहां पर कि उनको ही बेचने को वह मजबूर होगा ? हर गांव में एक भी तो नहीं है। ९ हजार ऐसे हैं जिनके पास ५० एकड़ से ज्यादा जमीन है और ११ हजार ऐसे हैं कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा है। गांव पंचायतें हैं ६७ लाख। तो आठ गांव पंचायतों मे एक किसान आता है जिसकी जमीन ५० एकड़ से ज्यादा हो और ३ पंचायतों के अन्दर एक किसान आता है जिसके पास ३० एकड़ से ज्यादा है और चक कितने बनेंगे ? सैकड़ों, सैकड़ों। तो जनाब का जो यह ख्याल है कि बड़े बड़े चक होल्डर्स चारों तरफ पड़े हुए हैं और वह बेचेगा तो उन्हीं को बेचेगा लिहाजा कंसेंट्रेशन आफ प्रापर्टी हो जायगा, अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह थ्योरिटिकल पासिबिलिटी तो है लेकिन कई हजार केसेज में एक है। तो कई हजार केसेज में एक, इस थ्योरिटिकल पासिबिलिटी पर कोई आर्ग्यूमेंट बिल्ड अप किया जा सकता है ? नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गई कि भूमिधरी के प्रश्न सिविल कोर्टस् में जायेंगे और जैसे माल में दिया जा रहा है सीरदारी का मामला ऐसे ही भूमिधरी का भी दे दिया जाय। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि भूमिधर अपनी जमीन खेती के अलावा दूसरी अगराज के लिए इस्तेमाल कर सकता है, फैक्टरी बना सकता है, मकान बना सकता है, कंकर खोद सकता है भट्टा बना सकता है। तो अगर ये मामले भी माल को चले गये तो माल की अदालतों को वही अख्तयार देना पड़ेगा जो सिविल के होते हैं। तो ये मामले इतने जटिल हो जायंगे और जब लैन्ड का नान एग्रीकल्चरल यूज हो जायगा तो परसनल ला अप्लाई करेगी, न कि जो सक्सेशन का हमने आर्डर दे रखा है। वह एप्लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब यह हो जायगा कि जो सिविल कोर्ट्स को पावर है, या जो उसके लीगल इक्विपमेंट्स हैं उतने हमें मुहकमें माल

के अफसरान को देने पड़ेंगे और माल और दीवानी एक ही हो, अलग-अलग न हो, इस कठिनाई का हमें सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने राम सेवक जी पर दावा दायर किया कि आप मेरे काश्तकार हैं दावे में मैंने कहा कि मैं मालिक हूं, वह काश्तकार है तो जाता सिविल कोर्ट। यह डिफिकल्टी आज नहीं होगी आगे को। मैं दावा दायर करता हूं बतौर भूमिधर के तो जिस आदमी के खिलाफ दावा दायर करता हूं वह मेरे मातहत नहीं है और न वह मुझ से टाइटिल पाता है। सीरदार हो, वह इंडिपेंडेंट है। अगर माल को भी दीवानी के हक दे दें और क्वेश्चन आफ रेवेन्यू अगर सिविल कोर्ट में चला जाय तो मिसलों के आने जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो सीरदार को उधर रखा और भूमिधर को इधर। मैं आपकी इजाजत से दोहराना चाहता हूं कि भूमिधर को भी माल को दे दिया जबकि वह नान ऐग्रिकल्चरल यूज लैन्ड का करता है।

एक यह है कि गांव की आबादी, जिसकी जमीन मुश्तरका है, जो सार्वजनिक सम्पत्ति है उसका दुरुपयोग हो रहा है। हो रहा है, मैं एडमिट करता हूं कि बहुत से गांवों में हो रहा है। लेकिन यह कि उसका कोई प्राविजन नहीं है, यह गलत है। प्राविजन है। नालिश का भी है, २१२ में, और सरसरी कार्यवाही भी है और हजारों केसेज हर जगह हो रहे हैं। अगर उसमें कोई खराबी हो तो बतलायी जाय, हम उसे दुरुस्त करेंगे। प्रावीजन यह है कि गांव की पंचायत को अधिकार दे दिया है। अगर वह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से नहीं निभाये तो अफसरान को अधिकार है कि उनको निकाल दें। अब उसमें यह हो रहा है बहुत सी पंचायतें अपने काम को ठीक तरह से नहीं करतीं, तो क्या हम यह तय कर लें कि पंचायतों को इतने अधिकार न दें। वैसे ही यह मतालबा हो रहा है कि गांव वालों को जो अख्तियार दिये गये हैं वह बहुत ज्यादा हैं। मैं तो कभी कभी यह महसूस करता हूं कि जो हमारी सोशल या सिविल कांशसनेस है, वह जिस स्टेज पर है उसके मुताबिक वह अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते थे उससे ज्यादा हमने राइट्स दे दिये हैं, "फार इन ऐडवांस टु देयर सोशल कांशसनेस" हमने ऐग्रेरियन रिफार्म्स किये हैं और वह उस जिम्मेदारियों को निभा नहीं पा रहे हैं। जो शिकायत लेखपाल या किसी राज्य कर्मचारी की होती है तो अकेले राजकर्मचारी कुछ नहीं कर सकते। जितना जबरदस्त चेंज हुआ है उसका कुल फायदा हमारे गांव की जनता को तभी हो सकता है जबकि उधर के और इधर के बैठने वाले, इस सदन के अन्दर और बाहर के सब मिल कर उसका प्रचार करें। कानून में अगर कोई नुक्स है बतायें वह दूर हो जायेगा लेकिन अगर काम उसके हिसाब से ठीक नहीं हो पा रहा है तो उसमें कानून का नुक्स नहीं है और न राज्य कर्मचारियों का उतना है जितना कि हमारा कसूर है नान आफिशियल सर्विसेज का है।

एक बात रोज कही जाती है कि बहुत संशोधन होते हैं, होते हैं साहब और करेंगे और इसकी मुझे शर्म नहीं है, मैं इससे बिलकुल बेशर्म हो चुका हूं। अब मुझे कोई क्लेश नहीं है अगर कोई उलाहना देता है कि अमेंडमेंट्स पर अमेंडमेंट्स आते हैं और साहब सन् ५२ से यह मुझे तो याद है कि तीसरा है लेकिन अगर आप कहें तो चौथा ही माने लेता हूं तो क्या मुश्किल बात है। मैंने कई बार कौंसिल में कहा है और एक बार यहां भी कहा है और उसको अब दोहराना चाहता हूं कि मैं तो मैं और जनाब तो जनाब, मेरे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, और जो लैन्ड रिफार्म्स कमिश्नर हैं जो अपने मामले को इतना अच्छा समझते और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं वे बहुत अच्छा समझते हैं, ज्यादा उनकी तारीफ नहीं करता कि शायद इसी में किसी को शिकायत हो जाय कि अपने राज्य कर्मचारियों की तारीफ करते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—एक सवाल श्रीमन् मैं यह करना चाहता हूं कि पिछले संशोधन में हमारी ओर से जो बात कही गयी थी कि प्रोसीडिंग्स दीवानी में न होकर माल में फैसला किया जाय तो क्या उसी प्रकार के संशोधन अब बारबार जायेंगे ?

श्री चरणसिंह—इल्जाम सवाल का मेरे पास क्या जवाब हो सकता है। अगर आप का ऐसा संशोधन था जिसकी मुझे याद नही है कि ऐसा था तो होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे यहां इतना कम्प्लेक्स टिन्योर है हमारे सबसे बड़े सूबे मे उसको वह दोनों अफसरान कहते हैं जो विशेषज्ञ हैं कि हम नहीं दावा करते है कि हम जानते हैं। पहाड़ का अलग, तराई का अलग, जौनसार बावर का अलग, कुमायूं का अलग, मिर्जापुर दूधी का इलाका अलग, तीन स्टेट्स गढ़वाल, रामपुर और बनारस के अलग, गवर्नमेंट इस्टेट्स, जो फैली पड़ी है उनकी अलग, अरबन की प्राब्लम्स अलहदा, रूरल की प्राब्लम्स अलहदा, बंजर और दरिया का उसूल का अलहदा दूसरी जगहों के अलहदा, जो इन्क्लेव्ज आये हैं बुंदेलखंड के मथुरा में भरतपुर से जो इन्क्लेव आया वह अलहदा, अवध का अलाहिदा और आगरा का अलहदा, वह एक हो गये हैं लेकिन फिर भी कुछ अलहदा चल रहा है, फिर वास्ता पांच करोड़ से भी ज्यादा किसानों से, न कांस्टीट्यूशन जाने, न रुपया उनके पास, गरीब आदमी न कानून जाने। एक डिवीजनल कमिश्नर गलत फैसला कर दे तो अपील मे न जा सके और हम हुक्म देकर उनकी मदद न कर सकते हों जिससे दूसरे फरीक को मौका दिया जाय, जुडीशियल प्रोसीडिंग्स हों दो बार अपील हों, एक्जीक्यूटिव आर्डर से मदद नहीं कर सकते जुडीशियल प्रोसेस नेसेसरीली जो लम्बे एक्सपेंसेज है उससे वे फायदा नहीं उठा सकते। कोई डिवीजनल कमिश्नर गलत फैसला कर दे आदमी तो है ही कोई गलत फैसला कर दिया तो अब कहिये अमेंडमेंट की तो मैं कहता हूं कि जब तक हाई कोर्ट की नजीर न हो जाय तब तक अमेंडमेंट नही करना चाहिये क्योंकि कही कुछ फैसला देगा और जजमेंट गलत हो तो हम कहां तक उसमे संशोधन करेंगे लेकिन हजारों किसान फैसले की वजह से बैठे हैं खामोश नही जा सकते अपील मे और जब तक हाई कोर्ट का जजमेंट नहीं होता तब तक हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कितनी प्राब्लेम्स है। इसलिये अमेंडमेंट करना है। दूसरी बात यह है कि सिवाय इस जुरिस्डिक्शन के सिलसिले में जिसकी बाबत दो राये पहले से थीं क्या कोई ऐसा अमेंडमेंट बताया जा सकता है कि हमने पहले कोई काम करके मन्सूख किया हो। "This has Carried the revolution forward." जो भी काम किया है तस्वीर को पूरा किया है। तस्वीर पहले बना कर उसको मिटाया नहीं है। मसलन एक अमेंडमेंट सन् ५४ में यह हुआ कि अधिवासियों को सीरदार बना दो। पहले अधिवासी रखे गये थे। फिर कंसालिडेशन आफ होल्डिंग्स हमने कर दिया। अब वह भी जल्दी-जल्दी हो रहा है। तो उसमे अमेंडमेंट के लिये अगर हम साल दो साल इन्तजार करते रहें तो काम खत्म। लिहाजा कंसालिडेशन फील्ड मे चल रहा है और अमेंडमेंट असेम्बली मे हो रहा है। करोड़ों बेजबान आदमियों से वास्ता, डेमोक्रेटिस प्रोसेस, एग्जीक्यूटिव आर्डर से कुछ हो नहीं हो सकता, कम्प्लेक्सिटी आफ टेन्योर इतनी। तो अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं आशा नहीं करता था कि कोई मुबारकबाद दे उधर से लेकिन बार-बार वही चीज दोहराना, इससे कोई फायदा नहीं है। और जो बड़े से बड़े काबिल वकीलों से इमदाद लेकर अपना कांस्टीट्यूशन बनाया उसमे छठवां अमेंडमेंट हो रहा है, कांस्टीट्यूशन मे। तो अगर प्रोग्रेस करना है तो अमेंडमेंट तो करने ही होंगे। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास और कोई दलील नहीं है। अगर डायनमिक सोसायटी है, मुल्क को जल्दी तरक्की करना है तो अमेंडमेंट्स होते ही रहेंगे। मै अब आयन्दा इसका जवाब ही नहीं दूंगा, बहुत बार जवाब दे चुका हूं।

एक बात क्लासलेस सोसायटी की कही गयी कि किसान की तो एक ही कौम होनी चाहिये। तो यहां भूमिधर और सीरदार, दो ही तो किसान हैं। अधिवासी खत्म हो गये। जो असामी हैं वे तो ऐसे हैं जैसे "Poor cousins will always remain with us" असामी हमेशा रहेंगे क्योंकि डिसएबिल कोई भूमिधर या सीरदार हो जाय, कोई पागल हो जाय, किसी को जेलखाना हो जाय उसको अपनी जमीन अपनी नाकाबिलियत की वजह

से दूसरे आदमी को देने का अख्तियार होता है और जो आदमी उस जमीन को लेगा वह असामी कहलायेगा। इसका क्या इलाज है। तो उसको मैं कोई क्लास गिनता नहीं हूं। दो ही रह गये, भूमिधर और सीरदार। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। सिर्फकियत में थोड़ा सा फर्क है। मालगुजारी मे भूमिधर वह जिसने मालगुजारी एकदम दे दी।

श्री अध्यक्ष—अभी आप कुछ समय लेंगे ?

श्री चरण सिंह—बहुत मेहरबानी।

श्री गेंदासिंह—आपके द्वारा राजस्व मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता था कि कुछ अमेंडमेंट रामसुन्दर जी के हैं जो मंत्री जी के मददगार होंगे, उनको रखने की वे मन्जूरी दे दें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं करीब-करीब अपनी बात सारी कह चुका हूं। बस एक ही बात रह गई है कि माननीय रामसुन्दर जी पांडेय ने एक संशोधन दिया है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। यह मुझे स्वीकार नहीं है, कारण यह है कि कोई बहुत लम्बे चौड़े संशोधन नहीं किये जा रहे हैं जिन पर विचार प्रवर समिति द्वारा करना जरूरी हो। इसके अलावा एक बात और विचारणीय है कि अगर हमने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया तो एसेम्बली और कौंसिल का सेशन १०-१५ मई तक चलेगा। इस सेशन में यह फिर न हो सकेगा और जुलाई अगस्त के लिये बात चली जायगी। इसलिये मैं इसे जरूरी नहीं समझता हूं। माननीय मित्र जो कुछ भी संशोधन देना चाहें और उपाध्यक्ष महोदय को कोई आपत्ति न हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सदन उन पर भी विचार कर ले। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इन संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ को एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—अब दूसरे संशोधन पर राय लेने की आवश्यकता नहीं है।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—मूल अधिनियम की धारा ३ में:—

(१) उपधारा (६) के पश्चात् नयी उपधारा (६-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(६-क) संहत क्षेत्र (consolidated area) का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके संबंध में चकबन्दी की क्रियाएं समाप्त होने पर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ की धारा ५२ के अधीन विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गयी हो।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की धारा ३ का संशोधन।

(२) उपधारा (८) के पश्चात् नयी उपधारा (८-क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(८-क) (टुकड़ा (fragment) का तात्पर्यः—

(क) निम्नलिखित में ६.२५ एकड़ से कम भूमि से है—

(१) बुन्देलखंड ;

(२) इलाहाबाद, इटावा, आगरा, तथा मथुरा के जिलों के यमुनापारी भाग ;

(३) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है ;

(४) मिर्जापुर जिले की तहसील सदर के टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी (बालाये पहाड़) ;

(५) मिर्जापुर जिले की तहसील राबर्ट्सगंज का वह भाग, जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है ; और

(६) मिर्जापुर की चुनार तहसील का परगना सकटेशगढ़ और परगना अहरौरा और भागवत की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो अनुसूची ६ की सूची "क" और "ख" में उल्लिखित हैं, और

(ख) कुमायूं डिवीजन को छोड़कर शेष समस्त उत्तर प्रदेश में ३.१२५ एकड़ से कम भूमि से है ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

उत्तर प्रदेश अधिनियम २०, १९५४ की धारा ६ का प्रारम्भ ।

३—(१) उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९५४ की धारा ६, जिससे धारा २३ की उपधारा (१) के खंड (ख) को निकाला गया था, के बारे में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के निर्धारण (assessment) तथा भुगतान के संबंध में यह समझा जायगा वह मूल अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से ही प्रभावी थी ।

(२) प्रतिकर अधिकारी, स्वतः एक संशोधित प्रतिकर तालिका (amended compensation roll) तैयार कर सकेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से तीन महीने के भीतर सम्बद्ध मध्यवर्ती द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर, ऐसा अवश्य करेगा, मानो उपधारा (१) सभी महत्वपूर्ण (material) दिनांकों पर प्रभावी रही हो और मूल अधिनियम के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मुख्य प्रतिकर तालिका के उपबन्ध में लागू होते है ।

(३) धारा ३३५ के उपबन्धों के अधीन सदैव रहते हुए, यदि प्रार्थी से भिन्न किसी व्यक्ति को किसी आस्थान (Estate) के सम्बन्ध में प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया हो तो प्रार्थी उस व्यक्ति से, जिसे उक्त प्रतिकर का भुगतान किया गया हो, ऐसी धनराशि वसूल करने का अधिकारी होगा ।

श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ३ के उपखंड (२) की अन्तिम पंक्ति के शब्द "उपबन्ध" के स्थान पर शब्द "सम्बन्ध" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह शाब्दिक संशोधन है और मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री चतुर्भुज शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की अन्तिम पंक्ति के शब्द "उपबन्ध" के स्थान पर शब्द "सम्बन्ध" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४—मूल अधिनियम की, जैसा वह भूतपूर्व बनारस राज्य के राज्य-क्षेत्रों (territories) में लागू होता है, धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ की, जहां तक वह भूतपूर्व बनारस राज्य पर लागू होता है, धारा १० का संशोधन।

"१०—(१) ऐसी भूमि का, जो किसी मध्यवर्ती की सीर अभिलिखित हो, प्रत्येक काश्तकार, निहित होने के दिनांक के ठीक पहले के दिनांक पर उसके द्वारा देय लगान की दरों पर उस भूमि का मौरूसी काश्तकार समझा जायगा,

सीर के काश्तकार

(२) यदि सीर के किसी काश्तकार का क्षेत्रपति काश्तकारी प्रारम्भ होने के समय तथा निहित होने के दिनांक पर—

(१) स्त्री,
(२) अवयस्क,
(३) पागल,
(४) जड़,
(५) अंधेपन या शारीरिक दुर्बलता (physical infirmity) के कारण खेती करने में असमर्थ, अथवा

(६) भारतीय संघ का सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना में नौकर रहा हो तो उपधारा (१) की कोई बात उसे लागू न होगी।"

श्री उपाध्यक्ष—एक संशोधन मेरे पास खंड ४ के मुताल्लिक अभी आया है जो टाइमबार आया है, इसलिये मैं इसको लेने की इजाजत नहीं देता।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—माननीय मंत्री जी ने मान लिया है इसलिये निवेदन करूंगा कि आप इसे स्वीकार कर लें।

श्री चरण सिंह—जी मेरे ख्याल से इजाजत दे दी जाय। लेकिन मुझे कापी नहीं मिली अभी तक।

श्री रामसुन्दर पांडेय---कापी मैंने भेज दी है, श्रीमन् । मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ४ धारा १० (१) के अंत मे निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के लागू होने पर अदालतों में जो खेतों के इस्तीफे दाखिल हो गये हैं, वह सब अवैध समझे जायंगे।"

श्रीमन्, मै माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संशोधन को अभी मैंने जल्दी-जल्दी में बना करके आपकी सेवा में उपस्थित किया है। इसमे शब्दों का हेरफेर या कमी बेशी हो सकती है लेकिन मंशा हमारा यही है कि इस प्रदेश में और खास कर बनारस में जहां के लिये यह संशोधन लागू किया जा रहा है वहां पर अधिकतर ऐसा हो गया है कि सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोगों से जबरदस्ती इस्तीफे दिलवाये गये हैं। इस प्रश्न में मैं विशेष आग्रह नहीं करना चाहता बल्कि एक निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी कोई ऐसा तरीका निकाले कि जो हजारों की तादाद में इस्तीफे लोगों से दाखिल करा लिये गये हैं जबरदस्ती, उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय सदन से हो सके और इसके लिये इसमें यह संशोधन लाकर मैंने एक प्रतिबन्ध लगाने की बात की है कि धारा लागू होने के बाद से जो अदालतों में इस्तीफे दाखिल किये गये है वह सब अवैध समझे जायं। इसलिये मै अपने संशोधन को पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन इसकी अपनी स्वीकृति प्रदान करेगा।

* **श्री चरणसिंह**---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का भाव तो बहुत अच्छा है लेकिन जो उन्होंने संशोधन रखा है उसको मैं मंजूर नहीं कर सकता। उसके दो कारण हैं। जिन लोगों ने इस्तीफे दिये हैं वह तो जानबूझ कर दिये हैं, आंखें खोल कर दिये हैं, और बावजूद तारीखें आगे बढ़ाने के लिये दिये हैं। उसको मौका खूब मिल गया सोचने का। वह आदमी जब आकर कह देता है कि साहब मेरा नाम तो फर्जी लिखा गया १० साल से, हमारा कब्जा है ही नहीं, दरअस्ल दूसरे आदमी का कब्जा है और इसलिये उसका नाम होना चाहिये तो वह एक तरीके से इस्तीफा नहीं देता वह तो कहता है कि इन्ट्री गलत है। खामखाह मुझसे गवर्नमेंट लगान लेना चाहती है, जमीन तो जो असली काश्तकार है उसके कब्जे में चली आ रही है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अदालत क्या करे। दोनों फरीक राजी हैं। हां, ऐसे कुछ केसेज जरूर होंगे जैसे कि माननीय रामसुन्दर जी ने बताये कि जिनमें कब्जा उसी का था, इन्ट्री सही थी, फिर भी आकर उसने इन्कार कर दिया किसी दबाव के कारण या किसी लालच के कारण। हो सकता है कि उसने कुछ एवज ले लिया हो। लेकिन किसी अदालत या किसी राज्य कर्मचारी के पास ऐसा कोई बेरोमीटर नहीं है, ऐसा कोई यंत्र नहीं है कि जब दोनों फरीक राजी हों तो उसमें सच्चाई क्या है इसको मालूम कर सके। गवर्नमेंट किसानों की इमदाद करना चाहती है और उसने इमदाद की भी है। एन्टरीज हो जाने से १३५६ और ५९ में उस आदमी का अधिकार हो गया तो फिर एक आदमी को उसकी मरजी के खिलाफ जमीन नहीं दे सकते क्योंकि इतना भी अख्तयार होना चाहिये कि जबरदस्ती उसको दे सके लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी आफिसर के पास कोई यन्त्र नहीं है कि वह इस तरह से मालूम कर सके। तो बावजूद रामसुन्दर पांडेय जी और दूसरे दोस्तों की इच्छा के हम ऐसा नहीं कर सकते गो कि किसान इतना बेवकूफ न होता तो यह बात ही पैदा नहीं होती। लेकिन ऐसे केसेज बहुत कम हैं। अधिकतर केसेज ऐसे हैं कि जिनमें इन्दराज दिखाया गलत था। १३५६ और ५९ में करीब २७, २८ लाख ऐसे गलत इन्दराज थे जिनमें नाम दिया गया था और कब्जा नहीं था चाहे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको आप दस्तबरदारी कहे या कुछ कहे लेकिन उसका कब्जा ही कभी नहीं था, नाम गलत लिखा गया। ज्यादातर ऐसे केसेज हैं। इनमें किसी के साथ हमारी तरफ से हमदर्दी हुई। इनमें बेइन्साफी होने का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से रामसुन्दर पांडेय जी और जितने दोस्त यहां पर बैठे हुये हैं उनका ध्यान इस सच्चाई की तरफ मबजूल कराना चाहता हूं कि १३६१ फसली में ४८ लाख ३२ हजार आदमी बतौर शिकमी दर्ज थे और उनके पास जमीन २१ लाख १६ हजार एकड़ थी। अब १३६३ फसली चल रही है। ६२ के भी आंकड़े हमारे पास आ गये हैं। उसके मुताबिक ५९६२ हजार नाम शिकमियों के अब हो गये हैं और २६ लाख ८३ हजार एकड़ जमीन हो गयी है। इसका मतलब यह हुआ कि ५ लाख ६३ हजार तो जमीन बढ़ गयी और करीब सवा १५ लाख नाम बढ़ गये। इससे यह बात जाहिर है कि माननीय रामसुन्दर पांडेय जी चाहे बनारस की बात कहें या आज़मगढ़ के केसेज की बाबत कहें यह सब केसेज ऐसे हैं जो हमारे गांवों की, हमारे सूबे की सही तस्वीर को इंडीकेट नहीं करते हैं। इसलिये मैं इस संशोधन को नहीं मान सकता। यह तो वाक़ये की बाबत कहा कि जब एक दफा आर्डर हो चुका तो अब इस तरीके की दफा हम उसमें रक्खें कि बहाल मान लिया जाय उचित नहीं है। जो बात जिस तरह से उन्होंने कही है उसका ड्राफ्ट भी गलत है और दूसरे उसमें कांस्टीट्यूशनल डिफिकल्टी भी है। मसलन् यह कि आपका कागज में कब्जा है और वहां वह मालिक है। अदालत से आर्डर हो गया और उसका कब्जा हो गया और दूसरा आदमी जमीन का मालिक है वह खुद ही कहता है कि मुझको मुआविजा दो। तो जब वह खुद ही अपनी गलती से ऐसा कर बैठा है तो इसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है। वह तो गलती हो चुकी और आर्डर भी हो गया। इसलिये मेरे खयाल में यह संशोधन उचित नहीं है और मैं इसको स्वीकार करने से मजबूर हूं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह माननीय रामसुन्दर पांडेय जी का जो संशोधन है, उस संशोधन पर माननीय मंत्री जी की राय जानने के बाद भी मैं इस मत का हूं कि इस संशोधन में एक संशोधन और कर दूं। जहां रामसुन्दर पांडेय जी ने "खेतों के इस्तीफे" शब्द रक्खे हैं वहां पर "इस्तीफे या दस्तबरदारी या ऐसी दरख्वास्तें जो शिकमी पर खेत जोतने वाले अधिवासियों के हक पर किसी भी प्रकार कुठाराघात करते हों और उनके कब्जे से खेत छिना जाता हो" शब्द रख दिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य उसको लिख कर दे दें।

श्री राजनारायण—मैं लिख कर भेज दूंगा। श्रीमन्, मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी माननीय मंत्री जी से अपने इस संशोधन के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि यह सही है कि माननीय मंत्री जी ने कुछ बात मेरी कल की बात के जवाब में कही होगी और मैं उस समय उपस्थित न हूंगा लेकिन मैं उनका भाव समझ रहा हूं। उन्होंने चाहे जो कुछ कहा हो लेकिन आज वे माननीय रामसुन्दर जी के विरोध ही में बोले हैं तो जब वे विरोध कर रहे हैं तो वह विरोध जनता के हित के विरोध में जा रहा है क्योंकि हम यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इसके पूर्व जब कि सीरदारी का हक लोगों को देने वाले थे और उसके लिये कानून बनाया था तो उससे वे यह चाहते थे कि सीरदारों को हक मिले लेकिन आज शिकमी जोतने वालों के पास से वह खेत हटते जा रहे हैं जो उनके पास थे तो इससे सरकार की जो इच्छा थी उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी हमसे सहमत होंगे। सरकार का यह कहना कि सरकार की इच्छा है कि आज जितने अधिवासी

[श्री राजनारायण]

है वे सब सीरदार बना दिये जायं, यह सरकार की इच्छा थी और श्रीमन्, इससे पहले जो उनसे लेने की बात थी वह भी खत्म कर दी गयी। अब इस डिक्लेरेशन के बाद भी यदि किसी कारण से वह सीरदार नहीं रह जाते हैं या कागजात में सीरदार का नाम रहने के बाद भी उनके पजेशन में जमीन नहीं रहती है तो सरकार की इच्छा की पूर्ति नहीं होती। तो हम इस समय इतना ही कहना चाहते हैं कि जो नीति घोषित हुई है, जिस बात को मूर्तिमान स्वरूप देने की घोषणा सरकार की तरफ से हुई है, उस घोषणा की पूर्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है ? एक बड़े पैमाने से इस्तीफे लिये जा रहे हैं। जब यह विधेयक यहां रक्खा गया तो यह देखा गया कि कानून की रू से यह चीज नाजायज हो गयी है तो इस तरह की नाजायज चीज न करनी चाहिये। बड़े होशियार होते हैं ये जमीन के मालिक। उन्होंने सीधे साधे किसानों को पकड़ा और हाकिम के इजलास में यह कहलाना शुरू किया कि पटवारी ने गलती से हमारा नाम चढ़ा रक्खा है, जमीन हमारे कब्जे में नहीं है, इस जमीन पर असली काश्तकार का नाम जोड़ दिया जाय। यह बात बड़े व्यापक पैमाने पर हुई है। मैं माननीय मंत्री जी को निवेदन करूंगा कि इसमें न तो उनकी ओर से कोई हठवादिता है और न हमारी ओर से कोई हठवादिता है। सरकार खुद कहती है कि जमीन उनके पास रहनी चाहिये। जब सरकार की यह नीति है और इस नीति के रहने के बावजूद भी अगर जोतने बोने वाले के पास जमीन जोर जबरदस्ती से हटायी जाती है तो सरकार को उसकी पेशबन्दी करनी चाहिये। और जब आज सरकार संशोधन ला रही है तो इस अवसर पर मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह अपनी इच्छा की पूर्ति करे और इस पर क्यों वह हठ करती है और हमारी बात नहीं मानती है। अगर माननीय मंत्री जी जिलाधीशों से आंकड़े मंगायें तो सूबे के बहुत से हिस्सों में इस तरह की दरख्वास्तें हजारों की तादाद में एस० डी० ओज० के इजलास में पड़ी पाई जायंगी और मैं समझता हूं कि यह बात मंत्री जी की जानकारी में होगी, अगर है तो वह बतायें कि अब उन किसानों का भला कैसे हो पायेगा। एक बात वह अपने जवाब में कह रहे थे कि जो स्वतः नहीं जाग रहा है उसको आप कैसे जगा पायेंगे, मैं समझता हूं कि यह तो कोई तर्क नहीं है। देखना यह है कि क्या कोई ऐसा पागल है कि जो जमीन उसको मिल रही है वह उसको खुशी से छोड़ दे। हम असहाय हैं, शक्ति हमारे पास नहीं है और भूतपूर्व जमींदारों के द्वारा मारने की धमकी दी जाती रहती है, उनसे आतंकित हैं और जुल्म उनका अब भी चलता है और जबरदस्ती कहा जाता है कि हाकिम परगना के इजलास में जाकर दरख्वास्त दो तो हम मजबूर होते हैं और अपनी जान बचाने के लिए जा कर दरख्वास्त देते हैं और बहुत सी जगह वह दरख्वास्त देने के बाद हमारे पास आते हैं लेकिन फिर क्या किया जाय उसके लिए कानून में कोई निराकरण या सेफ्टी नहीं है, कोई सुरक्षा का आधार नहीं है, वह गरीब है उसके पास जैसा कि मैंने पहले भी कहा कचेहरी में जाने के लिए पैसा नहीं है और वह कचेहरी का बोझ बरदाश्त नहीं कर सकता और न वह उन गुन्डों और बदमाशों का जोरजुल्म ही बरदाश्त कर सकता है, उनका मुकाबला तो उससे सरकार ही करा सकती है अगर वह आज इस कानून में इस संशोधन के द्वारा इस बात को मान कर धारा जोड़ दे कि यदि कोई जबरदस्ती स्तीफा, दस्तबरदारी लिखवाता है या कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र दिलवाता है, जो उसके शिकमी के हक पर कुठाराघात करता है तो ऐसा अभिलेख नाजायज समझा जायगा। यदि इस तरह की सुरक्षा के लिए धारा होगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई जोर जुल्म या दबाव डालकर इस्तीफा या दस्तबरदारी लिखवाकर दाखिल करावे। अगर यह चीजें कानून में आ जायंगी तो कोई फिर इस तरह की चीज न करेगा क्योंकि वह समझ जायगें कि ऐसी चीज अन्ततोगत्वा खुल जायगी और चल नहीं सकती। इसलिए इस संशोधन में मैं अपना संशोधन पेश करता हूं और माननीय रामसुन्दर जी से

निवेदन करूंगा कि वह हमारे संशोधन को मान लें। उन्होंने अपने संशोधन में केवल "स्तीफा" शब्द ही लिखा था। अब वह इस प्रकार हो जायगा कि :—

खंड ८ की धारा १० (१) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिए जायं :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के लागू होने पर अदालतों में जो खेतों के इस्तीफे दाखिल हों—तो मैं "इस्तीफे" के बाद और "दाखिल हों" के पहले यह जोड़ना चाहता हूं कि—"या दस्तबरदारी या ऐसी दस्तखतें जो शिकमी पर खेत जोतने वाले अधिवासियों के हक पर कुठाराघात करते हों और उनके कब्जे से खेत छिन जाता हो"। तो चाहे उसकी कोई भी शक्ल हो, कोई भी ऐसा प्रार्थना-पत्र आता है तो वह अवैध समझा जाय और वह खेत उसी के पास चला जाय जिस की सीरदारी उस पर है। अपनी इस प्रकार की नीति को कई बार मंत्री जी सदन में घोषित कर चुके हैं और सरकार की जो मंशा है उसको ही पूरा करने वाला हमारा यह संशोधन है। पर बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं आखिर में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा और ट्रेजरी बेंचेज के लोगों से निवेदन करूंगा कि वह भी हमारी राय में अपनी राय मिलायें और माननीय मंत्री जी पर इस तरह से एक सम्मिलित आवाज बुलन्द करें कि वे इसको स्वीकार कर लें।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि माननीय माल मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन जहां तक कि वस्तुस्थिति का प्रश्न है मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं जो कि संशोधन द्वारा व्यक्त की गई है। इसमें अगर सरकार थोड़ा भी कष्ट करके पता लगाये तो पता चलेगा कि बहुत से ऐसे काश्तकार अधिवासी जिनको सीरदारी का हक दिया गया है वे आज अपने उस अधिकार से वंचित कर दिये गये हैं। वंचित करने में क्या-क्या प्रलोभन रहे, किस तरीके पर किये गये यह कि हर जगह की परिस्थिति के अनुसार वे प्रलोभन या वे अब दबाव अमल में लाये गये लेकिन खास तौर पर मैं जिस तरफ माननीय मंत्री और माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह कि अगर किसी काश्तकार ने अपनी उस जमीन को छोड़ने में एतराज किया तो उसके खिलाफ दूसरे-दूसरे जिलों में फौजदारी के मुकदमें दायर करके उसको मजबूर किया गया कि वह अपनी जमीन से इस्तीफा दे दे। मैं अपने जिले में ऐसे कई वाकयात जानता हूं जिनमें किसान के खिलाफ २२९ (सी) के अनुसार जाने कितनी नालिशें इस बात की दायर की गईं, प्रस्थापन किया गया कि वह जमीन का अधिवासी नहीं है और उसमें जो काश्तकार थे उन लोगों ने आकर बयान दिये या सुलहनामा दाखिल कर दिया कि उस जमीन से उनका कोई वास्ता नहीं है, वे उसे कभी नहीं जोतते थे। जिन पर २५ सो वर्षों से शिकमियों के नाम चले आते थे ऐसी जमीनों के लिये जब उन्होंने कह दिया कि हमारा इस जमीन से कोई वास्ता नहीं है, यहीं तक नहीं बल्कि हमारे जौनपुर के जिले में ऐसे वाकयात भी मिले हैं जिनमें फर्जी आदमियों को खड़ा करके सुलहनामा दाखिल करा लिया गया और असली काश्तकार को जब मालूम हुआ तो फिर उसके लिये केवल यही चारा था कि वह सुलहनामे को मंसूख कराये। ऐसे वाकयात कुछ हाकिम परगना की नजर में आये तो उन्होंने सुलहनामा दाखिल करना रोका और तहकीकात करने के बाद फिर ऐसे सुलहनामे लेने लगे, यहां तक कि सुलहनामे करने वालों को फिर बाद में बहुत बातें उनको समझाई गईं। तो इस प्रकार से बहुत से जिलों में फर्जी नालिशात दाखिल करके परेशान करके जमीनों के इस्तीफे लिये गये हैं, कहीं बम्बई से, कहीं कलकत्ते से और कहीं और दूसरे-दूसरे सूबों से और ऐसे लोग जो रिश्तेदार या दूसरे लोग थे जो दूसरे शहरों में रोजी रोजगार के सिलसिले में गये हैं उनके लिये यह आसान था कि वे ऐसी फर्जी नालिशात दायर करें। मैं माननीय माल मंत्री महोदय का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हालांकि उनका जाब्ता फौजदारी के संशोधन से शायद कोई वास्ता

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

न हो। लेकिन चूंकि जमीन के मामले मे ही इस अस्त्र का प्रयोग किया गया है इसलिए मैं उनसे यह सुझाव करूंगा कि इस प्रकार का संशोधन जाब्ता फौजदारी मे वह करा दें कि जो भी प्राइवेट कंप्लेंट पर फौजदारी में मुकदमें दायर कराये जायं वह वहीं दायर हों, जहां का कि मुलजिम रहने वाला हो। कागनिजिबिल केसेज में, पुलिस केसेज में यह प्रतिबन्ध तो उचित नहीं है। लेकिन प्राइवेट कपलेंट में जहां का मुलजिम रहने वाला हो . . . . .

श्री जगन्नाथ मल्ल—सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य— माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसी जमींन के सिलसिले में इस तरह के मुकदमे दूर-दूर के जिलों में और दूसरे प्रदेशों में दायर हैं। माननीय माल मंत्री महोदय का कहना है कि जमींन पर तो बहुत सी चीजें हैं। भैंस भी रहती है। तो अगर कोई भैंस का मामला हो तो उसके लिए भी मैं यह निवेदन करूंगा कि चाहे भैंस हो या गाय हो, चाहे बकरी हो, लेकिन उसकी वजह से हेरासमेंट के लिए दूसरे जिलों में इस तरह से मुकदमें दायर होते है तो कोई न कोई सरकार को इसके लिए उपाय सोचना चाहिए। यह माननीय सदन के सदस्यों से किसी से छिपा नहीं है कि इस तरह के मुकदमे परेशान करने वाले होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति मान लीजिये कि जौनपुर का रहने वाला है उसके खिलाफ कलकत्ता या बम्बई में नालिश दायर हो फौजदारी की, तो नालिश के लिए वहां से वारंट आ गया। वह गिरफ्तार हुआ। जमानत करवाई, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद मुकदमे की पैरवी के लिए कलकत्ता, बम्बई उसको चार, छः, दस दफा भी जाना पड़ा, जैसा कि फौजदारी के मुकदमे में होता है तो वह बेचारा कैसे बरदाश्त कर सकता है इस सारे बोझ को। वह गरीब कभी अपने गांव के बाहर नहीं गया। कहां वकील करे, कहां शहादत दे, कैसे मुकदमे की पैरवी करे, सारी मुसीबतें वह कैसे बरदाश्त करे? नतीजा यह होता है कि उसके लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि जमीन से इस्तीफा दाखिल कर दे।

श्री चरणसिंह—अमेंडमेंट क्या हो?

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—सुझाव यह है कि जहां भी प्राइवेट कम्प्लेंट पर मुलजिम रहने वाला हो, उस जगह फौजदारी का इस्तगासा दायर हो।

यह तो गौर करने की बात है जैसे जाब्ता दीवानी में इस तरह का संशोधन हो गया कि जहां का मुद्दालेह रहने वाला हो वही उस मुद्दाअले के खिलाफ नालिश दायर हो चाहे कहीं भी कर्जा लिया हो। लेकिन जहां का रहने वाला है उसी जुरिस्डिक्शन के अन्दर उसके खिलाफ नालिश दायर हो तो उसी अनालोजी पर यह भी हो सकता है। और जैसा मैंने कहा कि अगर पुलिस केस या कागनिजेबल आफेंस हो उसके लिए न लागू हो लेकिन इसके लिए लागू होने में क्या कठिनाई है? अगर मुलजिम दूसरे सूबे में जा सकता है तो जिसको नालिश दायर करनी है वह भी उस सूबे या जिले में आ सकता है जहां पर बसने वाले मुलजिम के खिलाफ शिकायत है। तो इसका कोई न कोई उपाय, मैं यह नहीं कहता कि माननीय मंत्री महोदय, बल्कि सदन के सभी माननीय सदस्य अगर इस कठिनाई को महसूस करते हैं तो इसका कोई उपाय या हल होना चाहिये जहां तक कि इस्तीफा ले लिया गया था जैसे माननीय राजनारायण जी ने कहा कि अदालतों में जमीन ले ली गई या सुलहनामा करा लिया गया तो ऐसे अधिवासी जो काबिज थे,

काबिज पाये गये उन अधिवासियों से जमीन निकल गई। अब इसका हिसाब तो मंत्री जी अधिक जानते होंगे कि कितने अधिवासी थे और अब कितने अधिवासी सीरदार बने, लेकिन जहां तक वाकयात को देखते हैं ऐसे वाकयात काफी नजर में आये हैं और केवल मेरे जिले में नहीं, अभी माननीय राजनारायण जी ने बनारस के बारे में कहा कि उनकी जमीनों पर यही नहीं कि जबरदस्ती कब्जा किया गया और वे मजबूर हो करके घर बैठ रहे, बल्कि अदालतों के जरिये से अदालतों का नाजायज उपयोग किया गया। जहां अदालतें न्याय के लिये हैं वहां उनका दुरुपयोग किया गया और दूसरे तरह से हैरेस करने के लिये भी अदालतों का दुरुपयोग किया गया तो ऐसा जो अन्याय हुआ है उसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि से महरूम हुआ है तो उसके लिये सरकार कोई न कोई उपाय सोचे। मैं यह नहीं कहता कि जो संशोधन आया है वह स्वीकार कर लिया जाय। मैं नहीं जानता कि उसके स्वीकार कर लेने से कितने काम्प्लीकेशन्स कहां-कहां पैदा हो जायेंगे वह तो गौर करने की बात है। लेकिन जिस तरह से मंत्री महोदय ने अधिकार यह दिया था कि १३५६ फसली में जहां-जहां जो काश्तकार काबिज रहा हो उन सब को अधिवासी का हक दे दिया कब्जे की बुनियाद पर। इसकी तहकीकात एस० डी० ओ० और दूसरे हाकिमों ने की और उन किसानों को वह हक दिया गया जिनके नाम नहीं थे और उनका कब्जा पाया गया, उनको अधिकार दिये गये। तो ऐसे जो बहुत से जिनका नाम और कब्जा भी रहा हो वह जो उस अधिकार से वंचित कर दिये गये हों धोके फरेब से, तो उनकी भी तहकीकात होनी चाहिये और सारे ऐसे मामले जो २२९ (c) में लाये गये हैं या सुलहनामे के जरिये से या दूसरे इस्तीफे के जरिये से उन सभी मामलों की तहकीकात करायी जाय और जो अधिकार किसान को वास्तव में देना चाहती थी उसकी सुरक्षा हो।

असल में सवाल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं है कि जो अधिकार आप देते हैं उससे किसान को कोई गुरेज हो, किसान को इस बात की जरूर खुशी है कि सरकार ने किसानों को अधिकार दिये। लेकिन सारी तकलीफ तो किसान को इससे ज्यादा होती है कि वह उस जमीन के पीछे कितना परेशान किया गया। अगर अधिकार की रक्षा ठीक हो तो इतनी बेचैनी जो किसान के अन्दर आज गांवों में या देहातों में फैली है वह न हो। इसका पता गांव में जाने पर लगता है कि कितनी किसान को परेशानी हुई है। यह कानून का दोष नहीं, वह कमजोर है उसकी रक्षा नहीं कर पाता और उसकी रक्षा के लिये अगर कोई फरियाद करता है तो उसका जो मुनासिब इन्तजाम होना चाहिये वह नहीं हो पाता। एक गरीब जिसका खेत जोत लिया गया हो जबरदस्ती या फसल के बारे में किसी पुलिस के पास गया रिपोर्ट लिखाने तो क्या हश्र होता है, किस तरह रिपोर्ट की लिखाई ली जाती है, तहकीकात करना दूर रहा, वह तो लेने देने के बाद ही होती है। तो इस तरह डाका डाला जाता है दूसरे की कमाई पर। यहां तक उपाध्यक्ष महोदय, फसल बोयी गई और तैयार होने के बाद जबरदस्त ने एक बहाना बनाया और काट ली। अब वह गरीब बेचारा फौजदारी लड़े, दीवानी लड़े, माल लड़े। इसलिये जो नुमाया चीज है इसमें तो जुर्म कागनिजेबिल हो जाना चाहिये। यानी पुलिस के अधिकारी स्वयं ऐसे जुर्मों को पकड़ें, चालान करें और सजा दें और सख्त से सख्त सजा दें क्योंकि जितनी कानूनशिकनी इस जमीन के मामले में हो रही है और हुई है उतनी शायद और किसी मामले में नहीं हुई है। जबर्दस्ती फसल को काट लेना, जबर्दस्ती खेत को जोत लेना, यह सारी बातें हुई हैं। अभी मैं अपने जिले में एक मौजे में गया था, शिकायत मिली। वहां किस्सा यह हुआ कि दो गाटे पर एक किसान का नाम अधिवासी दर्ज है उसको सीरदारी का भी हक मिल गया। उससे कहा गया कि इससे इस्तीफा दे दो। इस्तीफा नहीं दिया उसने। उसको धमकाया गया और उसको कुछ नुकसान भी पहुंचाया गया। उसकी बाबत उसने एक इस्तगासा दायर किया। खैर, वह इस्तगासा चल रहा है, मैं उसकी निस्बत कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन इस्तगासा दायर करने के बाद फिर उन दोनों गाटों की ही फसल नहीं काट ली

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

गई जबरदस्ती, बल्कि उसकी सारी फसल और दूसरे जो गांव के गरीब उसकी ओर थे, उन कइयों की और उसकी खुद की जमीन, पट्टे पर जो उसने ली थी, इस्तमरारी पट्टे पर, उस जमीन की और जो रेहन के जरिये से थी, उसकी भी, उन तमाम जमीनों की जबर्दस्ती फसल काट ली। इस तरह से एक नहीं और भी अनेकों उदाहरण हैं। मैं ज्यादा उदाहरण दूंगा तो सदन का समय ज्यादा लगेगा। अभी हाल का एक किस्सा है। एक व्यक्ति के ऊपर चीटिंग का केस कलकत्ते से चलाया गया, वहां से वारंट आया। वह गिरफ्तार हुआ लेकिन फिर न जाने कैसे उसने उस गिरफ्तारी आदेश को रुकवाया, उसमें रुकावट पैदा की गई...

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा हुआ।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तो इस तरह से मुकदमे और मुकदमे के बाद दरमुकदमे, तो फिर उपाध्यक्ष महोदय, आप ही स्वयं सोचें कि वह किसान जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं है, जिसके पास रहने का मकान नहीं है वह क्या मुकदमा लड़ सकता है? कैसे अपनी हिफाजत कर सकता है? अपनी मिल्कियत को कायम रख सकता है? तो जिस समय हमने गरीबों को अधिकार दिया उस समय उसके अधिकारों की रक्षा के लिए भी उचित अस्त्र का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। और वह उचित अस्त्र मैं कहना चाहता हूं कि उचित अस्त्र का इस्तेमाल सरकार की तरफ से नहीं हो पाया है। न्याय करने या न्याय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी तो सरकार ने ले ली लेकिन साथ ही उसकी रक्षा की और पुलिस के द्वारा उस अधिकार के बचाने की जो जिम्मेदारी है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत ही नम्रतापूर्वक कि उसमें सरकार बिल्कुल नाकामयाब रही है और आज हालत यह हो गई है कि पता लगाया जाय कि कितने अधिवासी अपनी जमीन से महरूम हुए हैं, उसका औसत निकाला जाय, तो पता चलेगा कि कितना असन्तोष वहां है और कितनी कानूनशिकनी देहातों में हुई। तो अब इसका तो उपाय होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि क्या उपाय माननीय माल मंत्री सोचेंगे, हो भी सकता है या नहीं हो सकता क्योंकि गरीब आदमी जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो पाता उसकी सहायता भगवान भी नहीं करता।

श्री चरण सिंह--एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि उसी बात को गरीब आदमी की रक्षा, गरीब आदमी की रक्षा, पच्चीस-पच्चीस दफा उसी बात को दुहरा चुके हैं माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष--मैं खुद देख रहा हूं कि माननीय सदस्य जाब्ता फौजदारी में तरमीम चाहते हैं। इस अधिनियम के जरिये तो यह हो नहीं सकता।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--तो उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि ऐसे आदमी की रक्षा भगवान भी नहीं करता तो पता नहीं सरकार कोई रास्ता निकाल पायेगी कि नहीं लेकिन सोचने की बात जरूर है कि उनकी रक्षा की जाय, उनको जो अधिकार दिये गये थे वह उनको वापस मिलें और जितनी जमीनें उनसे निकाली गयी हैं वह उनको वापस दिलाई जायं।

श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)--उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय रामसुन्दर जी ने पेश किया है और उसका संशोधन माननीय राजनारायण सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं उसका विरोध दो कारणों से करता हूं। पहला कारण यह है कि अगर उनका संशोधन मान लिया जाय तो कानूनी पेचीदगियां बहुत बढ़ जायंगी और विधानतः इस प्रकार का संशोधन जिसको वह ला

रहे हैं नहीं लाया जा सकता। माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य के भाषण को मैं बड़े गौर से सुन रहा था और उन्होंने बताया कि जौनपुर जिले में बड़ी ज्यादती हुई और राजनारायण जी ने कहा कि बनारस में बड़ी ज्यादती हुई। मैं उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या मैं उनसे पूछता हूं कि कितने केसेज ऐसे जेनुइन नहीं हैं जिनका कि कब्जा इसलिए जमीन पर नहीं रहा कि उन्होंने जाकर सही बयान दे दिया हो कि इस जमीन पर मेरा कब्जा नहीं था। यह संशोधन जो पेश किया जा रहा है यह किसी तरह से कानून और विधान के पहलू में नहीं आ सकता। इसके लिये माननीय द्वारका प्रसाद मौर्य ने खुद तस्लीम किया कि अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है और उस पर नाजायज दबाव डाल कर उससे इस्तीफा दाखिल कराया गया है और उसको धोखा दिया गया है तो उसका चारा दीवानी में है। वह वहां जाकर दावा कर सकता है। कानून में एक चीज की दो रेमेडी नहीं की जा सकतीं, एक की जा सकती है। अगर उनके साथ में कोई ज्यादती या धोखा दिया गया है तो वह दीवानी के मुहकमे में जाकर गलती को दुरुस्त करा सकता है। मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं, जो संशोधन माननीय रामसुन्दर जी और राजनारायण जी ने पेश किया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मौर्य जी ने इस पर काफी प्रकाश डाला है और मुझे भी वही अनुभव है जो उन्होंने बयान किया है। हमारे माननीय मंत्री जी और यह सरकार बहुत गर्व करते हैं कि हमने जमींदारी अबालीशन करके किसानों की बड़ी भलाई की है और उनको अधिकार दिलाये हैं, लेकिन वास्तव में उनका यह दावा और यह कानून बिल्कुल फार्स है और तमाशा है। जहां यह अधिकार कानून के द्वारा दिया गया है कि अगर कोई सीरदार हो गया है तो जमीन उनकी रहेगी, लेकिन वास्तव में देखा जाय तो मेरा तो यह दावा है कि ९९ फीसदी सीरदारों से जबरन कब्जा छुड़ा लिया गया है। मैं तो चैलेंज करता हूं, हमीरपुर जिले के अन्दर जहां तक मेरी जानकारी है, अगर कोई स्पेशल डेपुटेशन पर एक आदमी गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाय तो ९९ परसेंट यह कानून वहां पर लागू नहीं हुआ है और जो सीरदार थे उनसे जबरन कब्जा छुड़ा लिया गया। उनसे किसी न किसी बहाने, अगर तहसीलदार के यहां नहीं तो जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के यहां, कम से कम १० मुकदमे डेली चालू इस प्रकार के हो रहे हैं कि जिन लोगों के अधिकार से जमीन निकाली गयी है वह सीरदारों से जबरन या धोखा देकर उनसे बयान करवा रहे हैं कि हमारा जमीन पर कोई कब्जा नहीं है, लेखपाल ने जबरन या झूठ नाम लिख दिया है। वास्तव में देखा जाय कि ऐसी हालत में वे क्या करें। तो मैं तो नहीं कह सकता हूं कि जो उस कानून का मंशा था वह कुछ तो लेखपाल के पहले से कागज दुरुस्त न होने से ही उनका मंतव्य पूरा नहीं हो सका और जो कुछ पूरा हो गया है वह इस २२९ (सी) के अनुसार उनके अधिकार उस भूमि से छिन गये हैं, छिन रहे हैं। गरीब आदमी या वे लोग जो मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं और जो पार्टीबन्द हैं, बड़े जबर्दस्त लोग हैं उनके मुकाबले वे रह नहीं सकते हैं अगर वे जमीन जोत रहे हैं तो उनको गांव छोड़ देना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में वे मजबूर हैं कि वे स्वीकार करें कि उनका जमीन पर कब्जा नहीं है और पटवारी ने गलत इन्दराज कर दिया है। अब उसके लिये मंत्री जी ही कम से कम कोई उपाय सोच सकते हैं क्योंकि अगर यह परिस्थिति आती है तो इस प्रकार का कानून बनाने से कोई लाभ नहीं क्योंकि यह चौथा अमेंडमेंट है और इसी प्रकार के अमेंडमेंट आते रहेंगे तो उसमें कोई न कोई धारा ऐसी निकल ही आती है जो मूल अधिनियम का उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता और वह नलीफाई हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी संतोष की बात हो अगर वे लोग जो यह दावा करें कि सीरदार का नाम

[श्री जोरावर वर्मा]

गलत इन्दराज कर दिया गया है या उनका गलत कब्जा है तो उनके फेवर मे अगर यह हो जाय कि जिनके पास तीस एकड़ और हमारे बुन्देलखंड में ६० एकड़ से कम जमीन तक है तो भी संतोष की बात है। वहां वे लोग कब्जा कर रहे हैं जिनकी तीस एकड़ से अधिक जमीन है। तो मंत्री जी अगर इतना ही कर दे कि जो काश्तकार तीस या ६० एकड़ से कम जमीन रखता है उसके फेवर वाली कोई धारा न हटे तो अच्छा है। इसलिये जो माननीय राजनारायण जी ने माननीय रामसुन्दर जी पांडेय के संशोधन मे संशोधन रखा है मै उसका समर्थन करता हूं। मेरा ख्याल है कि यह त्रुटियां हर जिले में हो सकती है और खास तौर से अगर मंत्री जी चाहते है कि जमींदारी अबालिशन का मुख्य उद्देश्य है कि जो जमींन जोते उसकी ही जमीन हो तब तो उनके लिये जरूरी हो जाता है कि यह संशोधन स्वीकार कर ले।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, मै माननीय रामसुन्दर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। इसके सम्बन्ध मे जो बात कही गयी है वह तो यही है कि जमींदारी उन्मूलन कानून इस तरह का है जैसे कोई घड़ा रखा हो और उसमे से ऊपर से तो पानी डाला जाय और नीचे से कोई छेद कर दिया जाय। मै आपको बताऊं कि ७५ फीसदी से अधिक शिकमियों को जमींदारों द्वारा तंग किया गया है और इस्तीफा देने के लिये तंग किया गया है। कलकत्ते मे, कानपुर मे, कहीं दावा करा दिया और वह किसान परेशान होकर इस्तीफा दे देता है। दो एक उदाहरण मै दूं। मेरे जिले मे गोरखपुर के एक जमींदार है। उनकी सीर की बहुत आराजी है उस पर तमाम आदमी पुश्त दर पुश्त से जोतते चले आते है। उसी आराजी पर उनका घर है। कलेक्टर ने जाकर ऐक्ट ३१ के अनुसार उसका नाम लिख दिया और न जाने कैसे गोरखपुर की अदालत में दावा किया। दो तारीखे पड़ी उसमें और नन्दू चमार का आजमगढ़ से गोरखपुर जाना कितना कठिन होगा। वह सब लोग जाकर रो रोकर इस्तीफा दे देते है और सब खेतों से बेदखल होते है। अब जमींदार साहब कहते है कि हम तो बेचेंगे उसे। आपने अधिकार दिया, अधिकार देने के बाद नाम लिखा गया, नाम लिखने के बाद लोगों से मारपीट कर इस्तीफा लिखाया गया उसके लिये आपने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की।

दूसरी बात मै माननीय मंत्री जी को बताऊं कि महाराजगंज थाने के बगल में ही एक चमार रहता है। उसका काश्तकारी का खेत है। वह हाई कोर्ट तक की डिक्री लिये घूम रहा है और हर साल उसका खेत एक भूतपूर्व जमींदार कटवा लेते है। कोई पुरसां हाल उसका नहीं है।

श्री चरणसिंह--वह अपनी फस्ल की हिफाजत मे लाठी लेकर पिट क्यों नहीं जाता है?

श्री उमाशंकर--वह भी हुआ। उसका एक हाथ एक दफा फौजदारी में टूट गया और दूसरा हाथ दूसरी दफा फौजदारी में टूट गया। मैंने मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी। मुख्य मंत्री जी सीधे आदमी है। उन्होंने फट से लिख दिया कि मैजिस्ट्रेट जांच करे। मैजिस्ट्रेट ने जांच की और जांच करने के बाद कह दिया कि मुकदमा चलेगा। दो साल हो गये मुकदमा चलते और मुख्य मंत्री जी ने मेरे पास चिट्ठी लिखी कि आवश्यक कार्यवाही उस शख्स के विरुद्ध हो रही है। माननीय मंत्री जी ने एक सुराख और इस कानून में कर दिया। वह है वर्ग ९। इसमें बड़ी आफत मची हुई है। जो आपने अधिवासियो को सीरदारी का हक दे दिया है तो जब तक अधिवासियों से भूमिधर मालगुजारी लेते रहे तब तक तो वे समझते रहे कि हम इससे मालगुजारी वसूल कर रहे है

और अब उनको मंजूरी मिल गई तो मौका उनसे वसूल होने लगा। इन लोगों ने दस-दस गांवों का संगठन करके और तमाम गुंडे इकट्ठे होकर के बड़ी आफत ढायी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वे इस चीज को दवा करें और इस वर्ग ६ की वजह से जो आफत आयी है उसको किसी तरह से निकालें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामसुन्दर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण— उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने इस्तीफा का जो प्रस्ताव पेश किया उसकी रक्षा करने के लिये क्या माल मंत्री जी एक फौज लेकर वहां पहुंच जायं? जिन्होंने यह कहा है मैं उन माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे चलें गांवों में और किसानों से कहें कि जालिम लोगों के सामने डटें। मैं उनके साथ हूं। मैं आज पायनियर की खबर बताना चाहता हूं कि कानपुर और लखनऊ में रात को ब्लैक-मार्केटिंग हो रही है। अब बताइये क्या करें माल मंत्री जी?

श्री जोरावर वर्मा—प्वाइन्ट आफ आर्डर। माननीय सदस्य अखबार का हवाला दे रहे हैं। तो क्या इस सदन में वह प्रूफ माना जा सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—हवाला तो दे सकते हैं चाहे माना जाय या न माना जाय।

श्री शिवनारायण—बात यह है कि सुनना नहीं चाहते हैं। जब असली कलई खोल कर रख दी जाती है तो परेशान हो जाते हैं। चलिये मासेज में, पिकेटिंग करिये, सत्याग्रह करिये। राजनारायण जी अभी दस दिन के बाद जेलखाने से आये थे। उसके लिये वे मुबारकबाद के पात्र हैं। हमको मासेज के पास जाना चाहिये और मासेज को तैयार करना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि यह जो दावे बम्बई वगैरा से यानी बाहर से हो जाते हैं इसका कुछ न कुछ प्रबन्ध होना चाहिये। एक आध केस में बड़े लोग बहुत तंग करते हैं। लेकिन हम यह कह देना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और हमें संगठन करना चाहिये और जो गुंडा-गिरी करता है उसका डटकर मुकाबला किया जाय। कानून हमने बनाया है, हमने किसानों को फैसीलिटीज दी हैं, अधिवासी को इस्तीफा देने के क्या माने हैं। डंडे खाये जायं और उनका मुकाबला किया जाय। हमारे नौजवान वकील हैं इधर भी हैं और उधर भी हैं और सब लोग मिल कर गरीबों की मदद करें बनिस्बत इसके यहां बैठ कर माल मंत्री जी को कोसें।

उपाध्यक्ष महोदय, शिकायत यह की गई कि माननीय माल मंत्री जी बाढ़ के जमाने में नहीं गये? अकेला मंत्री है कहां-कहां जाय? हम लोग किसानों के हमदर्द हैं कोई उनके विरोधी नहीं हैं। इसलिये हमने उनके लिये कानून बनाया कि अधिवासी भूमिधर बन जाय। अगर कोई किसी के प्रभाव में आकर या लोभ में आकर खेत छोड़ दे और इस्तीफा दे दे तो हम क्या कर सकते हैं और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है। कानून बना हुआ है, पुलिस है, फौज है। यह भी कहा जाता है कि लोग रिश्वत खाते हैं अरे जब सारे के सारे ही डिमोरेलाइज हैं तो क्या किया जाय। हमारे पास कोई ब्रिटिश फौज नहीं है, जापानी नहीं है, हमारे पास जो फौज या पुलिस है वह इन्डियन्स की ही है। इसलिये आज जरूरत है कि उनको मोरल प्रीचिंग किया जाय और उनका स्टैन्डर्ड ऊंचा उठाया जाय। केवल गाली देने से काम नहीं चलेगा। ऐसे-ऐसे कलक्टर्स भी हमारे यहां हैं जो बहुत ईमानदार हैं, देश के शुभचिन्तक हैं और गरीबों के हमदर्द हैं। एक हमारे जिले के कलेक्टर थे उस शख्स ने गांव-गांव जाकर पड़ताल की।

[श्री शिवनारायण]

आज रामराज्य नहीं है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलियुग सब मे बेईमानी रही। सभी लोग गांधी नहीं बन जायेंगे। लोग कहते हैं कि मैं गांधी जी के सिद्धान्त को नहीं मानता हूं। मानता हूं। बुद्ध के जमाने में बुद्ध हुये, राम के जमाने में राम हुये और आज के जमाने मे गांधी जी हुये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अपने को किसानों का संरक्षक कहते है वह देखे कि किसानों के लिये कानून बना हुआ है और उनके खेत रखे जा सकते हैं और कानून पर अमल करवाना चाहिये और जो अफसर अमल करने से इंकार करे उसकी रिपोर्ट कीजिये। माल मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी जरूर सुनेंगे। लेकिन कायदे में लाइये केवल हवा मे बातें करने से काम नहीं चला करता। अन्त में मैं माननीय माल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि किसानों की अगर वह रक्षा कर सकें तो उत्तम होगा। इन शब्दो के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मै धन्यवाद देता हूं उन सभी माननीय सदस्यो को जिन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया है। श्रीमन् केवल माननीय बेचनराम जी और श्री शिवनारायण जी का उपदेश उसके कुछ विरुद्ध हुआ। माननीय राजस्व मंत्री जी कहा करते हैं कि लाठियों से शिकमी किसान अपने खेतों की रक्षा करें। अखबारों के कई उद्धरण देने के लिये मै लाया था कि शिकमी किसान लाठियों के बल पर अपने खेतों की रक्षा करे, माननीय मंत्री के इस कथन की मै कद्र करता हूं और चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी की सरकार भी उन गरीब, मूक और निर्बल किसानों की सहायता कर सके। श्रीमन्, आपको याद होगा कि अब लाठियों की बात नहीं रही। आजमगढ़ में जिला सोशलिस्ट पार्टी ने फैसला किया था कि शिकमी किसानों की रक्षा के लिये हम सत्याग्रह करेंगे। हम लोग, खेत पर धरना देते थे, लाठियां नहीं चलाते थे, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी ने और इस सरकार की पुलिस ने, मैं श्रीमन्, सैकड़ों सबूत दे सकता हूं कि माताओं के ऊपर लाठियां बरसाईं। लोग जेलखाने गये, उन पर मुकदमे चले, उन्हें सजायें हुईं, जुर्माने हुए और फिर राजस्व मंत्री जी हमको उपदेश देते हैं कि शिकमी किसान लाठियों के बल पर अपने खेत की रक्षा करे। कैसे रक्षा होगी? श्रीमन्, मैं राजस्व मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं और उनको याद भी होगा कि आज के मुख्य मंत्री ने उस समय कहा था कि 'रामसुन्दर पांडेय, आजमगढ़ में जो आन्दोलन चला रहे हैं वह छोटी-बड़ी जाति का आन्दोलन है,। क्या सरकार के जो आज मुख्य मंत्री हैं उनको यह बात कहनी चाहिये थी? और इस समय राजस्व मंत्री किसानों को लाठियों के बल पर अपने खेतों की रक्षा करने का उपदेश देते है, ठीक है लेकिन ऐसा भी किसान कब तक करेगा? जिसके हाथ में पैसा है उसी के हाथ में अदालत है गरीब आदमी जिसके लिये कानून है उसके हाथ में पुलिस नहीं है। मैं उदाहरण दे सकता हूं अपने जिले के एक नहीं बीसों नाम बता सकता हूं। कलिया नाम की एक मुसम्मात है। मैं फाइल पेश कर सकता हूं। वह अपने २५, ३० साल के खेत की रक्षा करने के लिये खेत पर डटी लेकिन भूतपूर्व जमींदारों ने उसको मारा। उसकी रिपोर्ट कलेक्टर के पास की गई, मंत्री जी के पास गई, मुख्य मंत्री जी के पास गई, उसका मार से सिर फूट गया, थाने पर रिपोर्ट की गई, अस्पताल में उसका डाक्टरी मुआयना हुआ, लेकिन माल मंत्री जी की पुलिस कलिया मुसम्मात की रक्षा न कर सकी। फिर कहा जाता है कि लाठियों

से अपनी रक्षा करो। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मंत्री जी उपदेश देने के पहिले अपनी पुलिस को ठीक करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस गरीब किसान की रक्षा के लिये यह कानून बनाया गया है और जिसमें प्रदेश की जनता का इतना पैसा खर्च किया गया है उसके लिये वह कुछ काम करे, लेकिन वह तो किया नहीं जाता और उस पर माननीय राजस्व मंत्री जैसा जिम्मेदार आदमी यह कहता है कि किसान लाठियों के बल पर अपनी रक्षा करे, तो मैं समझता हूं कि लाठियों के बल पर अगर शिकमी काश्तकार अपनी रक्षा करने जाते हैं तो उनको फिर जेलखाना होता है। शिकमी काश्तकारों के खेत पर कत्ल हुये हैं। ३०४ और ३०२ के मुकदमे हुये हैं। जो मुजरिम लोग थे उनकी जमानत थाने पर हुयी है। थाने पर उनकी जमानत नहीं होनी चाहिये लेकिन उनकी जमानत हुई है। शिकमी काश्तकारों ने अपनी रक्षा के लिये सब कुछ किया लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे चलते हैं। तो राजस्व मंत्री जी हमको क्या सीख दे सकते हैं? हमारी पार्टी ने शिकमी काश्तकारों की रक्षा के लिये आज तक किया और कर रही है और सारे प्रदेश को तैयार किया और शिकमी किसानों ने आपको मजबूर किया कानून बनाने के लिये और कानून बना और राजस्व मंत्री जी ने स्वीकार किया और इसी सदन में बुलेटिन छाप कर बांटा है और वह हमारे पास मौजूद है, लेकिन क्या होता है इस पर? गौर करने की जरूरत है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अदालतों से इसकी डिक्री हुई है। अदालतों से डिक्री होने के बाद शिकमी किसानों की रक्षा नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं कि राजस्व मंत्री जी को जाकर दिखाया जाय। मैं उन पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं लेकिन उनके दिल की बात जानता हूं जब कि उनके बनाये हुये कानून का उल्लंघन होता है और ऐसे मौके पर सरकार की पुलिस उनके कानून की रक्षा नहीं करती है तो राजस्व मंत्री जी को हमारे साथ बैठना चाहिये। उनको इस्तीफा देना चाहिये। उनके बनाये हुये कानूनों की उनकी पुलिस रक्षा नहीं कर सकती है। मैं समझता हूं असल कसौटी यही हो सकती है। श्रीमन्, हम तो जेलखाने गये हैं और हमारे लिये राजस्व मंत्री जी के उपदेश रुचिकर नहीं हैं। शिवनारायण जी के लिये क्या हूं? वह किस प्रकार से हमारे साथ शिकमी काश्तकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। हमको यह मालूम हुआ है कि माननीय शिवनारायण जी अपने गांव में अपने गांव के बड़े आदमियों के सामने चारपाई पर भी नहीं बैठ सकते हैं और शिवनारायण जी हमारे साथ लड़ने के लिये कहते हैं। वह हमारे साथ आ नहीं सकते हैं और न लड़ाई लड़ सकते हैं। सरकार अपने बनाये हुये कानूनों की हत्या कर रही है। मैं समझता हूं कि जो सरकार अपने बनाये हुये कानूनों की हत्या करे अगर दूसरे प्रदेश की जनता होती तो सरकार इस प्रकार से उल्लंघन नहीं करा सकती थी। हमारी सरकार की पुलिस आज शिकमी काश्तकारों की रक्षा नहीं कर पाती है और यही नहीं बल्कि पुलिस खड़ी होकर शिकमी काश्तकारों के खेत कटवाती है यह मैंने देखा है और सबूत दे सकता हूं। जब पुलिस ऐसा करती हो तो काश्तकार किस प्रकार से अपनी लाठी के बल पर रक्षा कर सकते हैं? यह तो एक आदर्श वाद और जोश की बात है। इससे लोगों को मालूम हो सकता है कि हमारी तरह से राजस्व मंत्री के दिल में भी दया है लेकिन यह दया काम नहीं कर सकती है। जोर के सामने कुछ काम नहीं चल सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि १३५४, १३५५ और १३५६ की देहातों में शिकमी काश्तकारों के नाम हैं। अदालत के सामने वह काश्तकार अपनी रक्षा नहीं कर पाता है। कानून बनता है लेकिन गरीब उससे फायदा नहीं उठा पाता है? मैं निवेदन करूंगा कि उन्होंने हमारी भावना की कदर की। मैं नहीं समझता जब वह कदर करते हैं और बहुत अंश में यह सही भी है तो जब इस सरकार के राजस्व मंत्री जी चाहते हैं कि किसानों को हक मिलना चाहिये तो श्रीमन्, कानून में परिवर्तन हो सकता है। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि संशोधन नहीं हो सकता। कानून में संशोधन हो सकता है। राजस्व मंत्री जी पहले भी कहते थे कि संशोधन नहीं हो सकता लेकिन वैसे

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

कई संशोधन कानूनों मे हुए है। राजस्व मंत्री जी स्वयं ही कहते है कि प्रगतिशील प्रदेशों के कानूनों मे संशोधन हुआ ही करता है। रास्ता तो निकल ही सकता है, यदि हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए रास्ता निकालने की बात हो। मैं आपसे कहूंगा कि शिकमी काश्तकारों की जबरदस्ती बेदखलियां करायी गयी है और आज भी हो रही है। कोई गवर्नमेंट से जी० ओ० गया है कि शिकमी किसान अगर किसी काश्तकार के हक मे इस्तीफा देता है और वह इस्तीफा काश्तकार के हक मे दे तो गांव सभा का चेयरमैन अदालत मे जाकर उसको स्वीकार करे। बनारस मे इस प्रकार का सर्कुलर गया था। बनारस की बात तो हमारे पुराने साथी राजनारायण जी बहुत जानते है, हमारे जिले में भी ऐसी बात हुई और भी हो रही है। प्रधान लोग जाकर उसके पक्ष मे शहादत देते हैं और श्रीमन्, मै राजस्व मंत्री जी को नोट कराना चाहता हूं कि हमारे यहां एक गांव हृदयपट्टी मे एक किसान जो चमार है उससे जबरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया। जब यह जानकारी हमे हासिल हुई तो हमने बताया कि इस तरह की चीज बनारस मे हुई है। लेकिन स्थानीय कर्मचारी हमारी कब सुनता है? जिसके हाथ मे पैसा है गांव मे जोर है उसी के सारे काम होते है, ऐसी पुरानी मसल है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने गिनाया कि ४४ लाख से उनकी संख्या बढ़ कर ५९ लाख हो गयी। माननीय उमाशंकर जी ने राजस्व मंत्री जी को याद दिलाया कि सीरदारी का कानून बनाया गया था शिकमी किसानो के लिये लेकिन कब्जा हो गया भूतपूर्व जमींदारों का, जिसके लिये पुराना संशोधन विधेयक बना कि कब्जा असल क्षेत्रपति का न हो, लेकिन उसके बनने के बावजूद भी कब्जा उन्हीं का हो गया और उनके नाम दर्ज किये जा रहे है और उसका नतीजा यह हुआ कि किसान बेदखल किये जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने जो ५९ लाख की तादाद बतायी है वह ऐसे लोगों की बढ़ी है जिनको माननीय मंत्री जी स्वयं भी देना नहीं चाहते थे, उनकी तादाद हमे भूलना नहीं चाहिये। इसलिये मै निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मंशा का तो आप स्वागत करते है, सदन स्वागत करता है, माननीय बेचनराम जी गुप्त को छोड़ कर, वह ऐसा क्यों करते है मेरी समझ में नहीं आया। शुभा कुछ होता है, और यह होता है कि लोगों को मार-मार कर ऐसा कराया गया है, उन्हीं के आसपास में ऐसा अधिक हुआ है, इसलिये शुभा होता है। इसलिये भी कि उनको छोड़कर और किसी ने हमारी इस शिकमी किसानों वाली चीज का विरोध नहीं किया है। केवल वे ही अकेले विरोध करते है, बनारस के वे रहने वाले है, बनारस के लिये ही यह संशोधन विधेयक आया है। अन्त में मै माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर वे हमारी भावनाओं की कद्र करते है तो वे हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लें। शब्दों का हेरफेर कानूनी दांवपेच वाले ही कर सकते है उस रद्दोबदल को, लेकिन जो हमारी भावना है उसकी कद्र माननीय राजस्व मंत्री जी ने की है इसलिए मै चाहता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष——आपने राजनारायण जी का संशोधन स्वीकार किया या नहीं?

श्री रामसुन्दर पांडेय——मुझे उनका संशोधन स्वीकार है।

***श्री चरणसिंह**——उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम है कि माननीय राजनारायण जी का संशोधन है क्या। (संशोधन पाने के बाद) इसमें शब्द "कुठाराघात" प्रयोग हुआ है वह तो कानून की किताब में आ नहीं सकता, वह अपने कंधे पर कुठार उठाये फिरते हों वह बात दूसरी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

ईमानदारी से कहता हूं कि मेरा कब्जा नहीं है और न रहा——मैं कहता हूं कि ज्यादातर ऐसे हैं तो ऐसे लोगों को ज्यादातर अधिकार होने ही नहीं चाहियें थे कभी भी लेकिन जिनका वाकई कब्जा था और एंट्री भी थी उनके साथ ज्यादती नहीं होती। उनको कब्जा साबित न करना पड़, अदालत में न जाना पड़े, मुकदमेंबाजी न करनी पड़े केवल एंट्री के बल पर दे दो। कुछ लोग हैं जिनका कब्जा नहीं था। एंट्री गलत है, जमीन से दस बीस साल से वास्ता नहीं यह वह कहना चाहते हैं तो बेशक ज्यादातर लोग ऐसे हैं। माननीय राजनारायण जी ने जितनी बैलेंस्ड स्पीच आज दी है उस पर उनको मुबारकबाद देता हूं। बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। उसमें बहुत कुछ सच्चाई है। कोई आदमी इकरार करता है और यह कहा जाय कि कुछ काश्तकार ऐसे हैं जिन्होंने गांव में किसी दबाव या लालच के कारण हालांकि कब्जा उनका था लेकिन आकर उन्होंने कह दिया कि हमारा कोई वास्ता नहीं था। मैंने खुद माना कि ऐसे काश्तकार हैं। कोई छिपाने की बात नहीं। कुछ काश्तकार ऐसे हैं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों की कैसे हिफाजत हो। कानून के जरिये हिफाजत हो सकती है। माननीय द्वारकाप्रसाद मौर्य जी की स्पीच को सुन कर मुझे अफसोस हुआ कि साहब कानून तो बना दिया, उनकी रक्षा का इंतजाम नहीं किया। क्या किया जाय ? क्या एक-एक खेत पर सबइन्सपेक्टर भेज दिया जाय ? नहीं किया जा सकता है। कोई इस तरह से इंतजाम होता है ? यह नामुमकिन है। हो नहीं सकता। आप शिकमी की बात कहते हैं कलको भूमिधर कहता है कि मुझे जमीन नहीं चाहिये, आप मालगुजारी ले रहे हैं, मैं नहीं चाहता। कल को कोई सीरदार कहने लगे। अब सारे शिकमी सीरदार हो ही गये। उसमें मैं या कोई और साहब, या कोई गवर्नमेंट जो बाद में आ सकती है कुछ कर सकती है ? नामुमकिन, नामुमकिन। हम कानून में अधिकार देते हैं। जिसे हम अधिकार देते हैं उसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिये। मैंने शुरू की तकरीर में लंच से पहले अर्ज किया था, फिर जो हमारे जन सेवक हैं जिन्होंने इन लोगों की सेवा करने का व्रत लिया है, फिर वह प्रचार करेंगे। राजकर्मचारी करेंगे प्रचार। राजकर्मचारी तो कानून देखेगा जो दोनों आ कर बयान देंगे। फिर राज कर्मचारी को हमने यह कह दिया कि तुम्हें जरा शुबहा हो जाय कि किसी दबाव की वजह से इस्तीफा दे रहा है तो पहले रोज उस मुकदमे को तय न करो। तारीख लगा दो। गरीब गांव में वापस चला गया तो शायद कोई आदमी उस को बल दे दे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई कहे कि नाम गलत है, मैंने तो जोता ही नहीं, तो जैसा कि मैंने इब्तिदायी तकरीर में इस संशोधन पर बोलते हुये अर्ज किया तो क्या किया जाय ? फिर यही है कि उस आदमी को बांध कर, उस के दो कोड़े लगा कर निकाल दिया जाय, और कह दिया जाय कि चाहे जमीन जोते हुए हो या नहीं लेकिन लगान दो। मुझे अफसोस है माननीय मौर्य जी की स्पीच पर——हिफाजत नहीं की, हिफाजत नहीं की। किस तरह से हिफाजत की जाय ? आखिर कोई बात तो बतायी जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था, पब्लिक मीटिंग में कहा था, एक इंटर-जेक्शन किया था, तब कहा था, और आज फिर दोहराता हूं। कोई नयी बात नहीं है। हमारे दंड विधान की धारा ३२२ जो है उसका एक्सप्लैनेशन है कि हर मनुष्य को अधिकार होगा कि अपनी इज्जत, अपनी जान और अपनी जायदाद की हिफाजत में लाठी उठा सकता है। कौन सी नयी बात मैं कह रहा हूं ? पुरानी बात है। उस हिफाजत करने के सिल-सिले में आक्रमण कारी को चोट लग जाय और मारा जाय तो मुजरिम नहीं होगा हिफाजत करने वाला। मैंने यह कहा कि कानूनी अधिकार मिल गया है। ईमानदारी से कब्जा चला आ रहा है, तो कितना भी गरीब हो लेकिन लाठी ले कर अगर खड़ा हो जाय अपने खेत के एक गज अन्दर और मारने के लिये तैयार हो जाय, और इस तरह दस बीस आदमी हर जिले में मर जांय तो चालान तो मरने वाला का होगा नहीं, मारने वाला का होगा। दो चार आदमियों को सजा हो जाय। तो कोई जमीन छूटेगी नहीं। कहते हैं कि चोट

लगी। मरा क्यों नहीं वह। चोट लगी—ऐसे ही चोट लगवा कर के दावा दायर कर दिया होगा। जो आक्रमणकारी आता है उसके दिल में चोर होता है। वह आदमी रिस्क लेने को तैयार नहीं होता है कि मैं पिट जाऊं दूसरे के खेत पर जा कर।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि अधिकार ला के जरिये से दिये जा सकते हैं। लेकिन मारल करेज कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। वह अपने दिल से आयेगी। दूसरा काम होगा प्रचार करने से। अध्यक्ष महोदय, माननीय जोरावर सिंह शायद चले गये उन्होंने कहा बताइये साहब ६६ फीसदी उन लोगों को जमीन नहीं मिली। मैं जानना चाहता था कि कितने शिकमी दर्ज थे हमीरपुर में कितनी जमीन उनके पास थी शेरू में और आज कितने दर्ज हैं और आज कितनों के पास जमीन है या कितनों को नहीं मिली, कितने बेदखल हो गये हैं? कोई आँकड़े हैं? उनके पास कितने गांवों में वह गये हैं? कितनी शिकायतें उनके पास थीं? और कितने वहां हमारे जो डिप्टी सेक्रेटरी थे रेवेन्यू के जो इस गवर्नमेंट की पूरी पालिसी जानते हैं, कितने वह इस्तं करप्शन के खिलाफ और गरीब आदमियों के हमदर्द वह आप के यहां कलेक्टर हैं। ठीक है, २, ४ हजार के डिसमिस हों। लेकिन कितने लाखों को मिली उसका कोई जिक्र नहीं। मैं इन ६० लाख में से १ लाख ने इस्तीफ़े दिये, इससे कब इन्कार करता हूं। लेकिन एक दम इस तरह कह देना तो ठीक नहीं। आखिर हमारी पब्लिक लाइफ जा कहां रही है।

अब उमाशंकर जी ने कहा कि ७५ परसेंट के खिलाफ दावे दायर हो गये। तो ५ लाख तो शिकमी दर्ज थे १३६१ में। अब होंगे कम से कम ६ लाख। दावे होने चाहियें साढ़े चार लाख। मैं कहूं साढ़े चार लाख न सही, तो सवा दो लाख ही दिखा दें एक लाख ही दिखा दें, ५० हजार ही दिखा दें। कह दिया ७५ परसेंट। अब साहब जबान है, किसी की जबान तो पकड़ी नहीं जा सकती।

श्री उमाशंकर—अध्यक्ष महोदय, मैं सफाई देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं सफ़ाई के लिये मौका नहीं देता। पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन हो तो ठीक है।

श्री उमाशंकर—मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन ही देना है।

श्री अध्यक्ष—(माननीय राजस्व मंत्री से) आप कृपा कर के बैठ जायं।

श्री उमाशंकर—मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को कुछ गलतफहमी हो गई है उसमें। मैंने यह कहा है कि कुछ तो उसी शिकमी की जमीन लेने के लिये किस्म किस्म की चीटिंग करने के लिये इस्तीफ़े दाखिल हो जाते हैं कलकत्ते में, मेरठ में, बस्ती में और दूसरे जिलों में। इसी तरह के अनेक मुकदमे जो दाखिल होते हैं जबरदस्ती सब मिला करके मैंने कहा ७५ परसेंट ऐसे होते हैं।

श्री चरण सिंह—मैं यही कह रहा था कि इस तरह के मुकदमे मेरठ, गोरखपुर, कलकत्ते में साढ़े चार लाख बैठेंगे। यही तो मैंने कहा न। अब मैं यह कहता हूं कि ऐसे मुकदमे सवा दो लाख, एक लाख नहीं होंगे, यह मेरा कहना है। तो अध्यक्ष महोदय, अगर उमाशंकर जी बुरा न मानें तो मैं उनको यह मशविरा देता हूं क्योंकि मैं उनसे उम्र में भी बड़ा हूं कि आगे जो जनसेवा करनी है, एम० एल० ए० बनना है तो ऐक्सजरेशन नुकसान देगा।

अब एक बात माननीय मौर्य जी ने कही कि जाब्ता फौजदारी में कुछ तरमीम हो जानी चाहिये। मैंने कहा क्या हो जानी चाहिये आप बताओ, क्योंकि मैं बता सकता तो कर देता। आपने कहा था कि इस प्रकार हो जाना चाहिये कि प्राइवेट कम्प्लेनेन्ट दावा वहां करे जहां कि

[श्री चरण सिंह]
ऐक्रूड रहता हो। यह आप कह रहे ह। अगर यह मालूम पड़ जाय कि यह खेत की वजह से कर रहा है या अदालत मे जहां दावा दायर हो वहां पता चल जाय कि खेत की वजह से कर रहा है तो ऐसी दफ़ा कर दी जाय। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा ? वैसे तो जनरल कानून बनाना पड़ेगा कि पुलिस केसेज जहां कि जुर्म हुआ वहां काज आफ ऐक्शन हो। अब अध्यक्ष महोदय, मे जौनपुर जा कर माननीय मौर्य जी के यहां ठहरा और एक मेरा रिश्तेदार आ जाय रोतहक जिले का और मेरा रिश्तदार उनके यहां से एक फ़ाउंटेनपेन चुरा कर ले जाय या कोई नौनकाग्नीजेबिल जुर्म कर ले तो माननीय मौर्य जी जायंगे पंजाब मे दावा दायर करने। यह कानून हो जाय आपके कहने के मुताबिक। मै मानता हू कि कुछ केसेज ऐसे है। जौनपुर, बनारस मे या आजमगढ़ मे १०, २०, ५० केसेज हो गये होंगे। बम्बई के, कलकत्ते के, पटने वटने के हो गये होंगे लेकिन सारा सवाल तो यह है कि जनाब जो इलाज बता रहे है उसमे मर्ज से ज्यादा बड़ा मर्ज कहीं न हो जाय। हर चीज के दोनो पहलू होते है। तो एक दो केस हो जाने की वजह से परेशान हो कर ला बदलने लगे तो उसके नतायज क्या होंगे यह भी तो देखना चाहिये और फिर अध्यक्ष महोदय, कोई आदमी और जौनपुर की गलियो मे जाने वाला ऐसा कहे मगर माननीय मौर्य जी वकालत कर चुके है और जिम्मेदार आदमी है और थे, वह ऐसी बात कहे तो मुझे बड़ा अफसोस होता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल––आपके शिष्य रहे है।

श्री चरणसिंह––हां, लेकिन रामायण की वह चौपाई तो आप ने सुनी है न। बस इन शब्दो के साथ इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष––यह संशोधन इस प्रकार है कि खंड ४ की धारा १० (१) के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिया जायं––

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के लागू होने पर अदालतो मे जो खेतो के इस्तीफे दाखिल हो गये हैं, वे सब अवैध समझे जायंगे।"

यह श्री रामसुन्दर पांडेय जी का संशोधन है और इस संशोधन के ऊपर श्री राजनारायण जी का यह संशोधन है कि श्री रामसुन्दर पाण्डेय के संशोधन मे "इस्तीफे" और "दाखिल" के बीच ये शब्द जोड़ दिये जायं :

"या दस्तबरदारी या ऐसी दरख्वास्ते जो शिकमी पर खेत जोतने वाले अधिवासियो के हक पर किसी भी प्रकार कुठाराघात करते हों और उनके कब्जे से खेत छिना जाता हो"

प्रश्न यह कि श्री राजनारायण जी का यह संशोधन स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ४ की धारा १० (१) के अन्त मे निम्न शब्द बढ़ा दिये जायं––

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के लागू होने पर अदालतो मे जो खेतो के इस्तीफे दाखिल हो गये है वे सब अवैध समझे जायगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)––श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि खंड ४ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) के परिच्छेद (६) की प्रथम पंक्ति मे पहले निम्नांकित शब्द जोड़ दिये जायं:

"स्वाधीनता संग्राम के सैनिक (उर्फ राजनैतिक पीड़ित) तथा"।

अध्यक्ष महोदय, इसको बहुत पहले ही आना था पर अफसोस कि अब तक नहीं आया।

अब मैं इस संशोधन को रखता हूं और आशा है कि हम सभी इसको मंजूर करेंगे। इसमें है कि [illegible] [illegible] के लिए, जो अधिकार दिया गया है सेवी वर्गों को जो अधिकार दिया गया है कि वे चाहें तो शिकमी पर भी दे सकते हैं, लेकिन पोलिटिकल सफरर्स के लिए अधिकार नहीं है। जो राजनैतिक पीड़ित हैं वह अपने खेतों को शिकमी को नहीं दे सकते। [illegible] कि जो वेतन लेकर काम करते हैं उनको भी हम इजाजत करते हैं [illegible] लेकिन जो राजनैतिक काम करते [illegible] उनका कोई ख्याल नहीं कि उनका क्या होगा, उनके बच्चे क्या खायेंगे, यह अफसोस की बात है। वह ऐसे लोग हैं जिन्होंने पब्लिक की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर दिया उन्हें ख्याल भी नहीं था कि स्वराज्य हो जायगा। वह सन् २१ में आगे आये, सन् ३० की बात कहूं सन् ४२ में भी जब जेलों में बन्द थे तो यही ख्याल था कि हम लोगों को गोली [illegible] ऐसे [illegible] ही स्वराज्य का झंडा उठाये और वही आजादी पा [illegible] कि आज के कैदी एक दम कुर्सी पर पहुंच जायेंगे लेकिन उन्होंने दिन रात [illegible] स्वराज के लिए आदमी तपस्या करता है [illegible] किसी ने नहीं देखा लेकिन [illegible] तपस्या करते [illegible] मारे फिरते थे, यह [illegible] उनकी [illegible] इज्जत करनी थी। तो मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आज पोलिटिकल सफरर्स को कम से कम वह अधिकार तो दिये जायं जो आप सिपाहियों को देते हैं जो वेतन लेकर काम करते हैं, लेकिन जबकि हमारी सरकार है, सोना कहता है कि मुझे उस वक्त तकलीफ नहीं होती जब मुझे आग में झोंक दिया जाता है अपनी नकली सोने को अलग करने के लिए, और निहाई पर रख कर पीटा जाता है, तब भी तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब एक तरफ हम होते हैं, दूसरी तरफ घुंघची और रत्ती रख कर तौला जाता है, कि सोने में कितना वजन है तब मुझे कष्ट होता है। तो वह पोलिटिकल सफरर जो अपनी जान को हथेली पर लेकर काम करते हैं उनकी इज्जत न की जाय और जो पे लेकर काम करते हैं उनकी इज्जत की जाय और खास कर जब अपनी सरकार आज कल कुर्सी पर है। मेरा ख्याल है कि उनकी उपेक्षा की गयी यह गलती हो गयी, यह काम पहले ही होना चाहिये था। लेकिन आपने कहा कि सिर्फ बनारस के लिए होगा। अगर सिर्फ बनारस के लिए होगा तो कल पूरे प्रान्त के लिए होगा और चूंकि प्रान्त हमारा हमेशा आगे रहता है तो फिर यू० पी० के बाद सारे हिन्दुस्तान के लिए यह चीज हो जायगी। इसलिए मैं यह आशा करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाय। लोग कह सकते हैं कि साहब यह जो हमारे राजनैतिक पीड़ित हैं यह खेती तब नहीं करते। अब तो आजादी मिल गयी तो खेती क्यों नहीं करते। ठीक है, यह कहा जा सकता है कि जो खेती करे खेत उसी को मिलना चाहिए। मैं अर्ज करता हूं कि पब्लिक सेवा करने में जो खुशी होती है इसको समझाया नहीं जा सकता। कोई बुलाने गया था उनको कि चलो जेलखाने, डंडे खाओ, नहीं पब्लिक की सेवा करने में खुशी होती है। मैं अर्ज करता हूं कि होंगे, करोड़पति, होंगे पैसेवाले, घर में लगी होंगी उनके खस की टट्टियां लेकिन दूसरों की खिदमत करने में जो आराम मिलता है वह दूसरी जगह नहीं मिलता। मैं लाख लिख डालूं, लाख भाषण दे दूं लेकिन चीनी खाने के बाद ही चीनी का मजा मिलता है। दो हजार लेख लिख दूं कि नमक ऐसा है लेकिन नमक क्या है वह तो नमक खाने के बाद ही मालूम होता है। इसी तरह से पब्लिक की सेवा में कितनी खुशी होती है वह तो वही जानता है जो पब्लिक की सेवा किया करता है, तो मैं अर्ज करता हूं कि जिस, ने पब्लिक की सेवा करने में अपने आराम को ठोकर मार दी, अपने काम को बन्द कर दिया और कहीं डिस्टरबेंसेज हुए और वह अपने कामों को ताक पर रख कर चले जाते हैं और पब्लिक का काम करते है, तो उन्हें पब्लिक का काम करने के लिये उनको इनाम मिलना चाहिये न कि सजा। चौबे जी बनने गये थे छब्बे और हो गये दुबे। वे आज भी अपने खेतों को शिकमी पर दिये हुये हैं और अपने को खतरे पर उन्होंने डाल दिया है क्योंकि आपके कायदे कानून ऐसे बन गये हैं कि वह साफ हो जायगा लेकिन उन्हें किसानों पर विश्वास

[श्री सीताराम शुक्ल]

होता है कि वे उनको धोखा नहीं देंगे। किसान जब उससे कहता है कि उसके पास जमीन नहीं है तो वह उस पर विश्वास करके उसको जमीन अपने को खतरे में डाल कर शिकमी उठा देता है। इसीलिये मैं कहता हूं कि उनकी सेवा के लिये उनको इनाम मिलना चाहिये और मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूं कि अगर आप उन्हें दें देंगे तो उन्हें शान्ति मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त पब्लिक के हाथ में बड़े अधिकार हैं। खजाना उनके हाथ में है लेकिन वास्तविक प्रचार नहीं हो पाता। इस सरकार में हो सकता है कुछ खराबियां हों लेकिन औरों से बहुत अच्छी है लेकिन प्रचार कहां इसका हो पाता है। जो काम करने वाले हैं उनकी सहायता के लिये लीजिये, देखिये वे अपने आराम को ताक पर रख कर आ जाते हैं। देखिये अभी की बात। एक कानून बना है उसके खिलाफ हड़ताल, नारे और कल इसी समय एक मुर्दा जलाया गया। इसका जवाब अगर आप नहीं देंगे तो कल धोखा हो सकता है। मैं अर्ज करूंगा आपसे कि गलत प्रचार करके लोग नुकसान कर देंगे और सरकार के खिलाफ इसी तरह से प्रचार चलता रहा और आपने जवाब नहीं दिया तो पब्लिक का बड़ा नुकसान होगा। प्रचार तनख्वाहदार आदमियों से नहीं होता। "कहां से लायेगा कासिद बयां मेरा जुबा मेरी" जो आप कहना चाहते हैं वह तनख्वाहदार कैसे करेगा? इसलिये यह आवश्यक है जो देशभक्त है जो पब्लिक की खिदमत करना चाहते हैं वे आयें उनको हेल्प कीजिये और उनको मौका दीजिये पब्लिक की सेवा करने की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उनसे ज्यादा आपको कोई प्रचार करने वाला नहीं मिल सकता। वे देशभक्त हैं, उनकी मदद कीजिये।

दूसरी बात यह कि कहीं गलतफहमी न हो। "अंधा बांटे सीरनी घरै घराना खाय।" तो ये दो सवाल हो सकते हैं। लेकिन इसके दो जवाब हैं। एक तो यह कि पब्लिक को इतना बुद्धू आप क्यों समझते हैं। किसान ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अगर उनके सामने पक्ष विपक्ष, दोनों की बातें आ जाती हैं तो वे सही फैसला आसानी से कर लेते हैं। मैं नहीं कह सकता कि जो कांग्रेसमैन हो पोलिटिकल सफरर हों उन्हीं के साथ यह रियायत हो। मैं तो कहता हूं कि जिस किसी ने भी कुर्बानी की हो, चाहे वह किसी पार्टी का हो उसके लिए दरवाजा खुला हुआ होना चाहिये। दूसरी बात यह कि पब्लिक इससे नाराज नहीं होती है कि पोलिटिकल सफरर्स को यह रियायत क्यों। मैं देहात का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं। पब्लिक नाराज होती है कि तमीज नहीं है और जगह दे दी गयी। हम आपके रिश्तेदार हैं लिहाजा नौकरी मिल गयी। ऐसे कामों से पब्लिक नाराज होती है। वर्ना पोलिटिकल सफरर्स के लिये पब्लिक आंखें बिछाना चाहती है। अगर मिनिस्टर और मेम्बर बनने से गलतफहमी नहीं फैलती है तो फिर शिकमी बना देने में क्या गलतफहमी फैल जायगी। एक गाली सगा साला देता है तो बड़ी अच्छी लगती है। और यही शब्द साला--जब दुश्मन कहता है तो सारा बदन जल जाता है। मैं आपसे अर्ज करता हूं शायद आप गये होंगे वहां, कि कराची कांग्रेस में महात्मा गांधी ने फरमाया था कि जब मैं अनार का शर्बत लेता हूं, अच्छे खाने खाता हूं तब मैं सोचता हूं बड़ा अन्याय तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर उन्हीं किसानों के लिये यह करता हूं तो खुदा मुझे माफ करेगा। ये शब्द थे महात्मा गांधी के आल इण्डिया कांग्रेस, कराची में और फिर आपके पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। जेहाद के नारे लगते हैं। कोई कह नहीं सकता क्या-क्या होगा। इसलिये वीर पूजा करने की सख्त जरूरत है ताकि लोगों को मालूम हो कि जो त्याग करता है उसको तकलीफ नहीं होती है, उसकी इज्जत होती है, पूजा होती है।

श्री रामदुलारे मिश्र] (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय सीताराम जी शुक्ल ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो विचार व्यक्त किये हो सकता है कि उनसे हम सहमत न हों लेकिन जो संशोधन पेश किया गया है वह एक खास महत्व रखता है। हम जब उन लोगों के साथ रियायत करते हैं

जो भारत संघ के सैनिक, नौसैनिक या वैमानिक सेना के नौकर हैं जिनसे अधिकांश भारत को गुलाम बनाने में मदद की, उनको पेन्शन के साथ, जमीन के सम्बन्ध में रियायत दी जा रही है तो स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों को यह रियायत क्यों न दी जाय। यह संशोधन काफी महत्वपूर्ण है। यह जरूरी है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है वे चाहे आज किसी कारण हमारे संगठन और शासन से मतभेद रखते हों लेकिन उनकी कुर्बानियों और देशभक्ति को भुलाया नहीं जा सकता। मैं यह समझता हूं कि बिना पार्टी का खयाल किये चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे प्रजा सोशलिस्ट हों या सोशलिस्ट हों, अथवा दूसरे दल में हों, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है उनके साथ भी यह रियायत बरती जानी चाहिये। श्रीमन्, अभी एक बात सीताराम जी शुक्ल ने कही कि सरकार की ताकत को मजबूत बनाना जरूरी है और सरकार की ताकत को मजबूत बनाने का तरीका यह है कि राजनैतिक पीड़ितों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है उनको जमीन के संबंध में रियायत दी जाय। मैं इसका कायल नहीं हूं कि सरकार की मदद की जाय उन लोगों के जरिये जिनको जमीन के संबंध में रियायत करने की चर्चा है। मैं इसे नहीं मानता हूं। जो लोग राजनीतिक पीड़ित हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है, आजादी के किले की नींव हैं जिनके बल पर देश ने आजादी हासिल की है उनका नाम निशान तक नहीं है। हो सकता है कि उनके परिवार के लोगों के पास जमीन हो और यह भी हो सकता है कि जमीन के संबंध में यह जो कानून बना है उससे उनको नुकसान भी हो जाय। इस संबंध में मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। और सदन का समय भी लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं माननीय माल मंत्री जी से जो इस सूबे के प्रमुख जन सेवक हैं और जिनका सम्पर्क आजादी के सैनिकों से परिवार की भांति है और वह उनकी परेशानी को जानते हैं और उनकी आवश्यकताओं का अनुभव भी करते हैं। इस लिये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं माननीय सीताराम जी शुक्ल के संशोधन का सख्त विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, मैं यह भी समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। जो मूल अधिनियम है और इसके साथ-साथ जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसमें साफ लिखा हुआ है कि बनारस राज्य पर लागू करने के लिये है तो पहली बात तो यह है कि यह संशोधन विधेयक बनारस राज्य के लिये ही लागू करने के लिये है और सीताराम जी शुक्ल का संशोधन सारे प्रदेश के लिये है इस लिये इस पर संशोधन लागू नहीं हो सकता है। अगर यह कहा जाय कि बनारस राज्य में ही लागू कर दीजिये, यह तर्क वह दे सकते हैं उसका जवाब मैं आपके द्वारा यह देना चाहता हूं कि शुक्ल जी आखिरकार राजनीतिक पीड़ितों का एक अलग वर्ग क्यों बनाना चाहते हैं। श्रीमन्, राजनीतिक पीड़ितों को यह विश्वास नहीं था कि हम जेलखाने जा रहे हैं इसकी बदौलत हमें कुछ मिलने वाला है। उसने एक उच्च भावना को लेकर अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से निकालने के लिये गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी।

यह संशोधन है श्रीमन्, इसमें जो अक्षम है और जो मूल अधिनियम है उसमें अक्षम की गणना की गई है, उसमें स्त्री, पागल, बेवा, अंधा, शारीरिक दुर्बलता वाला भारतीय सैनिक, नौसैनिक हैं। अगर यह मान लिया जाता है तो फिर शुक्ल जी जैसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं कि खेत निकालने के लिये उनको कुछ अधिकार प्राप्त हो जायं। लेकिन मैं श्रीमान्, निवेदन करना चाहता हूं कि एक बिस्वा भी जमीन निकालने की वह इजाजत नहीं देंगे। श्रीमन्, वह राजनैतिक पीड़ित जिसने त्याग किया उसकी भावना यह नहीं रही। दूसरी बात यह कि अगर दूसरी तरह से देखा जाय तो मालूम होगा कि राजनैतिक पीड़ितों की आज सारे देश में हुकूमत है और माननीय सीताराम जी उसके एक अंग हैं और वह इस तरह से आजादी का तोहफा चाहते हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जिला में राजनैतिक पीड़ितों ने काफी

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

लिया है, पेशने ली है, और जाने क्या-क्या लेते चले जा रहे हैं, तो फिर बीस, तीस बरस से जो एक किसान अपना खेत जोतता चला आ रहा है इस संशोधन के द्वारा माननीय शुक्ल जी चाहते हैं कि वह बेदखल हो जाय और इसका अधिकार राजस्व मंत्री जी उनको दे दें। मैं समझता हूं कि राजस्व मंत्री जी यह अधिकार उनको देने वाले नहीं हैं और अगर देते हैं तो मैं शुक्ल जी से यह कहूंगा कि वह राजनैतिक पीड़ितों को और कलंकित करने की बात न सोचें। यह बहुत खराब बात होगी। शिकमी किसान ऐसे लोग हैं कि जिनके पास और कोई सहारा नहीं है और श्रीमन्, सरकार के पास एक तालिका है जिसे माननीय मंत्री जी ने पारसाल वितरित भी किया था कि ४४ लाख ३२ हजार शिकमी किसान हमारे प्रान्त में हैं जिसमें एक किसान आधे एकड़ से कम औसत खेत जोतता है। वह अब माननीय मंत्री जी के शब्दों में ५९ लाख हो गये हैं। तो आधे एकड़ से कम खेत वाले किसानों को भी वह नहीं देखना चाहते और राजनैतिक पीड़ित के नाम पर उसे बेदखल कराना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि बेदखली जारी हो जाय। मैं जानता हूं और आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि पारसाल बहुत से माननीय सदस्यों ने लिखित दिया था माननीय पंत जी को कि बेदखली जारी की जाय। बेदखली जारी कराने वाले इसमें बहुतेरे लोग बैठे हैं और इस समय माननीय सीताराम शुक्ल जी को सहा नहीं गया, बरदाश्त नहीं हुआ और उन्होंने दो संशोधन उस आशय के रख दिये। तो मैं यही कहूंगा कि कलंकित मत कीजिये राजनैतिक पीड़ितों को। इस एक तो दो बिस्वा के किसान की बेदखली से कुछ होने वाला नहीं है और उसके कारण बहुत से खेतिहर मजदूर, जो उसी से अपनी गुजर करते हैं बेकार हो जायंगे। माननीय शुक्ल जी उन खेतों से पैदावार नहीं कर सकते। माननीय राजस्व मंत्री जी कहा करते थे कि पूर्वी जिलों के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, उनको रोटी नहीं मिलेगी। वह सही कहते हैं और यह सही है कि जब तक उच्च जाति के लोग अपने हाथ से हल नहीं चलायेंगे, फावड़ा नहीं चलायेंगे, खेतों में मेहनत नहीं करेंगे तब तक उनको रोटी नहीं मिलेगी और तब तक खेतों से पूरी अच्छी पैदावार नहीं हो सकती। मैं इसको मानता हूं। माननीय सीताराम जी उन्हीं को खेत दिलाना चाहते हैं जो फावड़ा नहीं चला सकते, हल नहीं चला सकते, चैत की दुपहरी में बाहर नहीं निकल सकते और ऐसे लोगों से खेतों को छीन कर देना चाहते हैं कि जो बेचारे उसी पर निर्भर हैं। जिनको जमीन मिलनी है उनके पास रोजगार है, पैसा है, सरकार वही चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। श्रीमन्, मैं तो बहुत मामूली किसान हूं केवल १० बीघे का किसान हूं और उस १० बीघे में भी हम तीन भाई हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं कि अपने १० बीघे खेत को शिकमी पर दे दूं। इस प्रकार से मेरा निवेदन यह है कि यह संशोधन बिलकुल नामंजूर किया जाय। मैं सीतारामजी शुक्ल से निवेदन करूंगा कि इसको वापस ले लीजिये और इसको वापस लेकर अपनी प्रतिष्ठा और सदन की प्रतिष्ठा बचायें। नहीं तो यह राजनैतिक पीड़ित वर्ग ऐसा बनता जाता है जिसकी ओर बाहर के लोग इशारा करने लगे हैं कि सारा काम तो यह राजनैतिक पीड़ित करेंगे, सारा अधिकार सारी सम्पत्ति इनके हाथ में आ जायगी तो इस बेदखली का अधिकार भी इनको दे देंगे तो यह बेदखली करना शुरू कर देंगे। एक मामूली किसान का खेत बेदखल नहीं हो सकता लेकिन माननीय शुक्ल जी के खेत पर कब्जा है तो वह बेदखल हो जाय। यह कहां-कहां का इन्तजाम है और कहां का न्याय है? इसलिये मैं आपके जरिये से राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को न मानें और शुक्ल जी इस अपने संशोधन को वापस लेने की कृपा करें।

*श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सीताराम जी शुक्ल के संशोधन को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि मुझे याद है कि जब माननीय शुक्ल जी

हरिजनों की समस्या पर बहस होती है तो वे कहा करते हैं कि हरिजनों की समस्या सामने लाना मुसलिम लीगी मनोवृत्ति का परिचय देना है। यह राजनैतिक पीड़ितों की समस्या भी क्या इसी प्रकार की है?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि पिछले जो तर्क दिये गये हैं उनको काटने का प्रयत्न करें बजाय इसके कि उनकी नीयत पर किसी प्रकार से आक्रमण किया जाय।

श्री जोरावर वर्मा--इन राजनैतिक पीड़ितों के लिये जो सुविधा दी जाय उसके लिये कोई इनकार नहीं कर सकता लेकिन राजनैतिक पीड़ितों की भी कोई परिभाषा है? मैं तो नहीं समझता कि राजनैतिक पीड़ित की कोई परिभाषा है। क्योंकि मैंने अपने जिले में भी राजनैतिक पीड़ितों की लिस्ट को देखा है और अन्य जिले की जिससे मालूम हुआ और दूसरे जिले के लोगों को भी मालूम होगा कि उनकी कोई सीमा नहीं है। मैं समझता हूं कि जिसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया वह सब राजनैतिक पीड़ित हैं।

श्री लालबहादुर सिंह--क्या आप भी राजनैतिक पीड़ित हैं?

श्री जोरावर वर्मा--जी हां, मैं तो उस समाज से सम्बन्ध रखने वाला हूं जिन लोगों ने खून का खाद देकर खेतों की उपज बढ़ाई है और देश का साथ दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता हूं कि जिस देश को गांधी जी गरीब देश कहा करते थे वहां पर अगर राजनैतिक पीड़ित बिना जमीन के हो जायं तो मेरा ख्याल है कि इस देश का सुधार जल्दी हो सकता है क्योंकि जो लोग जमीन वालों से परेशान हैं और जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है उनकी संख्या बहुत बड़ी हो जायगी और राजनीतिक पीड़ितों की वह अवस्था हो जायगी जिसकी इच्छा महात्मा गांधी किया करते थे। वह कहा करते थे कि अगर मुझे मोक्ष न मिले और हिन्दू धर्म में पुनर्जन्म की व्यवस्था है तो भगवान् मुझे हरिजन के घर पैदा करें, ताकि मैं उनके कष्टों का अनुभव कर उन्हें दूर कर सकूं। उस समय राजनीतिक पीड़ितों की सीमा नहीं रहेगी तो इस जमीन का बटवारा तब जल्दी से हो सकेगा और संत विनोबा का यह प्रोग्राम भूमिदान यज्ञ जल्दी ही पूरा हो जायगा क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में शासन की बाग-डोर होगी और वह ऐसे ही निर्णय करेंगे कि हर एक आदमी के पास इतनी जमीन होनी चाहिये जितनी वह जोत सके। और वह किसी प्रकार से उनको मिलनी चाहिये। मंत्री जी ने और कई लोगों ने इस ओर संकेत किया है कि ऐसे लोगों को कई सुविधायें दी गयी हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिये बलिदान किया है और राष्ट्र का साथ दिया है और अंग्रेजों का साथ नहीं दिया है। इसमें जब सेवा करने वाले लोग आ गये हैं और जन सेवा करने वाले लोगों का यह कर्तव्य है कि जो उनके सामने उनका कमान्डर हुकुम दे उसका पालन करें और उनका हुकुम मानें तो वही जनसेवा है। यह हो सकता है कि उसकी ड्यूटी राज्य बदलने से बदल जाया करती है। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं--नाबालिक, स्त्री और विधवा, इसमें बहुत से राजनीतिक पीड़ित भी होंगे और उनको भी वही सुविधा मिल जायगी जो और दूसरे लोगों को इस कानून द्वारा प्राप्त होगी। माननीय शुक्ल जी यह चाहते हैं कि जो संशोधन उन्होंने पेश किया है वह सुविधा उनको प्राप्त हो जाय। एक तो यह है कि सन् ४७ में अंग्रेज यहां से चले गये। बाद में यह जमींदारी ऐक्ट बना। उसमें यह ६० एकड़ और ३० एकड़ की बात रक्खी गयी। जो लोग इस बात को समझते थे और जिन लोगों के कब्जे में जमीन थी उन लोगों ने दूसरों के कब्जे को हटाया और उन जमीनों पर वही लोग अब भी अधिकार किये हुये हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेदखल हो रहे हैं और आगे भी हो सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजनैतिक पीड़ितों की सेवा का प्रश्न है इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता लेकिन जैसा मैंने पहले कहा इसकी परिभाषा डिफाइन करना बड़ा कठिन है क्योंकि हम देखते हैं चन्द्र शेखर आजाद सरीखा कोई ही राजनैतिक पीड़ित हुआ होगा जो देश के लिये मर मिटा लेकिन उसके खानदानवालों और विधवा माता के लिये कोई सहारा नहीं है। लेकिन वे राजनीतिक पीड़ित जिनके पास जमीनें हैं जो जमींदार बन गये हैं, उनका यह सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वे अपने उन राजनीतिक पीड़ितों को जो बेसहारे के हो गये हैं, कोई सहारा दें और उनको

[श्री जोरावर वर्मा]

स्वयं भी सहायता दें तो अच्छा होगा। जो यह संशोधन रक्खा गया है अगर यह पास हो गया तो मेरा ऐसा ख्याल है कि जिन लोगों की जमीनें है और उसके लोग सीरदार हो रहे है तो हर एक आदमी इस बात का सर्टिफिकेट दे देगा कि वह राजनीतिक पीड़ित है मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात के लिये अगर कुछ टाइम दे दें तो उसको यह पता चल जायगा कि कोई भी भूतपूर्व जमींदार या जमीन वाला ऐसा बाकी न रहेगा जो राजनीतिक पीड़ित न बन जाय। इस प्रकार के कानून से कोई हित नहीं हो सकता। इसलिये उन्होंने जो संशोधन रक्खा है वह भावना मे तो बहुत अच्छा है लेकिन इससे राजनीतिक पीड़ितों की भी कोई सेवा नहीं हो सकती और इस संशोधन का दुरुपयोग ही हो सकता है। पहले २२९ (सी) का माननीय मंत्री जी ने अधिकार दिया था कि किस तरीके के बेदखल किया जा सकता है तो हजारों और लाखों की तादाद में लोग बेदखल हो गये। इसी प्रकार अगर मंत्री जी ने माननीय शुक्ल जी के संशोधन को मंजूर कर लिया तो वे देखेंगे कि बहुत तादाद में लोग बेदखल हो जायेंगे। इसलिये मैं माननीय सीताराम जी शुक्ल से यह निवेदन करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

* श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सीताराम जी शुक्ल के संशोधन का विरोध करता हूं। पहले भी गालिबन इसी प्रकार का संशोधन पहले बिल के समय माननीय शुक्ल जी ने पेश किया था। अगर राजनीतिक पीड़ितों के शिकमी काश्तकारों को हम बेदखल किये जाने की व्यवस्था कर दें तो इससे राजनीतिक पीड़ितों के लिये सूबे में एक बड़ी दुर्भावना फैलेगी और उनको इससे नुक्सान होगा, राजनीतिक पीड़ित यश की कामना करता है अगर ऐसा करें तो उसके लिये यह अपयश का एक बड़ा भारी कारण बन जायगा।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइन्ट आफ इनफार्मेशन, यह उन्हीं के लिये तो होगा जो आगे राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं?

श्री चरणसिंह—हां, जो लोग राजनीति में काम करते है या जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं तो वह किसी रिवार्ड की एवज में नहीं करते, वह उसकी कोई एवज नहीं चाहते जहां उसके एवज की या सांसारिक लाभ की बात उसके मन में आयी उस की वह सेवा दूषित हो जाती है। जब सत्ता हमारे हाथ में नहीं आयी थी और देश आजाद नहीं हुआ था और जो लोग देश का काम करते थे तो उनके सामने या बात नहीं थी कि हम इस सेवा का कोई आगे एडवान्टेज उठा सकेंगे, ऐसी कोई भावना उन के दिलों में नहीं थी। वह देश के लिये जेल गये, कुर्बानी की देश को आजाद कराने के लिये लेकिन उन के सामने कोई सांसारिक प्रलोभन नहीं था। लिहाजा अब जब हमारे हाथ में सत्ता आ गयी तो हम चाहें तो ऐसा कानून बना सकते है लेकिन अगर कोई ऐसा दल यहां होता जिसमें राजनीतिक पीड़ित लोग न होते और वह इस तरह का कानून बनाता तो राजनीतिक पीड़ित जो राज्य में न होते तो उनके प्रति वह दुर्भावना न होती लेकिन जब आज हमारे हाथ में सत्ता है तो इस तरह का प्रश्न उठाना वैसे तो हम जैसा चाहें कानून बना सकते है लेकिन जिससे एक बड़े वर्ग का लाभ होता है ऐसा कानून बनाना मुनासिब नहीं है। फिर उस का दूसरा पहलू भी देखना है कि वह किसके खिलाफ पड़ेगा, वह हमारे लाभ का है लेकिन उनके खिलाफ पड़ेगा जो बहुत छोटे लोग है और जैसा कि माननीय राम सुन्दर जी कह रहे थे कि ६० लाख शिकमी और २७ लाख एकड़ जमीन आधे से भी कम पड़ती हैं, अगर्चे मैं साफ कर दूं यह ६० लाख नाम है ६० लाख आदमी नहीं हैं। नाम इस तरह से है कि आधा आधा कर के तीन जगह एक ही आदमी का नाम है। तो इस तरह से असल में यह २० लाख ही आदमी होंगे और एक ही शिकमी का नाम ३ जगह आ गया इस तरह से ६० लाख हो गये। तो डेढ़ एकड़ जमीन पड़ जाती है। अगर हम २० लाख आदमी मान लेते है, तो वह डेढ़ एकड़ वाले लोग बेदखल होंगे हमारे खेत से, माननीय शुक्ल जी के खेत से और यह कहकर

उनको बेदखल कराया जायगा कि वह सन् २१ मे जेलखाने गये थे और सन् ४२ मे भी ६ महीने के लिये गये थे और वह यह बात अर्जी दावे में लिखेंगे और अदालत में जाकर इसका सबूत देंगे, वह कहेंगे या उनके लड़के जो भी होंगे वह जाकर इस तरह की दरख्वास्त देंगे। और वह गरीब फिरेगा एक-एक डेढ़-डेढ़ एकड़ जमीन के लिये कोर्ट में मुद्दाअलेह बनता हुआ। क्या शोभा देगा? मुंह काला हो जायगा। तो मैंने पहले भी उसका विरोध किया था। माननीय शुक्ल जी खुद विचार करेंगे और इसको वापस ले लेंगे। राजनैतिक पीड़ित हैं और जिनके यहां नाबालिग बच्चे या विधवायें रह गयीं, जो अर्न नहीं कर सकते उनके लिये गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलेगी। जो बूढ़े हो गये काम करते-करते देश की सेवा में और उनके पास कोई रोजगार नहीं है उनको भी गवर्नमेंट पेंशन देती है। इसके अलावा उनके बच्चों को चार साल की, जो आयु पब्लिक सर्विस के लिये मुकर्रर है उसमें से कंसेशन देती है। तराई एरिया में जमीन दी है, जो खेती करना चाहते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है। बहुत से दोस्तों को यह मालूम नहीं है भूमि व्यवस्था का जो अधिनियम है उसको नियमावली में भी हमने कंसेशन किया है। उसमें दफा १९८ में पंचायत के पास अगर जमीन गांव के कुल रकबे १० फीसदी से ज्यादा गैरमजरुआ हो तो भूमिहीनों के सिलसिले में जो हमने नियमावली बनायी है उसमें एक नियम यह बनाया है जिसके लिए कानपुर के कुछ दोस्तों ने सुझाव दिया था—वह बात पसन्द आयी और वह नियम बन गया है कि भूमिहीनों मे अगर ऐसे भूमिहीन हुये जो तीन महीने जेलखाने गये हों या जिन्होंने ५० या १०० रुपये जुर्माना दिया है तो उन भूमिहीनों में से ऐसे भूमिहीनों को प्रिफरेंस दिया जायगा जो कि कांग्रेस के वालेंटियर या नेशनल वालेंटियर रहे हों। मैं नहीं समझता कि किसी को इसमें शिकायत हो सकती है। वहां तो नियम बना दिया उसमें कोई बेदखली नहीं हो सकती। जमीन तकसीम करने जा रहे हैं—उसको तरजीह दे रहे हैं जिसने सेवा की हो, देश की गाढ़े वक्त पर, आड़े वक्त पर लेकिन इस क्वालीफिकेशन के बल पर कि हमने देश की सेवा की थी वह सेवा जो कि भावना और दिल से प्रेरित करके की थी उसका हिसाब नफे नुक्सान के हिसाब से नहीं लगाया जा सकता। वह बेदखल करें इस बिना पर तो बिलकुल नामुनासिब होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री शिवनारायण—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुख हुआ इस अमेंडमेंट को देखकर। मैं तो कहूंगा कि यह अमेंडमेंट केवल बनारस के जिले के लिये हो रहा है। बनारस हमारा वह केन्द्र है जो ४२ की क्रांति का केन्द्र रहा है और उसमें राजनैतिक पीड़ितों के लिये, उन नेशनलिस्टों की शान व मान के खिलाफ है, उनकी तौहीन मैं समझता हूं। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। उन महान् त्यागियों ने जिन्होंने बलिदान किया, अंग्रेजों को इस देश से निकाल कर बाहर किया, रेल काटी, तार काटे उसकी शान के खिलाफ होगा। माननीय राजनारायण जी की शान के खिलाफ होगा अगर यह चीज पास हो गयी। इतने बड़े राजनैतिक त्यागी ये लोग सन् ४२ की क्रांति में रहे हैं। जो जेलखानों में रहे हैं, जिन लोगों ने देश के लिये कुर्बानी की है और बड़े बलिदान किये हैं और जहां हमने राजगुरु और सुखदेव जैसे भाई के लालों को फांसी के तख्तों पर चढ़वा दिया तब हमें आजादी मिली। माननीय शुक्ल जी इसको ला रहे हैं।

मुझे बड़ा दुख है कि हम पड़ोसी हैं उनके, इसका मुझे बड़ा दुख है। एक पुरानी कहावत है हिन्दुओं में कि पुरनिया जब ६० वर्ष का हो जाता है तो सठिया जाता है। ऐसा इंतजाम चीन में जरूर है। शायद शुक्ल जी ने, चीन के बारे में अखबार में पढ़ लिया होगा। लेकिन चीन की गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट में बड़ा अन्तर है। हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ला रहे हैं। उनके यहां रेड गवर्नमेंट है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि ऐसी दलील न दीजिये, जोकि अध्यक्ष पर भी लग जाय।

श्री शिवनारायण--हमारा देश तो सत्य और अहिंसा के उसूलों पर बना। भगवान बुद्ध की देन है, गांधी की देन है। हमारा देश शिक्षा का केन्द्र है। राजगुरु रहा है। संसार गुरु रहा है। भारत में नाना देशों तक विद्यार्थी हिमालय की कंदराओं को पार करके आये हैं और नालंदा में शिक्षा प्राप्त की है। हमारे यहां मुसलमान और परशियन तमाम लोग आये। परशियन आर्ट और इंडियन आर्ट मिल कर आज हमारा कल्चर बना है। आज वह किसी से छिपा नहीं है। मैं शुक्ल जी से कहना चाहता हूं कि वह ठंढे दिल से सोचें। जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे वह कहते थे जो लोग बाहर से आते थे कि देखिये गांधी ऐसे आदमियों से न मिलिये। उन्होंने सचेत किया। वह समझते थे कि गांधी तपस्वी हैं, हम उनके सामने टिक नहीं सकते। शुक्ल जी उस बलिदान पर पानी फेरना चाहते हैं।

(इसके बाद ५ बजे सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
६ अप्रैल, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१५ पर)

इस वर्ष के राजकीय नार्मल स्कूलों के छात्रों की संख्या

क्रम संख्या	स्कूल का नाम		एक वर्षीय कोर्स	दो वर्षीय कोर्स	कुल संख्या
१	राजकीय नार्मल स्कूल,	देहरादून	५०	४४	९४
२	,,	हापुड़ (मेरठ) ..	४७	४१	८८
३	,,	खुर्जा (बुलन्दशहर)	४६	५२	९८
४	,,	हाथरस (अलीगढ़)	४४	५०	९४
५	,,	महावन (मथुरा)	३८	५७	९५
६	,,	मैनपुरी ..	४६	५४	१००
७	,,	गंजडुन्डवारा (एटा)	५१	४९	१००
८	,,	बिजनौर	४४	४८	९२
९	,,	मुरादाबाद	४५	४७	९२
१०	,,	बरेली ..	१८	७६	९४
११	,,	बदायूं ..	२४	४६	७०
१२	,,	शाहजहांपुर ..	१३	७८	९१
१३	,,	पीलीभीत	३३	५०	८३
१४	,,	भीमताल (नैनीताल)	२७	२८	५५
१५	,,	पौड़ी (गढ़वाल) ..	५०	४४	९४
१६	,,	टेहरी (गढ़वाल) ..	४५	४७	९२
१७	,,	फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)	५०	५०	१००
१८	,,	इटावा ..	४३	५०	९३
१९	,,	नरवल (कानपुर)	४९	४५	९४
२०	,,	फतेहपुर ..	३४	६४	९८
२१	,,	करवी (बांदा) ..	६	८१	८७
२२	,,	चरखारी (हमीरपुर)	१६	७१	८७
२३	,,	उरई (जालौन)	४	८८	९२
२४	,,	बनारस ..	४६	३६	८२
२५	,,	चुनार (मिर्जापुर)	४९	४०	८९
२६	,,	केराकत (जौनपुर)	४८	४६	९४
२७	,,	सैदपुर (गाजीपुर)	४४	४६	९०
२८	,,	बलिया	२२	१९	४१
२९	,,	पडरौना (देवरिया)	४६	५०	९६
३०	,,	बस्ती ..	४७	४७	९४
३१	,,	आजमगढ़ ..	३३	५९	९२
३२	,,	उन्नाव ..	४५	४४	८९
३३	,,	रायबरेली	२०	७६	९६
३४	,,	बिसवां (सीतापुर)	१७	७२	८९
३५	,,	हरदोई	..	५३	५३
३६	,,	खीरी (लखीमपुर)..	२४	६७	९१
३७	,,	बलरामपुर (गोंडा) ..	१८	६८	८६
३८	,,	बहराइच ..	५४	४७	१०१
३९	,,	सुल्तानपुर	२३	७६	९९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१–३३ के उत्तर पीछे पृष्ठ ३१९ पर)

तालिका 'अ'

क्रम सं०	स्कूलों का नाम जिनको हानि पहुंची	भवन क्षति का अनुमानित मूल्य	विद्यालय की मांग	स्वीकृत अनुदान	विशेषविवरण
१	२	३	४	५	६
	हायर सेकेन्डरी स्कूल	रु०	रु०	रु०	
१	पिपुल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, डुमरियागंज, बस्ती ..	३,०००	१,५००	१,५००	
२	रतनसेन हायर सेकेन्डरी स्कूल, बांसी	४००	४००	०	(१) भारत सरकार के स्कीम संख्या ४ (बी) के अन्तर्गत १५,००० रु० का अनुदान मिल चुका है।
३	किसान हायर सेकेन्डरी स्कूल, उस्का बाजार, बस्ती ..	२,५००	१,२५०	०	(२) भारत सरकार के स्कीम संख्या ४ (बी०) के० अन्तर्गत ६,६०० रु० का अनुदान मिल चुका है।
	जूनियर हाई स्कूल				
१	जे० यल० जूनियर हाई स्कूल, कलवारी, बस्ती	२००	१५०	१००	
२	ग्राम विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, बांसी	२००	२००	१००	
३	गौतम जूनियर हाई स्कूल, पिपरा ..	३,००	१,५००	१,०००	

तालिका 'ब'

जिला बोर्ड बस्ती के जूनियर हाई स्कूलों के नाम जिनको बाढ़ से क्षति पहुंची है	विद्यालय की मांग	स्वीकृत अनुदान
१	२	३
१-जूनियर हाई स्कूल बाघानाला ..	जिला बोर्ड बस्ती की ओर से भवनों के पुन-र्निर्माण व मरम्मत के लिये किसी निर्दिष्ट धन की मांग नहीं की गई।	बोर्ड के जूनियर हाई स्कूलों की मरम्मत आदि के लिये ५,२०० रु० राजाज्ञा संख्या सी० ७७३ १५-६६७ १९५५ दिनांक २७-२-५६ में स्वीकृत हुआ है। प्राइमरी स्कूलों के लिये शासन द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया गया है।
२— ,, ,, जगदीशपुर		
३— ,, ,, इन्दौली		
४— ,, ,, छावनी		
५— ,, ,, बनीयाडीह		
६— ,, ,, छीतरापार		
७— ,, ,, बकरहवा		

नोट—बोर्ड ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त ६१ प्राइमरी स्कूलों की रिपोर्ट की है लेकिन उनके नाम नहीं भेजे है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२४ पर)

उत्तर प्रदेश के नगरपालिकाओं की सूची जहां बालिकों की अनिवार्य शिक्षा योजना सम्प्रति लागू है

जिले का नाम	नगर पालिकाओं का का नाम	
१—देहरादून	१—देहरादून	
	२—मसूरी	
२—सहारनपुर ..	३—सहारनपुर	
	४—हरिद्वार यूनियन	
	५—देवबन्द	
	६—रुड़की	
३—मुजफ्फरनगर	७—मुजफ्फरनगर	
	८—कैरौना	
	९—शामली	इसके लिये आदेश तो हो चुके हैं परन्तु किसी कारण नगर पालिका ने लागू नहीं की है। आशा है कि शीघ्र ही चालू हो जायेगी।
४—मेरठ	१०—मेरठ	
	११—गाजियाबाद	
	१२—हापुड़	
	१३—बरौत	
	१४—पिलखुवां	
५—बुलन्दशहर	१५—बुलन्दशहर	
	१६—खुर्जा	
	१७—सिकन्दराबाद	
६—अलीगढ़	१८—कोयल (अलीगढ़)	
	१९—हाथरस	
	२०—अतरौली	
	२१—सिकन्दराराव	
७—मथुरा	२२—मथुरा	
	२३—वृन्दाबन	
८—आगरा	२४—आगरा	
	२५—फिरोजाबाद	
९—मैनपुरी	२६—मैनपुरी	
१०—एटा	२७—एटा	
	२८—सोरों	
	२९—कासगंज	
	३०—जलेसर	
११—बरेली	३१—बरेली	
	३२—आंवला	
१२—बिजनौर	३३—बिजनौर	
	३४—चांदपुर	
	३५—धामपुर	
	३६—नगीना	
	३७—नजीबाबाद	

जिले का नाम		नगरपालिकाओं का का नाम
१३—बदायूं	.. ..	३८—बदायूं
		३९—उझानी
		४०—सहसवान
१४—मुरादाबाद	.. ..	४१—मुरादाबाद
		४२—चन्दौसी
		४३—अमरोहा
		४४—सम्भल
		४५—हसनपुर
१५—शाहजहांपुर	..	४६—शाहजहांपुर
		४७—तिलहर
१६—पीलीभीत	.. ..	४८—पीलीभीत
		४९—बिसालपुर
१७—फर्रुखाबाद	.. ..	५०—फर्रुखाबाद
		५१—कन्नौज
		५२—कायमगंज
१८—इटावा	.. ..	५३—इटावा
१९—कानपुर	.. ..	५४—कानपुर
२०—फतेहपुर	.. ..	५५—फतेहपुर
२१—इलाहाबाद	.. ..	५६—इलाहाबाद
२२—झांसी	.. ..	५७—झांसी
		५८—मऊ
		५९—ललितापुर
२३—जालौन	.. ..	६०—उरई
		६१—कालपी
		६२—कौंच
		६३—जालौन
२४—बांदा	.. ..	६४—बांदा
२५—बनारस	.. ..	६५—बनारस
२६—मिर्जापुर	..	६६—मिर्जापुर
२७—जौनपुर	..	६७—जौनपुर
२८—गाजीपुर	..	६८—गाजीपुर
२९—बलिया	.. ..	६९—बलिया
३०—गोरखपुर	.. ..	७०—गोरखपुर
३१—आजमगढ़	.. ..	७१—आजमगढ़
३२—नैनीताल	..	७२—नैनीताल
		७३—काशीपुर
		७४—हल्द्वानी
३३—अल्मोड़ा	.. ..	७५—अल्मोड़ा
३४—लखनऊ	.. ..	७६—मऊनाथ भंजन (अजमगढ़)
		७७—लखनऊ
३५—उन्नाव	.. ..	७८—उन्नाव
३६—रायबरेली	.. ..	७९—रायबरेली

जिले का नाम			नगरपालिकाओं का नाम
३७—सीतापुर	..	..	८०—सीतापुर
			८१—खैराबाद
३८—हरदोई	..	..	८२—हरदोई
			८३—शाहाबाद
			८४—संडीला
			८५—बिहानी
३९—खीरी	..	..	८६—लखीमपुर-खीरी
४०—फैजाबाद	..	..	८७—फैजाबाद
			८८—टांडा
४१—गोंडा	..	..	८९—गोंडा
			९०—बलरामपुर
४२—बहराइच		..	९१—बहराइच
४३—सुल्तानपुर	..	..	९२—सुल्तानपुर
४४—प्रतापगढ़	..	..	९३—प्रतापगढ़
४५—बाराबंकी	..	..	९४—बाराबंकी
४६—बस्ती	..	..	९५—बस्ती ।

उत्तर प्रदेश के नगरपालिकाओं की सूची जहां बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा योजना सम्प्रति लागू है

१—सहारनपुर	..	..	१—हरद्वार
२—अलीगढ़	..	..	२—अलीगढ़
३—मथुरा	..	..	३—मथुरा
			४—वृन्दावन
४—बिजनौर		..	५—चांदपुर
५—कानपुर	..	..	६—कानपुर
६—इलाहाबाद	..	..	७—इलाहाबाद
७—मिर्जापुर	..	..	८—मिर्जापुर
८—लखनऊ	..	..	९—लखनऊ
९—फैजाबाद	..	..	१०—टांडा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २८ एल० ए०—१९५६—७९६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड १७०

घ

च

छ

ट

ठ

ड

प्रश्नोत्तर

प (समाप्त)

[स्थानिक प्रश्न]

स (क्रमागत)

पी० एस० यू० पी० ए०–पी० १९४ एल० ए०—१९५६–७९६।